चतुर्दश माला, खंड 32, अंक 7

मंगलवार, 4 मार्च, 2008
14 फाल्गुन, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc No 74
Dated 15 Jan 2009

(खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 32, तेरहवां सत्र, 2008/1929 (शक)]

अंक 7, मंगलवार, 4 मार्च, 2008/14 फाल्गुन, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 82 से 88	2–39
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 81, 89 से 100	39–59
अतारांकित प्रश्न संख्या 805 से 971	59–411
सभा पटल पर रखे गए पत्र	411–417
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	417
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन	418
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
उनतीसवां से बत्तीसवां प्रतिवेदन	418–419
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ सत्ताईसवां से एक सौ तीसवां प्रतिवेदन	419
वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति	
पहले से पांचवां प्रतिवेदन	419–420
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
गत सप्ताह के दौरान किए गए कार्य	420
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
सभा की बैठक रद्द करना	421

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की मासिक प्रगति रिपोर्टों के इलेक्ट्रानिक अन्तरण के बारे में	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	422–424
(दो) मुम्बई और देश के अन्य भागों में उत्तर भारतीयों के विरुद्ध होने वाली हिंसा की घटनाओं के बारे में	
श्री शिवराज वि. पाटील	424–428
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) तमिलनाडु के शिवगंगा की स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती वेलु नाचियार के सम्मान में स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिवसीय डाक कवर जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्तन	446
(दो) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के हैवलाक द्वीप में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोले जाने की आवश्यकता	
श्री मनोरंजन भक्त	447
(तीन) गुजरात के साबरकांठा जिले में मोदसा और शमलाजी के बीच एक रेल संपर्क के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री मधुसूदन मिस्त्री	447
(चार) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत बकाया भुगतान राशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री वी.के. दुम्मर	447–448
(पांच) रेवाड़ी-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन को राजस्थान में अलवर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
डा. करण सिंह यादव	448
(छह) अनअधिसूचित जनजातियों (डिनोटिफाइड ट्राइब्स) को नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाई राठौड़	448–449
(सात) बिलासपुर (छत्तीसगढ़) और मांडला (मध्य प्रदेश) को जोड़ने वाली एक नई रेलवे लाइन को बिछाने की संस्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री पुन्नू लाल मोहले	449
(आठ) गुजरात के कच्छ में कोरीक्रिक क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे और पत्तन संबंधी कार्यकलाप शुरू करने हेतु "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.एस. गढ़वी	449–450
(नौ) राजस्थान के उन किसानों, जिनकी फसल पाला और शीतलहर के कारण बर्बाद हो गई है, को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	450

विषय	कॉलम
(दस) गुजरात के भरूच में जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरक्षित वन क्षेत्रों तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को अधिशासित करने वाली विधि में संसोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री मनसुख भाई डी. वसावा	450–451
(ग्यारह) केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले चावल और गेहूं का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सी.एस. सुजाता	451
(बारह) बुन्देलखंड क्षेत्र के सूखा प्रभावित लोगों को राहत दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राजनरायन बुधौलिया	452
(तेरह) बिहार के समस्तीपुर में ''कर्पूरी बांध'' के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री आलोक कुमार मेहता	452–453
(चौदह) महाराष्ट्र के परभनी में एक फूड पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	453
(पन्द्रह) उड़ीसा सरकार को विद्युत उत्पादन पर शुल्क लगाए जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तृहरि महताब	453–454
(सोलह) महाराष्ट्र के कोल्हापुर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक	454–455
(सत्रह) पश्चिम बंगाल के किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रबोध पाण्डा	455
(अठारह) पात्र अनुसूचित जाति परिवारों को सरकारी सुविधाएं देने के उद्देश्य से पंजाब में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की जनगणना कराए जाने की आवश्यकता	
श्री जोरा सिंह मान	455
(उन्नीस) असम में होम गार्ड्स की सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
डा. अरुण कुमार शर्मा	456
(बीस) राष्ट्रीय राजमार्ग 31क द्वारा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से होकर सिक्किम तक आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री नकुल दास राई	456–457
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	
श्री अधीर चौधरी	457–464
श्री अनंत गंगाराम गीते	464–470

विषय कॉलम

श्री वीरेन्द्र कुमार 471–474

श्री रामजी लाल सुमन 475–479

श्री प्रभुनाथ सिंह 479–487

श्री सुखदेव सिंह ढींढसा 487–491

श्री अनंत कुमार 491–503

श्री मधुसूदन मिस्त्री 503–510

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन 510–514

श्री सीता राम सिंह 514–520

श्री शैलेन्द्र कुमार 520–525

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन 526–529

प्रो. एम. रामदास 529–535

श्री हरिकेवल प्रसाद 535–538

श्री बिक्रम केशरी देव 538–542

श्री किरिप चालिहा 542–546

डा. सिबैस्टियन पाल 546–547

श्री एल. गणेशन 547–550

श्री इलियास आजमी 550–554

श्री कीरेन रिजीजू 554–557

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा 557–564

श्री किन्जरपु येरननायडु 564–566

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी 566–568

श्री मुन्शी राम 568–571

श्री प्रहलाद जोशी 571–579

श्री रघुराज सिंह शाक्य 579

श्री नवीन जिन्दल 580–586

श्री एस.के. खारवेनथन 586–589

श्री जोवाकिम बखला 589–591

श्री सर्वानन्द सोनोवाल 591–594

विषय कॉलम

एडवोकेट सुरेश कुरूप 594–597

श्री असादूद्दीन ओवेसी 597–600

श्री अब्दुल रशीद शाहीन 601–603

श्री पी.सी. थामस 604–605

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा 605–615

श्री फ्रांसिस फैन्थम 616–619

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 619–624

श्री रवि प्रकाश वर्मा 624–627

श्री मणि चारेनामै 627–631

डा. बाबू राव मिडियम 631–632

श्री हरिभाऊ राठौड़ 632–634

श्री रामदास आठवले 634–637

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई 638

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 639–641

डा. टोकचोम मैन्या 641–644

डा. वल्लभभाई कथीरिया 644–649

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार 649–652

श्री भानु प्रताप सिंह 652–653

श्री शंखलाल माझी 653–655

कार्य मंत्रणा समिति

छियालीसवां प्रतिवेदन 535

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 665

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 666–670

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 671–672

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 671–672

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 4 मार्च, 2008/14 फाल्गुन, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः क्वैश्चन 81, श्री अजीत जोगी-उपस्थित नहीं-

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव (झांसी): माननीय अध्यक्ष जी, बुंदेलखंड की हालत बहुत खराब है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः क्वैश्चन 82, श्री चंद्रभूषण सिंह।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः बहुत हो गया है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

एक रोज भी क्वैश्चन आवर नहीं हुआ है।

...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रपाल सिंह यादवः बुंदेलखंड में लोग भुखमरी से मर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः श्री चंद्रभूषण सिंह, आप क्वैश्चन नम्बर बोलिये।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः आप क्या बोल रहे हैं? आप बैठिये।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादवः बुंदेलखंड में लोग भुखमरी से मर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः 12 बजे क्वैश्चन आवर के बाद पूछिये। मेहरबानी करके आप बैठ जाइये।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादवः महोदय, लोग वहां से पलायन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः सप्लीमैन्ट्री प्लीज।

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फर्रुखाबाद): क्वैश्चन संख्या 82 ...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

मानित विश्वविद्यालयों को मान्यता

*82. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक मानित विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या कई मानित विश्वविद्यालयों को नियमों में दिए गए मानदंडों के अनुसार मान्यता प्रदान नहीं की गई है और सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। इस समय देश में 101 'सम-विश्वविद्यालय' हैं-

(ख) केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन की संस्था को 'सम-विश्वविद्यालय' घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। कोई ऐसी संस्था, जो एक विश्वविद्यालय की तुलना में उच्च स्तरीय कार्य कर रही हो, को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की मंशा उस संस्था को सशक्त करना है ताकि वह उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक योगदान दे सके, क्योंकि इससे विश्वविद्यालय प्रणाली और समृद्ध होगी। सम-विश्वविद्यालयों के मुख्य उद्देश्य हैं:-

(1) अध्ययन के उन विषयों, जिसे वह उपयुक्त समझें, में शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना;

(2) ज्ञान के प्रोन्नयन एवं प्रसार हेतु अनुसंधान का आयोजन करना और उसे प्रोत्साहन देना;

(3) समाज के विकास में योगदान के लिए कक्षाओं से बाहर अतिरिक्त अध्ययन, विस्तार कार्यक्रम एवं क्षेत्र बाह्य कार्यकलाप शुरू करना;

(4) ऐसे सभी कृत्यों और कार्यों को करना जो संस्थान के उद्देश्यों को आगे ले जाने के लिए आवश्यक अथवा वांछनीय हो-

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किसी संस्था को 'सम-विश्वविद्यालय' घोषित करने हेतु प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत 'सम-विश्वविद्यालय' का दर्जा देने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार करता है। लब्धप्रतिष्ठित विशेषज्ञों की एक समिति आवेदक संस्था का दौरा करती है और अपनी रिपोर्ट देती है जिस पर आयोग द्वारा विचार किया जाता है। इसके बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस संबंध में उपयुक्त सिफारिश सरकार को भेजता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट की जांच सरकार द्वारा की जाती है और यदि आवेदक संस्था को 'सम-विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान किए जाने के योग्य पाया जाता है तो सरकार द्वारा इसे उस रूप में अधिसूचित कर दिया जाता है।

किन्ही श्री विपल्व शर्मा द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (जनहित याचिका) दायर की गई है जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान बहुत से ऐसे व्यावसायिक कालेजों को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है जो शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए नहीं जाने जाते हैं। यह मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह: सर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यह है कि हिन्दुस्तान में जो भी लड़के ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, उनमें 80 परसैन्ट नौकरी या अन्य किसी काम के काबिल नहीं होते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि विगत सालों में आपने 36 कालेजिज को डीम्ड यूनिवर्सिटीज का दर्जा दिया है। उसके पैरामीटर्स आपने निश्चित कर रखे हैं। हालांकि सोलिसीटर जनरल ने जो याचिका दायर की है, उसमें यह भी लिखा है कि हम इसे स्ट्रीम लाइन करके एक सख्त कानून बना रहे हैं, ताकि जो विदेशी यूनिवर्सिटीज यहां आएं, उनसे हम कम्पीट कर सकें। अभी तक आप जिस तरीके से डीम्ड यूनिवर्सिटीज का दर्जा देते थे, उसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक कमेटी भेजता था और उसकी रिपोर्ट आपको सबमिट करता था, तब उसे आप डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देते थे। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर ही क्या आप रिकग्निशन देते थे या इसके बीच में स्टेट गवर्नमैन्ट, आल इंडिया काउंसिल फार टैक्निकल एजूकेशन, मैडिकल काउंसिल आफ इंडिया या डैन्टल काउंसिल आफ इंडिया की भी परमीशन की आवश्यकता होती थी?

अध्यक्ष महोदय: आप क्वैश्चन पूछिये।

श्री चन्द्रभूषण सिंह: मेरा क्वैश्चन स्पष्ट है। स्टेट गवर्नमैन्ट को या दूसरी संस्थाओं को बाई-पास करके केन्द्र सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अभी तक कितने कालेजों को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, मैं यही जानना चाहता हूं?

अध्यक्ष महोदय: आपने 101 बोला है।

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, जैसा कि आपने बताया है, देश में 101 मानित विश्वविद्यालय है। इसकी एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार आवेदक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास 'मानित विश्वविद्यालय (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) का दर्जा दिये जाने के लिए आवेदन करता है। तत्पश्चात् यह आवेदन विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग (यूजीसी) को प्रेषित करता है जो कि आवेदन की जांच-पड़ताल करता है। इसके द्वारा वहां उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाता है। इस विशेषज्ञ समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। उन्हें उनका उपस्थित होकर उपलब्ध सुविधाओं की जांच करना अत्यंत आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय: आपने यह सब जवाब में बताया है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: इस प्रकार वही प्रश्न का उत्तर है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि राज्य सरकारों की उपेक्षा करते हुए कितने विश्वविद्यालयों को यह दर्जा दिया गया है।

[हिन्दी]

आपने यही पूछा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए, हम आपकी मदद कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के पश्चात् 'मानित विश्वविद्यालय' का दर्जा दिया जाता है। अत: ऐसा नहीं हो सकता कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की अनदेखी की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह: मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि क्या इसमें स्टेट गवर्नमैन्ट और ए.आई.सी.टी.ई. की परमीशन की भी आवश्यकता होती है। क्या आप इनकी परमीशन के बाद ही डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देते हैं, मैं यही जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: अवसंरचनात्मक ढांचे का निरीक्षण करने वाली विशेषज्ञ समिति में निश्चित रूप से ए.आई.सी.टी.ई. का एक सदस्य प्रतिनिधित्व भी करता है। परन्तु अब तक 'मानित विश्वविद्यालय' का दर्जा दिये जाने में राज्य सरकार को विश्वास में नहीं लिया जाता।

'मानित विश्वविद्यालय' के कार्यकरण का निरीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति को अपनी सिफारिशें अभी देनी हैं। राज्य सरकारों सहित सभी दावेदारों की विभिन्न चिन्ताओं पर विचार किया जाता है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की एक्सपर्ट कमेटी होती है, उनके देखने में यह आया है कि बहुत से ऐसे प्रोफेशनल कालेज हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पलीट नहीं है और जिनमें अच्छे प्रोफेसर्स पोस्टेड नहीं होते हैं और जिनमें अच्छे पेपर्स पब्लिश नहीं हो रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। आप कहें तो मैं नाम खोलूं, लेकिन वह ठीक नहीं रहेगा। अब आप उसके लिए सख्त कानून बनाने वाले हैं क्योंकि अब आपके सिर पर ओले पड़ने वाले हैं। इसीलिए आपने सख्त कानून बनाने की बात की कि विदेशी लोग भी आपके यहां यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। यह काम आपने पहले क्यों नहीं किया? पहले ऐसे कालेजों को आपने परमिशन क्यों दी, जिन्होंने ऐसे लोगों को तैयार किया जो न मजदूरी कर सकते हैं और न नौकरी कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: ए.आई.सी.टी.ई. एक परिषद है जो कि उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं का वास्तव में निरीक्षण करने जाता है और उसके बाद ही सभी कालेजों को मान्यता दी जाती है। वास्तव में, यू.जी.सी. ही वह परिषद है जो कार्यक्रमों का निरीक्षण करके संस्थान को मान्यता देता है। इस प्रकार, यूजीसी और ए.आई.सी.टी.ई. के विशेषज्ञ इस विशेषज्ञ समिति में उपस्थित होकर इसके संबंध में स्वीकृति या अपनी सिफारिशें मानव संसाधन मंत्रालय को प्रेषित करते हैं ताकि उन्हें 'मानित विश्वविद्यालय' का दर्जा दिया जा सके। यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है कि ए.आई.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त कालेज ही 'मानित विश्वविद्यालय' का दर्जा प्राप्त करने के पात्र हैं, फिर भी यूजीसी केवल ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त आवेदनों पर ही विचार करता है। अत: हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि 'मानित विश्वविद्यालय' का दर्जा दिये जाने से पहले उचित अवसंरचनात्मक ढांचा, संकाय और सभी आवश्यक मानदंड हों *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। नहीं। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा: अध्यक्ष जी प्रश्न का 'सी भाग यह है कि:

[अनुवाद]

"क्या कई मानित विश्वविद्यालयों को नियमों में निर्धारित किये गए मानदंडों के अनुसार मान्यता प्रदान नहीं की गई है और सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है...."

[हिन्दी]

उसका जवाब कहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों ने यूनिवर्सिटी मांगने के लिए एप्लाई किया और उनमें से अब तक कितनी आपने ग्रान्ट की हैं? अगर कुछ बाकी है तो क्यों बाकी है? उनमें से कोई गुजरात की है या नहीं और गुजरात में आज तक कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं तथा अभी तक कोई एप्लीकेशन आई है या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: हमारे पास 170 आवेदन लम्बित हैं। परन्तु गुजरात राज्य के संदर्भ में यदि कोई आवेदन होगा तो मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगी।

डा. के.एस. मनोज: उत्तर में बताया गया है कि देश में 101 'मानित विश्वविद्यालय' हैं। 'मानित विश्वविद्यालयों' को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गयी है और वे अपने नियमों तथा विनियमों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ऐसा पाया गया है कि ये 'मानित विश्वविद्यालय' छात्रों के प्रवेश, पदों पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण मानदंडों का अनुपालन नहीं करते हैं। देश में 101 मानित विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों में बहुत से पाठ्यक्रम, व्यवसायिक पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं परन्तु आरक्षण मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार देश भर में अन्य विश्वविद्यालयों के समान ही 'मानित विश्वविद्यालयों' में भी प्रवेश और नौकरी में पदों की भर्ती के लिए आरक्षण मानदंड लागू करने पर बल देगी?

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: मानित विश्वविद्यालयों के दिशानिर्देशों में आरक्षण का स्पष्ट उल्लेख है। परन्तु जैसाकि मैंने पहले भी बताया है कि कतिपय कमियां रही हैं जिन्हें हमारे ध्यान में लाया गया है। यूजीसी के सदस्य प्रोफेसर रामामूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। विभिन्न संबंधित लोग सामने आए और उन्होंने अपनी चिन्ताएं समिति के समक्ष रखीं। इस सब पर विचार किया जा रहा है। 'मानित विश्वविद्यालयों' और सभी संबंधित व्यक्तियों को विश्वास में लेकर बेहतर विनियमन बनाए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: उनके द्वारा उठाया गया आरक्षण का मुद्दा भी इसमें शामिल है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: आरक्षण का स्पष्ट उल्लेख दिशानिर्देशों में है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा की गंभीर समस्या क्वालिटी आफ एजुकेशन और अभी जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान के देश हैं, उनके साथ हमारी कड़ी प्रतियोगिता है। हमारी समस्या यह है कि कुछ दौलत वाले लोग जिनके उद्योग बंद हो रहे हैं, वे शिक्षण संस्था को खोलना बिना घाटे का और मुनाफे वाला सौदा समझते हैं। भारत सरकार मनमाने ढंग से विश्वविद्यालय और डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता निरंतर देती चली जा रही है, जिससे विश्व के इस प्रतिस्पर्धी युग में, हमारे देश में उच्च शिक्षण संस्थानों से निकले हुए छात्र, उस स्पर्धा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या विश्व के इस प्रतियोगी युग में अपने देश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए मनमाने ढंग से डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता देने पर क्या भारत सरकार रोक लगाएगी?

अध्यक्ष महोदय: क्या मनमाने ढंग से मान्यता दे रहे हैं?

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: सर, मनमाने ढंग से नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

परन्तु, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि आवेदकों को 'मानित विश्वविद्यालयों' के दर्जे के लिए आवेदन करने से पहले इन मानदंडों के पूरा करना होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को विचारार्थ अपने आवेदन देने से पहले इन विभिन्न शर्तों को पूरा करना होगा, तथापि, जो कमियां इसमें पहले से विद्यमान हैं उन्हें दूर करने के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिशानिर्देशों को कड़ा बनाया जा सके-

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि देश में जो 101 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनका इसमें राज्यवार ब्यौरा नहीं है। हम जानना चाहेंगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी खोलने का जो पैमाना है, उस पैमाने के आधार पर बिहार के कितने आवेदन पत्र अभी तक दिये गये

और बिहार में कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज खोलने की परमिशन दी है? मैं समझता हूं कि बिहार में एक भी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, यह बात सही है और मैं माननीय श्री मोहन सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस देश में डीम्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से लूटपाट और खसोट का एक व्यापार चलाया जा रहा है। इसलिए सरकार को इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ विचार करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तो क्या बिहार में नहीं दी जानी चाहिए?

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: बिहार में दो 'मानित विश्वविद्यालय' हैं। एक मुंगेर में बिहार योग भारती और दूसरा नालन्दा में नवनालन्दा महावीर है। बिहार में ये दो 'नामित विश्वविद्यालय' पहले से हैं, परन्तु लम्बित आवेदनों के संदर्भ में हम माननीय सदस्य को बाद में सूचना दे पायेंगे।

प्रो. एम. रामदास: देश में 'मानित विश्वविद्यालयों' को बढ़ावा दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास: देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार के विचार से 'मानित विश्वविद्यालयों' को बढ़ावा दिया जा रहा है। परन्तु, दुर्भाग्य से अधिकांश 'मानित विश्वविद्यालय' निजी क्षेत्र में निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा स्थापित किये गए है। पांच वर्ष पहले स्थापित किये गए किसी कालेज में उचित अवसंरचनात्मक सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित किये बिना, उन्नयन करके 'मानित विश्वविद्यालय' का दर्जा दे दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार 'मानित विश्वविद्यालयों' और शिक्षा के मानकों के गिरते स्तर के प्रश्न पर विचार करेगी जो कि मेरे विचार से 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' के बजाए 'डुम्ड यूनिवर्सिटी' हो गयी है। इनमें शुल्क ढांचा किस प्रकार का है। हम किस तरह की आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत सारे अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

प्रो. एम. रामदास: क्या मंत्री महोदया देश के 'मानित विश्वविद्यालयों' के कार्यकरण के प्रश्न पर इस सभा की समिति गठित किये जाने की इच्छुक हैं?

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: यह कहना गलत होगा कि केवल निजी निवेशकों के शिक्षण संस्थानों को ही 'मानित विश्वविद्यालयों' का दर्जा दिया जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति है जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ही एक भाग है, इसे भी 'मानित विश्वविद्यालय' का दर्जा दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. रामदास, सभा में लगातार टीका-टिप्पणी नहीं चल सकती। कृपया इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: जहां तक विशिष्ट ब्यौरे का संबंध है, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगी कि वे हमारे सम्पर्क में रहें और हम उन्हें ये ब्यौरे उपलब्ध करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय: तो, उन्हें अभी ब्यौरे नहीं दिए जा सकते।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: माननीय सदस्य ने पांच वर्षों के अनुबंध की बात उठायी है जो कि एक नयी श्रेणी होगी। इसके अंतर्गत यदि उत्कृष्टता पहले से विद्यमान नहीं है तो नई स्थिति के अधीन पांच वर्षों के भीतर 'मानित विश्वविद्यालय' का दर्जा दिया जा सकेगा। परन्तु किसी भी संस्थान को 'मानित विश्वविद्यालय' का दर्जा दिये जाने के लिये यह आवश्यक होगा कि संस्थान का अस्तित्व पिछले 10 वर्षों से हो।

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यहां जो कनसर्न जाहिर किया है कि जितनी डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटीज को स्टेटस दिया गया, उनमें कुछ ऐसे इंस्टीट्युशन्स थे, जिनको यह स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिये था या जो पूरी तरह से नार्म्स फुलफिल नहीं करते हैं, लेकिन लद्दाख में सैंट्रल इंस्टीट्युट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज है, जो पिछले 30-35 सालों से गवर्नमेंट आफ इंडिया की एच.आर.डी. मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट आफ कल्चर द्वारा फंडेड आर्गनाइजेशन है। वहां उसने बहुत ही एक्सीलैंस का काम किया गया है। लेकिन यू.जी.सी. एक्ट के सैक्शन 3 के तहत जो कुछ कार्यवाही होनी थी, वह नहीं हुई है। इसके लिये वहां एक एक्सपर्ट कमेटी गई थी, जिसने अपनी रिकमैंडेशन्स भी दे दी हैं। सिर्फ एक मुद्दे पर उस संस्था को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिये का सवाल रुका हुआ है और वह है कि वहां सफिशिएंट फैक्यल्टी क्रिएट नहीं हुई है। यह उस संस्था के हाथ में है और

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

संस्था ने प्रोपोजल बहुत सालों से एच.आर.डी. मिनिस्ट्री को दिया हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि देश के उस क्षेत्र में जहां कोई डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नहीं है, 6 साल से कालेज बने हैं, जहां डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की अति आवश्यकता है, जो फैक्यल्टी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इंडिविज्युल के बारे में कैसे पूछेंगे?

श्री छेवांग थुपस्तन: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के बारे में है। क्या सरकार उसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा देगी? क्या सरकार वहां के लोगों की जैनुईन मांग को पूरा करेगी या नहीं?

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, यदि हम अपने बच्चों के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमारे पास संकाय होना अति आवश्यक है। मान लीजिए किसी मानित विश्वविद्यालय में विसंगतियां हैं, यदि इन विसंगतियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान में लाया जाता है तो वह इस विशेष संस्थान को ऐसे मानित विश्वविद्यालय का दर्जा वापस लेने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लिख सकता है जो आवश्यकता और आवश्यक गुणवत्ता के अनुसार कार्य नहीं करता है। अत: यह अति आवश्यक है कि संकाय हो परंतु यदि यह अति महत्वपूर्ण है तो संभवत: हम इस पर चर्चा कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस पर कैसे ध्यान दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

किडनी रैकेट

*83. **श्री थावर चन्द गेहलोत:**
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कुछ डाक्टर गुर्दा प्रत्यारोपण सहित मानव अंगों के अवैध प्रत्यारोपण/दुर्व्यापार में शामिल पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इन अवैध गतिविधियों में शामिल दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मानव अंग दुर्व्यापार के अवैध कार्य को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कठोर उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (च) उपलब्ध जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस (थाना: पालम विहार, गुड़गांव) और उत्तर प्रदेश पुलिस (थाना: सिविल लाइन्स, मुरादाबाद) द्वारा दर्ज मामलों में किडनी प्रत्यारोपण सहित अवैध मानव अंगप्रत्यारोपण में अवैध अन्तर्ग्रस्तता के लिए अभी हाल ही में कुछ डाक्टरों सहित निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है:-

क्र.सं.	नाम
1.	डा. अमित कुमार
2.	डा. उपेन्द्र (डा. अमित कुमार के निकट सहयोगी)
3.	डा. सरज कोविन्द (एनस्थीसिया विद)
4.	डा. जीवन कुमार (डा. अमित कुमार का भाई)
5.	डा. के.के. अग्रवाल (एनस्थीशियस्ट)
6.	ग्यासुद्दीन (किडनी आपूर्ति के लिए मध्यस्थ)
7.	जगदीश नाई (किडनी आपूर्ति के लिए मध्यस्थ)
8.	मनोज (ओटी सहायक)
9.	श्रीमती पूजा (डा. जीवन कुमार की पत्नी)
10.	उमेश (डा. जीवन कुमार का ड्राइवर)
11.	सुश्री लिन्डा (आरएमएल अस्पताल की नर्स)
12.	हरपाल (डा. उपेन्द्र का ड्राइवर)
13.	रमेश (डा. अमित कुमार का कुक)
14.	सुरेश (डा. अमित का कुक)

आपराधिक अपराधों की गम्भीरता के मद्देनजर यह मामले जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी सीबीआई से देश में मौजूद अनधिकृत

प्रत्यारोपण केन्द्रों एवं उनकी कार्यप्रणाली की विस्तृत जांच करने का अनुरोध किया है ताकि उनको रोकने के उपाय किए जा सकें।

मानव अंगों के वाणिज्यिक लेनदेन मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अंतर्गत एक दण्डनीय अपराध है। इस अधिनियम के अंतर्गत नियत उपयुक्त प्राधिकारी मानव अंगों के दुर्व्यापार की अवैध गतिविधि रोकने के लिए उत्तरदायी एवं अधिकारप्रदत्त हैं। इस अधिनियम में मानव अंगों का वाणिज्यिक लेनदेन करने और बिना प्राधिकार के मानव अंगों को निकालने के अपराध के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान है। केन्द्रीय सरकार इन उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयासों में राज्य सरकारों की सहायता करती है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे नाम का उच्चारण 'थ' से शुरू होता है और मेरा नाम थावरचन्द है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसके लिये माफी मांगता हूं। सिम्पल नाम होने से सुविधा होती है। आपका बहुत अच्छा नाम है।

श्री थावरचन्द गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा कार्य ईश्वरीय कार्य है परन्तु कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि लोग किडनी तथा शरीर के अन्य अंगों का व्यापार व्यवसाय करने लग गये हैं। लोगों ने इसका धंधा बना लिया है। लाखों रुपये लेकर किडनी और शरीर के अन्य अंगों के लिये हेरा-फेरी करते हैं जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या किडनी रैकेट से संबंधित मामले में सरकार ने जांच कराई है। उत्तर में बताया गया कि सीबीआई को मामला दिया गया है और जांच के बाद अपराधी के रूप में जिन लोगों के नाम सामने आये हैं, उनमें 14 लोग गिरफ्तार भी हुये हैं। हमारे देश में मानव अंगों के वाणिज्यिक लेन-देन से संबंधित मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 है, जिसे 1995 से लागू किया गया है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उस कानून में जो दंड का प्रावधान है, वह काफी नगण्य और कम है। इसी कारण इस प्रकार का धंधा करने वाले लोग कोई चिन्ता नहीं करते हैं और इसे धंधे के रूप में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिये।

श्री थावरचन्द गेहलोत: मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार मानव अंगों के वाणिज्यिक लेन-देन से संबंधित मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 में और कड़े उपाय करने की कार्यवाही करेगी, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह प्रश्न आरोग्य मंत्रालय की ओर से उत्तर के लिए यहां आना चाहिये था और उसके उत्तर दिये जाने का प्रयास भी होना चाहिये था मगर प्रश्न में पूछा गया है कि क्या कार्यवाही की गई है, तो इसीलिये हमारी तरफ यह प्रश्न आया है और गृह मंत्रालय की तरफ से उसका जवाब दिया जा रहा है। मुझे जो मालूमात है, वह यह बताती है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर विचार किया है। उन्होंने एक समिति भी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट भी उनके पास है। उस समिति ने रिपोर्ट में अनेक सुझाव दिये हैं और उन सुझावों पर स्वास्थ्य मंत्रालय विचार कर रहा है। वह कब करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, इसके संबंध में वही जवाब दे सकेंगे, मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं उनको बताऊंगा कि इस संबंध में सम्माननीय सदस्य को जानकारी उपलब्ध कराएं।

श्री थावरचन्द गेहलोत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो अपराधी पकड़े गए हैं, वे कहां-कहां रहे थे, क्या-क्या हुआ था और उनको अभी तक क्यों पकड़ा नहीं जा रहा है। ऐसी जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के वरिष्ठतम अधिकारी के यहां ये लंबे समय तक रहे हैं, संरक्षण प्राप्त किया है। क्या यह जांच-पड़ताल वहां तक पहुंचेगी?

दूसरा यह कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जिनके अंग निकाल लिये हैं, जो परेशान हो रहे हैं, जिन्दगी से हताश हो रहे हैं, उनको और उनके परिजनों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी या नहीं? अगर नहीं दी जाएगी तो क्यों नहीं देंगे और देंगे तो कब तक देंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने बड़ी चतुराई से इतने अधिक अनुपूरक प्रश्न एक ही प्रश्न में रख दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमन, जो केसेज सामने आए हैं, उनमें एक तो हरियाणा से और दूसरा उत्तर प्रदेश से आया है। पहले इसकी जांच-पड़ताल हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की। उसके पश्चात् उनको ऐसा लगा कि यह मामला एक स्टेट तक मर्यादित रहने वाला नहीं है। यहां तक कि यह मामला दूसरे देशों तक पहुंच रहा है, कनाडा तक पहुंच रहा है। वहां की सरकार ने समझा कि यह मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए। वह मामला सीबीआई के पास आ गया है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है और उन्होंने कई लोगों को पकड़ा है। मैंने जब पूछा

कि कितने दिनों में आपकी यह जांच पूरी हो जाएगी, तो उन्होंने बताया कि जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। अब वे किसके घर में रहे, किसके पास खाना खाया, ये डीटेल्स बताना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय: श्री हेमलाल मुर्मू। उपस्थित नहीं।

श्रीमती रंजीत रंजन।

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगी मेरा सेम सप्लीमैंट्री है। महोदय, वर्तमान कानून काफी सरल है जिसके कारण अपराधियों को बहुत अच्छी तरह से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। क्या इस कानून को कड़ा किया जाएगा? जो पिछला निठारी कांड हुआ, उसमें सिर्फ सैक्सुअल हैरासमैंट न होकर किडनी और दूसरे मानव अंगों के प्रत्यारोपण की बात भी आ रही थी। क्या उसी तरह से इसकी भी जांच होगी या इसको गंभीरता से लिया जाएगा?

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमन, मामला तो गंभीरता से ही लिया जाएगा। किसी को बख्शने की बात यहां पर नहीं आती है। सवाल यह जरूर है कि कानून को कड़ा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। कानून किस प्रकार से होना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था- समिति की तरफ से रिपोर्ट आई है और स्वास्थ्य मंत्रालय उस पर विचार कर रहा है। मैं समझता हूं कि आप सब लोगों की भावना को भी ध्यान में रखा जाएगा जब यह निर्णय किया जाएगा कि कानून को कैसे बनाया जाए।

प्रो. राम गोपाल यादव: श्रीमन, जो प्रश्न मैं पूछना चाहता था, उसी से जुड़ा हुआ सवाल माननीय थावरचंद गेहलोत जी ने पूछा था लेकिन उसका जवाब नहीं आया कि क्या यह सच है कि एक न्यायालय में इस किडनी कांड के प्रमुख अभियुक्त ने न्यायालय के सामने और न्यायालय से निकलने के बाद चैनल्स के सामने यह बयान दिया कि यह रैकेट उत्तर प्रदेश के एक सबसे बड़े अधिकारी के यहां से चलता था, क्या सीबीआई ने उस अधिकारी से इस संबंध में कोई पूछताछ अभी तक की है?

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमन्, वह उत्तर प्रदेश के अधिकारी के संबंध में था या किसी दूसरे अधिकारी के संबंध में था, उन्होंने शायद यह बताया था कि कुछ दूसरे पुलिस के अधिकारी उसमें हैं और उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सीबीआई की जो जांच चल रही है, उस जांच में अब तक की जानकारी मिली है या नहीं कि किन-किन लोगों की किडनी को निकालने का काम इन अवैध कारोबारियों ने किया है? इस रोजगार से जो सम्पत्ति देश और विदेश में इन लोगों ने जमा की है, क्या उस सम्पत्ति को जब्त करके सरकारी खजाने में आप जमा कराएंगे और जो इससे प्रभावित एवं पीड़ित लोग हैं, इस पैसे से उन्हें मुआवजा देने का काम करेंगे, यह हम जानना चाहते हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय, ऐसा नजर में आया है कि यह काम करने वाले लोगों ने बाहर के देशों में भी अपने घर बनाए हैं, वहां पर रह रहे हैं तथा शायद वहां उन्होंने अपनी सम्पत्ति भी रखी है। इस सम्पत्ति को जब्त करना और इस सम्पत्ति को, जिसका नुकसान हुआ है, उसे देना या उनमें बांटना, कानून की दृष्टि से जो हो सकता है, वह किया जाएगा। अगर वह हो सकता है तो उसे करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और अगर नहीं हो सकता है तो कानून की वजह से मजबूरी होगी।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें संदेह नहीं है कि पकड़ा गया किडनी रैकेट केवल इस बड़े दुर्व्यापार का छोटा सा हिस्सा है। यह कार्य पूरे देश में बहुत से छोटे स्थानों पर हो रहा है जिसका पता लगाने में हम सफल नहीं हो पाए हैं। परंतु, यह कार्य हो रहा है। क्या यह संभव नहीं है कि किडनी प्रत्यारोपण के इच्छुक व्यक्ति तथा अपनी किडनी बेचने के इच्छुक व्यक्ति के लिए बैंक हों जहां सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर किडनी बेचने के लिए नाम दर्ज किए जा सकें और इसमें समय-समय पर परिवर्तन होता रहे जैसे अमरीका और यूरोप में हुआ है? इस समय हो यह रहा है कि लोग अपने अंगों का प्रत्यारोपण कराने के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। यदि हमारे यहां बैंक हों तो हम इसे कानूनी बना देंगे, और हम इसे किडनी दान करने और प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए स्वच्छ पेशेवर कार्य बना देंगे।

अध्यक्ष महोदय: केवल स्वास्थ्य मंत्री इसका उत्तर दे पाएंगे।

श्रीमती मेनका गांधी: जी हां, महोदय, मैं जानती हूं कि स्वास्थ्य मंत्री इसका उचित उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन मुझे विश्वास है कि वह इसके बारे में बताएंगे।

श्रीमती मेनका गांधी: मैं सिर्फ यही पूछना चाहती हूं। हम अवैध रूप से किडनी निकालने वाले व्यक्तियों पर हत्या के प्रयास की आईपीसी की धारा लागू क्यों नहीं कर सकते हैं। यह हत्या का प्रयास है। कुछ व्यक्तियों की उस समय मृत्यु हो गई जब बिना बताए उनकी किडनी निकाली गई।

श्री शिवराज वि. पाटील: मुझे बताया गया है कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। सरकार के 'नेत्र बैंक' हैं और सरकार मानव शरीर के अन्य अंगों के लिए भी बैंक बनाना चाहती है। परंतु सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि यह कार्य

कैसे किया जाएगा। मेरे विचार से स्वास्थ्य मंत्री इस विषय को बेहतर तरीके से स्पष्ट कर पाएंगे।

जहां तक हत्या के प्रयास से संबंधित कानून की व्याख्या का संबंध है तो, हां, यदि यही किया जा सकता है तो यही किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो हम मजबूर हैं। केवल कानून में संशोधन करके या कानून में उपबंध करके ऐसा किया जाना चाहिए।

लघु उद्योगों के अंतर्गत आने वाली मदों को आरक्षित सूची से बाहर रखना

*84. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 79 मदों को लघु उद्योगों की सूची से बाहर रखने का निर्णय लिया है जैसाकि दिनांक 9 फरवरी, 2008 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लघु एककों को आरक्षण की परिधि में रखने की मांग की गई है ताकि बड़े औद्योगिक घरानों से उनकी प्रतिस्पर्धा होने से उन्हें बचाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) लघु उद्योग क्षेत्र हेतु विशेष रूप से आरक्षित मदों की सूची की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। संबंधित पक्षों के साथ परामर्श किया जाता है और उसके बाद औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (आईडीआर अधिनियम) के तहत गठित आरक्षण पर सलाहकार समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया जाता है। सलाहकार समिति की अनुशंसा के आधार पर सरकार मदों को आरक्षण से बाहर रखती है। आईडीआर अधिनियम की धारा 29बी के तहत अधिसूचना के द्वारा आरक्षण हटाया जाता है।

2. उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए सरकार ने "सिर्फ एसएसआई क्षेत्र में विनिर्माण हेतु आरक्षित मदों की सूची" से 79 मदों को हटाकर दिनांक 5.2.2008 को इन 79 मदों को गैर-आरक्षित कर दिया। आरक्षण से हटाई गई मदों का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:

उत्पाद समूह नाम	आरक्षण से हटाई गईं मदों की संख्या	"सिर्फ एसएसआई क्षेत्र में विनिर्माण हेतु आरक्षित मदों की सूची" में मदों की क्रम संख्या
1	2	3
खाद्य एवं संबद्ध मदें	04	8ए, 9, 10, 12
कागज एवं कागज उत्पाद	18	53, 55, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81
प्लास्टिक उत्पाद (इंजेक्शन माड्यूल्ड थर्मो	08	128, 129, 130, 131,
प्लास्टिक उत्पादों सिहत)		132, 137, 140, 140सी
रसायन एवं रसायनिक उत्पाद	06	211, 213, 214, 215, 216, 217
प्राकृतिक अनिवार्य तेल	02	219, 226

1	2	3
जैविक रसायन, औषधि एवं औषधि मध्यवर्ती	08	231, 232, 240, 241, 247, 249ई, 251, 252
अन्य रसायन एवं रसायनिक उत्पाद	10	254ए, 269, 299, 300, 307, 309, 311, 320, 322, 322ए
मेकेनिकल इंजीनियरिंग, परिवहन उपकरण को छोड़कर	04	353, 399, 400, 531
इलेक्ट्रिकल मशीनें, उपयंत्र एवं उपकरण	15	552, 555, 558, 564
इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उपयंत्र सहित		568, 569, 570, 573, 577, 582, 588, 589, 593, 596ए, 597
इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं संघटक	01	604
लेखन सामग्री मदें	03	769, 770, 771

3. सरकार ने अति महत्वपूर्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र सहित भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने एवं उनकी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में उनकी मदद करने हेतु कई नीतिगत कदम उठाए हैं। मुख्य कदमों में से एक है—लघु उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट रूप से उत्पादित होने वाली मदों के आरक्षण के रूप में प्रतिबन्धों को क्रमिक एवं अंशांकित रूप से हटाना। उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने, आयात के क्षेत्र में भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने में समर्थ बनाने, नौकरी संबंधी अवसरों के सृजन को बढ़ावा देने, गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के उत्पादन के लिए इसकी प्रौद्योगिकी उन्नयन करने एवं उच्च स्तरीय अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए यह कार्य किया गया है। ख्याति प्राप्त एजेंसियों द्वारा किये गए प्रायोगिक रूप से सत्यापन योग्य निष्पक्ष अध्ययनों में पूर्व में आरक्षण को हटाए जाने से किसी विपरीत प्रभाव के बारे में नहीं बताया गया है।

4. सरकार अंशांकित एवं प्रगतिशील रूप से आरक्षण हटाने की प्रक्रिया का अनुपालन करती है। सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से लघु उद्योग क्षेत्र के कार्यनिष्पादन पर निरंतर नजर रखती है एवं विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है ताकि इस क्षेत्र की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से उनकी मदद की जा सके।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि लघु उद्योग सबसे अधिक रोजगार का सृजन करने वाला क्षेत्र है। छोटे उद्यमी इन उद्योगों को चला रहे हैं। इसीलिए, आरक्षण द्वारा लघु उद्योगों को सुरक्षा दी जाती है। यहां, लगभग 79 मदें अनारक्षित हैं। मंत्री महोदय के उत्तर में बताया गया है कि गठित समिति ने सिफारिश दी हैं।

यदि इसी समिति ने इन मदों को आरक्षित किया था तो अब इन मदों को अनारक्षित करने का क्या कारण है।

श्री अश्विनी कुमार: अनारक्षण की प्रक्रिया कम से कम वर्ष 1991 के बाद से एक जारी प्रक्रिया रही है। चार क्रमवार समितियां रही हैं—पहली समिति राघवन समिति थी। तत्पश्चात् आबिद हुसैन समिति और एस.पी. गुप्ता गठित हुई जिन्होंने सारे संबंधित शेयर धारकों से चर्चा के बाद चरणबद्ध तरीके से कतिपय मदों के अनारक्षण की सिफारिश की।

लघु उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट विनिर्माण हेतु मदों को अनारक्षित करने की आवश्यकता वैश्विक अर्थव्यवस्था का कार्य भी है, प्रौद्योगिकी उन्नयन, उपलब्धता और आसानी से ऋण प्राप्ति हेतु निर्यात के मोर्चे पर नई चुनौतियां भी कार्य हैं।

महोदय, इस सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यूएनडीपी और अन्य परामर्शदाता द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में अनारक्षण के प्रभाव के पूरे क्षेत्र की जांच करने पर विशेषज्ञ अध्ययन में यह राय व्यक्त की गई है कि वास्तव में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। महोदय, आज इसी कारण औद्योगिक उत्पादकता और औद्योगिक उत्पादन ने रिकार्ड वृद्धि हासिल की है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार लघु उद्योग क्षेत्र को एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र मानती है क्योंकि यह क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है और यही वह क्षेत्र है जिसने हमारे औद्योगिक उत्पादन और हमारे सकल घरेलू उत्पाद में पर्याप्त

योगदान दिया है। जहां तक हमारे उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु नीति बनाने का संबंध है तो किसी अवहेलना का प्रश्न ही नहीं उठता। अनारक्षण की यह नीति इसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने उन मदों पर पड़े प्रभाव पर ध्यान दिया है जिन्हें अनारक्षित किया गया है। क्या कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण कराया गया है? यदि हां, तो वह लघु उद्योग में इन मदों की सुरक्षा किस प्रकार करेंगे?

श्री अश्विनी कुमार: जैसा कि मैंने कहा हमारे अध्ययन दर्शाते हैं कि अनारक्षण से प्रौद्योगिकी के उन्नयन, ऋण की प्राप्ति आदि के कार्य में सुविधा मिली है और इससे इस क्षेत्र में निर्यात में भी वृद्धि हुई है इसलिए, कुल मिलाकर प्रभाव नकारात्मक नहीं रहा है। कुछ परिवर्तन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं परंतु इसके लिए सरकार ने वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन सहायता आदि हेतु विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। अत: कुल मिलाकर हमें, नकारात्मक प्रभाव दिखाई नहीं देता और इसीलिए हमारे उद्योग न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी अधिक से अधिक प्रतिस्पर्द्धी हो रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, अब सरकार निर्णय ले रही है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज सैक्टर को बाजार के हवाले किया जाएगा। वर्ष 1984 में 873 आइटम्स को रिजर्व किया गया था। आज स्थिति यह है कि केवल 35 आइटम्स ही रह गए हैं, बाकी सभी को बाजार के हवाले कर दिया गया है। यह भी सच है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा जाब जैनरेशन पोटेंशल है। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रोसेस चल रहा है रिजर्व करने का और फिर डीरिजर्व करने का, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा प्रोटेक्शन देने के दरम्यान भी, कुछ आइटम्स रिजर्व करने के बाद भी, स्माल स्केल सैक्टर काम्पीटीटिव नहीं हो पा रहा था, एक्सपोर्ट ओरिएंटिड नहीं हो पा रहा था या जो सेटबैक्स आप बता रहे हैं, वह नहीं हो पा रहा था, इसके क्या कारण रहे हैं? क्या आप रिजर्वेशन पालिसी को औब्सोलीट मानते हैं? इसको डीरिजर्व करने के बाद जो कम्पनियां कमपीट नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए आप क्या करने वाले हैं?

श्री अश्विनी कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। जिन कारणों से आइटम्स की डीरिजर्वेशन की गई है, उन्हीं कारणों से लघु उद्योग प्रतिस्पर्द्धा की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा था। लघु उद्योगों को न तो बैंक पूरा केपिटल दे पाते थे, न वे टेक्नोलाजी अपडेट कर पा रहे थे और न ही एक्सपोर्ट में अपना योगदान दे पा रहे थे। इसके अलावा हमारी आयात की नीतियों और ग्लोबलाइजेशन के कम्पलशन्स के रहते हुए हमने देखा और 1991 से यह प्रक्रिया चल रही है, एक दिन में ही ऐसा नहीं हुआ है, 5-6 एक्सपर्ट कमेटीज बनीं, जिनमें सरकार के सीनियर अफसर थे, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, कामर्स के सेक्रेटरी, लघु उद्योग के सेक्रेटरी ने एडवाइजरी कमेटी के साथ, जिसमें सब स्टेट्स के नुमाइंदे होते हैं, उनके साथ विचार-विमर्श करने के बाद, इस निर्णय पर पहुंचे कि ग्रेजुअली में डीरिजर्वेशन की ओर बढ़ना होगा। माननीय सदस्य की बात सच है कि वर्ष 1984 में 870 के करीब आइटम्स एक्सक्लूसिवली स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थे और आज वे 35 रह गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे पैमाने पर देखें तो हमारी इंडस्ट्रीज काम्पीटीटिव है, हेल्दी है और ग्रो कर रही है। आपके सवाल के उत्तर में यही कहना चाहता हूं कि जिन कारणों से हमने डीरिजर्वेशन की है, उन्हीं कारणों से लघु उद्योग, प्रोटेक्शन के चलते हुए भी, पनप नहीं रहा था। इसीलिए उसको पनपाने के लिए, उसको और सुधारने के लिए हमने डीरिजर्वेशन की पालिसी अख्तियार की है।

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला: धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि मेरी सूचना सही है तो जूते और खिलौने जैसी वस्तुओं को लघु उद्योग क्षेत्र हेतु आरक्षित किया जाता है। अब बिल्कुल इसी प्रकार की वस्तुओं से हम भारतीय बाजार को भारतीय उत्पादों से नहीं बल्कि चीन के उत्पादों से भरा हुआ पाते हैं। वास्तव में अधिकांशत: हम देखते हैं कि हमारी अधिकांश हस्तशिल्प वस्तुएं मशीन निर्मित होती हैं और चीन से लाई गई होती हैं। मैं समझता हूं कि लघु उद्योग क्षेत्र हेतु वस्तुओं को आरक्षित रखना बड़े भारतीय विनिर्माताओं से बचाने के लिए आवश्यक है। हम भारत के बड़े विनिर्माताओं से लघु क्षेत्र के विनिर्माताओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से चीन के विनिर्माताओं हेतु क्षेत्र खोल रहे हैं और उन्हें अनुचित लाभ दे रहे हैं।

इसलिए, जिन विभिन्न अध्ययनों का माननीय मंत्री द्वारा उल्लेख किया गया है उनमें कहा गया है कि भारतीय उद्योग अनारक्षित किए जाने पर अधिक प्रतिस्पर्द्धी हो गए हैं। क्या भारत सरकार भारतीय विनिर्माताओं पर विनिर्माण की सीमा थोपने की बजाय उनके प्रचालनों की सीमा निर्धारित करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है।

श्री अश्विनी कुमार: महोदय, अनारक्षण की नीति का पूरा ध्यान और प्रयोजन उनके लिए है जो बाजार में विशेष उत्पाद क्षेत्र में यह देखने के लिए बने रहना चाहते हैं कि क्या वे प्रतिस्पर्द्धी बन सकते हैं और यदि हां तो कैसे? इसलिए, हमने यही किया है। आप सही हैं, यह उन्हें आयात से बचाने के लिए भी है क्योंकि आयात को आदेश द्वारा नहीं रोका जा सकता और इसलिए, यदि हम जानते हैं कि खास वस्तुओं को बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है तो हमारे उद्योग की रक्षा करने का एकमात्र तरीका उनको परिपक्व होने की सुविधा प्रदान करना है ताकि वे बड़े घरेलू विनिर्माता और साथ ही आयात की चुनौती से निपट सकें। इसलिए, आप सही हैं; अंतिम विश्लेषण में इसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकीय उन्नयन का लक्ष्य हासिल करने और प्रतिस्पर्द्धी बनने के तरीके तलाशने हेतु संबद्ध विनिर्माता और उद्योग पर छोड़ देना होगा क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं आदेश या कानून द्वारा नहीं चल सकतीं और इसलिए कानून को समय की बदलती वास्तविकताओं के साथ कदम मिलाकर चलना होगा।

श्री विक्रम केशरी देव: महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक बात जानना चाहता हूं। यदि लघु उद्योग द्वारा विनिर्मित विशेष वस्तु को अनारक्षित किया जाता है तो वह बड़ी कंपनी से मुकाबला नहीं कर सकती है। क्या सरकार लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा उठाए गए घाटे की भरपाई करने हेतु कोई नीति बनाएगी?

श्री अश्विनी कुमार: महोदय, अपने आपको वैश्विक रूप में एकीकृत करने की दिशा में बढ़ रही अर्थव्यवस्था में सरकार की नीतिगत हस्तक्षेप की सीमाएं हैं। तथापि, अनारक्षण के पूरे चरण में सरकार विभिन्न नीतियां लाई हैं जिन्होंने प्रतिस्पर्द्धा की चुनौतियों से निपटने में समयोजित राहत और विशेष रूप से उन्हें अंततः सौदेश्यपूर्ण राहत दी है। यदि लघु उद्योग क्षेत्र में विशेष विनिर्माता हेतु विशेष उत्पाद आरक्षित किया जाता है और यदि उत्पाद की गुणवत्ता ऐसी है कि बाजार में उसे कोई खरीदार नहीं मिलता है तो किसी स्थिति में उद्योग बाजार में टिक नहीं सकता, इसलिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है और मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि नीति को सारे दावेदारों के साथ और उच्चतम स्तर पर व्यापक और उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद तैयार किया गया है।

अर्ध-सैनिक बलों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले

***85. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल कर्मियों द्वारा बड़ी संख्या में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगे जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों (सीपीएमएफ) के कार्मिकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुख्यतः इन कारणों से ली जाती है—दूरवर्ती क्षेत्रों में तैनाती तथा तनावपूर्ण कार्य परिस्थितियां; परिवार से अलगाव की लंबी अवधि; व्यक्तिगत और घरेलू परेशानियां; अपर्याप्त मुआवजा; तथा घर के पास वैकल्पिक रोजगार अवसरों की उपलब्धता।

(ख) सीपीएमएफ कार्मिकों के बीच तनाव के स्तर को कम करने तथा उनकी व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने में उन्हें सक्षम बनाने तथा उनके संतुष्टि के स्तर में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में शामिल हैं—परिवार पर ध्यान देना तथा परिवार के लिए अलग से आवास की व्यवस्था करना; उनकी टुकड़ी और उनके परिवारों के लिए मूलभूत सुख/सुविधाएं जुटाना; सीमा पर टुकड़ियों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करवाना; पारदर्शी अवकाश नीति; कमांडरों/अधिकारियों तथा टुकड़ियों के बीच औपचारिक तथा अनौपचारिक विनियमित वार्तालाप; श्रेष्ठ तनाव प्रबंधन के लिए योग कक्षाएं; मनोरंजन और खेल सुविधाएं; शिकायत निवारण तंत्र को दुरुस्त करना; विशिष्ट सुविधाओं के साथ बहुउद्देश्यीय अस्पताल चालू करना; सभी सेवारत तथा पूर्व सीपीएमएफ कार्मिकों के लिए केन्द्रीय पुलिस कैंटीन सुविधाएं तथा पूर्व सीपीएमएफ कार्मिकों के निकटतम आश्रितों की कल्याण और पुनर्वास आवश्यकताओं की देखरेख के लिए कल्याण और पुनर्वास बोर्ड का गठन करना।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि सीआईएसएफ में केवल एक ही महिला महानिरीक्षक (इंस्पेक्टर जनरल) के पद तक पहुंची है और यह भी कि लिंग भेद भी इस बात से स्पष्ट है कि महिलाओं को हल्के काम यथा विमानपत्तनों, विरासत स्थलों और मेट्रो पर तलाशी का काम सौंपा जाता है जबकि महत्वपूर्ण संस्थापनों यथा आण्विक संयंत्रों, अंतरिक्ष केंद्रों, तेलशोधक कारखानों, बंदरगाहों, कोयला क्षेत्रों, इस्पात संयंत्रों, अति विशिष्ट व्यक्ति क्षेत्रों और सरकारी कार्यालयों को सुरक्षा प्रदान करने में पुरुषों की ही प्रधानता है।

अध्यक्ष महोदय: क्या यह (प्रश्न) उठता है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: लिंग विशेष के लिए आपका समर्थन प्रशंसनीय है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री उन्हें सूचना भेज सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं सूचना अवश्य भेज दूंगा। लेकिन संक्षेप में, मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा है वह ठीक नहीं है।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: माननीय मंत्री, क्या बीएसएफ में सक्रिय 'फील्ड ड्यूटी' करने वालों और कार्यालयी कार्य करने वालों के बीच विभेदक प्रोन्नति मानदंड समाप्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित कर दिया गया है। क्या यह अन्य पांच समकक्ष सेवाओं—आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, असम राईफल्स और सशस्त्र सीमा बल के लिए पूर्वोदाहरण के रूप में कार्य करेगा? यह उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय सरकार पर बाध्यकारी हैं और वे निश्चित रूप से कार्यान्वित किए जाएंगे। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि किस निर्णय की बात हो रही है और यह समझे बिना कि उस निर्णय में क्या लिखा है, मैं उचित उत्तर नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय: जब तक कि इस संबंध में कोई अपील लंबित न हो।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास आंकड़े हैं कि पिछले तीन वर्षों के अंदर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों ने जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, उनकी संख्या सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ., बी.एस.एफ. या अन्यान्य में क्या रही है? क्या यह सही है कि अक्सर जवानों और अधिकारियों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहता है? खासकर मैं आपके माध्यम से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी जवान के घर में शादी हो रही है या उसकी माता की, पिता की मौत हो गई, उसकी पत्नी बीमार है, उस समय वह छुट्टी के लिए पेश नहीं हो सकता और कमांडर साहब उसको समय नहीं देते हैं तो परिणामस्वरूप फ्रस्ट्रेट होकर फिर वह नौकरी छोड़ने को मजबूर हो जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार अधिकारियों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए और अधिकारियों और जवानों के बीच में मधुर संबंध स्थापित करने के लिए कोई विशेष प्रयास करेगी?

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमन, आंकड़े मेरे पास हैं, मैं दे सकता हूं। जिन लोगों ने बी.एस.एफ. से रिजाइन किया है, 2005, 2006 और 2007 में, उसके आंकड़े इस प्रकार हैं—236, 222 और 151—सी.आई.एस.एफ. से 226, 194 और 185, सी.आर.पी.एफ. से 125, 223, 183, आई.टी.बी.पी. से 60, 66 और 33 और एन.एस.जी. से कोई नहीं हुआ है- एस.एस.बी. से 12, 64 और 105 हुए हैं, इस प्रकार के आकंड़े हैं।

जहां तक किसी जवान को अपने घर जाने की इजाजत देने का सवाल है, मैं समझता हूं कि इसके लिए कानून बना है, रूल बने हैं। उसके मुताबिक उनके अधिकारियों को काम करना जरूरी हो जाता है। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो फिर किसी को सहूलियत मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी और यह नहीं होना चाहिए। इसलिए यह देखा जाता है कि कानूनन जो हो सकता है, वह किया जाये। आप जो कह रहे हैं, अगर कोई ऐसा हादसा हुआ है या किसी के घर में कोई शादी जैसा सुखद मामला हो रहा है और उसमें कानून का अर्थ इस प्रकार से लगाया जा सकता है कि उसको सहूलियत मिल सके तो वैसा करना जरूरी होता है। ऐसा करने के लिए ऊपर के अधिकारियों को भी बताया गया है।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा हेतु सांविधिक निकाय

***86. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में दूरस्थ और आनलाइन शैक्षिक पाठ्यक्रमों को विनियमित करने के प्रयास में, सरकार का विचार एक सांविधिक निकाय स्थापित करने का है जो विदेशी विश्वविद्यालयों/कालेजों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे पाठ्यक्रमों की भी निगरानी करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने दूरस्थ शिक्षा परिषद को कानूनी जामा पहनाने के लिए एक प्रारूप विधेयक तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जिसमें आन-लाइन शिक्षा शामिल है, में संवर्धन, समन्वय, मानकों का निर्धारण

एवं विनियमन करने हेतु एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय की स्थापना करने से संबंधित एक प्रस्ताव विचार के उच्च चरण में है। प्रस्ताव है कि इस सांविधिक निकाय को विदेशी दूरस्थ शिक्षा प्रदाताओं के प्रवेश और संचालन को विनियमित करने का भी अधिकार होगा।

श्री इकबाल अहमद सरडगी: महोदय, दूरस्थ शिक्षा की पहल एक नया आयाम प्राप्त कर चुकी है। पत्राचार और आनलाइन शिक्षा के जरिए हजारों छात्र इस अवसर को प्राप्त करना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे छात्रों के लिए आईआईटी और आईआईएम की सुविधा आनलाइन पत्राचार पाठ्यक्रम के रूप में उपलब्ध है जिनका आईआईटी और आईआईएम में चयन नहीं हुआ है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, आईआईटी और आईआईएम पत्राचार पाठ्यक्रम में उपलब्ध नहीं है। तथापि, यह संस्थानों पर निर्भर है कि क्या वे छात्रों को इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना चाहेंगे।

श्री इकबाल अहमद सरडगी: छात्र कई बार अभ्यावेदन दे चुके हैं कि प्रमाण पत्र प्रदान न करने, अन्य विश्वविद्यालयों में उनके प्रमाण पत्रों को मान्यता न देने, आदि के बारे में उनकी कुछ शिकायतें हैं। क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि इन्हें पूरे देश में लगभग सभी विश्वविद्यालयों में मान्यता मिले।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में मौजूद दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी) एक सांविधिक प्राधिकरण है जो दूरस्थ शिक्षा के मानक निर्धारित करने और उनके समन्वय के लिए भी जिम्मेदार है। तथापि, कुछ स्व-वित्तपोषित मानित विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं और वे डीईसी का अनुपालन नहीं करना चाहते क्योंकि वे मानते हैं कि डीईसी मानित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय को नियंत्रित करने वाला प्राधिकार नहीं है। तथापि, मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 172वें प्रतिवेदन में डीईसी के गठन का सुझाव अथवा सिफारिश है जो विचाराधीन है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या डीईसी—जो अब कार्यशील है—अपना कार्य किसी संविधि के अंतर्गत कर रही है अथवा मात्र एक कार्यकारी आदेश पर? इसे मान्यता देने के लिए नयी संविधि लाने के संबंध में क्या स्थिति है?

दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय और विदेशी विश्वविद्यालय डिग्रियां प्रदान करते हैं। क्या वे किसी संविधि के अंतर्गत भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं? इन डिग्रियों की स्थिति क्या है? क्या आप इन सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए नई संविधि लाने का प्रस्ताव करते हैं?

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया है, 1985 के 'इग्नू' अधिनियम की धारा 16 संविधि 28 के अंतर्गत डीईसी इग्नू का एक सांविधिक प्राधिकार है। तथापि, जैसा कि मैंने पहले कहा था, अनेक मानित विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय डीईसी को दूरस्थ शिक्षा के नियंत्रण के लिए कोई प्राधिकार नहीं मानते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब संसद में डीईसी अधिनियम लाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में यह विधायी विभाग के पास है, और हम शीघ्र ही सभा में संबंधित अधिनियम लाएंगे।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, इन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स की कितनी संख्या है? उनमें एससी और एसटी के लिए आरक्षण की क्या पालिसी है? उनमें कितने एससी और एसटी के स्टूडेंट्स है?

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, विभिन्न राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों और अन्य दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों में लगभग 18.33 लाख छात्र नामांकित हैं लेकिन जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की सही संख्या का संबंध है, हम इसके आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखते हैं क्योंकि इस संख्या का लेखा-जोखा विश्वविद्यालयों द्वारा रखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 87। श्री सुरेश अंगड़ि—उपस्थित नहीं।

शिक्षा पर व्यय

*87. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री सुरेश अंगड़ि:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा पर व्यय को

बढ़ाने का है, जैसाकि दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 के 'द फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लक्ष्यों हेतु ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत व्यय करने का विचार है; और

(घ) इससे शिक्षा क्षेत्र के कितना लाभान्वित होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2,69,873 करोड़ रु. (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 1,84,930 करोड़ रु. और उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 84,943 करोड़ रु.) का आबंटन किया गया है जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 7.7 प्रतिशत की तुलना में 11वीं योजना के कुल आबंटन का 19.4 प्रतिशत है। शिक्षा के लिए केन्द्रीय योजनागत परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से किए जाने वाले भरसक प्रयास को दर्शाती है। तथापि, इस लक्ष्य को प्राप्त करने की समग्र प्रगति राज्य सरकारों की ओर से किए जाने वाले इसी प्रकार के प्रयासों पर निर्भर होगी।

(घ) आशा है कि 11वीं योजना के दौरान बढ़े हुए आवंटन से शिक्षा की सुलभता में वृद्धि होगी और गुणवत्ता और समावेशन सुनिश्चित होगा।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए शिक्षा पर अधिक खर्च करना आवश्यक है। लेकिन सर्व शिक्षा के संबंध में अब तक हम संवैधानिक प्रतिबद्धता पूरी करने में विफल रहे हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, 1960 के पश्चात से इस सभा ने दस वर्ष की समय-सीमा में वृद्धि की है।

विभिन्न आयोगों ने सार्वजनिक व्यय और शिक्षा पर अनेक सिफारिशें की हैं। कोठारी आयोग रिपोर्ट को हमने आदर्श माना है। कोठारी आयोग ने शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग छह प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश की है। देश को यह आश्वासन भी दिया गया था कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक हम शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत खर्च करने में सक्षम होंगे। इस सरकार ने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह वायदा भी किया है कि वे अपने शासनकाल के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने में सक्षम होंगे। महोदय, यह उनका अंतिम वर्ष है और वे शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न रखें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: लिखित उत्तर में उन्होंने आश्वासन दिया है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वे सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने में सक्षम होंगे। मैं मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि वे सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने में विफल क्यों रहे जिसका उन्होंने राष्ट्र को वचन दिया था। ग्यारहवीं योजना के दौरान भी सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे शिक्षा पर अधिक खर्च करने में सक्षम होंगे ताकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर सकें।

अध्यक्ष महोदय: इसकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, दसवीं योजना में शिक्षा क्षेत्र को दी गई सकल बजटीय सहायता सात प्रतिशत से कुछ अधिक थी लेकिन ग्यारहवीं योजना में यह 19.3 प्रतिशत है। इस प्रकार, हम शिक्षा क्षेत्र के लिए आबंटन में वृद्धि कर रहे हैं। तथापि, आपके माध्यम से, मैं सदस्य को सूचित करना चाहूंगी कि हमने शिक्षा पर छह प्रतिशत खर्च करने का जो वादा किया है वह सिर्फ भारत सरकार नहीं करेगी; यह भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी। गत वर्षों के दौरान भारत सरकार के शेयर में वृद्धि हुई है लेकिन, दुर्भाग्यवश, राज्य सरकारों द्वारा निधि आबंटन में कमी हुई है। सदस्य की चिंता की प्रशंसा करते हुए, आपके माध्यम से मैं सभी सदस्यों से राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा के लिए आबंटन में अपना शेयर देना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों पर दबाव डालने की अपील करती हूं- *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, यदि प्रश्नकाल आराम से चले तो क्या इससे आपको अप्रसन्नता होगी।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: यह भारत सरकार की संवैधानिक गतिबद्धता थी और यही कारण है कि प्रत्येक दस वर्ष के पश्चात, इस सभा को और दस वर्ष बढ़ाने पड़ते हैं ताकि सर्वशिक्षा का लक्ष्य प्राप्त हो सके। भारत सरकार का यह भी कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय: यह समवर्ती सूची में है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मेरा प्रश्न जिसका मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं वह यह है कि क्या भारत सरकार भी सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर रही है अथवा नहीं। उन्हें हमें आश्वस्त करना चाहिए कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में वे सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर सकेंगे।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, यह सार्वजनिक व्यय है जो छह प्रतिशत होना चाहिए, और यह कि सार्वजनिक व्यय केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर किया जाएगा।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, माननीय मंत्री ने अभी-अभी बताया कि संघ सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे निवेश की तुलना में राज्य सरकारों का शेयर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। मुझे कहते हुए खेद है कि यह सही नहीं है। हमारे केरल राज्य में इसमें प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। यहां राज्य सरकार का शेयर प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है। जबकि संघ सरकार द्वारा किये जाने वाला निवेश प्रत्येक वर्ष गिरता जा रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदया के इन आंकड़ों का स्रोत क्या है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: हमारे पास आंकड़े हैं और मैं इसे माननीय सदस्य की जानकारी हेतु उन्हें भेज सकती हूं। मैं निश्चित रूप से पुन: जोर देकर कहना चाहती हूं कि पिछले वर्षों के दौरान राज्यों के शेयर में व्यापक कमी आई है। मैं सभा के माध्यम से राज्यों से पुन: अपील करती हूं कि शिक्षा हेतु आवंटन में निश्चित रूप से वृद्धि करें।

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, मंत्री ने अभी-अभी कहा है कि चूंकि राज्यों द्वारा निवेश में कमी आई है इसलिए लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी है। जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, इस राज्य ने अपने शेयर में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है। मैं मंत्री से जानना चाहूंगा कि किन राज्यों ने शिक्षा हेतु आवंटन में कमी की है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह नहीं है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, मैं सदस्य को जानकारी भेज दूंगी।

अध्यक्ष महोदय: आप यहां राज्य सरकारों पर बार-बार आरोप नहीं लगा सकती हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र में निवेश

***88. श्री विजय कृष्ण:** क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा सहित प्रत्येक राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में क्षेत्र-वार तथा राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) इन क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र में कितना रोजगार सृजित हुआ है; और

(ग) इन उद्यमों में क्षेत्र-वार कितने उद्यम नि:शक्त व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं?

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 2001-02 के दौरान कराई गई लघु उद्योगों के लिए तीसरी अखिल भारतीय गणना के परिणाम के आधार पर भारत में (उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा सहित) सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र में किया गया कुल नियत निवेश और सृजित रोजगार के अनुमान नीचे क्रमश: सारणी-1 और सारणी-2 में दिए गए हैं। अनुमानित नियत निवेश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है। चूंकि, मध्यम उद्यमों की परिभाषा पहली बार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, जो 2 अक्तूबर, 2006 से प्रभावी हुआ है, के तहत की गई थी, अत: नियत निवेश और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए रोजगार के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

सारणी-1

	क्षेत्र	नियत निवेश (करोड़ रु.)		
		2004-05	2005-06	2006-07
1.	सूक्ष्म उद्यम	1,02,945	1,07,983	1,13,023
2.	लघु उद्यम	85,848	90,067	94,284
	कुल	1,88,793	1,98,050	2,07,307

सारणी-2

	क्षेत्र	रोजगार (व्यक्ति लाख में)		
		2004-05	2005-06	2006-07
1.	सूक्ष्म उद्यम	185.81	193.87	202.15
2.	लघु उद्यम	101.75	105.98	110.37
	कुल	287.56	299.85	312.52

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग लोगों द्वारा स्वामित्व वाले उद्यमों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

अनुबंध

वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा किए गए अनुमानित नियत निवेश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नियत निवेश (करोड़ रु.)		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	जम्मू-कश्मीर	1566	1652	1738
2.	हिमाचल प्रदेश	952	1042	1104
3.	पंजाब	12675	12929	13186
4.	चंडीगढ़	570	588	604
5.	उत्तरांचल	1929	2096	2294
6.	हरियाणा	8545	8786	9052
7.	दिल्ली	7520	7712	7913

1	2	3	4	5
8.	राजस्थान	8399	8873	9254
9.	उत्तर प्रदेश	21858	23407	24852
10.	बिहार	3121	3251	3392
11.	सिक्किम	13	13	14
12.	अरुणाचल प्रदेश	39	40	42
13.	नागालैंड	474	524	601
14.	मणिपुर	399	413	428
15.	मिजोरम	145	155	167
16.	त्रिपुरा	358	370	384
17.	मेघालय	173	187	202
18.	असम	1342	1399	1451
19.	पश्चिम बंगाल	6221	6424	6638
20.	झारखंड	745	787	839
21.	उड़ीसा	2429	2530	2640
22.	छत्तीसगढ़	2282	2351	2420
23.	मध्य प्रदेश	4233	4481	4723
24.	गुजरात	13336	13908	14327
25.	दमन एवं दीव	3842	4039	4216
26.	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0
27.	महाराष्ट्र	36271	38644	41197
28.	आंध्र प्रदेश	13663	14047	14480
29.	कर्नाटक	10143	10672	11206
30.	गोवा	809	839	855
31.	लक्षद्वीप	11	12	13
32.	केरल	8476	8748	8998
33.	तमिलनाडु	15492	16335	17252
34.	पांडिचेरी	706	742	766
35.	अंडमान एवं निकोबार	54	56	58
	अखिल भारतीय	188793	198050	207307

श्री विजय कृष्ण: अध्यक्ष महोदय, सूक्ष्म और लघु उद्योगों में किए निवेश और रोजगार सृजन के बारे में एक तालिका में विवरण दिया गया है। गांधी जी का सपना था कि गरीब लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन हो, लेकिन आज रोजगार सृजन की संभावनाएं घटती जा रही हैं और निवेश भी कम है। इस कारण हालत यह है कि जब लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो वहां वे पीटे जाते हैं, मार खा रहे हैं। ऐसी स्थिति में, मैं सरकार से चाहूंगा कि रोजगार सृजन बढ़े, इस हेतु पिछड़े राज्यों, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और इससे सटे हुए जो राज्य हैं, वहां क्या आप लघु और सूक्ष्म क्षेत्र में कोई विशेष पैकेज देना चाहेंगे?

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी विशेष पैकेज देने की बात की है। वैसे हम इस क्षेत्र में सम्पूर्ण भारत को एक इकाई मानकर काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने विशेषकर बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने बहुत बड़ा पैकेज दिया है। यह पैकेज बहुत लम्बा है, इसलिए हम इसकी कापी उनको भिजवा देंगे। लघु उद्योग के सैक्टर को हम किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में एक मापक के अनुसार उन्नत करेंगे, क्योंकि यह मंत्रालय ऐसा है जो रोजगार पैदा कर सकता है, रोजगार देने के लिए इस मंत्रालय ने गत महीने में एक विशेष पैकेज दिया है। इस पैकेज की पूरी कापी मैं माननीय सदस्य को उद्धरण के लिए भिजवा दूंगा।

श्री लालू प्रसाद: हम आपके बगल में ही बैठे हैं इसलिए हमें अभी कापी दे दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री विजय कृष्ण: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से जानना चाहता हूं कि बहुत सारे सूक्ष्म और लघु उद्योग कर्ज के कारण बंद पड़े हुए हैं। सरकार ने बजट में बड़ा ही साहसिक कदम उठाया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लघु और सूक्ष्म उद्योगपतियों का बंद पड़ा उद्योग चालू हो सकें, उसके लिए क्या आप ऋण माफ या ऋण का सूद माफ करने की दिशा में कोई कार्रवाई करना चाहते हैं?

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, ऋण माफ करने का जो मामला है, वह नीतिगत प्रश्न है। इस बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया जो रिपोर्ट देती है, उसके अनुसार ही हम काम करते हैं। अब माननीय सदस्य चाहते हैं कि उन उद्योगपतियों का ऋण माफ किया जाये। *...(व्यवधान)*

श्री विजय कृष्ण: आप कम से कम उनके ऋण का सूद ही माफ कर दें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद: इस बार का बजट बहुत अच्छा आया है- आप पूरे बजट को पढ़िये। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। आप इस संदर्भ में कुछ कार्रवाई चाहते हैं, तो मैं इस पर विचार करूंगा कि इन राज्यों में हम और क्या कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, लघु और मध्यम उद्योगों में भारी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार देने की संभावना है। तथापि, कतिपय नीतियों के कारण ये छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग संकट का सामना कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया उत्तर के लिए समय दें।

श्री बसुदेव आचार्य: पिछले अनेक वर्षों के दौरान भारी संख्या में छोटे उद्योग बन्द हो गए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार हमारे लघु, कुटीर, पारंपरिक और ग्रामीण उद्योगों जैसे सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु क्या उपाय कर रही है ताकि भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सके।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर देने दें, समय नहीं बचा है।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पुनरुद्धार करने का प्रश्न उठाया है। इसी संदर्भ में गत वर्षों में 100 करोड़ रुपए की एक निधि हमने स्थापित की है जिसमें स्फूर्ति नामक *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: 100 करोड़ रुपये बहुत कम हैं। इससे क्या होगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें उत्तर देने दें।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: इस पैकेज के आधार पर, जितने परम्परागत उद्योग हैं, जो पिछड़ते जा रहे थे, उन उद्योगों के पुनरुद्धार करने के लिए हम स्फूर्ति नामक योजना चला रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि प्रश्न काल अति उपयोगी तथा शांतिपूर्ण रहा।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: धन्यवाद। हम भी इसकी सराहना करते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

दलहनों का आयात

***81. श्री अजीत जोगी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा इस वर्ष के दौरान देश में दलहनों का कुल कितनी मात्रा में और किन-किन देशों से कितना-कितना आयात किया गया; और

(ख) इस पर देश-वार कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अक्तूबर के दौरान आयातित दालों की कुल मात्रा के देशवार तथा मूल्यवार आंकड़े सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आयातित दालों की कुल मात्रा

देश	अप्रैल 2004-मार्च 2005		अप्रैल 2005-मार्च 2006		अप्रैल 2006-मार्च 2007		अप्रैल 2007-अक्तूबर 2007 (अनंतिम)	
	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रु.)	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रु.)	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रु.)	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अफगानिस्तान टी आई एस	40	6.84						
अर्जेन्टीना					48	5.78		
आस्ट्रेलिया	78095	9566.95	91629	14187.75	194198	36374.57	68217	13323.58
ब्राजील					48	14.21	896	277.96
कनाडा	474002	51855.45	672887	67343.08	905325	106396.60	765273	119573.87
ताइवान					498	64.89		
चन जनगण	27278	4957.85	39280	8187.73	59423	18228.05	6494	2165.94
डेनमार्क	760	145.97			650	124.06		
डिजिबूती	110	20.77			110	29.63	24	6.68
मिस्र अरब गणराज्य	64	12.13						
इथियोपिया	4431	671.32	4627	708.81	6111	1469.13	1541	361.08
फ्रांस	72297	8426.31	32266	3125.26	106965	12205.92	93716	13571.15
जर्मनी					12180	1333.00	10870	1674.07
इंडोनेशिया	135	24.20	288	65.80	1541	500.96	12	3.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
इरान	77425	12965.09	37252	9909.89	4635	1494.27		
इराक	236	40.16						
इटली					132	25.57		
जापान	1	0.10						
केन्या	798	127.11	976	182.23	2941	881.16	13264	3216.83
लेबनान					1	0.22		
मेडागास्कर					109	42.33	189	58.49
मालावी	11384	1672.01	1912	270.53	10776	1888.51	4352	820.20
मलेशिया	1188	162.19	661	97.15	477	116.94	161	41.36
म्यांमार	479229	67904.26	491030	91329.80	615622	159458.00	388247	98419.12
माल्दोवा					1504	157.42		
मोजाम्बिक	9501	1354.94	5039	767.47	6207	1037.76	2305	429.22
नेपाल	15502	3597.97	15259	3727.88	7778	2368.84	481	161.26
न्यू कैलेडोनिया	22	7.54			47	12.83		
न्यूजीलैंड	823	110.44	476	64.56	362	49.76	182	22.73
पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य	10947	1879.72	134950	22647.55	2108	427.83	225	41.11
पेरू	66	23.07			77	33.11		
रूमानिया	180	17.12						
रूस	4773	615.64	14844	2131.42	21864	2489.06	12923	1833.44
सऊदी अरब			2	0.20				
सिंगापुर	66	15.50	272	26.92	133	14.08	126	19.82
सोमालिया							130	29.11
दक्षिण अफ्रीका			25	2.82	415	110.37		
श्रीलंका डी एस आर					37	6.83		
स्विटजरलैंड	577	121.42						
तंजानिया गणराज्य	28019	4585.25	48450	8025.73	33267	7171.81	18883	4353.82
थाईलैंड	277	38.81	691	162.20	2057	692.32	250	84.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
तुर्की	18995	4125.23	18284	5115.86	2970	1095.08	1397	382.50
युगांडा					44	13.35		
संयुक्त अरब अमीरात	352	84.87	92	22.31				
यूके	22	2.79			1	0.35		
यूक्रेन	14875	1531.21	31169	2928.44	121526	13426.42	21003	2993.59
यू एस ए	4935	717.43	52248	6274.46	146350	18584.35	118968	17821.78
उरूग्वे							24	3.70
उज्बेकिस्तान	2040	370.08	1481	369.59	2419	844.27	427	140.11
अविनिर्दिष्ट			238	37.58	9	1.48	124	27.45
कुल	1339442	177757.74	1696327	247713.03	2270966	389191.11	1530704	281858.41

[अनुवाद]

हड़तालों के संबंध में न्यायालय के निदेश

*89. **श्री हितेन बर्मन:**
श्री महावीर भगोरा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निदेश के बावजूद विभिन्न राजनीतिक और गैर-राजनीतिक संगठनों द्वारा कई बार हड़ताल का आह्वान किया जाता है जिससे सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को इन निदेशों का अक्षरश: पालन करने का अनुदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने इन निदेशों का पालन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (च) न्यायालयों के आदेश के बावजूद राजनीतिक और गैर-राजनीतिक संगठनों द्वारा कई बार आम हड़ताल, हड़ताल/बंद का आह्वान किया जाता है जिससे आम जनजीवन और लोगों की नियमित दिनचर्या प्रभावित होती है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है तथा कानून के अनुसार ऐसे प्रदर्शनों और हड़तालों आदि से निपटना राज्य सरकारों का दायित्व है। केन्द्र सरकार नियमित आधार पर देश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को मानीटर करती है। इस प्रक्रिया में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ सूचना का आदान प्रदान करने के अलावा उनसे निकट सम्पर्क भी बनाए रखती है। जब भी आवश्यक होता है समय-समय पर राज्य सरकारों को सलाह भी जारी की जाती है। कई अवसरों पर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के अनुरोध पर स्थिति से प्रभावपूर्ण ढंग से निपटने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के रूप में उनकी मदद करती है। राज्य सरकारें एवं केन्द्र सरकार न्यायालयों के निर्णयों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर

***90. श्री अबु अयीश मंडल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक शिक्षा के संबंध में 22 जनवरी, 2008 को जारी की गई सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर लगभग केवल 43 प्रतिशत बच्चे ही 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हो पाते हैं और लड़कों की तुलना में लड़कियों की स्थिति थोड़ी ही बेहतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय देश भर के सभी जिलों से जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली के माध्यम से वार्षिक आधार पर प्रारंभिक स्कूल आंकड़े एकत्र करता है। जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली 2006-07 के अनुसार प्राथमिक स्तर की बहिर्गमन कक्षाओं में 45.04 प्रतिशत छात्र 60 प्रतिशत और उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए। बालिकाओं का प्रदर्शन बालकों की अपेक्षा थोड़ा बेहतर रहा और 60% और उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाली बालिकाओं और बालकों का प्रतिशत क्रमश: 45.12% और 44.96% है।

जिला सूचना प्रणाली (डी.आई.एस.ई.) आंकड़े 2006-07 के अनुसार ग्रेड 4/5 के अंत में परीक्षा में 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बालक और बालिकाओं की राज्य-वार प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। इनमें शिष्य-शिक्षक अनुपात में सुधार के लिए 8.32 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती, प्रतिवर्ष 20 दिन की अवधि के लिए अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लगभग 6.5 करोड़ बच्चों तथा बालिकाओं को प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का नि:शुल्क वितरण, 6395 ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा 68352 क्लस्टर संसाधन केन्द्रों के माध्यम से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों को नियमित शैक्षिक सहायता तथा छात्रों का नियमित मूल्यांकन शामिल है।

विवरण

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली आंकड़े 2006-07 के अनुसार ग्रेड 4/5 के अंत में परीक्षा में 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बालक और बालिकाओं की राज्य-वार प्रतिशतता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परीक्षा परिणाम: 2006-07 (ग्रेड 4/5)	
		बालक 60% और उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण	बालिकाएं 60% और उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	52.49	58.52
2.	आंध्र प्रदेश	68.55	65.57
3.	अरुणाचल प्रदेश	20.67	19.77
4.	असम	27.17	25.70
5.	बिहार	37.24	37.55
6.	चंडीगढ़	55.24	59.32
7.	छत्तीसगढ़	46.07	45.87
8.	दादर और नगर हवेली	56.41	55.12
9.	दमन और दीव	35.55	44.74
10.	दिल्ली	54.89	63.29
11.	गोवा	50.90	55.86
12.	गुजरात	55.64	57.88
13.	हरियाणा	35.91	36.87
14.	हिमाचल प्रदेश	52.18	55.77
15.	जम्मू-कश्मीर	49.90	49.95
16.	झारखंड	28.61	27.41
17.	कर्नाटक	65.16	65.83
18.	केरल	54.90	58.34

1	2	3	4
19.	लक्षद्वीप	37.61	40.96
20.	मध्य प्रदेश	21.31	20.48
21.	महाराष्ट्र	54.38	56.05
22.	मणिपुर	24.86	24.09
23.	मेघालय	21.25	22.94
24.	मिजोरम	22.19	24.62
25.	नागालैंड	22.98	23.42
26.	उड़ीसा	14.89	14.00
27.	पांडिचेरी	52.13	54.73
28.	पंजाब	26.43	28.52
29.	राजस्थान	53.47	49.18
30.	सिक्किम	21.98	19.07
31.	तमिलनाडु	65.02	69.97
32.	त्रिपुरा	13.64	14.14
33.	उत्तर प्रदेश	37.77	35.74
34.	उत्तराखंड	38.20	35.28
35.	पश्चिम बंगाल	46.08	44.77
	सभी राज्य	44.96	45.12

इक्विटी फंडिंग एंड डिजाइन इंटरवेंशन स्कीमें

*91. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए "इक्विटी फंडिंग एंड डिजाइन इंटरवेंशन स्कीमें" शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र की इकाइयों के लिए वित्त की उपलब्धता में भी सुधार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह पहल कब तक किए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को इक्विटी सहयोग प्रदान करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सिडबी वैन्चर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) की स्थापना की है। एसवीसीएल दो निधियों का प्रबंधन कर रहा है नामत: साफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय वेंचर निधि और एसएमई विकास निधि जिनका कारपस आकार क्रमश: 100 करोड़ रुपये तथा 500 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त सिडबी ने सही ढंग से निष्पादन करने वाले सिडबी के मौजूदा एमएसएमई ग्राहकों को इक्विटी सहायता सीधे प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये की कारपस निधि का आवंटन किया है।

भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) की घोषणा की है। डिजाईन इंटरवेंशन एनएमसीपी का भाग है जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र और डिजाईन विशेषज्ञता को एक साझा मंच पर लाना है और डिजाईन समस्याओं पर विशेषज्ञ परामर्श तथा समाधान प्रदान करना है।

(ग) और (घ) सरकार ने 10 अगस्त, 2005 को "लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज" की घोषणा की है। इस नीतिगत पैकेज में एसएमई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों सहित) के लिए ऋण की मात्रा बढ़ाने हेतु किए गए उपायों में शामिल हैं: (1) एसएमई क्षेत्र के लिए ऋण में न्यूनतम 20% वर्ष दर वर्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से एसएमई वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा अपने लक्ष्य निर्धारित करना, (2) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एक पारदर्शी रेटिंग प्रणाली अपनाना जिसमें ऋण की लागत उद्यमों की क्रेडिट रेटिंग से संबद्ध हो, (3) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रति वर्ष प्रत्येक अर्द्ध शहरी/शहरी शाखाओं में औसतन कम से कम पांच नए सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को क्रेडिट कवर प्रदान करने का समन्वित प्रयास करना, तथा (4) बैंकों द्वारा एमएसएमई वित्त पोषण के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाना।

(ङ) ईक्विटी सहयोग के लिए योजना पहले से ही परिचालन में है तथा डिजाईन इंटरवेंशन योजना को इस समय अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मानसून का पूर्वानुमान

*92. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:**
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में भारत में मानसून के बारे में सही-सही पूर्वानुमान लगाने की क्षमता में कोई सुधार हुआ है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने देश में सूखा और बाढ़ के बारे में सही-सही पूर्वानुमान न लगा पाने के कारणों का विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। भारत में मानसून के बारे में सटीक पूर्वानुमान लगाने की क्षमता में वृद्धि हुई है, परन्तु सरकार इससे पूर्णत: संतुष्ट नहीं है।

मानसून का पूर्वानुमान बताने के लिए डिजिटली कार्य करने वाली विश्व स्तरीय अवसंरचना, डेटा का विश्लेषण करने के लिए साधन सम्पन्न और प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा एक ऐसे प्रसारण नेटवर्क की आवश्यकता है जो अन्तिम प्रयोक्ता तक पहुंच सके। भारत इन तीनों क्षेत्रों में पीछे है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी मंचों पर इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं जिससे हम मानसून के बारे में ठीक-ठीक पूर्वानुमान करने की क्षमता को बढ़ा सकें।

सरकार ने अगले दो वर्षों के दौरान 920 करोड़ रुपये के निवेश से चालू की जाने वाली एक वृहत आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है जिससे कि मौसम पूर्वानुमान बताने के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना तैयार हो सके। हम भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का आधुनिकीकरण कर रहे हैं तथा इस प्रकार की अवसंरचना द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा का विश्लेषण करने के लिए कौशलों का ग्रेड बढ़ाकर मानव संसाधनों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। हम विश्व स्तर के विशेषज्ञों की भी मदद ले रहे हैं ताकि मौजूदा प्रक्रियाओं का नवीकरण हो सके तथा रोजगार के नये अवसर भी सृजित कर रहे हैं ताकि प्रशिक्षित देशी अथवा विदेशी कार्मिक इसमें शामिल हो कर मानसून के पूर्वानुमानों को अधिक सटीक बना सकें। हमने भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करने के लिए विदेशों में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ माडलों को प्राप्त करने का भी निर्णय लिया है।

उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण भारत में मौसम का पूर्वानुमान करना जटिल व चुनौती भरा वैज्ञानिक कार्य है। तथापि, मौसम के पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार लाने के लिए सतत् आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं।

लघु और मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार लाने के लिए हाल ही के वर्षों में अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: उच्च विभेदन (50 कि.मी.) वाला एक वैश्विक मौसम पूर्वानुमान माडल, एक 27 कि.मी. विभेदन वाला मध्य मापक्रम माडल (भारतीय उप महाद्वीप मापक्रम); अतिरिक्त उपग्रह प्रेक्षणों का आमेलन; बहु-माडल मेन-मशीन मिश्रण विधि को अपनाना तथा 125 स्वचालित मौसम स्टेशनों (ए.डब्ल्यू.एस.) का नेटवर्क स्थापित करना, जिससे कि खराब मौसम की स्थितियों का प्रत्येक घंटे मानीटरन करने में सुविधा होगी।

(ग) से (ङ) बाढ़ का दैनिक पूर्वानुमान बताना तथा किसी क्षेत्र की सूखे की स्थिति को मानीटर करने के लिए निम्नलिखित प्रणालियां प्रचालनात्मक आधार पर लगाई गई हैं:

(1) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केन्द्रीय जल आयोग और राज्य सरकारों के वर्षा संबंधी डेटा के आधार पर नदी उप जलग्रहण मापक्रम वर्षा संबंधी परिदृश्य को मानीटर करता है। इन डेटा का प्रयोग करके बाढ़ का पूर्वानुमान करने और चेतावनियों के लिए नोडल एजेंसी केन्द्रीय जल आयोग को वर्षा की मात्रा संबंधी पूर्वानुमान (क्यूपीएफ) उपलब्ध कराए जाते हैं।

(2) अधिक छोटे भौगोलिक स्तर पर कृषि सूखा प्रबंधन के लिए आई.एम.डी. द्वारा कृषि जलवायवीय जोन (3-4 जिलों का समूह) स्तर पर कृषि-परामर्श सेवाएं (एएएस) चलाई जा रही हैं। 107 कृषि जलवायवीय जोनों में स्थित ए.ए.एस. यूनिटों को फसल संबंधी विशिष्ट कृषि परामर्श तैयार करने और उनका प्रसारण करने के लिए सप्ताह में दो बार चार दिन पहले अग्रिम पूर्वानुमान उपलब्ध कराए जाते हैं।

चूंकि सूखा अधिक देर तक और दूर-दूर तक फैलता है इसलिए इसके पड़ने, इसकी व्यापकता और इसकी अवधि के संबंध में दीर्घावधि पूर्वानुमान एक ऋतु से एक माह तक के आधार पर किया जाता है। आई.एम.डी. ने वर्ष 2007 के मानसून के लिए एक दीर्घ अवधि पूर्वानुमान माडल को कार्यान्वित किया है जो ऋतुवर्ती सूखे की स्थितियों का पूर्वानुमान करने में सक्षम है। 2008 के मानसून की वर्षा के दीर्घ अवधि पूर्वानुमान जारी करने के लिए माडल को और अधिक अनुकूल बनाया जा रहा है।

[हिन्दी]

संघीय अपराध सम्मेलन

***93. श्री रशीद मसूद:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में संघीय अपराधों के मुद्दे के समाधान के लिए भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया; और

(घ) सरकार का इस मुद्दे पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संघीय अपराधों के मुद्दे के समाधान के लिए भारत में कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा पढ़ाया जाना

***94. श्री मोहन सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी भाषा पढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंग्रेजी भाषा पढ़ाने की पहल, 1964 में कोठारी आयोग द्वारा की गई सिफारिश के प्रतिकूल है जिसमें कहा गया था कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्धारण राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन करते हैं। देश के लगभग सभी राज्यों ने शिक्षा के स्तर के किसी न किसी चरण में अंग्रेजी को एक विषय के रूप में शुरू किया है।

[अनुवाद]

निर्यात और आयात

***95. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:**
श्री काशीराम राणा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में निर्यात और आयात में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई है और यह वृद्धि कितने प्रतिशत है तथा अगले दो वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय निर्यातों के लक्ष्य एवं उपलब्धियां तथा उनकी वृद्धि की मात्रा और तदनुरूपी वृद्धि दरें निम्नांकित तालिका में दी गई हैं:-

निर्यात: लक्ष्य एवं उपलब्धियां

वर्ष	निर्यात लक्ष्य (बिलियन अम.डा.)	निर्यात निष्पादन (बिलियन अम.डा.)	लक्ष्य की तुलना में निर्यात वृद्धि की मात्रा (बि.अम.डा.)	निर्यातों की वृद्धि दर (%)
2004-05	75	83.5	+8.50	30.85
2005-06	92	103.1	+11.1	23.41
2006-07	125	126.3	+1.3	22.48

आंकड़ों का स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

यद्यपि वर्ष 2007-08 के लिए 160 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथापि वर्ष 2008-09 के लिए निर्यात के लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि आयात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए आयातों की वार्षिक वृद्धि दरों के साथ उनके मूल्य नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

आयात: निष्पादन

वर्ष	आयात (बिलियन अम.डा.)	वृद्धि दर (%)
2004-05	111.5	42.70
2005-06	149.2	33.76
2006-07	185.6	24.43

आंकड़ों का स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

(ख) सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु विदेश व्यापार नीति और उसके वार्षिक पूरक अंकों के अनुसार अनेक पहलें की हैं। इन पहलों में शामिल हैं—एस ई जेड अधिनियम, 2005 लागू करना, फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना, शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम, पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन स्कीम आदि का कार्यान्वयन। इसके अलावा रुपये की मजबूती के कारण प्रतिकूलत: प्रभावित निर्यात मदों के संबंध में 2007-08 के दौरान विशेष पैकेज भी घोषित किया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाएं

*96. **डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में व्यावसायिक, विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की उपलब्धता के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त प्रकार की दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां प्राप्त हुईं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक, विश्वविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षा की उपलब्धता से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है।

तथापि यह तथ्य है कि देश में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कालेजों की उपलब्धता में पर्याप्त विषमता है। सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले 3/5 कालेज शहरी क्षेत्रों में अवस्थित हैं। तकनीकी और व्यावसायिक कालेजों के मामले में यह संख्या 80% से ऊपर है।

स्थिति के उपचार के रूप में ग्यारहवीं योजना में निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव है:

(1) ऐसे जिले जहां सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है वहां 370 कालेज आरंभ करने में सहायता प्रदान करना। इनमें से अधिकांश जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यकों का भी बाहुल्य है।

(2) ऐसे 6000 कालेजों को सहायता प्रदान करना जिन्हें अभी यूजीसी द्वारा वित्तपोषण प्रदान नहीं किया जा रहा है।

(3) उच्चतर शिक्षा की नई संस्थाओं के विस्तार व उन्हें आरंभ करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देने हेतु योजना आरंभ करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित विश्वविद्यालयों और कालेजों को विशेष अनुदान प्रदान करता है ताकि वे अपनी आधारभूत संरचना को उस स्तर तक सुधार सकें जहां ये संस्थाएं नवाचार प्रारंभ करने और उच्चतर शिक्षा के वैश्वीकरण की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हों।

व्यावसायिक शिक्षा के लिए सरकार ने पीपीपी मोड में 600 नए पालिटेक्नीकों की स्थापना एवं प्राइवेट सेक्टर में अन्य 400 पालिटेक्नीकों को प्रोत्साहन देने की योजना प्रस्तावित है। उपर्युक्त प्रस्ताव ऐसे प्रत्येक जिले में, जहां अभी पालिटेक्नीक नहीं हैं, पालिटेक्नीक आरंभ करने के लिए सहायता के प्रावधान को सुनिश्चित करेगा।

[अनुवाद]

छात्रों को ऋण

*97. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती फीस के मद्देनजर छात्रों के लिए एक ऋण योजना बनाने और उच्च शिक्षा संबंधी ऋणों पर ब्याज दर को कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा शैक्षिक ऋणों पर ब्याज को माफ करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(घ) इस योजना के अंतर्गत कितने छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ङ) यह योजना कब तक शुरू की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ङ) भारतीय बैंक संघ द्वारा निरूपति संशोधित माडल शैक्षिक ऋण स्कीम के अंतर्गत भारत में व्यावसायोन्मुख शिक्षा लेने हेतु विनिर्दिष्ट अभिभावक आय से कम आय वाले छात्रों द्वारा लिए गए शैक्षणिक ऋण पर, ऋण स्थगन अवधि के दौरान जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अवधि सहित एक वर्ष या नियोज्य तारीख से छः महीने, जो भी पहले हो, ब्याज पर सहायता देने की स्कीम आरंभ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

चीनी प्लास्टिक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा

*98. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रुपए की मूल्य वृद्धि के मद्देनजर भारतीय प्लास्टिक निर्यातकों को चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विश्व बाजार में सभी देशों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्लास्टिक उद्योग को और अधिक छूट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) रुपये में मजबूती के बावजूद भारतीय प्लास्टिक निर्यातक मुख्य रूप से प्लास्टिक उपभोक्ता मदों तथा अन्य प्लास्टिक प्रसंस्कृत वस्तुओं के मामले में चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते रहे हैं। चीन से भारत में प्लास्टिक के आयात में वृद्धि दिखाई दी है।

(ग) से (ङ) विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुरूप करों तथा शुल्कों के निष्प्रभावीकरण के साथ निर्यात संवर्धन के लिए बाजार पहुंच पहल तथा बाजार विकास सहायता स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता का लाभ भारतीय प्लास्टिक उद्योग को भी दिया जाता है।

अवसंरचना, उच्च प्रौद्योगिकी और निर्यात में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

*99. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार अवसंरचना, उच्च प्रौद्योगिकी और निर्यात के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आज की तारीख के अनुसार क्षेत्र-वार, स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) वर्तमान नीति के अनुसार अधिकांश क्षेत्रों में स्वतः मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। एफडीआई, उच्च स्तर के आर्थिक विकास की प्राप्ति तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु अवसर उपलब्ध कराने के लिये एवं साथ ही साथ वैश्विक प्रबंधकीय दक्षता एवं प्रक्रियाओं की प्राप्ति के लिये घरेलू निवेश बढ़ाने का एक माध्यम है। एफडीआई, अग्रगामी एवं पूर्वगामी गठजोड़ तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्पादों एवं सेवाओं सहित, पूंजी लाता है एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं तक पहुंच उपलब्ध कराता है।

(ख) अप्रैल, 2004 से दिसंबर, 2007 के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में वर्ष-वार एफडीआई अन्तर्वाह संबंधी विवरण संलग्न है।

विवरण

अप्रैल, 2004 से दिसंबर, 2007 तक वर्ष-वार एफडीआई अन्तर्वाह संबंधी विवरण क्षेत्र: अवसंरचना

(राशि अमेरिकी मिलियन डालर में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2004-05 अप्रैल-मार्च	2005-06 अप्रैल-मार्च	2006-07 अप्रैल-मार्च	2007-08 अप्रैल-दिसंबर	योग
1.	विद्युत	52.94	87.09	157.47	227.62	525.13
2.	गैर-परंपरागत ऊर्जा	0.01	0.11	2.11	7.57	9.81
3.	पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	113.47	14.17	89.37	316.44	533.44
4.	दूरसंचार	124.53	623.55	477.74	1,043.01	2,268.83
5.	वायु परिवहन (वायु भाड़ा सहित)	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14
6.	पत्तन	13.04	0.50	0.00	0.00	13.55
7.	निर्माण कार्यकलाप	152.00	150.58	985.36	1,015.40	2,303.34
8.	आवास तथा स्थावर सम्पदा (साइने प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटिड टाउनशिप तथा वाणिज्यिक परिसर आदि सहित)	0.00	38.04	467.34	1,485.62	1,991.00
	कुल योग	456.00	914.04	2,179.39	4,095.80	7,645.23

[हिन्दी]

आतंकवादियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साठ-गांठ

***100. डा. चिन्ता मोहन:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हिंसा फैलाने वाले आतंकवादी गुट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपस में साठ-गांठ करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कौन-कौन से आतंकवादी गुट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षडयंत्र रच रहे हैं और देश में हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं;

(घ) सरकार द्वारा आज की तारीख तक इन गुटों की गतिविधियों की जानकारी पाने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) उपलब्ध जानकारी एवं रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त अधिकांश गुटों एवं व्यक्तियों के सीमापार, मुख्यत: पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर, के आतंकवादी गुटों और एजेंसियों के साथ संपर्क हैं। भारत में आतंकवादी गतिविधियों एवं घटनाओं में संलिप्त एवं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क वाले अधिकांश गुटों में लश्कर-ए-तैय्यबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम), हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी (हुजी), हिजबुल मुजाहिद्दीन (एचएम), अल-बदल आदि शामिल हैं।

सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियां इन गुटों एवं नेटवर्कों की गतिविधियों की गहराई से मानीटरिंग करती हैं और इस संबंध में

प्राप्त संगत सूचना एवं इनपुटों का राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से आदान-प्रदान किया जाता है। देश में आतंकवादी तत्वों की सम्भव घुसपैठ रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए सीमाओं पर कड़ी चौकसी एवं निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में किए गए अन्य उपायों में शामिल हैं सीमा पर बाड़ लगाना/तेज रोशनी करना और तटीय सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना।

इसके अतिरिक्त, आतंकवादी गतिविधियों के बाह्य नियोजकों और देश के विभिन्न भागों में हिंसा को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद को रोकने एवं उसका मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है और इस प्रयोजन के लिए कई संस्थागत तंत्र विकसित किए गए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, म्यांमार और भूटान के साथ गृह सचिव स्तर की वार्ता, आतंकवाद प्रतिरोध पर 25 देशों और 2 क्षेत्रीय समूहों अर्थात् यूरोपियन यूनियन (ईयू) के साथ संयुक्त कार्यबल एवं बे आफ बंगाल इनीशिएटिव फार मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एण्ड इकनामिकल कोआपरेशन (बी आई एम एस टी ई सी), आपराधिक मामलों में 22 देशों के साथ पारस्परिक विधिक सहायता संधि करार (एम एल ए टी) और 26 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां। इसके अतिरिक्त, भारत आतंकाद के खिलाफ वैश्विक सहमिलन का सक्रिय दस्य है और यह आतंकवाद का मुकाबला करने पर भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों का हस्ताक्षरकर्त्ता है और वैश्विक आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने को किए गए सभी यू.एन. उपायों का सक्रिय भागीदारी है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में परिवर्तन

805. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में परिवर्तन लाकर नई योजनाएं/कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) देश में ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) वर्ष 2007-08 में "साक्षरता अभियान एवं आपरेशन रेस्टोरेशन" तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम नामक योजनाओं को "प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास" नामक योजना में शामिल कर दिया गया है। इसी प्रकार "प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता" तथा "जन शिक्षण संस्थान" नामक योजनाओं को भी "प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी संगठन/संस्था/राज्य संसाधन केंद्रों को सहायता" नामक योजना में शामिल कर दिया गया है। योजनाओं के एकीकरण के मद्देनजर कार्यक्रम, कार्यनीतियों तथा वित्तीय मानदंडों में संशोधन किए जा रहे हैं।

कैदियों को रिहा करना

806. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री कीरेन रिजीजू:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त, 2007 को लगभग 1500 कैदियों को रिहा करने के आदेश दिए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से कुछ जघन्य अपराध करने के कारण जेल में बंद थे और कुछ आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार कैदियों को रिहा किए जाने पर आपत्ति जताई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(घ) और (ङ) उच्चतम न्यायालय ने अनिल शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले से संबंधित 2003 की रिट पिटीशन (सीआरएल) संख्या 135 और उससे जुड़े मामलों के संबंध में 29 जनवरी 2008 के अपने आदेश में यह टिप्पणी की कि चूंकि कथित तौर पर समय पूर्व रिहा हुए 1500 दुर्दान्त कैदियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत शक्तियों के इस्तेमाल किए जाने में प्रभावी राहत देना कठिन होगा। तथापि कैदियों की रिहाई के लिए राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का विवेकाधीन प्रयोग किए जाने के यदि कोई उदाहरण मौजूद हैं तो ऐसी विवेकाधीन शक्तियों के इस्तेमाल को याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में प्रतिवादी के रूप में समयपूर्व रिहा हुए कैदियों

पर मुकदमा चलाने के बाद चुनौती दे सकता है। उक्त टिप्पणी के अध्यधीन उच्चतम न्यायालय ने इस रिट पेटीशन को खारिज कर दिया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विभाजन

807. श्री पुष्प जैन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में उच्च शिक्षा के बेहतर विस्तार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को चार पृथक स्वायत्त निकायों में विभाजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बी. एड. कालेजों में दाखिले हेतु संशोधित मानदण्ड

808. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बी.एड. कालेजों में दाखिले तथा शिक्षकों की भर्ती के लिए मानदण्डों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पाठ्यक्रमों के लिए अर्हता अंकों तथा प्रधानाचार्यों के लिए मूल शैक्षणिक योग्यता को कम किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) बी.एड. कालेजों में शिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम, 2007 (मान्यता संबंधी मानदण्ड एवं प्रक्रिया) के तहत बी.एड. कार्यक्रम में छात्रों के दाखिले तथा ऐसे कार्यक्रम प्रदान करने वाले कालेजों में शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति की अर्हता के मानदंडों को संशोधित किया है। इन मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि स्नातक डिग्री और/अथवा स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इसके समकक्ष अन्य अर्हता में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ऐसे कार्यक्रम में दाखिला लेने के लिए पात्र हैं। प्रिंसीपल तथा अन्य शिक्षण संकाय पदों की अर्हता संबंधी मानदण्डों को भी उक्त विनियम के तहत संशोधित किया गया है।

(ग) बी.एड. पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के निर्धारण संबंधी विनियम, 2002 सहित बी.एड. पाठ्यक्रमों के मानदण्डों तथा मानकों को 18.11.2002 को अधिसूचित किया गया। दिनांक 21.07.06 को अधिसूचित बी.एड. पाठ्यक्रम के मानदण्डों तथा मानकों में अंकों को इस निर्धारण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। न्यूनतम अंकों को कम करके 45 प्रतिशत करने तथा वर्ष 2002 के मानदण्डों को पुन: चालू करने के लिए कई राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के कारण वर्ष 2007 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित मानदण्डों के स्थान पर वर्ष 2002 में निर्धारित मानदण्डों को बहाल किया गया।

शैक्षिक विषय में पीएच.डी. डिग्री धारकों की अत्यधिक कमी तथा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ एम.एड. डिग्री धारकों की अपर्याप्त संख्या के कारण बी.एड. कालेजों में विभिन्न स्तर पर रिक्तियों की संख्या काफी अधिक है। प्रिंसीपलों के लिए बुनियादी अर्हता को कम करने के लिए प्राप्त विभिन्न सुझावों के मद्देनजर बी.एड. कालेजों में लैक्चरर के नियुक्ति के लिए बी.एड. 55 प्रतिशत के साथ स्नातकोत्तर डिग्री धारक के लिए अपेक्षित मानदण्डों तथा अर्हता में छूट दी गई है।

(घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा अपने विनियमों, मानदण्डों तथा स्तरों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु लगातार प्रयास करती है ताकि इन संस्थाओं में वांछित कोटि को बनाए रखा जा सके। इस दिशा में वर्ष 2007 के विनियमन में यह निर्धारण किया गया है कि बी.एड. तथा बी.पी.एड. जैसे माध्यमिक स्तरीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने वाली संस्थाओं को इन कार्यक्रमों में छात्रों की अतिरिक्त संख्या बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद द्वारा तैयार किया गया "लैटर ग्रेड बी" प्राप्त करके राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन बोर्ड से प्रत्यायन प्राप्त करना होगा।

[हिन्दी]

वीरता पुरस्कार विजेताओं हेतु धनराशि

809. श्री पंकज चौधरी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार परमवीर चक्र सहित वीरता पुरस्कार विजेता सैनिकों को धनराशि देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक सैनिक को राज्य-वार दी गयी राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए उल्लेख के अनुसार वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों को भारत सरकार द्वारा मौद्रिक भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वीरता पुरस्कार का नाम	वित्तीय भत्ते की दर प्रति महीने रुपये
परमवीर चक्र	1500
अशोक चक्र	1400
महावीर चक्र	1200
कीर्ति चक्र	1050
वीर चक्र	850
शौर्य चक्र	750
सेना/नौसेना/वायुसेना मैडल (जहां वीरता के लिए पुरस्कार दिए गए हैं)	250

मौद्रिक भत्ते यथास्थिति सीधे ही पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैनिकों अथवा उनके परिवारों को दिए जाते हैं। तथापि, इस प्रयोजन के लिए राज्यों को कोई धन नहीं दिया जाता है। कतिपय राज्य सरकारें भी अपने संसाधनों से पुरस्कार जीतने वालों को मौद्रिक प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पैदा नहीं होता।

राज्य के विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा

810. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य के विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने हेतु विभिन्न राज्यों विशेषत: मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और इस प्रकार सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) 17 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ग्यारहवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश सहित 16 राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं हैं।

[अनुवाद]

निर्यात विकास हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता

811. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्य-वार विशेषत: कर्नाटक में निर्यात अवसंरचना तथा इससे जुड़े क्रियाकलापों के विकास हेतु राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है;

(ख) क्या केन्द्रीय अनुदानों के उपयोग हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) निर्यात से होने वाली आय में प्रत्येक राज्य का निष्पादन कैसा है;

(ङ) क्या देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्यों को विशेष प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (घ) निर्यात हेतु महत्वपूर्ण अवसंरचना विकसित करने हेतु राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस समय वाणिज्य विभाग द्वारा निर्यात अवसंरचना एवं संबद्ध कार्यकलापों को विकसित करने हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) प्रदान करने संबंधी स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। राज्यों को प्रदत्त निधियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) "सामान्य वित्तीय नियमावली" का अध्याय 9 सहायता अनुदान और ऋणों से संबंधित है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय समय-समय पर सरकार में "मितव्ययिता उपायों" संबंधी दिशानिर्देश जारी करता रहा है। ऐसे उपायों का उद्देश्य सरकार की प्रचालनात्मक दक्षता को प्रभावित किए बिना राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देना है। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान था कि राज्यों और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशियों पर आगे राशियां जारी करने से पहले निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए, आरक्षित निधि में तब तक कोई और अंतरण नहीं किया जाए जब तक कि अप्रयुक्त शेष राशियों का उपयोग नहीं हो जाता है और भुगतान हेतु मंजूरी में या तो यह स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाए कि प्राप्तकर्त्ता का उपयोगिता संबंधी कोई प्रमाण पत्र नियमों के अंतर्गत व्याख्या हेतु बकाया नहीं है अथवा यह कि व्यय विभाग द्वारा वह भुगतान प्राधिकृत किए गए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के अंतर्गत जारी निधियों और निर्यात निष्पादन के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाली तालिका

क्र.सं.	राज्य	2005-06 में जारी की गई राशि (लाख रु. में)	2006-07 में जारी की गई राशि (लाख रु. में)	दिनांक 27.2.2008 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2007-08 में जारी की गई राशि (लाख रु. में)	2005-06 के दौरान निर्यात (आईएनआर)	2006-07 के दौरान निर्यात (आईएनआर)	2005-06 की तुलना में 2006-07 के दौरान निर्यातों की % वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1545.00	1700.00	2120.00	178475201306	247916068628	38.91
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	92707069	2723005328	193.72
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00	3632665396	3451850027	-4.98
4.	चंडीगढ़	320.00	175.00	0.00	2092259500	3367090618	60.93
5.	छत्तीसगढ़	500.00	550.00	160.00	16300405067	15900306510	-2.45
6.	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	5512110612	10418661765	89.00
7.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	6726330336	9101007338	35.29
8.	दिल्ली	265.00	145.00	0.00	232839002402	220827507777	-5.16
9.	गोवा	609.00	0.00	670.00	56658276195	64438198945	13.73

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	गुजरात	4338.00	4770.00	3617.00	645388852355	1095455153807	69.74
11.	हरियाणा	1405.00	772.00	1545.00	144624725657	171567352773	18.63
12.	हिमाचल प्रदेश	553.00	600.00	600.00	8610944231	12485293258	44.99
13.	जम्मू-कश्मीर	525.00	580.00	580.00	3216621451	2920221935	-9.21
14.	झारखंड	0.00	275.00	275.00	18502756146	16422991621	-11.24
15.	कर्नाटक	3399.00	3740.00	4262.00	493091961335	573579724230	16.32
16.	केरल	1069.00	1175.00	1175.00	87429925277	103754179633	18.67
17.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	10477260	24671550	135.48
18.	मध्य प्रदेश	1435.00	790.00	1580.00	117620073914	90164241511	-23.34
19.	महाराष्ट्र	6552.00	7210.00	8200.00	1415734385735	1635474811944	15.52
20.	उड़ीसा	693.00	765.00	446.00	64391950043	89167186480	38.48
21.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	6217160458	10202596025	64.10
22.	पंजाब	1217.00	670.00	670.00	104380608630	97186479807	-6.89
23.	राजस्थान	1320.00	726.50	446.00	123559688136	151864100586	22.91
24.	तमिलनाडु	3919.00	4312.00	4988.00	448237700611	59263675092	32.21
25.	उत्तर प्रदेश	2100.00	1155.00	2310.00	150034354168	164338158812	9.53
26.	उत्तरांचल	527.00	0.00	0.00	3743397766	3527641351	-5.76
27.	पश्चिम बंगाल	2009.00	2210.00	1101.00	157673872871	181482636684	15.40
28.	अरुणाचल प्रदेश	251.00	138.00	138.00	283359238	30127436	-89.37
29.	असम	1,257.00	691.5	691.5	8246456917	9329808057	13.14
30.	मणिपुर	206.00	227.00	227	5489414	11390263	107.50
31.	मिजोरम	324.00	356.00	356	97649660	118861497	21.72
32.	मेघालय	834.00	917.00	0.0	2422374956	3078082609	27.07
33.	नागालैंड	200.00	220.00	110	64227794	109197554	70.00
34.	सिक्किम	200.00	220.00	0.0	161122234	1316202123	1201.60
35.	त्रिपुरा	728.00	801.00	400.5	80377477	62381623	-22.39

टिप्पणी: निर्यात आंकड़े सीमाशुल्क द्वारा डीटीआर में बताई गयी निर्यात वस्तुओं के उद्गम के राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

एनआरआई निवेश संबंधी प्रस्ताव

812. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम स्टेट काउंसिल आफ द कन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री ने जनवरी, 2008 में गुवाहाटी में अपने दो दिवसीय सम्मेलन के पश्चात् पूर्वोत्तर में अमरीका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात तथा स्विट्जरलैंड के अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को बढ़ाने तथा इसकी सुविधाएं देने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निवेश की मांग करने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा निवेश आमंत्रित करने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) असम स्टेट काउंसिल आफ सीआईआई ने अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा निवेश को सुलभ बनाने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

तथापि, सीआईआई ने पूर्वोत्तर राज्य सरकारों एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न देशों के एनआरआई प्रतिनिधिमंडलों के बीच पारस्परिक संपर्क हेतु एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक सम्मेलन का आयोजन किया। जिन निवेश क्षेत्रों पर चर्चा की गई उनमें ये शामिल हैं:- ऊर्जा, अवसंरचना, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, आईटी, पर्यटन एवं आतिथ्य, समुदाय विकास, प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास, स्थावर संपदा विकास।

[हिन्दी]

नैदानिक चिकित्सा तकनीकों का विकास

813. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यून कीमतों पर नैदानिक चिकित्सा तकनीकों के विकास हेतु भारत और अमरीका ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किए गए बजटीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बायोमेडिकल इमेजिंग एंड बायोइंजीनियरिंग (एनआईबीआईबी), स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच), यूएसए "लो कास्ट, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक मेडिकल टेक्नोलाजीस" के विकास पर 4 अक्तूबर, 2007 को सचिव, जैवप्रौद्योगिकी विभाग और निदेशक, एनआईबीआईबी, एनआईएच, यूएसए द्वारा हस्ताक्षरित, के बीच अनुबंध के संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए। निम्न-लागत जैवचिकित्सीय प्रतिरूप प्रौद्योगिकी निम्न-लागत महानतम आवश्यकताओं की रोगग्रस्त क्षेत्रों के लिए उपचारात्मक प्रौद्योगिकी संबंधी सेवा स्थल, और दूरसंचार स्वास्थ्य सेवा; और लघु और अर्ध-आकारीय चिकित्सालयों के लिए नेओन संबंधी स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के लिए प्रस्तावित सहयोगात्मक क्षेत्रों में संयुक्त प्रस्तावों पर विकास करना है।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा

814. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) परियोजना का कार्य आरंभ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को पूरा किए जाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार इस परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी है;

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार जापान सरकार से कुल कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(च) उक्त औद्योगिक गलियारा के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले संभावित राज्यों और मार्गों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना को भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2007 में सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान

किया गया। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लि. (डीएमआईसीडीसी) को 7 जनवरी, 2008 में समाविष्ट किया गया। कार्यान्वयन प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है। पहचाने गए औद्योगिक केन्द्रों/क्षेत्रों से संबंधित विस्तृत मास्टर प्लान मार्च, 2009 तक बन जाने की परिकल्पना की गई है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्यान्वयन किए जाने योग्य विशिष्ट परियोजनाएं और उनकी समय सीमाएं शामिल होंगी।

(ग) और (घ) अवधारणा पत्र/रिपोर्ट तैयार करने पर 34.00 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। मसौदा अवधारणा पत्र/रिपोर्ट तैयार करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि समस्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित परिकल्पित औद्योगिक केन्द्रों के विकास-कार्य में लगभग 90 बिलियन अमरीकी डालर का सार्वजनिक और निजी निवेश शामिल होगा।

(ङ) अब तक जापान सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(च) डीएमआईसी परियोजना दिल्ली और मुम्बई के बीच रेल और सड़क संबंधी उन मौजूदा और नियोजित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं द्वारा मुहैय्या कराए जाने वाले संपर्क प्रदान करती है, जो मार्ग को व्यापक तौर पर पारिभाषित करती हैं। इस परियोजना के तहत छः राज्य, यथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल किए गए हैं।

आतंकवाद पर सम्मेलन

815. श्री संजय धोत्रे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवाद और अन्य मुद्दों पर हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच किसी सम्मेलन का आयोजन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, भारत-ब्रिटेन वार्षिक सम्मेलन 21 जनवरी, 2008 को नई दिल्ली में हुआ था। सम्मेलन में आतंकवाद को रोकने सहित आर्थिक, व्यापारिक, शिक्षा, अनुसंधान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को कवर करने वाले विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

[अनुवाद]

राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना

816. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या देश के सभी भागों में इस योजना का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) 'राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना' नामक योजना का उद्देश्य निर्दिष्ट प्रमुख एजेंसियों अर्थात् 'उद्यमी मित्रों' के माध्यम से प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को हैंडहोल्डिंग समर्थन प्रदान करना है। इस योजना के तहत 'उद्यमी मित्र' उनके यहां पंजीकृत संभावी उद्यमियों को परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, वित्त का प्रबंध करने, प्रौद्योगिकी के चयन, क्रेताओं के साथ विपणन गणजोड़ों, संयंत्र और मशीनरी स्थापित करने तथा साथ ही साथ विभिन्न अनुमोदन, क्लियरेन्स और अनापत्ति प्रमाणपत्र, आदि प्राप्त करने में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे। नए उद्यमियों को यह हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए 'उद्यमी मित्रों' इस योजना के तहत हैंडहोल्डिंग प्रभार का भुगतान किया जाएगा।

(ग) और (घ) इस योजना का देश के सभी भागों में विस्तार किया गया है।

[हिन्दी]

कनाडा द्वारा निवेश

817. श्री सुभाष महरिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार और कनाडा ने औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कोई बातचीत शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामतः किन राज्यों को लाभ मिलने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) निवेश बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत तथा कनाडा के व्यापार प्रतिनिधिमंडलों तथा उच्च स्तरीय अधिकारियों ने हाल ही में एक दूसरे के देश का दौरा किया है। कनाडा से द्विपक्षीय निवेश संवर्धन तथा संरक्षण समझौते पर भी बातचीत की जा रही है।

(ग) उदारीकृत आर्थिक माहौल के अंतर्गत स्थापना स्थल सहित निवेशकों के निवेश संबंधी निर्णय तकनीकी-आर्थिक तथा वाणिज्यिक समझ पर आधारित होते हैं।

[अनुवाद]

प्रयोगशालाओं की स्थापना

818. श्री नरहरि महतो: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की मनेसर गुड़गांव में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र की तर्ज पर और प्रयोगशालाओं की स्थापना करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विक्षिप्तता के इलाज हेतु आयुर्वेद में प्रयुक्त औषधीय पादपों के असर करने के भेषजीय आधार की जांच के अनुसंधान कार्य को और आगे बढ़ाया जाएगा तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु पेटेण्ट कराया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां, जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्थानीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और यूनेस्को केन्द्र, फरीदाबाद, हरियाणा, जैसी स्टेम सेल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर, कर्नाटक और पंजाब एग्री कलस्टर भांहाली, पंजाब में भी कुछ और अधिक प्रयोगशालाएं खोलने की योजना बना रहा है। इससे आगे राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र उपग्रह केन्द्रों की स्थापना किए जाने की योजना बना रहा है जो तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत विधि के अनुसंधान का अधिग्रहण किए जाने के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा सकते हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र एल्जाइमर विकार के लिए नवीनतर उपचारों की खोज करने के उद्देश्य से आयुर्वेद जैसी औषधियों की परम्परागत प्रणाली का प्रयोग करते हुए अनुसंधान कार्य का निष्पादन कर रहा है। पशुओं में पूर्व-नैदानिकीय विषाक्तता जांच किए जाने द्वारा कार्यरत अनुभवों का अनुगमन करना पड़ता है जिसके उपरान्त रोगग्रस्त जनसंख्या में दक्षता की जांच का निर्धारण किए जाने के लिए नैदानिकीय जांच शुरू की जा सकती है। निकाले गए अर्क का एकस्व (पेटेन्ट) अधिकार जो अल्जाइमर रोग के पशु नमूनों में प्रभावकारी है अभी प्रगति अधीन है। एकस्व (पेटेन्ट) अधिकार प्रक्रियाओं को पूरा किया जा सकने से पहले सहयोगात्मक संस्थाओं से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं और इसे इस समय निष्पादित किया जा रहा है।

मॉडल स्कूलों की स्थापना

819. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ब्लाक स्तर पर मॉडल स्कूल स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) ग्यारहवीं योजना के दौरान कितने मॉडल स्कूल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और उस पर कुल कितनी राशि खर्च होने की संभावना है;

(घ) इससे शिक्षा की गुणवत्ता में किस सीमा तक सुधार होने की संभावना है; और

(ङ) यह योजना किन क्षेत्रों से शुरू की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) जी, हां। प्रधानमंत्री ने 15.8.2007 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में पूरे देश में 6000 उच्च गुणवत्ता वाले मॉडल स्कूलों को सहायता देने के लिए सरकार के निर्णय की घोषणा की थी। प्रत्येक ब्लाक में एक स्कूल खोला जाएगा जो उस क्षेत्र के अन्य स्कूलों के लिए उत्कृष्टता के मानक स्थापित करेगा। निजी क्षेत्र को इसमें शामिल करने का उद्देश्य है कि वे शैक्षिक ढांचे और मानकों में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों में सहयोग दें।

खनिजों का निर्यात

820. श्री जुएल ओराम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूसरे देशों को किस-किस प्रकार के खनिजों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार का इन खनिजों में से कुछ खनिजों का निर्यात समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) भारत से अन्य देशों को निर्यात किए जा रहे खनिज निम्नानुसार हैं:-

चूर्ण रूप में एल्यूमिना, एल्यूमिनियम आक्साइड और हाइड्रो आक्साइड	मुलतानी मिट्टी अयस्क, जिरकेनियम अयस्क एवं सांद्र	नायोबियम टैम्टालुम वैनाडियम अयस्क, जिरके नियम अयस्क एवं सांद्र
एल्यूमिनियम धातुपिण्ड	स्वर्ण अयस्क एवं सांद्र	क्वेट्ज एवं क्वार्टजाइट
एल्यूमिनियम अयस्क एवं सांद्र	जिप्सम	लवण
बाल मिट्टी	लौह अयस्क	सिलिका एवं क्वार्टज रेत
बारिटिस	लौह आक्साइड	सिलिमैनाइट
बेन्टोनाइट	काओलिन एवं काओलिनिक मिट्टियां	चांदी अयस्क एवं सांद्र
कैल्साइट	क्यानाइट	स्टीटाइट
चाक	सीसा अयस्क एवं सांद्र	टिन अयस्क एवं सांद्र
क्रोमियम अयस्क एवं सांद्र	चूना पत्थर	टिटेनियम अयस्क एवं सांद्र
कोयला	मैग्नेसाइट, फ्यूज्ड मैग्नेसिया, सिन्टरर्ड, मैग्नेसिया	टंगस्टन अयस्क एवं सांद्र
कोबाल्ट अयस्क एवं सांद्र	मैग्नीज डायआक्साइड	यूरेनियम/थोरियम अयस्क एवं सांद्र
तांबा अयस्क एवं सांद्र	मैंगनीज अयस्क	वर्मीक्यूलाइट परलाइट एवं क्लोराइट्स
डोलोमाइट	मोलिबडेनम अयस्क एवं सांद्र	वोलास्टोनाइट
मटियाला गेरू	प्राकृतिक तामड़ा	जस्ता अयस्क एवं सांद्र
फेल्स्टार	प्राकृतिक ग्रेफाइट	
अग्निसह मिट्टी	निकल अयस्क एवं सांद्र	

(ख) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान भारत द्वारा निर्धारित खनिजों का अर्जित विदेशी मुद्रा क्रमश: 4340.26 मिलियन अम. डालर, 5090.69 मिलियन अम. डालर और 5797.74 मिलियन अम. डालर है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

नेपाल सीमा के रास्ते हथियारों और गोलाबारूद की तस्करी

821. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माओवादी उग्रवाद और जारी आंतरिक गड़बड़ी ने नेपाल सीमा के रास्ते हथियारों और गोलाबारूद की तस्करी में वृद्धि कर दी है जैसा कि दिनांक 18.2.2008 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) भारत-नेपाल की सीमा खुली है। यह सुझाने वाली कोई जानकारी नहीं है कि निरन्तर माओवादी उग्रवाद और आंतरिक गड़बड़ी ने भारत-नेपाल के रास्ते हथियारों और गोलाबारूद की तस्करी में वृद्धि कर दी है।

(ग) भारत-नेपाल सीमा पर सीमा रक्षक बल अर्थात् सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। इस संबंध में उ.प्र., बिहार और उत्तराखंड की राज्य सरकारों को भी सुग्राही बनाया गया है। एसएसबी राज्य सरकारों और संबंधित जिला प्रशासन के साथ निकट समन्वय में कार्य कर रहा है। भारत सरकार भी समग्र स्थिति पर नजदीकी नजर रख रही है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में सुनामी पुनर्वास कार्य

822. **श्री मनोरंजन भक्त:**
श्री अनन्त नायक:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों सहित सुनामी प्रभावित इलाकों में पुनर्वास/पुनर्निर्माण के कई कार्य अभी पूरे नहीं हो पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा पूरे किए गए और विनिर्माणाधीन कार्यों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक खर्च की गई राशि और आज की तारीख तक केन्द्र सरकार से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को प्राप्त हुई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा लंबित कार्यों को जल्दी पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) अधिकार प्राप्त मंत्री दल (ईजीओएम) ने 2005-06 से 2008-09 के चार वर्षों में कार्यान्वित किए जाने के लिए एक सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम मंजूर किया। तदनुसार अंडमान निकोबार सहित सुनामी प्रभावित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्निर्माण परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवास कृषि एवं आजीविका, मत्स्य आजीविका, सड़क एवं पुल नामक चार महत्वपूर्ण सेक्टरों में पूर्ण हो चुके एवं चल रहे कार्यों का ब्यौरा विवरण-1 पर है। दिसम्बर, 2007 तक निधियों के आबंटन एवं व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण-2 पर है।

(घ) सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों, अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों को मिलाकर योजना आयोग में एक कोर ग्रुप बनाया गया है। इसकी प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है और पुनर्वास उपायों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक मध्यावधि समीक्षा भी की गई थी।

इसके अतिरिक्त, अधिकार प्राप्त मंत्री दल सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों की प्रगति की आवधिक समीक्षा भी करता है।

विवरण I

आवास

राज्य	पुनर्निर्माण किए जाने वाले घरों की संख्या	दिसम्बर, 2007 तक प्रगति
तमिलनाडु	63588	46066
केरल	3867	3867
आंध्र प्रदेश	481	481
पुडुचेरी	7567	3018
अंडमान और निकोबार	9797	302 पूरे कर लिए गए और 8114 का नींव कार्य पूरा कर लिया गया।

कृषि एवं आजीविका

राज्य	कुल क्षति	दिसम्बर, 2007 तक प्रगति
तमिलनाडु	कृषि-8175.352 हेक्टेअर बागवानी-669.820 हेक्टेअर	कार्य पूरा हो गया
केरल	2151 हेक्टेअर जमीन लवणयुक्त हो गई/फसलें प्रभावित हुईं	सुधार कार्य पूरा कर लिया गया है और आजीविका योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।
आंध्र प्रदेश	कोई क्षति रिपोर्ट नहीं की गई	लागू नहीं
पुडुचेरी	1145 हेक्टेअर जमीन लवणयुक्त हो गई	950.04 हेक्टेअर भूमि का सुधार किया गया।
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	8069 हेक्टेअर प्रभावित	4360.63 हेक्टेअर फसली क्षेत्र का सुधार किया गया, 2435.23 हेक्टेयर में मलवा हटाया गया। इसके अतिरिक्त 36.7 किमी. जलनिकास व्यवस्था की गई। 550 पावर ट्रिलर एवं 2300 पम्पसेट वितरित किए गए। 790 कुएं/तालाब बनाए गए। 2 चेक बांध बनाए गए।

मत्स्य पालन एवं आजीविका

राज्य	कुल क्षति	दिसम्बर 2007 तक प्रगति
तमिलनाडु	काटामारान-30373 वालामूस-4628 यांत्रिक नावें-2727 जाल-39316 फिशिंग हार्बर-8 फिश लैंडिंग केन्द्र-7 नव फिश लैंडिंग केंद्र-10	नावों/जालों/गियरों का पुनर्स्थापना कार्य पूरा कर लिया गया। न्यू फिश लैंडिंग केंद्रों के निर्माण के लिए निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है।
केरल	3989 नावें/क्राफ्टस/जाल/मत्स्य अनुषंगियां	नाव/क्राफ्ट/जाल/मत्स्य अनुषंगियों का पुनर्स्थापित/मरम्मत कर लिया गया है।
आंध्र प्रदेश	11394 नावें 34067-जाल	कार्यक्रम पूरा कर लिया गया
पुडुचेरी	7892 नावें नवीन/अतिरिक्त क्रियाकलाप 1. फिशरीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2. लाइफ जैकेटों की खरीद 3. आजीविका परियोजनाएं (सीवीड कल्चर)	7562 नावों का पुनर्स्थापन मरम्मत कार्य और नवीन कार्य अतिरिक्त प्रगति पर है।
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2065 नावें 858 फिशिंग गियर्स एफएलसी एवं फिशिंग हार्वर्स 525 पास्सीकल्चरिस्ट्स	1991 नावें 858-फिशिंग गीयर्स

सड़क और पुल

राज्य	कुल क्षति	दिसम्बर, 2007 प्रगति तक
तमिलनाडु	757.40 किमी	648.33 किमी छोटी सड़कों की मरम्मत कर दी गई। पुलों के लिए निविदा दिए जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।
केरल	686 किमी 3 पुल	
आंध्र प्रदेश	क्षति रिपोर्ट नहीं की गई	लागू नहीं
पुडुचेरी	49.75 किलोमीटर	65.72 किमी
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	350.05 किमी	253 किमी

विवरण II

सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार परिव्यय एवं वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परिव्यय	2005-06 से 2007-08 तक आबंटन	दिसम्बर, 2007 तक व्यय
तमिलनाडु	4165.33	2781.76	1013.33
केरल	1441.75	493.00	181.61
आंध्र प्रदेश	210.16	157.05	150.60
पुडुचेरी	663.73	635.00	463.17
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसूह	2654.69	1300.00	1147.58
कुल	9135.66	5366.81	2956.29

असम में महाविद्यालयों और विद्यालयों का कार्यकरण

823. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में चल रहे निजी एवं सरकारी महाविद्यालयों और निम्न प्राथमिक (लोवर प्राइमरी) स्तर तक के विद्यालयों की संख्या कितनी है तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों की श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) असम में चल रहे उन गैर-वाणिज्यिक महाविद्यालयों और निम्न प्राथमिक स्तर से लेकर ऊपर तक के विद्यालयों की श्रेणीवार संख्या कितनी है जो अपेक्षित सरकारी स्वीकृत और संबंधित विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता के साथ लोगों की भागीदारी से स्थापित किए गए हैं और चल रहे हैं परन्तु जिन्हें अपनी स्थापना के समय से ही मध्याह्न भोजन और सर्व शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाले लाभों सहित अवसंरचना, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन के मद में कोई अनुदान नहीं मिल रहा है; और

(ग) इन महाविद्यालयों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है तथा ये महाविद्यालय और विद्यालय कब से चल रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के

अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 एफ और 12 बी के तहत असम में 27 सरकारी कालेज और 185 प्राइवेट कालेज चल रहे हैं। ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

असम राज्य में अनुमोदित दाखिला तथा उपलब्ध शिक्षकों की संख्या और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं के ब्यौरे विवरण-II पर उपलब्ध हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संयुक्त सह-शिक्षा वाले स्कूल हैं जिनमें 1 से 12 तक की कक्षाएं हैं। इस समय असम राज्य में 50 केन्द्रीय विद्यालय कार्यरत हैं। इन केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 28,248 (30.09.2007 की स्थिति के अनुसार)और 1,272 शिक्षक कार्यरत हैं। इन केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना का वर्ष विवरण-III में दिया गया है।

नवोदय विद्यालय समिति का देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने का अधिदेश है। इन विद्यालयों का उद्देश्य कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है और ये केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं। ये विद्यालय सह-शिक्षा तथा आवासीय स्वरूप के हैं। असम राज्य में 27 जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। असम राज्य में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालयों के ब्यौरे उच्चतम कक्षा दर्शाते हुए तथा 31.12.2007 तक की स्थिति के अनुसार छात्रों के दाखिले को विवरण-IV में दर्शाया गया है। देश में तथा असम में जवाहर नवोदय विद्यालयों में लोअर प्राथमिक स्तर में कोई छात्र नहीं है। असम में जवाहर नवोदय विद्यालयों में 165 स्नातकोत्तर शिक्षक, 180 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और 114 विविध श्रेणी शिक्षक हैं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 31 दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध 69 गैर-सहायता प्राप्त स्वतंत्र निजी स्कूलों सहित 136 स्कूल हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इससे सम्बद्ध स्कूलों के शिक्षकों की कुल संख्या तथा छात्रों की संख्या के विषय में आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, वर्ष 2007-2008 के दौरान असम राज्य से बोर्ड परीक्षाओं के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ पंजीकृत छात्रों की संख्या क्रमश: 7188 (कक्षा-10), 5388 (कक्षा-12), 7740 (कक्षा-10), 6164 (कक्षा-12) है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत असम राज्य में 42,667 स्कूल हैं और छात्रों तथा शिक्षकों की संख्या क्रमश: 41,94,417 और 1,55,922 है।

मध्याह्न भोजन योजना सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा शिक्षा अनुदान स्कीम/वैकल्पिक तथा नवाचारी स्कीम के तहत चलाए जा रहे केन्द्र में अध्ययनरत बच्चों को कवर करते हैं। इस योजना का 1.10.2007 से कक्षा 8 तक अर्थात् शिक्षा के अपर प्राथमिक स्तर तक विस्तारण किया गया है और असम राज्य में 81 ब्लाकों सहित देश के 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाक इसमें शामिल हैं। यह योजना निजी प्रबंधित तथा गैर-सहायता स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को कवर नहीं करती है।

राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे गैर-व्यापारिक स्कूलों तथा कालेजों और शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

विवरण I

क्र.सं.	कालेज का नाम और पता	स्थिति	अन्य ब्यौरे
1	2	3	4
	विश्वविद्यालय : असम	2(एफ) एवं 12 (बी)	संबद्ध कालेज
1.	कचर कालेज सिल्चर जिला कचर असम-788001	गैर-सरकारी अवर-स्नातक	स्थापित: 1960 संदर्भ सं. असम (16001)

1	2	3	4
2.	डिफू राजकीय कालेज डिफू जिला कारबी अंगलोंग असम-782460	2(एफ) एवं 12(बी) सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1965 संदर्भ सं. असम (16002)
3.	गुरुचरण कालेज सिल्चर-4 जिला काचर असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1935 संदर्भ सं. असम (16003)
4.	हाल्फलोंग राजकीय कालेज हाल्फलोंग जिला उत्तरी काचर हिल्स असम	2(एफ) एवं 12(बी) सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1962 संदर्भ सं. असम (16004)
5.	करीमगंज कालेज करीमगंज जिला करीमगंज असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1946 संदर्भ सं. असम (16005)
6.	लाला ग्रामीण कालेज पोस्ट लाला जिला काचर असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1963 संदर्भ सं. असम (16006)
7.	एम.सी. दास कालेज सोनायमुख जिला काचर असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1977 संदर्भ सं. असम (16007)
8.	नबीनचन्द्रा कालेज बदरपुर जिला करीमगंज असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1971 संदर्भ सं. असम (16008)
9.	नेहरू कालेज पेलपूल जिला काचर असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1971 संदर्भ सं. असम (16009)

1	2	3	4
10.	बनिन्द्राभाबन गर्ल्स कालेज करीमगंज जिला करीमगंज असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1963 संदर्भ सं. असम (16010)
11.	राधामाधब कालेज सिल्चर जिला काचर असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1978 संदर्भ सं. असम (16011)
12.	रामकृष्णनगर कालेज रामकृष्णनगर जिला करीमगंज असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1969 संदर्भ सं. असम (16012)
13.	एस.एस. कालेज हालकंडी जिला काचर असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1950 संदर्भ सं. असम (16013)
14.	अध्यापक प्रशिक्षण कालेज सिल्चर जिला काचर असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1960 संदर्भ सं. असम (16014)
15.	महिला कालेज सिल्चर जिला काचर असम	2(एफ) एवं 12(बी) सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1971 संदर्भ सं. असम (16015)

सारांश:

वर्ग			कालेजों की संख्या
सरकारी	2(एफ) एवं 12(बी)	अवर स्नातक	3
गैर-सरकारी	2(एफ) एवं 12(बी)	अवर स्नातक	12
कुल			15

डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय

1.	ए स्वाहिन्येदी फ्काकन कालेज नामती पी.ओ. नावटीडीडीइ. जिला शिवसागर असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1970 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18001)

1	2	3	4
2.	अमगुरु कालेज पोस्ट अमगुरु जिला शिवसागर असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1967 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18002)
3.	असम मेडिकल कालेज डिब्रूगढ़ जिला डिब्रूगढ़ असम	2(एफ) एवं 12(बी) सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1947 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18003)
4.	बाहोना कालेज बाहोना जिला जोरहाट असम	2(एफ) एवं 12(बी) सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1966 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18004)
5.	बिहपुरिया कालेज बिहपुरिया जिला उत्तरी लक्ष्मीपुर 784118 असम	2(एफ) एवं 12(बी) सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1973 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18005)
6.	चन्द्र कमल बेजबरुआ कालेज टोक जिला जोरहाट असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1959 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18006)
7.	चन्द्र कमल बेजबरुआ व्यवसायिक कालेज जोरहाट जिला जोरहाट असम	2(एफ) एवं 12(बी) सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1965 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18007)
8.	डी.सी. बरुआ गर्ल्स कालेज जोरहाट असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1955 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18008)
9.	डी.एच.एस.के. कालेज डिब्रूगढ़ जिला डिब्रूगढ़ असम	2(एफ) एवं 12(बी) सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1945 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18009)
10.	डेखा देवी रसबसिया कालेज चाबुआ जिला डिब्रूगढ़ असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1979 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18010)

1	2	3	4
11.	देमोव कालेज देमोव जिला सिबसागर असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1970 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18011)
12.	देरगांव कमल देवराह कालेज देरगांव जिला गोलाघाट असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1942 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18012)
13.	देवराज राय कालेज गोलाघाट जिला गोलाघाट असम	2(एफ) एवं 12(बी) सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1949 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18013)
14.	धखाखा कालेज धखाखा जिला लखीमपुर असम	2(एफ) एवं 12(बी) सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1971 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18014)
15.	धेमाजी कालेज धेमाजी जिला धेमाजी असम	2(एफ) एवं 12(बी) सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1965 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18015)
16.	धेमाजी कामर्स कालेज जिला धेमाजी असमी	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1965 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18016)
17.	डिब्रू कालेज डिब्रूगढ़ जिला डिब्रूगढ़ असम	2(एफ) एवं 12(बी) सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1963 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18017)
18.	डिब्रूगढ़ एच.एस. कनोई कामर्स कालेज डिब्रूगढ़ जिला डिब्रूगढ़ असम	2(एफ) एवं 12(बी) सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1960 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18018)

1	2	3	4
19.	डिगबई कालेज डिगबई जिला तिनसुकिया असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1965 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18019)
20.	डिगबई महिला महाविद्यालय डिगबई जिला तिनसुकिया असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1967 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18020)
21.	दूम दूम कालेज दूमा दूमा जिला तिनसुकिया असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1971 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18021)
22.	दुलियाजन कालेज दुलियाजन जिला डिब्रूगढ़ असम-786602	2(एफ) एवं 12(बी) सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1974 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18022)
23.	फोरकटिंग कालेज जिला गोलाघट असम	2(एफ) एवं 12(बी) सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1981 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18023)
24.	गरगांव कालेज गरगांव सिमालुगुरी जिला सिबसागर असम	2(एफ) एवं 12(बी) सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1939 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18024)
25.	गोगामुख कालेज गोगामुख जिला धेमाजी असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1980 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18025)
26.	गोलाघाट कामर्स कालेज ज्योतिनगर गोलाघाट जिला गोलाघाट असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1972 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18026)
27.	गोलाघाट विधि कालेज गोलाघाट जिला गोलाघाट असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1979 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18027) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य

1	2	3	4
			केन्द्रीय स्रोतों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(बी) से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित नहीं किए गए हैं।
28.	एच.सी.डी.जी. कालेज नीताईपोखरी जिला सिबसागर असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1965 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18028)
29.	हेमोपूर्वा बारबेरा बालिका कालेज गोलाघाट जिला गोलाघाट असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1969 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18029)
30.	जे.बी. कालेज जोरहाट जिला जोरहाट असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1930 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18030)
31.	जे.डी.एस.जी. कालेज बोकाखाट जिला गोलाघाट असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1964 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18031)
32.	जेनग्रामुख कालेज पोस्ट जेनग्रामुख (मुजुली) जिला जोरहाट असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1971 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18032)
33.	झान्जी हेम नाथ शर्मा कालेज झान्जी जिला सिबसागर असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1964 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18033)
34.	जोरहाट कालेज (अमुलगुमटेड) जोरहाट जिला जोरहाट असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1962 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18034)
35.	जोरहाट इंजीनियरिंग कालेज जोरहाट जिला जोरहाट असम	2(एफ) एवं 12(बी) सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1960 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18035)

1	2	3	4
36.	जोरहाट केन्द्रीय महाविद्यालय जोरहाट जिला जोरहाट असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1981 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18036)
37.	काकोजन कालेज काकोजन जिला जोरहाट असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1967 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18037)
38.	कमरगांव कालेज पोस्ट-कमरगांव जिला गोलाघाट असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1972 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18038)
39.	आई.टी.के. कालेज लखीमपुर जिला लखीमपुर असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1977 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18039)
40.	लखीमपुर कामर्स कालेज उत्तरी लखीमपुर जिला लखीमपुर असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1972 संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18040)
41.	लखीमपुर गर्ल्स कालेज नार्थ लखीमपुर जिला लखीमपुर असम-787001	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1976 महिला कालेज संदर्भ सं. डिब्रूगढ़ (18041)
42.	लखीमपुर केन्द्रीय विद्यालय पी.ओ. नार्थ लखीमपुर जिला लखीमपुर असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1981 संदर्भ संख्या: (18042)
43.	माधव देव कालेज पी.ओ. डिकरांग जिला लखीमपुर असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापना: 1962 संदर्भ संख्या: (18043)
44.	माजुली कालेज माजुली जिला जोरहाट असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1962 संदर्भ संख्या: (18044)

1	2	3	4
45.	मनोहरी देवी कनोई गर्ल्स कालेज डिब्रुगढ़ डिब्रुगढ़ असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1965 महिला कालेज संदर्भ संख्या: (18045)
46.	मारघेरिता कालेज मारघेरिता जिला तिनसुकिया असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1984 संदर्भ संख्या: (18046)
47.	मोरान कालेज मोरानहाट जिला सिबसागर असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1964 संदर्भ संख्या: (18047)
48.	*मोरान महिला महाविद्यालय पो.आ. मोरानहाट जिला सिबसागर असम	2(एफ) एवं 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित: 1964 महिला कालेज संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़: (8044) *विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य केन्द्रीय स्रोतों से सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।
49.	मोरइयानी कालेज मोरइयानी जोरहाट जिला जोरहाट असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1966 संदर्भ संख्या (18049)
50.	मोरीघोल कालेज मोरीघोल पी.ओ. मोरीघोल जिला-धेमाजी असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1988 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18050)
51.	मुरकांग सेलेक कालेज जोनाय जिला धेमाजी असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1984 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18051)
52.	नाहारकटिया कालेज नाहारकटिया जिला डिब्रुगढ़ असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1964 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18052)

1	2	3	4
53.	नामरूप कालेज नामरूप जिला डिब्रुगढ़ असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1993 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18053)
54.	नंदा नाथ सैकिया कालेज टिटाबार जिला जोरहाट असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1959 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18054)
55.	नाजिरा कालेज नाजिरा जिला शिवसागर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1981 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18055)
56.	नार्थ बैंक कालेज पी.ओ. धीलमारा जिला लखीमपुर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1961 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18056)
57.	नार्थ लखीमपुर कालेज जिला लखीमपुर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1952 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18057)
58.	नाबबोइछा कालेज दूलाहट पी.ओ. जिला लखीमपुर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1985 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18058)
59.	पारीगांव ओमप्रकाश दिनोडिया कालेज गांव पारीगांव लखीमपुर जिला लखीमपुर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1984 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18059)
60.	पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कालेज जोरहाट जिला जोरहाट असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1957 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18060)
61.	शंकर देव महाविद्यालय पाथली पहाड़ लखीमपुर जिला लखीमपुर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1982 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18061)

1	2	3	4
62.	सुरूपाथार कालेज, सुरूपाथार जिला गोलाघाट असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1979 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18062)
63.	साइंस कालेज जोरहाट चेनियाम्गुडी जिला जोरहाट असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1979 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18063)
64.	शिवसागर कालेज, शिवसागर जिला शिवसागर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1947 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18064)
65.	शिवसागर कामर्स कालेज शिवसागर जिला शिवसागर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1969 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18065)
66.	शिवसागर गर्ल्स कालेज शिवसागर जिला शिवसागर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1954 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18066)
67.	सीतापहाड़ कालेज सीतापहाड़, लखीमपुर जिला लखीमपुर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1979 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18067)
68.	सोनारी कालेज सोनारी जिला सिवसागर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1970 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18068)
69.	स्वाहिद मनीराम दिवान कालेज चिरांग जिला शिबसागर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1964 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18069)

1	2	3	4
70.	*तिंगखोंग कालेज तिगखोंग जिला डिब्रुगढ़ असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1972 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18070) *विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य केन्द्रीय स्रोतों से सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया
71.	तिनसुकिया कालेज तिनसुकिया जिला तिनसुकिया असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1956 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18071)
72.	तिनसुकिया कामर्स कालेज तिनसुकिया जिला डिब्रुगढ़ असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1972 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18072)
73.	उजानी माजुली खेरकटिया कालेज लखीमपुर जिला लखीमपुर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1973 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18073)
73.	महिला कालेज तिनसुकिया जिला तिनसुकिया असम-786125	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी अवर-स्नातक	सम्बद्ध कालेज स्थापित: 1966 संदर्भ संख्या डिब्रुगढ़ (18074)

सारांश:	कालेजों की संख्या
सरकारी 2(एफ) एवं 12(बी) यू.जी.	17
गैर-सरकारी 2(एफ) 12(बी) यू.जी.	52
गैर-सरकारी 2(एफ) 12(बी) पी.जी.	2
गैर-सरकारी 2(एफ) यू.जी.	3
कुल योग	74

गुवाहाटी विश्वविद्यालय

1.	एडीपी कालेज नोगांव जिला नोगांव असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1958 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19001)

1	2	3	4
2.	अभयपुरी कालेज अभयपुरी जिला गोलपाडा असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1955 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19002)
3.	आर्य विद्यापीठ कालेज गुवाहाटी-16 जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1959 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19003)
4.	असम इंजीनियरिंग कालेज गुवाहाटी-13 जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1955 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19004)
5.	बी.बी. किशन कालेज जालाह जिला बारपेटा असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1978 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19005)
6.	बी. बरुहा कालेज गुवाहाटी-7 जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1943 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19006)
7.	बीएचबी कालेज सरूपेटा जिला बरपेटा असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1986 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19007)
8.	बी एन कालेज धुब्री जिला धुब्री असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1946 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19008)
9.	बी पी चालीहा कालेज नागरबेरा जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1975 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19009)
10.	बालाजी कालेज पतसाला जिला बारपेटा असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1955 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19010)

1	2	3	4
11.	बनीकांता शिक्षक शिक्षा कालेज गुवाहाटी-7 जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1967 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19011)
12.	बापूजी कालेज सारथेबारी जिला बारपेटा असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1977 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19012)
13.	बरामा कालेज बरामा जिला नालबाडी असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1975 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19013)
14.	बारभाग कालेज कलग जिला नालबाडी असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1964 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19014)
15.	बारनगर कालेज सोरभोय जिला बारपेटा असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1962 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19015)
16.	बारपेटा रोड हावली कालेज पीसी हावली (बारपेटा) जिला बारपेटा असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 19 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19016)
17.	बिजनी कालेज बिजनी जिला कोकराझार असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1961 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19017)
18.	बिकाल कालेज धूपधारा जिला गोलपाडा असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1952 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19018)
19.	बिलासीपाडा कालेज बिलासीपाडा जिला धुब्री असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1961 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19019)

1	2	3	4
20.	बिरझोरा महाविद्यालय बोंगईगांव जिला बोंगईगांव असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 19 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19020)
21.	विश्वनाथ कालेज चारोली जिला सोनितपुर असम-784176	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1959 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19021)
22.	बोंगई गांव कालेज बोंगई गांव जिला बोंगई गांव असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1964 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19022)
23.	चैदौर कालेज गोहपुर जिला सोनितपुर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 19 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19023)
24.	छायागांव कालेज छायागांव जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 19 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19024)
25.	चिलाराय कालेज गोलकगंज जिला धुब्री असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 19 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19025)
26.	काटन कालेज गुवाहाटी-1 जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 19 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19026)
27.	दक्षिण कामरूप कालेज मिर्जा जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1961 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19027)
28.	दारंग कालेज तेजपुर जिला सोनितपुर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1945 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19028)

1	2	3	4
29.	धींग कालेज धींग जिला नौगांव असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1965 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19029)
30.	डिमोरिया कालेज खेत्री जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1979 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19030)
31.	दिसपुर कालेज गुवाहाटी-5 जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1978 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19031)
32.	डाक्टर बी के बरूआ कालेज पुरानी गोदाम जिला नौगांव असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1967 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19032)
33.	दुधनोई कालेज दुधनोई जिला गोलपाडा असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1973 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19033)
34.	गुवाहाटी कालेज बामुनी मैदान जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1964 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19034)
35.	गुवाहाटी कामर्स कालेज गुवाहाटी-21 जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1962 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19035)
36.	गोलपाडा कालेज गोलपाडा जिला गोलपाडा असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 19 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19036)
37.	गोरेश्वर कालेज गोरेश्वर जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 19 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19037)

1	2	3	4
38.	गोसाईं गांव कालेज गोसाईं गांव जिला कोकराझार असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 19 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19038)
39.	राजकीय विधि महाविद्यालय गुवाहाटी असम	2(एफ) और 12(बी) सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 19 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19039)
40.	राजकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय कोकराझार जिला कोकराझार असम	2(एफ) और 12(बी) सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 19 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19040)
41.	हेंडिक कन्या महाविद्यालय गुवाहाटी-1 जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 19 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19041)
42.	होजाय कालेज होजाय जिला नौगांव असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1964 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19042)
43.	जे बरूआ विधि महाविद्यालय गुवाहाटी-3 जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1969 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19043)
44.	जागीरोड कालेज जागीरोड जिला मारीगांव असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1979 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19044)
45.	जनता कालेज पी.ओ. काबूगंज जिला कछार असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1964 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19045)
46.	जवाहर लाल नेहरू कालेज बोको जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1964 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19046)

1	2	3	4
47.	केआरबी महिला महाविद्यालय पोस्ट आफिस बराकिमुका गुवाहाटी-9 जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1980 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19047)
48.	कालीबार कालेज कुवारीतोल जिला नौगांव असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1973 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19048)
49.	कामरूप कालेज चमाटा जिला नालबाड़ी असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1966 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19049)
50.	कोकराझार कालेज कोकराझार जिला कोकराझार असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1959 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19050)
51.	एलसी भारली कालेज गुवाहाटी-11 जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1971 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19051)
52.	लंका महाविद्यालय रणमहल लंका जिला नौगांव असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1979 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19052)
53.	लोकनायम ओमयो कुमार दास कालेज धेकइजुली जिला सोनितपुर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1971 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19053)
54.	लमडिंग कालेज लमडिंग जिला नौगांव असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1965 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19054)
55.	एम सी कालेज बारपेटा जिला बारपेटा असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 19 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19055)

1	2	3	4
56.	एमएनसी बालिका महाविद्यालय नालबाड़ी जिला नालबाड़ी असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 19 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19056)
57.	मंगलदोई कालेज मंगलदोई जिला दरांग असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 19 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19057)
58.	मंकाचर कालेज मंकाचर जिला धुब्री असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 19 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19058)
59.	मारीगांव कालेज मारीगांव जिला मारीगांव असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 19 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19059)
60.	मेडीकल कालेज गुवाहाटी-5 जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 19 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19060)
61.	नबज्योति कालेज कलगछिया जिला बारपेटा असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1979 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19061)
62.	नालवाडी कालेज नालवाडी जिला नालवाडी असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1945 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19062)
63.	नार्थ गुवाहाटी कालेज गुवाहाटी-31 जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1962 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19063)
64.	नौगोंग कालेज नौगोंग जिला नगांव असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1944 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19064)

1	2	3	4
65.	नावगोंग कन्या महाविद्यालय नावगोंग जिला नगांव असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1963 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19065)
66.	पांडु कालेज पांडु गुवाहाटी-12 जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1962 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19066)
67.	प्रज्ञाज्योतिष कालेज गुवाहाटी-9 जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1954 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19067)
68.	प्रमोथीज बरुआ कालेज गौरीपुर जिला धुब्री असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1964 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19068)
69.	पब-कामरूप कालेज भैहाता जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1972 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19069)
70.	आर जी बरुआ कालेज गुवाहाटी जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1983 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19070)
71.	राहा कालेज राहा जिला नागांव असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1972 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19071)
72.	रंगपाडा कालेज रंगपाडा जिला सोनितपुर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1979 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19072)
73.	रंगिया कालेज रंगिया जिला कामरुप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1963 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19073)
74.	रत्नपीठ कालेज चापेर जिला धुब्री असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1978 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19074)

1	2	3	4
75.	एस बी एम एस कालेज सुवालकुचि जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1963 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19075)
76.	सप्तग्राम कालेज सप्तग्राम जिला धुब्री असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1977 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19076)
77.	सिपाझर कालेज सिपाझर जिला दर्रांग असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1982 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19077)
78.	सुरेनदास कालेज हाजो जिला कामरूप असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेब स्थापित 1983 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19078)
79.	टीएचबी कालेज जमुगुरीहाट जिला सोनितपुर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1963 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19079)
80.	टंगाला कालेज टंगाला जिला दर्रांग असम-784521	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1972 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19080)
81.	तेजपुर कालेज तेजपुर जिला सोनितपुर असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1965 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19081)
82.	तीहू कालेज तीहू जिला नालबाडी असम	2(एफ) और 12(बी) गैर-सरकारी पूर्व स्नातक	संबद्ध कालेज स्थापित 1963 संदर्भ संख्या गुवाहाटी (19082)

सारांश:		कालेजों की संख्या
श्रेणी		
सरकारी	2(एफ) और 12(बी) पूर्व-स्नातक	06
गैर-सरकारी	2(एफ) और 12(बी) पूर्व-स्नातक	75
गैर-सरकारी	2(एफ) और 12(बी) स्नातकोत्तर	01
कुल		82

यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ)/2(एफ) और 12(बी)/12(बी) के तहत कालेजों की सूची
(1 अप्रैल, 2004 से 21 फरवरी, 2019 के अनुसार)

असम

1.	दक्षिण सिल्चर कालेज पी.ओ. बरजात्रपुर कछार-788110 (असम) अस्थाई संबद्धता	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1985	2(एफ)	असम विश्वविद्यालय
2.	खोवांग कालेज खोवांग घाट-786676, जिला डिब्रूगढ़ (असम)	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1982	2(एफ) और 12(बी)	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
3.	रंगाचाची कालेज, रंगाचाची, माझुली, जोरहट-785104 (असम)	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1983	2(एफ) और 12(बी)	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
4.	लखीपुर कालेज, पी.ओ. लखीपुर, जिला गोलपाडा-783129 (असम)	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1981	2(एफ) और 12(बी)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
5.	मैबंग डिग्री कालेज मैबंग, एनसी हिल्स (असम) (अस्थाई संबद्धता)	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1988	2(एफ)	असम विश्वविद्यालय
6.	पश्चिम गुवाहाटी महाविद्यालय पो.आ. धारापुर, गुवाहाटी-781133 कामरूप (असम)	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1978	2(एफ) और 12(बी)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
7.	नौगांव बीएमडीजी कामर्स कालेज, पपीगांव नौगांव-782001 असम स्थाई संबद्धता	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1986	2(एफ) और 12(बी)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
8.	विज्ञान कालेज जिला कोकराझार (असम अस्थाई संबद्धता)	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1999	2(एफ)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
9.	वाणिज्य महाविद्यालय कोकराझार जिला कोकराझार बीटैड असम-783370 (अस्थाई संबद्धता)	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1985	2(एफ)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
10.	जनता कालेज, सैरफनगुडी पो.ओ. सैरफनगुडी-783346 जिला कोकराझार बीटीसी (असम) स्थाई संबद्धता	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1986	2(एफ) और 12(बी)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
11.	बाओसी बनीकान्ता कॉक्ति कालेज, नौगांव, बारपेटा-781309 (असम) स्थाई संबद्धता	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1971	2(एफ) और 12(बी)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय

12.	लेडो कालेज लेडो-786182, जिला तिनसुकिया (असम) (स्थाई संबद्धता)	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1997	2(एफ) स्ववित्तपोषित	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
13.	बोरहाट भाबनी प्रसाद बरुआ मैमोरियल कालेज (बोरहट बीपीबी मैमोरियल कालेज) पी.ओ. और टीओ बोरहट-785693, जिला शिवसागर असम (स्थाई संबद्धता)	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1995	2(एफ) स्ववित्तपोषित	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
14.	बारपेटा कन्या महाविद्यालय पी.ओ. और जिला बारपेटा (असम) (स्थाई संबद्धता)	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1978	2(एफ) स्ववित्तपोषित	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
15.	स्वामीयोगानन्द गिरी कालेज, शक्तिआश्रम जिला कोकराझार (असम) (स्थाई संबद्धता)	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1994	2(एफ)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
16.	फकीरग्राम कालेज पी.ओ. फकीरग्राम जिला कोकराझार (असम) (स्थाई संबद्धता)	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1994	2(एफ)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
17.	बसु गांव कालेज पी.ओ. बसुगांव-783372 जिला चिरंग (बीटीसी) असम, (स्थाई संबद्धता)	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1986	2(एफ) और 12(बी)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
18.	पुथीमारी कालेज सोनेश्वर-781382 जिला कामरूप (असम)	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1981	2(एफ) और 12(बी)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
19.	जोवाजोगी कालेज, खुमतई पी.ओ. खुमतई जिला गोलाघाट (असम)-785619	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1991	2(एफ) और 12(बी)	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
20.	एसबी दयारा कालेज उल्लूबारी गुवाहाटी-781007 असम	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1987	2(एफ) और 12(बी)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
21.	दिखोमुख कालेज मोगलाओ दिखोमुख कालेज मोगलाओ पी.ओ. भारालुआ तीनिआली शिवसागर (असम)	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1982	2(एफ) और 12(बी)	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
22.	भवानीपुर आंचलिक कालेज पी.ओ. भवानीपुर-781352 जिला बारपेटा असम	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1987	2(एफ) और 12(बी)	असम विश्वविद्यालय

23.	सोनापुर कालेज पी.ओ. सोनापुर कामरूप-782402 असम (स्थाई संबद्धता)	गैर-सरकारी	पूर्व-स्नातक	1991	2(एफ)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
24.	हबराघाट महाविद्यालय, कृष्णनाई, गोलपाड़ा-783126 (असम) (स्थाई संबद्धन के आधार पर)	एन.जी.	यू.जी.	1979	2(च) तथा 12(ख)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
25.	कामपुर कालेज, पी.ओ. कामपुर, नागांव, कामपुर (असम)	एन.जी.	यू.जी.	1968	2(च) तथा 12(ख)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
26.	नागांव जीएनडीजी वाणिज्य कालेज, पानीगांव, नागांव-782001 (असम)	एन.जी.	यू.जी.	1986	2(च) तथा 12(ख)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
27.	बालिका कालेज, कोकराझार, पी.ओ. तथा जिला कोकराझार-783370 (असम) (अस्थाई संबद्धन के आधार पर)	एन.जी.	यू.जी.	1990	2(च)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
28.	मचखोआ डिग्री कालेज, पी.ओ. मचखोआ, जिला धमेजी-787058 (असम) (अस्थाई संबद्धन के आधार पर)	एन.जी.	यू.जी.	1984	2(च)	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
29.	सलबारी कालेज,पी.ओ. सलबारी-781318, जिला बक्सा (असम) (अस्थाई संबद्धन के आधार पर)	एन.जी.	यू.जी.	1986	2(च)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
30.	बेंगतुल कालेज, पी.ओ. तथा ग्राम बेंगतुल, जिला चिरांग (असम) (अस्थाई संबद्धन के आधार पर)	एन.जी.	यू.जी.	1981	2(च)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
31.	उत्तरी कामरूप कालेज, बाघमारा, पी.ओ. बाघमारा बाजार, जिला बारपेटा-781328 (असम) (स्थाई संबंद्धन के आधार पर)	एन.जी.	यू.जी.	1979	2(च) तथा 12(ख)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
32.	खागरीजन कालेज, पी.ओ. छोटाहाईबार, नागांव-782002 (असम) (स्थाई संबंद्धन के आधार पर)	एन.जी.	पी.जी.	1983	2(च) तथा 12(ख)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
33.	लालूक कालेज, पी.ओ. लालूक, जिला लखीमपुर-784160 (असम) (अस्थाई संबंद्धन के आधार पर)	एन.जी.	यू.जी.	1985	2(च)	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय

34.	सीलापत्थर विज्ञान कालेज, पी.ओ. सीलापत्थर, जिला धेमजी-787059 (असम) (अस्थाई संबंद्धन के आधार पर)	एन.जी.	यू.जी.	1996	2(च)	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
35.	उदलगिरी कालेज, उदलगिरी, दारांग-784509 (असम) (स्थाई संबंद्धन के आधार पर)	एन.जी.	यू.जी.	1979	2(च) तथा 12(ख)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
36.	सीलापत्थर वाणिज्य कालेज, पी.ओ. सीलापत्थर, जिला धेमजी-787059 (असम) (अस्थाई संबंद्धन के आधार पर)	एन.जी.	यू.जी.	1996	2(च)	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
37.	टेंगाखाट कालेज, पी.ओ. टेंगाखाट, जिला डिब्रूगढ़-786103 (असम) (स्थाई संबंद्धन के आधार पर)	एन.जी.	यू.जी.	1967	2(च) स्व-वित्तपोषित	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
38.	जी.एस. लोहिया बालिका कालेज, श्री कन्या पाठशाला काम्पलैक्स, तिनसुखिया-786125 (असम) (अस्थाई संबंद्धन के आधार पर)	एन.जी.	यू.जी.	1996	2(च) तथा 12(ख)	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
39.	निर्मल हालोई कालेज, पटाचारकुची, बारपेटा-781326 (असम) (स्थाई संबंद्धन के आधार पर)	एन.जी.	यू.जी.	1979	2(च) तथा 12(ख)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
40.	डा. नोबीन बोर दोलोई कालेज, ना-अली, धेकीअजुली, बोरहाट-09 (असम) (अस्थाई संबंद्धन के आधार पर)	एन.जी.	यू.जी.	1986	2(च)	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
41.	ज्ञान पीठ डिग्री कालेज, निकासी, जिला-बक्सा, बी एटीडी-781372 (असम) (अस्थाई संबंद्धन के आधार पर)	एन.जी.	यू.जी.	1993	2(च)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय

असम राज्य में वर्ष 2005-06 के दौरान कालेजों, नामांकन तथा शिक्षण स्टाफ का श्रेणीवार विवरण

	कालेज की श्रेणी	कालेजों की संख्या	नामांकन	शिक्षण स्टाफ
1.	सम्बद्ध कालेज	381	186,221*	12,958*
	(1) निजी			
	(2) राजकीय	42	17,596*	1,224*
2.	विश्वविद्यालय कालेज	6	1948	320
	कुल	429	2,05,765	14,502

*वर्ष 2005-06 के लिए अनुमानित आंकड़े

विवरण II

अकादमिक वर्ष 2008-09 हेतु अनुमोदित कार्यक्रमों हेतु अनुमोदन की स्थिति

क्र.सं.	संस्थान का नाम तथा पता/संस्थान के प्रमुख का नाम	पाठ्यक्रम	2007-08 के लिए मौजूदा सीटें	2008-09 के लिए अनुमोदित दाखिला क्षमता	रिपोर्ट (2008-09) के अनुपालन उपलब्ध संकाय	रिपोर्ट के अनुपालन अनुसार वास्तविक दाखिला
1	2	3	4	5	6	7
क्षेत्र: पूर्वी	राज्य: असम					
1.	असम इंजीनियरिंग कालेज, जालुकबारी, गुवाहाटी-783013, कामरूप, असम राज्य सरकार/1996 डा. द्युबाज्योति भट्टाचार्य एस.टी. कोड: 0361 दूरभाष सं.: 2654813/2654815 फैक्स सं.: 267833 www.acc.ac.in	केमिकल इंजीनियरिंग	60	60	99	390
		सिविल इंजीनियरिंग	60	60		
		कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरिंग	20	20		
		इलैक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग	60	60		
		इलैक्ट्रीक इंजीनियरिंग	60	60		
		इलैक्ट्रीक इंजीनियरिंग (एम टेक)	18	18		
		इंडस्ट्रीयल एवं प्रोडेक्शन इंजीनियरिंग	20	20		
		इंस्ट्रूमेंशन इंजीनियरिंग	20	20		
		एम सी ए	30	30		
		मेकेनिकल इंजीनियरिंग (एम टेक)	18	18		
		मेकेनिकल इंजीनियरिंग	60	60		
		सोयल मेकेनिकल (एम ई)	18	18		
		वाटर शेड मैनेजमेंट एण्ड फल्ड कंट्रोल (एम ई)	18	18		
		कुल	462	462		
2.	गिरीजानंद चौधरी प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, अजारा, हटखोआ पारा, गुवाहाटी-781017, असम निजी/2006	कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग	60	60	30	ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया
		इंजीनियरिंग	60	60		
		इलैक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनीकेशन इंजीनियरिंग	60	60		
		एप्लाइड इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट	60	60		
		इंजीनियरिंग सूचना प्रौद्योगिकी	60	60		
		मैकेनिकल इंजीनियरिंग एम बी ए	60	60		
		कुल	360	360		

1	2	3	4	5	6	7
3.	जोरहाट इंजीनियरिंग	सिविल इंजीनियरिंग	60	60	64	223
	कालेज, जोरहाट,	कम्प्यूटर विज्ञान एवं	30	30		
	785007, असम	इंजीनियरिंग				
	राज्य सरकार/1960	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	60	60		
	डा. एस.के. राय	इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग	20	20		
	एस टी कोड: 0360	मेकेनिकल इंजीनियरिंग	60	60		
	दूरभाष संख्या	प्रोडेक्शन एंड इंडस्ट्रीयल	15	15		
	320340	इंजीनियरिंग (एमई)				
	www.gecassam.edu	कुल	245	245		
4.	तेजपुर (केन्द्रीय)	बायो इलैक्ट्रानिक्स (एमटेक)	15	15	28	70
	विश्वविद्यालय, नापाम	डिजाइन एण्ड टैक्नालोजी एमटेक)	18	18		
	तेजपुर, असम	एनर्जी टैक्नालोजी (एमटेक)	18	18		
	विश्वविद्यालय/1996	सूचना प्रौद्योगिकी (एमटेक)	18	18		
		कुल	69	69		
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,	सिविल इंजीनियरिंग	15	लम्बित		
	सिल्चर-788010	कम्प्यूटर विज्ञान एवं	30	अनुपालन		
	काच्छर, असम	इंजीनियरिंग		रिपोर्ट		
	केन्द्र सरकार/1967	इलैक्ट्रानिक्स एंव टेली	20	प्राप्त		
	प्रो. गौतम बरुवा	कम्यूनीकेशन इंजीनियरिंग		नहीं हुई		
	एस टी कोड: 03842	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	45			
	दूरभाष संख्या:	मेकेनिकल इंजीनियरिंग	50			
	233179/278077®	सोलिड इंजीनियरिंग (एमटेक)	18			
	फैक्स सं.: 233797	थर्मल इंजीनियरिंग (एमटेक)	18			
	www.nits.ac.in	जल संसाधन इंजीनियरिंग (एमटेक)	18			
		कुल	214			

अकादमिक वर्ष 2008-09 हेतु अनुमोदित कार्यक्रमों के अनुमोदन का दर्जा

क्र.सं.	संस्थाओं का नाम/वाईओई/श्रेणी	पाठ्यक्रम	2007-08 के लिए मौजूदा सीटें	2008-09 के लिए अनुमोदित सीटें	अनुपालन रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध सुविधायें	अनुपालन रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक दाखिला
1	2	3	4	5	6	7
क्षेत्र-पूर्वी						राज्य-असम
1.	असम/एचएम सीटी/01.12.2006 पूर्वोत्तर प्रबंधन विज्ञान संस्थान, आरआर एल गेट संख्या 1 के सामने, पी.ओ. आर एल, जोरहाट-785006, असम	बीएचएमसीटी	60	60	10	60
	2007/निजी-गैर अनुदान	कुल	60	60		

1	2	3	4	5	6	7
2.	एएस/30-3/एमसीपी/99 बिजनेस एडमनीस्ट्रेशन विभाग असम विश्वविद्यालय, सिल्चर-728015	एमबीए (एफटी)	30	लम्बित अनुपालन रिपोर्ट नहीं भेजी गई		
	1998-99/विश्वविद्यालय	कुल	30	00		
3.	431/30-03/एमसीपी (एम)/94 बिजनेस एडमनीस्ट्रेशन विभाग गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गोपीनाथ बारदोलोई नगर, गुवाहाटी-781014	एमबीए (एफटी)	लम्बित अनुपालन रिपोर्ट नहीं भेजी गई	लम्बित अनुपालन रिपोर्ट नहीं भेजी गई		
	1994-95/विश्वविद्यालय	कुल	00	00		
4.	431/30-05/एमसीपी-एम/95 बिजनेस एडमनीस्ट्रेशन विभाग तेजपुर विश्वविद्यालय, पो.सं. 72, सोनीतप नापाम-784028	एमबीए (एफटी)	60	60	10	60
	1995-96/विश्वविद्यालय	कुल	60	60		
5.	431/30-04/एमसीपी (एम)/95	एमबीए (एफटी)	60	60	18	
	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय प्रबंधन संस्थान पास्कुट्टी भवन, नभी, गुवाहाटी-781024	एमबीए (पीटी)	60	60		
	1995-96/सरकारी सहायता प्राप्त	कुल	120	120		
6.	एएस-01/बीओएस (एमसीपी)/एपीआर (सीएस)/96 कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, तेजपुर विश्वविद्यालय, नापाम, पो.बा.-72, सोनीतप, नापाम-784025	एमसीए (एफटी)	लम्बित अनुपालन रिपोर्ट नहीं भेजी गई	30 30	13	
	1996-97/विश्वविद्यालय	कुल	00			
7.	411/एएस-01/बीओएस (सीएस)/95 जोरहाट इंजीनियरिंग कालेज, जोरहाट-785007	एमसीए (एफटी)	30	30	05	30
	1994-95/सरकारी	कुल	30	30		
8.	एएस-02/ईटी-एपीआर (एमसीए)/2000 पूर्वोत्तर क्षेत्रीय प्रबंधन संस्थान पास्कुटी भवन, नबी, गुवाहाटी-781024	एमसीए (एफटी)	60	60	12	
		कुल	60	60		

1	2	3	4	5	6	7
2000-2001/सरकारी सहायता प्राप्त						
9.	731/30-02/एमसीपी (एम)/94 असम प्रबंधन संस्थान, 7वां तल, पूर्वी प्वाइंटर टावर, बामूनी मैडम, कामरूप, गुवाहाटी-781021	पीजीएमडी (एफटी)	45	45	6	
	1995-96/राज्य सरकार*	कुल	45	45		
10.	750-72-101 (पी)/ईटी/95 फार्मास्यूटिकल विज्ञान विभाग डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़-786004 1983/विश्वविद्यालय	बी फार्मेसी एम फार्मा (फार्मास्यूटिक्स) एम फार्मा (फार्मकागनोसी) एम फार्मा (फिजिकल कमैस्ट्री) कुल	40 08 06 06 60	लम्बित अनुपालन रिपोर्ट नहीं भेजी गई		
11.	असम/पीएचएआर/06/2006/001 गिरीजानंद चौधरी फार्मास्यूटिकल विज्ञान संस्थान, अजारा, गुवाहाटी-17	बी फार्मेसी	60	60	4	46
	2007/प्राइवेट गैर अनुदानित	कुल	60	60		

विवरण III

असम राज्य में कार्यात्मक केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना वर्ष सहित क्षेत्र-वार संख्या को दर्शाने वाली सूची

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	क्षेत्र	वर्ष
1	2	3	4
1.	बारपेटा	सिविल	2003-04
2.	धोलचेरा (बीएसएफ)	सिविल	1986-87
3.	डिब्रूगढ़	सिविल	2003-04
4.	दीफू	सिविल	1977-78
5.	गुवाहाटी, अमेरीगोग (सीआरपीएफ)	सिविल	1981-82
6.	गुवाहाटी, खानपाड़ा	सिविल	1966-67
7.	हफलोंग (एसएसबी)	सिविल	1979-80
8.	जोरहाट नं. 3 (आरआरएल)	सिविल	2003-04
9.	करीमगंज	सिविल	1991-92

1	2	3	4
10.	खतखान	सिविल	1995-96
11.	कोराझाड़	सिविल	1984-85
12.	लखीमपुर	सिविल	2003-04
13.	लोकडा	सिविल	1976-77
14.	मंगलदोई	सिविल	2003-04
15.	नया बोंगईगांव	सिविल	1987-88
16.	नवगोंग	सिविल	1980-81
17.	पनबाड़ी (बीएसएफ)	सिविल	1996-97
18.	सिल्चर	सिविल	1981-82
19.	तिनसुकिया	सिविल	1986-87
20.	गोलपाड़ा	सिविल	2006-07
21.	गोलाघाट	सिविल	2006-07
22.	छबुआ	रक्षा	1981-82
23.	डिगरू (एएफएस)	रक्षा	1971-72
24.	दिनजन	रक्षा	1976-77
25.	गुवाहाटी, बोरझाड़	रक्षा	1973-74
26.	गुवाहाटी, नारंगी	रक्षा	1971-72
27.	जोरहाट नं. 1 (एएफएस)	रक्षा	1966-67
28.	कुम्भीरग्राम (एएफएस)	रक्षा	1982-83
29.	लेखापानी	रक्षा	1987-88
30.	मसीमपुर	रक्षा	1974-75
31.	मिस्सामारी	रक्षा	1971-72
32.	मोहनबाड़ी	रक्षा	1988-89
33.	नवगोंग, मिसा कैंट	रक्षा	1986-87
34.	तेजपुर नं. 1	रक्षा	1971-72
35.	तेजपुर नं. 2 (एएफएस)	रक्षा	1979-80
36.	गुवाहाटी आईआईटी	उच्चतर अध्ययन संस्थान (आईएचएल)	2003-04

1	2	3	4
37.	बोकाजन (सीसीआई)	परियोजना	1986-87
38.	कचर पंचग्राम (एचपीसी)	परियोजना	1984-85
39.	डूम डूमा (एआरसी)	परियोजना	1986-87
40.	दुलियाजन (ओआईएल)	परियोजना	1977-78
41.	गेरुकामुख उच्चतर शिक्षा परियोजना	परियोजना	2003-04
42.	गुवाहाटी (आईओसी)	परियोजना	1985-86
43.	गुवाहाटी, मालीगांव	परियोजना	1980-81
44.	जागी रोड (एचपीसी)	परियोजना	1984-85
45.	जोरहाट नं. 2 (ओएनजीसी)	परियोजना	1988-89
46.	लुमदिंग	परियोजना	1986-87
47.	नामरूप (एचएफसी)	परियोजना	1982-83
48.	सिबसागर नं. 1 (ओएनजीसी)	परियोजना	1976-77
49.	सिबसागर नं. 2 नाजिरा (ओएनजीसी)	परियोजना	1983-84
50.	सोनई रोड (ओएनजीसी)	परियोजना	1988-89

विवरण IV

31 दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार असम में कार्यात्मक 26 जवाहर नवोदय विद्यालयों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम जहां जवाहर नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं	उच्चतम कक्षा	कुल छात्र नामांकन
1	2	3	4	5
1.	असम	करीमगंज	XII	458
2.		सोनितपुर	XII	473
3.		कामरूप	XII	442
4.		सिबसागर	XII	4492
5.		नलबाडी	XII	275
6.		कचर	XII	471
7.		कोकराझाड	XII	483

1	2	3	4	5
8.		बारपेटा	XII	435
9.		दारंग	XII	492
10.		डिब्रूगढ़	XII	284
11.		जोरहाट	XII	291
12.		गोलाघाट	XII	515
13.		तिनसुकिया	XII	278
14.		काबियांगलोंग	XII	370
15.		मोरीगांव	XII	438
16.		गोलपाड़ा	XI	206
17.		लखीमपुर	XII	425
18.		हेलाकांडी	XII	484
19.		धीमाजी	XII	458
20.		चिरंग	XI	436
21.		नौगांव	VII	80
22.		बोंगईगांव	VII	72
23.		धुबरी	VI	28
24.		बक्सा	VII	77
25.		नार्थ कचर हिल्स	VII	53
26.		उदलगुडी	VII	68
27.		कामरूप अर्बन	संस्वीकृति आदेश जारी किये जा रहे हैं।	
			कुल	8584

बाढ़ राहत हेतु निधियां

824. श्री अनन्त नायक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं योजना के दौरान बाढ़ राहत हेतु निधियां निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निधियों का निर्धारण किस आधार पर किया गया है;

(घ) क्या दसवीं योजना के दौरान बाढ़ राहत निर्धारित पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ङ) बाढ़ सहित अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की

स्थिति में राहत उपलब्ध करवाने के लिए धनराशि आपदा राहत कोष (सीआरएफ) के जरिए उपलब्ध करवाई जाती है जोकि एक गैर-आयोजना कोष है। क्रमिक वित्त आयोगों के एवार्ड के आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के सीआरएफ लेखा में धनराशि की मात्रा आबंटित की जाती है जिसमें भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 3:1 के अनुपात से योगदान दिया जाता है। नीचे दिए गए वर्ष वार ब्यौरों के अनुसार 2005-10 की अवधि के लिए 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों के सीआरएफ में 21333.33 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

वर्ष	राशि करोड़ रुपये में
2005-06	3944.41
2006-07	4097.79
2007-08	4258.85
2008-09	4427.97
2009-10	4604.31
कुल 2005-10	21333.33

वर्ष 2010-15 से अर्थात् पांच वर्षों की आगे की अवधि के लिए विभिन्न राज्यों के सीआरएफ में आबंटन 13वें वित्त आयोग के एवार्ड के आधार पर किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) से सीआरएफ के आबंटन में मदद की जाती है। एनसीसीएफ का गठन 500/- करोड़ रुपए के संग्रह से किया गया है जिसे आकस्मिकता ड्यूटियों के संग्रह से घटा दिया जाता है।

सीआरएफ/एनसीसीएफ की मौजूदा स्कीम के अनुसार राज्यों के सीआरएफ लेखा में खर्च न की गई बकाया राशि, इन स्कीमों के मौजूद रहने के दौरान भारत सरकार के लेखा में नहीं जमा होती।

बाढ़ राहत के लिए कोई अलग आबंटन नहीं किया जाता।

[हिन्दी]

खनिज अनुसंधान केंद्र

825. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खनिज अनुसंधान केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में देश में किए जा रहे खनन कार्य का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक राज्यवार और खनिजवार कितनी मात्रा में खनिजों का उत्खनन किया गया है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, देश में खनिज अनुसंधान केंद्रों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:-

(1) नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनजीआरआई), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

(2) नार्थ-ईस्ट इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नोलाजी (एनईआईएसटी), जोरहट (असम)।

(3) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओशनोग्राफी (एनआईओ), गोवा।

(4) सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ माइनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च (सीआईएमएफआर), धनबाद (झारखंड)।

(5) नेशनल मेटालजीकल लैबोरेटरी (एनएमएल), जमशेदपुर (झारखंड)।

(6) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इंटरडिसिप्लिनेरी साइंस एण्ड टेक्नोलाजी (एनआईआईएसटी), तिरुवनंतपुरम (केरल)।

(7) एडवांस्ड मैटीरिअल्स एण्ड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एएमपीआरआई), भोपाल (मध्य प्रदेश)।

(8) इंस्टीट्यूट आफ मैटीरिअल्स एण्ड मिनरल्स टेक्नोलाजी (आईएमएमटी), भुवनेश्वर (उड़ीसा)।

इसके अतिरिक्त, खान मंत्रालय के अधीन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो के प्रभागों तथा इस्पात मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र द्वारा खनिज सज्जीकरण और प्रक्रमण के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान किया जाता है।

(ख) और (ग) देश में किए जा रहे खनन कार्य और निकाले गए खनिजों की मात्रा का राज्य-वार और खनिजवार ब्यौरा भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), नागपुर द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली खनिज वर्ष पुस्तक में और आईबीएम के प्रकाशनों में

तथा आईबीएम की वेबसाइट www.imb.nic.in पर भी उपलब्ध है।

विदेशों से स्क्रैप का आयात

826. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री काशीराम राणा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में काफी मात्रा में स्क्रैप का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा में स्क्रैप की खरीद की गई;

(ग) देश में ऐसा स्क्रैप लाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में अन्य देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उक्त समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(च) क्या ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरूप होने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों का आकलन किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) विदेश व्यापार नीति की प्रक्रिया पुस्तिका के पैराग्राफ 2.32.2 में निहित उपबंधों के अनुसार देश में धातु स्क्रैप के आयात की अनुमति दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित स्क्रैप की कुल मात्रा विवरण में दी गई है।

(ग) देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में स्थापित प्रसंस्करण इकाइयों की कच्चे माल की जरूरत को पूरा करने के लिए धातु स्क्रैप के आयात की अनुमति प्रदान की जाती है। आयातित स्क्रैप से नये कच्चे माल का एक अपेक्षाकृत सस्ता और अधिक पर्यावरणीय अनुकूल विकल्प उपलब्ध होता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आयात

क्र.सं.	एचएस कोड	वस्तु	मात्रा हजार किग्रा में.			मूल्य लाख रु. में		
			2004-2005	2005-2006	2006-2007	2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	72041000	ढलवां लोहे का अपशिष्ट एवं स्क्रैप	284843.39	267589.75	88005.92	31917.77	32013.61	12027.50
2.	72042190	स्टेनलेस स्टील का अन्य अपशिष्ट एवं स्क्रैप	149092.23	187305.44	282142.38	81163.62	127305.22	281708.07
3.	72042920	हाई स्पीड स्टील का अपशिष्ट एवं स्क्रैप	5470.27	227.16	288.33	706.16	101.05	166.80
4.	72042990	अन्य	101681.63	210401.27	116747.63	11371.82	25440.70	13790.09
5.	72043000	टिन्ड लोहे या स्टील का अपशिष्ट एवं स्क्रैप	167769.17	398869.56	211155.21	21441.77	49809.62	28611.31
6.	72044100	बंडलों में अथवा इनके बिना टर्निंग्स, शेविंग्स, चिप्स, मिलिंग अपशिष्ट, स्वडस्ट, फिलिन्गस, ट्रिमिन्गस एवं स्टैम्पिंग्स	7123.32	6420.18	6672.99	974.21	1388.93	2428.73
7.	72044900	अन्य अपशिष्ट एवं स्क्रैप	2742315.60	3710520.75	2472687.18	327818.31	454416.44	298285.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	72045000	रीमेल्टिंग स्क्रैप धातु पिण्ड	20832.24	3573.43	2451.00	2856.22	445.31	292.75
9.	74040033	ओएसआरसी कोड द्वारा कवर किया गया ब्रास स्क्रैप ड्रिन्क, इबोनी, इनर्व, एल्डर, एन्जेल, इरिन, ग्रेप, शहद, हाथी दांत, लेक्ट, लार्क, मेलन, नाइट, नोबल, ईटीसी	44055.32	85103.48	72451.35	31418.25	75038.27	133830.61
10.	75030010	आईएसआरआई कोड द्वारा कवर किया गया निकल स्क्रैप, सुगंध, बास्ती डांडी, डांट, डेल्टा, डेकोय, डेप्थ, मेब, मेजर, मल्लर, मैलिक, नैगो, नीस, हिच ईटीसी	348.00	478.76	1981.32	177.92	269.25	4839.63
11.	76020010	आईएसआरआई कोड द्वारा कवर किया गया एल्यूमिनीयम स्क्रैप, टेबलेट, डेबलायड, टैबु, टैन/टेबर, टेक, टालैप, डालक्रिड, टालडैक, टाल्डान, टालडोर्क, टेलेन्ट आदि	133709.17	226963.64	241141.30	63301.44	113921.92	207257.23
12.	79020010	आईएसआरआई कोड द्वारा कवर किया गया जिंक स्क्रैप, सेप्ज, स्कैब, स्कोप, स्कूट, स्कोर, स्क्रीन, स्कल, स्काईब, स्क्रब सील, सीम, शेल्फ	38655.13	95119.71	48454.38	10459.48	28198.23	34638.01
13.	80020010	आईएसआरआई कोड द्वारा कवर की गई टिन स्क्रैप रंच, रेवसैंड, रैक्स	189.28	275.00	140.00	131.05	84.64	400.63
14.	81042010	आईएसआरआई कोड द्वारा कवर किया गया मैग्नीशियम स्क्रैप वेफर अखरोट, शराब, लकड़ी एवं वर्ल्ड	79.52	336.09	269.85	29.59	204.20	141.61
		कुल	3696164.27	5193184.22	3544588.84	583767.61	908637.39	1018418.57

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

कृषि एवं ग्रामोद्योगों का उत्पादन

827. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कुल औद्योगिक उत्पादन में कृषि एवं ग्रामोद्योगों की हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) क्या कृषि एवं ग्रामोद्योगों का उत्पादन घटा है; और

(ग) यदि हां, तो कृषि एवं ग्रामोद्योगों का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के क्षेत्राधिकार के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग (केवीआई) उत्पादों के मूल्य और देश में रिपोर्ट किए गए कुल औद्योगिक उत्पादन का ब्यौरा निम्नोक्त है:

(करोड़ रु.)

वर्ष	कुल औद्योगिक उत्पादन का मूल्य*	केवीआई उत्पादों के उत्पादन का मूल्य	कुल औद्योगिक उत्पादन के मूल्य के प्रतिशत के संबंध में केवीआई उत्पादों के उत्पादन के मूल्य का भाग
2004-05	598674	10920	1.82 प्रतिशत
2005-06	676207	12383	1.83 प्रतिशत
2006-07	784883	14028	1.82 प्रतिशत

*स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2006-07

2007-08 (जनवरी 2008 तक) के दौरान केवीआई क्षेत्र के तहत उत्पादन का मूल्य 12,054.75 करोड़ रु. था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

चाय उत्पादन

828. श्री रामदास आठवले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक राज्य-वार कुल कितनी मात्रा में चाय का उत्पादन हुआ; और

(ख) देश में चाय उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक उत्पादित चाय की राज्यवार मात्रा निम्नानुसार है:-

(आंकड़े मिलियन किग्रा. में)

राज्य/जिले	2005	2006(अ)	2007(अ)
असम	487.49	483.65	479.92
पश्चिम बंगाल	217.55	233.29	231.44
त्रिपुरा	7.52	7.18	7.31
अरुणाचल प्रदेश	2.62	2.20	2.52
मणिपुर	0.11	0.11	0.12
सिक्किम	0.16	0.15	0.16
नागालैंड	0.19	0.17	0.19
मेघालय	0.10	0.10	0.12
मिजोरम	0.07	0.07	0.08
अन्य उत्तर भारतीय राज्य (बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं उड़ीसा सहित)	2.61	2.70	2.83
कुल उत्तर भारत	718.42	729.62	724.69
तमिलनाडु	158.84	152.27	153.13
केरल	63.34	68.76	61.83
कर्नाटक	5.37	5.26	5.03
कुल दक्षिण भारत	227.55	226.29	219.99
कुल योग	945.97	955.91	944.68

(अ) अनुमानित एवं संशोधन के अध्यधीन

(ख) देश में उत्पादित चाय की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं विपणनीयता में वृद्धि हेतु चार्य बोर्ड द्वारा अनेक विकासात्मक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। पुन:रोपण, नवीकरण, सिंचाई सुविधाओं के सृजन आदि जैसे विभिन्न बागान विकास कार्यकलापों के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। देश में उत्पादित चाय की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से चाय बोर्ड द्वारा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है जिससे चाय का निर्यात बढ़ाने और बेहतर कीमतें प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। चाय बोर्ड अपनी योजना स्कीमों के माध्यम से शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में चाय बागान में कार्यरत कामगारों और उनके आश्रितों के लिए कार्यान्वित कुछेक कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

आतंकवाद के कारण मंदिरों का नष्ट होना

829. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान आतंकवाद के कारण देश में विशेषकर जम्मू व कश्मीर में कुल कितने हिन्दू मंदिर नष्ट हो गए;

(ख) क्या सरकार ने विनष्ट हुए इन मंदिरों के पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने मंदिरों का पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार किया जा चुका है;

(घ) क्या जम्मू व कश्मीर में मंदिर-भूमियों की बलपूर्वक सौदेबाजी की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा जम्मू व कश्मीर में हिन्दू मंदिरों की रक्षा करने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) भारत के संविधान के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय होने के कारण, कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों के आंकड़े अनुरक्षित करना राज्यों का मुख्य दायित्व है। देश में आतंकवाद के कारण विनष्ट हुए हिंदू मंदिरों की संख्या संबंधी आकंड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते। तथापि, राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार विगत दस वर्षों के दौरान आतंकवाद के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य में ऐसे 97 मंदिर विनष्ट हुए हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, जम्मू और कश्मीर में विगत 10 वर्षों के दौरान विनष्ट हुए मंदिरों में से 11 मंदिरों का नवीकरण/मरम्मत करा दी गई है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

बाल संसद

830. श्री एम. अप्पादुरई: क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार को चिल्ड्रेन पार्लियामेंट (बाल संसद) संचालित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु ऐसा कार्यक्रम संचालित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हांडिक): (क) से (घ) हाल के समय में इस विषय पर कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, विद्यार्थी समुदाय के मन में लोकतांत्रिक मूल्यों को बैठाने और संसदीय संस्थाओं के कार्यचालन से अवगत कराने के उद्देश्य से 'युवा संसद प्रतियोगिता' की 4 योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये हैं, 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता योजना'; 'केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना'; 'जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना'; और 'विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना'। उपरोक्त चार योजनाओं के अतिरिक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने शिक्षण संस्थानों में इसी प्रकार की 'युवा संसद प्रतियोगिताएं' चलाने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ङ) चालू वर्ष के लिए बजट में युवा संसद योजना को आयोजित करने के लिए अलग से कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, वर्ष 2007-08 के लिए 'अन्य प्रभार' शीर्ष के अंतर्गत 30 लाख रुपए की सीमा तक की धनराशि की व्यवस्था की गई है। युवा संसद योजनाओं पर खर्च इसी शीर्ष में से किया जाता है।

खनन लाइसेंस

831. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा दिए गए खनन लाइसेंसों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे खनन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनका निरीक्षण यह सत्यापित करने के लिए किया गया है कि वे पर्यावरणीय मानदंडों का पालन कर रहे हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) राज्य सरकारें खनिजों की मालिक हैं तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार खनिज रियायतें प्रदान करती हैं। अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध खनिजों के लिए खनिज रियायत प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकारों को खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संसूचित किए गए पूर्व अनुमोदनों का राज्य-वार ब्यौरा खान मंत्रालय की वेबसाइट: (http:/mines.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा निरीक्षित खानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	निरीक्षित खानों की संख्या
2005-06	1808
2006-07	1575
2007-08 (फरवरी, 2008 तक)	959

मसाला पार्क

832. प्रो. एम. रामदास:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मसाला बोर्ड देश के विभिन्न भागों में मसाला पार्कों (स्पाइस पार्क्स) की स्थापना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां इन पार्कों की स्थापना किए जाने की संभावना है;

(ग) इन पार्कों पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) मसालों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में ऐसे पार्कों को स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने 995 लाख रुपए की कुल अनुमानित लागत से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक मसाला पार्क को अनुमोदित किया है और 62.32 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से 11वीं योजना अवधि के दौरान ऐसी छह अन्य सुविधाओं का प्रस्ताव किया गया है। केरल में इडुक्की जिले, तमिलनाडु में इरोड/शिवगंगा, आंध्र प्रदेश में गुण्टूर, उत्तर प्रदेश में एक, राजस्थान में झालवाड़ जिले तथा गुजरात में मेहसाना जिले में इन पार्कों का प्रस्ताव है।

(घ) अन्य राज्यों में इस स्कीम का विस्तार प्रस्तावित पार्कों के निष्पादन पर निर्भर करेगा।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

833. श्री एल. राजगोपाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक स्वीकृत किए गए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा इन स्वीकृत विद्यालयों में से ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है जो चालू हो गए हैं;

(ख) इन विद्यालयों को चालू करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन विद्यालयों को राज्यवार कितना आबंटन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) भारत सरकार ने अब तक 2180 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को संस्वीकृति प्रदान की है और 31 जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार देश में 1724 (80%) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्य कर रहे हैं। विद्यालयों को कार्यात्मक बनाने में विलंब के मुख्य कारणों में से एक कुछ राज्यों में स्कूलों के निर्माण हेतु भूमि की अनुपलब्धता तथा अदालती मामले हैं। भारत सरकार इस योजना के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करती है। दिनांक 31 जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत/कार्यरत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और तीन वर्षों के दौरान जारी निधियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

दिनांक 31 जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत/कार्यरत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और तीन वर्षों के दौरान जारी निधियों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की कुल संख्या	कार्यरत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या	2004-05 में भारत सरकार द्वारा जारी निधियां	2005-06 में भारत सरकार द्वारा जारी निधियां	2006-07 में भारत सरकार द्वारा जारी निधियां
1.	आंध्र प्रदेश	342	223	1823.77	2679.73	2535.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	25	25	210.74	258.29	73.13
3.	असम	15	15	0.00	350.10	0.00
4.	बिहार	350	208	4.00	2794.69	2330.44
5.	छत्तीसगढ़	84	84	810.33	766.77	473.44
6.	दादर और नगर हवेली	1	0	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	52	51	497.03	326.76	127.50
8.	हरियाणा	9	9	0.00	182.18	36.56
9.	हिमाचल प्रदेश	10	9	192.47	0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	51	13	4.33	186.25	0.00
11.	झारखंड	187	187	4.00	4083.03	390.00
12.	कर्नाटक	61	61	845.47	1584.17	0.00
13.	मध्य प्रदेश	185	185	700.81	1769.32	975.00
14.	महाराष्ट्र	36	16	527.61	0.00	109.69
15.	मणिपुर	1	1	0.00	0.00	33.98
16.	मिजोरम	1	1	0.00	33.98	0.00
17.	मेघालय	1	1	13.32	12.47	5.94
18.	उड़ीसा	114	114	884.02	2114.09	0.00
19.	पंजाब	2	2	32.55	14.70	0.00
20.	राजस्थान	186	186	350.65	1272.29	1689.38
21.	तमिलनाडु	53	53	644.39	0.00	706.30
22.	त्रिपुरा	7	7	32.54	131.40	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	323	205	676.03	3768.59	1608.75
24.	उत्तराखंड	25	22	291.11	0.00	180.00
25.	पश्चिम बंगाल	59	46	711.43	34.08	357.94
	कुल	2180	1724	9256.60	22362.89	11633.05

गेहूं का आयात

834. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष काफी मात्रा में गेहूं का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितने मूल्य के और कितनी मात्रा में देश में गेहूं का आयात किया गया; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान गेहूं के आयात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसका अनुमानित मूल्य क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 (अप्रैल से अक्तूबर) के दौरान आयातित गेहूं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
2005-06	-	-
2006-07	6079555	5850.49
2007-08 (अप्रैल से अक्तूबर) (अनंतिम)	371234	477.11

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

(ग) चालू वर्ष में गेहूं के आयात हेतु वाणिज्य विभाग द्वारा कोई लक्ष्य अथवा अनुमानित कीमत निर्धारित नहीं की गई है।

भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन

835. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और यूरोपीय संघ (ई.यू.) ने 30 नवम्बर, 2007 को हुए भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में आपसी संबंधों को मजबूत बाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त कार्य-योजना पर व्यापक समीक्षा और व्यापार एवं निवेश को और अधिक बढ़ाने पर चर्चा की गयी;

(ग) यदि हां, तो इस शिखर सम्मेलन का निष्कर्ष क्या रहा;

(घ) इस शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन समझौतों के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) 8वां भारत-ईयू वार्षिक सम्मेलन 30 नवंबर, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दोनों पक्षों ने सामरिक भागीदारी और अधिक मजबूत बनाने के लिए पारस्परिक हितों के विभिन्न द्विपक्षीय एवं वैश्विक मामलों पर विचार-विमर्श किया। दोनों पक्ष पहले, वर्ष 2004 में सामरिक भागीदारी पर सहमत हुए थे एवं इसको कार्यान्वित करने हेतु वर्ष 2005 में उन्होंने संयुक्त कार्य योजना को अंगीकार किया था। सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों ने संयुक्त कार्य योजना की समीक्षा की एवं इसके कार्यान्वयन की प्रगति का स्वागत किया तथा और इस विषय में आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। संयुक्त कार्य योजना का समग्र मूल्यांकन वर्ष 2008 में किया जाएगा। भारत-ईयू व्यापार एवं निवेश समझौते पर पहले कुछ दौर की वार्ता में हुई प्रगति का दोनों पक्षों ने स्वागत किया एवं वार्ताओं को और अधिक बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस सम्मेलन में, विकासात्मक सहयोग के क्षेत्र में "मल्टी अनुअल इंडिकेटिव प्रोग्राम 2007-2010" पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए तथा "एग्रीमेंट फार साइंटिफिक एंड टेक्नोलाजिकल कोआपरेशन" का नवीकरण किया गया। सम्मेलन में एक संयुक्त वक्तव्य में एक संयुक्त कार्य योजना कार्यान्वयन रिपोर्ट जारी की गई।

तट सुरक्षा योजना

836. श्री हरिन पाठक: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तट सुरक्षा योजना के संबंध में गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा हेतु अतिरिक्त 39 तट पुलिस केन्द्रों का उन्नयन करने के लिए कोई संशोधित प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत ऊंट पेट्रोलिंग प्रणाली, निगरानी टावर इत्यादि हेतु भी स्वीकृति दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या समुचित बोटों (नावों) की कमी की वजह से तटरक्षक/बी.एस.एफ. स्कंध की पेट्रोलिंग के तहत समुचित रूप से जखाउ और छाद के बीच संवेदनशील क्षेत्र नहीं आ पाते हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(झ) सरकार द्वारा तट सुरक्षा योजना के लिए राज्य-वार कुल कितनी निधियां मुहैया करायी गयी हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी हां, श्रीमान। सभी संबंधित एजेंसियों और गुजरात सहित सभी 9 तटीय राज्यों एवं 4 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करने के पश्चात "राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार करने" संबंधी मंत्री दल की सिफारिशों के आधार पर एक व्यापक तटीय सुरक्षा योजना बनाई गई थी।

(ख) गुजरात राज्य सरकार ने प्रस्तावों के आधार पर तटीय सुरक्षा योजना में गुजरात के लिए 10 तटीय पुलिस थानों, 20 जीपों, 101 मोटर साइकिलों, 25 जांच चौकियों, 46 बाह्य चौकियों, 12 टन की 20 नावों और 5 टन की 10 नावों का प्रावधान किया है। यह एक अनुमोदित योजना है।

(ग) जी हां, श्रीमान। मौजूदा 40 पुलिस थानों का उन्नयन करने के लिए वर्ष 2006-07 में एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(घ) इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि चल रही तटीय सुरक्षा योजना पांच वर्ष के लिए मंजूर की गई थी और ऐसे किसी प्रस्ताव पर इसकी पुनरीक्षा के बाद ही विचार किया जा सकता है।

(ङ) और (च) जी नहीं।

(छ) और (ज) जी नहीं। भारतीय तटरक्षक सर क्रीक और जखाऊ के बीच जहाजों एवं एयरक्राफ्टों को तैनात कर रही है। यह तट के किनारे जखाऊ एवं सर क्रीक के बीच संवेदनशील क्षेत्रों की गश्त करने के लिए होवर क्राफ्ट एवं इण्टरसेप्टर्स की तैनाती कर रही है। सी.सु.ब. भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध जलयानों एवं अन्य जहाजों से अपने अधिकार में आने वाले क्षेत्रों को मानव शक्ति मुहैया करा रहा है।

(झ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

तटीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत कुल प्रदत्त निधियों का ब्यौरा (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित परिव्यय (लाख रुपयों में)
1.	गुजरात	5842.60
2.	महाराष्ट्र	4092.60
3.	गोवा	1653.50
4.	कर्नाटक	2711.90
5.	केरल	4356.00
6.	तमिलनाडु	4408.00
7.	आंध्र प्रदेश	3267.00
8.	उड़ीसा	2722.50
9.	पश्चिम बंगाल	3353.40
9ए.	उप जोड़ (राज्य)	32407.50
10.	पुडुचेरी	544.50
11.	लक्षद्वीप	936.80
12.	दमण और दीव	668.35
13.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2604.00
13.ए.	उप जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	4753.65
	कुल योग - (9ए+13ए)	37161.15

खादी बुनकर

837. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी विनिर्माण में लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों के कताई करने वाले व्यक्तियों तथा बुनकरों का रोजगार छिन गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) खादी क्षेत्र में कार्यरत किसी भी कताई करने वालों और बुनकरों का रोजगार नहीं छिना है जैसे कि 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान खादी क्षेत्र में कार्यरत कताई करने वाले व्यक्तियों और बुनकरों की निम्नोक्त दी गई संख्या से पता चलता है:

वर्ष	कताई करने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाख व्यक्ति)	बुनकरों की संख्या (लाख व्यक्ति)
2003-04	1.01	6.84
2004-05	1.01	6.87
2005-06	1.01	6.90
2006-07	1.03	7.01

विगत तीन वर्षों के दौरान खादी के तहत कताई करने वालों और बुनकरों के सम्पूर्ण रोजगार में सीमांत वृद्धि दर्ज हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकों की कम आपूर्ति

838. श्री मदन लाल शर्मा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्य पुस्तकों की कम आपूर्ति के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित कुछ पाठ्य पुस्तकें अगस्त, 2007 तक एन.सी.ई.आर.टी. के पास उपलब्ध नहीं थीं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने विलंब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) पुस्तकों का प्रकाशन समय पर कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने शैक्षिक सत्र 2006-07 में कक्षा-1, 3, 4, 9 और 11 की तथा शैक्षिक सत्र 2007-08 में कक्षा 2, 4, 7, 10 और 12 की नई पाठ्यपुस्तकें तैयार की थीं। कक्षा-10 और 12 की अधिकांश पाठ्यपुस्तकें पर्याप्त संख्या में अप्रैल, 2007 तक प्रकाशित कर दी गई थी। शेष कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का पुन:मुद्रित संस्करण भी बाजार में उपलब्ध कराया गया था। शैक्षिक सत्र 2007-08 के दौरान 222 पाठ्यपुस्तकों की कुल 4,88,30,000 प्रतियां मुद्रित की गई थीं।

(ग) से (ङ) शैक्षिक सत्र 2007-08 शुरू होने पर ही कक्षा-12 की अधिकांश पुस्तकें उपलब्ध थीं। निम्नलिखित दो पुस्तकों के मामले में दिनांक 3 अगस्त, 2007 से इनकी मुद्रित प्रतियां उपलब्ध करायी गई थीं:-

(1) द् थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, भाग-3, कक्षा-12

(2) भारतीय इतिहास के कुछ अंश, भाग-3, कक्षा-12

इतिहास की पाठ्यपुस्तक का भाग-3 केवल भाग-1 और भाग-2 पूरा होने के बाद ही आवश्यक था जो विद्यार्थियों को यथा-समय उपलब्ध कराया गया था।

(च) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गुणवत्ता पहलुओं के अनुपालन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भी यथा-समय पाठ्यपुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पर्याप्त संख्या में पाठ्यपुस्तकें मुद्रित करने का आदेश दिया है। पाठ्यपुस्तकों को संवितरित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का पूरे देश में थोक अभिकर्ताओं का व्यापक नेटवर्क है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता और गुवाहाटी के बिक्री केन्द्रों पर भी पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकें इसकी वेब साइट-www.ncert.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

बाढ़ नियंत्रण के लिए एन.डी.एम.ए. योजना

839. श्री निखिल कुमार:
डा. अरूण कुमार शर्मा:
श्री जुएल ओराम:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देश में बाढ़ नियंत्रण सहित विभिन्न आपदाओं के प्रबंध के लिए एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में प्रतिष्ठापित किए गए बाढ़ पूर्वानुमान तथा चेतावनी प्रणालियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आपदाओं तथा बाढ़ प्रबंध के लिए योजना एवं रणनीतियों के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का भी आकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) स्थापित किए गए आपदा प्रबंध संस्थानों तथा उनके द्वारा किए गए कार्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने देश में बाढ़ सहित आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर मार्गदर्शी निर्देश जारी किए हैं:-

(1) रासायनिक (औद्योगिक) आपदा का प्रबंधन

(2) भूकम्प आना

(3) चिकित्सा तैयारी और मास कैजुअल्टी प्रबंधन

(4) बाढ़ प्रबंधन

(5) राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) देश के 175 स्थानों के लिए बाढ़ की भविष्यवाणी जारी करता है। बेसिन और इस भविष्यवाणी स्थलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के भी आगरा, अहमदाबाद, आसनसोल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जलपाईगुड़ी, लखनऊ, पटना और नई दिल्ली में 10 बाढ़ मौसम विज्ञान कार्यालय (एफएमओ) है जो बाढ़ मौसम के दौरान केन्द्रीय बाढ़ पूर्वानुमान प्रभाग (सीएफएफडी) के साथ सघन समन्वय से कार्य करता है। इसके अतिरिक्त आईएमडी नैमित्तिक के रूप में प्रचालनात्मक आधार पर उप-बेसिन वार परिणात्मक वृष्टि भविष्यवाणी करता है।

(घ) और (ङ) नदी के बहाव पर मौसम परिवर्तन के प्रभाव और सम्भावित बाढ़ का विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है और इस कारण बाढ़ प्रबंधन के विभिन्न उपायों की योजना बनाते समय उसकी गणना करना सम्भव नहीं है।

(च) सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनआईडीएम) की स्थापना की। इस संस्थान ने विभिन्न सेक्टरों/लक्ष्य समूहों के लिए कुल 38 कोर्स डिजायन प्रीफ्स तैयार किए हैं। इसने अक्टूबर 2003 में अपनी शुरुआत से आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर कुल 137 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 3185 लोगों ने भाग लिया। एनआईडीएम ने अक्तूबर 2006 से आन लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। इन पाठ्यक्रमों में कुल 874 व्यक्तियों ने भाग लिया। एनआईडीएम कार्यशालाएं/सम्मेलन भी आयोजित करता है और इसने आपदा प्रबंधन के एक या अधिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के साथ नेटवर्किंग व्यवस्था एवं सहयोग किया है। इसके अतिरिक्त एनआईडीएम अनुसंधान एवं प्रलेखन कार्य भी करता है।

विवरण

केन्द्रीय जल आयोग की मौजूदा बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों का वितरण

क्र.सं.	नदी प्रणाली का नाम	बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों की संख्या		
		स्तर	इनफ्लो	कुल
1	2	3	4	5
(क) बेसिन-वार वितरण				
1.	गंगा एवं उसकी सहायक नदियां	77	10	87
2.	ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियां	27	–	27

1	2	3	4	5
3.	बराक-प्रणाली	05	–	05
4.	पूर्वी-नदिया	08	01	09
5.	महानदी	03	01	04
6.	गोदावरी	14	04	18
7.	कृष्णा	03	06	09
8.	पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	09	06	15
9.	पेन्नार	01	–	01
	कुल	147	28	175
(ख) राज्य-वार वितरण				
1.	आंध्र प्रदेश	09	07	16
2.	असम	24	0	24
3.	बिहार	32	0	32
4.	छत्तीसगढ़	01	0	01
5.	गुजरात	06	05	11
6.	हरियाणा	0	01	01
7.	झारखंड	01	04	05
8.	कर्नाटक	01	03	04
9.	मध्य प्रदेश	02	01	03
10.	महाराष्ट्र	07	02	09
11.	उड़ीसा	11	01	12
12.	त्रिपुरा	02	0	02
13.	उत्तर प्रदेश	34	01	35
14.	उत्तराखंड	03	0	03
15.	पश्चिम बंगाल	11	03	14
16.	दादरा और नगर हवेली	01	0	01
17.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	02	0	02
	कुल	147	28	175

अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति

840. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं कक्षा तक के अल्पसंख्यक बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्कूलों में अध्ययन कर रहे अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्यारहवीं योजना के लिए इस संबंध में स्वीकृत निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों को भी इस संबंध में व्यय का वहन करना पड़ता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां। केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों के कक्षा 1 से 10 तक के पात्र विद्यार्थियों के पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तैयार की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 1868.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ङ) और (च) इस स्कीम को केन्द्र और राज्यों के मध्य 75:25 के अनुपात में निधियन हिस्सेदारी से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

खनन क्षेत्र में कनाडा के साथ सहयोग

841. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनन क्षेत्र में भारतीय तथा कनाडाई सरकार के बीच सहयोग के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कनाडा के आर्थिक विकास मंत्री से वार्ता की है; और

(घ) यदि हां, तो विचार-विमर्श किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) खान मंत्रालय, भारत सरकार और डिपार्टमेन्ट आफ नेचुरल रिर्सोसेज, कनाडा (एनआरकेन) ने भूमि विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर 1 अप्रैल, 2003 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। एमओयू में भारत और कनाडा के बीच भूमि विज्ञान में सहयोग के लिए एक रूपरेखा निर्धारित की गई है। सहयोग के लिए पहचान किए क्षेत्रों में पर्यावरणीय भूविज्ञान तथा भू-आपदा, आर्थिक भूविज्ञान, भूवैज्ञानिक मानचित्रण, हाइड्रोकार्बन बेसिन विश्लेषण, समुद्री तथा तटवर्ती भूविज्ञान, गवेषण भूरसायन एवं भूभौतिकी, भूविज्ञान सूचना प्रणाली तथा दूरसंवेदी और कार्टोग्राफी सहित डाटा एकीकरण शामिल है।

(ग) और (घ) इकोनामिक डेवलपमेंट एण्ड ट्रेड, आनटारियों प्रोविन्स, कनाडा के मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 11 जनवरी, 2008 को नई दिल्ली में भारतीय खान राज्य मंत्री के साथ खनन संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा में अन्य बातों के साथ-साथ गवेषण तथा खनन के लिए प्रौद्योगिकी का अंतरण, भूविदों का प्रशिक्षण आदि मुद्दे शामिल थे।

कर्नाटक में नए टेलीविजन चैनल

842. श्री एम. शिवन्ना: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य अपने पड़ोसी दक्षिणी राज्यों की तुलना में नए एवं मनोरंजन टेलीविजन चैनलों में काफी पीछे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य में कन्नड़ चैनल सहित नए टी.वी. चैनलों को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, प्रसार भारती ने सूचित किया है कि अन्य दक्षिणी राज्यों की भांति, दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर में भी "चंदना" नामक 24 घंटे का एक उपग्रह चैनल है जो मनोरंजन कार्यक्रमों के अतिरिक्त छह समाचार बुलेटिन भी प्रसारित करता है। दूरदर्शन न्यूज, जो कि एक स्थानीय समाचार चैनल है, का प्रसारण भी डीडी-1 के साथ-साथ किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात संवर्धन परिषद

843. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) ने विशिष्ट क्षेत्रों में बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक संदर्श योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकृत सभी निर्यातकों के अनुपालनार्थ एक आचार-संहिता निम्नलिखित मानदण्डों के साथ तैयार की गयी है:-

(1) सभी करघे परिषद के पास पंजीकृत होने चाहिएं;

(2) केवल उन्हीं पंजीकृत करघों पर बुने गये कालीनों का निर्यात किया जा सकता है जिन्होंने बाल श्रम का उपयोग न करने की वचनबद्धता की है।

प्रबंधन अध्ययन अकादमी, लखनऊ जो अनुसंधान आधारित व्यावसायिक संगठन है, को कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अवैध बाल श्रम की घटनाओं का पता लगाने के लिए यादृच्छिक निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। ऐसी घटनाओं की विधिवत जानकारी कानूनी कार्यवाही के लिए जिला प्राधिकारियों को दी जाती है। यदि निर्धारित संहिता के किसी उल्लंघन की पुष्टि हो जाती है, तो परिषद द्वारा करघों के पंजीकरण की समाप्ति तथा निर्यातकों को काली सूची में डाला जाना सुनिश्चित किया जाता है।

सोडा ऐश का आयात

844. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात शुल्क में कमी के कारण सोडा ऐश का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो सोडा ऐश के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने तथा देश में सोडा ऐश के घरेलू विनिर्माताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) लागू सीमाशुल्क के भुगतान के अध्यधीन सोडा ऐश का आयात मुक्त है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सोडा ऐश का कुल आयात निम्नानुसार है:-

(मात्रा मी. टन में)

2004-05	1,87,501.83
2005-06	6,52,756.32
2006-07	2,60,386.37
अप्रैल-जून, 2006	76,759.00
अप्रैल-जून, 2007	51,922.00

टैरिफ मद 28362090 के तहत वर्गीकृत किए जाने योग्य सोडा ऐश के आयात पर आधारभूत सीमाशुल्क को वर्ष 2007-08 में 12.5 प्रतिशत से घटा कर 7.5 प्रतिशत किया गया था।

सोडा ऐश का विनिर्माण लाइसेंस मुक्त है और इस उद्योग में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार देश में सोडा ऐश के छह विनिर्माता हैं जिनकी कुल संस्थापित क्षमता 26,51,000 मी. टन है। वर्ष 2006-07 में सोडा ऐश का घरेलू उत्पादन 20,78,057 मी. टन था।

जैवप्रौद्योगिकी के लिए विनियामक प्राधिकरण

845. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जैवप्रौद्योगिकी में घटनाक्रम के अभिशासन के लिए इस खंड हेतु एक विनियामक प्राधिकरण का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। सरकार राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण को स्थापित किए जाने पर विचार कर रही है।

(ख) और (ग) यह प्राधिकरण एक आत्मनिर्भर, स्वायत्तशासी और व्यावसायिक रूप से अग्रसित निकाय के रूप में आनुवंशिक रूप से आशोधित उत्पादों और प्रक्रियाओं की जैवसंरक्षा निकासी के लिए एकल खिड़की प्रक्रिया प्रदान किए जाने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। फिर भी, विद्यमान प्रक्रियाओं को पूर्ण पक्ष युक्त निकाय, अपेक्षित आधारिक संरचना और पूरी तरह से कार्यात्मक स्वशासित सृजित किए जाने तक प्रयास किए जाते रहेंगे। संगठन के विवरण, कार्यक्षेत्र, सूचना के क्रमबद्ध रूप से प्रवाह, कार्यपारदर्शिता, प्रशिक्षण और नियामक व्यावसायिकताओं के पुनर्प्रशिक्षण, अपेक्षित विधायी स्वरूप का वर्तमान रूप में कार्य किया जा रहा है।

काजू निर्यात संवर्धन परिषद

846. श्री पी.सी. थामस: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काजू निर्यात संवर्धन परिषद कोच्ची स्थित अपने मुख्यालय में कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यालय को अन्य स्थान पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस कार्यालय का स्थान परिवर्तित करने का कड़ा विरोध किया जा रहा है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) ने अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में पारित संकल्प के आधार पर काजू के लिए कोल्लम "निर्यात उत्कृष्टता का नगर" होने के कारण अपना कार्यालय कोच्चि से कोल्लम स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।

(घ) वाणिज्य विभाग को सीईपीसी के निर्णय के विरोध में विभिन्न व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। स्थानांतरण के विरोध में दिए गए प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:—

(1) केरल की वाणिज्यिक राजधानी के बीच स्थित (विमानपत्तन/समुद्रीपत्तन आदि के निकट) कार्यालय को दूर स्थित अल्पविकसित स्थान पर स्थानांतरित करना वांछनीय नहीं है।

(2) इसका मंतव्य कोच्चि स्थित परिषद की ऊंची कीमत वाली सम्पत्ति की बिक्री करना हो सकता है।

(3) कोल्लम में "काजू भवन" का निर्माण सीईपीसी की प्रयोगशाला हेतु आशयित था। सीईपीसी कार्यालय को वहां स्थानांतरित करना इसके मंतव्य पर संदेह उत्पन्न करता है।

(4) ऐसे स्थानांतरण से सीईपीसी के कर्मचारियों के सम्मुख कठिनाइयां आएंगी।

सरकार ने कार्यालय को वास्तविक रूप से स्थानांतरित करने से पूर्व इन बातों पर विचार करने के लिए सीईपीसी को निर्देश दिया है।

विशेष बी.एड. कालेज

847. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मानसिक विकलांग, अधरांगघात ग्रस्त व्यक्तियों आदि को सशक्त बनाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु देश में विशेष बी.एड. कालेजों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश भर में विशेष बी.एड. कालेजों की संख्या काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में ऐसे और कालेजों को खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत भारतीय पुनर्वास परिषद जिसे पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्मिकों तथा व्यावसायिकों के प्रशिक्षण को मानकीकृत तथा विनियमित करने की दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ने बी.एड. (विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अब तक 215 कालेजों/संस्थानों को मान्यता प्रदान की है, जिनकी राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है। प्रशिक्षित संसाधन शिक्षकों की जरूरत को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद ने दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की है तथा प्रशिक्षण की प्रक्रिया को कारगर बनाने तथा जनशक्ति पूल के सृजन हेतु विकलांगता पुनर्वास को समर्पित एक चैनल भी शुरू किया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विशेष बी.एड. कालेजों की संख्या	
		नियमित	दूरस्थ
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	13	10
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
4.	असम	–	2
5.	बिहार	2	2
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1	–
7.	छत्तीसगढ़	1	1
8.	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	–	–
9.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	–	–
10.	दिल्ली	8	10
11.	गोवा	1	–
12.	गुजरात	5	16
13.	हरियाणा	2	1
14.	हिमाचल प्रदेश	–	–
15.	जम्मू-कश्मीर	2	1
16.	झारखंड	–	1
17.	कर्नाटक	12	3
18.	केरल	8	4
19.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	–	–
20.	मध्य प्रदेश	–	4
21.	महाराष्ट्र	13	3
22.	मणिपुर	–	–
23.	मेघालय	–	5
24.	मिजोरम	–	–
25.	नागालैंड	–	–
26.	उड़ीसा	5	3
27.	पुडुचेरी	1	–
28.	पंजाब	1	2
29.	राजस्थान	2	1
30.	सिक्किम	–	–
31.	तमिलनाडु	15	10
32.	त्रिपुरा	–	–
33.	उत्तर प्रदेश	3	13
34.	उत्तराखंड	1	2
35.	पश्चिम बंगाल	7	17
	कुल	103	112

विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना

848. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रतिष्ठित संस्थानों से मेधावी छात्रों को आकर्षित कर बुनियादी अनुसंधान के क्षेत्रों में आई.टी. तेजी (बूम) के अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या पूर्वोपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा शुरू किया गया बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बुनियादी विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) उच्चतर माध्यमिक स्तर के पश्चात् बुनियादी विज्ञान का विकल्प चुनने वाले छात्रों की कम होती संख्या को रोकने के लिए विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) भारत सरकार ने अपनी ओर से विश्वविद्यालयों और अन्य उत्कृष्टता के वैज्ञानिक संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान के पुनरोद्धार तथा संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं। वैज्ञानिक विभागों के योजना आबंटन को 9वीं योजना में लगभग 12000 करोड़ रु. से दुगुना कर 10वीं योजना में लगभग 25000 करोड़ रु. कर दिया गया है और 11वीं योजना में इसमें और पर्याप्त वृद्धि किए जाने की योजना है। डीएसटी का अनुसंधान अवसंरचना कार्यक्रम विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रयोगशाला अवसंरचना को स्तरोन्नत करने के लिए एक लक्षित कार्यक्रम है। उभरते हुए तथा अग्रणी क्षेत्रों में कई संस्थानों, उत्कृष्टता के केन्द्रों एवं सुविधाओं की भी स्थापना की गई है; उदाहरण के लिए, मस्तिष्क अनुसंधान, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, स्टेम सेल एवं ऊतक इंजीनियरी, साफ्ट कंप्यूटिंग, जल संसाधन विकास, नैनोफास्फोरस, डिस्प्ले टैक्नोलोजी, ईंधन सेल प्रौद्योगिकी, अल्ट्राफास्ट प्रक्रियाएं, प्रोटीन अनुसंधान आदि के क्षेत्रों में। अभी हाल में तीन नए भारतीय विज्ञान शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) कोलकाता, पुणे और चंडीगढ़ में स्थापित किए गए हैं जो अग्रणी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक अनुसंधान के संचालन के अलावा बहुविधयात्मक और शैक्षिक रूप से नमनीय तथा शोध उन्मुखी परिवेश में एमएससी कार्यक्रम भी प्रदान करेंगे। मालीक्यूलर पदार्थ, हिमनद विज्ञान, कैंसर अनुसंधान, नैनो प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की भी योजना है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन का विकास और सम्पोषण हमेशा से सरकार की कार्यसूची में शीर्ष पर रहा है। शोधार्थियों को आकर्षित करने के लिए अनेक स्कीमें प्रारम्भ की गई हैं, नामत:, युवा वैज्ञानिक/महिला वैज्ञानिक अध्येतावृत्ति; स्वर्णजयंती अध्येतावृत्ति, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्ति, कार्यशील वैज्ञानिकों के लिए के.एस. कृष्णन अध्यातवृत्तियां और जे.सी. बोस एवं रामानुजम अध्येतावृत्तियां, कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां (जेआरएफ/एसआरएफ), अनुसंधान एसोसिएटशिप आदि। हाल ही में, जेआरएफ/एसआरएफ की अध्येतावृत्तियां बढ़ायी गई हैं। सरकार 11वीं योजना में इन्सपायर (अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष) नामक एक नई स्कीम भी प्रारम्भ करने का प्रस्ताव कर रही है। प्रस्तावित स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार होंगी: (1) स्कूलों में नवोन्मेष निधिकरण (दस लाख युवा नवोन्मेष); (2) विज्ञान की जानी-मानी हस्तियों के साथ ग्रीष्मकालीन शिविर (उच्च निष्पादकों के लिए); (3) सिद्ध प्रतिभा बल के लिए सुनिश्चित अवसर स्कीमें; और (4) सार्वजनिक रूप से निधिकृत अनुसंधान में प्रतिभाओं को बनाये रखना। इनके अतिरिक्त, 11वीं योजना में उच्चतर शिक्षा में विज्ञान के लिए छात्रवृत्तियों पर एक अन्य नई स्कीम प्रारम्भ की जाएगी। इस स्कीम का लक्ष्य विज्ञान विषयों में प्रतिभावान छात्रों के लिए उनके बी.एससी./एम.एससी. पाठ्यक्रमों के दौरान प्रति वर्ष 1,00,000 रुपये की 10,000 अध्येतावृत्तियों की स्थापना करना है।

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम

849. डा. एम. जगन्नाथ: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम/सीमांत धनराशि योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या योजना के अंतर्गत सीमांत धनराशि की मात्रा में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने योजना का निष्पादन मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस योजना के अंतर्गत राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उपयोग में लाई गई?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) 1 अप्रैल, 1995 को योजना के प्रारंभ से 31 मार्च, 2007

तक खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित सरकार के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)/ (मार्जिन मनी स्कीम के रूप में पहले ज्ञात) के तहत मार्जिन मनी प्राप्त करके उद्यमियों द्वारा स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या विवरण-1 में दी गई है।

(ख) जी, नहीं। ग्रामोद्योगों की स्थापना के लिए आरईजीपी के तहत मार्जिन मनी सहायता की मौजूदा दरों को पर्याप्त समझा जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) 1995-96 में अपने प्रारंभ से केवीआईसी को दो चरणों में भिन्न-भिन्न दो एजेंसियों के माध्यम से जानकारी दी जाती थी। प्रथम चरण में, 31.3.2001 तक वित्तपोषित आरईजीपी परियोजनाओं का मूल्यांकन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त 10930 इकाइयों का नमूना प्राप्त करके शुरू किया गया था। इस मूल्यांकन से पता चला कि लगभग 70% इकाइयां संतोषप्रद रूप से कार्य कर रही हैं और लगभग 2.84% इकाइयों की रुग्ण इकाइयों के रूप में जानकारी दी गई है। इकाइयों की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सहभागिता क्रमशः 15% तथा 10% थी। आरईजीपी उद्यमियों की प्रति व्यक्ति वार्षिक कुल कमाई 43,735/- रुपये की।

दूसरे चरण में, 2001-02 से 2005-06 के बीच वित्त पोषित कुल परियोजनाओं की 6364 इकाइयों का नमूना लेकर मूल्यांकन किया गया था। इस अध्ययन से पता चला कि अनुसूचित जाति उद्यमियों द्वारा लगभग 14% इकाइयां स्थापित की गई थीं और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों द्वारा लगभग 1.1%। कुल रुग्णता लगभग 3.6% थी और इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शेष इकाइयां कार्यशील थीं। इस मूल्यांकन से पता चला कि 25% से अधिक इकाइयों द्वारा 25,000/- रुपये से 50,000/- रुपये के बीच मासिक आय सृजित की जा रही थी जबकि लगभग 11% इकाइयों की मासिक आय की जानकारी 50,000/- रुपये से भी अधिक की प्राप्त हुई।

(च) आरईजीपी एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है और योजना के लिए अनुमोदित अनुदान केवीआईसी को जारी किए जाते हैं जो बदले में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए बैंकों को निधियां जारी करता है (मार्जिन मनी सहायता हेतु)। वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत केवीआईसी द्वारा संस्वीकृत तथा उपयोग में लाई गई मार्जिन मनी सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

1 अप्रैल, 1995 को योजना के आरंभ से 31 मार्च, 2007 तक आरईजीपी के तहत स्थापित ग्रामोद्योगों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामोद्योग इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	चंडीगढ़	161
2.	दिल्ली	256
3.	हरियाणा	8176
4.	हिमाचल प्रदेश	3827
5.	जम्मू-कश्मीर	10674
6.	पंजाब	11929
7.	राजस्थान	30907
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1147
9.	बिहार	2641
10.	झारखण्ड	1496
11.	उड़ीसा	5664
12.	पश्चिम बंगाल	24175
13.	अरुणाचल प्रदेश	586
14.	असम	7693
15.	मणिपुर	1044
16.	मेघालय	3664
17.	मिजोरम	2425
18.	नागालैंड	5413
19.	त्रिपुरा	1184
20.	सिक्किम	481
21.	आंध्र प्रदेश	19249
22.	कर्नाटक	17096

1	2	3
23.	केरल	11470
24.	लक्षद्वीप	36
25.	पुडुदेरी	1176
26.	तमिलनाडु	8852
27.	दादर और नगर हवेली	8
28.	गोवा	2679
29.	गुजरात	2402
30.	महाराष्ट्र	27107
31.	छत्तीसगढ़	3029
32.	मध्य प्रदेश	21554
33.	उत्तराखण्ड	3475
34.	उत्तर प्रदेश	20766
	कुल	262442

विवरण II

2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत स्वीकृत एवं उपयोग की गई मार्जिन मनी सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षएत्र	संस्वीकृत राशि			प्रयोग की गई राशि		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	4.00	30.00	5.30	21.45	3.63	3.47
2.	दिल्ली	29.00	18.67	16.88	8.09	16.66	18.37
3.	हरियाणा	1119.00	1665.00	1824.72	2142.25	1782.18	1749.31
4.	हिमाचल प्रदेश	713.00	800.00	1243.75	657.72	889.90	1165.42
5.	जम्मू-कश्मीर	570.00	889.30	1053.93	584.55	833.56	1565.20
6.	पंजाब	1399.00	1628.80	1657.13	1834.63	837.21	1826.00
7.	राजस्थान	2160.00	3025.16	3273.79	2064.33	2679.91	2106.77
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	143.00	20.00	45.00	4.16	218.87	22.15
9.	बिहार	1196.00	600.00	707.95	281.69	570.54	715.67
10.	झारखण्ड	906.00	300.00	353.84	320.60	351.12	357.92
11.	उड़ीसा	829.00	600.00	982.13	863.05	837.22	1055.54
12.	पश्चिम बंगाल	2126.00	2242.30	2366.76	1999.62	2100.06	2396.03

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	अरुणाचल प्रदेश	97.00	126.94	114.75	66.03	126.54	144.45
14.	असम	1431.00	2820.00	1694.25	1277.42	2719.99	1717.35
15.	मणिपुर	285.00	25.00	205.88	73.66	43.85	128.99
16.	मेघालय	285.00	200.34	337.50	196.03	234.14	255.06
17.	मिजोरम	426.00	1304.39	1104.60	257.48	995.54	1043.60
18.	नगालैंड	162.00	285.80	192.37	204.46	286.22	192.13
19.	त्रिपुरा	162.00	205.00	243.00	214.14	289.95	151.47
20.	सिक्किम	101.00	100.00	119.83	165.78	139.54	278.41
21.	आंध्र प्रदेश	2484.00	3810.27	3913.69	3394.19	3627.58	3674.06
22.	कर्नाटक	1885.00	2161.68	2232.60	1063.83	1697.66	2424.27
23.	केरल	1193.00	1571.85	1541.40	1027.95	1603.41	1567.36
24.	लक्षद्वीप	1.00	1.90	1.72	0.00	16.39	0.00
25.	पुडुचेरी	6.00	13.70	71.18	9.05	12.66	42.76
26.	तमिलनाडु	1136.00	1188.21	1560.46	1147.28	1217.13	1438.04
27.	दादर और नगर हवेली	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	गोवा	285.00	200.00	237.50	88.90	103.68	95.25
29.	गुजरात	574.00	952.31	680.09	530.55	883.08	756.10
30.	महाराष्ट्र	1774.00	2258.49	1917.84	1439.17	1596.48	1837.03
31.	छत्तीसगढ़	857.00	1121.92	1414.22	1000.91	1152.87	1215.03
32.	मध्य प्रदेश	1210.00	1584.86	1432.72	2125.71	1114.33	1531.38
33.	उत्तराखण्ड	570.00	577.74	575.00	578.63	617.86	601.44
34.	उत्तर प्रदेश	3746.00	4339.46	3169.95	3596.64	2495.99	2903.32
	कुल योग	29878.00	36669.09	36291.73	29239.95	32095.75	34979.35

निजी टेलीविजन चैनलों के साथ प्रतिस्पर्धा

850. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती ने निजी टेलीविजन चैनलों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) जी, हां। लेकिन, एक लोक सेवा प्रसारक होने के कारण दूरदर्शन की निजी टी.वी. चैनलों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रसार भारती अपने सभी चैनलों की विषयवस्तु और प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सतत प्रयासरत रहता है।

मुस्लिम छात्रों का नामांकन

851. श्री अमिताभ नन्दी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न स्तरों पर नामांकित किए गए मुसलमान छात्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन संस्थानों में अध्ययनरत विदेशी मुसलमान छात्रों का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जबकि देश की विभिन्न शिक्षा संस्थानों में विभिन्न स्तरों पर नामांकित विद्यार्थियों के संबंध में सूचना केन्द्र स्तर पर नहीं की जाती तथापि, भारत के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति से संबंधित प्रधानमंत्री की उच्च अधिकार प्राप्त समिति (सच्चर समिति) ने नमूना सर्वेक्षण के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि अवर स्नातक स्तर पर नामांकित पच्चीस विद्यार्थियों में केवल एक विद्यार्थी मुसलमान है और स्नातकोत्तर स्तर पर नामांकित पचास विद्यार्थियों में केवल एक विद्यार्थी मुसलमान है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के वर्तमान नामांकित बच्चों के अनुमानित आंकड़ों (61वां दौर 2004-05) के आधार पर सच्चर समिति ने यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2004-05 के दौरान 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के 81.8 प्रतिशत मुसलमान बच्चे विद्यालयों में नामांकित थे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सातवें अखिल भारतीय विद्यालय सर्वेक्षण (2002) के आधार पर समिति ने यह अनुमान लगाया है कि मदरसों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले 10.36 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बांग्लादेशी प्रवासियों के कारण हो रही समस्या

852. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री उदय सिंह:
श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री नरहरि महतो:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आन्तरिक सुरक्षा स्थिति के संबंध में कोई स्थिति पत्र जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि बांग्लादेश प्रवासी विभिन्न सुरक्षा संस्थापनों सहित देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के विभिन्न भागों विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में निवास कर रहे बांग्लादेशी प्रवासियों की राज्य-वार निश्चित संख्या कितनी है;

(घ) क्या बांग्लादेशी नागरिकों ने राशन कार्ड, पासपोर्ट तथा मतदाता पहचान पत्र आदि जैसे दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (च) स्थिति दस्तावेजों में अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख है कि आतंरिक सुरक्षा के अनुरक्षण के लिए प्रभावपूर्ण सीमा प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सरकार देश के विभिन्न भागों में बांग्लादेश से हो रहे अवैध प्रवासन/घुसपैठ से अवगत है। तथापि, चूंकि यह गतिविधि गुप्त रूप से होती है अत: इस अवैध घुसपैठ की मात्रा के बारे में कोई विशिष्ट ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। घुसपैठकर्ता/अवैध प्रवासी, देश में राशन कार्ड, पासपोर्ट और मतदाता कार्ड आदि प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

सरकार ने देश में अवैध प्रवाह को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं; सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का सुदृढ़ीकरण तथा उनको आधुनिक और अत्याधुनिक उपकरणों/गैजेटस से सुसज्जित करना; सीमा बाह्य चौकियों के बीच अंतराल को कम करना; गश्त में वृद्धि करना; सीमा सड़कों और सीमा बाड़ के निर्माण का त्वरित कार्यक्रम आदि। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उनको वापस भेजने के लिए विदेशी राष्ट्रिक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के तहत शक्ति प्रदान की गई है। देश में रह रहे अवैध बांग्लादेशी विस्थापितों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध करते हुए समय-समय पर प्रशासनिक निर्देश भी जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अवैध विस्थापितों/विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने के लिए असम राज्य में विदेशी राष्ट्रिक अधिकरणों आदेश, 1964 के

उपबंधों के अंतर्गत बत्तीस (32) विदेशी राष्ट्रिक अधिकरणों का गठन किया गया है।

लघु उद्योगों के समक्ष आ रही समस्याएं

853. श्री के.एस. राव: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार लघु उद्योग इकाइयों की संख्या कितनी थी तथा इनमें कितने कामगार कार्यरत थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन इकाइयों से राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना उत्पादन, बिक्री एवं निर्यात हुआ;

(ग) इन लघु तथा मध्यम उद्योगों के समक्ष आ रही समस्याओं, मुद्दों एवं बाधाओं तथा सस्ते आयात से इसके अस्तित्व के लिए उत्पन्न खतरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन लघु तथा मध्यम उद्यम इकाइयों की आर्थिक व्यवहार्यता, इस क्षेत्र में और अधिक मानव शक्ति लगाने तथा बाजार में इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कायम रखने को सुनिश्चित करने के लिए इन इकाइयों के हितों तथा विकास क्षमता के संरक्षण के लिए नई नीति संबंधी पहल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों की राज्यवार संख्या, उनमें नियोजित कर्मचारी और इन इकाइयों के उत्पादन का आकलन 2001-02 के दौरान आयोजित लघु उद्योगों की तृतीय अखिल भारतीय गणना के परिणामों के आधार पर किया गया है तथा संबंधित ब्यौरा क्रमश: विवरण-1, 2, 3 पर दिया गया है। 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा किए गए निर्यात का अनुमानित मूल्य क्रमश: 97,644 करोड़ रु. 1,24,417 करोड़ रु. तथा 1,50,242 करोड़ रु. है। उत्पादों की बिक्री एवं निर्यात संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे का केन्द्रीय तौर पर अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(ग) से (ङ) सरकार उन समस्याओं, विषयों और बाधाओं से अवगत है जिनका सामना सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा किया जा रहा है। एमएसएमई मंत्रालय के कार्यक्रम/योजनाएं मुख्यत: एमएसई क्षेत्र की उत्पादकता और कुल विनिर्माण आउटपुट में उसके भाग को बढ़ाने के लिए हैं। एमएसई क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि की दर हाल के वर्षों में सतत रूप से औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर से अधिक रही है। एमएसई के संवर्धन और विकास के लिए हाल ही में की गई कुछ पहलें निम्न रूप से सूचीबद्ध हैं:

(1) 5 वर्षों की अवधि में इस क्षेत्र के क्रेडिट प्रवाह को दुगुना करने के उद्देश्य से लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज;

(2) एमएसएमई के संवर्धन और विकास को सुगम बनाने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 का अधिनियमन;

(3) एमएसई क्षेत्र के होलिस्टिक और एकीकृत विकास के लिए क्लस्टर आधारित एप्रोच को प्राथमिकता प्रदान करना;

(4) एमएसएमई क्षेत्र की प्रौद्योगिकी, विपणन और कौशल उन्नयन संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) पर कार्रवाई आरंभ करना; और

(5) एमएसई के संवर्धन हेतु पैकेज आरंभ करना जिसमें एमएसई के संवर्धन और विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले प्रस्ताव/योजनाएं शामिल हैं।

विवरण I

2004-05, 2005-06 और 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की अनुमानित संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाता विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राय क्षेत्र का नाम	एमएसई की अनुमानित संख्या		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	जम्मू-कश्मीर	82547	86064	89726
2.	हिमाचल प्रदेश	87194	91596	95572

1	2	3	4	5
3.	पंजाब	413762	427401	441797
4.	चण्डीगढ़	24739	25654	26612
5.	उत्तरांचल	123524	130140	137618
6.	हरियाणा	245370	254028	263308
7.	दिल्ली	196215	203336	210905
8.	राजस्थान	498035	518371	438728
9.	उत्तर प्रदेश	1938524	2027020	2116791
10.	बिहार	582167	605049	629509
11.	सिक्किम	437	455	474
12.	अरुणाचल प्रदेश	1458	1516	1578
13.	नागालैंड	16824	17772	19024
14.	मणिपुर	53173	55115	57171
15.	मिजोरम	12895	13554	14335
16.	त्रिपुरा	27054	28063	29141
17.	मेघालय	25846	27153	28591
18.	असम	218487	226890	235576
19.	पश्चिम बंगाल	856178	887697	921221
20.	झारखण्ड	149697	156091	163220
21.	उड़ीसा	434498	450946	468468
22.	छत्तीसगढ़	293468	304002	315118
23.	मध्य प्रदेश	898650	937183	976981
24.	गुजरात	600569	624346	646379
25.	दमन और दीव	4197	4389	4579
26.	दादरा और नगर हवेली			
27.	महाराष्ट्र	909385	948028	989254
28.	आंध्र प्रदेश	970755	1005889	1043512
29.	कर्नाटक	740967	772234	804811

1	2	3	4	5
30.	गोवा	8101	8401	8654
31.	लक्षद्वीप	616	644	675
32.	केरल	507313	524969	542610
33.	तमिलनाडु	922118	962854	1006684
34.	पांडिचेरी	10301	10724	11120
35.	अंडमान और निकोबार	3756	3902	4032
	अखिल भारत	11858821	12341475	12843773

विवरण II

2004-05, 2005-06 और 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में नियोजित अनुमानित कामगारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाता विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राय क्षेत्र का नाम	अनुमानित रोजगार		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	जम्मू-कश्मीर	175909	183962	192254
2.	हिमाचल प्रदेश	154749	164464	172350
3.	पंजाब	987352	1014594	1042995
4.	चण्डीगढ़	53917	55826	57743
5.	उत्तरांचल	232621	246642	262737
6.	हरियाणा	600554	619731	640564
7.	दिल्ली	689863	712888	737325
8.	राजस्थान	1009827	1055332	1097842
9.	उत्तर प्रदेश	4618508	4848046	5076632
10.	बिहार	1219059	1267525	1319395
11.	सिक्किम	1633	1703	1774
12.	अरुणाचल प्रदेश	4769	4965	5178

1	2	3	4	5
13.	नागालैंड	77204	82875	91032
14.	मणिपुर	151450	156904	162667
15.	मिजोरम	29626	31318	33383
16.	त्रिपुरा	63338	65640	68147
17.	मेघालय	78248	83048	88418
18.	असम	491671	511033	530497
19.	पश्चिम बंगाल	2407908	2494556	2586716
20.	झारखण्ड	320202	335225	352479
21.	उड़ीसा	1051391	1091768	1134891
22.	छत्तीसगढ़	592528	613479	635522
23.	मध्य प्रदेश	1539764	1609311	1680379
24.	गुजरात	1474431	1534932	1585675
25.	दमन और दीव	72748	76163	79558
26.	दादरा और नगर हवेली			
27.	महाराष्ट्र	2443906	2569860	2704767
28.	आंध्र प्रदेश	2370459	2451500	2539234
29.	कर्नाटक	1882962	1968567	2056678
30.	गोवा	36048	37368	38260
31.	लक्षद्वीप	1918	2008	2106
32.	केरल	1289505	1332814	1374692
33.	तमिलनाडु	2576574	2703291	2840532
34.	पांडिचेरी	45654	47779	49428
35.	अंडमान और निकोबार	9176	9541	9831
	अखिल भारत	28755473	29984658	31251682

विवरण III

2004-05, 2005-06 और 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में अनुमानित उत्पादन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाता विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राय क्षेत्र का नाम	अनुमानित उत्पादन (करोड़ रु.)		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	जम्मू-कश्मीर	4030	4668	5486
2.	हिमाचल प्रदेश	3841	4449	5229
3.	पंजाब	39966	46293	54408
4.	चण्डीगढ़	1969	2281	2681
5.	उत्तरांचल	3032	3512	4128
6.	हरियाणा	30708	35569	41805
7.	दिल्ली	21594	25012	29397
8.	राजस्थान	21392	24779	29123
9.	उत्तर प्रदेश	40513	46927	55153
10.	बिहार	4938	5720	6723
11.	सिक्किम	49	56	66
12.	अरुणाचल प्रदेश	71	82	97
13.	नागालैंड	486	563	661
14.	मणिपुर	618	716	841
15.	मिजोरम	200	231	272
16.	त्रिपुरा	450	522	613
17.	मेघालय	441	511	600
18.	असम	4525	5241	6160
19.	पश्चिम बंगाल	25156	29139	34247
20.	झारखण्ड	1877	2174	2556
21.	उड़ीसा	7785	9017	10598
22.	छत्तीसगढ़	4093	4741	5572
23.	मध्य प्रदेश	14947	18313	20348

1	2	3	4	5
24.	गुजरात	20624	23890	28077
25.	दमन और दीव	17152	19867	23350
26.	दादरा और नगर हवेली			
27.	महाराष्ट्र	64594	74820	87936
28.	आंध्र प्रदेश	27664	32043	37661
29.	कर्नाटक	18784	21758	25572
30.	गोवा	3198	3704	4354
31.	लक्षद्वीप	11	12	15
32.	केरल	12679	14687	17261
33.	तमिलनाडु	28626	33158	38970
34.	पांडिचेरी	3655	4233	4976
35.	अंडमान और निकोबार	130	150	177
	अखिल भारत	429796	497842	585112

[हिन्दी]

जन शिक्षण संस्थान

854. श्री टेक लाल महतो: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जन शिक्षण संस्थान योजना के अंतर्गत चलाई जा रही परियोजनाओं का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आबंटित तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए कोई ठोस पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं की कोई समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो पाई गई खामियों का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) संस्वीकृत जन शिक्षण संस्थानों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार संस्वीकृत राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) जन शिक्षण संस्थानों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है। जन शिक्षण संस्थानों के कार्यकलापों की समीक्षा भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा जन शिक्षण संस्थानों के प्रबंध बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होकर आवधिक रूप से और क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से की जा रही है। वार्षिक कार्य योजना और पिछले वर्ष की प्रगति पर चर्चा करने हेतु जन शिक्षण संस्थानों की वार्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित

' जा रही हैं ताकि उनके कार्यकलापों की समीक्षा और अनुवीक्षण 'कय' जा सके।

(ङ) और (च) जन शिक्षण संस्थानों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन प्रतिष्ठित मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा किया जाता है। अब तक 116 जन शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन किया जा चुका है। जन शिक्षण संस्थानों से अपेक्षा है कि वे मूल्यांकन एजेंसियों के सुझावों में बताए गए सुधारात्मक उपाय करें।

विवरण I

जन शिक्षण संस्थानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत जन शिक्षण संस्थानों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	12
2.	असम	3
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	बिहार	9
5.	छत्तीसगढ़	3
6.	दिल्ली	3
7.	गुजरात	8
8.	गोवा	1
9.	हरियाणा	6
10.	जम्मू-कश्मीर	2
11.	झारखंड	5
12.	कर्नाटक	10
13.	केरल	11
14.	मध्य प्रदेश	27
15.	महाराष्ट्र	18
16.	मणिपुर	3
17.	मिजोरम	1
18.	नागालैंड	1
19.	उड़ीसा	15
20.	पंजाब	2
21.	राजस्थान	6
22.	तमिलनाडु	10
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	47
25.	उत्तरांचल	6
26.	पश्चिम बंगाल	9
27.	चंडीगढ़	1
	कुल	221

विवरण II

वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जारी अनुदान का विवरण

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत अनुदान		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	20089676	31212799	22053832
2.	अरुणाचल प्रदेश	2488720	1524303	2280585

1	2	3	4	5
3.	असम	6057534	5112566	7504678
4.	बिहार	9251475	11056258	10542365
5.	छत्तीसगढ़	1696198	2150586	2345447
6.	दिल्ली	2000000	3106061	2500000
7.	गोवा	1608184	2680225	2319172
8.	गुजरात	13005324	16620902	21440210
9.	हरियाणा	6396126	9540883	8229687
10.	जम्मू-कश्मीर	2183137	1800000	2734833
11.	झारखंड	5142939	11911211	8292133
12.	कर्नाटक	15785135	20062313	18936110
13.	केरल	11544280	21965709	19370628
14.	मध्य प्रदेश	25988504	41318426	35032207
15.	महाराष्ट्र	21306639	38642103	28654066
16.	मिजोरम	1500000	1872742	2360170
17.	मणिपुर	4040700	5800000	7946745
18.	नागालैंड	1200000	2497036	2892700
19.	उड़ीसा	18640085	24196267	21737524
20.	पंजाब	3160618	5177284	4841427
21.	राजस्थान	14454346	18238026	16022287
22.	तमिलनाडु	16821106	23029239	16072762
23.	त्रिपुरा	1200000	1613605	1868488
24.	उत्तर प्रदेश	53369197	93497626	91789702
25.	उत्तरांचल	4485547	7795643	6824833
26.	पश्चिम बंगाल	11813795	15558692	17727199
27.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	2978042	2861327	2930103
	कुल योग	278207307	420841832	385249893

[अनुवाद]

बस रैपिड ट्रांसपोर्ट कोरिडार के कारण हुई दुर्घटनाएं

855. श्री रघुनाथ झा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में बस रैपिड ट्रांसपोर्ट कोरिडार (बी.आर.टी.) के कारण हुई दुर्घटनाओं की जानकारी है जैसा कि दिनांक 17 फरवरी, 2008 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी हां।

(ख) सड़क का इस्तेमाल करने वालों के लिए दिशा निर्देश और सुरक्षा हेतु कोरिडार पर बैरिकैड लगाकर, संकेत चिन्ह लगाकर, मार्शलों, निर्देश बोर्ड आदि लगाकर सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं।

हुर्रियत कांफ्रेंस के साथ वार्ता

856. श्री रनेन बर्मन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर मुद्दे पर सरकार तथा हुर्रियत (आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस) के बीच गत कई वर्षों से वार्ता चल रही है;

(ख) यदि हां, तो यह वार्ता कब से शुरू हुई थी; और

(ग) वार्ता के दौरान हुर्रियत द्वारा शुरुआत में दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इन वार्ताओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) भारत सरकार ने आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस (ए) के प्रतिनिधि मंडल के साथ नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार वार्ताओं के चार दौर आयोजित किए हैं:-

दिनांक	स्थान	किसके साथ वार्ता की गई
22 जनवरी, 2004	नई दिल्ली	उप प्रधान मंत्री
27 मार्च, 2004	नई दिल्ली	उप प्रधान मंत्री
5 सितम्बर, 2005	नई दिल्ली	प्रधानमंत्री
3 मई, 2006	नई दिल्ली	प्रधानमंत्री

(ग) आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस (ए) ने इन वार्ताओं के दौरान कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस के दोनों धड़ों को 24 अप्रैल, 2007 को दिल्ली में आयोजित तीसरे गोल मेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। तथापि, वे सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे।

उपभोक्ताओं से कर प्रभार

857. श्री भर्तृहरि महताब: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीविजन पे-चैनल उपभोक्ताओं से मनोरंजन तथा विज्ञापनों पर कर प्रभारित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उपभोक्ताओं को दोहरे कराधान से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा केबल टीवी सेवाओं हेतु समय-समय पर जारी प्रशुल्क आदेशों के अनुसार केबल आपरेटर उपभोक्ताओं से केबल प्रभार सहित मनोरंजन कर जैसे स्थानीय कर प्रभारित कर सकते हैं लेकिन उपभोक्ताओं से विज्ञापनों पर कर प्रभावित किए जाने संबंधी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लर्निंग डिसेबिलिटी

858. श्री के. सुब्बारायण: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास स्कूली बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी का आकलन करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए प्रभावी उपाय शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 और आटिस्म, सेरेब्रल पल्सी, मन्द-बुद्धि और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत लर्निंग डिसेबिलिटी को शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने विकलांग बच्चों जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी शामिल हैं, के कार्यात्मक मूल्यांकन के लिए गाइड तैयार की है। इस गाइड में गणित, भाषा, अवधारण और एकाग्रता जैसे क्षेत्रों में लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों का कार्यात्मक मूल्यांकन करने के लिए जांच बिंदु और कार्यकलाप भी दिए गए हैं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक विद्यालय परीक्षा अथवा वरिष्ठ प्रमाणपत्र परीक्षा में शामिल होने वाले डिसलेक्सिया से ग्रस्त विद्यार्थियों को सहायक का उपयोग करने तथा प्रश्न पत्र का उत्तर देने के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति प्रदान करता है। डिसलेक्सिया से ग्रस्त विद्यार्थियों को तृतीय भाषा की परीक्षा से छूट दी गई है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों की समस्या से निपटने के लिए कतिपय उपाय किए हैं। इनमें इस प्रकार के बच्चों की समस्या से निपटने के लिए कक्षा कार्य, टेस्ट और परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त समय का प्रावधान; बेहतर एकाग्रता के लिए सहायता का प्रावधान; उपयुक्त सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों का आयोजन और इस प्रकार के छात्रों की सहायता हेतु शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना शामिल है।

परीक्षा पद्धति में परिवर्तन

859. **श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, 2005 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध दसवीं तथा बारहवीं के छात्रों के लिए परीक्षा पद्धति में कतिपय परिवर्तन करने की सिफारिश की गई है जैसाकि 15 फरवरी, 2008 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवीं तथा बारहवीं के छात्रों का चालू अकादमिक सत्र में नई पद्धति के अनुसार शिक्षण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 में परीक्षा सुधारों से संबंधित निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की गई हैं:-

(1) परीक्षाओं की वैधता में सुधार करने के लिए प्रश्न पत्र निर्धारित करने की समग्र प्रक्रिया को बेहतर बनाना।

(2) विषय-वस्तु आधारित परीक्षा के स्थान पर प्रश्न हल करने तथा क्षमता की जांच करने वाली परीक्षा।

(3) विद्यार्थियों, शिक्षकों और माता-पिता की सहायता के लिए मार्गदर्शन और परामर्श का प्रावधान।

(4) कम्प्यूटरीकृत परीक्षा परिणामों की सूचना का प्रावधान।

(5) सतत और विस्तृत मूल्यांकन शुरू करना, और विद्यालय-आधारित आंतरिक मूल्यांकन को सुदृढ़ करना।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 के अनुसार नई पाठ्य विवरणिकाएं और पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन्हें अपने सभी सम्बद्ध विद्यालयों में कक्षा-10 और 12 में लागू किया है।

जवाहर नवोदय विद्यालयों में विद्यार्थियों की मृत्यु

860. **श्री गुंडलूर निजामुद्दीन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैदराबाद क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आज की तिथि तक जवाहर नवोदय विद्यालयों में कितने विद्यार्थियों की मृत्यु हुई तथा इनके क्या कारण रहे;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आज की तिथि तक सरकार को जवाहर नवोदय विद्यालयों के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) हैदराबाद क्षेत्र के जवाहर नवोदय विद्यालयों में वर्ष 2005, 2006, 2007, 2008 के दौरान क्रमश: 11, 3, 4 और 1 छात्रों की मौतें हुई हैं। ये मौतें बीमारी, पानी में डूबने, आत्महत्या, और दुर्घटना की वजह से हुई हैं।

(ख) और (ग) हैदराबाद क्षेत्र के जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों के अभिभावकों की ओर से अपने कार्यों का उपयुक्त रूप से अनुपालन न होने, जिसकी वजह से हैदराबाद क्षेत्र में मौत की दर अधिक थी, के आरोप से संबंधित उपायुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, नवोदय विद्यालय समिति, हैदराबाद के विरुद्ध दिनांक 30.05.2006 को एक शिकायत प्राप्त हुई। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा इस शिकायत की जांच की गई और इसे वास्तविक नहीं पाया गया।

(घ) नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाती है।

चाय नीलामी केन्द्र

861. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिब्रूगढ़/तिनसुकिया क्षेत्रों में चाय उत्पादकों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए डिब्रूगढ़/तिनसुकिया जिलों में चाय बोर्ड का एक कार्यालय तथा एक और चाय नीलामी केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) सार्वजनिक चाय नीलामी के व्यवसाय की व्यवस्था, आयोजन तथा संचालन करने के इच्छुक आवेदकों, जो चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 1984 एवं 2003 के उपबंधों के अंतर्गत चाय बोर्ड को आवेदन प्रस्तुत करते हैं, को नीलामी केन्द्रों हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए चाय बोर्ड एक विनियामक प्राधिकरण है। चाय बोर्ड के पास इस समय ऐसा लाइसेंस जारी करने संबंधी कोई आवेदन लम्बित नहीं है। डिब्रूगढ़ में चाय बोर्ड का शाखा कार्यालय खोलने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

अंटार्कटिका में कतिपय प्रजातियों की खोज

862. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीज, बीजाणु, माइट्स, शिलावल्क तथा शैवाल जैसी प्रजातियां अन्टार्कटिका में पाई गई हैं जो उस महाद्वीप के अनुकूल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैज्ञानिकों को अन्टार्कटिका में स्प्रिंगटेल्स-जिसका कीड़ों से, शैवाल, चूहों से नजदीकी संबंध है, से अन्य सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन जीवों का उद्गम स्थल क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने वहां पर स्थित अपने मिशन से इन उपजातियों/जीवों पर पड़ने वाले बर्फीले निर्जन क्षेत्र के प्रभाव की जानकारी मांगी है तथा यह जानकारी अन्य देशों के साथ बांटने को कहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां, अधिक छोटे आकार के पौधों की कुछ प्रजातियां पाई गई हैं जो अंटार्कटिका में सामान्यतया नहीं होती। उदाहरणार्थ, यूरोपियन घास की प्रजाति (एग्रोस्टिस स्टोलोनिफेरा), मांसाहारी कीट की प्रजाति, पो एनुआ (बीज पौध) तथा आस्ट्रेलियाई पराग टेक्सा वे प्रजातियां हैं, जो अंटार्कटिका के अनुकूल नहीं हैं।

(ग) और (घ) जी हां, अंटार्कटिका क्षेत्र में अब तक लाइकेन की कुल 439 प्रजातियां, शैवाल की 111 प्रजातियां, माइट की 4 प्रजातियां, टारडीग्रेड की 7 प्रजातियां पाई गई हैं। परंतु विभिन्न प्रजातियों में समलक्षणीय प्लैस्टिकता होने के कारण, अंटार्कटिका प्रजातियों की उत्पत्ति के वास्तविक क्षेत्र का पता लगाना कठिन है। भविष्य में इन प्रजातियों की कई जातियां मिलने की संभावना है।

(ङ) और (च) स्कार (वैज्ञानिक अंटार्कटिका अनुसंधान समिति) के तत्वावधान में विभिन्न देशों द्वारा विदेशी प्रजातियों के बारे में दिए गए डेटा और किए गए अनुसंधान की जानकारी का आदान-प्रदान किया गया। प्रकाशित रिपोर्टों और उपलब्ध डेटा के अनुसार, इन विदेशी प्रजातियों में से कई प्रजातियों को आक्रमण

वाले स्थलों पर जैव-विविधता के बड़ी तेजी से कम होने के लिए जिम्मेदार माना गया है। साथ ही इसकी प्रमुख शिकार प्रजातियों की संख्या में वयस्क शरीर के आकार में अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन भी हो रहा है। अंटार्कटिका की कठोर जलवायु और बर्फ की परत विदेशी प्रजातियों को पनपने से रोकती है, लेकिन मेरियन द्वीप तथा दक्षिण जोरजिया द्वीप जैसे अधिक मृदुल उप-अंटार्कटिक द्वीप समूह, जो हाल के दशकों में गर्म होते जा रहे हैं, विदेशी प्रजातियों के पनपने और फलने-फूलने के लिए उपयुक्त स्थान बनते जा रहे हैं।

[हिन्दी]

मन्दिरों पर हमले का खतरा

863. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न मन्दिरों पर संभावित आतंकवादी हमलों के संबंध में कोई आसूचना रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान। देश में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आतंकवादी हमलों की संभावना के संबंध में विश्वसनीय आसूचना जानकारी मिली है।

(ख) तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा देना लोक हित में नहीं है इसलिए इसे प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ग) ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय होने के कारण धार्मिक स्थलों/स्थानों को सुरक्षा प्रदान करने और जहां कहीं आवश्यकता हो परिसर की आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने की जिम्मेवारी मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, गृह मंत्रालय ऐसे धार्मिक स्थानों के पर्याप्त संरक्षण को सुकर बनाने के विचार से, जिनके संबंध में धमकी की विशिष्ट सूचना उपलब्ध होती है, संबंधित राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सुरक्षा सुदृढ़ करने की सलाह भी जारी करता है। जब कभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अनुरोध किया जाता है तो केन्द्रीय पुलिस बलों को तैनात करके और संभव सीमा तक वित्तीय सहायता देकर सुरक्षा प्रबंधनों को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र सरकार सहायता भी प्रदान करती है।

[अनुवाद]

पुलिस सुधार आयोग

864. श्री नरहरि महतो: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में गठित पुलिस सुधार आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(च) पुलिस तंत्र में सुधार हेतु कुल कितने आयोग गठित किए गए हैं तथा इनमें से प्रत्येक आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और आज की तारीख तक उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) हाल ही में सरकार ने कोई पुलिस सुधार आयोग गठित नहीं किया है। तथापि, पुलिस की भूमिका और कार्यों पर पुन: विचार करने हेतु 1861 के पुलिस अधिनियम के स्थान पर एक नया पुलिस अधिनियम बनाने हेतु सोली सोराबजी समिति गठित की गई थी; प्रतिदर्श पुलिस अधिनियम का मसौदा बना लिया गया है जिसमें पुलिस के सुपरिभाषित कर्त्तव्यों, पुलिस की आम जनता, खासकर कमजोर एवं संवेदनशील वर्गों के प्रति, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व तथा कानून के शासन के प्रति उनकी जवाबदेही का प्रावधान है। चूंकि संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत ''पुलिस'' राज्य का विषय है इसलिए समिति द्वारा यथानिर्मित मसौदा प्रतिदर्श पुलिस अधिनियम की एक प्रति विचारार्थ एवं समुचित कार्रवाई हेतु सभी राज्यों को भेज दी गई है।

(च) चूंकि पुलिस राज्य का विषय है इसलिए पुलिस सुधार करना प्राथमिकत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है इसने नवम्बर 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना की थी जिसने फरवरी 1979 से मई 1981 के बीच आठ रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं जो समुचित कार्रवाई के लिए राज्य

सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेज दी गई थीं। इन पर खर्च की गई कुल राशि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

लघु और मध्यम उद्यमों का अन्य क्षेत्रों में प्रवेश

865. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्रों, उर्वरकों, रत्न एवं आभूषण आदि जैसे लोकप्रिय क्षेत्रों के अतिरिक्त आतिथ्य, अस्पतालों तथा ट्रैवल एजेंसियों जैसे नए क्षेत्रों में लघु और मध्यम (एसएमई) बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (घ) सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास अधिनियम, 2006, जो 2 अक्तूबर, 2006 से लागू हो गया है, का कार्यान्वयन आरंभ कर दिया है। यह विधान और उसके तहत जारी अधिसूचनाएं सेवा प्रदान कर रहे उद्यमों जिनमें अन्य के अलावा हास्पिटैलिटी, अस्पतालों और ट्रैवल एजेंसियों आदि जैसे क्षेत्रों में संलग्न उद्यमों, जो वस्त्रों, उर्वरकों, आदि जैसी सामग्रियों के विनिर्माण में संलग्न उद्यमों के अतिरिक्त हैं, के वर्गीकरण के लिए रूपरेखा प्रदान करती हैं। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, चाहे वे सामग्रियों के विनिर्माण अथवा सेवा प्रदान करने में संलग्न हों, के संवर्धन और विकास में सहायता करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित करती है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की विषयवस्तु और उसके तहत जारी अधिसूचनाएं वेबसाईट http://www.dcmsme.gov.in पर देखी जा सकती है।

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना

866. श्री सूरज सिंह:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ वर्ष पहले निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना आरम्भ की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अंतर्गत वस्तुओं का निर्यात करना निर्यातकों के लिए अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो क्या कई निर्यातक उक्त योजना से लाभान्वित होने के बावजूद अपेक्षित निर्यात नहीं कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे चूककर्त्ताओं की कुल संख्या कितनी थी तथा उक्त अवधि के दौरान इन चूककर्त्ताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) यह स्कीम आयात एवं निर्यात नीति 1990-93 में शुरू की गई थी और यह दिनांक 1.4.1990 से लागू है।

(ख) और (ग) जी, हां। एस एस आई और कृषि इकाइयों के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने की तारीख से 8 से 12 वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बचाई गई शुल्क की राशि के 6 गुना के बराबर और अन्य इकाइयों के लिए बचाई गई राशि के 8 गुना के बराबर वस्तुओं का निर्यात करना अपेक्षित है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान जारी किए गए अनुमोदनों (लाइसेंसों) की कुल संख्या और इस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई समय-सीमा के भीतर अपेक्षित निर्यात करने में चूक करने वाले निर्यातकों की संख्या निम्नानुसार है:-

(संख्या)

वर्ष	इस अवधि के दौरान जारी अनुमोदन (लाइसेंस)	ईओ की पूर्ति करने में चूक करने वाले लाइसेंसों की सं. (पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित)
2005-06	16387	139
2006-07	21226	113
2007-08 (31.12.2007 तक)	14361	93

सरकार के हित की रक्षा करने के लिए आयात के समय निर्यातकों की स्थिति पर निर्भर करते हुए बचाये गए शुल्क की

राशि की बैंक गारंटी/वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमोदन जारी किए जाते हैं। चूक होने की स्थिति में बचाये गए शुल्क की राशि की वसूली करने के लिए निष्पादित बैंक गारंटी का प्रयोग कर लिया जाता है।

इसके अलावा, बचाये गए सीमाशुल्क की राशि के किसी शेष, प्रथम आयात की तिथि से अंतिम भुगतान की तारीख तक उस पर अनुप्रयोज्य ब्याज की वसूली करने के लिए विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के संगत उपबंधों के अंतर्गत चूककर्त्ताओं के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाती है और अनुमोदन (लाइसेंस) के निबंधनों एवं शर्तों के उल्लंघन के लिए वित्तीय शास्ति भी लगाई जाती है।

[अनुवाद]

हिजबुल मुजाहिद्दीन की गतिविधियां

867. **श्रीमती जयाप्रदा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उग्रवादी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन जम्मू और कश्मीर घाटी में आतंकवादी हमलों के लिए अफगानिस्तान के पठानों की भर्ती कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उग्रवादी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन की गतिविधियों को विफल करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो इस बात की पुष्टि करती हो कि उग्रवादी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन हाल ही में जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवादी हमलों के लिए अफगानिस्तान के पठानों की भर्ती कर रहा है।

(ग) और (घ) सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से जम्मू और कश्मीर में सीमा-पार से हो रही घुसपैठ/आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-सात शामिल हैं; सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा तथा हमेशा परिवर्तित होने वाले घुसपैठ मार्गों पर बहु-स्तरीय और बहु-मोडल तैनाती करना, सीमा पर बाड़ का निर्माण, उन्नत प्रौद्योगिकी, सुरक्षा बलों के लिए हथियार और उपकरण, उन्नत आसूचना और परिचालनात्मक समन्वय तथा घुसपैठ की रोकथाम हेतु आसूचना प्रवाह को सहक्रियात्मक बनाना तथा राज्य के भीतर के आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई। राज्य सरकार (जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दो एकीकृत मुख्यालयों सहित) तथा केन्द्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर घुसपैठ का मुकाबला करने संबंधी प्रयासों की आवधिक मसीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

एफ.एम. रेडियो

868. **श्री गणेश सिंह:**
श्री मनोरंजन भक्त:
श्री ए. साई प्रताप:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एफ.एम. रेडियो के द्वितीय चरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सहित देश में राज्य-वार कितनी अतिरिक्त फ्रीक्वेंसियों को शामिल करने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में कम-से-कम एक एफ.एम. चैनल शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एफ.एम. रेडियो के द्वितीय चरण के कब तक चालू कर दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) निजी एफ एम रेडियो (चरण-2) हेतु नीति की अधिसूचना के अनुसरण में कुल 337 चैनलों के लिए बोलियां लगायी गयी थीं। इनमें से 280 चैनलों के लिए सफलतापूर्वक बोली लगायी गयी थीं और जांच के बाद 245 चैनलों को परिचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी। अभी तक की स्थिति के अनुसार 203 चैनल (चरण-1 के 21 और चरण-2 के 182 चैनलों सहित) कार्यशील हैं।

(ख) सरकार ने देहरादून में 93 रिक्त एफ एम चैनल और 4 अतिरिक्त चैनलों का आवंटन करने का निर्णय लिया है। इन चैनलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने चरण 3 के अंतर्गत निजी एजेंसियों के जरिए एफ एम रेडियो का विस्तार अन्य शहरों में करने का निर्णय लिया है। लेकिन अवस्थिति का ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

(ङ) चरण 2 के शेष एफ एम रेडियो स्टेशनों के मार्च, 2008 के अंत तक कार्यशील हो जाने की संभावना है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चैनल
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4
2.	आंध्र प्रदेश	7
3.	अरुणाचल प्रदेश	3
4.	बिहार	6
5.	छत्तीसगढ़	2
6.	दमन एवं दीव	1
7.	दिल्ली	1
8.	गुजरात	1
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू-कश्मीर	5
11.	झारखंड	1
12.	कर्नाटक	5
13.	मध्य प्रदेश	4
14.	महाराष्ट्र	12
15.	मणिपुर	4
16.	मेघालय	2
17.	मिजोरम	3
18.	नागालैंड	4
19.	उड़ीसा	3
20.	राजस्थान	6
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	4
23.	त्रिपुरा	3
24.	उत्तर प्रदेश	10
25.	उत्तराखंड	4
	कुल	97

जिला शिक्षा कार्यक्रम

869. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जिला शिक्षा कार्यक्रम के संवर्धन तथा विकास हेतु राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चरण-2 परियोजना को राजस्थान के नौ जिलों में चलाया जा रहा है जिसके लिए भारत सरकार ने वर्ष 2004-05 में 45.00 करोड़ रु., 2005-06 में 50.52 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2006-07 में 31.90 करोड़ रुपए और चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान 58.22 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।

[अनुवाद]

भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी

870. श्री उदय सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बांग्लादेश से अवैध आव्रजन के मामले पर राज्य सरकारों से चर्चा की है तथा इसका समाधान तलाशने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने तथा उन्हें वापस भेजने के लिए विदेशी राष्ट्रिक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के तहत शक्ति प्रदान की गई हैं। देश में रह रहे अवैध बांग्लादेशी विस्थापितों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के अभियान में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध करते हुए समय-समय पर प्रशासनिक निर्देश भी जारी किए जाते हैं।

अवसंरचना में औद्योगिक विकास

871. श्री प्रहलाद जोशी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में औद्योगिक विकास का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर निर्माण, अवसंरचना, वस्तु तथा सामग्री का योगदान कितना रहा;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुछ औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में विकास में कमी लाने वाले कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) पिछले तीन वर्ष के 6 प्रमुख अवसंरचना उद्योगों (कच्चा तेल, पेट्रोलियम तथा रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, सीमेंट, कोयला तथा तैयार इस्पात) के उत्पादन संबंधी लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:-

		2004-05		2005-06		2006-07	
उद्योग	एकक	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
कच्चा तेल	(मिलियन मिट्रिक टन)	33.15	33.98	34.45	32.19	35.44	33.99
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद	(मिलियन मिट्रिक टन)	121.94	127.42	128.86	130.11	135.33	146.55
कोयला	(मिलियन टन)	381.09	377.27	408.17	407.03	432.50	430.85
बिजली	(बिलियन यूनिट)	586.41	587.37	621.50	617.38	663.0	662.52
सीमेंट	(मिलियन टन)	136.70	133.57	150.47	147.81	165.56	161.66
इस्पात	(मिलियन टन)	48.22	43.44	51.55	46.46	57.72	50.82

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संदर्भ में मापे गये समग्र औद्योगिक उत्पादन में 6 प्रमुख अवसंरचना उद्योगों में से प्रत्येक का योगदान इस प्रकार है: कच्चा तेल 4.17%, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद 2.00%, कोयला 3.22%, बिजली 10.17%, सीमेंट 1.98% तथा इस्पात 5.12%। निर्माण, अवसंरचनात्मक वस्तुओं तथा सामग्री में अवसंरचना उद्योगों का योगदान अलग से संकलित नहीं किया जाता है।

(घ) सरकार ने सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र द्वारा नई खोज हेतु दिशा-निर्देश बनाकर कोयला उत्पादन में वृद्धि, सरकारी तथा निजी कंपनियों को कोयले के ब्लाक का आवंटन, कच्चे पेट्रोलियम के लिए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) विद्युत क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए राष्ट्रीय विद्युत नीति, निजी क्षेत्र द्वारा बड़ी परियोजनाओं की स्थापना, राष्ट्रीय इस्पात नीति का निर्धारण आदि जैसे क्षमता सृजन के सरलीकरण द्वारा अवसंरचनात्मक उद्योगों की क्षमता तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक पहल की हैं।

[हिन्दी]

भोजपुरी चैनल का शुभारम्भ

872. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भोजपुरी भाषी लोगों के लिए एक भोजपुरी चैनल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या निजी भोजपुरी चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव अब भी सरकार के पास लंबित है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार के पास भोजपुरी भाषी लोगों के लिए भोजपुरी चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) जी, हां। सरकार ने दो टी.वी. चैनलों नामत: ''फोकस टी.वी.'' और ''महुआ'' को भोजपुरी भाषा में भारत से अपलिंक और भारत में डाउनलिंक करने की अनुमति पहले ही दे दी है। मंत्रालय ने भोजपुरी भाषा में पांच टी.वी. चैनलों नामत: ''हम भोजपुरिया'', ''गंगा'', ''पहली खबर'', ''महुआ गीत'' और ''हमार टी.वी.'' के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ''संगीत भोजपुरी'' चैनल के लिए एक और प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है जिसमें कोई विशिष्ट भोजपुरी भाषा नहीं है। प्रस्तावों पर अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य मंत्रालयों/विभागों से परामर्श अपेक्षित है और इसलिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

नमक आयुक्त के मुख्यालय का स्थानांतरण

873. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसंबर, 1994 में नमक आयुक्त कार्यालय के मुख्यालय को जयपुर से गुजरात स्थानांतरित करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसे क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय नमक विभाग कर्मचारी संघ ने सरकार के निर्णय को राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। माननीय न्यायालय ने दिनांक 29.11.1994 को एक आदेश पारित करते हुए स्थानान्तरण संबंधी निर्णय पर रोक लगा दी। राजस्थान और गुजरात सरकार ने स्वयं के हितबद्ध पक्षकार होने की दलील दी। न्यायालय ने दिनांक 04.10.2007 के अपने निर्णय में यह निर्देश दिया कि सभी पण-धारियों से परामर्श करने के पश्चात् इस मामले पर पुन: विचार किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय कार्यान्वयन के अधीन है।

सीआईएसएफ की भर्ती प्रक्रिया के दौरान हताहत

874. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीआईएसएफ ने जनवरी 2008 के दौरान जयपुर में एक भर्ती शिविर का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां अपेक्षा से अधिक अभ्यर्थी पहुंच गए थे जिसके कारण भगदड़ मची और कुछ लोग हताहत हुए;

(ग) क्या पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं;

(घ) यदि हां, तो इस बार उचित सावधानी न बरतने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में सीआईएसएफ के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 11.02.2008 को 4 भर्ती केन्द्रों पर फालोअर्स की 404 रिक्तियां अधिसूचित कीं। इनमें से 101 रिक्तियां दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए 7वीं रिजर्व बटालियन जयपुर को आबंटित थीं।

(ख) केन्द्र पर 40,000 प्रत्याशी आए जो प्रत्याशा से काफी अधिक थे। इसके परिणामस्वरूप भर्ती केन्द्र के मुख्य द्वार पर भगदड़ मच गई जिसमें 2 अभ्यर्थी भीड़ में कुचल गए जिनमें से एक की मौत हो गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सी आई एस एफ द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उन्होंने इस भर्ती के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को सूचित कर दिया था और वहां की टुकड़ी मौजूद थी।

(ङ) जांच में अपराधी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

कन्नड़ को प्राचीन भाषा का दर्जा

875. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) से कन्नड़ को प्राचीन भाषा का दर्ज देने संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या निर्णय के लिए अब यह मामला उच्च स्तरीय समिति के पास है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि कन्नड़ भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा दिए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री जी को संबोधित और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्राप्त अभ्यावेदनों को केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) मैसूर को उनकी टिप्पणी के लिए अग्रेषित किया गया है। सीआईआईएल ने इस संबंध में उससे मांगी गई टिप्पणियां उस मंत्रालय को भेज दी हैं।

(ग) और (घ) किसी भी भाषा की प्राचीन भाषा के रूप में जांच करने और कन्नड़ को प्राचीन भाषा के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने भाषाई विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। इन प्रस्तावों का समिति द्वारा गहन अध्ययन किए जाने की जरूरत है और इस उद्देश्य के लिए निश्चित तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती है।

चाय बागानों में भूख के कारण मौतें

876. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय बागानों में भूख के कारण कई मौतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बंद पड़े चाय बागानों के लिए कोई पुनर्वास तथा जीर्णोद्धार उपाय शुरू किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चाय उद्योग में लगे कामगारों को पर्याप्त आजीविका प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) चाय बागानों में भूख के कारण हुई मौतों के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) चाय बागानों के कामगारों के हित में, बंद पड़े चाय बागानों के मालिकों की उक्त बागानों को पुनरुज्जीवित करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से और देश के निर्यात निष्पादन में इस उद्योग के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिनांक 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार बंद पड़े 33 चाय बागानों के लिए एक पुनर्स्थापन पैकेज की घोषणा की है। स्कीम के संघटकों के संबंध में निवल प्रभाव 38.65 करोड़ रुपए का बनता है।

(ङ) उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने और इसके द्वारा उत्पादन लागत को घटाने हेतु चाय उद्योग की सहायता करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, ताकि उद्योग का सम्पोषण किया जा सके। चाय की पुरानी झाड़ियों को बड़े पैमाने पर उखाड़ने और उनका पुनर्रोपण करने के लिए दीर्घावधि ऋण एवं सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रयोजन निधि की स्थापना की गई है। इस कार्यकलाप से वर्तमान 30 लाख कामगारों की आजीविका की सुरक्षा करने के अलावा, अगले 15 वर्षों में 22 मिलियन दिन प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मानव दिवसों का सृजन होगा। चाय बोर्ड के मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत चाय बागान कामगारों के कल्याण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जिसमें चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल, स्वच्छता, कामगारों के बच्चों के लिए शैक्षिक वजीफा तथा कामगारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि भी शामिल होंगे।

[हिन्दी]

आत्मसमर्पण कर चुके आतंकवादियों हेतु धनराशि

877. श्री पंकज चौधरी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आत्मसमर्पण कर चुके आतंकवादियों को मासिक पुनर्वास भत्ते के रूप में एक निश्चित धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रदान की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचलित आत्मसमर्पण नीति में शामिल हैं, तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रति मास 2000/- रुपए की दर पर आत्मसमर्पण करने वालों की मासिक वृत्ति तीन वर्षों की अवधि हेतु आत्मसमर्पण करने वाले के नाम में बैंक में एफडीआर के रूप में रखे जाने हेतु 1.50 लाख रुपए का अनुदान तथा यह आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति के अच्छे व्यवहार की शर्त पर निकाले जा सकते हैं और निर्धारित दरों के अनुसार आत्मसमर्पित हथियारों के लिए प्रोत्साहन, आदि।

जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास पर किए गए व्यय की केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय निम्नानुसार है:

राज्य	वर्ष-वार प्रतिपूर्ति राशि (लाख रुपये में)		
	2004-05	2005-06	2006-07
जम्मू-कश्मीर	82.00	49.00	31.00
नागालैंड	10.62	0.00	0.00
मेघालय	60.91	06.91	0.00
मणिपुर	0.83	0.00	04.19
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	79.19	78.55	150.43
असम	700.00	300.00	500.00

[अनुवाद]

मिड-डे मील योजना

878. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर के स्कूलों में दिए जाने वाले मिड-डे मील में मौसम के अनुरूप परिवर्तन नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली में सहायताप्राप्त, गैर-सहायता-प्राप्त उन स्कूलों का ब्यौरा क्या है, जहां मिड-डे मील दिया जाता है;

(घ) क्या दिल्ली के स्कूलों में केवल चावल ही दिए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सर्दी में चावल परोसे जाने के क्या कारण हैं तथा इन स्कूलों में मौसम के अनुसार और अधिक पौष्टिक भोजन परोसे जाने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम पर विभाग द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार, भोजन आयोजना का ग्राम स्तर पर तैयार किया जाना अपेक्षित है। स्कूल प्रबंधन को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वह विविधतापूर्ण किन्तु संतुलित एवं पौष्टिक भोजन की आयोजना तैयार करने के लिए स्थानीय लोगों की सहायता लें।

(ग) एन.सी.टी. सरकार दिल्ली (शिक्षा निदेशालय), दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उनका विवरण निम्न प्रकार है:-

	सरकारी स्कूल	सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल
(1) शिक्षा निदेशालय	367	115
(2) एमसीडी	1751	44
(3) एनडीएमसी	67	03

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शस्त्र विनिर्माण में निजी कंपनियां

879. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शस्त्र विनिर्माण के क्षेत्र में निजी कंपनियों को अनुमति दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) जी हां, रक्षा उद्योग क्षेत्र को भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु 100 प्रतिशत तक खोलने के संबंध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय 3 जनवरी, 2002 को अधिसूचित किया गया था।

जनवरी, 2002 से सरकार ने विभिन्न भारतीय कम्पनियों के लिए 72 औद्योगिक लाइसेंस (आईएल) जारी किए हैं।

विश्व व्यापार संगठन

880. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने किसानों के जीविकोपार्जन और खाद्य सुरक्षा के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी कार्य योजना का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त मुद्दों के संबंध में लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर राज्यवार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) दोहा दौर के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में बहुपक्षीय वार्ताएं अभी चल रही है। इस दौर के अधिदेश के अनुसार विकासशील देश सदस्य खाद्य सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास के मानदण्डों पर आधारित सूचकों द्वारा निर्दिष्ट विशेष उत्पादों (ए सभी) का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं। अन्य उत्पादों की तुलना में विशेष उत्पादों पर कम टैरिफ कटौती दी जाएगी, जबकि अन्य उत्पाद सामान्य फार्मूला आधारित टैरिफ कटौती के अध्यधीन होंगे।

(ग) से (च) की जा रही अनेक पहलों के अलावा सरकार ने हमारे किसानों की खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा से संबंधित चिन्ताओं के निवारण हेतु अनेक नई पहलें शुरू की हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन क्रमश: 10, 8 तथा 2 मिलियन टन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नामक एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम शुरू की गई थी। खाद्य सुरक्षा हेतु खाद्यान्नों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करना इस मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि मंत्रालय द्वारा 25,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई है। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति 2007 अनुमोदित की है। इस नीति का कार्यान्वयन शुरू करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की गई है। इसके अलावा केन्द्रीय बजट, 2008-09 में किसानों के लिए ऋण राहत संबंधी एक व्यापक स्कीम की घोषणा की गई है।

[अनुवाद]

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में पौधरोपण अभियान

881. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को अपने क्षेत्रों में घटते हुए हरित क्षेत्र की जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार व्यापक पौधरोपण अभियान शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं; और

(घ) विद्यमान हरित क्षेत्र के समुचित रखरखाव और अनुरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा परिवहन प्रणाली में विकास करने के कारण सीधे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करके कुछ पेड़ हटाए गए थे। तथापि, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने दिशानिर्देशों के अनुसार क्षतिपूरक पौधरोपण किया है। वास्तव में पिछले तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में समग्र हरित क्षेत्र बढ़ा है।

(ख) प्रतिवर्ष पर्यावरण में सुधार करने और विभिन्न कारणों से हुई पेड़ों/हरियाली की क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए स्थान की उपलब्धता और जरूरत के अनुरूप पौध रोपण किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के उद्यान विभाग ने 20000 वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ग) यह वृक्षारोपण विभागीय नर्सरी में उगाए गए पौधों से विभागीय स्टाफ द्वारा किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए पृथक निधि आबंटन की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उद्यान विभाग को पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित राशि आबंटित की गई है और इसे पौध, वृक्ष रोपण सहित उद्यानों के अनुरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है।

वर्ष	आबंटित राशि (लाख रुपयों में)
2005-2006	200
2006-2007	250
2007-2008	250

(घ) मौजूदा हरित क्षेत्र को बनाए रखने एवं उसे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा ट्रीगार्ड प्रदान करना, जल देना, खाद लगाना, ट्रिमिंग करना, प्रूनिंग करना जैसे सभी संभव उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

राज्यों को खनन की शक्तियां देना

882. श्री सुभाष महरिया: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के भाग क और ग के अधीन सूचीबद्ध खनिजों के लिए राज्यों को खनन की अनुमति देने का है;

(ख) क्या होडा समिति के कुछ सदस्यों ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर असहमति व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों के संबंध में राज्य सरकारों से चर्चा की है और किसी निष्कर्ष पर पहुंची है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) होदा समिति की सिफारिशों से असहमति के ब्यौरे होदा समिति की रिपोर्ट में उपलब्ध हैं जोकि खान मंत्रालय की वेबसाइट (www.mines.nic.in) पर उपलब्ध है।

(घ) से (च) राज्य सरकार के साथ परामर्श किया गया है। सरकार के विचाराधीन नई राष्ट्रीय खनिज नीति में अन्य मुद्दों के अलावा खनन पट्टे मंजूर करने में विलम्ब को कम करने के मुद्दे को भी संबोधित किया गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय मदरसा बोर्ड की स्थापना

883. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग की सिफारिश के अनुसार एक केन्द्रीय मदरसा बोर्ड की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुस्लिम समुदाय के नेताओं द्वारा केन्द्रीय मदरसा बोर्ड की स्थापना का विरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मदरसों का आधुनिकीकरण किस प्रकार किया जाएगा और इसका क्या परिणाम निकलेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग ने वर्ष 2006 में राज्य मदरसा बोर्ड और मदरसा प्रबंधन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था और इससे संबंधित रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में अन्य सुझावों के साथ-साथ केन्द्रीय मदरसा बोर्ड के गठन का भी सुझाव दिया गया है। इस समय अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम जारी है जिसके तहत उन मदरसों को राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो परम्परागत धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त विज्ञान, गणित, अंग्रेजी इत्यादि जैसे आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम का परिणाम यह है कि लक्षित मदरसों में नामांकित विद्यार्थी यदि शिक्षा की मुख्य धारा में जाना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं।

विदेशी विश्वविद्यालयों में कार्यकत प्रोफेसर

884. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी विश्वविद्यालयों में कार्यरत भारतीय प्रोफेसरों को वापिस बुलाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी योजना को सरकार द्वारा कब तक अंतिम रूप दिए जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) यद्यपि विदेशी विश्वविद्यालयों में कार्यरत भारतीय प्रोफेसरों का भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए स्वागत है, सरकार ने इस संबंध में कोई स्कीम तैयार नहीं की है।

न्यायालयों को आतंकवादी धमकियां

885. श्री उदय सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आर्तकवादियों द्वारा देश में न्यायालयों को निशाना बनाने की धमकियां मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के विभिन्न न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) देश में आतंकवादियों द्वारा न्यायालयों को निशाना बनाने की विशिष्ट धमकी के संबंध में कोई सूचना नहीं है। सरकार ने उच्च न्यायालयों, जिला/अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश बनाकर सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 04.06.2007 को इस अनुरोध के साथ सूचित कर दिया कि वे उच्च न्यायालयों एवं जिला/अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा करें और किसी अनहोनी घटना से बचने के लिए उसे उपयुक्त रूप से सुदृढ़ करें। आतंकवादियों की किसी सम्भावित चुनौती के बारे में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सतत एवं सघन निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में प्राप्त होने वाली हर सूचना की राज्य सरकारों के साथ नियमित आधार पर भागीदारी भी की जाती है।

सामाजिक विकास क्षेत्रों की स्थापना

886. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सामाजिक विकास क्षेत्रों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ज्ञान केन्द्रों की स्थापना का है, जैसा कि दिनांक 9 फरवरी, 2008 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) इस समय सामाजिक विकास क्षेत्रों का प्रस्ताव केवल अन्वेषणात्मक स्तर पर है और किसी ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय खनिज नीति

887. **श्री सुरेश अंगड़ि:**
श्री जुएल ओराम:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खनन नीति को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय खनिज नीति को अंतिम रूप दिए जाने में हो रहे विलंब के कारण विदेशी इस्पात कंपनियां अपनी कार्यनीति की घोषणा नहीं कर पा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या खनिज समृद्ध राज्य नई खनिज नीति में अपना हित्तपोषण भी चाहते हैं; और

(ङ) इस्पात उद्योगों को खनन पट्टे देने की समयावधि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) एक नई राष्ट्रीय खनिज नीति केंद्र सरकार के विचाराधीन है।

(ग) मौजूदा राष्ट्रीय खनिज नीति इस्पात विनिर्माताओं को अपनी नीति घोषित करने से नहीं रोकती है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार के साथ परामर्श किया गया है। सरकार के विचाराधीन नई राष्ट्रीय खनिज नीति में खनन पट्टे प्रदान करने में विलंब को कम करने के मुद्दे को संबोधित किया गया है।

शिक्षा हब

888. **श्री अबु अयीश मंडल:**
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत प्रमुख शिक्षा हब बनने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अनिवासी भारतीयों की सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अनिवासीय भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 30 केंद्रीय विश्वविद्यालयों जिनमें 14 विश्व स्तर के विश्वविद्यालय शामिल हैं, 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 7 नए भारतीय प्रबंध संस्थान, 10 नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 3 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, 20 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तथा 2 नए आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का भारतीय मूल के लोगों के लिए विश्वविद्यालय के गठन संबंधी प्रस्ताव प्रारंभिक स्तर पर है।

[हिन्दी]

शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2006

889. **श्री कैलाश मेघवाल:**
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों ने शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2006 के संबंध में अनेक आपत्तियां व्यक्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2006 का प्रारूप पुन: तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने और उक्त विधेयक को कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) यह प्रावधान करते हुए कि "राज्य से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उस ढंग से प्रदान करेगा जैसा राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे", संविधान का अनुच्छेद 21ए 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देता है। उच्च स्तरीय दल जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष शामिल हैं, की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा का अधिकार के कानूनी, संवैधानिक और वित्तीय निहितार्थों पर विचार करने हेतु शिक्षा का अधिकार संबंधी मानक विधेयक, 2006 के साथ-साथ इस माडल विधेयक को अपनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव राज्यों की टिप्पणियों के लिए उन्हें परिचालित किए गए थे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मुख्य आपत्तियां इन मुद्दों पर उठाई गई हैं:-

1. राज्य विधान के लिए मानक विधेयक द्वारा केंद्रीय विधान के प्रतिस्थापन का प्रस्ताव।
2. शिक्षा का अधिकार संबंधी मानक विधेयक के अधिनियमन अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मौजूदा अधिनियमों में संशोधन के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ सर्व शिक्षा अभियान के निधीयन का संबंध।
3. प्रत्येक राज्य सरकार के राजस्व पर कानून व व्यवस्था के बाद प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय का प्रभार सबसे अधिक होना।
4. नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए वित्तीय देयता का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाना।

विभिन्न राज्यों द्वारा की गई टिप्पणियों और विभिन्न मंचों, जिनमें उच्च स्तरीय दल के सदस्य भी शामिल हैं, में हुए विचार-विमर्श और 86वें संविधान संशोधन की तर्कसंगतता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का अधिकार संबंधी केंद्रीय विधान के अधिनियमन का मामला सरकार के विचाराधीन है।

फर्जी दस्तावेजों पर विदेश यात्रा

890. श्री रशीद मसूद: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फर्जी दस्तावेजों पर अमरीका जाने वाले कुछ लोगों को हाल में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या उक्त रैकेट का प्रमुख उद्देश्य मानव दुर्व्यापार है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकार के नोटिस में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ङ) वीसा सहित यात्रा दस्तावेजों की प्रमाणिकता का पता लगाने तथा धोखाधड़ी को पकड़ने हेतु देश में स्थित सभी प्रवर्तन जांच चौकियां (आईसीपी) के प्रवर्तन अधिकारियों को मिलान करने के लिए यात्रा दस्तावेजों और वीसा की नमूना प्रतियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। सम्भावित फर्जीवाड़े को पकड़ने के लिए, वीसा सहित यात्रा दस्तावेजों की जांच करने के लिए उनको अल्ट्रा वायलट लैम्पस/मैगनिफाईंग ग्लासेज भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख आईसीपी पर फुल पेज पासपोर्ट रीडिंग मशीन (पीआरएम) तथा कोशयनेबल डाक्यूमेन्ट एक्सामीनर (क्यू डी एम्स) मशीनें स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सभी आई सी पी स्थित प्रवर्तन काउन्टरों पर कार्यरत अधिकारियों को वीसा सहित जाली/नकली यात्रा दस्तावेजों को पकड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीन में दरारें पड़ना

891. श्री मोहन सिंह: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीन में पड़ रही दरारों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) क्या कुछ स्थानों पर ऐसी दरारों से ज्वालामुखी की लपटें उठती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने सूचित

किया है कि 6.2.2008 को बांदा जिला, उत्तर प्रदेश के भागों में जमीन में दरारें पड़ी हैं। जीएसआई ने मातौंध गांव, बांदा जिला के आसपास के क्षेत्र का 16.2.2008 को अध्ययन किया।

(ख) क्षेत्र में ज्वालामुखी की लपटों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जीएसआई ने निष्कर्षों के साथ विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों का निर्यात

892. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि उत्पादों के विश्व निर्यात व्यापार में भारत की हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कृषि निर्यात की कुल मात्रा अभी भी काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई मदों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) कृषि उत्पादों के विश्व के निर्यात व्यापार में भारत का हिस्सा लगभग 1 प्रतिशत है। कृषि निर्यातों में गत कुछ वर्षों की तुलना में सुधार प्रदर्शित हुआ था और इनमें वर्ष 2006-07 में वर्ष 2005-06 की तुलना में 26.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी। तथापि, इस अवधि के दौरान देश के कुल निर्यातों में कृषि एवं संबद्ध निर्यातों का प्रतिशत हिस्सा 9.90 प्रतिशत के समान स्तर पर बना हुआ है। वर्ष 2006-07 के दौरान 56612.78 करोड़ रुपए के कृषि निर्यात हुए थे जबकि वर्ष 2005-06 के दौरान 45181.38 करोड़ रुपये के निर्यात हुए थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख वस्तुओं के निर्यातों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भारत सरकार की कार्यनीति फार्म आय को अधिकतम बनाने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने, विदेशी मुद्रा सृजित करने और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए यथोचित कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत से प्रभावित है। सरकार सांविधिक निकायों जैसे कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तु बोर्डों के माध्यम से प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से कृषि निर्यातों का संवर्धन करती रही है। कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अवसंरचना विकास, गुणवत्ता एवं गुणवत्ता नियंत्रण, बाजार विकास एवं संवर्धन, पैकेजिंग, प्रचार, सूचना के आदान-प्रदान आदि के लिए एपीडा, वस्तु बोर्डों/निर्यात संवर्धन परिषदों के माध्यम से विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसके अलावा, चीन, जापान और अन्य महत्वपूर्ण आयातक देशों के साथ एसपीएस प्रोटोकाल के निष्पादन के जरिए हमारे कृषि उत्पादों हेतु पहुंच प्राप्त करने के लिए कड़े प्रयास भी किए जा रहे हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए कृषि निर्यात के आंकड़े

	2004-05 (अप्रैल-मार्च,)			2005-06 (अप्रैल-मार्च)			2006-07 (अप्रैल-मार्च)		
	मात्रा	मूल्य	मूल्य (मि.अ.डा.)	मात्रा	मूल्य	मूल्य (मि.अ.डा.)	मात्रा	मूल्य	मूल्य (मि.अ.डा.)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
खाद्यान्न	7965477	902256	2008.07	5401569	723262	1626.00	5521464	766346	1740.67
बासमती चावल	1162996	282390	628.49	1166569	304310	684.13	1040672	277831	631.06
गैर-बासमती चावल	3615105	394502	878.01	2921605	317817	714.50	3704847	425788	967.13

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
गेहूं	2009347	145982	324.90	746177	55753	125.34	47834	3615	8.21
अन्य अनाज	1178029	79382	176.67	567218	45382	102.03	728111	59112	134.27
दालें	271176	60257	134.11	447441	111521	250.72	247424	76405	173.55
मांस, कुक्कुट व डेयरी		264602	588.90		385815	867.37		403773	917.12
मांस व मांस उत्पाद		109527	424.04		275017	618.28		323973	735.87
कुक्कुट उत्पादन		28196	62.75		31337	70.45		30202	68.60
डेयरी उत्पादन		45879	102.11		79461	178.64		49598	112.66
फल एवं सब्जियां		172525	383.97		204050	458.74		289036	656.51
ताजे फल		86226	191.91		112069	251.95		138815	315.30
ताजी सब्जियां		86299	192.07		91981	206.79		150221	341.21
प्रसंस्कृत खाद्य		163965	364.92		205392	461.75		244275	554.84
प्रसं. फल व रस		36916	82.16		59991	134.87		71410	162.20
प्रसं. सब्जियां		36246	80.67		49448	111.17		62605	142.20
विविध प्रसं. मदें		90803	202.09		95953	215.72		110260	250.44
गिरी एवं बीज	489678	379789	845.26	543397	390524	877.96	637299	429642	975.88
काजू गिरी	118110	247718	551.32	125102	258470	581.08	122835	249091	565.78
मूंगफली	177150	54702	121.75	190062	51369	115.49	251637	80008	181.73
तिल	168280	70895	157.78	199808	74660	167.85	232810	93856	213.18
राम तिल	26138	6474	14.41	28425	6025	13.55	30017	6687	15.19
तम्बाकू	135744	125461	279.23	142702	133066	299.15	157321	168202	382.05
तम्बाकू अनि.	135744	94007	209.22	142702	102132	229.61	157321	125226	284.44
तम्बाकू निर्मित		31454	70.00		30934	69.54		42976	97.62
चीनी व शीरा	116848	15505	34.51	394144	59790	134.42	1957635	318473	723.37
चीनी	108687	14953	33.28	321204	56910	127.94	1636312	305546	694.01
शीरा	8161	552	1.23	72940	2880	6.47	321323	12927	29.36
मसाले	364530	188318	419.12	400245	211598	475.70	497290	312288	709.33
तेल खाद्य	3603382	317760	707.21	5975997	487501	1095.98	6591861	550297	1249.94

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
खरगम खाद्य	131307	68948	153.45	186733	104923	235.88	189247	112346	255.18
पुष्पोत्पाद		22292	49.61		30145	67.77		38093	86.52
फुल व सब्जियां	6745	6604	14.70	7522	9296	20.90	9097	11548	26.23
स्पिरिट व पेय		13931	31.00		25316	56.91		25802	58.61
कुल कृषि उत्पाद	13084887	2702213	6014.07	13499750	3082199	6929.25		3746526	8509.80
संवृद्ध उत्पाद	1201340	1104403	2457.97	1773559	1435939	3228.21	2498487	1914752	4349.14
समुद्री उत्पाद	483520	646922	1439.80	554197	703591	1581.78	611406	788984	1792.09
चाय	183403	184030	409.58	162856	173073	389.09	204709	195630	444.35
काफी	167548	106908	237.94	177685	158868	357.16	2161.95	196887	447.21
अरंडी तेल	271689	107798	239.92	254718	93974	211.27	293588	108392	246.20
शैलेक	8545	16487	36.69	9298	15998	35.97	7533	14675	33.33
अप. सहित कपास	86635	42258	94.05	614805	290435	652.94	1165056	610184	1385.96
महायोग (कृषि व संबद्ध उत्पाद)		3806616 अम.डा./US$ = 44.93	8472.04		4518138 अम.डा./US$ = 44.4810	10157.46		5661278 अम.डा./US$ = 44.260	12858.94
कुल निर्यात		37533953	83535.94		45641786	102609.62		57164188	129841.88
कु.नि.के. % में कृषि नि.		7	7.20		6.57	6.75		6.55	6.55
कु.नि.के. % में जल कृषि		10	10.14		9.90	9.90		9.90	9.90

[हिन्दी]

फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के लिए समिति

893. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री काशीराम राणा:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न भाषाओं में दूरदर्शन चैनलों पर प्रसारण के लिए फीचर फिल्म और टीवी धारवाहिकों के चयन के लिए क्या मापदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा गठित समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समितियों के सदस्य कौन-कौन हैं;

(घ) क्या ऐसी शिकायतें हैं कि ये सदस्य फिल्मों और टी.वी. धारावाहिकों को स्वीकृति देने के मानदंडों की अनदेखी कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन रायल्टी आधार पर मैसर्स एनएफडीसी लिमिटेड से प्रसारण हेतु फीचर फिल्में अधिप्राप्त करता है। मुख्य कार्यकारी

अधिकारी, प्रसार भारती की अध्यक्षता में फिल्म चयन समिति द्वारा प्रसारण के लिए फिल्मों का चयन किया जा रहा है।

''प्रायोजित श्रेणी'' और 'स्व-वित्तपोषित कमीशनिंग' तथा कमीशनिंग श्रेणी के अंतर्गत टी.वी. कार्यक्रमों/धारावाहिकों के प्रसारण हेतु बाह्य निर्माताओं के प्रस्तावों पर विचार करने, कार्रवाई करने एवं अनुमोदन हेतु दिशा-निर्देश/मापदंड निर्धारित हैं। ये दिशा-निर्देश प्रसार भारती बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया है क्योंकि प्रसार भारती एक स्वायत्तशासी संगठन है। तथापि, प्रसार भारती द्वारा गठित की गई समितियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

1. प्रायोजकता योजना

दूरदर्शन अपनी कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब भी जरूरत होती है अपने नेटवर्क पर घोषणा करके/ समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर बाह्य निर्माताओं से प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

प्राप्त प्रस्तावों पर दो चरणों में कार्रवाई की जाती है:-

(1) **मूल्यांकन समिति:** इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:

* निदेशक (कार्यक्रम) (नेशनल चैनल)
* निदेशक (कार्यक्रम) (प्रायोजित कार्यक्रम)
* निदेशक (कार्यक्रम) (डीडी-इंडिया)
* निदेशक (कार्यक्रम) (डीडी-स्पोर्ट्स)
* निदेशक (कार्यक्रम) (डीडी-न्यूज)
* निदेशक (कार्यक्रम) (डीडी-भारती)
* निदेशक (कार्यक्रम) (विक्रय-विपणन)
* निदेशक (कार्यक्रम) (डीडी-कशीर)
* निदेशक (अभियांत्रिकी) (समन्वय)

(2) **चयन समिति:** इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:

* नेशनल चैनल के अपर/उप महानिदेशक (डीडी-1)
* अपर/उप महानिदेशक (डीडी-इंडिया)
* अपर/उप महानिदेशक (डीडी-स्पोर्ट्स)
* अपर/उप महानिदेशक (डीडी-न्यूज)
* अपर/उप महानिदेशक (वाणिज्य और विक्रय/विपणन)
* संबंधित चैनल के निदेशक, कार्यक्रम
* तीन बाह्य विशेषज्ञ (इनमें से एक महिला सदस्य और एक विपणन विशेषज्ञ होगा)

2. स्व-वित्त पोषित कमीशनिंग

दूरदर्शन अपने विवेकाधिकार पर और कार्यक्रम संबंधी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्माताओं से अपने आप प्राप्त प्रस्तावों पर निम्नलिखित समितियों के माध्यम से विचार एवं कार्रवाई करता है:

(1) **उपयुक्तता समिति:**

यह महानिदेशक, दूरदर्शन द्वारा गठित एक इन-हाउस समिति है। इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:

उप महानिदेशक (अध्यक्ष)
वरिष्ठ निदेशक कार्यक्रम: नेशनल (सदस्य)
वरिष्ठ निदेशक कार्यक्रम: एसएफसी (निर्माण)
उप निदेशक कार्यक्रम: नेशनल एवं प्रायोजित
उप निदेशक कार्यक्रम: एसएफसी
सहायक निदेशक कार्यक्रम: नेशनल

(2) **मूल्यांकन समिति:**

यह समिति दूरदर्शन की आम आवश्यकताओं के साथ-साथ चैनल विशेष के संबंध में प्रस्तावों के गुणावुगण का आकलन एवं मूल्यांकन करती है। इसमें दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं:

उप महानिदेशक (एसएफसी)
वरिष्ठ निदेशक कार्यक्रम: (विज्ञापन और विक्रय)
वरिष्ठ निदेशक कार्यक्रम: (विपणन)
वरिष्ठ निदेशक कार्यक्रम: (एसएफसी)
वरिष्ठ निदेशक कार्यक्रम: (नेशनल)

उप निदेशक कार्यक्रम/उप निदेशक प्रशा. (वित्त)/सहायक निदेशक कार्यक्रम/तकनीकी प्रभारी और तीन बाह्य विशेषज्ञ

(3) अधिकार-प्राप्त समिति

मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर प्रस्तावों को अनुमोदन/अस्वीकृति अथवा अन्य किसी कार्रवाई के लिए अधिकार-प्राप्त समिति को प्रस्तुत किया जाता है जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती, महानिदेशक दूरदर्शन और सदस्य (वित्त) शामिल होते हैं।

अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों पर डीडी नेशनल चैनल के टाइम बैंड/शैली के अनुसार स्लाटिंग के लिए विचार किया जाता है।

3. कमीशंड कार्यक्रम

कमीशनिंग के अंतर्गत प्रस्तावों पर निम्नलिखित समितियां कार्रवाई करती हैं:-

(1) **मूल्यांकन समिति:** इसमें उप निदेशक और उससे उच्चतर स्तर के पांच सरकारी सदस्य और तीन बाह्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

(2) **लागत निर्धारण समिति:** इसमें उप निदेशक और उससे उच्च स्तर के पांच सरकारी सदस्य शामिल होते हैं।

(3) **लागत निर्धारण समिति:** इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती, महानिदेशक, दूरदर्शन, महानिदेशक, आकाशवाणी और प्रसार भारती बोर्ड के दो अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं जो चैनल और कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार दिशा-निर्देशों में छूट देते हुए प्रस्ताव को अपनी ओर से स्वीकृति दे सकते हैं।

4. फिल्में

फिल्म चयन समिति:

लघुसूचीयन समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं—

श्री बी.एस. लाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री एल.डी. मंडलोई, महानिदेशक दूरदर्शन

श्री रजत भार्गव, अपर महानिदेशक (प्रशा. एवं. वित्त) श्री रजत भार्गव, जिन्हें प्रसार भारती से कार्यमुक्त कर दिया गया है, के स्थान पर श्री अशोक जेलखानी, उप महानिदेशक (फिल्म) को शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

अवैध खनन

894. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवैध खनन से राष्ट्रीय राजकोष को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग का 1999 में संशोधन किया गया था जिसके तहत राज्य सरकारों को अवैध खनन रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया;

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि तक नियम बनाने वाली राज्य सरकारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में नियम बनाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) अवैध खनन से राज्य सरकारों को राजस्व की हानि होती है जो उन्हें अन्यथा, रायल्टी तथा दूसरे करों के रूप में उद्भूत हुई होती।

(ग) से (ङ) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के अंतर्गत राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण को रोकने तथा उनसे संबद्ध प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए शक्तियां दी गई हैं। 16 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ने नियम बना लिए हैं। जिन राज्य सरकारों ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के अंतर्गत नियम नहीं बनाये हैं उन्हें समय-समय पर ऐसे नियमों को शीघ्र बनाने के लिए स्मरण दिलाया जाता है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में चुनाव पश्चात् स्थिति का आकलन

895. श्री रामदास आठवले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन किया गया है/किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा अंतिम चेतावनी जारी किए जाने के फलस्वरूप कुल कितने आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया;

(घ) आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों से हासिल किए गए हथियारों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों को मुख्यधारा में लाने और उनके पुनर्वास पर अभी तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर की स्थिति की समीक्षा राज्य सरकार (जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दो एकीकृत मुख्यालयों सहित) और केन्द्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर की जाती है। राज्य में आतंकवाद की घटनाओं की संख्या में पूर्व वर्षों की तुलना में कमी आई है।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, सुरक्षा बलों/ जम्मू और कश्मीर पुलिस के समक्ष 262 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।

(घ) आत्मसमर्पित आतंकवादियों से प्राप्त हथियारों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

हथियार और गोलाबारूद की किस्म	प्राप्त नगें
एके राईफल	137
पिस्टलें	78
एसएलआर	12
यूबीजीएल	01
जीडीई थ्रोअरस	05
पीका बंदूकें	02
303 राइफलें	03
एलएमजी	01
स्नीपर राइफलें	02
आरपीजी	01
यूएमजी	01

(ङ) सरकार ने आत्मसमर्पित आतंकवादियों को मुख्य धारा में लाने और उनके पुनर्वास के लिए अब तक (फरवरी, 2008 तक) सुरक्षा संबंधी व्यय से 2.628 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

विदेशी पूंजी निवेश संबंधी विशेषज्ञ समिति

896. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री सूरज सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशी पूंजी निवेश के प्रभाव का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समितियों ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो इन रिपोर्टों के निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इन रिपोर्टों के कब तक हासिल होने की संभावना है;

(च) क्या सरकार ने समितियों की रिपोर्टें प्राप्त हो जाने और इनका विश्लेषण हो जाने तक विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति न देने का निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान हेतु भारतीय परिषद (आईसीआरआईईआर) को असंगठित खुदरा व्यापार पर संगठित खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन का कार्य सौंपा गया है। सरकार ने भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के विकास गठजोड़ों पर व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद (एनसीएईआर) को भी एक अध्ययन का कार्य सौंपा है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एफ.डी.आई. के प्रभाव पर केन्द्रित होगा।

आईसीआरआईईआर को अपनी अंतिम रिपोर्ट जुलाई, 2007 में प्रस्तुत करनी थी परन्तु उसने उक्त अध्ययन के लिए अतिरिक्त सर्वेक्षणों को करने के लिए समय सीमा में परिवर्तन की मांग की है। एनसीएईआर द्वारा अंतिम रिपोर्ट मई, 2008 तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

(च) और (छ) सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) पर एक उदार तथा निवेशक अनुकूल नीति बनायी है। इस नीति की समीक्षा पणधारकों (स्टेक होल्डर्स) की चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए अन्त:मंत्रालयीय विचार-विमर्श प्रक्रिया के जरिये निरन्तर आधार पर की जाती है।

[अनुवाद]

पद्म पुरस्कार

897. श्रीमती मेनका गांधी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पद्म पुरस्कार दिए जाने के आधार का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे पुरस्कारों का निर्णय लेने वाली समिति का संघटन क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) पद्म पुरस्कार अर्थात् "पद्म विभूषण", "पद्म भूषण" तथा "पद्म श्री" क्रमश: गतिविधियों के किसी भी क्षेत्र में "असाधारण तथा प्रतिष्ठित सेवा", "उच्च कोटि की प्रतिष्ठित सेवा" तथा "प्रतिष्ठित सेवा" के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, पेशा, स्थिति अथवा लिंग के भेद के बिना कोई भी व्यक्ति पुरस्कार के लिए पात्र है। प्रत्येक वर्ष सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों, मंत्रालयों/भारत सरकार के विभागों, भारत रत्न और पदम विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं तथा चयनित उत्कृष्ट संस्थानों से सिफारिशें आमंत्रित करना एक आम प्रथा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्रोतों से भी सिफारिशें प्राप्त की जाती हैं जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केन्द्रीय/राज्य मंत्री, सांसद, विधायक तथा विभिन्न अन्य निजी संगठन/निकाय/व्यक्ति आदि। इन सभी नामांकनों को पद्म पुरस्कार समिति के सम्मुख रखा जाता है जिसमें मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव (गैर-पदेन सदस्य) तथा प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा नामित चार से छ: प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अनुमोदन हेतु प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को विदेश से धनराशि

898. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विदेश से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई दिशानिर्देश बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को गैर-सरकारी संगठन-वार और देशवार कितनी धनराशि मिली;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्य की सरकार द्वारा कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस समीक्षा में पाई गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) दोषी पाए गए संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) भारत में गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीयन कराके/पूर्वानुमान प्राप्त करके सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक अथवा धार्मिक क्षेत्रों में सदाशयतापूर्ण कार्यों के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत विदेशी स्रोत से विदेशी अभिदाय लेने की अनुमति है। यह पंजीयन/पूर्वानुमति गैर-सरकारी संगठन तथा इसके पदधारियों के पूर्ववृत्त एवं क्रियाकलाप का विधिवत सत्यापन करने के पश्चात दी जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान एनजीओ द्वारा, यथासूचित, विदेशी अभिदाय प्राप्त किए जाने की राशि निम्नलिखित हैं:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)
2003-04	5105.50
2004-05	6256.68
2005-06	7877.57

(ग) वे एसोसिएशन जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत हैं अथवा जिन्होंने पूर्वानुमति प्राप्त कर ली है, उन्हें वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के अंदर सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित प्राप्तियों की वार्षिक विवरणी और विदेशी अभिदाय का उपयोग प्रमाणपत्र भेजना अपेक्षित होता है। वार्षिक विवरणी प्रस्तुति की समीक्षा करने पर 8763 पंजीकृत एसोसिएशनों को, जिन्होंने वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के तीन क्रमागत वर्षों के लिए अनिवार्य विवरणी प्रस्तुत नहीं की, इस मंत्रालय की दिनांक 26.10.2005 की अधिसूचना के तहत पूर्वानुमति श्रेणी में रखा गया था। तथापि, 337 एसोसिएशनों

को, जिन्होंने विवरणी प्रस्तुत करने का प्रमाणपत्र दे दिया, उन्हें पुनर्बहाल कर दिया गया।

(घ) और (ङ) जब कभी विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित शिकायत सरकार को जानकारी में आती है, इस अधिनियम के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जाती है। एसोसिएशनों द्वारा विदेशी अभिदाय प्राप्त एवं उपयोग करने की मानीटरिंग एसोसिएशनों द्वारा फाइल अंकेक्षित वार्षिक विवरणियों की, इस उद्देश्य के लिए गठित मानीटरिंग यूनिट द्वारा जांच और एसोसिएशन के खातों एवं रिकार्डों का निरीक्षण करके की जाती है। विदेशी अभिदाय की प्राप्ति एवं उपयोग की बेहतर मानीटरिंग सुकर बनाने के लिए विधिक वार्षिक विवरणियों को आनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है।

किसी एसोसिएशन के विदेशी अभिदाय का दुरुपयोग/विपथन के अंतर्गत पाए जाने पर एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई में शामिल हैं (1) एसोसिएशन को पूर्वानुमति श्रेणी में रखना, (2) इसे विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से निषिद्ध करना, (3) इसे कानून के न्यायालय में अभियोजित करना, (4) इसके बैंक खाते फ्रीज करना। गंभीर उल्लंघन के मामलों में जहां यह पाया जाता है कि अंशदान का उपयोग एसोसिएशन के उल्लिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है तो मामले को विस्तृत जांच एवं अभियोजन, यदि जरूरी हो, के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दिया जाता है।

प्राप्त शिकायतों एवं की गई जांच के आधार पर 45 एसोसिएशनों को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से निषिद्ध किया गया, 26 एसोसिएशनों को पूर्वानुमति श्रेणी में रखा गया और 11 एसोसिएशनों के खाते फ्रीज किए गए। उन एसोसिएशनों की सूची, जिनके खिलाफ अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की गई है, गृह मंत्रालय की वेबसाइट (http//mha.nic.in/fore.htm) पर उपलब्ध है। एफसीआरए उल्लंघन की विस्तृत जांच करने के लिए 17 मामले सीबीआई को भेजे गए हैं।

[अनुवाद]

ग्रामोद्योग

899. प्रो. एम. रामदास:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग/सरकार द्वारा स्थापित कृषि एवं ग्रामोद्योगों और उनमें काम करने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) पंजीकृत ग्रामोद्योगों/संस्थाओं की राज्य-वार, संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन उद्योगों में से लाभ प्राप्त करने वाले/घाटा वहन करने वाले उद्योगों की अलग-अलग राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या घाटा वहन करने वाले उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) अपनी निजी ग्रामोद्योग इकाइयां स्थापित नहीं करता है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत पात्र उद्यमियों द्वारा 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग इकाइयां स्थापित की जाती हैं। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा केवीआईसी के माध्यम से मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाती है तथा बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना तथा सृजित अतिरिक्त रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) 1 अप्रैल, 1995 से योजना के आरंभ से 31 मार्च 2005, 31 मार्च 2006 और 31 मार्च 2007 तक आरईजीपी के तहत स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

(ग) केवीआईसी द्वारा वैयक्तिकों अथवा इन उद्योगों की इकाइयों के समूह की वर्तमान वित्तीय स्थिति का राज्य/संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण I

2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत स्थापित ग्रामोद्योग इकाई तथा अनुमानत: सृजित रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामोद्योग इकाइयों की संख्या			सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	8	3	2	188	36	50
2.	दिल्ली	9	15	13	144	112	267
3.	हरियाणा	1140	1058	869	35691	26541	28339
4.	हिमाचल प्रदेश	469	650	803	12256	12276	17102
5.	जम्मू-कश्मीर	922	1402	1716	9406	18284	23274
6.	पंजाब	864	440	1022	30665	16654	35604
7.	राजस्थान	1537	2133	1340	38287	59596	44168
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	598	127	93	4495	323
9.	बिहार	254	692	849	5049	11445	12334
10.	झारखण्ड	240	217	221	6855	3756	7289
11.	उड़ीसा	991	650	857	15241	9670	16311
12.	पश्चिम बंगाल	2584	2078	2290	36581	36853	42834
13.	अरुणाचल प्रदेश	43	76	88	1219	1857	2106
14.	असम	1658	2229	1599	25768	49595	30912
15.	मणिपुर	102	65	139	1313	416	1881
16.	मेघालय	146	206	165	3789	1962	2174
17.	मिजोरम	162	365	990	5180	18255	16455
18.	नागालैंड	151	316	156	3851	5549	3358
19.	त्रिपुरा	233	306	212	3994	5616	5851
20.	सिक्किम	139	106	89	3227	1750	2208
21.	आंध्र प्रदेश	1988	2278	2113	66463	66050	59750
22.	कर्नाटक	934	1314	1689	19478	27129	42420

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	केरल	914	1217	912	16434	30586	30144
24.	लक्षद्वीप	0	26	0	0	292	0
25.	पुडुचेरी	7	56	164	146	187	854
26.	तमिलनाडु	925	1036	1075	19159	20055	25216
27.	गोवा	138	136	104	1670	801	1389
28.	गुजरात	376	516	412	8581	17947	13520
29.	महाराष्ट्र	1773	3120	2296	25040	30928	27182
30.	छत्तीसगढ़	656	551	691	18347	17348	17719
31.	मध्य प्रदेश	1361	736	934	40539	15365	22332
32.	उत्तराखण्ड	513	527	641	10471	10948	10962
33.	उत्तर प्रदेश	2210	1532	1509	64900	45322	51123
	कुल योग	23453	26650	26087	530025	567676	595451

विवरण II

1 अप्रैल, 1995 को योजना की शुरूआत से 31 मार्च 2005, 31 मार्च 2006 और 31 मार्च 2007 तक आरईजीपी के तहत स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	आरईजीपी इकाइयों की संख्या		
		(31 मार्च 2005 तक)	(31 मार्च 2006 तक)	(31 मार्च 2007 तक)
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	156	159	161
2.	दिल्ली	228	243	256
3.	हरियाणा	6249	7307	8176
4.	हिमाचल प्रदेश	2374	3024	3827
5.	जम्मू-कश्मीर	7556	8958	10674
6.	पंजाब	10467	10907	11929
7.	राजस्थान	27434	29567	30907
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	422	1020	1147

1	2	3	4	5
9.	बिहार	1100	1792	2641
10.	झारखण्ड	1058	1275	1496
11.	उड़ीसा	4157	4807	5664
12.	पश्चिम बंगाल	19807	21885	24175
13.	अरुणाचल प्रदेश	422	498	586
14.	असम	3865	6094	7693
15.	मणिपुर	840	905	1044
16.	मेघालय	3293	3499	3664
17.	मिजोरम	1070	1435	2425
18.	नागालैंड	4941	5257	5413
19.	सिक्किम	286	392	481
20.	त्रिपुरा	666	972	1184
21.	आंध्र प्रदेश	14858	17136	19249
22.	कर्नाटक	14093	15407	17096
23.	केरल	9341	10558	11470
24.	लक्षद्वीप	10	36	36
25.	पुडुचेरी	956	1012	1176
26.	तमिलनाडु	6741	7777	8852
27.	दादर और नगर हवेली	15	15	0
28.	गोवा	2439	2575	2679
29.	गुजरात	1474	1990	2402
30.	महाराष्ट्र	21684	24804	27115
31.	छत्तीसगढ़	1787	2338	3029
32.	मध्य प्रदेश	19884	20620	21554
33.	उत्तराखण्ड	2307	2834	3475
34.	उत्तर प्रदेश	17725	19257	20766
	कुल योग	209705	236355	262442

विज्ञान और अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना

900. **श्री हरिन पाठक:**
श्रीमती पी. सतीदेवी:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुजरात सहित देश के विभिन्न भागों में विश्व स्तर के राष्ट्रीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये संस्थान किन-किन शहरों में स्थापित किए जा रहे हैं और इन संस्थानों की स्थापना पर राज्य-वार कुल कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इन संस्थानों की स्थापना के लिए भूमि तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं देने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ये संस्थाएं वर्ष 2008-09 से कार्य करना शुरू कर देंगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) भारत सरकार ने पुणे, कोलकाता और मोहाली में तीन भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए हैं और यह भोपाल और तिरुवनंतपुरम में दो और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित कर रही है। सात वर्षों की प्रारम्भिक परियोजना अवधि में प्रत्येक भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए भूमि आबंटित कर दी है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे ने भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे की स्थापना के लिए अपनी भूमि का एक भाग दिया है। पंजाब, मध्य प्रदेश और केरल की सरकारों ने क्रमशः, मोहाली, भोपाल और तिरुवनंतपुरम में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान की स्थापना के लिए भूमि और अन्य सुविधाएं प्रदान की है।

(ङ) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे, कोलकाता और मोहाली पहले से कार्य कर रहे हैं। आशा है कि भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल और तिरुवनंतपुरम 2008 में अपने छात्रों के प्रथम बैच को दाखिला देंगे।

युवा वैज्ञानिकों के लिए सहायता योजना

901. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश के युवा वैज्ञानिकों को सहायता देने की कोई केन्द्रीय योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी योजना को उदार बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत से प्रतिभा पलायन रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन को विकसित और पोषित करना हमेशा ही सरकार की कार्यसूची में सर्वोपरि रहा है। युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने और बाइजकास्ट अध्येतावृत्तियों तथा कार्यशील युवा वैज्ञानिकों एवं तकनीकीविदों के लिए स्वर्णजयंती अध्येतावृत्तियों, श्यामाप्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्तियों, के एस कृष्णन अध्येतावृत्तियों, रमन्ना अध्येतावृत्तियों और जे सी बोस एवं रामानुजन अध्येतावृत्तियों जैसी अध्येतावृत्तियों सहित युवा वैज्ञानिको के लिए एस ई आर सी कार्यक्रम के रूप में प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए तथा विज्ञान में नेतृत्व हेतु युवाओं पर सी एस आई आर कार्यक्रम (सीपीवाईएलएस), हीरक जयंती अनुसंधान इंटर्न्स पुरस्कार स्कीम, कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों (जेआरएफ/एसआरएफ), जैव प्रौद्योगिकी पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान एसोसिएटशिप एवं विदेशी अध्येतावृत्तियों, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (केवीपीवाई), अनुसंधान और विकास में प्रतिभाशाली युवा विद्यार्थियों को आकर्षित करने तथा उन्हें उसमें बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड कार्यक्रम आदि के लिए भी सरकार द्वारा अनेक स्कीमें शुरू की गयी हैं। इसके अतिरिक्त, नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी आदि जैसे उभरते क्षेत्रों सहित नई प्रौद्योगिकियों पर खोज और/अथवा प्रयोग करने के लिए विद्यार्थियों एवं युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से उनके सामने नई प्रौद्योगिकियों को लाया गया है। इन अधिकांश स्कीमों को युवा वैज्ञानिकों की आवश्यकता के

आधार पर समय-समय पर उदार बनाते हुए संचालित किया जाता रहा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने 11वीं योजना में इंसपायर (उत्प्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान खोज में नवोन्मेष) नामक एक नयी स्कीम प्रारंभ की है। प्रस्तावित स्कीम की मुख्य विशेषताएं होंगी: (1) स्कूलों में नवोन्मेषी विधिकरण (एक मिलियन युवा अन्वेषक); (2) विज्ञान के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ ग्रीष्मकालीन शिविर (उच्च निष्पादकों के लिए); (3) प्रमाणित प्रतिभा बल के लिए सुनिश्चित अवसर स्कीमें; और (4) सार्वजनिक-निजी भागीदारियों के माध्यम से सार्वजनिक निधिकृत अनुसंधान में प्रतिभा को बनाये रखना। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा में विज्ञान हेतु अध्येतावृत्तियों (एसएचई) पर 11वीं योजना में एक अन्य नई स्कीम आरम्भ की जा रही है जिसके तहत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विज्ञान में उनके बी.एससी./एम.एससी. पाठ्यक्रमों के दौरान प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये की 10,000 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जायेंगी। इन पहलों का उद्देश्य युवाओं में अधिकाधिक अनुसंधान करने तथा उपयोगी परिणामों की प्राप्ति हेतु अभिरुचि जाग्रत करना है।

सरकार इस बात को मानती है कि उच्च शिक्षा और/अथवा उन्नत अनुसंधान हेतु बड़ी संख्या में वैज्ञानिक विदेश जाते हैं। उनमें से अधिकांश वापस आकर देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संवृद्धि में योगदान करते हैं। सरकार ने हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को भारत वापस आने के लिए अथवा देश में अनुसंधान और विकास में संवृद्धि हेतु अपनी वैज्ञानिक विशेषज्ञता का प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित करने के लिए कुछ नवोन्मेषी स्कीमें आरंभ की हैं। ऐसी कुछ पहलों में रामानुजन अध्येतावृत्ति और डीएसटी का विदेश में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों के साथ सहयोगी परियोजना कार्यक्रम (सीपी-एसटीआईओ) भी हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की के.एस. कृष्णन अनुसंधान एसोसिएटशिप, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की अनिवासी भारतीयों के लिए रामलिंगास्वामी अध्येतावृत्ति और प्रतिभा खोज स्कीम कुछ ऐसी स्कीमें हैं।

[हिन्दी]

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कानूनों में परिवर्तन

902. **श्री संजय धोत्रे:**
श्री बापू हरी चौरे:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु तथा कुटीर उद्योगों से संबंधित कानूनों में कुछ संशोधन तथा परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास और उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने तथा उससे संबद्ध अथवा इस संबंध में प्रासंगिक अन्य विषयों की व्यवस्था करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास अधिनियम, 2006, जो 2 अक्तूबर, 2006 से लागू हो गया है, का कार्यान्वयन आरंभ कर दिया है। सरकार ने इसके तहत अपेक्षित अधिसूचनाएं और मार्गनिर्देश भी जारी किए हैं। सरकार का निकट भविष्य में एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन के प्रस्ताव का कोई इरादा नहीं है।

[अनुवाद]

विदेशी निवेशकों को पेश आ रही बाधाएं

903. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेशकों को भारत में व्यापार करते समय पेश आ रही बाधाओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है जैसा कि दिनांक 7 सितंबर, 2007 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान देश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह पर कितना प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) विश्व बैंक 10 मानदण्डों, नामत: व्यवसाय शुरू करना, लाइसेंसों पर कार्रवाई करना, श्रमिकों को नियोजित करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, ऋण प्राप्त करना, निवेशकों को संरक्षण देना, करों का भुगतान करना, देश की सीमाओं से बाहर व्यापार करना, संविदाओं को लागू करना तथा व्यवसाय बन्द करना, पर आधारित व्यवसाय करने को आसान करने में विश्व अर्थव्यवस्था की तुलना करते हुए

"डुईंग बिजनेस" शीर्षक से एक रिपोर्ट पिछले पांच वर्षों से प्रकाशित करता रहा है। पिछले तीन वर्षों से डुईंग बिजनेस को आसान बनाने पर भारत के स्थान में सुधार हो रहा है जैसा कि नीचे दिया गया है:-

वर्ष	भारत का स्थान
2008	120
2007	134
2006	138

फिर भी भारत सरकार ने इस बारे में किसी अलग अध्ययन की शुरुआत नहीं की है।

भारत सरकार द्वारा निरन्तर आधार पर प्रक्रियाओं/बाधाओं को ई-गवर्नेंस के द्वारा लगातार आधार पर न्यूनतम करने, एमसीए-21, निवेश नीति उदारीकरण, राज्य सरकारों द्वारा एकल खिड़की प्रणाली, आन लाइन फाइलिंग सहित कर सुधार बड़े कर दाता एकक, आयकर तथा कार्पोरेट कर के भुगतान हेतु एकल खिड़की प्रणाली, सीमा शुल्क व उत्पाद शुल्क दस्तावेजों की आन लाइन फाइलिंग हेतु आई.सी.ई.-गेट सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा अति लघु, लघु तथा मझौले उपक्रम अधिनियम, 2006 के जरिये शुरू किये गये प्रक्रिया सुधार के कारण भारत के स्थान में सुधार संभव हुआ है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) संबंधी एक उदार तथा निवेशक अनुकूल नीति की शुरुआत की है। इस नीति तथा प्रक्रियाओं की अन्त: मंत्रालयीय विचार-विमर्शों के माध्यम से निरन्तर आधार पर समीक्षा की जाती है। फलस्वरूप एफ.डी.आई. अन्तर्वाह ने पिछले तीन वर्ष के दौरान पर्याप्त वृद्धि दर्शाई है जैसा कि नीचे दिया गया है:-

वर्ष	एफ.डी.आई. अन्तर्वाह (पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि)
2005-06	72 प्रतिशत
2006-07	184 प्रतिशत
2007-08 (अप्रैल-दिसंबर 2007)	37 प्रतिशत

[हिन्दी]

हिन्दी अध्यापकों के लिए मांग

905. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ समय में विदेशों में हिन्दी अध्यापकों के लिए मांग बढ़ी है जैसाकि दिनांक 11 फरवरी, 2008 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न देशों में कार्य कर रहे विभिन्न विषयों/भाषाओं के भारतीय अध्यापकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में विदेशी छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शैक्षणिक संस्थाओं की अवसंरचना बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा आज की तारीख तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) एड सिल से यह जानकारी मिली है कि उसने दक्षिण कैरोलिना, शिक्षा विभाग तथा कैनैक्टीकट राज्य शिक्षा बोर्ड, संयुक्त राज्य अमरीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत उनके विजिटिंग शिक्षक कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जिला स्कूलों में अधिकतम 3 वर्ष के लिए जे-1 वीजा के तहत हिन्दी भाषा के शिक्षकों सहित शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

एड सिल ने सूचित किया है कि शैक्षिक वर्ष 2008-2009 के लिए हिन्दी शिक्षकों की मांग की गई है तथा चयन प्रक्रिया जारी है।

इस तथ्य का उल्लेख दिनांक 11.2.2008 के हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक जागरण" में किया गया है।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्तर पर इस प्रकार का कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(घ) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति ने यह सिफारिश की है कि शिक्षा पर परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत होना चाहिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतर शिक्षा हेतु परिव्यय में 10वीं योजना की तुलना में काफी वृद्धि की गई है। इस

परिव्यय का एक बड़ा हिस्सा नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करने, वर्तमान विश्वविद्यालयों को विश्व स्तर का बनाने तथा विज्ञान आधारित शिक्षा तथा अनुसंधान सुदृढ़ बनाने पर खर्च किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय छात्रों के साथ-साथ भारत में अध्ययन के इच्छुक विदेशी छात्रों को भी लाभ होगा।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत ऋण

905. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए बनाई गई योजनाओं के नाम क्या हैं तथा इससे संबंधित नियम/उपबंध क्या हैं;

(ख) क्या ऐसे उपबंधों के उल्लंघन के विभिन्न मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे उल्लंघन रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या खादी इकाइयां ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता की पात्र नहीं हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) देश में विशेष रूप से कर्नाटक में खादी इकाइयों को वित्तीय सहायता देने हेतु अन्य साधन क्या हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) वर्तमान में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में चंद खादी संस्थानों को दिए जाने वाले ऋणों के मामले को छोड़कर, खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा अपने बजटीय स्रोत से ऋण प्रदान करने की कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, केवीआईसी निम्नलिखित दो योजनाओं का कार्यान्वयन करता रहा है, जिसके तहत बैंकिंग क्षेत्र द्वारा ऋण प्रदान किए जाते हैं:

(1) संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खादी व ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) के सहयोग से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र का क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत अधिकतम 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, आदि से ऋण लेकर और केवीआईसी से मार्जिन मनी सहायता (सब्सिडी) लेकर पात्र उद्यमियों की ग्रामोद्योग स्थापित करने में मदद की जाती है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांगों, पूर्व सैनिकों, महिलाओं, आदि श्रेणियों से संबंधित उद्यमी अधिक मार्जिन मनी सहायता के लिए योग्य हैं।

(2) 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर बैंकों से खादी संस्थानों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) योजना। संस्थानों को केवल 4 प्रतिशत का ब्याज देना होगा और ब्याज की वास्तविक दर और 4 प्रतिशत के बीच के अंतर का केवीआईसी द्वारा ब्याज सब्सिडी के रूप में भुगतान किया जाता है।

चूंकि ऋण निधियां बैंकों द्वारा प्रदान की जाती हैं, उपरोक्त उल्लिखित दो योजनाओं के तहत, ऋण भुगतान से संबंधित नियम वित्त प्रदान करने वाले बैंकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) और (च) जी, हां। परियोजना आधारित वित्तपोषण पर नए ग्रामोद्योगों के संवर्धन, आईएसईसी योजना के तहत ग्रामोद्योगों को ब्याज सब्सिडी प्रावधान के प्रतिस्थापन के उद्देश्य से 1995-96 में आरईजीपी को आरंभ किया गया था। खादी से संबंधित कार्यकलाप कुछ अन्य कार्यकलापों के साथ आरईजीपी की "नकारात्मक सूची" में आते हैं, जिन्हें आरईजीपी के तहत वित्तपोषित नहीं किया जा सकता है। खादी/पोलीवस्त्र को आईएसईसी योजना के तहत ब्याज की रियायती दर के साथ वित्तपोषित किया जाना जारी है। इसके अतिरिक्त, खादी इकाइयों को कार्यशील निधि के साथ-साथ खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट का लाभ भी प्रदान किया जाता है, जो आरईजीपी में उपलब्ध नहीं है।

(छ) खादी इकाइयों को कर्नाटक सहित देश भर में कार्यान्वित निम्नलिखित योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

(1) खादी संस्थानों को कार्यशील निधि के रूप में, जब तक कि वे एक निश्चित स्तर के स्वीकृत उत्पादन/

बिक्री को बरकरार रखें, कार्यशील पूंजी बरकरार रखने की अनुमति दी जाती है, जो पहले केवीआईसी के माध्यम से बजटीय स्रोतों से उन्हें उपलब्ध कराई जाती थी।

(2) आईएसईसी योजना के तहत ब्याज सब्सिडी, जिसका ब्यौरा पहले ही भाग (क) के उत्तर के अनुच्छेद (2) में दिया गया है। 2006-07 के दौरान, देश भर में खादी संस्थानों को 233.62 करोड़ रुपये के बराबर बैंक ऋण उपलब्ध कराए गए जिनमें से कर्नाटक के खादी संस्थानों को 2.55 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए।

(3) खादी तथा खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट। 2006-07 के दौरान, इस योजना के तहत कर्नाटक के खादी संस्थानों को 2.67 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए।

[अनुवाद]

जाली नोट

906. **श्री प्रबोध पाण्डा:**
डा. अरुण कुमार शर्मा:
श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेष रूप से मिजोरम और दिल्ली में जाली नोट छापने वाले गिरोह की कुछ घटनाएं सामने आई हैं;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में पिछले छः महीनों में पकड़े गए प्रत्येक मूल्य वर्ग के जाली नोटों का ब्यौरा क्या है तथा अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाली नोट बनाने वाले गिरोहों में कुछ आतंकवादी संगठन भी संलिप्त हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों/संगठनों का पता लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) वर्ष 2007 के दौरान राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को दी गई सूचना के अनुसार बैंकों द्वारा बरामद और राज्य/संघ शासित क्षेत्र पुलिस द्वारा जब्त की गई जाली मुद्रा का मूल्य-वर्ग-वार और राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा तथा दर्ज की गई प्राथमिकताओं की संख्या वाला ब्यौरा क्रमशः विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जाली मुद्रा रैकेटों में उग्रवादी संगठनों की अंतर्ग्रस्तता के संबंध में कोई जांच आयोग रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(च) जहां राज्य सरकारें, जाली मुद्रा का पता लगाने और उनके कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों के तंत्र से अपराधियों पर मुकदमा चलाने सहित अपराध निवारण, पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच-पड़ताल करने के लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं। वहीं केन्द्रीय सरकार अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए गंभीर अपराधों की जांच में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देती है। इसके अतिरिक्त अपराध और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा और आसूचना एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से राज्य कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों के साथ आसूचना जानकारी का आदान-प्रदान किया जाता है। समय-समय पर राज्य सरकारों से यह भी कहा जाता है कि वे जाली मुद्राओं के परिचालन को रोकने के लिए यथा आवश्यक उपाय करें।

जाली मुद्राओं के परिचालन को रोकने के लिए गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. भारतीय मुद्रा के जाली नोटों (एफआईसीएन) के अपराध की जांच-पड़ताल करने तथा उनसे निपटने के लिए सीबीआई से नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सीबीआई, आवधिक रूप से मंत्रालयों/विभागों, पुलिस प्राधिकारियों, कानून प्रवर्तन करने वाली तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करता है। सीबीआई, सूचना एकत्र करने के साथ-साथ एक आईसीएन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय भी करता है।

2. सीमाओं पर गस्त लगाकर (पैदल, नावों और मोबाइल वाहन पर) चौबीसों घंटे निगरानी रखना, नाकाबंदी करना (सीमा पर घात लगाना) और सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ निगरानी चौकी स्थापित करना।

3. अनुषंगी आसूचना एजेंसियों के साथ आसूचना नेटवर्क और समन्वय का उन्नयन करना।

4. सीमाओं के साथ-साथ विशेष अभियान चलाना।

5. रात्रि में देखने वाले यंत्रों सहित आधुनिक निगरानी उपकरण लगाना।

6. अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) के साथ बाड़ का निर्माण करना।

7. बीओपी की संख्या बढ़ाना और आईबी पर तैनाती करना।

8. आईबी के नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ की जल विंग के पोतों/वाटर क्राफ्टों की तैनाती करके उन पर निगरानी रखी जा रही है।

9. सभी राज्यों और विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों को इस आशय के अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि वे इस बारे में और अधिक चौकस रहे।

वित्त मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) मुद्रण और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सुरक्षा से संबंधित सूचना का प्रसारण करना और सभी बैंकों के प्रधान कार्यालयों में जाली नोट सतर्कता कक्षों की स्थापना करना।

(2) जाली नोट मुद्रण को कठिन बनाने के लिए भारतीय बैंक नोटों में सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय शामिल करना।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अनुदेश दिए हैं कि वे जाली नोटों का पता लगाने के लिए अपनी शाखाओं में अल्ट्रा वायलेट लैंप लगाएं और यदि उनकी शाखाओं में जाली नोटों का पता चलता है तो ऐसे मामलों की सूचना पुलिस प्राधिकारियों को दें। करेंसी चेस्ट वाले बैंकों को भी सलाह दी गई है कि वे समयबद्ध ढंग से सभी चेस्टों में नोट सार्टिंग मशीनें लगाएं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रति घंटा 50000 से 60000 नोट संसाधित करने की क्षमता वाले अपने विभिन्न कार्यालयों में करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम (सीवीपीएस) स्थापित किए हैं। इन मशीनों की जाली नोटों का पता लगाने की क्षमता तथा ऊपर दर्शाई क्षमताओं में जारी न करने लायक और जारी करने लायक नोटों को छांटने की भी क्षमता है।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे जाली नोटों से संबंधित आर बी आई के अनुदेशों आदि की मानीटरिंग करने, उनका कार्यान्वयन करने के लिए अपने प्रधान कार्यालयों में जाली नोट सतर्कता कक्षों की स्थापना करें।

(6) भारतीय रिजर्व बैंक ने जाली नोटों का पता लगाने में लोगों की सहायता करने हेतु मुद्रण और इलैक्ट्रानिक मीडिया में बैंक नोटों की सिक्युरिटी से संबंधित विशेषताओं का व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए जनता में जागरूकता अभियान शुरू किया है।

(7) जनता की सुविधा के लिए एक बुकलेट (धन संबंधी मामलों में आपदा मार्गदर्शक) प्रकाशित की गई है जिसमें वास्तविक नोटों की विशेषतायें बताई गई हैं। यह बुकलेट आरबीआई के निर्गम कार्यालयों में जनता के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध होने के साथ-साथ आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।

(8) आर बी आई ने बैंक पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, सरकारी विभागों, सीमा सुरक्षा बल और आईटीवीपी के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि उन्हें भारतीय बैंक नोटों के विभिन्न पहलुओं के बारे में सुग्राही बनाया जा सके। आरबीआई द्वारा भी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

विवरण I

जाली मुद्रा (बरामद और जब्त) का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार और मूल्य वर्ग-वार विवरण दिसम्बर 2007 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	1000		500		100		50		20		10		5		2		1		टुकड़ों की कुल संख्या		कुल मूल्य (रु.)		एफआईआर
		R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
राज्य																								
1.	आंध्र प्रदेश	48	1525	398	6208	684	23498	87	2005	76	16	6	6	0	0	0	0	0	0	1299	33258	321330	7079430	174
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	6	0	22	0	5	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	0	27500	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3.	असम (8, 9)	59	206	412	2083	513	2081	82	167	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1067	4538	320420	1463960	78
4.	बिहार	34	199	721	799	1652	1097	70	111	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2480	2207	563230	713760	38
5.	छत्तीसगढ़ (5, 7, 8, 9)	0	263	0	378	0	2694	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3355	0	722400	41
6.	गोवा	0	17	0	237	0	120	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	0	147850	10
7.	गुजरात (6, 9)	685	923	5322	4911	9238	7247	1256	1157	9	10	15	12	0	0	0	0	0	0	16525	14260	4332930	4161370	213
8.	हरियाणा	0	18	0	1112	0	340	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2152	0	642100	23
9.	हिमाचल प्रदेश (7)	0	33	0	37	0	1	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	53500	7
10.	जम्मू-कश्मीर	30	210	151	941	972	933	73	26	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1229	2110	206380	775100	32
11.	झारखंड	0	108	0	331	0	83	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	0	282950	12
12.	कर्नाटक (3)	757	533	4648	3635	5085	5723	239	38	32	8	8	1	0	0	0	0	0	0	10769	9938	3602170	2924870	47
13.	केरल	137	1378	859	5819	1023	1048	21	63	0	9	21	34	0	0	0	0	0	0	2061	8351	670060	4395970	41
14.	मध्य प्रदेश (9)	36	34	330	504	1954	2941	176	53	18	0	9	0	0	0	0	0	0	0	2523	3532	405690	582750	33
15.	महाराष्ट्र	705	1912	4906	2527	5433	5464	565	561	13	10	12	8	0	1	0	0	0	0	11634	10483	3729930	3750235	149
16.	मणिपुर	0	1	0	30	0	83	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	0	34200	4
17.	मेघालय (2, 8, 9)	0	31	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	31500	5
18.	मिजोरम	0	789	0	1001	0	446	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2322	0	1338400	15
19.	नागालैंड	0	0	0	138	0	2	0	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957	0	109050	5
20.	ओडिशा (1, 11)	52	0	380	0	1300	0	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1749	0	372820	0	0
21.	पंजाब	0	720	0	3996	0	5658	0	209	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10584	0	3294270	46
22.	राजस्थान (7, 8, 9)	380	818	2766	1345	5872	7184	240	467	5	10	3	5	0	0	0	0	0	0	8466	9829	2282330	2232500	38
23.	सिक्किम (3)	0	20	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	35000	2
24.	तमिलनाडु	611	115	5205	1442	6489	2689	577	44	203	3	20	3	0	0	0	0	0	0	13105	4296	3895510	1107190	66
25.	त्रिपुरा (6)	0	12	0	512	0	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1026	0	318200	8
26.	उत्तर प्रदेश (4, 6, 9)	586	1164	8653	3214	25645	14049	1666	1581	23	18	22	19	0	0	0	0	0	0	36895	20045	7560980	4255500	171
27.	उत्तराखंड	0	29	0	66	0	311	0	31	0	20	0	58	0	70	0	0	0	0	0	585	0	95980	20
28.	पश्चिम बंगाल (9, 10)	562	129	2984	1950	4048	531	130	37	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	7730	2647	2465370	1158950	38
	कुल	4862	11193	37735	43269	69108	84730	5198	8601	382	105	127	148	0	71	0	0	0	0	117232	148117	30729110	41734485	1326
संघ शासित क्षेत्र																								
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	500	1
30.	चंडीगढ़	390	0	3783	9	19439	0	1483	0	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	25107	9	4299740	4500	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
31.	दादरा और नगर हवेली	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6000	1
32.	दमन और दीव (7, 8, 9)	0	0	0	6	0	34	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	6550	6
33.	दिल्ली	860	39	4278	92	4611	1698	474	1400	13	0	7	0	0	0	0	0	0	0	10243	3229	3484130	324800	16
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1000	1
	कुल	1250	46	8061	108	24050	1732	1957	1403	20	0	12	0	0	0	0	0	0	0	35350	3289	7783870	343350	27
	सकल जोड़	5932	11239	45796	43377	93158	86462	7155	10004	402	105	139	148	0	71	0	0	0	0	152582	151406	38512980	42077835	1353

टिप्पणी: राज्यों के साथ ब्रैकेटों में दी गई संख्या का स्पष्टीकरण निम्नवत है:

आर-बैंकों द्वारा बरामद

एस-पुलिस द्वारा बरामद

आंकड़े अनंतिम

1. जनवरी से दिसम्बर, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
2. फरवरी-मार्च, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
3. मई, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
4. जून, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
5. अगस्त, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
6. सितम्बर, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
7. अक्तूबर, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
8. नवम्बर, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
9. दिसम्बर, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
10. फरवरी से अगस्त, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
11. अक्तूबर, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)

विवरण II

जाली मुद्रा मामलों के अंतर्गत 2007 के दौरान गिरफ्तार व्यक्तियों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल गिरफ्तार व्यक्ति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	190
2.	अरुणाचल प्रदेश	10
3.	असम (8, 9)	128
4.	बिहार	52
5.	छत्तीसगढ़ (5, 7, 8, 9)	0
6.	गोवा	0
7.	गुजरात (6, 9)	65
8.	हरियाणा	26
9.	हिमाचल प्रदेश (7)	7
10.	जम्मू-कश्मीर	40
11.	झारखंड	4
12.	कर्नाटक (3)	151

1	2	3
13.	केरल	81
14.	मध्य प्रदेश (9)	58
15.	महाराष्ट्र	89
16.	मणिपुर	6
17.	मेघालय (2, 8, 9)	6
18.	मिजोरम	25
19.	नागालैंड	5
20.	उड़ीसा (1, 11)	0
21.	पंजाब	110
22.	राजस्थान (7, 8, 9)	49
23.	सिक्किम (3)	4
24.	तमिलनाडु	24
25.	त्रिपुरा (6)	11
26.	उत्तर प्रदेश (4, 6, 9)	135
27.	उत्तराखंड	10
28.	पश्चिम बंगाल (9, 10)	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
30.	चंडीगढ़	1
31.	दादरा और नगर हवेली	1
32.	दमन और दीव (7, 8, 9)	0
33.	दिल्ली	18
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुडुचेरी	1
	कुल	1307

टिप्पणी: 1. जनवरी से दिसम्बर, 2007 तक पुलिस द्वारा जब्ती के आंकड़े प्राप्त नहीं।

2. फरवरी से मार्च, 2007 तक पुलिस द्वारा जब्ती के आंकड़े प्राप्त नहीं।

3. मई, 2007 तक पुलिस द्वारा जब्ती के आंकड़े प्राप्त नहीं।

4. जून, 2007 तक पुलिस द्वारा जब्ती के आंकड़े प्राप्त नहीं।

5. अगस्त, 2007 तक पुलिस द्वारा जब्ती के आंकड़े प्राप्त नहीं।

6. सितम्बर, 2007 तक पुलिस द्वारा जब्ती के आंकड़े प्राप्त नहीं।

7. अक्तूबर, 2007 तक पुलिस द्वारा जब्ती के आंकड़े प्राप्त नहीं।

8. नवम्बर, 2007 तक पुलिस द्वारा जब्ती के आंकड़े प्राप्त नहीं।

9. दिसम्बर, 2007 तक पुलिस द्वारा जब्ती के आंकड़े प्राप्त नहीं।

10. फरवरी से अगस्त, 2007 तक पुलिस द्वारा जब्ती के आंकड़े प्राप्त नहीं।

11. अक्तूबर, 2007 तक आरबीआई/बैंकों द्वारा वसूली के आंकड़े प्राप्त नहीं।

औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना

907. **श्री पी.एस. गढ़वी:**
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के अंतर्गत वर्ष 2004 तथा 2005 में क्रमश: लोधिका, गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जी.आई.डी.सी.) उन्नयन परियोजना तथा सचिन जी.आई.डी.सी. एस्टेट उन्नयन परियोजना नामक दो प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) चूंकि 10वीं योजना में औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना हेतु किया गया सम्पूर्ण आवंटन पहले से ही मंजूर कर ली गई परियोजनाओं हेतु था, अत: इन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सका।

पिछड़े वर्गों को शिक्षा

908. **श्री के.जी.एस.पी. रेड्डी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में पिछड़े वर्गों तथा मुसलमानों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान उनके लिए कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं; और

(घ) प्रत्येक श्रेणी के लिए कितना आबंटन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर केन्द्र सरकार की अन्य पहलों से अपेक्षा है कि जनसंख्या के सभी वर्गों जिसमें सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा मुसलमानों सहित सभी धर्म समूह शामिल हैं, को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध होगी।

शिक्षा के स्तरों पर गुणवत्ता सुधार हेतु शिक्षकों का समुचित संख्या में प्रावधान, शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं, अध्ययन-अध्यापन सामग्री का विकास, पाठ्यपुस्तकें आदि ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके लिए सहायता प्रदान की जाती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जैसे सांविधिक निकायों को अपने संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा के मानक को बनाए रखने का अधिदेश प्राप्त है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में मानकों को समन्वित करता है और बनाए रखता है।

(ग) और (घ) चालू वित्त वर्ष (2007-08) के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित निम्नलिखित स्कीमों का प्रावधान किया गया है:-

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

क. पिछड़े वर्गों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	22.50 करोड़
ख. पिछड़े वर्गों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	90.75 करोड़
ग. बालक तथा बालिका छात्रावास	18.50 करोड़

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

क. अल्पसंख्यकों हेतु अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु योग्यता-व-साधन आधारित छात्रवृत्ति	48.60 करोड़
ख. अल्पसंख्यकों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	9.00 करोड़
ग. अल्पसंख्यकों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	54.00 करोड़

काजू बोर्ड

909. **श्री पी.सी. थामस:**
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार काजू विकास बोर्ड की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) सरकार ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) को एक काजू बोर्ड स्थापित करने की व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन करने का कार्य सौंपा था। आईआईएफटी ने इस विषय पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट सरकार के पास जांचाधीन है।

कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास

910. **श्री अनन्त नायक:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपने घरों से विस्थापित भारी संख्या में कश्मीरी पंडित अभी भी किसी प्रकार के पुनर्वास के इन्तजार में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कश्मीर के इन विस्थापित नागरिकों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) कश्मीरी पंडित जो कश्मीर घाटी से विस्थापित हो गए थे, वर्तमान में जम्मू डिवीजन तथा राज्य से बाहर विभिन्न स्थानों पर बसे हुए हैं। कश्मीरी विस्थापित पंडितों के संबंध में सरकार की नीति यह है कि उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी हेतु अनुकूल परिस्थितियां होने पर उनको वापस लौटना चाहिए। तब तक सरकार उनके प्रवास को अरामदायक बनाने के लिए तत्पर है। जम्मू और कश्मीर राज्य में रहने वाले विस्थापितों को नकद राहत और राशन दोनों प्रदान किए जा रहे हैं। जम्मू स्थित विभिन्न शिविरों में लगभग 5000 परिवारों के एक-कमरे का

आवास उपलब्ध करवाया गया है। प्रधान मंत्री की पुनर्निर्माण योजना के तहत जम्मू स्थित शिविरों में वर्तमान में रह रहे सभी विस्थापित परिवारों को बसाने के लिए दो कमरे वाले 5242 आवास निर्मित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा अन्य राज्य/संघ शासित प्रदेश भी कश्मीरी विस्थापितों को नगद राहत उपलब्ध करवा रहे हैं। शिविरों में दिल्ली में रह रहे 229 परिवारों को कमदरों पर डीडीए फ्लैट्स आवंटित किए गए हैं। घाटी में लौटने के इच्छुक विस्थापितों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए, केन्द्र सरकार ने बडगाम जिले में शेखपुरा में 200 फ्लैट्स के निर्माण का अनुमोदन किया है। माल और खीर भवानी स्थित मंदिरों को कश्मीरी विस्थापितों हेतु अस्थायी आवास वाले दो माडल बस्तियों के रूप में विकसित किया गया है, जहां उनको उनमें मौजूदा आवासीय घरों की मरम्मत होने तक अस्थायी रूप से बसाया जा सकता है। राज्य सरकार ने माल में 18 फ्लैट तथा खीर भवानी में 100 एक कमरे वाले आवास निर्मित किए हैं।

मेरिट के माध्यम से उच्च व संव्यावसायिक शिक्षा

911. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च व संव्यावसायिक शिक्षा का निजीकरण करने के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि का लिहाज किए बिना, मात्र योग्यता के आधार पर समान रूप से सभी छात्रों को संव्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ए.आई.सी.टी.ई. से सम्बद्ध सभी पेशेवर कालेजों के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की राजसहायता द्वारा पोषित निजी पेशेवर संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) वर्तमान में शिक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथासंशोधित) ऐसी संस्थाओं जिनका उद्देश्य शिक्षा का वाणिज्यीकरण करना है, की स्थापना को रोकते हुए गैर-सरकारी तथा स्वैच्छिक प्रयास को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथासंशोधित) में यह प्रावधान है कि "मानक बनाए रखने के हित में और अन्य कई वैध कारणों से तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोका जाएगा।

(ख) और (ग) तकनीकी संस्थाओं के छात्रों के प्रवेश के लिए अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवेश पूर्णतया योग्यता के आधार पर और सामान्य प्रवेश परीक्षा के जरिये दिए जाएंगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम के खंड 10(ट) के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए मानदंड निर्धारित करने के अधिकार दिए गए हैं। छात्रों के प्रवेश हेतु इन प्रावधानों के अनुरूप तथा विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए प्रावधान करते हुए विनियम बनाए गए हैं।

स्वयं सेवी महिला समूह

912. डा. एम. जगन्नाथ: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपने खुदरा नेटवर्क के माध्यम से स्वयं सेवी महिला समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों का विपणन करने के लिए प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में ग्रामीण क्षेत्रों और 20,000 तक की जनसंख्या वाले कस्बों में श्रम-गहन उद्योगों की स्थापना में पात्र आवेदकों की सहायता करने के लिए देश भर में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत उद्यमी 25 लाख रु. तक की अधिकतम लागत की परियोजनाओं के लिए केवीआईसी से मार्जिन मनी सहायता तथा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त करके ग्राम उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। आरईजीपी के तहत महिला एसएचजी सहित स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की 01 अप्रैल, 2002 से ग्राम उद्योगों की स्थापना में सहायता की गई है। इन महिला एसएचजी की केवीआईसी के विभागीय विक्रय निर्गमों तथा साथ ही इसकी सहायता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से उनके उत्पादों की बिक्री में सहायता की जाती है। आरईजीपी के तहत उत्पादों के विपणन सहित बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकों के लिए

वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, केवीआईसी विभिन्न स्तरों जैसे कि राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर पर भी प्रदर्शनियां आयोजित करता है जिसके तहत स्थानीय एसएचजी को भी अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन का अवसर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त केवीआईसी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसियेशन के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार एसएचजी की जहां संभव हो, उनके पास उपलब्ध निर्गम सुविधाओं के माध्यम से उनके उत्पादों के विपणन में सहायता की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

खनन क्षेत्र में औद्योगिक घराने

913. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक घरानों ने खनन क्षेत्र में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक निजी क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक क्षेत्र-वार आवंटित खानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष क्षेत्र-वार इन क्षेत्रों से अर्जित कुल राजस्व क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों/कंपनियों को खनिज रियायत मंजूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पूर्व अनुमोदनों के ब्यौरे खान मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.mines.nic.in) में उपलब्ध हैं।

(घ) हालांकि प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट तथा भराई हेतु बालू से भिन्न) के लिए रायल्टी दरें खान मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की जाती हैं लेकिन रायल्टी संबंधित राज्य सरकारों को उद्भूत होती है। इसलिए, राज्य सरकारों द्वारा रायल्टी संग्रहण के बारे में डाटा केंद्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

खनन से रायल्टी संग्रहण

914. श्री के.एस. राव: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खनन करने वाले मुख्य राज्यों द्वारा रक्षित व अरक्षित खानों से पिछले तीन वर्ष के प्रत्येक वर्ष, आज तक विभिन्न अयस्कों के खनन से रायल्टी के रूप में अर्जित राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न अयस्कों की रायल्टी उद्ग्रहण के संबंध में हुडा समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) बाजार में विभिन्न धातुओं के मूल्य तथा राज्य केन्द्रीय वित्त पर नई नीति उपाय का मूल्यांकन क्या है;

(घ) क्या सरकार का नई खनिज नीति तैयार तथा इसे कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है ताकि यथामूल्यानुसार संबंधित राज्यों के लिए रायल्टी सुनिश्चित की जा सके तथा खनन क्षेत्रों में अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा सके तथा नियमित रायल्टी दरों के लिए नियमित समीक्षा की जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (ङ) प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट तथा भराई हेतु बालू से भिन्न) पर रायल्टी दरें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती हैं परन्तु उनसे होने वाली आय राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित की जाती है और इसलिए राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित की गई रायल्टी के आंकड़े केंद्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं। होदा समिति ने रायल्टी दरों के बारे में अपनी सिफारिशों में सिफारिश की है कि खनिजों के लिए रायल्टी को निश्चित तौर पर मूल्यानुसार प्रणाली की ओर बढ़ना चाहिए। होदा समिति की सिफारिशों के आधार पर एक नई खनिज नीति केंद्र सरकार के विचाराधीन है।

अंटार्कटिक बर्फ परत का पिघलना

915. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्लोबल वार्मिंग द्वारा अंटार्कटिका बर्फ की परत में एक दशक में पिघलाव में 75% वृद्धि हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके माध्यम से समुद्रतल में वृद्धि हुई है; और

(ग) भारतीय तटीय क्षेत्रों पर इसके अध्ययन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं। आर्कटिक की तुलना में

अंटार्कटिका में बर्फ अधिक नहीं पिघल रही है। अंटार्कटिक समुद्र की बर्फ के फैलाव में अंतर-वार्षिक परिवर्तनीयता और स्थानीय परिवर्तनों के कारण अंटार्कटिक बर्फ परत में बर्फ के पिघलने की कुल मात्रा को ज्ञात करना कठिन है।

(ख) चूंकि अंटार्कटिका बर्फ का विशाल भंडार है, इसलिए बर्फ के पिघलने से समुद्र स्तर में वृद्धि होती है। परन्तु पिछले दशक में इसके कारण अधिक वृद्धि नहीं हुई।

(ग) सरकार ने भारत के पूर्व और पश्चिम तट पर समुद्र तल की लगातार मानीटरिंग करने के लिए भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाहों (कांडला, मर्मगांव-गोवा, कोचीन, मिनिकाय, कावारती, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, एन्नौर, चेन्नै, तूतीकोरिन, पोर्टब्लेयर, नानकारी) में ज्वारभाटा मापी स्थापित किए हैं।

अफ्रीका से आयात

916. **श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान आज तक अफ्रीका से आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का अफ्रीका से शुल्क मुक्त आयात का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) दिसम्बर, 2005 केडब्ल्यूटीओ के हांगकांग मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र के अनुक्रम में सरकार, एक पक्षीय आधार पर, अल्प विकसित देशों, जिनमें से अधिकांश अफ्रीका में हैं, को अधिमानी बाजार पहुंच प्रदान करने पर विचार कर रही है।

विवरण

अफ्रीका से भारत के आयात

(मिलि. अम. डा. में)

क्र.सं.	देश	2006-2007	अप्रैल-अक्तूबर 2007
1	2	3	4
1.	अंगोला	245.33	480.39
2.	बोत्सवाना	0.06	0
3.	मोजाम्बिक	28.29	7.52
4.	नामीबिया	3.42	20.71
5.	दक्षिण अफ्रीका	2464.59	2349.29
6.	स्वाजीलैंड	61.28	22.37
7.	जाम्बिया	86.17	60.77
8.	जिम्बाब्वे	32.18	12.88
9.	बेनिन	80.57	57.34
10.	बुर्किना फासो	5.56	12.55
11.	कैमरून	7.6	11.7
12.	कैप वर्डीज	0.21	0
13.	कांगो जन. गणराज्य	59.7	55.76
14.	इक्वटल गिनी	0.1	42.9
15.	गैबोन	115.28	44.35
16.	गाम्बिया	17.9	14.03
17.	घाना	101.22	75.58
18.	गिनी	342.03	609.29
19.	गिनी बिसाऊ	49.69	59.81
20.	कोट डी आइवरी	180.53	153.59
21.	लाइबेरिया	47.14	42.93
22.	माली	2.78	3.74
23.	मैरीटेनिया	0.64	0.29

1	2	3	4
24.	नाइजर	5.41	0.27
25.	नाइजीरिया	7021.44	4398.09
26.	साओ टोम		0
27.	सेनेगल	72.7	87.68
28.	सिएरा लिओन	2.34	2.32
29.	सेंट हेलेना	0.23	0
30.	टोगो	75.94	33.73
31.	बुरुण्डी	0	1.39
32.	सी अफ्री. गण.	0.44	0.65
33.	चाड	0.16	0.82
34.	मालावी	5.01	3.9
35.	रवांडा	1.64	0.42
36.	युगांडा	4.71	10.7
37.	कांगो जन. गणराज्य	17.03	5.3
38.	कोमोरस	6.94	1.44
39.	जिबौती	2.14	1.82
40.	इथियोपिया	11.34	8.71
41.	केन्या	55.33	50.41
42.	मेडागास्कर	19.22	13.84
43.	मारीशस	14.5	6.22
44.	रियूनियन	5.5	6.04
45.	सिचलिस	0.75	0.5
46.	सोमालिया	18.06	10.78
47.	तंजानिया गणराज्य	98.03	38.87
48.	अल्जीरिया	749.67	650.02
49.	मिश्र अरब गणराज्य	1741.14	1135.61
50.	लीबिया	134.77	965.9
51.	मोरक्को	490.91	302.68
52.	सूडान	89.13	150.26
53.	ट्यूनीशिया	144.1	113.27
	कुल अफ्रीका	14720.87	12139.46

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस कोलकाता

टिप्पणी: आंकड़ों में पेट्रोलियम, अपरिष्कृत एवं उत्पाद के आयात शामिल हैं।

असम समझौता

917. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम समझौते के कार्यान्वयन की खण्डवार स्थिति तथा विदेशियों की पहचान व उनके प्रत्यर्पण तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील करने के संबंध में वर्ष-वार प्रगति क्या है;

(ख) क्या समझौते के तहत किए गए संविधानिक, विधायी तथा प्रशासनिक सुरक्षोपाय प्रदान किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कार्यान्वयन के चिन्हित मुद्दे तथा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का इस खण्ड के तहत किए गए वायदों को पूरा करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ङ) असम समझौते के विभिन्न अनुच्छेदों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की गई है। समझौते के कतिपय अनुच्छेद सतत् रूप से बने रहने वाली प्रकृति के हैं, जैसे कि असम के लोगों के लिए सुरक्षा उपाय, असम के आर्थिक विकास के उपाय, और घुसपैठ की रोकथाम आदि और इसलिए इसका निरन्तर प्रबोधन किए जाने की आवश्यकता है। असम समझौते के विभिन्न अनुच्छेदों के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण संलग्न है।

विवरण

असम-समझौता—अनुच्छेदवार कार्यान्वयन की स्थिति

अनुच्छेद-5.1—विदेशियों से संबंधित मुद्दे:

1. नागरिकता अधिनियम, 1955, नागरिकता नियम, 1956 तथा विदेशी (अधिकरण) आदेश, 1964 को संशोधित किया गया।

2. विशेष पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विदेशी घुसपैठ रोकथाम स्कीम के अंतर्गत 1280 के अतिरिक्त पदों का सृजन के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई थी।

3. अवैध प्रवासियों/विदेशियों का पता लगाने के लिए विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के अंतर्गत असम राज्य में 32 विदेशी विषयक अधिकरण गठित किए गए हैं। वर्ष 2006 में 184 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का पता लगाया गया तथा 144 को वापस भेज दिया गया, वर्ष 2007 के दौरान 675 अवैध प्रवासियों का पता लगाया गया तथा 143 को वापस भेज दिया गया।

अनुच्छेद 6 और 7—सुरक्षोपाय तथा आर्थिक विकास:

4. श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र परिसर नामक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किया गया है।

5. गुवाहाटी स्थित श्री ज्योति चित्राबन (फिल्म) स्टूडियो का आधुनिकीकरण किया गया है। 2006-07 वित्तीय वर्ष में संस्थान के और अधिक विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए है।

6. असम सरकार ने असम समझौते के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन संबंधी सभी विषयों की जांच करने के लिए अक्तूबर 2006 में मंत्रियों की समिति गठित की है। समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

7. लगभग 2,500 करोड़ रु. की लागत से नुमालीगढ़ रिफाइनरी स्थापित की गई थी।

8. दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एक तेजपुर में तथा दूसरा सिलचर में स्थापित किए गए हैं।

9. गुवाहाटी में एक आईआईटी स्थापित की गई है।

10. कथालगुड़ी पावर परियोजना (60 एम डब्ल्यू) शुरू की गई है।

11. असम गेस क्रेकर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य शुरू हो चुका है।

अनुच्छेद 8 से 14—अन्य मुद्दे:

12. नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार अब केवल केन्द्र सरकार के पास है।

13. भारत-बांग्लादेश सीमा पर मंजूर की गई 3286.87 कि.मी. में से 2535.80 कि.मी. की सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। मंजूर 3663.39 कि.मी. सीमा सड़कों में से 3250.60 कि.मी. पूरी की जा चुकी है।

14. विद्रोह के दौरान मारे गए व्यक्तियों के नाते-रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था।

15. विद्रोह के संदर्भ में कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा की गई है।

16. भर्ती मामले में, 1.1.1980 से 15.8.1985 की अवधि के दौरान असम राज्य में साधारणत: रहने वाले आवेदकों के मामले में छ: वर्षों की अधिकतम आयु सीमा में छूट हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए थे।

17. विद्रोह के संदर्भ में गिरफ्तार एनएसए नजरबंदों को रिहा किया जा चुका है।

शिक्षा में क्षेत्रीय विसंगतियां

918. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा प्राप्त करने के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन है तथा शिक्षा की गुणवत्ता भी खराब व असमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इन असंतुलनों को ठीक करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) यद्यपि अनियमित विकास के ऐतिहासिक कारणों से साक्षरता, नामांकन तथा संस्थानों की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताएं हैं, तथापि सर्व शिक्षा अभियान ने प्रारम्भिक शिक्षा स्तर

पर सुलभता, उपलब्धता तथा गुणवत्ता में असमानताओं को दूर किया है। 11वीं योजना के दौरान माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ कराने हेतु प्रयास तथा 6,000 माडल स्कूल शिक्षा के इस स्तर पर असमानता को काफी हद तक कम करेंगे। जहां तक उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा का संबंध है, सकल नामांकन अनुपात गुणवत्ता तथा साथ-ही-साथ संस्थाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताएं दूर करने के लिए 30 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों जिसमें 16 उन राज्यों में प्रत्येक में एक-एक खोले जाएंगे, जहां अभी कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, की स्थापना करना, 8 आई.आई.टी., 7 आई.आई.एम., 5 आई.आई.एस.ई.आर., 2 एस.पी.ए., 10 एन.टी.टी., 20 आई.आई.आई.टी. की स्थापना जैसी नई संस्थाओं की स्थापना करके और कम सकल नामांकन अनुपात और प्रति लाख की जनसंख्या पर 4 से कम संस्थाओं की संख्या वाले जिलों में 370 नए डिग्री कालेज स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया जाएगा।

केन्द्रीय कारागार को खतरा

919. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय कारागार पर फिदायिन हमले का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली स्थित केंद्रीय कारागार को इस प्रकार के फिदायिन हमले से सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) जी, हां। सितम्बर, 2007 के महीने के दौरान तिहाड़ जेल पर जेहादी आतंकवादी हमले की योजनाओं के संबंध में आसूचना जानकारी प्राप्त हुई थी।

(ग) और (घ) फिदायिन हमले से दिल्ली स्थित जेलों को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए उपचारात्मक और निवारक उपायों में शामिल हैं; संवेदनशील स्थानों पर तीन मोबाइल क्विक रिएक्शन टीमों की तैनाती करना, सभी सुरक्षा कार्मिकों को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध करवाना, सुरक्षा व्यवस्थाओं की औचक जांच करना, सुरक्षा कार्मिकों की सतर्कता और प्रतिक्रिया की जांच करने के लिए नियमित अलार्म परेड आयोजित करना, उचित सतर्कता का पालन करने के लिए सभी संबंधितों को सतर्क करना, जेल के मुख्य प्रवेश द्वार के पास दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैनों की तैनाती करना, केन्द्रीय जेल के आसपास दिल्ली पुलिस द्वारा नियमित पैदल/मोटर साइकिल पर गश्त करना, जेल के गेट नं. 3 पर दिल्ली पुलिस की पिकैट शुरू करना, कैदियों और कारागार स्टाफ की गतिविधियों पर प्रभावपूर्ण निगरानी रखने के लिए क्लोज सर्किट टी वी कैमरे स्थापित करना, मोबाइल बैरिकैडों की स्थापना करना आदि।

प्रतिभावान छात्रों/वैज्ञानिकों को बढ़ावा

920. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह से अनेक प्रतिभावान नौजवान छात्रों/वैज्ञानिकों, जिन्होंने नई खोजें की हैं, की अनदेखी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में इस प्रकार के प्रतिभावान छात्रों/वैज्ञानिकों का पता लगाने के लिए प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में इस प्रकार की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) इस संघ राज्य क्षेत्र से प्रतिभावान युवा छात्र/अनुसंधानकर्ता बाल विज्ञान कांग्रेस, विज्ञान में अनुसंधान एवं नवोन्मेष पहल (आई.आर.आई.एस.), महिला वैज्ञानिक स्कीम आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में अत्यंत सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नियमित आधार पर आयोजित किये जाने वाले इन प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूल और कालेज/विश्वविद्यालय दोनों स्तर के प्रतिभाशाली युवाओं का दीर्घकालीन संपोषण करने हेतु इनकी पहचान करता है। अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए फरवरी, 2008 में पोर्ट ब्लेयर में एक विशेष पहल के रूप में ''अभिप्रेरक कार्यशाला' का आयोजन किया गया।

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के माध्यम से रोजगार

921. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एसईजेड के माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने व रोजगार सृजन करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में इन एसईजेड के माध्यम से प्रदत्त अनुमानित रोजगार व प्रदत्त रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में इन एसईजेड के माध्यम से विकलांग लोगों को भी रोजगार प्रदान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में विकलांग लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) वर्तमान में, भारत में विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड्स) 2,80,832 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। जहां केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित सात एसईजेड्स 1.83 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं एसईजेड अधिनियम, 2005 से पहले राज्य सरकार/निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित 12 एसईजेड्स 36,463 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं जिनमें से अधिकांश का सृजन 2004-2005 के दौरान हुआ था। 10 फरवरी, 2006 से लागू एसईजेड अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक जोनों ने पहले ही 61015 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करा दिया है।

(ग) से (ङ) एसईजेड्स में रोजगार का सृजन निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा उनमें स्थापित इकाइयों में होता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ एसईजेड्स ने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया है।

लघु क्षेत्र द्वारा विनिर्मित उत्पाद

922. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र राज्य सहित देश में लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा विनिर्मित उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्पाद-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) संदर्भ वर्ष 2001-02 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की तीसरी अखिल भारतीय गणना के दौरान एकत्रित सूचना के अनुसार देश में एमएसई क्षेत्र वर्तमान में लगभग छह हजार विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में संलग्न हैं। इन उत्पादों का विवरण एमएसमई मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (www.smallindustryindia.com, www.laghu-udyog.com तथा www.dcmsme.gov.in)

(ख) और (ग) 16 निर्यात संवर्धन परिषदों से प्राप्त सूचना के आधार पर 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान सम्पूर्ण रूप से एमएसई क्षेत्र के निर्यात का उत्पाद समूह वार मूल्य निम्नोक्त है:-

क्र.सं.	उत्पाद समूह	एमएसई क्षेत्र में निर्यात (करोड़ रु.)		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	इंजीनियरिंग सामग्री	16040.81	23561.00	30097.00
2.	बेसिक केमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स एवं कास्मेटिक उत्पाद	11763.10	13851.96	8421.29
3.	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद	3750.72	14248.38	17604.62
4.	प्लास्टिक उत्पाद	2122.91	3632.33	4882.85
5.	फिनिस्ड लेदर और लेदर उत्पाद	6695.22	7437.87	8344.86
6.	मरीन उत्पाद	2878.45	3411.86	3372.02

1	2	3	4	5
7.	प्रसंस्कृत खाद्य	9928.91	11378.12	12516.26
8.	ऊनी और ऊनी उत्पाद	1564.00	1763.15	2098.27
9.	खेल का सामान	429.00	395.10	456.97
10.	सिलेसिलाए वस्त्र	25179.36	22247.15	34373.78
11.	सिन्थेटिक और रेयान वस्त्र	1586.88	1839.43	2129.86
12.	प्रसंस्कृत तंबाकू, बीड़ी और स्नफ	744.53	986.65	907.99
13.	इलैक्ट्रानिक और कम्प्यूटर	12437.01	16147.29	21698.51
14.	काजू	1811.46	2717.15	2514.86
15.	लाख	163.12	165.88	159.62
16.	मसाले	548.09	632.94	663.26
	कुल	97643.57	124416.56	150242.03

एमएसई इकाइयों द्वारा किए गए निर्यातों के राज्यवार ब्यौरे का अनुरक्षण केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक द्वारा समर्थित एसईजेड परियोजनाएं

923. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य-वार विश्व बैंक की सहायता प्राप्त सरकार द्वारा संस्वीकृत एसईजेड परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने इस प्रकार के एसईजेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विशिष्ट शर्तें लगाई हैं जिसके द्वारा भारतीय मूल के लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड्स) की स्थापना मुख्य रूप से राज्य सरकार के उपक्रमों, निजी कंपनियों के साथ उनके संयुक्त उद्यमों या निजी कंपनियों द्वारा एकल आधार पर की जा रही है। विश्व बैंक की सहायता से एसईजेड्स की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय 'मीन्स कम मेरिट' छात्रवृत्ति

924. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय 'मीन्स कम-मेरिट' छात्रवृत्ति योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस योजना के तहत लाभान्वित छात्रों की संख्या व इसके लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं; और

(ग) इस उद्देश्यार्थ राज्य, संघ क्षेत्र-वार चिन्हित/आवंटित राशि क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) वित्त मंत्री ने 28.02.2007 को अपने बजट भाषण में (9) से (12) तक की कक्षाओं में

अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए राष्ट्रीय साधन व योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। इस योजना में चयन परीक्षा के आधार पर 6000.00 रु. वार्षिक की दर पर प्रत्येक वर्ष एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। अभी तक इस योजना के अंतर्गत कोई छात्र लाभान्वित नहीं हुआ है।

(ग) अलग-अलग राज्यों को कोई राशि निर्धारित नहीं हुई है।

औद्योगिक गलियारा

925. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कर्नाटक सरकार के प्रस्तावित चेन्नई-बंगलौर औद्योगिक गलियारे को मुम्बई तक बढ़ाने के प्रस्ताव की जांच करने को सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने संघ मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा नई दिल्ली में बुलाई गयी बैठक जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया था, में इस प्रस्ताव को रखा था;

(ग) क्या कर्नाटक ने यह सुझाव दिया था कि केन्द्र सरकार को प्रस्तावित गलियारे को तुमकुर, दावणगेरे, हुबली, धारवाड़ और बेलगाम होते हुए मुम्बई तक बढ़ाने पर विचार करना चाहिए ताकि इनके पिछड़े क्षेत्रों में तेजी से औद्योगिक विकास हो सके; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) जी, हां। तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ 7 जनवरी, 2008 को हुई बैठक में हुए विचार-विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि चेन्नई-बंगलौर-मुंबई औद्योगिक कारीडोर हेतु प्रथम उपाय के रूप में एक अवधारणा रिपोर्ट/दस्तावेज तैयार किया जाए। इस रिपोर्ट/दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक केन्द्रों (नोड्स)/स्थापना स्थलों, औद्योगिक अवसंरचना तथा परियोजना अनुसूचियों को भी सम्मिलित किया जायेगा। अवधारणा रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर चेन्नई से मुम्बई तक इसे शामिल करने के प्रस्ताव सहित कारीडोर परियोजना पर निर्णय लिया जायेगा।

[हिन्दी]

कारागार में आधारभूत सुविधाएं

926. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान और आज तक देश में कारागारों और इन कारागारों में कैद आरोपी कैदियों और दोषसिद्ध कैदियों की एड्स-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कैदियों को आधारभूत सुविधाएं, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल आदि मुहैया कराने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित की हैं;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में कुल कितनी निधियां मुहैया करवाई गई हैं और भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधाओं पर प्रति कैदी किए गए खर्च का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कैदियों के भोजन पर खर्च की जाने वाली राशि इतनी कम है कि उन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) एनसीआरबी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2006 के अंत में देश में कारागारों की संख्या 1251 थी। वर्ष 2004 से 2006 के दौरान जेलों में बंद अभियुक्त कैदियों और दोषसिद्ध कैदियों का राज्य/संघ राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (च) वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसी मूल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए वहां रहने वालों पर किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। वहां रहने वालों के लिए अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे अधिक व्यय भोजन पर किया जाता है, उसके बाद स्वास्थ्य देखभाल पर किया जाता है।

कारागार प्रशासन का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का होने के बावजूद, भारत सरकार ने राज्यों के मार्ग दर्शन एवं अपनाए जाने के लिए माडल कारागार नियम परिचालित किए हैं जिनमें एक कैदी के लिए दैनिक भोजन की मात्रा, जो संतुलित और पोषक होता है, विनिर्दिष्ट की है।

विवरण I

वर्ष 2004 के दौरान जेलों में कैद विभिन्न प्रकार के कैदियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	दोषसिद्ध	विचाराधीन	नजरबंद	अन्य	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4765	9078	38	0	13881
2.	अरुणाचल प्रदेश*	–	–	–	–	–
3.	असम	3268	4298	255	7	7828
4.	बिहार	5520	27375	65	113	33073
5.	छत्तीसगढ़	4525	4337	0	11	8873
6.	गोवा	150	277	0	0	427
7.	गुजरात	3881	7202	487	0	11570
8.	हरियाणा	4601	7396	0	13	12010
9.	हिमाचल प्रदेश	557	487	0	0	1044
10.	जम्मू-कश्मीर	200	1387	451	1	2039
11.	झारखंड	5040	12447	10	0	17497
12.	कर्नाटक	3447	7962	122	11	11542
13.	केरल	2780	4400	8	6	7194
14.	मध्य प्रदेश	13066	15777	5	84	28932
15.	महाराष्ट्र	8931	15874	170	37	24922
16.	मणिपुर	32	359	74	0	465
17.	मेघालय	41	430	22	0	493
18.	मिजोरम	217	742	0	0	959
19.	नागालैंड	161	390	38	0	589
20.	उड़ीसा	3680	9444	9	25	13158
21.	पंजाब	5025	10001	23	15	15064
22.	राजस्थान	5838	7283	29	21	13171
23.	सिक्किम	63	99	0	0	162

1	2	3	4	5	6	7
24.	तमिलनाडु	6803	2918	612	10769	21102
25.	त्रिपुरा	554	708	0	3	1265
26.	उत्तर प्रदेश	8311	41224	2053	118	51706
27.	उत्तरांचल	750	1610	5	0	2365
28.	पश्चिम बंगाल	3520	12790	0	9	16319
	कुल (राज्य)	95726	206205	4476	11243	317650
29.	अं. और नि. द्वीपसमूह	56	165	0	0	221
30.	चंडीगढ़	120	429	0	0	549
31.	दा. और न. हवेली	0	33	0	0	33
32.	दमन और दीव	8	19	0	0	27
33.	दिल्ली	2508	10087	15	0	12610
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	109	192	0	0	301
	कुल (संघ शासित)	2801	10925	15	0	13741
	कुल (अखिल-भारत)	98527	217130	4491	11243	331391

*जेल विद्यमान नहीं है।

वर्ष 2005 के अंत में जेलों में कैद विभिन्न प्रकार के कैदियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	दोषसिद्ध	विचाराधीन	नजरबंद	अन्य	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	5011	9592	10	0	14613
2.	अरुणाचल प्रदेश*	–	–	–	–	–
3.	असम	3475	5000	34	4	8513
4.	बिहार	5609	40019	0	190	45818
5.	छत्तीसगढ़	4299	5509	2	11	9821
6.	गोवा	138	246	0	0	384
7.	गुजरात	4445	6451	320	0	11216

1	2	3	4	5	6	7
8.	हरियाणा	4793	7717	0	37	12547
9.	हिमाचल प्रदेश	632	536	0	0	1168
10.	जम्मू-कश्मीर	221	1539	377	0	2137
11.	झारखंड	5294	13939	0	0	19233
12.	कर्नाटक	4049	7979	158	41	12227
13.	केरल	2806	4042	13	2	6863
14.	मध्य प्रदेश	14391	16991	21	77	31480
15.	महाराष्ट्र	9229	15946	235	21	25431
16.	मणिपुर	31	395	103	0	529
17.	मेघालय	46	487	22	0	555
18.	मिजोरम	171	542	0	0	713
19.	नागालैंड	117	484	24	0	625
20.	उड़ीसा	4196	9720	15	27	13958
21.	पंजाब	5072	9572	23	11	14678
22.	राजस्थान	5572	7363	32	26	12993
23.	सिक्किम	73	122	0	0	195
24.	तमिलनाडु	7463	3008	827	9383	20681
25.	त्रिपुरा	752	656	1	1	1410
26.	उत्तर प्रदेश	13284	43078	249	107	56718
27.	उत्तरांचल	765	1578	2	5	2350
28.	पश्चिम बंगाल	3848	14017	58	235	18158
	कुल (राज्य)	105782	226528	2526	10178	345014
29.	अं. और नि. द्वीपसमूह	66	158	0	0	224
30.	चंडीगढ़	84	371	0	0	455
31.	दा. और न. हवेली	0	29	0	0	29
32.	दमन और दीव	11	24	0	0	35
33.	दिल्ली	2510	9791	16	0	12317

1	2	3	4	5	6	7
34.	लक्षद्वीप	0	6	0	0	6
35.	पांडिचेरी	119	169	0	0	288
	कुल (संघ शासित)	2790	10548	16	0	13354
	कुल (अखिल-भारत)	108572	237876	2542	10178	358368

*जेल विद्यमान नहीं है।

वर्ष 2006 के अंत में जेलों में कैद विभिन्न प्रकार के कैदियों की संख्या (अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	दोषसिद्ध	विचाराधीन	नजरबंद	अन्य	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	5287	10082	18	34	15421
2.	अरुणाचल प्रदेश*	–	–	–	–	–
3.	असम	3549	4960	27	2	8538
4.	बिहार	6765	37375	0	141	44281
5.	छत्तीसगढ़	4274	6073	1	11	10359
6.	गोवा	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
7.	गुजरात	5028	6387	378	0	11793
8.	हरियाणा	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
9.	हिमाचल प्रदेश	764	572	0	0	1336
10.	जम्मू-कश्मीर	264	1634	369	3	2270
11.	झारखंड	7374	13319	1	0	20694
12.	कर्नाटक	3852	8649	175	24	12700
13.	केरल	2876	3619	5	4	6504
14.	मध्य प्रदेश	15215	16686	21	78	32000
15.	महाराष्ट्र	9149	16365	274	1	25789
16.	मणिपुर	33	323	42	0	398

1	2	3	4	5	6	7
17.	मेघालय	58	539	24	0	621
18.	मिजोरम	213	516	0	0	729
19.	नागालैंड	133	517	24	0	674
20.	उड़ीसा	4365	10247	0	32	11644
21.	पंजाब	5340	9751	20	4	15115
22.	राजस्थान	5593	8288	35	67	13983
23.	सिक्किम	91	134	0	0	225
24.	तमिलनाडु	6706	2885	651	8414	18656
25.	त्रिपुरा	789	581	0	0	1370
26.	उत्तर प्रदेश	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
27.	उत्तरांचल	907	1737	0	0	2644
28.	पश्चिम बंगाल	3876	14092	0	225	18193
	कुल (राज्य)	92501	175331	2065	9040	278937
29.	अं. और नि. द्वीपसमूह	81	265	0	0	346
30.	चंडीगढ़	107	331	0	0	438
31.	दा. और न. हवेली	0	33	0	0	33
32.	दमन और दीव	12	42	0	0	54
33.	दिल्ली	2449	10934	17	0	13400
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	109	203	0	0	312
	कुल (संघ शासित)	2758	11808	17	0	14583
	कुल (अखिल-भारत)	95259	187139	2082	9040	293520

*जेल विद्यमान नहीं है।

एन.ए.: डाटा उपलब्ध नहीं है।

विवरण II

वर्ष 2004-05 के दौरान बंद कैदियों पर किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	कैदियों की संख्या	व्यय (लाख में)							प्रति कैदी व्यय (रु.)
			भोजन	वस्त्र	चिकित्सा	व्यावसायिक शिक्षा	कल्याणकारी गतिविधि	अन्य	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	13881	1122.3	59.0	54.4	50.5	1.0	311.1	1598.2	11512.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	7828	766.5	12.6	11.7	20.0	0.0	41.7	852.5	10896.8
4.	बिहार	33073	2501.2	0.0	148.7	0.0	121.6	0.0	2771.5	8381.5
5.	छत्तीसगढ़	8873	614.5	9.8	84.9	2.1	0.0	155.7	867.1	9771.2
6.	गोवा	427	35.7	6.5	2.4	0.1	0.3	2.9	47.9	11241.2
7.	गुजरात	11570	568.3	21.0	3.3	0.8	0.0	0.0	593.5	5125.3
8.	हरियाणा	12010	811.4	50.7	126.0	23.8	0.9	421.9	1434.7	11948.4
9.	हिमाचल प्रदेश	1044	86.8	18.9	36.3	7.9	3.2	4.7	157.8	15134.1
10.	जम्मू-कश्मीर	2039	256.6	6.3	36.9	9.4	27.1	0.0	336.3	16478.7
11.	झारखंड	17497	1001.9	99.4	55.2	13.3	5.5	473.2	1648.6	9424.5
12.	कर्नाटक	11542	637.2	0.0	0.0	1.0	0.0	189.9	828.0	7173.8
13.	केरल	7194	633.5	193.8	0.0	1.2	27.5	10.0	866.1	12037.8
14.	मध्य प्रदेश	28932	1671.7	133.5	351.4	77.5	18.3	3913.9	6166.2	21312.0
15.	महाराष्ट्र	24922	1121.6	1.2	52.6	0.0	0.0	498.9	1674.2	6717.0
16.	मणिपुर	465	68.6	5.8	71.4	0.0	0.0	41.5	187.4	40215.1
17.	मेघालय	493	49.3	0.8	4.0	0.0	0.0	13.6	67.7	13793.1
18.	मिजोरम	959	140.0	3.0	7.2	6.0	1.0	12.2	169.4	17622.5
19.	नागालैंड	589	163.3	33.0	3.0	3.0	4.0	0.0	206.3	34974.5
20.	उड़ीसा	13158	938.0	16.5	47.8	13.1	9.0	40.8	1065.1	8093.9
21.	पंजाब	15064	735.5	22.7	323.9	0.0	0.0	0.0	1082.0	7182.7
22.	राजस्थान	13171	706.4	56.0	0.0	0.0	0.0	34.9	797.2	6051.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	सिक्किम	162	21.4	0.4	1.4	0.0	0.0	0.0	23.2	14197.5
24.	तमिलनाडु	21102	1383.1	0.0	40.5	1.3	0.0	207.2	1632.1	7733.9
25.	त्रिपुरा	1265	99.7	3.5	16.9	0.3	0.1	1.6	122.0	9644.3
26.	उत्तर प्रदेश	51706	2741.9	0.0	165.0	0.0	0.0	0.0	2906.9	5622.2
27.	उत्तरांचल	2365	120.3	7.4	12.4	0.0	14.9	252.2	380.1	16067.7
28.	पश्चिम बंगाल	16319	1810.2	160.7	908.5	85.4	18.5	535.1	3518.4	21557.3
	कुल (राज्य)	317650	20806.7	922.7	2565.5	316.8	252.7	7135.8	32000.3	10073.7
29.	अं. और नि. द्वीपसमूह	221	52.2	0.2	0.0	0.6	0.1	6.1	59.2	26696.8
30.	चंडीगढ़	549	40.0	0.3	6.5	5.3	6.5	8.3	66.9	12204.0
31.	दा. और न. हवेली	33	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	12121.2
32.	दमन और दीव	27	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.5	18518.5
33.	दिल्ली	12610	602.3	11.7	308.7	0.0	0.0	1119.4	2042.0	16193.5
34.	लक्षद्वीप	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35.	पांडिचेरी	301	20.9	0.2	0.0	4.3	0.0	0.0	25.4	8305.6
	कुल (संघ शासित)	13741	722.4	12.4	315.2	10.1	6.6	1135.4	2202	16025.0
	कुल (अखिल-भारत)	331391	21529.1	935.2	2880.7	326.9	259.3	8271.2	34202.4	10320.4

स्रोत:- भारत में कारागार संबंधी आंकड़े, 2004

वर्ष 2005-2006 के दौरान बंद कैदियों पर किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	कैदियों की संख्या	व्यय (लाख में)							प्रति कैदी व्यय (रु.)
			भोजन	वस्त्र	चिकित्सा	व्यावसायिक शिक्षा	कल्याणकारी गतिविधि	अन्य	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	14613	1140.7	343.0	50.7	0.0	0.0	0.0	1534.4	10497.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	8513	795.3	2.1	31.2	25.0	0.0	56.1	909.6	10689.5
4.	बिहार	45818	2804.3	33.0	187.7	149.3	0.0	0.0	3174.3	6927.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	छत्तीसगढ़	9821	639.3	68.2	81.9	0.6	140.8	201.3	1132.2	11526.3
6.	गोवा	384	40.5	1.6	3.5	0.1	0.1	15.5	61.2	15885.4
7.	गुजरात	11216	777.2	81.8	13.6	0.0	0.0	0.0	872.7	7783.5
8.	हरियाणा	12547	610.0	140.0	120.0	54.0	14.0	141.0	1079.0	8599.7
9.	हिमाचल प्रदेश	1168	107.2	24.9	46.0	27.1	5.7	7.7	218.5	18750.0
10.	जम्मू-कश्मीर	2137	280.3	7.6	40.1	9.4	0.8	344.5	682.7	31960.7
11.	झारखंड	19233	1374.6	95.2	71.9	8.1	3.3	587.8	2140.9	11131.9
12.	कर्नाटक	12227	100.3	66.0	58.1	56.4	0.0	0.0	280.8	2298.2
13.	केरल	6863	626.9	108.2	68.1	45.9	12.0	10.0	87.1	12691.2
14.	मध्य प्रदेश	31480	2045.0	149.0	539.4	10.1	3.2	3984.1	6730.8	21381.8
15.	महाराष्ट्र	25431	1730.8	1.8	70.7	0.0	0.0	553.7	2356.9	9268.2
16.	मणिपुर	529	73.5	4.5	43.8	0.0	3.0	62.0	186.8	35349.7
17.	मेघालय	555	54.2	0.0	3.8	0.0	0.0	1.6	59.6	10810.8
18.	मिजोरम	713	180.5	13.0	15.1	0.6	2.0	0.0	211.2	29593.3
19.	नागालैंड	625	155.0	40.0	3.0	0.0	3.0	4.0	205.0	32800.0
20.	उड़ीसा	13958	996.0	18.9	62.6	17.0	36.1	47.8	1178.4	8439.6
21.	पंजाब	14678	796.6	23.9	416.5	0.0	0.0	0.0	1237.0	8427.6
22.	राजस्थान	12993	726.9	52.0	0.0	0.0	0.0	41.1	820.0	6311.1
23.	सिक्किम	195	23.1	0.3	0.7	0.0	0.1	0.0	24.1	12307.7
24.	तमिलनाडु	20681	1260.9	1.2	39.2	0.6	330.3	50.0	1682.1	8133.1
25.	त्रिपुरा	1410	123.5	2.3	15.1	3.5	0.2	1.7	146.3	10354.6
26.	उत्तर प्रदेश	56718	3000.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	3200.0	5641.9
27.	उत्तरांचल	2350	131.8	1.8	21.8	0.0	18.5	147.1	321.0	13659.6
28.	पश्चिम बंगाल	18158	1900.7	168.7	953.9	89.7	19.4	561.9	3694.3	20343.7
	कुल (राज्य)	345014	22495.3	1448.7	3158.5	497.1	592.4	6818.7	35010.7	10147.7
29.	अं. और नि. द्वीपसमूह	224	22.0	1.3	0.0	5.5	0.3	19.6	48.6	21875.0
30.	चंडीगढ़	455	43.5	7.8	10.0	10.6	20.1	8.0	100.0	21978.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	दा. और न. हवेली	29	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	17241.4
32.	दमन और दीव	35	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.7	17142.9
33.	दिल्ली	12317	723.8	42.5	153.1	0.0	0.0	1425.8	2345.2	19038.7
34.	लक्षद्वीप	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35.	पांडिचेरी	288	18.5	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	19.6	6944.4
	कुल (संघ शासित)	13354	816.8	52.5	163.2	16.2	20.4	1455.1	2524.2	18908.2
	कुल (अखिल-भारत)	358368	23312.0	1501.1	3321.6	513.4	612.8	8273.9	37534.8	10474.1

स्रोत:- भारत में कारागार संबंधी आंकड़े, 2005

वर्ष 2006-2007 के दौरान बंद कैदियों पर किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	कैदियों की संख्या	व्यय (लाख में)							प्रति कैदी व्यय (रु.)
			भोजन	वस्त्र	चिकित्सा	व्यावसायिक शिक्षा	कल्याणकारी गतिविधि	अन्य	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	15421	1218.7	0.7	63.1	236.2	0	738.9	2257.5	14642.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	8538	915.2	7.9	9.1	25	0	59.8	1017.1	11911.5
4.	बिहार	44281	3596.7	44	216	112.6	0	0	3969.3	8963.2
5.	छत्तीसगढ़	10359	841.9	37.9	84.6	0.3	0	188	1152.6	11130.4
6.	गोवा	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
7.	गुजरात	11793	712.6	35.3	12.4	0	0	0	760.3	6444.5
8.	हरियाणा	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
9.	हिमाचल प्रदेश	1336	87.2	19	36.5	7.9	3.2	4.8	158.5	11901.2
10.	जम्मू-कश्मीर	2270	288.9	0.8	39.5	8	1	167.8	506	22290.7
11.	झारखंड	20694	1507.1	90.5	65.9	12.1	9.6	389.9	2075.2	10027.1
12.	कर्नाटक	12700	649.6	70	63	0.7	0	0	783.3	6165.4
13.	केरल	6504	688.3	29.5	44.8	52.3	20	147.9	982.9	15113.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	मध्य प्रदेश	32000	2373.3	132.7	478.4	7.7	2.1	4254.6	7248.7	22653.1
15.	महाराष्ट्र	25789	1722.7	1.4	57.9	0	0	890	2672	10361
16.	मणिपुर	398	65.8	4.5	5	0	2.1	15.7	93	23366.8
17.	मेघालय	621	56.5	1	5.2	0.9	0	0.4	64	10306
18.	मिजोरम	729	103	9.5	11.7	2.6	7.6	10	143.4	19615.9
19.	नागालैंड	674	155	31	3.1	0.8	5	15	209.9	31157.3
20.	उड़ीसा	14644	1208.7	19	72	16.7	40.7	57.2	1414.2	9655.8
21.	पंजाब	15115	971.9	61.9	194.3	0	0	0	1228.1	8124.4
22.	राजस्थान	13983	757.3	54.2	55	0	0	44.5	910.8	6515.1
23.	सिक्किम	225	18.7	0	1.3	0	0	0	20	8888.9
24.	तमिलनाडु	18656	1060.4	1.5	39.2	1.5	241.6	23	1367.2	7327.4
25.	त्रिपुरा	1370	136.9	4.5	19.4	1.1	3.7	58.3	223.9	16350.4
26.	उत्तर प्रदेश	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
27.	उत्तरांचल	2644	148.3	58.9	19.6	0	25.2	178.3	2119.4	80143.7
28.	पश्चिम बंगाल	18193	1995.8	177.1	1001.6	94.2	20.4	589.9	3789	21321.4
	कुल (राज्य)	278937	21280.4	891.7	2598.6	580.6	382.1	7833.8	35256.4	12639.4
29.	अं. और नि. द्वीपसमूह	346	36.1	0.8	0.1	0.2	0.5	20	57.7	16763
30.	चंडीगढ़	438	36.5	4.7	17.7	18.8	13.5	13.8	104.9	23972.6
31.	दा. और न. हवेली	33	5	0	0	0	0	0	5	15151.5
32.	दमन और दीव	54	5.6	0.4	0.1	0	0	0.2	6.2	11111.1
33.	दिल्ली	13400	692.9	10.3	621.3	0	0	1969.4	3294	24582.1
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	312	23.9	0.1	0	0.1	0	0	24.1	7692.3
	कुल (संघ शासित)	14583	800	16.3	639.1	19	14	2003.3	3491.8	23945.7
	कुल (अखिल-भारत)	293520	22080.4	908	3237.8	599.6	396.1	9837.2	38748.3	13201.1

*जेल विद्यमान नहीं है।

एन.ए.: डाटा उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

निर्यात लक्ष्य

927. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 160 बिलियन डालर के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक लक्ष्य की कितनी प्राप्ति हुई है;

(ग) क्या डालर के मुकाबले रुपए की मूल्यवृद्धि के परिणामस्वरूप खाद्य वस्तुओं का निर्यात और आयात प्रभावित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो निर्यात क्षेत्र पर इसके संभावित प्रभाव का उद्योगवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 77.6 प्रतिशत प्राप्त करके निर्यात अप्रैल-जनवरी 2007-08 के दौरान 124.2 बिलियन अम.डा. के स्तर पर पहुंच गए।

(ग) विनिमय दरों में परिवर्तनों के अलावा माल का निर्यात एवं आयात और सेवाएं वस्तुओं की प्रकृति, उनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, घरेलू क्षमता, निविष्टि की कीमतों आदि सहित अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। इन कारकों में खाद्य मदों सहित व्यापार की गई वस्तुओं के निर्यात और आयात प्रभावित हुए है।

(घ) प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2007-08 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान आरएमजी (अनुषंगी सामग्रियों सहित कपास); प्राथमिक एवं अर्द्ध-परिष्कृत लोहा एवं इस्पात; प्लास्टिक एवं लिनोलियम; अलौह धातुएं; समुद्री उत्पादों; खेल सामानों; हस्तशिल्प कालीन आदि सहित अनेक मदों के निर्यात में नकारात्मक वृद्धि हुई थी। इनमें से अधिकांश वस्तुएं कम आयात गहनता वाली हैं और इनका उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र में किया जाता है।

(ङ) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों में फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना, शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम, पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन स्कीम आदि के कार्यान्वयन जैसी निर्यात संवर्धन संबंधी पहलें शामिल हैं। इसके अलावा, वर्ष 2007-08 के दौरान रुपए की मजबूती द्वारा प्रतिकूलत: प्रभावित निर्यात मदों के संबंध में विशेष पैकेज की भी घोषणा की गई है।

विद्यालय विकास निधि

928. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों से विद्यालय विकास निधि शुल्क लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शुल्क संग्रहण तथा इसका उपयोग लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा के अध्याधीन है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) कक्षा 11 और 12 के गैर-विज्ञान विषय वाले छात्रों और कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों से प्रति छात्र प्रति माह 160 रुपये विद्यालय विकास निधि ली जा रही है। विज्ञान विषय वाले छात्रों के संबंध में कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं के छात्रों से विद्यालय विकास नीति हेतु प्रति छात्र प्रति माह 200 रुपये लिए जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अपराधियों को मृत्युदण्ड

929. श्री मोहन सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान चालू वर्ष में आज की तारीख तक देश के विभिन्न न्यायालयों द्वारा कितने अपराधियों को मृत्युदण्ड दिया गया है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ व्यक्तियों को दिए गए मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखने के बावजूद उन्हें फांसी नहीं दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) वर्ष 2004 से 2006 की अवधि के दौरान देश में विभिन्न न्यायालयों द्वारा मृत्युदंड प्रदान किए गए अपराधियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। इसके बाद की अवधि की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) जी हां। न्यायालय में अपील के निरस्त होने के पश्चात दोषी कैदी संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख दया याचिका दायर कर सकता है तथा माफी दिए जाने के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत याचिका प्रस्तुत कर सकता है। याचिकाओं के निर्णय आने तक ऐसे मामलों में मृत्युदंड निष्पादित नहीं किया जाता। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्रदत्त शक्ति में ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि किस समय सीमा तक प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

विवरण

वर्ष 2004 से 2006 के दौरान मृत्यु दंड प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004	2005	2006*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	2	8	1
4.	बिहार	16	2	6
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0
6.	गोवा	0	0	उ.न.
7.	गुजरात	19	8	0
8.	हरियाणा	3	0	उ.न.
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0
11.	झारखंड	15	21	8
12.	कर्नाटक	7	14	13

1	2	3	4	5
13.	केरल	1	4	3
14.	मध्य प्रदेश	6	11	9
15.	महाराष्ट्र	4	4	20
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	उड़ीसा	5	0	7
21.	पंजाब	0	0	0
22.	राजस्थान	2	6	6
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1	उ.न.	10
25.	त्रिपुरा	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	33	51	उ.न.
27.	उत्तरांचल	0	1	1
28.	पश्चिम बंगाल	3	24	1
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	7	9	10
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0
	कुल	125	164	105

टिप्पणी: (1) उ.न. अर्थात् आंकड़े उपलब्ध नहीं।

(2) 0 अर्थात्-शून्य

(3) *से तात्पर्य अनन्तिम आंकड़ों से हैं तथा इसमें गोवा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आंकड़े शामिल नहीं है।

स्रोत: कारागार आंकड़े भारत।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क योजना

930. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क (ईपीआईपी) योजना सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं को स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं स्थापित करने के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) निर्यात के लिए अत्यावश्यक अवसंरचना का विकास करने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वाणिज्य विभाग इस समय निर्यात अवसंरचना के विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) संबंधी स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। पूर्ववर्ती ईपीआईपी स्कीम का एएसआईडीई स्कीम में विलय कर दिया गया है।

(ग) एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत राज्यों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (एसएलईपीसी) स्कीम के अनुमोदित प्रयोजनों के अनुसार उन्हें आबंटित निधियों के आधार पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेती है। स्कीम के अनुमोदित प्रयोजनों में अन्य बातों के साथ-साथ नये निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों का सृजन करना भी शामिल है। अत: निर्यातोन्मुखी इकाइयों हेतु अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना हेतु स्कीम के अंतर्गत ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई राशि 2004-05	जारी की गई राशि 2005-06	जारी की गई राशि 2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1385.00	1,545.00	1700.00
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0.00	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00
4.	चंडीगढ़	0.00	320.00	175.00
5.	छत्तीसगढ़	500.00	500.00	550.00
6.	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
7.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00
8.	दिल्ली	0.00	265.00	145.00
9.	गोवा	373.00	609.00	0

1	2	3	4	5
10.	गुजरात	3,578.00	4,338.00	4770.00
11.	हरियाणा	849.00	1,405.00	772.50
12.	हिमाचल प्रदेश	500.00	553.00	600.00
13.	जम्मू-कश्मीर	500.00	525.00	580.00
14.	झारखंड	0.00	0.00	275.00
15.	कर्नाटक	2414.00	3,399.00	3740.00
16.	केरल	930.00	1,069.00	1175.00
17.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00
18.	मध्य प्रदेश	1,435.00	1,435.00	790.00
19.	महाराष्ट्र	5709.00	6,552.00	7210.00
20.	उड़ीसा	605.00	693.00	765.00
21.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
22.	पंजाब	968.00	1,217.00	670.00
23.	राजस्थान	1,320.00	1,320.00	726.50
24.	तमिलनाडु	3,919.00	3,919.00	4312.00
25.	उत्तर प्रदेश	1259.00	2,100.00	1155.00
26.	उत्तरांचल	500.00	527.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	1491.00	2,099.00	2,210.00
	कुल	28,235.00	34,300.00	32,321.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र				
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	251.00	138.00
2.	असम	1149.00	1,257.00	691.50
3.	मणिपुर	200.00	206.00	227.00
4.	मिजोरम	200.00	324.00	356.00
5.	मेघालय	572.00	834.00	917.00
6.	नागालैंड	200.00	200.00	220.00
7.	सिक्किम	0.00	200.00	220.00
8.	त्रिपुरा	828.00	728.00	801.00
	कुल	3149.00	4,000.00	3570.50
	कुल योग	31,384.00	38,300.00	35,891.50

नंदीग्राम हिंसा

931. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नंदीग्राम में हुई हिंसा की जांच करने के लिए तीन सदस्यों वाले दल को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दल ने एनएचआरसी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़ितों को अपेक्षित मुआवजे का भुगतान करने का निदेश दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो एनएचआरसी की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक टीम ने स्थिति का अध्ययन करने के लिए नंदीग्राम का दौरा किया है। रिपोर्ट के आधार पर, एनएचआरसी ने माना है कि राज्य सरकार हमले को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है और इसके साथ-साथ उन्होंने राज्य सरकार को पीड़ित/मरने वाले के रिश्तेदार को मुआवजा देने की सिफारिश की है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्यात

932. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में निर्यात किए गए उत्पादों की प्रमात्रा का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि में उक्त निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के क्षेत्राधिकार के तहत निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा निर्यातित उत्पादों में विदेशी सामग्रियां जैसे कि पापड़, फैंसी वस्तुएं, लकड़ी की हस्तशिल्प मदें, कढ़ाई वाले उत्पाद, अगरबत्ती, हस्तनिर्मित कागज उत्पाद, आदि शामिल हैं। इस प्रकार खादी एवं ग्रामोद्योग (केवीआई) के निर्यातित उत्पादों का डाटा केवल निर्यातित उत्पादों के मूल्य के संबंध में रखा जाता है, मात्रा के संबंध में नहीं। 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 (जनवरी 2008 तक) के दौरान केवीआईसी द्वारा अनुरक्षित निर्यातित केवीआई उत्पादों के मूल्य का देश-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

अनुबंध में प्रस्तुत निर्यातित केवीआई उत्पादों के मूल्य का डाटा निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए केवीआईसी द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए दावे प्रस्तुत करते समय केवीआईसी को केवीआई इकाइयों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर है। तथापि केवीआई इकाइयों की एक बड़ी संख्या मर्चेंट निर्यातकों के माध्यम से केवीआई उत्पादों का निर्यात कर रही हैं और उनके द्वारा केवीआईसी को इन निर्यातों के मूल्य के संबंध में रिपोर्ट नहीं की जाती है, अत: निर्यातित केवीआई उत्पादों का वास्तविक मूल्य और अधिक होने की उम्मीद की जाती है।

(ख) 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष (जनवरी 2008 तक) के दौरान ऐसे निर्यातों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि विवरण में दी गई है।

विवरण

2004-05, 2005-06 और 2006-07 (जनवरी, 2008 तक) के दौरान निर्यातित केवीआई उत्पादों के मूल्य का देश-वार विवरण

क्र.सं.	देश	उत्पाद का नाम	राशि (लाख रु. में)			
			2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (जनवरी 2008 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, आस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम (यूके), जर्मनी, फ्रांस, इटली और	हस्तनिर्मित कागज और उनके उत्पाद	2488.00	2250.91	2788.10	3061.00

1	2	3	4	5	6	7
	अन्य यूरोपियन देश, संयुक्त राज्य अमेरीका (यूएसए), ब्राजील, जापान, इस्राइल					
2.	यूके, यूएसए, मिडल ईस्ट देश, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, नीदरलैंड, जापान, आस्ट्रेलिया	पापड़	1161.95	1527.93	2460.84	2800.00
3.	यूएसए, आस्ट्रेलिया, यूके	पाप लीफ उत्पाद	21.25	39.18	6.60	30.00
4.	यूएसए, चीन, यूके, इटली, वियतनाम	हस्तशिल्प मदें	22.53	58.74	95.22	19.00
5.	यूएसए, इटली, केन्या, श्रीलंका, यूगांडा	चर्म और रेक्सीन मदें	123.09	81.65	0.00	90.00
6.	यूके	खादी (सिल्क और मुस्लिन)	59.05	0.42	2.61	2.00
7.	फ्रांस, यूएसए, स्पेन, इटली	तात्विक तेल	4.20	22.00	0.00	0.00
8.	यूएसए, यूके, आस्ट्रेलिया, फ्रांस	कढ़ाई वाले उत्पाद	0.00	28.91	11.77	0.00
9.	श्रीलंका, यूगांडा	मशीन और सामग्री	0.00	31.00	0.00	0.00
10.	जापान	शहद	0.00	0.00	8.00	10.00
11.	यूएसए	कापर सामग्री	0.80	0.00	0.00	0.00
12.	यूके, यूएसए, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) एवं रूस	हर्बल उत्पाद	20.00	0.00	0.00	0.00
13.	यूके	झाड़ू	1.25	0.00	0.00	0.00
14.	यूएई	ईमली	5.60	0.00	0.00	0.00
		कुल	3907.72	4040.74	5373.14	6012.00

काजू का व्यापार

933. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार काजू व्यापार के हितों की रक्षा के लिए वैश्विक गठबंधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त वैश्विक गठबंधन देश में काजू उत्पादकों के लिए कितना लाभदायक होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) काजू निर्यात विकास परिषद, जो वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, ने काजू के लिए वियतनाम तथा ब्राजील में क्रमश: विनाकास तथा सिंडीकाजू नामक संबंधित काजू संवर्धन संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त संवर्धनात्मक प्रयासों हेतु एक वैश्विक गठबंधन तैयार करने के लिए पहल की है।

(ग) इस वैश्विक गठबंधन द्वारा विश्व भर में खपत बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाने की आशा की जाती है, जैसाकि बादाम, पिस्ता आदि के उत्पादक समूहों द्वारा किया जाता है। इससे भारत तथा अन्य उत्पादक देशों से निर्यातित काजू के लिए बेहतर कीमत वसूली होगी जिसके परिणामस्वरूप काजू किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी।

[हिन्दी]

लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार

934. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कुल उत्पादन और रोजगार सृजन में लघु उद्योग क्षेत्र का क्या योगदान है;

(ख) क्या इस योगदान के कम होने की संभावना है जैसा कि एसोचैम द्वारा आंकलित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योग इकाइयों और उनमें नियोजित व्यक्तियों की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या चालू वर्ष में लघु उद्योग इकाइयों और उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या में कमी आई है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) संदर्भ वर्ष 2001-02 की सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की तीसरी अखिल भारतीय गणना के परिणाम के आधार पर 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में एमएसई का अनुमानित योगदान क्रमश: 38.62 प्रतिशत, 38.56 प्रतिशत और 38.57 प्रतिशत रहा है। देश के कुल औद्योगिक रोजगार में एमएसई क्षेत्र में रोजगार सृजन का भाग अनुमानत: 34.93 प्रतिशत है। एमएसई ने उत्पादन एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है जैसा कि निम्नोक्त तालिका से देखा जा सकता है:

आर्थिक मानदण्ड	अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर (%)		
	2004-05	2005-06	2006-07
1. स्थिर मूल्यों पर उत्पादन	10.88	12.32	12.60
2. रोजगार सृजन	4.45	4.28	4.23

(घ) से (छ) 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए एमएसई की अनुमानित संख्या और उनमें नियोजित कामगारों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमश: विवरण-1 और विवरण-2 पर दिया गया है। जैसा कि अनुबंधों से देखा जा सकता है, एमएसई की संख्या और नियोजित व्यक्तियों की संख्या में सतत वृद्धि हुई है। एमएसएमई मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ कुल विनिर्माण आउटपुट में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना और इस प्रकार देश में वृहत्तर रोजगार सृजन सुनिश्चित करना है।

विवरण I

2004-05, 2005-06 और 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की अनुमानित संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाता विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एमएसई की अनुमानित संख्या		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	जम्मू-कश्मीर	82547	86064	89726
2.	हिमाचल प्रदेश	87194	91596	95572

1	2	3	4	5
3.	पंजाब	413762	427401	441797
4.	चंडीगढ़	24739	25653	26612
5.	उत्तरांचल	123524	130140	137618
6.	हरियाणा	245370	254028	263308
7.	दिल्ली	196215	203336	210905
8.	राजस्थान	498035	518371	538728
9.	उत्तर प्रदेश	1938524	2027020	2116791
10.	बिहार	582167	605049	629509
11.	सिक्किम	437	455	474
12.	अरुणाचल प्रदेश	1458	1516	1578
13.	नागालैंड	16824	17772	19024
14.	मणिपुर	53173	55115	57171
15.	मिजोरम	12895	13554	14335
16.	त्रिपुरा	27054	28063	29141
17.	मेघालय	25846	27153	28591
18.	असम	218487	226890	235576
19.	पश्चिम बंगाल	856178	887697	921221
20.	झारखण्ड	149697	156091	163220
21.	उड़ीसा	434498	450946	468468
22.	छत्तीसगढ़	293468	304002	315118
23.	मध्य प्रदेश	898650	937183	976981
24.	गुजरात	600569	624346	646379
25.	दमन और दीव	4197	4389	4579
26.	दादरा और नगर हवेली			
27.	महाराष्ट्र	909385	948028	989254
28.	आंध्र प्रदेश	970755	1005889	1043512
29.	कर्नाटक	740967	772234	804811

1	2	3	4	5
30.	गोवा	8101	8401	8654
31.	लक्षद्वीप	616	644	675
32.	केरल	507313	524969	542610
33.	तमिलनाडु	922118	962854	1006684
34.	पांडिचेरी	10301	10724	11120
35.	अंडमान और निकोबार	3756	3902	4032
	अखिल भारत	11858821	12341475	12843773

विवरण II

2004-05, 2005-06 और 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में नियोजित अनुमानित कामगारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाता विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमानित रोजगार		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	जम्मू-कश्मीर	175909	183962	192254
2.	हिमाचल प्रदेश	154749	164464	172350
3.	पंजाब	987352	1014594	1042995
4.	चंडीगढ़	53917	55826	57743
5.	उत्तरांचल	232621	246642	262737
6.	हरियाणा	600554	619731	640564
7.	दिल्ली	689863	712888	737325
8.	राजस्थान	1009827	1055332	1097842
9.	उत्तर प्रदेश	4618508	4848046	5076632
10.	बिहार	1219059	1267525	1319395
11.	सिक्किम	1633	1703	1774
12.	अरुणाचल प्रदेश	4769	4965	5178
13.	नागालैंड	77204	82875	91032

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	151450	156904	162667
15.	मिजोरम	29626	31318	33383
16.	त्रिपुरा	63338	65640	68147
17.	मेघालय	78248	83048	88418
18.	असम	491671	511033	530497
19.	पश्चिम बंगाल	2407908	2494556	2586716
20.	झारखण्ड	320202	335225	352479
21.	उड़ीसा	1051391	1091768	1134891
22.	छत्तीसगढ़	592528	613479	635522
23.	मध्य प्रदेश	1539764	1609311	1680379
24.	गुजरात	1474431	1534932	1585675
25.	दमन और दीव	72748	76173	79558
26.	दादरा और नगर हवेली			
27.	महाराष्ट्र	2443906	2569860	2704767
28.	आंध्र प्रदेश	2370459	2451500	2539234
29.	कर्नाटक	1882962	1968567	2056678
30.	गोवा	36048	37368	38260
31.	लक्षद्वीप	1918	2008	2106
32.	केरल	1289505	1332814	1374692
33.	तमिलनाडु	2576574	2703291	2840532
34.	पांडिचेरी	45654	47779	49428
35.	अंडमान और निकोबार	9176	9541	9831
	अखिल भारत	28755473	29984658	31251682

[अनुवाद]

विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ समझौता

935. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी विद्यालयों ने भारतीय विश्वविद्यालयों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान विदेशी

विश्वविद्यालयों के साथ संधि करने वाले विश्वविद्यालयों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या कितनी है; और

(घ) दोनों पक्षों द्वारा अध्ययन/अनुसंधान के किन क्षेत्रों में समझौते हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित उच्चतर शिक्षा संस्थान स्वायत्त संस्थान हैं और वे शैक्षिक प्रयोजनों हेतु विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ सहयोग से कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए उन्हें ऐसे सहयोग के लिए केन्द्र सरकार से किसी तरह का अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है।

(ग) और (घ) केन्द्रीकृत रूप से ऐसे कोई रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं।

उद्योगों की स्थापना

936. **श्री अनन्त नायक:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री बापू हरी चौरे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में उद्योगों की स्थापना हेतु कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इनमें से किसी राज्य में किसी उद्योग की स्थापना की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और उद्यमियों द्वारा उन उद्योगों में क्षेत्र-वार तथा राज्य-वार कितना निवेश किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों और निजी उद्यमियों द्वारा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐसे समझौता ज्ञापनों के ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

उदारीकृत औद्योगिक नीति के तहत किसी उद्योग को स्थापित करने का निर्णय उद्यमियों की प्रौद्योगिकी-आर्थिक समझ पर निर्भर करता है। किसी उद्योग की स्थापना करने के लिए उद्यमियों द्वारा लाइसेंस-मुक्त क्षेत्र हेतु एक औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन दायर करना या लाइसेंस-युक्त क्षेत्र के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित है। दसवीं योजना अवधि के दौरान औद्योगिक निवेश आशयों के राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरे तथा प्रस्तावित निवेश को दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण I

दसवीं योजनावधि के दौरान निवेश आशयों का राज्यवार बंटवारा

क्र.सं.	राज्य का नाम	अप्रैल 2002-मार्च, 2007	
		संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये)
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2	31
2.	आंध्र प्रदेश	2034	109505
3.	अरुणाचल प्रदेश	30	360
4.	असम	272	3818
5.	बिहार	108	9107
6.	चंडीगढ़	7	235
7.	छत्तीसगढ़	1219	234796
8.	दादरा और नगर हवेली	603	T1999
9.	दमन और दीव	302	3422
10.	दिल्ली	40	311
11.	गोवा	169	1851
12.	गुजरात	2595	227258
13.	हरियाणा	1020	33640
14.	हिमाचल प्रदेश	394	8739
15.	जम्मू-कश्मीर	460	8652
16.	झारखण्ड	454	102089
17.	कर्नाटक	1112	114814

1	2	3	4
18.	केरल	142	2616
19.	लक्षद्वीप	0	0
20.	मध्य प्रदेश	654	42993
21.	महाराष्ट्र	3596	130517
22.	मणिपुर	4	20
23.	मेघालय	140	3045
24.	मिजोरम	0	0
25.	नागालैंड	7	16037
26.	उड़ीसा	752	201884
27.	पुडुचेरी	212	2224
28.	पंजाब	748	23981
29.	राजस्थान	795	19088
30.	सिक्किम	25	1691
31.	तमिलनाडु	2212	91103
32.	त्रिपुरा	13	300
33.	उत्तर प्रदेश	2167	91110
34.	उत्तराखंड	1138	24960
35.	पश्चिम बंगाल	1882	94182
36.	एक से ज्यादा राज्यों में स्थल	8	29
	जोड़	25316	1616407

टिप्पणी: निवेश नवम्बर, 2003 से दायर किए गए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापनों (आईईएम), जारी किए गए आशय पत्रों (एलओआई) और प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों के आशय में हैं।

विवरण II

दसवीं योजनावधि के दौरान निवेश आशयों का क्षेत्रवार बंटवारा

क्र.सं.	अनुसूचित उद्योग का नाम	अप्रैल, 2002 से मार्च, 2007	
		संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये)
1	2	3	4
1.	धातुकर्मी उद्योग	4612	416165
2.	ईंधन	188	131325
3.	बायलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	15	421
4.	प्राइम मूवर्स	541	14323
5.	विद्युत उपकरण	1518	410770
6.	दूरसंचार	194	6312
7.	परिवहन	388	17677
8.	औद्योगिक मशीनरी	537	11597
9.	मशीन उपकरण	60	468
10.	कृषि मशीनरी	58	2579

1	2	3	4
11.	अर्थ मूविंग मशीनरी	14	156
12.	विविध, मैकैनिकल उद्योग	1298	20903
13.	वाणिज्यिक/घरेलू उपकरण	60	558
14.	मेडिकल तथा सर्जिकल उपकरण	44	153
15.	औद्योगिक उपकरण	11	98
16.	वैज्ञानिक उपकरण	52	262
17.	गणितीय, सर्वेक्षण तथा आरेखन उपकरण	1	110
18.	उर्वरक	285	4136
19.	रसायन, उर्वरकों के अतिरिक्त	1917	100764
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म	0	0
21.	रंजक सामग्री	34	564
22.	ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	873	11297
23.	वस्त्र	3607	72394
24.	कागज तथा कागज उत्पाद	513	31274
25.	चीनी	1328	110142
26.	किण्वन उद्योग	824	18245
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1167	10994
28.	वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा	570	5740
29.	साबुन, सौंदर्य और टायलेट प्रसाधन	277	4847
30.	रबड़ की वस्तुएं	233	5214
31.	चमड़ा उत्पाद	203	717
32.	ग्लू और जिलेटिन	22	512
33.	कांच	154	6004
34.	सिरेमिक	220	4265
35.	सीमेंट तथा जिप्सम	477	64149
36.	काष्ठ उत्पाद	26	266
37.	रक्षा उद्योग	41	3351
38.	विविध उद्योग	377	4241
	अन्य	2577	123414
	कुल योग	25316	1616407

टिप्पणी: निवेश नवम्बर, 2003 से दायर किए गए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापनों (आईईएम), जारी किए गए आशय पत्रों (एलओआई) और प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों के आशय में है।

जीएसआई द्वारा खनिजों का सर्वेक्षण

937. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में खानों से संबंधित कोई सर्वेक्षण कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष खोजे गए सोने, चांदी और तांबे के भण्डारों तथा अन्य खनिज भण्डारों का खनिज-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में पाए गए इन धातु और खनिज भण्डारों की प्रमात्रा का राज्य-वार और खनिज-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन धातुओं और खनिजों की खोज और इनके दोहन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) खनिजों के लिए सर्वेक्षण और क्षेत्रीय गवेषण करता है।

(ख) और (ग) खनिज भंडारों का आंकलन दूसरी गवेषण एजेंसियों द्वारा विस्तृत खनिज गवेषण तथा पूर्वेक्षण के बाद किया जाता है। देश में खनिजों के भडारों के ब्यौरे भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इंडियन मिनरल ईयरबुक, 2006 में प्रकाशित किये गये हैं। उसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय को उपलब्ध करायी गई है।

(घ) जीएसआई ने आधुनिकीकरण तथा खनिजों के गवेषण के लिए अत्याधुनिक उपकरण तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी अधिग्रहण करने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। खनिजों का विदोहन जीएसआई के कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं आता है।

तकनीकी संस्थान

938. श्री के.एस. राव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में कार्य कर रहे तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अंतर राज्य और अंतर क्षेत्र असंतुलन, यदि कोई है तो, को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास के संबंध में विगत दो दिनों की बैठक में दिए गए सुझावों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार तकनीकी शिक्षा का विस्तार करने और अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के उच्चतम स्तर के समान तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार करने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी पर नई नीति बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) तकनीकी एवं वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) तकनीकी शिक्षा एवं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार ने उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डिग्री और डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी पाठ्यक्रमों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया है जिन राज्यों में अभी ये सुविधाएं नहीं हैं। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यह सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां इन्हें पर्याप्त स्तर तक बढ़ाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्यों में नई संस्थाओं की स्थापना के संवर्द्धन के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नई तकनीकी संस्थाओं के अनुमोदन हेतु निर्धारित मानकों में कुछ छूट दी है।

(ग) भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए:

(1) संभावित छूटों और प्रोत्साहनों के माध्यम से क्षेत्रीय और अन्य असंतुलन दूर किए जाएं।

(2) पालिटेक्निकों के विस्तार हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड पर विचार किया जाना चाहिए।

(3) उद्योग को न केवल प्लेसमेन्ट कार्यकलापों और छात्र परियोजना कार्य में शामिल होना चाहिए बल्कि पाठ्यचर्या और संकाय विकास, गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान कार्य-कलापों आदि के क्षेत्रों में भी शामिल होना चाहिए।

(घ) और (ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ-साथ पालिटेक्निक प्रणाली का सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में विस्तार करने की अभिकल्पना की गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वोकेशनल स्कूलों की संख्या	वोकेशनल सैक्शनों की संख्या	आई.टी.आई./ आई.टी.सी. की संख्या	डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं की संख्या	डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1486	1880	535	998	174
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	4	5	1	4
3.	असम	510	510	31	16	15
4.	बिहार	752	752	93	24	21
5.	छत्तीसगढ़	20	–	91	39	26
6.	गोवा	106	106	14	11	11
7.	गुजरात	77	1032	338	168	91
8.	हरियाणा	116	795	122	158	57
9.	हिमाचल प्रदेश	82	82	78	22	11
10.	जम्मू-कश्मीर	37	502	38	19	16
11.	झारखण्ड	–	–	51	23	23
12.	कर्नाटक	563	1427	853	428	280
13.	केरल	475	1008	410	212	68
14.	मध्य प्रदेश	1307	1307	183	283	98
15.	महाराष्ट्र	958	3480	576	564	408
16.	मणिपुर	10	57	7	2	4
17.	मेघालय	2	20	7	2	3
18.	मिजोरम	106	51	1	1	4
19.	नागालैंड	8	16	7	1	4
20.	उड़ीसा	231	1024	322	152	49
21.	पंजाब	345	1146	197	153	89
22.	राजस्थान	155	465	233	185	65
23.	सिक्किम	40	9	1	3	4
24.	तमिलनाडु	800	2140	664	675	302

1	2	3	4	5	6	7
25.	त्रिपुरा	17	12	8	5	4
26.	उत्तर प्रदेश	1010	2550	449	466	114
27.	उत्तरांचल	111	–	77	60	51
28.	पश्चिम बंगाल	39	39	71	125	71
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	3	1	0	2
30.	चण्डीगढ़	20	58	2	39	6
31.	दादरा और नगर हवेली	2	2	1	0	0
32.	दमन और दीव	0	2	2	0	0
33.	दिल्ली	207	93	71	82	20
34.	लक्षद्वीप	शून्य	–	1	–	0
35.	पुडुचेरी	20	16	14	13	7
	कुल	9619	20591	5465	4894	2102

आतंकवाद को रोकने के लिए निजी सुरक्षा गार्ड का उपयोग

939. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री नन्द कुमार साय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए निजी सुरक्षा गार्डों की भागीदारी बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे निजी सुरक्षा गार्डों को प्रशिक्षण देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) हालांकि भारत के संविधान की अनुसूची 7 के अनुसार 'कानून और व्यवस्था' राज्य का विषय है, फिर भी केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में कार्यरत निजी सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियों को विनियमित करने में राज्यों की सहायता करने की दृष्टि से निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है। ये निजी सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादियों का मुकाबला करने में सुरक्षा बलों की सहायता करने में भूमिका निभा सकती हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) उक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अंडमान सागर पर अनुसंधान हेतु धनराशि

940. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अंडमान सागर तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर अनुसंधान हेतु व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास इसके लिए आबंटन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कराए जा रहे इस अनुसंधान कार्य के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (पहले महासागर विकास विभाग) द्वारा समुद्र और द्वीपों में अनुसंधान संबंधी कार्यों पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	परियोजनाएं	व्यय की गई राशि (लाख रुपयों में)		
		2004-05	2005-06	2006-07
1.	द्वीपों के लिए समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी	41.00	90.00	192.00
2.	तटीय समुद्र मानीटरन और पूर्वानुमान प्रणाली	17.96	17.84	20.01
3.	समुद्र से संभावित औषधियों का विकास	103.26	67.60	59.74
	जोड़	162.22	175.44	271.75
	कुल जोड़			609.41

(ख) और (ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वीप विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 30.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। इसके अंतर्गत अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह और आस-पास के सागरों का अनुसंधान कार्य शामिल है।

(घ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आने वाले स्वायत्तशासी संस्थान राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) ने अंडमान स्थित खारे पानी की झीलों, नहरों और कच्छ वनस्पति क्षेत्रों में तैरने वाले पिंजरों और बाड़ों में केकड़ों की फार्मिंग करने तथा उनके परिपुष्टन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है। इस प्रौद्योगिकी को अण्डमान के मछुआरों को हस्तांतरित कर दिया गया है। एनआईओटी द्वारा डिजाइन किए गए और तैयार किए गए तैरने वाले कोठरीनुमा पिंजरे, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा, एनआईओटी ने अधिक मात्रा में मछलियां पकड़ने जाने के लिए समुद्र में स्थापित किए जाने वाले समुद्री फिश एग्रीगेटिंग यंत्रों (एफएडीएस) का डिजाइन बनाया और उन्हें तैयार किया है।

अण्डमान सागर के समुद्र वैज्ञानिक पैरामीटर भारत के शेष अपतटीय क्षेत्रों में तटीय समुद्र प्रदूषण को मानीटर करने के लिए प्रदूषण मुक्त तटीय पर्यावरण हेतु बेंचमार्क का कार्य करते हैं तथा इस संबंध में वर्ष में अलग-अलग ऋतुओं के दौरान नमूने लिए जाते हैं।

समुद्र से औषधियों का विकास परियोजना के तहत अण्डमान सागर से अब तक 413 समुद्री-जीव एकत्र किए गए हैं जिनमें से 61 नमूनों में जैव सक्रिय मेटाबोलाइट की संभावना पाई गई। बार-बार अर्क निकालने पर सक्रियता होने की पुष्टि करने के बाद चार अर्क में बहुत कम सांद्रता वाली जैव-सक्रियता दिखाई दी।

खादी क्लस्टर्स

941. श्री प्रहलाद जोशी: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खादी, कृषि और ग्रामोद्योग क्लस्टर्स स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ऐसे क्लस्टर्स की विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में वित्तीय सहायता हेतु केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कुल 97.25 करोड़ रुपये के कुल योजनागत परिव्यय से खादी, ग्राम तथा कयर क्षेत्रों से लगभग 100 क्लस्टरों के विकास के लिए परम्परागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (स्फूर्ति) शुरू की है। इस योजना में निर्माण उपस्कर के पुन: स्थापन, सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना, उत्पाद विकास, गुणवत्ता सुधार, संशोधित विपणन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण आदि के लिए आवश्यकता आधारित सहायता की परिकल्पना

की गई है। स्फूर्ति के दिशा-निर्देश (http://msme.nic.in) में मंत्रालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। 118 क्लस्टरों (खादी से 33, ग्रामोद्योग से 59 तथा कयर से 26) को इस योजना के तहत उनके विकास के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। स्फूर्ति के तहत चयनित क्लस्टरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) स्फूर्ति के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्व में कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय) को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से सीधे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते। राज्य सरकारों की सहमति से नोडल एजेंसियों अर्थात् खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा खादी संस्थाओं से कयर बोर्ड, गैर-सरकारी संगठनों, केन्द्र तथा राज्य सरकारों की संस्थाओं तथा अर्ध-सरकारी संस्थाओं द्वारा क्लस्टर विकास संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। प्रस्तावों की जांच करने के बाद उन्हें नोडल एजेंसी द्वारा स्फूर्ति की योजना संचालन समिति को विचारार्थ भेज दिया जाता है। इस योजना के तहत अनुमोदित कर्नाटक राज्य के क्लस्टरों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	क्लस्टरों के नाम तथा स्थान	कार्यकलाप का नाम	आई.ए. का नाम
खादी क्लस्टर			
1.	बेलूर खादी क्लस्टर, हुबली	सूती खादी पोली वस्त्र तथा मसलिन उत्पादन (सूती खादी, सिल्क खादी, राष्ट्रीय झण्डा, मसलिन शर्टिंग, पोली सिल्क शर्टिंग डी टी तथा बन्टिंग)	कर्नाटक खादी, ग्रामोद्योग संघ, हुबली
2.	हेब्बाली सूती खादी क्लस्टर धारवाड़	सूती खादी तथा पोलीवस्त्र (लुंगिया, तौलिए, बेडशीट, ड्रेस सामग्री, राष्ट्रीय झण्डा)	धारवाड़ तालुका हेब्बाली क्षेत्रीय सेवा संघ
ग्रामोद्योग क्लस्टर			
3.	सिसल फाइबर क्लस्टर, चामाराजनगर	टेबल मैट्स, फुटमैट्स, रनर्स, पेनस्टैंड, फाइबर सार (पौधे की पत्तियों से)	आईडीपीएमएस, बंगलौर
4.	मैसूर वुड वर्क, मैसूर	वुडन खिलौने, टेबलवेयर तथा सुसज्जा की वस्तुएं	कर्नाटक हथकरघा कारीगर कल्याण संघ, मैसूर
कयर उद्योग क्लस्टर			
5.	हसन कयर क्लस्टर, जिला हसन	फाइबर सार, कताई, पिथ मैन्यर तथा उत्पाद निर्माण	कर्नाटक स्टेट कयर को-आपरेटिव फेडरेशन लि., बंगलौर
6.	चन्नापट्टन कयर क्लस्टर, बंगलौर ग्रामीण जिला	फाइबर सार, कताई तथा उत्पाद निर्माण	कर्नाटक स्टेट कयर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि., बंगलौर
7.	गुब्बी कयर क्लस्टर, जिला टुमकुर	फाइबर सार, कताई तथा उत्पाद निर्माण	कर्नाटक स्टेट कयर को-आपरेटिव फेडरेशन लि., बंगलौर
8.	आरसीकेरे कयर क्लस्टर, जिला हसन	फाइबर सार, कताई, पिथ मैन्युर तथा उत्पाद निर्माण	कर्नाटक स्टेट कयर को-आपरेटिव फेडरेशन लि., बंगलौर

विवरण

स्फूर्ति के अंतर्गत विकसित किये जाने वाले क्लस्टर्स की सूची (20.2.2008 के अनुसार)
(खादी 33, ग्रामोद्योग-59, कयर-26)

खादी क्लस्टर्स

क्र.सं.	राज्य	स्थान	क्लस्टर का नाम
1	2	3	4
1.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर	वान्दीपुरा वूलन खादी क्लस्टर
2.		पुलवामा	वान्दीपुरा वूलन खादी क्लस्टर
3.	हरियाणा	कुरूक्षेत्र	कुरूक्षेत्र कोटन खादी क्लस्टर
4.	पंजाब	अमृतसर	अमृतसर वूलन खादी क्लस्टर
5.		जालंधर	जालंधर कोटन खादी क्लस्टर
6.	राजस्थान	बास्सी	बास्सी खादी क्लस्टर
7.		जयपुर	झालावाड़ खादी क्लस्टर
8.	उत्तरांचल	हल्द्वानी	हल्द्वानी खादी क्लस्टर
9.	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	टीकमगढ़ खादी क्लस्टर
10.	गुजरात	राजकोट	वाधवन पोलिस्टर क्लस्टर
11.		राजकोट	कोटन कादी क्लस्टर
12.	महाराष्ट्र	नांदेड़	स्वामी रामानंद तीर्थ खादी क्लस्टर
13.	कर्नाटक	हुबली	बेलूर कादी क्लस्टर
14.		धारवाड़	हिब्बेल्ली कोटन खादी क्लस्टर
15.	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम कोटन खादी क्लस्टर
16.		मेतपल्ली	सिरकिला खादी क्लस्टर
17.	तमिलनाडु	तिरूनेलवेली	शंकरनकोविल खादी क्लस्टर
18.		कैराकुडी	कैराकुडी खादी क्लस्टर
19.		कोयम्बटूर	सुलूर खादी क्लस्टर
20.	पांडिचेरी	पांडिचेस्सी जिला	पांडिचेरी खादी क्लस्टर
21.	केरल	एर्णाकुलम	थालापिल्ली कोटन खादी क्लस्टर
22.		तिरूवनंतपुरम	तिरूवनंतपुरम खादी क्लस्टर

1	2	3	4
23.	बिहार	गया	नवादाह खादी क्लस्टर
24.	झारखंड	रांची	पालमू खादी क्लस्टर
25.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद एवं बीरभूम	बेहरामपोर (जंगीपुर) कोटन खादी क्लस्टर
26.		मालदा	मालदा खादी क्लस्टर
27.	असम	नालबाड़ी	मुकालमुआ सिल्क खादी क्लस्टर
28.	नागालैंड	दीमापुर	खादी क्लस्टर
29.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गोरखपुर कोटन खादी क्लस्टर
30.		सुल्तानपुर	टिकरमाफी वूलन एंड कोटन खादी क्लस्टर
31.		रायबरेली	रायबरेली खादी क्लस्टर
32.		लखनऊ	बहराईच खादी क्लस्टर
33.		सीतापुर	अटारिया खादी क्लस्टर
कॅयर क्लस्टर्स			
1.	केरल	तिरूवनंतपुरम	चिरयंकीज्यू कॅयर क्लस्टर
2.		कोजिकोड	बाईपोर कॅयर क्लस्टर
3.		कोल्लाम	मांगद कॅयर क्लस्टर
4.		कोट्टायम	बेमबनाडू कॅयर क्लस्टर
5.	तमिलनाडु	सेलम	सेलम कॅयर क्लस्टर
6.		शिवंगंगई	सिंगमपुनरी कॅयर क्लस्टर
7.		थेनी	पेरियाकुलम कॅयर क्लस्टर
8.		तन्जावूर	पाटटूकोटई कॅयर क्लस्टर
9.		कुड्डालोर	कुड्डालोर कॅयर क्लस्टर
10.		वैलोर	वैलोर कॅयर क्लस्टर
11.	कर्नाटक	हासन	हासन कॅयर क्लस्टर
12.		बंगलौर	चन्नापटनम कॅयर क्लस्टर
13.		तुमकुर	गुब्बी कॅयर क्लस्टर
14.		हासन	अर्सिकेरे कॅयर क्लस्टर
15.	आंध्र प्रदेश	गोदावरी	कयर क्लस्टर

1	2	3	4
16.		श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम कैंयर क्लस्टर
17.	उड़ीसा	जगतसिंहपुर	अलनाहट कैंयर क्लस्टर
18.		पुरी	साखीगोल कैंयर क्लस्टर
19.	गोवा	उत्तरी गोवा	मोरगिम कैंयर क्लस्टर
20.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	अन्द्रोथ कैंयर क्लस्टर
21.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	पांडिचेरी कैंयर क्लस्टर
22.	असम	गुवाहाटी	कानस कैंयर क्लस्टर
23.	पश्चिम बंगाल	परगनास	धनचेतबरिया कैंयर क्लस्टर
24.	गुजरात	भावनगर	महुवा कैंयर क्लस्टर
25.	अंडमान एवं निकोबार	रंगत	रंगत-मिडल अंडमान कैंयर क्लस्टर
26.	त्रिपुरा*		त्रिपुरा कैंयर क्लस्टर
ग्रामोद्योग क्लस्टर्स			
1.	आंध्र प्रदेश	देवरा कोन्डा	देवरा कोन्डा ज्वैल्स क्लस्टर
2.		अनंतपुर	हिन्दपुर अगरबत्ती क्लस्टर
3.		चित्तौड़	चित्तौड़, वूड कर्विंग क्राफ्ट क्लस्टर
4.		विजिआनागरम	रुफिंग टायल्स
5.	असम	बारपेटा	बारपेटा केन एंड बम्बू क्राफ्टस क्लस्टर
6.		धुबरी	लखिमणि केन एंड बम्बू क्लस्टर
7.	बिहार	मुजफ्फरपुर	बी कीपिंग क्लस्टर
8.		गोपाल गंज	मेहसी रिवर शेल बटन
9.	हरियाणा	करनाल	हैंडमेड पेपर
10.		हिसार	वूडन बीडस क्लस्टर
11.		अम्बाला	लैदर गुड्स
12.	हिमाचल प्रदेश	ऊना	ऊना प्लांट फाइबर क्लस्टर
13.	जम्मू-कश्मीर	बारामुल्ला	बारामुल्ला अजस मांडा गाब्बा एम्ब्रोइड्रि क्लस्टर
14.		जम्मू	जम्मू बी कीपिंग क्लस्टर

*त्रिपुरा राज्य के लिए एसएससी द्वारा सिद्धांत रूप से स्वीकृत एक क्लस्टर की कयर बोर्ड द्वारा पहचान की जानी है।

1	2	3	4
15.		लद्दाख	अमरावती वर्धा बी किपिंग क्लस्टर
16.	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर
17.		चन्द्रपुर	गदेहिरोली पाटेरी क्लस्टर
18.		वर्धा	अमरावती वर्धा बी. किपिंग क्लस्टर
19.	उड़ीसा	गंजाम	महात्मा गांधी ग्रामोद्योग समिति
20.		कोरापुट	उमरी लैदर क्लस्टर
21.	राजस्थान	दौसा	दौसा पाटरी क्लस्टर
22.		बीकानेर	पुगल टैक्सटाईल क्राफ्टस क्लस्टर
23.	तमिलनाडु	तन्जावूर	नचियारकोइल ब्रास मेटल प्रोडक्शन क्लस्टर
24.		डिंडीगुल	सिद्धा एवं आयुर्वेदा क्लस्टर
25.		कन्याकुमारी	कन्याकुमारी पाटरी क्लस्टर
26.		मथान्डम	मथान्डम बीकीपिंग क्लस्टर
27.		कोयम्बटूर	थिरूचन्दूर अगरबत्ती क्लस्टर
28.	उत्तरांचल	चमोली	बीकीपिंग क्लस्टर
29.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	होर्न्स एंड बोन प्रोडक्टस
30.		सुल्तानपुर	आमला प्रोसेसिंग
31.		कन्नौज	कन्नौज अगरबत्ती क्लस्टर
32.		वाराणसी	मौरी केन एंड बम्बू क्लस्टर
33.		लखनऊ	चिकन हैंडीक्राफ्ट
34.		सहारनपुर	हनी प्रोसेसिंग क्लस्टर
35.		लखनऊ	चिकन क्लस्टर
36.	त्रिपुरा	पश्चिमी त्रिपुरा	गांधीग्राम क्राफ्टस प्रोसेसिंग क्लस्टर
37.		अगरतला	बीकीपिंग क्लस्टर
38.	पश्चिम बंगाल	उत्तरी 24 परगनास	बीकीपिंग क्लस्टर
39.		मुर्शिदाबाद	केन एंड बम्बू क्लस्टर
40.	छत्तीसगढ़	रायपुर	एकतल बेल मेटल क्लस्टर
41.	कर्नाटक	झारंजनगर	सिसिल फाइबर क्लस्टर

1	2	3	4
42.	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर वूड वर्क
43.	केरल	वयानाड	कालपेट्टा बम्बू क्राफ्ट्स क्लस्टर
44.		कोजिकोड	बीकीपिंग इंडस्ट्री एंड हनी प्रोसेसिंग
45.	पंजाब	पटियाला	फुलकारी क्लस्टर
46.		होशियारपुर	वूडनई हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर
47.		फिरोजपुर	देसी पंजाबी जूती
48.	मध्य प्रदेश	भोपाल	बालाघाट बम्बू क्राफ्ट्स क्लस्टर
49.		हौशंगाबाद	लाक क्लस्टर
50.	गुजरात	वलसद	नीरा क्लस्टर
51.	अरुणाचल प्रदेश	लोवर सबानसिरी	जिरो ट्रेडिशनल ड्रेस मेकिंग क्लस्टर
52.	मिजोरम	एजवाल	केन एंड बम्बू क्लस्टर्स
53.	मेघालय	जैनतिया हिल्स	डेवलपमैंट आफ ट्रेडिशनल बम्बू एंड हैंडीक्राफ्ट्स
54.	मणिपुर	थोबल	कारपेंटरी क्लस्टर
55.		चांडेल	पाल्लेल केन एडं बम्बू क्लस्टर
56.		उकरूल	उकरूल पाटरी क्लस्टर
57.	नागालैंड	मोनटाउन	मोनटाउन क्लस्टर
58.	सिक्किम	साउथ सिक्किम	बीकीपिंग क्लस्टर
59.	झारखंड		क्लस्टर की पहचान की जानी है।*

*झारखंड राज्य के लिए सिद्धांत रूप में स्वीकृत एक क्लस्टर की केवीआईसी द्वारा पहचान की जानी है।

कर्नाटक में नए इंजीनियरिंग कालेज

942. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक से इंजीनियरिंग कालेजों हेतु 30 नए प्रस्ताव सरकार द्वारा प्राप्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या 24 कालेजों ने स्थायी सम्बद्धता के लिए आवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने की स्थिति में इस वर्ष कितनी सीटें बढ़ाई जाने की संभावना है;

(घ) वर्तमान में राज्य में कुल कितने इंजीनियरिंग कालेज चल रहे हैं; और

(ङ) कब तक राज्य में सीटों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) कर्नाटक में 145 इंजीनियरी कालेज हैं जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित हैं।

विद्यालय पाठ्यक्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम

943. **श्री आनन्दराव वी. अडसूल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों द्वारा देश भर के विद्यालय तथा महाविद्यालय पाठ्यक्रमों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के पाठ को शामिल करने की निरन्तर मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जी, नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकों में उल्लेख है:

(1) 'पालिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडपेनडेंस' (कक्षा-12 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक)

(2) ''इंडियन सोसाइटी'' (कक्षा-12 के लिए समाज शास्त्र की पाठ्यपुस्तक)

(3) ''डिमोक्रेटिक पालिटिक्स-2'' (कक्षा-10 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक)।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा

944. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:**
श्री वी.के. दुग्गर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन किए जा रहे उत्पाद के क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से कृषि आधारित उद्योगों को कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है तथा वे बंद हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण उद्योगों को बंद होने से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ग्रामीण उद्योगों द्वारा प्रदान किए गए रोजगारों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान बड़े नगरों के आसपास बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कितने कृषि आधारित उद्यम चलाए जा रहे हैं; और

(च) लघु तथा मध्यम उद्योगों पर इन कंपनियों का क्या प्रभाव पड़ा?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से दी गई सहायता द्वारा स्थापित कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों सहित देश में उद्योगों को बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों के सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई है ताकि वे बाजारों की अर्थव्यवस्था के अनुरूप प्रतिस्पर्धी बने रहे और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर सकें। कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को सुदृढ़ करने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है जैसे ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र योजना (आईएसईसी) जो बैंक ऋणों पर ब्याज का सब्सिडीकृत दरें प्रदान करती है, डिजाइनों में सुधार लाने के लिए उत्पाद विकास डिजाइन इण्टरवेंशन तथा पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) योजना और मार्जिन मनी के रूप में सब्सिडी प्रदान करके ग्रामोद्योगों की स्थापना के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)। खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों, दोनों के विपणन में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय स्तरों, आदि पर प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों को सहायता प्रदान की जाती है। सभी पात्र कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों को ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा खादी, ग्रामोद्योगों और कॅयर क्षेत्र में लगभग 100 पारंपरिक क्लस्टरों के विकास के लिए 2005-06 में ''पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (स्फूर्ति)'' एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना आरंभ की गई है। योजना में उत्पादन उपकरण के प्रतिस्थापन, सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना, उत्पाद विकास, गुणवत्ता सुधार, सुधरा हुआ विपणन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, आदि के लिए आवश्यकता आधारित सहायता की परिकल्पना की गई है।

(घ) 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योगों द्वारा प्रदत्त रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ङ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय बड़े शहरों के समीप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा चलाए जा रहे कृषि आधारित

उद्यमों के संबंध में वार्षिक आधार पर कोई विशिष्ट डाटा नहीं रखता है। तथापि अप्रैल 2004 से मार्च 2007 के दौरान कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का विवरण निम्नोक्त है:

(राशि मिलियन में)

क्र.सं.	क्षेत्र	एफडीआई अंतर्प्रवाह की राशि		कुल अंतर्प्रवाह का प्रतिशत
		(भारतीय रुपए में)	(अमरीकी डालर में)	
1.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	7,949.52	177.37	65.19
2.	खाद्य तेल और वनस्पति	1,670.43	37.62	13.70
3.	कृषि सेवाएं	1,173.54	26.52	9.62
4.	चीनी	1,005.65	22.48	8.25
5.	चाय और काफी (प्रसंस्करण और वेयरहाउसिंग काफी और रबर)	345.93	7.63	2.84
6.	कैंयर	49.57	1.10	0.41
	कुल	12,194.65	272.73	

टिप्पणी: राशि में एसआईए/एफआईपीबी रूट, विद्यमान शेयरों के अधिग्रहण, भारतीय रिजर्व बैंक के स्वचालित रूट मार्ग के माध्यम से प्राप्त अंतर्प्रवाह शामिल है।

(च) उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों के तथा कृषि आधारित विनिर्माण उद्यमों सहित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के साथ-साथ विदेशी बाजारों तक पहुंच बनाकर उन्हें आगे बढ़ने के असीम अवसर भी प्रदान करती है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमों सहित) की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि हो रही है। इसके अलावा, विगत 15 वर्षों अथवा इतने ही वर्षों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के उत्पादन की वृद्धि दर सतत रूप से स्थिर मूल्यों पर सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र से अधिक रही है।

विवरण

2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के तहत रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार (लाख व्यक्ति)		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	0.15	0.15	0.15
2.	दिल्ली	0.31	0.31	0.31
3.	हरियाणा	1.91	2.17	2.45

1	2	3	4	5
4.	हिमाचल प्रदेश	1.33	1.46	1.63
5.	जम्मू-कश्मीर	1.46	1.65	1.89
6.	पंजाब	2.37	2.51	2.86
7.	राजस्थान	5.96	6.59	7.04
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.15	0.20	0.20
9.	बिहार	2.70	2.83	2.98
10.	झारखण्ड	0.24	0.28	0.35
11.	उड़ीसा	2.36	2.44	2.61
12.	पश्चिम बंगाल	5.58	5.95	6.44
13.	अरुणाचल प्रदेश	0.03	0.05	0.07
14.	असम	1.65	2.15	2.48
15.	मणिपुर	0.64	0.64	0.66
16.	मेघालय	0.31	0.33	0.35
17.	मिजोरम	0.29	0.48	0.64
18.	नागालैंड	0.36	0.41	0.44
19.	त्रिपुरा	0.37	0.39	0.45
20.	सिक्किम	0.11	0.17	0.19
21.	आंध्र प्रदेश	4.88	5.56	6.18
22.	कर्नाटक	2.98	3.19	3.62
23.	केरल	3.03	3.35	3.63
24.	लक्षद्वीप	0.01	0.01	0.01
25.	पुडुचेरी	0.09	0.08	0.08
26.	तमिलनाडु	12.68	12.93	13.21
27.	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.01	0.01
28.	गोवा	0.14	0.15	0.16
29.	गुजरात	1.14	1.37	1.52
30.	महाराष्ट्र	5.89	6.20	6.47

1	2	3	4	5
31.	छत्तीसगढ़	0.48	0.65	0.83
32.	मध्य प्रदेश	2.68	2.87	3.09
33.	उत्तराखण्ड	0.63	0.73	0.86
34.	उत्तर प्रदेश	13.86	14.51	15.06
	कुल योग	76.78	82.77	88.92

खनिज उत्पादक जिले

945. **श्री नन्द कुमार साय:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 50 शीर्ष खनिज उत्पादक जिलों में से 34 जिले सरकार के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों की सूची में सम्मिलित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने कोई अध्ययन किया है तथा इस संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज की है जैसाकि 22 दिसम्बर, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खनन से प्राप्त संपत्ति का देश के खनन क्षेत्रों में उपयोग नहीं किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा देश के खनिज समृद्ध पिछड़े जिलों के विकास हेतु कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) अधिकांश खनिज धारक क्षेत्र देश के पिछड़े इलाकों में स्थित हैं।

(ख) और (ग) इस मुद्दे पर विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा जारी की गई रिपोर्ट मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(घ) से (च) राज्य सरकारें अपने राज्यों में पाए जाने वाली खनिज सम्पदा की स्वामी हैं। किसी राज्य से निकाले गए खनिजों पर रायल्टी का संग्रहण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और अपने बजट के अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। खनन उद्यमों में कार्यरत कई कंपनियों ने अपने खनन प्रचालनों के निकटस्थ क्षेत्रों के लिए सामाजिक और विकासात्मक पहलें की हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने परियोजना-प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति भी घोषित की है। सभी खनन परियोजनाओं को सांविधिक पर्यावरणीय और वन मंजूरियों के बाद ही स्वीकृति दी जाती है जिसमें प्रतिपूरक वनरोपण करना तथा भूमि का निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) संबंधित प्राधिकरणों के पास जमा करना शामिल है।

शिक्षकों/प्रोफेसरों की कमी

946. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान में शिक्षकों/प्रोफेसरों की कमी है जैसाकि दिनांक 9 दिसम्बर, 2007 के 'द हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इन विश्वविद्यालयों, आई.आई.टीज तथा आई.आई.एम्स में शिक्षकों/प्रोफेसरों की वास्तविक तथा स्वीकृत संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन संस्थानों में शिक्षकों/प्रोफेसरों की कमी के कारण अनेक अनुसंधान कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो शिक्षकों/प्रोफेसरों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का संबंध है, प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय पृथक रूप से संसद के अधिनियम द्वारा अभिशासित होते हैं और उसके तहत ही विधान बनाए गए हैं। जहां तक संगत संविधि का संबंध है, एक विश्वविद्यालय में शिक्षण पदों हेतु नियुक्ति इन संविधि प्रावधानों के अनुसार गठित एक चयन समिति की सिफारिशों पर अपनी कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। चयन समिति में अन्य बातों के साथ-साथ विजीटर का एक नामजद सदस्य शामिल है। पूर्वोक्त के आलोक में, जबकि चयन समिति के लिए विजीटर का मनोनयन करने में इस मंत्रालय की भूमिका सीमित है, तथापि सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को स्मरण कराती है। अत: यह एक सतत् प्रक्रिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2007 तक संस्वीकृत 9164 पदों में से 7286 पद भरे हुए थे। इसका विश्वविद्यालयवार ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

इसी प्रकार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान स्वायत्त संस्थान हैं इसलिए संकायों की नियुक्ति इनके द्वारा क्रमश: अपनी संबंधित सांविधि एवं संगम ज्ञापन के अनुसार की जाती है न कि सरकार द्वारा। संकाय की नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है और संस्थानों द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2007-08 के दौरान कुल संस्वीकृत 3499 पदों में से 2617 पद भरे गए थे। इसका संस्थान-वार ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है। जहां तक भारतीय प्रबंध संस्थान का संबंध है, मार्च, 2007 तक कुल संस्वीकृत 395 पदों में से 335 पद भरे गए थे। इसका संस्थान-वार ब्यौरा विवरण-3 में दिया गया है।

कुछ संस्थानों ने बताया है कि शिक्षकों/प्रोफेसरों की वजह से अनुसंधान कार्य प्रभावित हुआ है।

शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने पहले ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी तथा उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है।

विवरण I

31 मार्च, 2007 तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय-वार शिक्षण पदों की संस्वीकृत तथा वास्तविक पदों की क्षमता

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	संस्वीकृत पद						वास्तविक क्षमता					
		पी.	आर.	एसएल/ एसजी	एल	ओ	कुल	पी.	आर.	एसएल/ एसजी	एल	ओ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	180	359	184	673		1396	276	435	171	270	374	1526
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	257	540		1035		1832	458	411	86	350		1305
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	212	444		504	91	1251	174	305	12	297	55	843
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	86	135		145		366	123	94	15	59		291
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया	100	170		417	45	732	80	136		344	40	600
6.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	134	220		215		569	180	149		122		451
7.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	79	111		149		339	57	95	18	121		291
8.	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय	31	68		118		217	23	57	0	101	0	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	विश्वभारती	53	112		323	167	655	40	92	77	195	148	552
10.	असम* विश्वविद्यालय	34	67		133		234	20	45		111		176
11.	तेजपुर विश्वविद्यालय	25	38		85		148	15	29	13	48		105
12.	नागालैंड विश्वविद्यालय	32	56		108	5	201	15	39		64		118
13.	मिजोरम विश्वविद्यालय	28	45		164		237	22	38	13	116	24	213
14.	बी.बी.ए. विश्वविद्यालय	16	23		47		86	7	10		21		38
15.	एम.जी.ए. हिन्दी विश्वविद्यालय	9	9		26		44	5	5		22		32
16.	एम.ए.एन. उर्दू विश्वविद्यालय	15	34		77		126	15	32		66		113
17.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	59	149		330		538	183	75		74		332
18.	मणिपुर विश्वविद्यालय	26	62		105		193	5	34	70	10		119
	कुल	1376	2642	184	4654	308	9164	1698	2081	475	2391	641	7286

*25 फरवरी, 2008 तक
पी: प्रोफेसर
आर: रीडर
एल: लेक्चरर
एसएल: वरिष्ठ लेक्चरर
एसजी: चयन श्रेणी
ओ: अन्य

विवरण II

वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-वार शिक्षण पदों की संस्वीकृत तथा वास्तविक पदों की क्षमता

क्र.सं.	संस्थान का नाम	संस्वीकृत क्षमता	वास्तविक क्षमता
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	736	501
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	406	325
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली*	540	429
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बाम्बे*	525	399
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	213	194
6.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	575	365
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	504	404

*शैक्षिक सत्र 2006-07 से संबंधित सूचना

विवरण III

वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय प्रबंध संस्थान-वार शिक्षण पदों की संस्वीकृत तथा वास्तविक पदों की क्षमता

क्र.सं.	संस्थान का नाम	संस्वीकृत क्षमता	वास्तविक क्षमता
1.	भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद	85	83
2.	भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर	89	74
3.	भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	88	70
4.	भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ	60	60
5.	भारतीय प्रबंध संस्थान, इन्दौर	33	31
6.	भारतीय प्रबंध संस्थान, कोजीकोड	40	17

[हिन्दी]

बहु-उद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र का जारी किया जाना

947. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:**
श्री सर्वानन्द सोनोवाल:
श्री बृजकिशोर त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री कीरेन रिजीजू:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से इन राज्यों में निवास कर रहे पड़ोसी देशों के नागरिकों के लिए अनिवार्य फोटो पहचान-पत्र जारी करने संबंधी रिपोर्ट प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक 'राष्ट्रीय नागरिक पंजिका' तैयार करने तथा देश के नागरिकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए बहु-उद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करने संबंधी कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कुल कितनी राशि आबंटित की गई;

(ङ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त योजना के चरण-एक के अंतर्गत यह कार्य शुरू किया गया है तथा आज की तिथि के अनुसार पूरा कर लिया गया है; और

(च) यह कार्य कब तक शेष राज्यों में पूरा कर लिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (च) जी नहीं, श्रीमान। ऐसी कोई रिपोर्टें नहीं हैं किन्तु सरकार देश में नागरिकों को बहुप्रयोजनीय राष्ट्रीय पहचान (स्मार्ट) पत्र जारी करने का विचार कर रही है। इस परियोजना में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (पीएनआर) में प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान संख्या (एमआईएन) प्रदान किया जाना अभिकल्पित है तथापि इसकी प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी दोनों में ही व्याप्त जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रायोगिक आधार पर एक पायलट परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है जिसमें 12 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के चुनिन्दा क्षेत्रों की 30.95 लाख आबादी को शामिल किया गया है। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का नाम इस प्रकार है:- आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी। पायलट परियोजना के अंतर्गत पहचान (स्मार्ट) पत्र 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को जारी किए जा रहे हैं।

इन पहचान पत्रों को तैयार करने और संवितरित करने का कार्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से कराया गया है। इस कार्य को जुलाई, 2007 तक पूरा किया जाना था किन्तु वैयक्तिकरण के दौरान संसाधनों अथवा कच्ची सामग्री और

अस्वीकृति स्थिरीकरण में समय लग जाने के कारण इसमें काफी समय लगा और अब यह कार्य मार्च, 2008 तक पूरा होगा। इस पायलट परियोजना के लिए 44.36 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

इस पायलट परियोजना से प्राप्त अनुभवों और सीखों के परिप्रेक्ष्य में समस्त देश में इस स्कीम को कार्यान्वित करने के निर्णय का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

पनबिजली परियोजनाओं को सुरक्षा संबंधी मंजूरी

948. **श्री बृजकिशोर त्रिपाठी:**
श्री नन्द कुमार साय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पनबिजली परियोजनाओं के लिए सुरक्षा संबंधी मंजूरी को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को देखने के लिए अंतर-मंत्रालयी कृतिक बल को नियुक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त कृतिक बल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) इन प्रस्तावों/परियोजनाओं को मंजूरी देने में अनावश्यक विलंब को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, मौजूदा व्यवहार में सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों अथवा विदेशी सहयोग वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सभी पनबिजली परियोजनाओं के लिए सुरक्षा संबंधी मंजूरी की आवश्यकता होती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ङ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(च) प्रश्न पैदा नहीं होता।

सर्व शिक्षा अभियान

949. **श्री आनंदराव वी. अडसूल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा देने, शिक्षकों की शेष रिक्तियों को भरने, शेष अवसंरचनात्मक अंतरों को भरने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विशेष अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार सर्व शिक्षा अभियान को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने वाले राज्यों को विशेष सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान को देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा को समयबद्ध तरीके से मिशन रूप में सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस प्रयोजनार्थ अन्य बातों के साथ-साथ 275585 नए स्कूलों की स्थापना, 210883 स्कूल भवनों, 815517 अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों, 188832 पेयजल सुविधाओं, 244297 शौचालयों का निर्माण तथा 11.32 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रावधान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत संस्वीकृतियां राज्य की जरूरतों तथा उनके निष्पादन स्तर पर निर्भर करती हैं।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम

950. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग को उदार बनाने के लिए सरकार का विचार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के एक वर्जित खंड को हटाने का है जो गैर-लघु उद्योगों के मालिकों को लघु एकक स्थापित करने से रोकता था;

(ख) यदि हां, तो क्या लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों की संख्या 114 बनी रहेगी तथा वर्जित खंड जारी रहेगा;

(ग) यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त अधिनियम को विनियमित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) किस सीमा तक यह लघु उद्योगों के लिए लाभदायक होगा?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 10 दिसम्बर, 1997 को अधिसूचना सं. 857(ई) को निरस्त करने के संबंध में ड्राफ्ट आदेश प्रस्तुत किया है और इसके संदर्भ में तदन्तर संसद के दोनों सदनों में संशोधन किए गए।

(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित उत्पादों की संख्या वर्तमान में 35 है।

(ग) और (घ) अधिसूचना सं. 857(ई) के निरसन तथा उसके संदर्भ में किए गए तदन्तर संशोधन एमएसएमई को आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उनकी क्रेडिट/इक्विटी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों तक पहुंच बनाने में समर्थ बनाएगा।

अर्द्धसैनिक बलों में एचआईवी के मामले

951. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों को अनिवार्य एड्स/एचआईवी की जांच से छूट मिली हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बड़ी संख्या में अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिक एड्स/एचआईवी से ग्रस्त हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक बल-वार तथा रैंक-वार कुल कितने मामले प्रकाश में आए;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान बल-वार तथा रैंक-वार कितने जवान इस बीमारी से मारे गए;

(च) क्या सरकार ने अर्द्धसैनिक बलों के जवानों में इस वृद्धि के रुझान के लिए जिम्मेवार मुख्य कारकों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस वृद्धि के रुझान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) राष्ट्रीय एड्स निवारक और नियंत्रण नीति के अनुसार एचआईवी/एड्स हेतु केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों की अनिवार्य जांच नहीं होती।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान बल-वार, रैंक-वार स्वैच्छिक जांच के जरिए पकड़े गए एचआईवी/एड्स मामलों की संख्या विवरण-1 में दी गई है।

(ङ) एचआईवी/एड्स के कारण मारे गए सीपीएफ कार्मिकों की बल-वार, रैंक-वार संख्या विवरण-2 में दी गई है।

(च) से (ज) इसके प्रसार के लिए इस संक्रमण के ट्रान्समीशन के तरीके के बारे में जानकारी के अभाव को इसका प्रमुख कारण बताया गया है। उच्च स्तरीय कार्य बल के दिशानिर्देश के तहत मंत्रालय द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के अनुसार एचआईवी/एड्स की रोकथाम के लिए उपाय किए गए हैं।

विवरण I

विगत तीन वर्षों के दौरान सूचित एचआईवी/एड्स के मामले: वर्ष-वार, बल-वार, रैंक-वार

रैंक	2005	2006	2007	2008	कुल
1	2	3	4	5	6
एआर					
निरीक्षक	1	1	0	0	2
उप-निरीक्षक	5	5	5	0	15

1	2	3	4	5	6
हैड कांस्टेबल	18	40	25	1	84
कांस्टेबल	60	99	58	2	219
कुल	84	145	88	3	320
बीएसएफ					
उप-निरीक्षक	4	2	2	0	8
हैड कांस्टेबल	2	7	16	0	25
कांस्टेबल	38	63	74	0	175
फोलोअर्स	10	12	17	0	39
कुल	54	84	109	0	247
सीआईएसएफ					
हैड कांस्टेबल	3	1	1	0	5
कांस्टेबल	5	2	4	0	11
फोलोअर्स	2	2	0	0	4
कुल	10	5	5	0	20
सीआरपीएफ					
निरीक्षक	1	3	0	0	4
उप-निरीक्षक	1	2	3	0	6
सहायक उप-निरीक्षक	0	3	0	0	3
हैड कांस्टेबल	14	64	40	0	118
कांस्टेबल	46	71	55	0	172
फोलोअर्स	6	16	13	0	35
कुल	68	159	111	0	338
आईटीबीपी					
उप-निरीक्षक	0	0	1	0	1
हैड कांस्टेबल	1	0	4	0	5
कांस्टेबल	3	3	5	0	11
कुल	4	3	10	0	17

1	2	3	4	5	6
एसएसबी					
निरीक्षक	0	1	0	0	1
सहायक उप निरीक्षक	0	1	0	0	1
हैड कांस्टेबल	0	1	1	0	2
कांस्टेबल	1	1	6	0	8
कुल	1	4	7	0	12
एनएसजी					
हैड कांस्टेबल	0	1	1	0	2
कांस्टेबल	1	0	2	0	3
कुल	1	1	3	0	5

विवरण II

विगत तीन वर्षों के दौरान सूचित एचआईवी/एड्स के कारण हुई मृत्यु के मामले: वर्ष-वार, बल-वार, रैंक-वार

रैंक	2005	2006	2007	2008	कुल
1	2	3	4	5	6
एआर					
हैड कांस्टेबल	1	1	2	0	4
कांस्टेबल	11	9	7	0	27
कुल	12	10	9	0	31
बीएसएफ					
उप-निरीक्षक	1	0	0	0	1
हैड कांस्टेबल	1	6	6	0	13
कांस्टेबल	9	16	10	0	35
फोलोअर्स	2	2	8	0	12
कुल	13	24	24	0	61
सीआईएसएफ					
सहायक उप-निरीक्षक	0	1	0	0	1
हैड कांस्टेबल	1	1	1	0	3

1	2	3	4	5	6	
	कांस्टेबल	6	6	5	0	17
	फोलोअर्स	0	0	2	0	2
	कुल	7	8	8	0	23
सीआरपीएफ						
	हैड कांस्टेबल	5	5	5	0	15
	कांस्टेबल	17	8	6	0	31
	फोलोअर्स		1	1	0	2
	कुल	22	14	12	0	48
आईटीबीपी						
	हैड कांस्टेबल	0	1	0	0	1
	कांस्टेबल	2	1	0	0	3
	कुल	2	2	0	0	4
एसएसबी						
	हैड कांस्टेबल	0	0	1	0	1
	कांस्टेबल	1	0	0	0	1
	कुल	1	0	1	0	2
एनएसजी						
	कांस्टेबल	1	0	0	0	1
	कुल	1	0	0	0	1

उच्च शिक्षा में निजी भागीदारी

952. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा में निजी भागीदारी का सशर्त समर्थन करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार के पास सरकारी निजी भागीदारी का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) ग्यारहवीं योजना के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उच्चतर शिक्षा का प्रोन्नयन करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के विभिन्न तरीकों के अभिधारण हेतु कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय संघ के पूर्व महासचिव प्रो. के.बी. पोवार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

[हिन्दी]

तकनीकी विश्वविद्यालयों का कार्यकरण

953. श्री वी.के. दुम्मर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) विभिन्न तकनीकी विश्वविद्यालयों तथा निजी एवं सरकारी महाविद्यालयों के कार्यकरण की निगरानी करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या एन.आई.सी.टी.ई. को ऐसे विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कार्यकरण के संबंध में कोई शिकायत मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इन महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा इनके नाम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कालेजों के कार्यकरण को मानीटर करती है जो तकनीकी शिक्षा प्रदान करते हैं। भारतीदासन विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में उच्चतर न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे विश्वविद्यालयों को संकाय/विभाग स्थापित करने या तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, इन विश्वविद्यालयों के लिए आवश्यक है कि वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुरक्षण करें।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को पिछले दो वर्षों के दौरान जिन संस्थाओं के खिलाफ शिकायतें मिली हैं, उनकी सूची और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	उस संस्थान का नाम जिसके खिलाफ पिछले दो वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को शिकायत प्राप्त हुई है	की गई कार्रवाई की स्थिति
1	2	3
1.	ऋषिराज प्रौद्योगिकी संस्थान, इन्दौर	2008-09 के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाने हेतु इसे मूल्यांकन समिति की बैठक में उसकी सिफारिशों हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
2.	अहमदाबाद प्रौद्योगिकी संस्थान, अहमदाबाद	औचक दौरा किया गया। संस्थान को 2007-08 के लिए 'दाखिला क्षमता में कटौती' श्रेणी में डाल दिया गया है।
3.	एन.आर.आई. सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल	2008-09 के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाने हेतु इसे मूल्यांकन समिति की बैठक में उसकी सिफारिशों हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
4.	विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान, राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय, भोपाल	2008-09 के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाने हेतु इसे मूल्यांकन समिति की बैठक में उसकी सिफारिशों हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
5.	जवाहर लाल नेहरू रतहारा कालेज, रीवा	औचक दौरा किया गया और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दौरे के माध्यम से कारण बताओ नोटिस के अनुपालन का सत्यापन प्रक्रियाधीन है।
6.	प्रबंध अध्ययन अकादमी, देहरादून	औचक दौरा किया गया और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

1	2	3
7.	हरलाल प्रबंध और प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्रेटर नोएडा	औचक दौरा किया गया और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
8.	दीवान वी.एस. प्रबंध संस्थान, मेरठ	औचक दौरा किया गया और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
9.	लोटस प्रबंध संस्थान, बरेली	औचक दौरा किया गया और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
10.	ग्रेटर नोएडा प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्रेटर नोएडा	औचक दौरा किया गया और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
11.	बिहार फार्मेसी कालेज, पटना	औचक दौरा किया गया और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
12.	लोएड प्रबंध और प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्रेटर नोएडा	औचक दौरा किया गया और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
13.	प्रबंध विज्ञान संस्थान, लखनऊ	औचक दौरा किया गया और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
14.	ग्रेटर नोएडा प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्रेटर नोएडा	औचक दौरा किया गया और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
15.	जी.एल. बजाज प्रबंध और अनुसंधान संस्थान, ग्रेटर नोएडा	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
16.	प्रियदर्शिनी कम्प्यूटर विज्ञान कालेज, ग्रोटर नोएडा	प्रक्रियाधीन
17.	कुशाग्र सूचना और प्रबंध विज्ञान संस्थान, कटक	औचक दौरा किया गया और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
18.	जेवियर समाज सेवा संस्थान, रांची	औचक दौरा किया गया और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
18.	सेंट टामस इंजीनियरी कालेज, कलकत्ता	मामला न्यायालय के विचाराधीन है। पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय ने तथ्यों के सत्यापन के लिए दौरा किया और रिपोर्ट को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।
20.	जगन्नाथ इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, जगतपुर	मामला क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया गया है जो औचक निरीक्षण के माध्यम से शिकायत की सत्यता की जांच करेगा।
21.	शिलांग इंजीनियरी और प्रबंध कालेज, शिलांग	दौरा किया गया और संस्था को कमियों के बारे में सूचना दे दी गई है।
22.	कृपाजल इंजीनियरी कालेज, भुवनेश्वर	दौरा किया गया और मामले को मूल्यांकन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है।

1	2	3
23.	कैम्ब्रिज प्रौद्योगिकी संस्थान, पणजी	दौरा किया गया और संस्था को कमियों के बारे में सूचना दे दी गई है।
24.	रामगोविन्द प्रौद्योगिकी संस्थान, फोदरमा	दौरा किया गया और संस्था को कमियों के बारे में सूचना दे दी गई है।
25.	महावीर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर	दौरा किया गया और संस्था को कमियों के बारे में सूचना दे दी गई है।
26.	कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर	क्षेत्रीय कार्यालय से शिकायत की जांच का अनुरोध किया गया है।
27.	एन.आई.एम.टी. कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण प्रबंध कालेज, कोटपुतली	बढ़ी हुई निकासी एम.बी.ए.-60-120 अच्छे कालेज के लिए विस्तार लम्बित रखा जा रहा है और इंजीनियरी कालेज के साथ भवन को बांटा गया है।
28.	रामानुज प्रबंध कालेज, होडल, फरीदाबाद	उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय से दौरा रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।
29.	श्री श्रींगरी शारदा प्रबंध संस्थान, वसंत विहार, नई दिल्ली	किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
30.	महर्षि अरविन्द विज्ञान एवं प्रबंध संस्थान, रायपुर	किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
31.	फोर प्रबंध स्कूल, नई दिल्ली	कालेज से जवाब मांगा जा रहा है।
32.	केशव फार्मेसी कालेज, करनाल	उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय से दौरा रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।
33.	सोमनी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान, रेवाड़ी	आकस्मिक दौरा संचालित किया गया। संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
34.	एन.आई.एम.टी. इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, केयावाना	आकस्मिक दौरा संचालित किया गया। संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
35.	मोतीलाल होटल प्रबंध कालेज, मंगलौर	दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भूमि दस्तावेज की जांच की जानी है।
36.	बंगलौर प्रबंध अध्ययन संस्थान, बंगलौर	संस्थान को गैर दाखिला के अंतर्गत रखा गया।
37.	एस.एस.एम.आर.वी. कालेज, बंगलौर	संस्थान को गैर दाखिला के अंतर्गत रखा गया।
38.	समब्रान प्रबंध अध्ययन अकादमी, बंगलौर	संस्थान नियमों के अनुसार चल रहा है अत: किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
39.	अलाइंस बिजनेस अकादमी, बंगलौर	दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय से अभी तक दौरा रिपोर्ट प्राप्त होनी है।

1	2	3
40.	सम्भ्राम प्रौद्योगिकी संस्थान, कांचीपुरम	कार्रवाई की जा रही है।
41.	मामलान प्रौद्योगिकी संस्थान, कांचीपुरम	2008-09 के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाने हेतु इसे मूल्यांकन समिति की बैठक में उसकी सिफारिशों हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
42.	एस.आर.आर. इंजीनियरी कालेज, कांचीपुरम	2008-09 के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाने हेतु इसे मूल्यांकन समिति की बैठक में उसकी सिफारिशों हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
43.	पनिमलार इंजीनियरी कालेज, तिरूवल्लूर	2008-09 के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाने हेतु इसे मूल्यांकन समिति की बैठक में उसकी सिफारिशों हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
44.	सेंट जोसफ इंजीनियरी कालेज, चेन्नई	2008-09 के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाने हेतु इसे मूल्यांकन समिति की बैठक में उसकी सिफारिशों हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
45.	अथर्व इंजीनियरी कालेज, मुम्बई	मामले को जांच के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया गया है।
46.	मनोहर भाई पटेल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, गोंदिया	मामले को जांच के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

हीरा और स्वर्ण आभूषणों का निर्यात

954. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान हीरा तथा स्वर्ण आभूषणों के निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अमरीकी डालर की तुलना में रुपये की मजबूती के बावजूद किन अन्य क्षेत्रों में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अप्रैल से अक्टूबर 2007 के दौरान, रत्न एवं आभूषण के समग्र निर्यात में वर्ष 2006 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 24.08% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। अप्रैल-मई, 2007 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इसमें से तराशे और पालिश किए गए हीरों का निर्यात 1866.99 मिलि. अम. डा. का हुआ था, जिसमें वर्ष 2006 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 21.16% की वृद्धि हुई थी और स्वर्ण आभूषणों का निर्यात 749.78 मिलियन अम. डा. का हुआ था जिसमें 2006 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 0.61% की वृद्धि प्रदर्शित होती है (स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस)। अप्रैल से अक्टूबर 2007 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध उत्पादों, अयस्क एवं खनिज, रसायन एवं संबद्ध उत्पादों, इंजीनियरी वस्तुओं, इलेक्ट्रानिक वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है (स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस)।

पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत राशि की निगरानी

955. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत दी गई धनराशि की निगरानी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) अपने पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने में राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सरकार "राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना" नामक एक आयोजना स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस योजना को मानीटर करने के लिए राज्य सरकारों को आवधिक रूप से निधियों का अधिकतम उपयोग करने, विगत वर्षों के दौरान जारी केन्द्रीय निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने, जो अगले वित्तीय वर्षों के दौरान निधियां जारी करने के लिए एक पूर्वापेक्षा है और राज्यों में केन्द्रीय दलों का दौरा सुनिश्चित करने का सुझाव दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एमपीएफ योजना के अंतर्गत निधियों के अधिकतम उपयोग के संबंध में मामले की संबंधित राज्यों के साथ समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

ज्ञानार्जन (लर्निंग) उपलब्धि सर्वेक्षण

956. श्री पारसनाथ यादव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने देश में कोई ज्ञानार्जन उपलब्धि-सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष रहे;

(ग) क्या पांचवीं कक्षा के लगभग 31 प्रतिशत छात्र शब्द भंडार नहीं जानते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 2006-07 में कक्षा 5 के स्तर पर एक अधिगम उपलब्धि सर्वेक्षण किया जिसमें 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 6828 स्कूल और 84332 छात्र शामिल थे। यह सर्वेक्षण भाषा में 60.31%, गणित में 48.46% और पर्यावरणीय अध्ययन में 52.19% का औसत उपलब्धि स्कोर दर्शाता है।

(ग) इस सर्वेक्षण में भाषा परीक्षा में विभिन्न क्षमताओं के संबंध में 40 प्रश्न थे जिनमें से 5 शब्दावली से संबंधित थे। 68.71% बच्चे इन प्रश्नों का सही उत्तर दे सके।

(घ) प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनेक कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। इसमें छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार के लिए 8.32 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों को प्रतिवर्ष 20 दिन की अवधि के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण, लगभग 6.5 करोड़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों और छात्राओं को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकों का नि:शुल्क वितरण, 6395 ब्लाक संसाधन केंद्रों और 68352 क्लस्टर संसाधन केंद्रों के माध्यम से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को नियमित अकादमिक सहायता और छात्रों का नियमित मूल्यांकन शामिल है।

[अनुवाद]

माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच

957. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने छात्रों को शिक्षा को उनकी पहुंच तक ले जाने के लिए पांच किलोमीटर के अंदर माध्यमिक विद्यालय तथा सात से दस किलोमीटर के अन्दर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने की कोई योजना बनाई है जैसाकि 15 फरवरी, 2008 में 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कब तक माध्यमिक शिक्षा की पहुंच सार्वभौमिक कर दी जाएगी;

(घ) क्या माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के कारण वास्तविक अवसंरचना का उन्नयन करना होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान माध्यमिक स्तर की शिक्षा सभी को सुलभ कराने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम का उद्देश्य प्रत्येक बस्ती के 5 कि.मी. के दायरे में एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करके सभी युवकों को कम लागत पर सुलभ और बेहतर गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस

प्रस्तावित स्कीम में यह परिकल्पना की गई है—(1) माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों का प्रावधान ताकि देश के माध्यमिक विद्यालयों की क्षमता बढ़ाई जा सके और विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, (2) वर्तमान माध्यमिक विद्यालय पद्धति में मौजूद अन्तरों को पाटने का प्रावधान, (3) बालिकाओं, ग्रामीण बच्चों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अतिरिक्त सहायता का प्रावधान, और (4) माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए समग्र संकेन्द्रण संरचना। इस प्रस्तावित स्कीम के कुछ मुख्य घटक इस प्रकार हैं:—(1) नए विद्यालय भवन, (2) कक्षा-कक्षों, प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, प्रसाधन कक्ष इत्यादि सहित अतिरिक्त कक्षाकक्ष, (3) सहायक अध्ययन-शिक्षण सामग्री, (4) विद्यालय अनुदान, (5) शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, (6) अतिरिक्त शिक्षक, (7) अनुसंधान और नवाचार, (8) पाठ्यचर्या सुधार और (9) परीक्षा सुधार इत्यादि।

आई.पी.एस. अधिकारियों का कार्यनिष्पादन

958. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सरकार के पास आठ भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) अधिकारियों को उनके खराब कार्यनिष्पादन और अन्य कारणों से बर्खास्त करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास 50 वर्षों से अधिक आयु के प्रत्येक आई.पी.एस. अधिकारी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा बाध्यकारी बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-एवं-सेवा निवृत्ति लाभ), 1958 के नियम 16(3) के तहत 50 वर्षों से अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) अधिकारी के कार्य निष्पादन की समीक्षा करना राज्यों/संवर्गों के लिए अनिवार्य है। तदनुसार महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी, 2008 में 44 आई.पी.एस. अधिकारियों की सेवा निरन्तर अथवा अन्यथा रखने की समीक्षा करने हेतु एक प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

44 अधिकारियों में से, राज्य सरकार ने 4 अधिकारियों की सेवापूर्व सेवानिवृत्ति हेतु तथा बाद में 4 अधिकारियों की सेवा की समीक्षा करने की सिफारिश की है। ऐसे प्रस्तावों पर उन्हीं नियमों के संबंधित उपबंधों के प्रकाश में विचार किया जाता है।

राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना

959. **श्री हितेन बर्मन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सुरक्षा आयोग (एस.एस.सी.) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उपर्युक्त आयोग का गठन किया है तथा इन पर राज्य-वार कुल कितना व्यय हुआ है;

(ग) शेष राज्यों द्वारा अपने यहां ऐसे आयोग का गठन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में एस.एस.सी. का गठन किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) श्री धरम वीर की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने फरवरी 1979 से मई 1981 की अवधि के दौरान कई सिफारिशों युक्त आठ रिपोर्टें प्रस्तुत कीं जिनको केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों को कार्यान्वित करना था। इस आयोग की रिपोर्टें सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई थीं। तथापि, कई सिफारिशें राज्यों ने कार्यान्वित नहीं कीं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कई कारणों से राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करना शामिल है।

(ग) और (घ) चूंकि पुलिस राज्य का विषय है इसलिए पुलिस सुधार मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि कार्यान्वित न की गई सिफारिशों पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा समय-समय पर विचार किया गया और सरकार द्वारा वर्ष 2004 में गठित पुनरीक्षा समिति ने केन्द्रीय सरकार और राज्यों के पुनर्विचारार्थ ऐसी 49 सिफारिशों की सूची बनाई है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी राज्यों द्वारा सुरक्षा आयोग की स्थापना करने की सिफारिश भी शामिल है। सभी सिफारिशें

राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को कार्यान्वयन के लिए भेज दी गईं। उच्चतम न्यायालय ने प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम संघ सरकार रिट याचिका सं. 310/1996 में दिनांक 22.9.2006 को पारित अपने निर्णय में उक्त मामले में पारित विभिन्न निदेशों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग भी कर रहा है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करना भी शामिल है।

टी.वी. टावर का उन्नयन

960. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के सतारा जिले में अजिपकतारा किले पर स्थित टीवी टावर को एलटीपी से एचटीपी में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का अजिपकतारा किले पर कोई अन्य उन्नयन कार्य करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सतारा स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अजिपकतारा किले पर स्थित) के अलावा सतारा जिले में पाटन, फलटोन और करद स्थित तीन अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा वई, करागाँद व वसंतगढ़ स्थित दो अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यशील हैं। दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा के जरिए महाराष्ट्र के सतारा जिले सहित पूरे देश (अंडमान एवं निकोबार द्वीप-समूह को छोड़कर) में बहु-चैनल टीवी कवरेज उपलब्ध करायी गयी है।

(घ) और (ङ) सतारा स्थित मौजूदा 100 वाट के अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को वर्ष 2008-09 के अंत तक 500 वाट स्वचालित पद्धति (1+1) के अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापित किए जाने की परिकल्पना है।

'नौ मैनस् लैण्ड' पर मृत कुक्कटों को दफन करना

961. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बांग्लादेश मृत कुक्कटों को 'नौ मैनस् लैंड' पर दफन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारत ने बांग्लादेश से यह अनुरोध किया है कि वह यह निर्णय करने के लिए एक तंत्र विकसित करे कि मृत कुक्कटों को किस प्रकार उचित रूप से दफनाया जाए; और

(घ) यदि हां, तो बांग्लादेश की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) जी हां। हाल ही में कुछ दृष्टांत सूचित किए गए हैं कि बांग्लादेश सीमा क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण बर्ड फ्लू द्वारा प्रभावित मृत पक्षियों को फैंक देते हैं तथा उनको स्वच्छ रूप से दफनाने और नष्ट करने की निर्धारित विधि का पालन नहीं करते। इस संबंध में की गई पहलों के अनुसरण में दोनों देश निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं:-

1. दोनों देशों के बीच बर्ड फ्लू संबंधी तथा अन्य सहमत सूचना के विनिमय हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति।
2. दोनों देशों में बर्ड फ्लू की घटनाओं के समानान्तर वाइरल जीन का विनिमय।
3. भारत सरकार ने बांग्लादेश को बर्ड फ्लू का मुकाबला करने के लिए सीमित संख्या में नमूनों की नि:शुल्क जांच के लिए अपनी प्रयोगशाला सुविधाओं के उपयोग तथा पीपीई किट्स, मास्क, विसंक्रामक आदि उपलब्ध करवाने का भी प्रस्ताव किया है।
4. भारत सरकार सीमा के दोनों तरफ बर्ड फ्लू की निगरानी और नियंत्रण के लिए समानान्तर जीन तथा समन्वय का आदान-प्रदान करने के संबंध में बांग्लादेश प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क में है। बांग्लादेश सरकार ने हमें हर प्रकार की सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया है।

उच्च शिक्षा में सुधार

962. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार योजना आयोग उच्च शिक्षा संबंधी सुधारों को अंतिम रूप देने के लिए अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह की स्थापना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी केन्द्रीय सहायता उन सुधारों के क्रियान्वयन हेतु दी जाएगी जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षा का पुनर्गठन करना है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस विशेषज्ञ समूह ने पहले ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अग्रिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) ग्यारहवीं योजना दस्तावेज में योजना आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ, उच्चतर शिक्षा से संबंधित व्यापक सुधार कार्यसूची तैयार करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी समूह गठित करने का सुझाव दिया है। अभी तक ऐसा कोई समूह गठित नहीं किया गया है।

तटीय सुरक्षा योजना की समीक्षा

963. **श्री निखिल कुमार:**
श्री मिलिंद देवरा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 2007 के पूर्वार्द्ध में तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस) की मसीक्षा बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और उनके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने समीक्षा बैठक में भाग लिया था;

(घ) क्या कई राज्यों और संघ राज्यों के साथ लगी तटरेखा से विस्फोटकों की तस्करी सहित सीमा पार से गैरकानूनी गतिविधियां चलाई जा रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तटीय सुरक्षा योजना की व्यापक समीक्षा से सीमापार से चलाई जा रही गैर-कानूनी गतिविधियों को किस सीमा तक रोका जा सकेगा; और

(च) इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी हां। गृह सचिव की अध्यक्षता में तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस) की एक समीक्षा बैठक 13.12.2007 को आयोजित की गई थी।

(ख) बैठक में विभिन्न मुद्दों जैसे कि गतिविधियों की भौतिक प्रगति, मानवशक्ति, क्षेत्राधिकारगत मुद्दे, नावों को किराए पर लेने इत्यादि पर विचार-विमर्श हुआ। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक राज्य इस स्कीम के तहत इन विभिन्न मुद्दों की गतिविधियों के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए विस्तृत कार्रवाई योजना तैयार करेंगे।

(ग) समीक्षा बैठक में सभी 9 तटीय राज्यों गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और 4 तटीय संघ शासित क्षेत्रों—दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

(घ) से (च) जी हां, श्रीमान। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त जानकारियों से संकेत मिलता है कि कई राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सीमापार से गैर-कानूनी गतिविधियों को चलाए जाने की संभावना है। ऐसी जानकारियां मिलने पर संबंधित राज्य प्राधिकारियों और क्षेत्रगत संगठनों को सुग्राही बनाया जाता है। स्कीम के कार्यान्वयन की आवधिक व्यापक समीक्षा स्कीम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को सरल बनाती है जिसका उद्देश्य देश के तटीय क्षेत्रों से सीमापार से गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकना है।

उन्नत यात्री सूचना प्रणाली

964. **श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अप्रैल, 2008 से देश में मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर उन्नत यात्री सूचना प्रणाली (एपीआईएस) शुरू करने का है, जैसाकि दिनांक 4.1.2008 के टाईम्स आफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसी यात्री के बारे में सूचना जोकि एपीआईएस के अंतर्गत विमान चालक द्वारा दी जाएगी; का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में एपीआईएस के कार्यान्वयन के पश्चात् सुरक्षा एजेंसियां आतंक के खतरे को किस सीमा तक रोक पाएंगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) 1 अप्रैल, 2008 से उन्नत यात्री सूचना प्रणाली (एपीआईएस) को कार्यान्वित करने के लिए विदेशी राष्ट्रिक आदेश,

1948 को संशोधित करने संबंधी एक अधिसूचना 24.01.2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार भारत में उतरने वाले वायुयान के देशीय प्रतिनिधि/स्टेशन प्रबन्धक, भारत में उतरने वाले विमानपत्तन स्थित आप्रवासन प्राधिकारी को भारत से बाहर स्थित पोतारोहण के विमानपत्तन से वायुयान के उड़ने के पंद्रह मिनटों के अन्दर इलैक्ट्रोनिक रूप में वायुयान में मौजूद यात्रियों और कर्मीदल के बारे में सूचना उपलब्ध करवायेंगे। प्रवर्तन प्राधिकारियों को यात्रियों के ब्यौरे अर्थात् नाम, लिंग, जन्मतिथि, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट विवरण आदि उपलब्ध करवाए जाने हैं। एपीआईएस यात्रियों की संवर्द्धित सुरक्षा पड़ताल के साथ-साथ त्वरित प्रवर्तन मंजूरी को कारगर बनाएगी।

स्कूलों के लिए स्वास्थ्य नीति

965. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्कूलों के लिए एक स्वास्थ्य नीति आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है। 21 राज्यों ने इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम को इस मिशन के तहत अन्य स्वास्थ्य कार्यकलापों के साथ समेकित रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज, सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति अनुवर्तन के साथ उपयुक्त रेफरल इस कार्यक्रम के भाग हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा नियमित आधार पर की जाती है।

स्कूलों में सुरक्षा मानदण्ड

966. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्कूलों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उनसे बच्चों को अध्ययन दौरों तथा पिकनिकों पर ले जाने से पहले माता-पिता अथवा अभिभावकों से लिखित अनुमति प्राप्त करने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अत: स्कूल शिक्षा मुख्यत: राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है। केन्द्र सरकार ने 9.8.2006 को राज्य सरकारों को एक परामर्श जारी करके यह सुनिश्चित करने को कहा है कि "किसी भी छात्र को उसके माता-पिता/अभिभावकों, जैसा भी मामला हो, की सुस्पष्ट अनुमति के बिना टूर पर नहीं ले जाया जाएगा।"

पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत निर्माण मानदण्ड

967. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 2000-2001 में निर्धारित किए गए निर्माण मानदण्डों की लागत को संशोधित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों के अनुरोध के अनुरूप मानदण्डों में संशोधन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) जी हां, श्रीमान। राज्यों में भूमि, धनराशि और अन्य संबंधित स्थानीय परिस्थितियों के संदर्भ में संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्यों तथा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के परामर्श से समय-समय पर राज्य सरकारों के सुझावों के आधार पर राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत मानदण्डों सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की जाती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग

968. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त आयोग का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों (सीपीएमएफ) के प्रमुखों की नियुक्ति हेतु पैनल तैयार करने, सीपीएमएफ कार्मिकों की सेवा शर्तों से संबंधित समस्याओं तथा किसी अन्य संबंधित मामले पर विचार करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा और केन्द्रीय पुलिस कार्मिक कल्याण पर समिति गठित की गई है।

(ग) अन्य सुरक्षा संबंधी मामलों से निपटने के लिए सरकार में उच्च स्तरीय निकाय मौजूद हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत धनराशि

969. श्री हरिन पाठक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत गुजरात को कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत गुजरात को आबंटित धनराशि में कमी की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्ष 2008-09 के दौरान सरकार का पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना से बाहर मेगासिटी पुलिस व्यवस्था तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों की पुलिस व्यवस्था हेतु इनकी विशेष प्रकृति पर विचार करते हुए धनराशि आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गुजरात को पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) अपने पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने में राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार "राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना" नामक एक आयोजना स्कीम कार्यान्वित कर रही है। राज्यों को केंद्रीय सहायता का निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्य राज्यों की मांगें, सुरक्षा परिदृश्य, संबंधित राज्य(यों) द्वारा निधियों का उपयोग और इस स्कीम के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा निधियों के आबंटन को ध्यान में रख कर किया जाता है। वर्ष 2004-05 से 2006-07 के पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन और गुजरात को आबंटित निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आबंटित केन्द्रीय निधियां		कुल निर्मुक्त निधियां
	मूल	अतिरिक्त	
2004-05	34.44	5.10	39.54
2005-06	30.00	9.84	39.84
2006-07	37.00	8.52	45.52
कुल	101.44	23.46	124.90

अत: गुजरात को केन्द्रीय निधियां जारी करने में कोई कमी नहीं की गई है।

(घ) से (च) गुजरात सहित राज्यों को निधियों के आबंटन को उनकी कार्य योजनाओं में की गई प्रत्याशाओं के आधार पर अन्तिम रूप दिया जाता है और 'मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था और रेगिस्तान पुलिस व्यवस्था' इस योजना का एक अंतरंग भाग होती है। गुजरात को रेगिस्तान पुलिस व्यवस्था के लिए वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए 2.00 करोड़ रुपये की राशि तथा वर्ष 2007-08 के दौरान 1.49 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कांस्टेबलों के लिए मकानों का निर्माण

970. श्री पी.सी. थामस: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने यह अनुरोध किया है कि पुलिस बल का आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत पुलिस कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों के लिए निम्न अधीनस्थ क्वार्टरों (एलएसक्यू) और

उच्च अधीनस्थ क्वार्टरों (यूएसक्यू) के निर्माण के लिए मानदंडों को प्लिन्थ एरिया और तत्संबंधी लागत में वृद्धि करके संशोधित किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। केरल पुलिस कार्मिकों के संबंध में 'क्षेत्र' और 'लागत' के संदर्भ में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत निर्माण मानदंडों के संशोधन का संबंध अन्य राज्यों के पुलिस कार्मिकों से है। तद्नुसार राज्यों में भूमि, धनराशि और अन्य संबंधित स्थानीय परिस्थितियों के संदर्भ में संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्यों तथा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) के परामर्श से समय-समय पर स्कीम के अंतर्गत निर्माण मानदण्डों सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की कमी

971. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में दिल्ली सहित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा के कितने अध्यापक स्वीकृत किए गए और कितने वास्तव में नियुक्त किए गए;

(घ) क्या देश में शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की कोई कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2005 में प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा पढ़ाए जाने की सिफारिश की गयी है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 1 से 10 में कोर पाठ्यचर्या के रूप में शारीरिक शिक्षा पढ़ाए जाने का प्रावधान करता है। कक्षा 11 और 12 में इसे ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है।

शारीरिक शिक्षा को कालेजों में अनिवार्य विषय बनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) राज्य-वार संस्वीकृत और नियुक्त शारीरिक शिक्षकों की संख्या से संबंधित सूचना इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती हैं चूंकि अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 30.9.2002 संदर्भ तिथि लेते हुए कराए गए 7वें अखिल भारतीय स्कूल शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 62% माध्यकिम स्कूल और 66.8% उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा/प्रशिक्षण/योग के लिए विशिष्ट अध्यापक थे। जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का संबंध है, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में संस्वीकृत और वास्तव में कार्य कर रहे शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के पदों की संख्या निम्नानुसार है:

	संस्वीकृत शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की संख्या				वास्तव में कार्य कर रहे शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की संख्या			
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
केन्द्रीय विद्यालय	838	911	929	935	793	865	833	892
नवोदय विद्यालय	817	844	898	965	749	806	855	929

केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और समय-समय पर रिक्तियां भरने के लिए इसे अपनाया जाता है। राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समुचित कार्रवाई करना राज्य सरकार का काम है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किनडिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2224(अ) जो 31 दिसंबर, 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 31 दिसम्बर, 2007 को उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2007 जो 1 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 6 फरवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 73(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8136/2008]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) केबल टेलीविजन नेटवर्क (तीसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 774(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 2008 जो 10 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 25(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8137/2008]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8138/2008]

(3) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फार ओपन इन्फार्मेशन सर्विस, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल सेंटर फार ओपन इन्फार्मेशन सर्विस, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8139/2008]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 5/1/2007-एमएण्डजी, जो 26 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें हरियाणा के राज्यपाल के लिए अनुसूची दो के अंतर्गत सत्कार व्यय, संविदा भत्ता और दौरा व्यय के अंतर्गत राशि बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी विशेष आदेश दिया हुआ है।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 7/4/2006-एमएण्डजी, जो 26 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें असम के राज्यपाल के लिए अनुसूची-1 के अंतर्गत राशि बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी विशेष आदेश दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8140/2008]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस सामान्य ड्यूटी संवर्ग (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2007, जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 801(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सेकेंड-इन-कमांड (परिवहन) भर्ती नियम, 2007, जो 14 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 545(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8141/2008]

(3) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (अधीनस्थ रैंक), भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 जो 15 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 88(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8142/2008]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8143/2008]

(2) (एक) एक्सोम सर्वशिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सोम सर्वशिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8144/2008]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8145/2008]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) नेशनल सेंटर फार ट्रेड इन्फारमेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सेंटर फार ट्रेड इन्फारमेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8146/2008]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) इंडियन काउंसिल आफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8147/2008]

(3) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8148/2008]

(5) (एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8149/2008]

(7) विश्व भारती के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8150/2008]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 389 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (डेंगू, मलेरिया, फाइलेरियासिस, पीत ज्वर और अन्य वेक्टर जनित रोग) उपविधियां, 2007 जो 14 अगस्त, 2007 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 4/4/2006/एनडीएमसी/14663 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (सचिव की शक्तियां, कर्त्तव्य और कृत्य) विनियम, 2007 जो 18 मई, 2007 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4/41/2006/एनडीएमसी/8009 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8151/2008]

(2) दमन और दीव मूल्य वर्धित कर विनियम, 2005 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना डीएमएन/वीएटी-2005/07-08/716 जो दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के 25 अक्तूबर, 2007 के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त विनियम की तीसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8152/2008]

अपराह्न 12.02 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): महोदय, मैं 'रक्षा आयुध निर्माणी के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति' के सातवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के बीसवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02$^{1}/_{4}$ बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुधांशु सील (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, मैं शहरी विकास मंत्रालय के "मुद्रण निदेशालय" के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2007-2008) का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02$^{1}/_{2}$ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

उनतीसवां से बत्तीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन;

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन;

(3) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन;

(4) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित "वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए समन्वित कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लगे स्वैच्छिक संगठनों" विषय के बारे में 32वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

एक सौ सत्ताईसवां से एक सौ तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. के. धनराजू (टिंडिवनाम): महोदय, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 118वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 127वां प्रतिवेदन;

(2) पोत परिवहन विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 117वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 128वां प्रतिवेदन;

(3) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 120वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 129वां प्रतिवेदन;

(4) राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-भांगा विस्तार) विधेयक, 2007 के बारे में समिति का 130वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03½ बजे

वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति

पहले से पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, मैं वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन और वक्फ बोर्ड, पश्चिम बंगाल के कार्यकरण के बारे में पहला प्रतिवेदन;

(2) राजस्थान में वक्फ अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन और राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कार्यकरण के बारे में दूसरा प्रतिवेदन;

(3) वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधनों के बारे में तीसरा प्रतिवेदन;

(4) असम में वक्फ अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन और असम वक्फ बोर्ड के कार्यकरण के बारे में चौथा प्रतिवेदन; और

(5) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में वक्फ अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन और चंडीगढ़ वक्फ के कार्यकरण के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

गत सप्ताह के दौरान सभा में किए गए कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं आपकी सूचना के लिए गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा निपटाए गए कार्यों को संक्षेप में बताना चाहता हूं।

25 फरवरी, 2008 को आदरणीय राष्ट्रपति जी ने एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं को संबोधित किया। तत्पश्चात् लोक सभा की एक संक्षिप्त बैठक के पश्चात् इसे स्थगित कर दिया गया।

26 फरवरी, 2008 को रेल मंत्री ने 2008-09 के लिए रेल बजट प्रस्तुत किया और 29 फरवरी, 2008 को वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक, 2008 के पुर:स्थापन के साथ सामान्य बजट, 2008-09 प्रस्तुत किया।

प्रश्नकाल के दौरान सभा में व्यवधान और शोर-शराबे के कारण सूचीबद्ध 60 तारांकित प्रश्नों में से किसी का भी मौखिक उत्तर नहीं दिया जा सका। इसलिए 582 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

नागालैंड राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी उद्घोषणा के अनुमोदन के संबंध में एक सांविधिक संकल्प सभा द्वारा बिना किसी महत्वपूर्ण चर्चा के पारित किया गया।

सभा में मंत्रियों ने पांच महत्वपूर्ण विषयों पर वक्तव्य दिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया शांत रहें।

सदस्यों ने नियम 377 के अंतर्गत लोक महत्व के 33 मुद्दे उठाए।

गत सप्ताह के दौरान विभागीय स्थायी समिति ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

व्यवधानों और जबरन स्थगन के कारण गत सप्ताह सभा के 15 घंटे और 19 मिनट का बहुमूल्य समय नष्ट हुआ।

माननीय सदस्यगण, मैं कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन में आपका सहयोग चाहता हूं।

मुझे खेद है कि मुझे आपको समय की बर्बादी के बारे में स्मरण कराना पड़ा लेकिन मुझे अगली घोषणा करनी है जिससे संभवत: आपको खुशी होगी।

अपराह्न 12.06 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

सभा की बैठक रद्द करना

[अनुवाद]

माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि कार्य मंत्रणा समिति की कल हुई बैठक में बहुमत से लिए गए निर्णय के अनुसार शुक्रवार, 7 मार्च, 2008 के लिए निर्धारित सभा की बैठक रद्द की जाती है। मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत है।

मुझे कोई असहमति नहीं दिखाई दे रही है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, महोदय।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं आपसे और आपके माध्यम से, सभा से अपील करता हूं कि चूंकि कल मध्याह्न 12 बजे माननीय प्रधान मंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद का उत्तर देंगे और काफी सदस्यों को बोलना है, इसलिए, यदि सभा सहमत हो तो वाद-विवाद जारी रखने के लिए आज का मध्याह्न भोजनावकाश छोड़ा जा सकता है। यदि सायं छह बजे के पश्चात् बोलने वाले सदस्यों की संख्या अधिक है तो, सभा की सहमति से हम सभा का समय बढ़ा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: हम वाद-विवाद जारी रख सकते हैं और यदि माननीय सदस्यों के पास भाषण तैयार है तो वे सभा पटल पर रख सकते हैं।

मद संख्या 16, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

अपराह्न 12.07 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की मासिक प्रगति रिपोर्टों के इलेक्ट्रानिक अन्तरण के बारे में

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में प्रावधान है कि **"ई-गवर्नेंस" को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा।**

माननीय प्रधान मंत्री जी ने कार्यान्वयन का स्तर बनाए रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास का प्रयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। इनके संवर्द्धन में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आयोजना, निगरानी और जानकारी देने के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है।

मुझे इस सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश के लोगों की जानकारी के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों की मासिक प्रगति रिपोर्टें अब आन-लाइन भी उपलब्ध हैं। आपको यह भी जानकारी

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

देते हुए मुझे काफी संतुष्टि मिल रही है कि पारदर्शिता और खुलापन लाने के लिए रिपोर्टों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है और इन्हें जनता के समक्ष रखा जाता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण वक्तव्य है। कृपया शांति बनाए रखिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ग्रामीण विकास मंत्रालय उन माननीय संसद सदस्यों का अत्यंत आभारी है, जिन्होंने जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों के अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष के रूप में अपना बहुमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया है। उनकी सहायता करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने माननीय संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों/संबंधित राज्यों में आने वाले जिलों के लिए मासिक आधार पर मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों की मासिक प्रगति रिपोर्टों के इलैक्ट्रानिक अंतरण की व्यवस्था बनाई है।

मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे अपने मेल बाक्स में भेजी गई जनवरी, 2008 की मासिक प्रगति रिपोर्ट को देख लें। मंत्रालय ने अब तक 385 माननीय सदस्यों को इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की प्रगति रिपोर्टें भेज दी हैं। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित रिपोर्टों को भेजने की प्रक्रिया चल रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक कराते समय इन जानकारियों का प्रयोग करें और अपनी बहुमूल्य जानकारी से हमें अवगत कराएं ताकि हम अपनी ओर से आगे की आवश्यक कार्रवाई कर सकें। वेबसाइट पर शेष सदस्यों का ई-मेल आई.डी. उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए माननीय संसद सदस्यों से mpr-mord@nic.in पर ई-मेल आई.डी. भेजने का अनुरोध किया गया है।

मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि मंत्रालय से जिलों को निधियों के अंतरण की व्यवस्था पारदर्शी एवं कारगर बनाई गई है। सभी मंजूरी आदेश, चैकों के ब्यौरे और केन्द्र सरकार से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के खातों में निधियों के अंतरण के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मंत्रालय से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के खातों में 97 प्रतिशत निधियों का इलैक्ट्रानिक तरीके से अंतरण किया जा रहा है।

साथ ही और अधिक पारदर्शिता लाने तथा स्टेक होल्डरों को जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वे विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों को नेट पर उपलब्ध मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजें। राज्यों से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को यह निदेश देने के लिए भी कहा गया है कि वे जिले की पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों से संबंधित जानकारियों का आदान-प्रदान करें। मंत्रालय ने इन व्यवस्था के जरिए मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले मीडिया कर्मियों को भी मासिक प्रगति रिपोर्ट की प्रति भेजने का भी निर्णय लिया है।

आप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट www.rural.nic.in को भी देख सकते हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8153/2008]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस पहल के लिए मैं आपको और आपके मंत्रालय को बधाई देता हूं। सभी माननीय सदस्यों से मेरा यही अनुरोध है कि हम सभी को इस सुविधा का उपयोग करना चाहिए।

अब माननीय गृह मंत्री एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

अपराह्न 12.11 बजे

(दो) मुम्बई और देश के अन्य भागों में उत्तर भारतीयों के विरुद्ध होने वाली हिंसा की घटनाओं के बारे में

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): श्रीमन्, मुम्बई में जो हुआ, कल उसके संबंध में यहां पर सम्माननीय सदस्यों ने वक्तव्य दिये और चिंता तथा अपनी भावनाएं व्यक्त कीं, उसके संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया देने के लिए मुझे कहा गया है और उसके लिए मैं यहां पर खड़ा हूं, उपस्थित हूं।

मेरी एक ही इच्छा और प्रार्थना होगी कि जो कुछ मुझे कहना है उसे पूरी तरह से कहने दिया जाए। उसके बाद उसमें अगर कुछ नुक्स नजर आते हैं तो प्रश्न पूछे जाएं, जिनका स्पष्टीकरण किया जा सकता है। कल के जो प्रश्न हैं उनमें माननीय देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने और दूसरे सदस्यों ने मुद्दे उठाए थे और उनके संबंध में अपना रैस्पोन्स, अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने अभी-अभी अपील की थी और आपने उसका तत्काल उल्लंघन कर दिया।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमन्, कल के वक्तव्यों में सदस्यों ने कहा है कि मुम्बई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। मुम्बई को बनाने में हमारे देश के सारे लोगों ने हाथ बंटाया है तथा मुम्बई की अपनी एक गरिमा रही है। मुम्बई सारे देश की है और देश के लोगों को वहां जाने, रहने और काम करने का संवैधानिक अधिकार है। केवल मुम्बई ही नहीं, देश के किसी भी शहर में जाने और रहने का अधिकार सारे भारतवासियों को है। देश के किसी दूसरे शहर में भी, किसी भी भारतवासी को आने-जाने से रोका नहीं जा सकता है, टोका नहीं जा सकता है, काम करने के लिए उनके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया नहीं जा सकता है। यह बात हमारे संविधान में लिखी हुई है और यह बात हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। हमारा देश सारे संसार को एक कुटुम्ब मानता है।

ऐसे देश में एक जगह के लोगों को दूसरी जगह, दूसरे शहर में जाकर रहने से रोका नहीं जा सकता है। यही बात इसी सदन में सभी सदस्यों ने कही है और यही बात सरकार की ओर से भी कही गई है तथा मैंने भी यही बात कही है। हमारे नेता और हमारी सरकार यही बात कहती है। महाराष्ट्र की सरकार और वहां जो काम करने वाले हमारे साथी हैं, वे भी यही बात कहते हैं और उनको उसी तरीके से वहां की सरकार चलानी पड़ेगी। अगर उसमें कोई गलती या फर्क आ जाए, तो हमारा यह दायित्व बन जाता है कि उनको इस बारे में बताएं, जिससे कि वे ऐसा न करें और कानूनी तरीके से जो भी जरूरी है, वे इस बारे में कदम उठाएं।

बहुत खुशी की बात है कि महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने जो वक्तव्य दिया था और उसकी वजह से वहां एक बवंडर तैयार हुआ था, उसे महाराष्ट्र के लोगों ने समर्थन नहीं दिया, महाराष्ट्र सरकार ने समर्थन नहीं दिया, देश के लोगों ने समर्थन नहीं दिया। हम लोगों ने यहां इस बारे में जो चिंता व्यक्त की कि देश की एकता के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, यह बहुत ही अच्छी बात है और ऐसे विचार प्रकट करने वाले सभी साथियों को मैं अपनी ओर से भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने देश की भलाई को ध्यान में रखकर यह बात कही।

श्रीमन्, एक बात और भी यहां कही गई कि मुम्बई से बहुत से लोग, जो दूसरे प्रांतों से आए थे, वे पलायन कर गए हैं। कुछ सदस्यों ने कहा कि 20-25 हजार लोगों की संख्या थी, कुछ सदस्यों ने कहा कि 40-45 हजार लोगों की संख्या थी और कुछ ने कहा कि करीब एक लाख लोगों की संख्या थी, जो मुम्बई से पलायन कर गए हैं। मैं आंकड़ों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वे 20-25 हजार की संख्या हो या इससे ज्यादा की संख्या हो, एक भी आदमी इस कारण अगर मुम्बई से बाहर जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यह हमारा दृष्टिकोण है। अगर एक भी आदमी को वहां से पलायन करने की परिस्थिति वहां पैदा हुई है और हम उसे काबू नहीं कर सके, तो उसकी जवाबदेही हमारी हो जाती है, प्रांत की होती है और देश की होती है। आंकड़ों के ऊपर मैं झगड़ा नहीं करना चाहता हूं। जो भी आंकड़े हों, मगर एक भी आदमी का पलायन नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। सिर्फ इतनी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब बढ़ा-चढ़ा कर आंकड़े हमारे सामने आते हैं, तो हमें लगता है कि उसका असर दूसरे प्रांतों में हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। मगर इस संबंध में भी मैं बहुत नम्रता से कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार की, महाराष्ट्र की जनता की और केन्द्र सरकार तथा देश की जनता की यह नीति रहेगी कि किसी को भी, कहीं से भी पलायन करने की जरूरत न हो।

यहां तीसरा सवाल कार्यवाही के संबंध में उठाया गया है। कुछ भाइयों ने कहा कि मकोका कानून वहां लागू करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने हमें बताया है कि मकोका कानून वहां लागू किया गया। जो बात आपने यहां कही, वह दुरुस्त थी, वह पहले ही कर दी गई है। इसके बाद वहां क्या कार्यवाही की गई, इस बारे में कुछ प्रश्न भी उठाए गए। मुझे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस प्रकार से बताया गया है कि करीब-करीब 300 से ज्यादा केसिस वहां दाखिल किए गए। उन्होंने कहा है कि इन केसिस में डेढ़ हजार लोगों पर कार्यवाही की गई। सब्सटेंटिव आफेंसेज के लिए उसके तहत कार्यवाही की गई है। जब ये हादसे हो रहे थे, उस समय 5 हजार लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया।

यह आंकड़े कम हैं, ज्यादा हैं, मैं नहीं बोलूंगा, जो करना जरूरी है, वह करना होगा और जो भी उसमें दखल दे रहा है,

[श्री शिवराज वि. पाटील]

उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कानून को बचाने के लिए, प्रान्त की एकता को बचाने के लिए, देश की गरिमा को बचाने के लिए हमें काम करना होगा, यही हमारा दृष्टिकोण है। उन्होंने जो मालूमात हमें दिए हैं, मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। आगे चल कर मैं बताना चाहता हूं कि इससे भी ज्यादा इस संबंध में जो करना जरूरी है, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वह उसे करेंगे। अगर वह नहीं करेंगे तो हम उन्हें बताएंगे, बताएंगे ही नहीं लेकिन देखेंगे कि वह कैसी कार्रवाई कर रहे हैं? हम देश के किसी भी व्यक्ति को ऐसा काम करने का अधिकार नहीं देंगे।

कहा गया कि कुछ त्योहारों में कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। हमारे देश के सारे त्योहार बड़े विचारों के साथ बने हैं। कोई सूरज की प्रार्थना करता है, कोई समुद्र की प्रार्थना करता है और कोई भूमि की प्रार्थना करता है। यह बड़े-बड़े विचारों की प्रार्थनाएं हैं। ये त्योहार कहीं भी मनाए जा सकते हैं। मुम्बई में बनाए जाएंगे, महाराष्ट्र के किसी स्थान पर मनाये जाएंगे और देश के किसी भी हिस्से में मनाए जाएंगे, इसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने मुझे लिख कर बताया है कि उनकी तरफ से कोई रोक-टोक नहीं की गई है और अगर कोई रुकावट डाली गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

श्रीमन्, एक बात जो हमारे साथियों ने यहां उठायी थी, वह किशन सिंह के बारे में थी। कहा गया कि उनके दो हाथ काटे गए हैं। उन्होंने एक समाचार पत्र सामने रख कर उनका फोटो भी दिखाया है। ऐसा एक अखबार में भी समाचार आया है। मैंने इसके बारे में वहां से जानकारी लेने की कोशिश की है। पहले उन्होंने हमें टेलीफोन से बताया था कि ऐसा कोई हादसा होने की जानकारी किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं है, यहां तक कि पुणे के पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट पुणे के पुलिस स्टेशन या दूसरी किसी जगह में भी नहीं है। उन्होंने लिखित रूप से हमें बताया है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन जो लिखा गया है, उसे देखना जरूरी है। मैं समझता हूं कि इसकी गहराई में जाकर पूरी तरह से जांच करना जरूरी है। हम महाराष्ट्र सरकार को बताएंगे कि वह अपनी पुलिस सीवान में भेजे और जो अस्पताल में हैं, उनका जवाब रिकार्ड करे, वह केवल लिखित रूप में उनका जवाब रिकार्ड न करे बल्कि वीडियो रिकार्डिंग करे ताकि वह बात पूरी तरह से आए और मालूम हो जाए को वह बात सही है। ऐसे में जो कार्रवाई करनी जरूरी है, वह की जाएगी। अगर दूसरी कोई बात होगी, वह भी सामने आ जाएगी और सही काम हो सकेगा। हम महाराष्ट्र सरकार को कहने जा रहे हैं कि इस प्रकार से कार्रवाई करे। कार्रवाई करने के बाद मैं अपने साथी को, अगर वह लिखित रूप में चाहें तो जानकारी दे दूंगा। इसके आगे कुछ और बोलना आवश्यक नहीं लगता है। जिस भावना से यह बात यहां उठायी गई है और जिस गरिमा से और अच्छे ढंग से उठायी गई है, कुछ गलतफहमियां इधर-उधर की होती हैं, उसे छोड़ देंगे लेकिन जो भी बातें उठायी गई हैं, वे अच्छी हैं और देश की एकता के लिए अच्छी हैं। इस प्रकार से इस विषय पर चर्चा करना देश के हित में, महाराष्ट्र के हित में हम सब के हित में है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा कि यह कहीं भी लागू है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात हो गई है। आपने कल इस विषय को उठाया है। अब इसके ऊपर और बहस करने की जरूरत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण और अरजेंट मैटर्स बाकी हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): जो वहां से चले गए हैं, उनके रोजगार का क्या होगा? *...(व्यवधान)* हमें उनके बारे में चिन्ता करनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह उसे देखेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): कितने लोग निरुद्ध किए गए और अगर कार्रवाई की गई है तो कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: राज्य सरकार की ओर से वे जवाब नहीं दे सकते। यही समस्या है। आप राज्य प्रशासन का ब्यौरा मांग रहे हैं। कोई भी माननीय गृह मंत्री दिल्ली में तत्काल जवाब कैसे दे सकते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपने रिकवैस्ट की और मिनिस्टर साहब ने उसे सुन लिया है।

...(व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8154/2007]

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: रघुराज सिंह शाक्य, आप अपना मैटर बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। मिनिस्टर साहब ने बोला है और अगर आपको कुछ अलग से कहना है तो लिख कर भेज दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): महाराष्ट्र सरकार की कार्यवाही से भारत सरकार संतुष्ट है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय: हम आपको एलाऊ नहीं करते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सभा में किसी भी बैठक की अनुमति नहीं होगी।

[हिन्दी]

ये हाऊस में क्या हो रहा है? आप बाहर लाबी में चले जाइए।

...(व्यवधान)

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): मैं आपके माध्यम से शून्य काल में इटावा लोक सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें दो जनपद इटावा और औरेया हैं। इसमें जो रिवाइन इलाका है उसमें चार ब्लाक हैं, चकरनगर, बड़पुरा, अजीतमल औरेया और इसमें जसवंत नगर का भी हिस्सा है। रिवाइन होने की वजह से, वर्षा न होने की वजह से पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। यहां बिल्कुल बुंदेलखंड जैसी स्थिति है। बुंदेलखंड के किसान परेशान हैं। वहां पानी की सुविधा न होने से किसान परेशान हैं और पलायन करने को मजबूर हैं। वहां बिजली की स्थिति इतनी खराब है कि दो या तीन घंटे से अधिक नहीं मिलती है। वहां किसान बुरी तरह से परेशान हैं। मैं इसके साथ बुंदेलखंड की मांग तो करता ही हूं कि इसे विशेष पैकेज दिया जाए लेकिन अगर बुंदेलखंड की तरह औरेया और इटावा जनपद ब्लाकों को बचाना चाहते हैं तो पानी की व्यवस्था की जाए। हमने उस इलाके के लिए पचनद डैम की मांग की थी जो 1981 में स्वीकृत हुआ था। हमने इसकी मांग 13वीं लोक सभा में भी कई बार जल संसाधन मंत्री जी से मांग की थी। अगर पचनद डैम वहां चालू हो जाता तो मध्य प्रदेश और इटावा का जो क्षेत्र है वहां सूखे की स्थिति का सुधार हो सकता था। मैं आपके माध्यम से डैम को चालू कराने की मांग करता हूं और इटावा जनपद के लिए विशेष पैकेज की मांग करता हूं। इसके साथ ही बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज की मांग भी करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए आपको परमिशन दी है।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। यूएनएड्स वेबसाइट पर भारत के नक्शे को छिन्न-भिन्न ढंग से प्रस्तुत किया गया है। महोदय, एक वर्ष पहले मैंने इस सवाल को इसी सदन में उठाया था और आपने स्वयं तत्कालीन रक्षा मंत्री को आदेश दिया था कि इस संबंध में जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करें। लेकिन आज तक हम लोगों को उस बात की जानकारी नहीं हुई। यह आश्चर्यजनक विषय है और मेरे हाथ में यह नक्शा है जिसमें जम्मू-कश्मीर के उस हिस्से को हिन्दुस्तान से अलग दिखाने की कोशिश की गई है। यूएनएड्स के चेयरमैन हमारे यूथ फोरम को एड्रेस करने वाले हैं, शायद जिसकी अध्यक्षता आप ही करने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण यूएनएड्स कमेटी की तरफ से आना चाहिए। यह वेबसाइट पर हमें उपलब्ध है। हमारे हाथ में नक्शा है, हमारे देश की एकता और अखंडता को अगर कोई एड्स के बहाने तोड़ने की कोशिश करे और सरकार चुपचाप बैठी रहे तो हम कहां जाएंगे? इसलिए आपसे दोबारा प्रार्थना करता हूं कि इस संबंध में स्पष्ट वक्तव्य सरकार की ओर से आना चाहिए और इस बात की जानकारी से सदन और देश को अवगत कराना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए तो आपको उठकर बोलने के लिए कहा है।

[अनुवाद]

मुझे पूरा विश्वास है कि यदि कोई इस दुनिया में मानचित्र प्रकाशित कर रहा है जो हमारे देश की सीमा को गलत ढंग से

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चित्रित कर रहा है, तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, इसमें स्पेशली जम्मू-कश्मीर को अलग किया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने आपको सप्लीमेंट करने के लिए नहीं कहा है। आप बैठिए। श्री हन्नान मोल्लाह।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह: आपको पहले भी बताया था और अब दूसरी बात यह बात आई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप हन्नान मोल्लाह नहीं हैं। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: और कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं एक नई आपदा की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। होम मिनिस्टर साहब यहां मौजूद हैं। मैं उनके सामने बताना चाहता हूं कि इस दफा पहली बार हिन्दुस्तान में बहुत भारी शीतलहर चली और ओले तथा पाला (फ्रास्ट) पड़ा। पाला पड़ने की वजह से हजारों एकड़ जमीन की फसल पहली बार नष्ट हो गई है। राजस्थान के गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ तक 22 जिले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, हरियाणा के कुछ जिले तथा अन्य बहुत से जिलों में पाला पड़ने के कारण हजारों एकड़ जमीन में लगी फसल बरबाद हो गई। हमने इसके लिए राज्य सरकार से मांग की कि इसकी कुछ क्षतिपूर्ति की जाए। लेकिन इसमें एक समस्या यह है कि पाला नेचुरल कैलामिटी की लिस्ट में नहीं है। ओला व पाला को प्राकृतिक आपदा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर यह होगा कि नेचुरल कैलामिटी में जो क्षतिपूर्ति का मुआवजा मिलता है, वह ज्यादा होता है। नेचुरल कैलामिटी में अभी फ्लड और सुखाड़ आदि आते हैं। मगर पाला पड़ना इस लिस्ट में इनक्लूड नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मामले में पूरे देश के किसानों ने आंदोलन भी किया है। मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में पाला पड़ना और भूमि प्रभाव से जो नुकसान होता है, उसे नेचुरल कैलामिटी में शामिल करना चाहिए और क्षतिपूर्ति भी उसी हिसाब से देनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री महावीर भगोरा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को चलाने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सर, हम इस मामले से अपने को सम्बद्ध करना चाहते हैं।

श्री पुष्प जैन (पाली): सर, मैं भी अपने आपको इस मामले से सम्बद्ध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपको एसोसिएट कर लिया गया है। अभी हम आपके ही मैम्बर को बुला रहे हैं।

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, अभी जो बात श्री मोल्लाह साहब ने कही है, वही बिन्दु राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी उठाना चाहता हूं और मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि किसानों की लाखों एकड़ जमीन में सरसों, चना और गेहूं पाले से जलकर नष्ट हो गया है, जिसके कारण किसान भूखे मरने के लिए मजबूर हो गये हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि पाला को भी नेचुरल कैलामिटी की लिस्ट में जोड़ा जाए और इसके कारण जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा किसानों को दिलाया जाए।

अध्यक्ष महोदय: श्री गिरधारी लाल भार्गव, क्या इसे पाला बोलते हैं?

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): हां, श्रीमान, इसे पाला बोलते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में रबी मौसम की सभी फसलों पर शीतलहर और पाला पड़ने से बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए इसे प्राकृतिक आपदा मानते हुए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से प्रभावित किसानों को तत्काल विशेष सहायता दिया जाना अत्यावश्यक है। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष अधिसूचित सूची में शीतलहर व पाला से होने वाले नुकसान को शामिल करें। इस शीतलहर से राजस्थान में सरसों, जौ, धनिया, चना, इसबगोल और सब्जियों आदि की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है और कई जिलों में तो ये खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई है। राज्य सरकार ने गिरदावरी करा ली है। राज्य सरकार के पास जो पैसा उपलब्ध है, उस पैसे से राज्य सरकार किसानों की मदद करने का प्रयास कर रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन राज्य सरकार के पास पैसे की कमी है। इसलिए राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से दो सौ करोड़ रुपये मुआवजा राशि आबंटित करने की मांग की है। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार इस संबंध में प्रयास करे और राजस्थान सरकार को तुरंत दो सौ करोड़ रुपया दे, ताकि जिन किसानों का शीतलहर के कारण नुकसान हुआ है, उन्हें हम मुआवजा दे सकें और किसान अपना जीवनयापन कर सकें। राजस्थान में शीतलहर और पाला पड़ने से काफी नुकसान हुआ है और एक विचित्र प्रकार की जो घटना घटी है, इस ओर केन्द्र सरकार द्वारा ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। इस शीतलहर और पाला से जो नुकसान हुआ है, इसे भी राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की सूची में जोड़ा जाए, क्योंकि यह नुकसान भी प्राकृतिक नुकसान है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप कोली (बयाना): महोदय, मैं भी अपने आपको इस मामले से सम्बद्ध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप सभी ने इस मामले में एसोसिएट किया है।

प्रो. रासा सिंह रावत: मान्यवर, इन्होंने इस मामले को वित्त आयोग के ऊपर टाल दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब और कुछ नहीं। यह सही नहीं है। आपके चार आनरेबल मैम्बर्स को इसी बीच में बुलाया है और हम क्या करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री छेवांग थुपस्तन (लद्दाख): अध्यक्ष महोदय, भारी बर्फबारी के कारण लद्दाख में जो स्थिति उत्पन्न हुई है और जो भारी नुकसान हुआ है, मैं उसकी तरफ भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

यह बहुत ही चिंता का विषय है कि पशमीना उत्पादक बकरों की भोजन और चारा के अभाव में इन दिनों बड़ी संख्या में मौत हो रही है। इस साल यह स्थिति हिमालय के ऊपरी हिस्सों पर अप्रत्याशित भारी हिमपात के कारण पैदा हुई है। लद्दाख क्षेत्र के चांगथांग क्षेत्र जहां चांगपा आदिवासी बसते हैं, और जो अपनी आजीविका के लिए पशुपालन पर निर्भर हैं, भारी संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि इस साल जन्मे बकरों की छोटे बच्चे तथा भेड़ बड़ी संख्या में पहले से ही मर रहे हैं और जब तक भोजन और चारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर नहीं की जाती तो उनके पशुओं की बड़ी संख्या, जिसमें पशमीना ऊन वाले भेड़ें भी सम्मिलित हैं की मौत हो जाएगी।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि भोजन और चारे के लिए तत्काल राहत उपलब्ध करायी जाए और उन क्षेत्रों में जहां सड़क मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता सेना के वायुयानों से उनको गिराने की व्यवस्था की जाए।

[हिन्दी]

सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि इस साल बर्फबारी होने के कारण लद्दाख में अभी भी

[अनुवाद]

पूरा उत्तरी पठार बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। उनके पास अपने पशुओं को खिलाने के लिए घास एकदम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यही कारण है कि मैंने आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दी है। आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां आलू की अच्छी पैदावार होती है। मैं समझता हूं कि देश के आलू उत्पादक राज्यों में इसका दूसरा स्थान है। विगत वर्ष अप्रत्याशित नवी ढासा रोग के कारण हजारों आलू उत्पादक किसानों को नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने भारत सरकार से क्षतिपूर्ति देने के लिए अनुरोध किया है। जहां तक मेरी जानकारी है, केन्द्र सरकार के साथ एक बैठक भी हुई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस संबंध में 98 करोड़ रुपये जमा किये हैं। लेकिन आज तक इस अनुरोध पर केन्द्र सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

इसलिए, केन्द्र सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल को पर्याप्त मुआवजा दे जिससे कि आलू उत्पादकों

[श्री प्रबोध पाण्डा]

को संरक्षण प्रदान किया जा सके। इस मुद्दे को तत्कालिक मुद्दे के रूप में विचार करने के लिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री संदीप दीक्षित। मैं समझता हूं कि जो मुद्दा वे उठाने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): सर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं विशेषकर आजकल क्योंकि दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं चल रही हैं। पिछले कई सालों से जिस तरीके से शिक्षा का भार बच्चों पर पड़ रहा है और कई बार करीकुलम की चर्चा होती है लेकिन बच्चों पर भार और उन पर जिस तरीके से एक साइक्लाजिकल प्रैशर डाला जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम भयमुक्त समाज की बात करते हैं। सबसे ज्यादा भयभीत आज हमारे दसवीं और बारहवीं कक्षा के बच्चे हैं। जिनके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वे जानते हैं कि चार साल बच्चे जिस प्रक्रिया के थ्रू निकलते हैं, उसमें शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो अपना बचपन न खोता हो। वे बेचारे पढ़ते रहते हैं, कोई ट्यूशन में जा रहा है, कोई क्लास में जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि सीबीएसई और एनसीईआरटी से कहा जाए कि पूरा करीकुलम इस रूप से रिवाइज करें कि बच्चे अपने उन वर्षों में जब उन्हें खेलना चाहिए और कुछ शिक्षा भी प्राप्त करनी चाहिए लेकिन उस समय में कोई बच्चा ट्यूशन के लिए भाग रहा है, कोई रात-रात भर पढ़ रहा है और कोई बच्चा दवाइयां ले रहा है, कोई बच्चा डाक्टरों के पास जा रहा है और कोई बच्चा साइक्लाजिस्ट के पास जा रहा है। किस तरीके से बचपन आज हमने निर्मित कर दिया है? आज के हमारे बच्चे मेरे ख्याल से बड़े-बूढ़ों से ज्यादा काम करते हैं और भय में रहते हैं। मैं बड़ी ही विनम्रता से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरा करीकुलम रिवाइज करके एक ऐसा जीवन बच्चों को दिया जाए, एक ऐसी शिक्षा बच्चों को दी जाए जिसमें बच्चे सुख और खुशी से कम से कम अपनी ग्यारहवीं और बारहवीं और दसवीं की परीक्षाएं दें।

आज बच्चे सुसाइड करने लगे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। हम लोग किसानों के सुसाइड की बात करते हैं। आज बच्चे दवाइयां लेने लगे हैं। बच्चे ड्रग्स लेने लगे हैं। बच्चे डरे हुए घूमते हैं, उनके मां-बाप डरे हुए घूमते हैं। इस भय के वातावरण से बच्चों को निकाला जाए। पूरा करीकुलम रिवाइज किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल माता-पिता ही तनाव में नहीं हैं। बल्कि दादा-दादी भी तनाव में हैं। मेरी पोती दसवीं की परीक्षा दे रही है। पूरा घर तनाव में है।

मैं सोचता हूं कि पीठासीन अधिकारी सहित पूरी सभा श्री संदीप दीक्षित की बात से अपने को सम्बद्ध करती है।

आपको धन्यवाद। इस मुद्दे को उठाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): अध्यक्ष महोदय, इस पार्लियामेंट ने पूरे देश के आदिवासियों के लिए शैड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडीशनल फारेस्ट ड्वैलर्स (रिकागनिशन आफ फारेस्ट राइट्स) एक्ट पास किया है और उसके नियम भी जनवरी से अमल के अंदर आए हैं। इससे बड़ी गंभीर परिस्थिति कई राज्यों के अंदर पैदा हुई हैं जिसके कारण राज्य सरकारों, फारेस्ट डिपार्टमेंट और आदिवासियों के बीच में घर्षण की परिस्थिति पैदा हुई है। इन नियमों को तथा कानून को जिस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए, उस तरीके से कानून का पालन नहीं हो रहा है। इसकी वजह से कहीं पर जो आदिवासी लोग जमीनें जोतते थे और जो दूसरे ट्रेडीशनल लोग जमीनें जोतते हैं, उनको जोर-जबर्दस्ती वहां से हटाया जा रहा है। अभी एक-दो राज्य के अंदर और मेरे खुद के राज्य के अंदर फायरिंग का इंसीडेंट बना जिसके अंदर दो आदिवासी लोग मारे गए हैं और एक को जो लीडर थीं, उसको पकड़कर मारा गया, जिसके चलते पूरी परिस्थिति ऐसी पैदा हुई जिससे पूरे राज्य सरकार के पास, जिन लोगों को जमीने देने के हकदार होने के बावजूद भी उनको जमीन नहीं दी जा रही है। ऐसी परिस्थिति सभी जगह होती जा रही है। मेरी 2-3 मांगें हैं। एक तो यह है कि ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसकी गाईडलाइन्स तुरंत राज्य सरकारों को भेजे ताकि उन्हें मालूम हो कि उनका क्या रोल है। दूसरा, फारेस्ट डिपार्टमेंट जिसके पास नोडल ट्राइबल डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन अभी तक फारेस्ट जमीन देने का पूरा काम है, किस तरह से लोगों को न जमीन दी जाये या कम से कम अदर माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस राइट्स कम से कम मिलें, अगर ऐसा एटीट्यूड है तो उसे नाबूद किया जाये। तीसरा, इस फायरिंग में जहां-जहां ट्राइबल लोग मरे हैं या पुलिस ने मारे हैं, उन्हें राज्य सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिला है। मेरी विनती है कि राज्य सरकारों को इस बात के लिये कम्पैल किया जाये कि ऐसे लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान किया जाये। एस.टी. कमीशन ऐसे स्थलों का निरीक्षण करे और उसकी रिपोर्ट दे। यदि

राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है तो केन्द्र सरकार वह पैसा मुहैय्या कराये। इस सारे इश्यू को मानवीय रूप से देखते हुये पूरे देश के अंदर वन टाइम सैटलमेंट जमीन का फारेस्ट राइट्स पर किया जाये क्योंकि ऐसा न होने से आदिवासी इलाकों में नक्सल मूवमेंट और वायलैंस मूवमेंट हो रहा है। जमीन देने से न ऐसी कोई आग फैलेगी और न ही इंनिसिएशन मिलेगा। इससे हमारे देश में हिंसा कम होगी। मेरा निवेदन है कि समाज और देश के इस गरीब तबके को दूसरे तबकों के साथ लिया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जो माननीय सदस्य अपने को सम्बद्ध करना चाहते हैं वे अपना नाम भेजें।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष महोदय, श्री मिस्त्री जी द्वारा उठाये गये मुद्दे से मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले हमारे साथियों ने बुन्देलखंड में किसानों की दुर्दशा के संबंध में सदन का ध्यान आकृष्ट किया था लेकिन अफसोस की बात है कि न तो राज्य सरकार ने और न ही केन्द्र सरकार ने बुंदेलखंड की समस्या की गम्भीरता को संज्ञान में लिया है। पिछले 3-4 वर्षों से वहां भयंकर सूखा है। सीमान्त और छोटे किसान अपनी जीविका के लिये फसलें पैदा कर रहे थे लेकिन बड़े किसानों के यहां भी कुछ पैदा नहीं हुआ है। हालत यह है कि रोज किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं और राज्य सरकार उन आत्महत्याओं को छिपाने में लगी हुई है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: राज्य सरकार पर आरोप न लगायें।

[हिन्दी]

यह एलीगेशन ठीक नहीं है। आप बोलिये, क्या हुआ?

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, किसान रोजाना खुदकुशी कर रहे हैं। जिस गम्भीरता से बुंदेलखंड की समस्या को लिया जाना चाहिये था, नहीं लिया गया है। लोग बड़े परेशान हैं और पलायन कर रहे हैं। जो लोग अपनी आजीविका के लिये फसलें पैदा करते थे, वे पैदा नहीं हुई हैं। किसानों पर ऋण है। वित्त मंत्री जी ने बजट में 60 हजार करोड़ रुपये के ऋण माफी का जिक्र किया है जिसका लाभ सीमान्त और छोटे किसानों को होगा। लेकिन सरकार से मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि किसानों का पूरा कर्जा माफ होना चाहिए। सरकार को बुंदेलखंड की समस्या के लिये विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिये जिससे वहां के लोगों को बचाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: श्री राज नारायण बुधौलिया और श्री चन्द्रपाल सिंह यादव—आप दोनों ने इस बारे में नोटिस दिया है।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव (झांसी): अध्यक्ष महोदय, आपने सवेरे कहा था कि आप हमें पूरा समय देंगे।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप एक मिनट बोलिये।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, बुंदेलखंड के बारे में माननीय सुमन जी ने अपनी बात रखी है। मैं संबंधित विषय से अपने को सम्बद्ध करते हुये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड की हालत इतनी भयंकर है कि जिसे आप सुन भी नहीं सकेंगे। वहां पानी की एक-एक बूंद के लिये लोग तरस रहे हैं। तालाब, नहर, कुएं में पानी नहीं है। यहां तक कि जानवरों के पीने के लिये भी पानी नहीं है। किसानों ने अपने जानवर घरों पर छोड़ दिये हैं जिनके खाने के लिये न भूसा और न ही पानी है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पक्षी पानी के अभाव में मर रहे हैं। वहां का एक-एक आदमी भुखमरी के कगार पर है। मैं समझता हूं कि यह कोई बड़ी बात नहीं कि प्रतिदिन भूख के कारण एक आदमी निश्चित रूप से मौत के मुंह में जा रहा है। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, चाहे प्रशासन हो या सरकार हो, उन्हें छिपाने में लगे हुए हैं जिससे यह न हो जाये कि बुंदेलखंड में इतने लोग मर रहे हैं। कुछ लोग कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरा भुखमरी है और पीने का पानी नहीं है। वहां 80 प्रतिशत खेती खाली पड़ी हुई है। वहां किसी भी प्रकार से एक दाना भी पैदा नहीं हो रहा है। इन परिस्थितियों में लोग वहां से लगातार पलायन कर रहे हैं। बुंदेलखंड का मामला मैंने पिछली बार भी सत्र में उठाया था। पिछली दो बार लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी से एक डैलिगेशन बुन्देलखंड के संबंध में मिला था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने यह बात पहले भी बोली है।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव: मान्यवर, जो बात हम कह रहे हैं, वह अलग बात है।

अध्यक्ष महोदय: अलग बात नहीं है, एक ही बात है।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव: हम लोग प्रधान मंत्री जी से दो बार मिले हैं, पिछले सत्र में भी मामला उठाया है। हमें आश्वासन

[श्री चन्द्रपाल सिंह यादव]

भी दिया गया है कि बुंदेलखंड के लिए अलग से पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा। ...*(व्यवधान)* भारत की स्वतंत्रता के बाद से लगातार बुंदेलखंड के साथ भेदभाव हुआ है। बुंदेलखंड में आज एक-एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। सभी पार्टियों के नेता— भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टियों के नेता वहां जाकर भाषण देते हैं, वहां के लोगों को राहत दिलाने के लिए भाषण देते हैं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक नए पैसे की भी मदद न तो प्रदेश सरकार ने की है और न ही केन्द्र सरकार ने की है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? हम आपकी बात रिकार्ड नहीं करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जाएगा। श्री राजनारायण बुधौलिया।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप प्लीज बैठ जाइए। हमने पूरी मदद की है। हमने इनको बुलाया, आपको बुलाया।

...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव: वहां के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। दस बार एक ही बात बोलने से जोर नहीं पड़ता। हम तो आपकी मदद करते हैं, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। आपको भी हमारी बात सुननी होगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तीन सदस्यों को एक ही मुद्दे पर बोलने के लिए हमने बुलाया है क्योंकि यह इंपार्टेन्ट इश्यू है। आप बैठ जाइए। एक लाइन भी रिकार्ड नहीं की जा रही है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आपको क्या हो गया है आज?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को स्थगित करके चला जाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। आपने नोटिस देने का कष्ट भी नहीं किया।

...*(व्यवधान)*

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): हम असोसियेट करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप असोसियेट कर लीजिए लेकिन क्या चेयर को डिफाई करेंगे? आप नाम लिखित में भेज दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: महोदय, मैं भी इस विषय से अपने को संबद्ध करता हूं।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): मैं भी बुंदेलखंड के विषय पर अपने को संबद्ध करता हूं।

श्री चन्द्रभान सिंह (दमोह): मैं भी इस विषय से अपने को संबद्ध करता हूं।

श्री राजनारायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष का सबसे पिछड़ा यदि कोई क्षेत्र है तो वह बुंदेलखंड क्षेत्र है। बुंदेलखंड के मामले में अभी हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य सुमन जी ने, हमारे साथी डा. चन्द्रपाल सिंह जी ने बहुत विस्तार से बहुत अच्छी बातें कहीं हैं। यह सत्य है कि बुंदेलखंड की कोई भी समस्या कभी किसी सरकार ने गंभीरता से नहीं सुनी। चाहे प्रदेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो। हम लोग दो बार प्रधान मंत्री जी से मिले। प्रधान मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया।

केन्द्रीय दल वहां दौरे पर गया। उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है लेकिन उस रिपोर्ट के आधार पर कोई विशेष पैकेज बुंदेलखंड की जनता को नहीं दिया गया। बुंदेलखंड के लोग भूखे-प्यासे मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। इस विषय पर हमने विशेष चर्चा के लिए नोटिस भी दिया था लेकिन उस पर आपकी तरफ से मंजूरी नहीं मिली। आज बुंदेलखंड के लोग हजारों की संख्या में पलायन कर रहे हैं। कच्छ में जो दुर्घटना हुई, माननीय लालू प्रसाद जी ने पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा दिया जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। वे बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग थे जो पलायन करके वहां रोजगार की तलाश में गए थे। चाहे वहां का छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, सिंचाई के साधन नहीं हैं। कोई विशेष पैकेज बुंदेलखंड की जनता को नहीं दिया गया। वित्त मंत्री जी ने हम लोगों को कुछ राहत प्रदान की है लेकिन छोटे किसानों के लिए की है। बुंदेलखंड में बड़ी जोत के किसान भी हैं। महोदय, किसान तो किसान ही होता है चाहे छोटा हो या बड़ा हो। वहां के किसान चार सालों से भुखमरी की हालत में हैं और आत्महत्याएं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार से मांग है कि चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, सभी के कर्जे माफ किए जाएं। ...*(व्यवधान)* वहां के किसानों के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा करा लें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके अभी बोलने से हम कुछ नहीं करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके नोटिस भेजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आप इस पर चर्चा करा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके बोलने से हम चर्चा कराएंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके लीडर भी आपको बैठने के लिए बोल रहे हैं। आप हमारी बात नहीं सुनते हैं, उनकी बात तो सुनिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राजनरायण जी, आप बहुत जेंटल मेम्बर हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं क्योंकि आपने मुझे अविलम्बनीय लोक महत्व का मुद्दा उठाने का अवसर दिया जो हमारे देश के सामने उपस्थित है। आज प्रजातांत्रिक महिला एसोसिऐशन के झंडे तले हजारों महिलाएं संसद की ओर मार्च कर रही हैं और देश में खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सभी जगह जन वितरण प्रणाली को लागू करने की मांग कर रही है। अपने गठन के समय संप्रग सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा इसे सभी जगह लागू करने का वायदा किया था लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार जन वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने में असफल रही है। वास्तव में, सरकार ने कई राज्यों के चावल और गेहूं के आवंटन में, विशेषकर केरल में कटौती कर दी है। मेरे राज्य केरल का मुख्य भोजन चावल है। अब सरकार ने केरल राज्य के लिए ए.पी.एल. के मासिक आवंटन को 1,13,420 लाख मीट्रिक टन से घटाकर 21,304 मीट्रिक टन कर दिया है। अप्रैल, 2007 से केरल राज्य के ए.पी.एल. चावल कोटे में 82 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है।

महोदय, केरल में ए.पी.एल. कार्ड धारकों की संख्या लगभग 50 लाख है। इसके लिए 1,72,000 मीट्रिक टन जारी करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: इस समय इस प्रकार के सारे ब्यौरे नहीं दिये जा सकते। आपको इतना बड़ा विवरण नहीं पढ़ना चाहिए। आपको केवल मुद्दा उठाना है।

श्रीमती पी. सतीदेवी: केरल राज्य में कुल 1,43,888 मीट्रिक टन खाद्यान्न की कमी है। खुले बाजार के चावल की कीमत दिनो-दिन बढ़ रही है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं अनुमति नहीं दे सकता। यह कोई तरीका नहीं है। आप अवसर का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्रीमती पी. सतीदेवी: जी नहीं, महोदय।

चूंकि चावल का आवंटन उचित रूप में नहीं हुआ है इसलिए चावल के दाम बढ़ रहे हैं और केरल में इस समय एक किलो चावल का दाम 23 रुपया है। इससे लोगों को विशेषकर केरल की महिलाओं को बहुत कठिनाइयां पैदा हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश कुरूप आप अपने को इस मुद्दे से सम्बद्ध कीजिए।

श्रीमती पी. सतीदेवी: महोदय, केरल राज्य के लिए चावल के आवंटन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इस अवज्ञा को स्वीकार नहीं करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभी माननीय नेताओं द्वारा कई बार यह तय किया गया कि प्रश्न काल के तुरंत बाद राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पांच प्रश्नों को उठाने की अनुमति होगी और शेष मामलों को उस दिन की बैठक के अंत में उठाने की अनुमति होगी। मैंने पहले ही 14 माननीय सदस्यों को महत्वपूर्ण मामले उठाने की अनुमति दे चुका हूं। इसके बावजूद भी कोई भी सदस्य दलों की सोच या समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): एक सदस्यीय दलों को अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह अनुचित आरोप है। आपने नोटिस भेजना ठीक नहीं समझा, परन्तु आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाना बहुत आसान है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आप अभी-अभी नोटिस भेज रहे हैं। आप अध्यक्षपीठ को भाषण दे रहे हैं और स्वयं नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

एडवोकेट सुरेश कुरूप (कोट्टायम): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक अवसर प्रदान किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: जब तक आप अपने साथी को बैठने के लिए राजी नहीं करते हैं, तब तक मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। वह बोले जा रही हैं।

श्रीमती पी. सतीदेवी: महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रही हूं। महोदय, मैं सरकार से अनुरोध कर रही हूं कि देश की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, केरल राज्य को चावल का उचित आवंटन किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: यदि मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को दस मिनट बोलने की अनुमति देता हूं, तो हम कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। मैंने भी नोटस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका अत्यधिक आभारी हूं कि आपने नोटिस दिया है।

...*(व्यवधान)*

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, मैं इस बारे में सहबद्ध होना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केरल के सभी माननीय सदस्य इस मामले से सहबद्ध हो जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, मैं इस बारे में सबूत देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह स्थान सबूत देने के लिए नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. शर्मा, आपको मुझे संतुष्ट करना होगा कि आपका मामला केन्द्रीय सरकार से संबंधित है।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदय, यह मामला केन्द्रीय सरकार से संबंधित है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसका केन्द्रीय सरकार से कोई लेना-देना नहीं है।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, यह मामला केन्द्रीय योजनाओं से संबंधित है। महोदय, यह मामला केन्द्रीय सरकार से संबंधित है, इसलिए मैं इस मामले को उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह मामला केन्द्रीय सरकार से कैसे संबंधित है?

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, यदि मुझे केवल दो मिनट बोलने की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्षमा करें।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, केन्द्रीय सरकार की सर्व शिक्षा अभियान योजना ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, खेद है।

डा. अरुण कुमार शर्मा: इन योजनाओं में असम के गैर-प्रांतीय स्कूल शामिल नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, कृपया मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बिल्कुल ही अनुचित है।

...*(व्यवधान)*

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करें। यह मामला गंभीर खाद्य संकट से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: उसने इससे कुछ ज्यादा ही कहा है।

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, खुले बाजार में चावल का मूल्य बढ़ रहा है और इसी दौरान भारत सरकार ने एपीएल परिवारों के लिए चावल के कोटे में अत्यधिक कटौती की है। महोदय, इसमें लगभग 82 प्रतिशत कटौती की गई है। केरल सरकार ने मूल कोटा प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार को बार-बार ज्ञापन दिये हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि केरल सरकार द्वारा मांगा गया कोटा केरल के लोगों को तत्काल जारी किया जाए। अन्यथा, केरल को खाद्य की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ेगा। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे और पूरा कोटा जारी करे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा है कि केरल से सभी माननीय सदस्य इस मामले पर एकजुट हो रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं सभा को स्थगित कर दूंगा। आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.57 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया समझा जाएगा।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह केन्द्रीय सरकार से संबंधित मामला नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अन्य सभी मामले दिन के अंत में लिये जायेंगे।

(एक) तमिलनाडु के शिवगंगा की स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती वेलु नाचियार के सम्मान में स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिवसीय डाक कवर जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): हम सभी अंग्रेजों के खिलाफ पराक्रमी राजाओं और रानियों की वीरतापूर्ण लड़ाई के बारे में जानते हैं। विगत 60 वर्षों से भारत में उनके पराक्रम को मान्यता नहीं मिली है। एक ऐसा ही उदाहरण है तमिलनाडु में शिवगंगा की रानी, श्रीमती वेलु नाचियार द्वारा अदा की गई भूमिका जिसने झांसी की रानी से बहुत पहले 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों से मुकाबला किया था। परन्तु श्रीमती वेलु नाचियार को राष्ट्रीय मुख्यधारा द्वारा अभी मान्यता नहीं मिली है। शिवगंगा की रानी श्रीमती वेलु नाचियार का जन्म 1730 में हुआ था। उनका विवाह श्री मुत्थु वाडुगंथार के साथ हुआ था जिनकी अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए 25.06.1772 को मृत्यु हो गई थी, उस समय उनका एक बच्चा था। तत्पश्चात्, श्रीमती वेलु नाचियार सिंहासनारूढ़ हुई और उसने अपना राज्य बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लगभग 8 वर्ष तक लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों के खिलाफ उसकी अथक और दृढ़तापूर्वक लड़ाई के कारण उसने शिवगंगा को अंग्रेजों से पुन: प्राप्त किया और यह सिद्ध किया कि वह उस समय की पराक्रमी, निर्भीक और साहसी महिला है। इसके बाद लगभग दस वर्ष तक उसने शिवगंगा पर राज किया। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि श्रीमती वेलु नाचियार के सम्मान में स्मारक डाक टिकट और 'फर्स्ट डे पोस्टल कवर' जारी किया जाए।

---

*सभा पटल पर रखे गये।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के हैवलाक द्वीप में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोले जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लोगों ने पोर्ट ब्लेयर से जलमार्ग से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हैवलाक द्वीप में भारतीय स्टेट बैंक की एक नई शाखा स्थापित करने की मांग की है। यद्यपि बैंक की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उस क्षेत्र में व्यवसाय की सम्भावना काफी कम है फिर भी मुझे विश्वास है कि बैंक की शाखा खुलने से लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा और व्यवसाय स्वत: ही बढ़ जाएगा। अत: मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि दूरदराज के द्वीपों में रह रहे लोगों के मद्देनजर अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् वाणिज्यिक रूप से लाभकारी प्रस्ताव तैयार करके भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएं।

(तीन) गुजरात के साबरकांठा जिले में मोदसा और शमलाजी के बीच एक रेल संपर्क के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, वर्ष 2007-08 में लोक सभा में रेलवे की मांगों का जवाब देते हुए रेल मंत्री जी ने पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत गुजरात के साबरकंठा जिले में मोदसा-शमलाजी मिशन रेल संपर्क परियोजना की स्वीकृति की घोषणा की थी। मोदसा-शमलाजी मिशन रेल संपर्क परियोजना की स्वीकृति की घोषणा से साबरकंठा के पिछड़े क्षेत्र विशेषकर मोदसा और धनसुरा क्षेत्र के लोग बहुत आशान्वित हुए थे।

परन्तु इस घोषणा के बावजूद इस रेल सम्पर्क योजना पर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है।

अत: मैं निवेदन करता हूं कि मोदसा-शमलाजी मिशन रेल परियोजना पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य शुरू किया जाए।

(चार) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत बकाया भुगतान राशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में कृषि फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का भुगतान गत डेढ़ सालों से नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में हमने जब इसका कारण जानने की कोशिश की थी तो कृषि बीमा कम्पनी आफ इंडिया लि. अहमदाबाद से पता चला कि केन्द्र सरकार ने अपने अंशों का भुगतान अभी तक नहीं किया है जिसके चलते कृषि फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को अभी तक 97 करोड़ 80 लाख के लगभग का खरीफ फसल, 2006 का भुगतान गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में नहीं हो सका है। इस बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का भुगतान नहीं होने से किसानों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई है क्योंकि वह बैंकों के ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि सहकारी बैंकों ने अपना भुगतान कर दिया है, परन्तु सरकारी बैंकों ने इसका भुगतान डेढ़ साल से रोक रखा है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकारी बैंक अपने अंशों का भुगतान तत्काल करें जिससे डेढ़ साल से लम्बित बीमा राशि का भुगतान किसानों को किया जा सके।

(पांच) रेवाड़ी-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन को राजस्थान में अलवर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, उत्तर रेलवे के रिवाड़ी स्टेशन से दिल्ली के बीच लगभग आधा दर्जन गाड़ियां जिन्हें आर.डी. (रेवाड़ी-दिल्ली) कहा जाता है, चलती हैं, जिनमें दैनिक यात्री आवागमन करते हैं। मेरी रेल मंत्री जी से प्रार्थना है कि इनमें से कम से कम एक जोड़ा गाड़ी को अलवर तक बढ़ाया जाये। उत्तर पश्चिम रेलवे का अलवर स्टेशन रिवाड़ी से लगभग 50 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले अलवर जिले के अलवर खैरतल, अजरका-बाबल स्टेशनों से सैकड़ों यात्री सुबह शाम दिल्ली जाते व आते हैं। अत: आर.डी. गाड़ी के एक जोड़े को अलवर तक बढ़ाया जाये।

(छह) अधिसूचित जनजातियों (डिनोटिफाइड ट्राइब्स) को नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हरिभाई राठौड़ (यवतमाल): महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्ष बीत जाने पर आज भी देश में अनधिसूचित जनजातियां सबसे पिछड़ा समुदाय है। उनकी दुर्दशा, पिछड़ेपन और दीन-हीन हालात को देखते हुए अनधिसूचित जनजातियों के लिए संविधान में तीसरी अनुसूची बनाकर संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि अनधिसूचित जनजातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के समान रोजगार में आरक्षण, पदोन्नति

आदि जैसे सभी लाभ मिल सकें। सरकार द्वारा अनधिसूचित जनजातियों के संबंध में विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु गठित अनधिसूचित जनजाति आयोग ने भी सरकार के विचारार्थ अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। मुझे आशा है कि सरकार इसके कार्यान्वयन हेतु शीघ्र निर्णय लेगी। अब समय आ गया है कि सरकार अनधिसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक लाकर संविधान में संशोधन करे।

(सात) बिलासपुर (छत्तीसगढ़) और मांडला (मध्य प्रदेश) को जोड़ने वाली एक नई रेलवे लाइन को बिछाने की संस्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): महोदय, बिलासपुर से मंडला नई रेल लाइन बिछाने का प्रकरण केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है। लगभग कई वर्षों से सर्वे किया गया और कई बार सर्वे हो चुका है किन्तु अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई। इसमें करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं। उक्त मार्ग की लंबाई 115 कि.मी. है जिसके बनने से बिलासपुर से मंडला के जुड़ने से पूरे देश को आवागमन की सुविधा मिलेगी जैसे बिलासपुर से मण्डला, जबलपुर से रायपुर, अमरकंटक, बिलासपुर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, बनारस आदि के लोगों को सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार, उद्योग-धंधों के पनपने से उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। उक्त लाइन के बनने से रेलवे विभाग द्वारा बिलासपुर मंडला जिले में कोयला, बाक्साइट, लोहा, डोलामाइट की खदानों तथा भिलाई के कारखानों से लोहे की ढुलाई से रेलवे की आमदनी बढ़ेगी।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सर्वे पर पुन: विचार कर प्लानिंग कमीशन में भेजकर बिलासपुर से मण्डला नई रेल लाइन बिछाने की स्वीकृति दी जाये।

(आठ) गुजरात के कच्छ में कोरीक्रिक क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे और पत्तन संबंधी कार्यकलाप शुरू करने हेतु "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, गुजरात सरकार के पत्तन और परिवहन विभाग ने 16.8.07 को लिखे गए अपने पत्र के माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) से पत्तन सुविधाओं के विकास हेतु कोरी खाड़ी (क्रीक) क्षेत्र में निजी कम्पनियों द्वारा सर्वेक्षण और जांच कार्य कराये जाने की अनुमति मांगी थी। बीएसएफ के महानिदेशक ने दिनांक 23.10.2007 को लिखे अपने पत्र के माध्यम से गुजरात सरकार के पी एंड टी. विभाग से कोरी खाड़ी क्षेत्र में जल सर्वेक्षण और पत्तन संबंधी गतिविधियों के संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय से संपर्क करने के लिए कहा। तदनुसार गुजरात सरकार के पी. एंड टी. विभाग ने 30.11.2007 के अपने पत्र के माध्यम से गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का निवेदन किया। भारत सरकार के प्रत्युत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

अत: मैं, सरकार से आग्रह करता हूं कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के कार्य में शीघ्रातिशीघ्र तेजी लायी जाए।

(नौ) राजस्थान के उन किसानों, जिनकी फसल पाला और शीतलहर के कारण बर्बाद हो गई है, को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, राजस्थान में रबी मौसम की सभी फसलों पर शीतलहर और पाला पड़ने से बहुत नुकसान हुआ है। इसे प्राकृतिक आपदा मानते हुए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से प्रभावित किसानों को तत्काल विशेष सहायता दिया जाना अत्यावश्यक है। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष अधिसूचित सूची में शीतलहर व पाला से होने वाले नुकसान को शामिल करें। इस शीतलहर से राजस्थान में सरसों, जौ, धनिया, चना, इसबगोल और सब्जियों आदि की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है और कई जिलों में तो ये खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। राज्य सरकार ने गिरदावरी के पश्चात अनुमान लगाया है कि 200 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि शीघ्र आबंटित की जाए जिससे कि किसानों को शीघ्र सहायता उपलब्ध करवायी जा सके।

इसलिए मेरी इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग है कि वर्तमान में राज्य सरकार को किसी प्रकार से यह अतिरिक्त राशि आबंटित की जाए।

(दस) गुजरात के भरूच में जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरक्षित वन क्षेत्रों तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को अधिशासित करने वाली विधि में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): महोदय, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि फोरेस्ट रिजर्व

[श्री मनसुखभाई डी. वसावा]

कानूनों एवं वन्य जीव कानूनों के माध्यम से आदिवासियों को उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के अवसर नहीं मिल रहे हैं। आदिवासी आजादी के 60 साल के बाद नारकीय जीवन बिताने पर मजबूर हो रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच नर्मदा जिले के झगडीया डेडोयापड़ा साग सारा राजयीयला के 100 से ज्यादा गांवों में इन दोनों कानूनों के तहत आदिवासी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें बनाने की मंजूरी नहीं मिल रही है, सिंचाई योजना को मंजूर नहीं किया गया है। बिजली, दूरदर्शन एवं टेलीफोन की सुविधा से इन आदिवासियों को वंचित होना पड़ रहा है, पेयजल के लिए चार से पांच किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। 85 प्रतिशत लोग आज अशिक्षित हैं। ग्रामीण विकास का पैसा विकास कार्यों की मंजूरी नहीं मिलने से वापिस हो गया है। गत दो माह से मेरे संसदीय क्षेत्र में 100 से ज्यादा गांवों में कोई भी योजना से पक्की सड़कें नहीं बनी हैं और आदिवासियों द्वारा धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं। इन कानूनों के कारण आदिवासियों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन कानूनों में संशोधन किया जाये और संपूर्ण कार्य करने हेतु पैकेज दिया जाए, जिससे आदिवासी सम्माननीय जीवन जी सकें और अपने बच्चों का विकास कर सकें।

(ग्यारह) केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले चावल और गेहूं का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): महोदय, देश भर में आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर खाद्यान्न की कीमतें बढ़ रही हैं। खाद्यान्न की कमी वाला राज्य होने के कारण केरल पर कीमतों में वृद्धि का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल और गेहूं की कीमतों में वृद्धि हो रही है और बाजार में भी खाद्यान्नों की कमी है। राज्य में गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वालों (एपीएल) के लिए चावल के आबंटन में कमी किया जाना इस अभूतपूर्व कीमत वृद्धि का एक मुख्य कारण है। सरकार ने 1,13,420 मीट्रिक टन आबंटन को घटाकर 21,334 मीट्रिक टन कर दिया है, जिसके कारण मासिक वितरण में 92,086 मीट्रिक टन की कमी हो गयी है। इसी तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं की भी कमी है।

राज्य में गेहूं की बढ़ती मांग के मद्देनजर राज्य में चावल और गेहूं के पूर्व आबंटन कोटे की मात्रा बढ़ायी जाए।

(बारह) बुन्देलखंड क्षेत्र के सूखा प्रभावित लोगों को राहत दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े बुन्देलखंड क्षेत्र में लगातार चार वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं (वर्तमान में सूखे से उत्पन्न भुखमरी, लाचारी, बेबसी जैसी विकट समस्याओं) का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इस विषय को लेकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के माननीय सांसदों ने अति पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग सदन के माध्यम से एवं मा. प्रधानमंत्री जी से दिनांक 25.08.2006 एवं 11.12.2006 को मिल कर क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण हेतु की थी किंतु अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं जिससे बुन्देलखंडवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कुएं, तालाबों, हैण्डपंपों, नलकूपों, बांधों एवं नदी-नालों में पानी न होने के कारण भारी पेयजल संकट आ खड़ा हुआ है। किसानों की जमीन खाली पड़ी हुई है। धरती कई जगहों पर अचानक फट गयी है। किसानों के सामने अनेकों समस्याएं पैदा हो रही हैं। किसान व मजदूर वर्ग काम न मिलने के कारण कर्जे एवं भुखमरी के कारण आत्महत्या तक करने को मजबूर हो गया है। पशुओं के लिए पानी एवं चारे की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। बड़े-बड़े काश्तकार दाने-दाने के लिए तरस रहे हैं। क्षेत्र में सभी के लिए रोजगार न होने के कारण भारी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। केन्द्र सरकार को इस भयानक स्थिति के बारे में केन्द्रीय अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। किंतु, अभी तक कोई घोषणा नहीं की गयी है।

अत: सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि किसानों का कर्जा मूलधन सहित माफ किया जाये तथा राष्ट्रीय आपदा घोषित कर पीड़ित परिवार के लोगों को वर्षभर खाने-पीने तथा पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता, सिंचाई एवं पेयजल, पशुओं के लिए चारे की व्यापक व्यवस्था, नौजवानों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकने की व्यवस्था, योजना आयोग के केन्द्रीय अध्यक्ष दल की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर सदन के पटल पर रखकर तुरंत क्षेत्रीय लोगों की मांग के अनुसार युद्धस्तर पर सहायता उपलब्ध करायी जाये।

(तेरह) बिहार के समस्तीपुर में "कर्पूरी बांध" के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर अंतर्गत कर्पूरी बांध के अधूरा रहने के कारण पिछले बाढ़ में समस्तीपुर का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा बुरी तरह प्रभावित

हुआ साथ ही इससे प्रभावित बाढ़ पीड़ितों को राहत एवं मुआवजा मिलने में भी कई विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी रिकार्ड में इसका पूरा ब्यौरा भी मौजूद नहीं है जिससे भी कई प्रशासनिक परेशानियों का सामना प्रशासन को करना पड़ता है। इसी जिले के अंतर्गत नून नदी का समस्तीपुर के मोदिउद्दीन नगर के पास गंगा नदी से जुड़े नहीं होने के कारण बाढ़ की स्थिति भयावह हो जाती है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जननायक स्व. कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को साकार करने हेतु सर्वप्रथम उक्त कर्पूरी बांध को पूरा कराया जाये साथ ही नून नदी एवं गंगा नदी को जोड़ा जाए ताकि भविष्य में समस्तीपुरवासियों को बाढ़ की विभिषिका से निजात मिल सके।

(चौदह) महाराष्ट्र के परभनी में एक फूड पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र परभनी कृषि उत्पादित क्षेत्र है एवं यहां के किसान परिवार का मुख्य व्यवसाय कृषि है। उनका लालन-पालन भी कृषि पर निर्भर है। इस क्षेत्र में मराठावाड़ कृषि विद्यापीठ है जहां से हर साल कृषि पदवीधर कृषि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कृषि पदवीधर की शिक्षा के बाद उनको कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण कृषि पदवीधर बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, कृषि विकास, कृषि तकनीकी का प्रयोग करने एवं किसानों को और समृद्ध करने हेतु मराठावाड़ कृषि विद्यापीठ ने परभनी में एक फूड पार्क स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि परभनी में प्रस्तावित फूड पार्क को तत्काल मंजूरी प्रदान की जाये।

(पन्द्रह) उड़ीसा सरकार को विद्युत उत्पादन पर शुल्क लगाए जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उड़ीसा में कोयले के विपुल भंडार हैं। उड़ीसा विद्युत की अधिशेष आपूर्ति वाला राज्य है और यह अन्य राज्यों को विद्युत की पूर्ति करता है। चूंकि विद्युत शुल्क केवल खपत पर ही लगाया जा सकता है इसलिए विद्युत लेने वाले राज्य को फायदा होता है जबकि आपूर्ति करने वाले राज्य को विद्युत उपलब्ध कराने के समय विद्युत लेने वाले राज्य को खनन के कारण पर्यावरणीय अवक्रमण जैसे बाह्य रूप से नकारात्मक प्रभाव को सहन करना पड़ता है। विद्युत उत्पादन हेतु कोयले के खनन और कोयले की खपत का न सिर्फ उत्पादित राख के कारण बल्कि ताप विद्युत संयंत्रों वाले क्षेत्र में परिवेशी तापमान में वृद्धि के कारण भी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारी मात्रा में राख के निपटान की समस्या का अब तक संतोषजनक तरीके से हल नहीं किया गया है उदाहरण के लिए कनिहा, तालचर स्थित 3000 मेगावाट वाले एनटीपीसी सुपर थर्मल प्लांट में फ्लाई ऐश का उपयोग लगभग अपने आप में अद्वितीय है। ब्राह्मणी बेसिन में कोयला क्षेत्र में वन क्षेत्र का घटना और जल निकायों में प्रदूषण चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया है।

वर्तमान व्यवस्था के तहत उड़ीसा न तो विद्युत उत्पादन से कोई आय प्राप्त करता है और न ही खुदरा उपभोक्ताओं द्वारा खरीद पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले विद्युत शुल्क से हिस्सा प्राप्त करता है। यदि उड़ीसा में 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है और उसे दे दिया जाता है तो विद्युत लेने वाला राज्य 100 करोड़ रुपये तक विद्युत शुल्क प्राप्त करता है। विद्युत उत्पादन पर शुल्क लगाने की अनुमति देकर इस स्थिति में परिवर्तन किया जाना चाहिए अथवा उत्पादित विद्युत का प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय सरकार की विद्युत उत्पादक कंपनियों द्वारा राज्य को निशुल्क दिया जाना चाहिए जैसा कि हाइड्रो पावर जनरेशन के मामले में है।

(सोलह) महाराष्ट्र के कोल्हापुर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर): महाराष्ट्र राज्य में कोल्हापुर जिला औद्योगिक कार्यकलाप और सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों का केंद्र है। जिले में पांच औद्योगिक संपदाओं के अतिरिक्त महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के अंतर्गत कोल्हापुर के निकट कगल में एक और नई पांच सितारा औद्योगिक संपदा बनी है। ये औद्योगिक संपदाएं पश्चिम और मध्य पूर्व देशों को विभिन्न तकनीकी कलपुर्जों और विनिर्मित वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। इनके अतिरिक्त कोल्हापुर से चमड़े की विभिन्न वस्तुओं, वस्त्र की तैयार वस्तुओं, गुड़ और चीनी का निर्यात किया जाता है।

ये सभी विनिर्माण इकाइयां सांगली, कोल्हापुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आदि में स्थित हैं और इन सब जिलों का केंद्र कोल्हापुर है। इन सब निर्यातक घरानों से पासपोर्ट प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या में हाल के वर्षों में भारी वृद्धि हुई है। चूंकि वर्तमान पासपोर्ट कार्यालय पुणे में स्थित है इसलिए इन सभी व्यक्तियों को पुणे जाकर एक या दो दिन तक ठहरना पड़ता है और इससे काफी समय और पैसा बर्बाद होता है।

पासपोर्ट के लिए प्रतिदिन 100 से अधिक आवेदन होते हैं और पासपोर्ट बनवाने के लिए पुणे की यात्रा करना इन सभी

[श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक]

व्यक्तियों के लिए बहुत असुविधाजनक होता है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कोल्हापुर स्थित मौजूदा विमानपत्तन के रनवे का निकट भविष्य में विस्तार किया जाएगा और विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि कोल्हापुर में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किया जाए ताकि विदेश जाने वाले यात्रियों को आसानी से समय पर पासपोर्ट प्राप्त करने की सुविधा मिल सके।

(सत्रह) पश्चिम बंगाल के किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): पश्चिम बंगाल के किसान उर्वरकों की अत्यंत कमी की स्थिति का सामना कर रहे हैं। 'इफको' किसानों की ग्रामीण सहकारिता, प्राथमिक कृषि सहकारिता को रसायन उर्वरक की आपूर्ति करने हेतु लगभग अनिच्छुक है। व्यापारी मूल्य बढ़ाकर भारी मुनाफा कमाने के इस अवसर का फायदा उठा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार ने हस्तक्षेप करने और 'इफको' के बकाया शेष को चुकता करने का अनुरोध करते हुए कृषि तथा रसायन और उर्वरक मंत्री को भी पत्र लिखे हैं ताकि पर्याप्त उर्वरक की आपूर्ति की जा सके। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल में तत्काल इस मुद्दे पर विचार करे और पश्चिम बंगाल में किसानों के हित की रक्षा करे।

(अठारह) पात्र अनुसूचित जाति परिवारों को सरकारी सुविधाएं देने के उद्देश्य से पंजाब में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की जनगणना कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जोरा सिंह मान (फिरोजपुर): महोदय, सन 2002 में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों का सर्वेक्षण किया गया था जो कि बहुत पुराना है और ठीक नहीं है जिसकी शर्तों के अनुसार पंजाब के सभी गरीब परिवार कवर नहीं होते। जिस कारण सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहूलियतें जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। पंजाब में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की गिनती 5.23 लाख है, परन्तु पंजाब में अनुसूचित जाति परिवारों की गिनती 13 लाख है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि बीपीएल सर्वेक्षण दोबारा करवाया जाये ताकि जरूरतमंद लोगों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहूलियतें मिल सकें।

(उन्नीस) असम में होम गार्ड्स की सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): सरकार का ध्यान असम में 58000 होम गार्डों के भाग्य की ओर आकृष्ट कराया जाता है जो अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। असम होम गार्ड अधिनियम, 1947 के अंतर्गत भर्ती किए गए होम गार्डों को स्वैच्छिक पुलिस संगठन माना जाता है और उन्हें केवल ड्यूटी के दिन के लिए प्रतिदिन 100 रुपये का भत्ता दिया जाता है। उनकी किसी सेवा में नियमित नियुक्ति का प्रावधान नहीं है क्योंकि उनकी सेवा तभी ली जाती है जब सरकार को उनकी आवश्यकता होती है। उन्हें मजबूरन लगातार कई वर्षों तक बेरोजगार रहना पड़ता है। उग्रवाद प्रवण क्षेत्र में इतने अधिक युवा प्रशिक्षित व्यक्तियों का खाली बैठे रहना देश के लिए नुकसानदेह है। उनके दैनिक वेतन और नियुक्ति की अनिश्चितता प्रायः गुणवत्ता में कमी का अप्रिय माहौल उत्पन्न करती है।

यद्यपि राज्य सरकारों द्वारा उनको भर्ती करके प्रशिक्षित किया जाता है और नियुक्त किया जाता है। वहां पर राष्ट्र द्वारा भूमिका निभाने की आवश्यकता है जहां उनका कम उपयोग किया जाता है और उन्हें जैसी मूलभूत सुविधाओं टीए/डीए, सभी चिकित्सा सुविधाओं, ड्यूटी के समय मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि, बीमा आदि से वंचित रखा जाता है।

इसलिए मैं, सरकार से आग्रह करता हूं कि वह लगभग ऐसे 50 लाख प्रशिक्षित होम गार्डों की सेवा शर्त के मामले में हस्तक्षेप करे और राष्ट्र के हित में उनकी नियमित नियुक्ति तथा जीविका के लिए केंद्रीय पैकेज दे। उनकी सेवा शर्त को युक्तिसंगत बनाने और देश में किन्हीं अन्य सुरक्षा बलों की तरह उनकी नियमित नियुक्ति और वेतन को सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय कानून होना चाहिए।

(बीस) राष्ट्रीय राजमार्ग 31क द्वारा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से होकर सिक्किम तक आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री नकुल दास राई (सिक्किम): पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में चल रहे गोरखा आंदोलन से सिक्किम राज्य में अर्थव्यवस्था और जन जीवन ठप्प हो गए हैं। स्थिति और भी खराब हो गई है क्योंकि पेट्रोल टैंकरों को राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है।

इस प्रकार की समस्याएं वर्ष 1985 से हो रही हैं जब गोरखा आंदोलन शुरू हुआ था। इसके अलावा, राजमार्ग 31-ए, जो शेष भारत से सिक्किम का एक मात्र संपर्क मार्ग है पर विभिन्न दलों की राजनैतिक गतिविधियां भी राष्ट्रीय यातायात को प्रभावित कर रही हैं। दार्जिलिंग में राजनैतिक गतिविधियों के कारण सिक्किम जाने वाले पर्यटक, अन्य यात्री और मालवाहक वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग 31-ए पर अक्सर फस जाते हैं। यदि दार्जिलिंग में वर्तमान आंदोलन जारी रहता है तो सिक्किम में आवश्यक वस्तुओं यथा पेट्रोल और खाद्यानों की भारी कमी हो जाएगी। इससे राज्य के पर्यटन उद्योग और परिणामस्वरूप इसकी अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

यह दु:खद है कि सिक्किम की समस्याओं का उपयुक्त रूप से हल नहीं किया जा रहा है। राज्य में स्थानीय प्रशासन के कारण नहीं अपितु पड़ोसी राज्य में व्याप्त स्थितियों के कारण अक्सर जन जीवन प्रभावित होता है। सिक्किम सर्वाधिक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य रहा है और देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बन सकता है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 31-ए के माध्यम से सिक्किम तक आवश्यक वस्तुओं की अबाधित आपूर्ति के लिए कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 12.571/2 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 18 लेगी। श्री अधीर चौधरी भाषण जारी रखेंगे।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की विषय-वस्तु और उसमें व्यक्त नीतिगत ढांचे से पहले ही अच्छा संदेश गया है जिससे हमारे देश की आम जनता को खुशी होगी।

अपराह्न 12.58 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन* हुए]

महोदय, गांधी जी ने एक बार कहा था, "मैं पथ को जानता हूं। पथा संकरा और सीधा है। यह तलवार की धार जैसा है। मुझे इस पर चलने में आनन्द आता है। जब मैं इससे विमुख होता हूं तो रोता हूं। यह बिलकुल सही है कि "जो संघर्ष करता है वह कभी नष्ट नहीं होता।"

महोदय, हमारे देश में द्वेष रखने वाले कुछ लोगों ने हमारे माननीय प्रधान मंत्री की मृत्यु की इच्छा से हवन करने का दुस्साहस किया। लेकिन, 'मेरे मन कछु और है, कर्ता के कछु और।' यही सार्वभौमिक सत्य है।

महोदय, हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य किया है। मैं देवबन्द मदरसे की घोषणा की प्रशंसा करता हूं जिसमें कहा गया है कि इस्लाम धर्म में हिंसा की कदापि अनुमति नहीं है।

अपराह्न 1.00 बजे

हिंसा और आतंकवाद इस्लाम विरोधी और राष्ट्र-विरोधी हैं। मैं समझता हूं कि मदरसे से ऐसी घोषणा से भारत ही नहीं अपितु विश्व भर के लोगों में सकारात्मक संदेश जाएगा।

हम जानते हैं कि खुदा के फरिश्ते हजरत पैगंबर ने भी केवल डेढ़ दिन लड़ाई लड़ी थी; अपने संपूर्ण मसीही जीवन में उन्होंने बद्र, हुनाइन और उहद की लड़ाई लड़ी। इस्लाम ऐसा धर्म है जिसका प्रचार शांति के संदेश के बल पर हुआ न कि तलवार के बल पर। हमारे देश के हिन्दु कट्टरपंथियों को समझना चाहिए कि वेदान्त में भी यही कहा है कि पहले व्यक्ति को उसके वास्तविक रूप में जानो। इसका संदेश यही है: "यदि आप अपने बंधुओं का सम्मान नहीं कर सकते जो साक्षात भगवान का ही रूप हैं तो आप अमूर्त भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं?"

कल मुझे धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्ष के नेता के योगदान के बारे में ज्ञात हुआ। एक ऐसे व्यक्ति जिसे वास्तविक अथवा काल्पनिक, भावी प्रधानमंत्री के रूप में चित्रित किया गया है, द्वारा दिए गए तुच्छ तर्कों के बारे में जानकर मुझे कुछ निराशा हुई। तर्क दिया गया कि समावेशी वृद्धि का अस्तित्व ही नहीं है। समावेशी वृद्धि का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमारी अर्थव्यवस्था को अपनी व्यापक भिन्नताओं को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। विभिन्न लोगों को आधुनिक राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता से ही समावेशन उत्पन्न होता है। यही हमारी सरकार का मुख्य मुद्दा है। यह राष्ट्र की उस परियोजना का अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य बेहतर अर्थव्यवस्था और मजबूत देश है। समावेशन का सदैव यही अर्थ रहा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए सृजनात्मकताओं का अधिकतम उपयोग होना चाहिए—क्योंकि हम अपने राष्ट्र में समृद्धि, शांति और विकास देखना चाहते हैं—जहां हमारी राष्ट्रीय

[श्री अधीर चौधरी]

अस्मिता और हमारी लोकतांत्रिक संस्थान अक्षुण्ण हों। समावेशी वृद्धि का अर्थ है कि घृणास्पद सामाजिक ढांचे का स्थान लोकतांत्रिक संस्थाएं लें।

यदि आप राष्ट्रपति के भाषण को पढ़ें तो आप पाएंगे कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सकल बजटीय सहायता आबंटन में काफी वृद्धि हो रही है। शिक्षा संबंधी परिव्यय दसवीं योजना की केन्द्रीय सकल बजटीय सहायता के 7.68 प्रतिशत से बढ़कर ग्यारहवीं योजना में 19 प्रतिशत से अधिक हो गया है। कृषि, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास परिव्यय में तीन गुणा वृद्धि हुई है। शिक्षा को मिलाकर, इन क्षेत्रों के लिए बजटीय सहायता केंद्रीय सकल बजटीय सहायता के आधे से भी अधिक है जो दसवीं योजना में 1/3 से भी कम थी। यह योजना प्राथमिकताओं में एक मुख्य ढांचागत बदलाव है जिसका उद्देश्य असमानताओं को कम करना और लोगों को सशक्त बनाना है।

समग्र विकास का अर्थ आम आदमी को शक्तियां प्रदान करना है। इस उपलब्धि के लिए सामाजिक क्षेत्र में धन लगाया जाना चाहिए और सत्ता में आने के बाद से ही यह सरकार इसके लिए प्रयासरत है।

महोदय, संप्रग सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में तीन वर्ष की अवधि में कृषि ऋण को दुगना करने की घोषणा की गयी थी और इसे प्राप्त भी कर लिया गया है। पिछले वर्ष के दौरान 2,25,000 करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरित किया गया। कृषक समुदाय के तनावों और दबावों के मद्देनजर सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण पहले ही माफ कर दिया है जिससे देश में चार करोड़ कृषकों को लाभ होगा। परन्तु यहां प्रश्न उठाया जा रहा है कि इतनी धनराशि कैसे सृजित की जाएगी। महोदय, धनराशि कैसे सृजित की जाए यह सरकार का कार्य है और उसका पहला उत्तरदायित्व भी है। जब हमारी अर्थव्यवस्था में 9 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है, तो मेरे विचार से तीन वर्षों में 60,000 करोड़ रुपये की धनराशि का सृजन बहुत बड़ी बात नहीं है। यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है और बैंकिंग क्षेत्र को 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष दी जानी है। महोदय, कर भुगतान के संबंध में प्रफुल्लता की स्थिति है। प्रत्यक्ष कर में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है। अब भारत की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डालर की हो गई है। अतः, मैं समझता हूं कि 60,000 करोड़ की धनराशि प्रदान करना सम्भव है और धनराशि जुटाने का कार्य सरकार का है।

महोदय, यह तर्क दिया जा रहा है कि संप्रग शासनकाल में कृषक समुदाय आत्महत्या कर रहा है। महोदय, आप भलीभांति जानते हैं कि कृषक समुदाय वर्षों से आत्महत्या कर रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। परन्तु 1980 के दशक में इस प्रवृत्ति को नोटिस किया गया। क्या मैं विपक्ष के नेता से यह पूछ सकता हूं कि राजग के छह वर्षों के शासनकाल के दौरान कृषक समुदाय को क्या लाभ प्रदान किया गया? उन्हें स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि वे ऋण माफी के पक्ष में हैं या नहीं। ऋण माफी के बारे में जानकारी मिलने पर कृषक समुदाय के खुशी मनाने से राजग के लोग हतोत्साहित हो गए हैं। कृषक समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए दो दिनों से सभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचायी जा रही है। महोदय, एक लोकोक्ति या कहावत है कि मुर्गा समझता है कि उसके बांग देने से ही रोज सूर्य उदय होता है। वे कृषक समुदाय को यह बताना चाहते हैं कि उनके द्वारा आवाज उठाने के कारण ही सरकार ऋण माफी प्रदान करने को बाध्य हुई है परन्तु बाद में वे हतोत्साहित हो गए जैसे कि मुर्गे को 'चिकनफ्लू' हो गया हो और निराश हो गए।

महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए कृषक समुदाय महत्वपूर्ण है। मैं नोबल पुरस्कार प्राप्त मिरडाल जी को उद्धृत करना चाहता हूं: ''कृषि क्षेत्र पर ही दीर्घकालिक आर्थिक विकास की जीत या हार निर्भर है।'' अतएव यह सरकार कृषि क्षेत्र की वृद्धि के प्रति ईमानदार है तथा कृषक समुदाय की बेहतरी के लिए उपाय किये गए हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मिस्टर चौधरी, आपकी पार्टी से और भी कई माननीय सदस्यों को इस डिबेट में भाग लेना है।

श्री अधीर चौधरी: महोदय पार्लियामेन्टरी अफेयर्स मिनिस्टर है।

[अनुवाद]

कृपया मुझे कुछ और समय दें।

महोदय, 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' के अंतर्गत 5 लाख से अधिक स्वसहायता समूहों को सहायता प्रदान की गयी है और इन स्वरोजगारियों में से 52 प्रतिशत महिलाएं हैं।

महोदय राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है:-

'फार्म पुनरुद्धार के लिए 25,000 करोड़ रुपए परिव्यय की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ...

मेरी सरकार ने विगत चार वर्षों में गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) में क्रमशः 50 प्रतिशत से अधिक और लगभग 33 प्रतिशत की अभूतपूर्व त्वरित वृद्धि की है।

अनुसूचित जातियों के लगभग 30 लाख बच्चों को लगभग 900 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है तथा 10 लाख से अधिक जनजातीय बच्चों के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम एक ऐतिहासिक विधान है जिसका उद्देश्य जनजातीय और परंपरागत वनवासियों की विगत वंचनाओं को दूर करना तथा भूमि पर उनके अधिकारों को उन्हें पुन: प्रदान करना है।

अपराह्न 1.11 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

महोदय, समग्र विकास को सही दिशा देने के लिए असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोत्तरी जैसे कदम उठाए गए हैं।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है:

"प्रधानमंत्री के नये पंद्रह सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास कार्यक्रमों का लाभ अल्पसंख्यकों को समतापूर्वक मिले। निर्दिष्ट अनुपात में विकास परियोजनाएं अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में स्थित होंगी और जहां संभव होगा, विभिन्न स्कीमों के तहत उद्देश्यों और परिव्ययों का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए विनिर्दिष्ट होगा। अल्पसंख्यकों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति सुधारने के लिए सच्चर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से हूं—यह क्षेत्र मुस्लिम जनसंख्या बहुल है। पिछले एक वर्ष से हम केंद्र सरकार से इस क्षेत्र की अल्पसंख्यक जनसंख्या के कल्याण के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक कैम्पस इस जिले में स्थापित करने का आग्रह कर रहे हैं।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह भी कहा गया है:—

"स्त्री साक्षरता द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण सामाजिक क्षेत्र में हमारे लिए एकमात्र सबसे बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन स्त्री साक्षरता में तेजी लाने को अपना प्रमुख लक्ष्य बनाएगा। भेदभावपूर्ण विधान को हटाकर, विद्यमान विधान को संशोधित करके और ऐसा नया विधान बनाकर जो महिलाओं को मकान और भूमि जैसी परिसंपत्तियों में समान मालिकाना अधिकार प्रदान करता हो, हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पूर्ण कानूनी समानता लाना चाहते हैं।"

बालकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है।

महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पूरे देश में लागू की गयी है। हम क्रांति में विश्वास रखते हैं। हम शांतिपूर्ण क्रांति में विश्वास रखते हैं और एनआरईजीएस के अंतर्गत एक शांतिपूर्ण क्रांति चलायी गयी है। महोदय, खून का एक कतरा बहाये बिना एक क्रांति लायी जा सकती है। महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण का यह विशिष्ट भाग है।

जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, वहां बहुत ही गलत तरीके से हिंसा फैली है। नन्दीग्राम की घटना ने पश्चिम बंगाल की धर्मनिरपेक्ष और उदार संस्कृति को नष्ट कर दिया है। महोदय, पश्चिम बंगाल में सरकार द्वारा किये गए उपायों के कारण और राज्य सरकार के अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण और सत्तापक्ष के बाहुबलियों की मिलीभगत के कारण सम्पूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली नष्ट सी हो गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका धन्यवाद। कृपया बैठ जाइए। मैं अब श्री अनन्त गीते को बोलने के लिए बुला रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के पन्द्रह माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मुझे एक मिनट का समय और दें। महोदय, जहां तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का संबंध है, विशेषकर पश्चिम बंगाल की अल्पसंख्यक जनसंख्या के मामले में मैं बताना चाहता हूं कि उन्हें काफी समय से उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। सच्चर कमेटी को केवल अल्पसंख्यकों की समस्याओं को ही नहीं देखना है इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया जाना प्रस्तावित था परन्तु लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया

[श्री अधीर चौधरी]

जा रहा है कि संप्रग सरकार अल्पसंख्यकों को खुश कर रही है। महोदय, अल्पसंख्यक अपनी पहचान के संकट से गुजर रहे हैं। देश के वास्तविक विकास के लिए उनकी असुरक्षा और उनमें हीनता की भावना को समाप्त किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री अधीर चौधरी: मेरा एक अंतिम मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैं इस संबंध में नोबल पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद यूनूस को उद्धृत करना चाहता हूं।

महोदय, पिछले वर्ष विश्व समुदाय द्वारा महात्मा गांधी के योगदान को मान्यता देते हुए 2 अक्तूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर हमारे पड़ोसी देश बंगलादेश के नोबल पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद यूनूस ने लिखा था। मैं इसे उद्धृत करता हूं:-

"एक ऐसा ढांचा जिसमें सहिष्णुता और अहिंसा, मानवता के प्रति सहृदयता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की गांधी जी की विचारधारा हो उसके अंतर्गत हम सब एक ऐसे विश्व का सृजन कर सकते हैं कि हमारी आने वाली संतति हम पर गर्व कर सके; हम एक ऐसे विश्व का सृजन कर सकते हैं जिसमें युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत और सहयोग से शान्ति प्राप्त की जा सके; हम ऐसे विश्व का सृजन कर सकते हैं जिसमें संसाधनों के उपयोग के संबध में हथियारों के निर्माण के बजाय गरीबों के जीवनस्तर में सुधार लाने को अधिमानता दी जाए; हम ऐसे विश्व का सृजन कर सकते हैं जो कि समृद्ध हो और जहां सभी शांतिपूर्वक रह सकें; हम ऐसे विश्व का सृजन कर सकते हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वप्नों को मूर्त रूप देने के लिए अपनी जन्मजात अपार सम्भावनाओं के उपयोग का अवसर मिल पाये; हम एक ऐसे विश्व का सृजन कर सकते हैं जहां गरीबी का अस्तित्व केवल संग्रहालयों में हो। हमें ऐसे विश्व का सपना देखना चाहिये और इसे मूर्तरूप देने के लिए कार्य करना चाहिए।"

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): उपाध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। जब महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सैंट्रल हाल में हो रहा था तब उनका अभिभाषण समाप्त होने पर उसी सैंट्रल हाल में, जो देश भर में पिछले कई वर्षों में डेढ़ लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, हमने उसका जिक्र किया। हम इस बात को जानते हैं कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, तो उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। यह जानते हुए भी, जिस प्रकार से देश में किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं, उस दुख और दर्द को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, जैसे ही महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण खत्म हुआ, हमने किसानों की आत्महत्याओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। हमने ऐसा सैंट्रल हाल में इसलिए किया कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भारत निर्माण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सर्वशिक्षा अभियान, सर्वभौमिक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना आदि सारी योजनाओं का जिक्र था। उन्होंने उन सारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए दोनों सदनों के सामने उस सैंट्रल हाल में यह कहा कि मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए किस प्रकार से कार्यरत है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि उनके पूरे भाषण में किसानों की आत्महत्याओं के बारे में कोई जिक्र नहीं था। किसानों के संदर्भ में खाली एक ही जिक्र उनका था कि सरकार ने प्रो. आर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में कृषि ऋणग्रसता पर एक विशेषज्ञ समूह की नियुक्ति की थी। उसकी रिपोर्ट अब प्राप्त हो गयी है तथा उनकी सिफारिशों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। इस एक सेंटेंस के अलावा इतनी बड़ी संख्या में जब किसान देश में आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कोई जिक्र नहीं था, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने उनका भाषण समाप्त होने के बाद इसका उल्लेख किया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष जी, इस बजट में वित्त मंत्री जी ने देश में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए 50 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की। ...*(व्यवधान)* नहीं, मैं आगे नहीं आ रहा हूं। जिस 50 हजार करोड़ रुपये की ऋण मुक्ति की घोषणा की है, उसका लाभ उन्होंने कहा कि तीन करोड़ स्माल फार्मर्स और एक करोड़ मार्जिनल फार्मर्स, मतलब चार करोड़ फार्मर्स को इसका लाभ होगा।

उसके लिए उन्होंने अपनी घोषणा में कहा है जिन किसानों की जमीन दो हेक्टेअर तक है और जो डिफाल्टर हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा, उनका सारा कर्जा माफ होगा। इसके अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा उन किसानों के लिए की है जिनके पास दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। उनका पूरा कर्ज माफ नहीं होगा, उनको पूरा 100 प्रतिशत वेवर नहीं मिलेगा, लेकिन उनके ऋण को रिशिड्यूल किया जाएगा और ऐसा करने के लिए यदि कोई पीनल इंट्रेस्ट या चार्जेज लगाए गए हैं तो उससे उनको माफी मिलेगी। इस तरह कुल 60,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है।

जब वित्त मंत्री जी यहां पर बोल रहे थे, मैं बार-बार खड़ा हो रहा था। मुझे खुशी नहीं हो रही थी कि मैं उनके भाषण में बाधा डालूं, लेकिन जिन किसानों ने आत्महत्या की, उसको लेकर देश में एक आन्दोलन शुरू हुआ है। पिछले कई वर्षों में लगभग डेढ़ लाख किसानों ने आत्महत्या की है और आत्महत्या करने वाले किसानों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में रही और महाराष्ट्र में भी विदर्भ क्षेत्र में सर्वाधिक किसानों द्वारा आत्महत्या की गयी। जब यह आत्महत्याओं का सिलसिला बढ़ा तो पिछले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं विदर्भ गए, वहां उन्होंने विदर्भ के किसानों के लिए एक पैकेज घोषित किया। उस समय वे नागपुर गए, किसानों से बातचीत की, उनका दुख-दर्द समझने का प्रयास किया और उसके बाद एक पैकेज घोषित किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस पैकेज के बाद भी किसानों द्वारा आत्महत्या करने का सिलसिला नहीं रुका, बल्कि उनकी संख्या बढ़ने लगी। जब विदर्भ और महाराष्ट्र में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाएं बढ़ने लगीं तो शिवसेना के प्रमुख श्री बाला साहब ठाकरे ने यह घोषणा की कि अब हम इसके आगे किसानों की आत्महत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और किसानों द्वारा जो आत्महत्या हो रही है, उसके विरुद्ध एक आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा। इसके बाद हमारे कार्याध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र विधान सभा के विन्टर सेशन के समाप्त होने के दो दिन बाद ही, पहला आंदोलन नागपुर में शुरू हुआ। विदर्भ के किसानों की आत्महत्या को लेकर नागपुर में बहुत बड़ी रैली हुई। उसके बाद शेगांव, पुणे, बीड, धुले आदि स्थानों पर रैलियां हुईं, जिनमें लाखों की संख्या में किसानों ने भाग लिया और इस तरह से किसानों की आत्महत्या को लेकर एक आंदोलन शिवसेना के द्वारा महाराष्ट्र में शुरू हुआ।

उपाध्यक्ष जी, आप जिस प्रांत से आते हैं, उस पंजाब प्रांत में भी किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है, जबकि पंजाब देश का पहले नंबर का राज्य है, इस प्रांत ने पूरे देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। एक समय ऐसा था कि हमें अपने दो वक्त के भोजन के लिए भी अनाज विदेशों से मंगवाना पड़ता था, आयात करना पड़ता था, इस स्थिति को हरित क्रांति में बदलकर पंजाब ने पूरे देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। दुर्भाग्यवश उस पंजाब में भी आज किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। इसके बाद पंजाब में भाजपा-अकाली दल ने भी आंदोलन शुरू किया, दिल्ली में धरना दिया गया और धीरे-धीरे देखते-देखते यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। बाद में तीसरी शक्ति के रूप में जाने जानी वाली समाजवादी पार्टी और टीडीपी आदि पार्टियां भी इसमें शामिल हो गयीं, इससे यह आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन गया जिसकी शुरूआत महाराष्ट्र से हुई थी। मैं बार-बार इसलिए खड़ा हो रहा था कि जिन विदर्भ के किसानों को इस घोषणा का लाभ नहीं मिलने वाला है।

मैं केवल आलोचना करने के लिए ही यह बात नहीं कह रहा हूं। यहां मंत्री जी बैठे हैं, मैं सरकार से खासतौर से प्रधान मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि मैं यह बात आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, मैं जो कुछ कह रहा हूं आप उसकी जांच कराएं। उसके बाद यदि मेरी कोई गलती है तो मैं अपनी बात वापस लूंगा और यदि मेरा कहना सही है तो सरकार को गम्भीरता से उस पर सोचना होगा आर उसे देखना होगा। इसलिए मैं पुन: यह कहना चाहता हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं, सरकार उसकी जांच कराए। जब यह घोषणा हुई तो सारे देश में यह माहौल पैदा हो गया कि अब तो सभी किसान कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। यह एक अच्छी घोषणा थी और सभी ने इसका स्वागत किया है कि किसानों के कर्ज माफ करने के लिए वित्त मंत्री जी ने बजट में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। यह कदम यदि पहले उठाया गया होता तो शायद कुछ हद तक किसानों की आत्महत्याओं में कमी हो सकती थी, वे रुक सकती थीं। लेकिन कहावत है कि देर आयद, दुरुस्त आयद। यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस मामले में यह कहावत भी सही नहीं उतरती है कि देर आयद, दुरुस्त आयद। मैंने जो कहा है कि आप इसकी जांच कराएं, तब आपको पता चलेगा कि देर आयद दुरुस्त आयद कहना भी सरकार के लिए उचित नहीं होगा। जब इस बात की घोषणा हुई तो पूरे विदर्भ के अंदर यह माहौल पैदा हो गया कि सारे किसान ऋण मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए मैं उस समय सदन में बार-बार कह रहा था कि

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

आपने जो दो हेक्टेयर की खेती वाले किसानों के लिए कर्ज माफ करने की बात कही है, विदर्भ में कपास का उत्पादन करने वाले किसान दो हेक्टेयर से ज्यादा खेती करने वाले हैं। वहां पर जितने भी किसानों ने आत्महत्या की है, वे किसान दो हेक्टेयर से ज्यादा खेती वाले हैं। जिन किसानों ने आत्महत्या की, जिसके लिए आंदोलन चला और उन आत्महत्याओं को रोकने के लिए सरकार ने यह घोषणा की, दुर्भाग्यवश स्थिति यह है कि विदर्भ में जिन किसानों ने आत्महत्या की, उन्हें इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): इतनी जल्दी क्यों ऐसी बात कह रहे हैं?

श्री अनंत गंगाराम गीते: पहले आप मेरी बात सुन लें।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: यह चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर है न कि सामान्य बजट पर। इस मुद्दे पर और स्पष्टीकरण दिये जा सकते हैं। फिर भी ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम आपकी बात अवश्य सुनेंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्त्री जी, आपका नाम लिस्ट में है। जब आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहना। अभी बीच में न बोलें।

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं केवल बजट की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने इसीलिए शुरू में स्पष्ट किया था कि आप इसकी जांच कराएं और यदि मेरी बात सही नहीं होगी तो मैं उसे वापस लूंगा और यदि सही हुई तो सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। आज यह वास्तविकता है कि विदर्भ के किसानों ने आत्महत्या की है, जिसका रिकार्ड राज्य सरकार के पास है और आप उसे मंगाकर देख सकते हैं कि वे सभी किसान दो हेक्टेयर से ऊपर की खेती वाले किसान हैं। इसलिए उन्हें इस घोषणा से कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि न तो उनका पूरा कर्ज माफ होने जा रहा है और न ही उन्हें 10,000 करोड़ रुपये का जो आपने अतिरिक्त प्रावधान किया है, उसका भी कोई लाभ मिलेगा। इससे विदर्भ में आज भी आतंक है और पहले से ज्यादा गुस्सा वहां के किसानों के मन में है कि कहीं हमारे साथ यह मजाक तो नहीं किया जा रहा है। विदर्भ के जिन किसानों को लेकर पूरे देश में आंदोलन चला, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो आतंक स्वाभाविक है। इसलिए विदर्भ के किसान पहले से ज्यादा गुस्से में हैं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मैंने इसका जिक्र किया है और तब भी मैंने इस बात को उठाया था, क्योंकि उस समय उनके अभिभाषण में यह बात नहीं थी। मैं जानता हूं कि उस समय बोलना उचित नहीं था, फिर भी मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी, क्योंकि इस बात का उनके अभिभाषण में उल्लेख नहीं था। लेकिन जब बजट पेश हुआ तो वित्त मंत्री जी ने इसकी घोषणा की। उस समय प्रधान मंत्री जी भी मौजूद थे। प्रधान मंत्री जी इस धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही बहस का उत्तर देंगे। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसकी जांच कराएं। मैं सरकार को इस संबंध में सुझाव देना चाहता हूं कि आपने जो दो हेक्टेयर की सीमा रखी है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप इसको दो हैक्टेयर से पांच हैक्टेयर कीजिए और जहां तक विदर्भ के काटन-ग्रोवर किसानों की आत्महत्याओं का सवाल है, उनके लिए कोई लिमिट नहीं रखनी चाहिए और उनको पूरी राहत मिलनी चाहिए। अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो जो घोषणा यहां हुई है उसका कोई फायदा उन परिवारों को नहीं मिलेगा। एक्ट वही रहेगा, आत्महत्याएं वैसी ही रहेंगी और यह सिलसिला खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार गंभीरता से इस बात पर विचार करे।

उपाध्यक्ष जी, एक तो यह किसानों का मामला है जो बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा मामला भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वह मामला महंगाई का है। इस पूरे अभिभाषण में महंगाई का कोई जिक्र नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महंगाई पर क्या कुछ है? जब महामहिम राष्ट्रपति जी बार-बार कहते हैं कि मेरी सरकार, तो सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए क्या प्रावधान किये हैं क्योंकि इस सारे अभिभाषण में महंगाई का कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद यहां पर जो बजट पेश किया गया, दुर्भाग्य से, वित्त मंत्री जी के भाषण में भी महंगाई को लेकर कुछ नहीं कहा गया। महंगाई बढ़ती जा रही है और वह आगे और बढ़ेगी। आम आदमी की जब बात की जाती है तो उसे क्या चाहिए? आम आदमी को दाल-रोटी चाहिए। लेकिन आज आम आदमी दाल भी नहीं खा सकता है, आज दाल का भाव 40 रुपये किलो से लेकर 60 रुपये किलो तक है। अरहर, चना या उड़द, कोई भी दाल आज सस्ती नहीं है। इसलिए "दाल-रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे" वाली कहावत को भी बदलना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि "सूखी रोटी खाएंगे, पानी पीकर जीएंगे"। आज गरीब को दाल-रोटी भी नसीब नहीं हो सकती है क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज 8.8 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ का जिक्र किया जाता है और महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी उसका जिक्र अपने अभिभाषण में किया है। जीडीपी ग्रोथ तो बढ़

रहा है, उसकी आलोचना का सवाल नहीं है, लेकिन किसी एक विशेष क्षेत्र में हमारा देश प्रगति करे और यह कहा जाए कि सारा देश प्रगति कर रहा है, यह ठीक नहीं है। आज देश की यही विडम्बना है। यह गरीब के साथ मजाक है। आज जो प्रश्नकाल चल रहा था उसमें दो प्रश्न लघु-उद्योग से संबंधित ते। एक प्रश्न का उत्तर देने वाले माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि यह जो लघु उद्योग हैं, माइक्रो-इंडस्ट्री है, इनमें सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर हैं। लघु उद्योग में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर हैं लेकिन ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां इंडस्ट्री नहीं हैं या बंद पड़ी हैं या चालू नहीं हैं। यह जो रीजनल असंतुलन है, इसे खत्म करने का काम लघु-उद्योगों ने किया था।

उपाध्यक्ष महोदय: कहीं-कहीं इंडस्ट्री शिफ्ट भी हो रही हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते: असंतुलन को दूर रकने का काम लघु उद्योगों ने किया था और इस संदर्भ में दो सवाल प्रश्नकाल में किए गए थे। एक प्रश्न था कि 79 आइटम्स ऐसे हैं जिनको डी-रिजर्व्ड किया गया है। ये सारे लघु-उद्योग में हैं जिनके ऊपर चीन छा गया है। उसका जिक्र कहीं भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है कि हमारे छोटे उद्योग, घरेलू उद्योग, काटेज इंडस्ट्री खत्म होने जा रही हैं। गांव में, रिपोट एरियाज में रोजगार के जो थोड़े बहुत अवसर थे, वे भी खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहीं उनका जिक्र नहीं है। आज चीन पूरी दुनिया में छा गया है। स्माल स्केल इंडस्ट्री से हम जो भी उत्पादन करते थे, उन आइटम्स की मैनुफैक्चरिंग में चीन छा गया है। लघु उद्योगों में, माइक्रो इंडस्ट्री में, काटेज इंडस्ट्री में हम जिन चीजों का निर्माण करते थे जैसे खिलौने, साइकिल, प्लास्टिक से बनी चीजें, बैटरी सैल और भी इसी तरह की चीजों के निर्माण में चीन छाया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ किसान और महंगाई, दो ही मुद्दों पर चर्चा की है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि किस तरह से चीन पूरी दुनिया पर छाया हुआ है और उसका कैसा कुप्रभाव हमारे देश पर पड़ा है। आज आप देख सकते हैं कि हर चीज आपको मेड-इन-चाइना दिखाई पड़ेगी। हमारा घरेलू उद्योग खत्म हो गया है। हमारे अरुणाचल के दोस्त यहां हैं, चीन की 1100 किलोमीटर की सीमा है। मैं केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से पिछले 15 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश गया था। आप जो भी चीज मार्केट से लेंगे, वह मेड-इन-चाइना दिखाई देगी। इस बार यूएन जनरल असेम्बली में आखिरी बैच था, उसमें अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मुझे अवसर मिला। वहां जब मुझे कुछ खाली समय मिला, तो मैं दोपहर को टहलने के लिए बाहर गया। तब मैंने सोचा कि जब न्यूयार्क आया हूं, तो कोई चीज खरीद कर ले जानी चाहिए, क्योंकि जब मैं घर जाऊंगा तो घरवाले पूछेंगे कि आप वहां से क्या लाए हैं? जब मैं डालर में चीजों की कीमतें देख रहा था और डालर्स को रुपयों में कन्वर्ट कर रहा था, तब हम भारतीयों की कोई चीज खरीदने की हिम्मत नहीं होती और हम केवल कीमत देख कर बाहर आ जाते हैं। लेकिन कुछ न कुछ तो हमें जरूर खरीदना था, इसलिए हमने एक चीज खरीदी—स्टेचू आप लिबर्टी आफ अमरीका, जो अमरीका का स्वतंत्रता का देवता है। वह स्टेचू दस डालर का था, लेकिन उस स्टेचू आफ लिबर्टी आफ अमरीका के नीचे स्टैम्प लगी हुई थी—मेड इन चाइना। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि यह हंसी का विषय नहीं है, यह बहुत गंभीर विषय है कि किस तरह से चीन आज भारत की उद्योग इंडस्ट्री पर छा गया है। सरकार को इस बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है कि हमारे छोटे उद्योगों को, इससे संबंधित इंडस्ट्री को कैसे बचाया जाए। यदि हमारे पास एडवांस टेक्नोलोजी नहीं है और टेक्नोलोजी के कारण हमारी इंडस्ट्री बीमार हो रही है, तो यह कोई कारण नहीं है कि हम इंडस्ट्री को ही बंद कर दें। यह कोई कारण नहीं बन सकता कि हम उस एरिया के रोजगार को ही खत्म कर दें। महंगाई जो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उससे आम आदमी परेशान है। आज सब्जी और दालें आम आदमी खरीद नहीं सकते हैं। दो वक्त का खाना भी उसके लिए मुश्किल हो चुका है। महंगाई आसमान को छूने लगी है, दाम दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दुर्भाग्य से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मेरा सुझाव है कि सरकार को महंगाई की तरफ गम्भीरता से सोचना चाहिए और उसे रोकने के लिए प्रयास करने चाहिएं। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसे रोकना चाहिए। उतना ही महत्वपूर्ण निर्णय सरकार को यह करना चाहिए कि किसान को उपज का सही दाम मिले। अगर हम यह व्यवस्था करते हैं तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम गेहूं इम्पोर्ट करने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा गेहूं पंजाब और हरियाणा में होता है। किसानों को गेहूं के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं लेकिन हम 14-15 रुपए किलो में गेहूं इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक तरह से किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन तो कर ही रहा हूं लेकिन सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि देश की 70 परसेंट आबादी आज भी गांवों में रहती है जो कृषि पर निर्भर है। जब सरकार 8.8 परसेंट जीडीपी ग्रोथ की खुशी मनाती है तो उस समय वह इस बात को नजर अंदाज नहीं कर सकती कि आज भी 38 परसेंट से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसलिए सरकार को महंगाई को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिएं। इतना ही कहते हुए मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण ले करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपना भाषण ले कर दें।

***श्री वीरेन्द्र कुमार:** उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान उद्योग के संबंध में काफी बातों का उल्लेख माननीय सदस्यों द्वारा किया गया। मैं कृषि के संबंध में कहना चाहता हूं कि कम बारिश होने से भूमि का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छत्तरपुर, पन्ना आदि जिलों में पिछले चार-पांच सालों से बारिश का अनुपात घटा है। सूखे के कारण कई गांवों से लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली, पंजाब की ओर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड की कोई चिंता नहीं की गई है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को सूखे की स्थिति से उबारने हेतु 25000/- करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज देने के साथ सभी किसानों का कर्ज माफ करने एवं सस्ता अनाज उपलब्ध कराने की योजना बनाने की आवश्यकता है क्योंकि गेहूं, चना, मसूर की फसल भी तुषार लगने से किसान बेहाल हो गया है।

देश में हर तीस मिनट में एक किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है और सरकार आयातित गेहूं के मुकाबले देश के किसानों से कम कीमत पर खरीद कर रही है। आखिर पिछले तीन सालों से कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए कोई सार्थक प्रयास क्यों नहीं किये गये। यदि केन्द्र सरकार ने सत्ता की बागडोर संभालने के बाद कृषि की समस्याओं का समाधान करने के प्रयास किये होते तो उसके नतीजे आज तक सामने होते।

ऊंची विकास दर की बात कही गई किंतु मैं कहना चाहता हूं कि ऊंची विकास दर इस बात की प्रतीक नहीं है कि अर्थव्यवस्था में सभी तबकों का विकास हो गया। देश के नौजवान के सामने बेरोजगारी की समस्या भयावह बनी हुई है। मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े पैकेज वाली नौकरियां मात्र कुछ प्रतिशत युवाओं को मिली हैं।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। रोजगार में लगे लोगों की कुल संख्या में कमी आई है। रोजगार कहीं बढ़ा है तो ठेका मजदूरी या असंगठित क्षेत्र के दूसरे छोटे-मोटे कामों में जहां न उचित पारिश्रमिक मिलता है और न ही आजीविका की सुरक्षा रहती है। देश के चौरासी करोड़ लोग रोजाना बीस रुपये या उससे कम पर गुजारा करते हैं। देश में लगभग चौंतीस करोड़ लोग 2 दिन में एक वक्त का भोजन जुटा पाते हैं। देश की विशाल आबादी गरीबी के अंधेरे में जीने को अभिशप्त है।

महंगाई पर नियंत्रण रखने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। खाद्यान्न, गेहूं, चावल, दलहन की कीमतें काफी तेजी से बढ़ी हैं लोहा सीमेंट की बढ़ती कीमतों में तो जैसे सरकार ने मुंह ही फेर लिया है। पिछले एक वर्ष में मंहगाई ने आम आदमी की कमर ही तोड़ कर रख दी। पर सरकार बढ़ती महंगाई को ब्याज दर बढ़ाकर नियंत्रित करने के अतिरिक्त कोई ठोस उपाय नहीं कर सकी। कठोरता से निर्णय लेकर महंगाई पर अंकुश लगाने के कदम उठाना चाहिए। आर्थिक विकास की दर के आंकड़ों से गरीब तो गरीब होता चला जा रहा है एवं अमीर और अमीर हो रहा है। आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है।

आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सरकार भले कुछ कहे किंतु मुम्बई की ट्रेनों में विस्फोट हो या मालेगांव में हुए धमाकों की अथवा समझौता एक्सप्रेस पर हमले या न्यायालय परिसरों में हुए क्रमबद्ध विस्फोटों की ऐसी प्रत्येक घटनाओं से आंतरिक सुरक्षा की पोल खोल दी हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर में उग्रवादी संगठनों तथा अन्य राज्यों में नक्सलियों के न थमने वाले हमलों ने भी आंतरिक सुरक्षा पर प्रश्न चिह्न लगाये हैं। सीमा पार आतंकवाद के मामलों में पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सका है। सुरक्षा बलों के पास पुराने हथियार हैं जबकि आतंकवादी संगठनों के पास अत्याधुनिक शस्त्र तथा संचार सामग्री है। इस विसंगति को दूर करना चाहिये।

रामसेतु से देश की जनता की आस्था एवं विश्वास का संबंध जुड़ा है। यूपीए सरकार जान बूझकर हिंदू देवताओं का अपमान कर लोगों की भावनायें आहत कर रही है। पहले रामसेतु मामले पर अदालत में हलफनामा देकर राम के अस्तित्व को नकारा गया। अब दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में रामायण के पात्रों के संबंध में विवादास्पद लेख को पढ़ाया जा रहा है। केन्द्र को इस विवादास्पद पाठ्यक्रम को अविलम्ब हटाने की पहल करना चाहिये ताकि सामाजिक सद्भाव न बिगड़ने पाये।

विदेशी घुसपैठ जो कि विशेष रूप से बंगलादेश से हो रही है उसने न केवल जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ा है साथ ही अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। आज देश के महानगरों में मजदूर से लेकर मैकेनिक तक के रोजगारों को यह घुसपैठिये कम मजदूरी पर कार्य कर देश के मजदूरों का हक छीन रहे हैं। स्थान-स्थान पर अतिक्रमण एवं आपराधिक घटनाओं की वृद्धि हो रही है। देश की सभी छावनी परिषदों के आसपास बाहरी व्यक्तियों की पहचान करके वह कहां से आये हैं वहां के ग्राम पंचायत एवं थानों से पहचान होना चाहिये। जासूस देश के भीतर मध्य प्रदेश

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सरीखे राज्यों में जाकर छुपने लगे हैं। अभी पिछले दिनों सागर एवं भोपाल में जासूस पकड़े, यह कहां से आये सघन जांच होनी चाहिए। देश के विभिन्न स्थानों में ठेका मजदूर के रूप में कार्य करने वाले मजदूरों के भी मूल स्थान के पहचान पत्र को अनिवार्य करना चाहिये।

उच्चतर शिक्षा में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात कही गई। मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है यहां डा. सर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन द्वारा भेजा गया है। सागर में भी समस्त राजनैतिक दलों एवं वहां की जनता के द्वारा काफी बड़ा आंदोलन वहां किया गया। अत: सागर के डा. सर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा इसी सत्र में की जानी चाहिये।

बहुत आशा थी कि महिला आरक्षण की बात होगी किंतु सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। सारे देश की महिलाओं में आशा एवं उत्सुकता है कि उन्हें उनका अधिकार शीघ्र प्राप्त होगा तथा कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। नीति स्पष्ट करना चाहिये तथा इसी सत्र में सदन में बिल लाकर पास करना चाहिए।

नदियों को आपस में जोड़ने की योजना जो कि एनडीए की सरकार द्वारा पारित की गयी थी उसकी गतिशीलता में कमी आई है। इस योजना पर वृहत रूप से समयबद्ध कार्य सभी राज्यों में बगैर भेदभाव के करने से सूखा एवं बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी वहीं लोगों को रोजगार मिलने एवं फसल अच्छी होने से आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को धसान, बेबस एवं बेतवा नदी से जोड़ने से बुंदेलखंड को सूखे की स्थिति से उबारा जा सकेगा। बीना नदी परियोजना का सर्वे कार्य हो चुका है। केन्द्र द्वारा शीघ्र ही बना नदी परियोजना पर कार्य प्रारंभ करना चाहिये।

पशुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने एवं गौधन की रक्षा कर, मांस निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। गौधन हमारे देश की कृषि एवं अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। गौशालाओं को देश में विशेष सहायता एवं डेयरी के संचालन को प्रोत्साहित करने की विशेष कार्य योजना पर बल दिया जाना चाहिये। डिब्बे का दूध पीकर बढ़ने वाले बच्चे भी संस्कृति से दूर जाकर डेड-ममी की संस्कृति को बढ़ाते हैं।

रोजगार गारंटी योजना में 100 दिनों का रोजगार के स्थान पर पूरे वर्ष के लिये मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनाना चाहिये क्योंकि हमारा देश जनसंख्या बाहुल्य वाला देश है अत: हर हाथ में काम मिलना चाहिये।

स्थानीय स्तर पर उपलब्ध या पैदा होने वाली वस्तुओं पर आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये जैसे सागर में टमाटर बहुत होता है चनौआ के पास वहां टमाटो सास तथा शिमला से पहाड़ी आलू काफी आता है वहां आलू चिप्स। इस तरह के उद्योगों की कार्य योजना प्रशिक्षण देकर वहां बनाना चाहिये।

बाल श्रम अधिनियम तो बनाया गया किंतु उसका कठोरता से पालन करने की आवश्यकता है। बाल श्रमिकों की संख्या आज भी लगातार बढ़ रही है लोगों को भय नहीं है। कानून का प्रभावी कार्यान्वयन के साथ ही बाल श्रमिकों की आजीविका एवं शिक्षा का समुचित प्रबंध होना चाहिये। बीना रिफाइनरी में ठेकेदारों द्वारा बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों से कार्य कराकर कानून का उल्लंघन किया जा रहा है ऐसे सभी स्थानों पर जांच कर रोक लगना चाहिए।

देश के अभयारणों में कई पीढ़ियों से रह रहे वनवासियों को बेघर नहीं किया जाना चाहिए। मेरे क्षेत्र में नौरादेही अभयारण के कई गांवों के वनवासी घबराये हुए हैं कि न जाने किस सुबह या शाम उन्हें वहां से हटा दिया जायेगा। ऐसे गांव में मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य भी वन विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं करने दिये जाते, रोक लगायी जाती है, जिस कारण वह कष्टकारी जीवन जाते हैं किंतु सड़क, पानी, बिजली के अभाव में भी अपने पूर्वजों के स्थान को नहीं छोड़ना चाहते, उन्हें संरक्षण देकर विशेष रूप से वहां कार्य करने की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनायें हैं अत: पर्यटकों के आवागमन की दृष्टि से एवं छोटे शहरों के विकास की दृष्टि से सागर, रीवा जैसे शहरों में भी एयरलाइन की सुविधायें बढ़ायी जानी चाहिये।

बीड़ी मजदूर आवास योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया, बीड़ी श्रमिक से ली जाने वाली 5000 रुपये की अंश राशि का प्रावधान समाप्त होना चाहिये क्योंकि बीड़ी श्रमिक की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वह इस राशि को जमा कर सके तथा मध्य प्रदेश सरीखे राज्य जहां सर्वाधिक बीड़ी श्रमिक रहते हैं किंतु कुटीरों का आबंटन काफी कम किया जाता है वहां प्राथमिकता देकर अधिक कुटीरों का आबंटन किया जाना चाहिये।

अत: मैं कहना चाहूंगा कि भारत निर्माण की कल्पना तभी सही मायने में पूरी होगी जब इस देश के समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में रहने वाले व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, मकान, दवाइयां स्वच्छता उपलब्ध होगी।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियां और आगे आने वाले समय में सरकार क्या करने वाली है, उसका लेखा-जोखा होता है। वह एक औपचारिकता होती है कि राष्ट्रपति जी अभिभाषण करते हैं जिसे सरकार तैयार करके देती है और सरकार जो कुछ करना चाहती है उसे राष्ट्रपति जी से कहलवाती है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र नहीं है।

अभी हमारे मित्र ने जो कहा, बात सही है कि देश में अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं। देश के 71 फीसदी लोग गांवों में और 29 फीसदी लोग शहरों में रहते हैं जबकि दुनिया के देशों में यह अन्तर 50-50 फीसदी का है। मैं और बातों में न जाकर कृषि से संबंधित जो बाते हैं, जो सरकार ने कही हैं, उन्हीं पर अपने को केंद्रित रखूंगा। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकार ने तीन वर्षों के लिए 2007-08 तक के लिए किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए 2 लाख 85 हजार करोड़ रुपए के ऋण की व्यवस्था की थी। यह बात सही है कि दिसम्बर 2007 तक यह लक्ष्य पूरा हो गया था, जितना किसानों को मिलना चहिए था, मिल गया।

सरकार ने खास तौर से दो काम अपने हाथ में लिए हैं: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। सरकार का 11वीं पंचवर्षीय योजना में चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन क्रमश: 10, 8 और 2 मिलियन बढ़ाने और कृषि की वार्षिक वृद्धि दर को 4 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। इस संबंध में जो ऋण दिया गया है, मैं उस सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2004-05 में 1.25 लाख करोड़ किसानों को ऋण दिया गया, वर्ष 2005-06 में यह राशि 1.80 लाख करोड़ हुई, वर्ष 2006-07 में यह राशि 2.03 लाख करोड़ थी और वर्ष 2007-08 में 2.25 लाख करोड़ हुई। इस तरह से यह राशि ऋण में दी गई। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ऋण देने से कर्जा लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ गई है। वर्ष 2004-05 में 4.13 करोड़ किसान लाभान्वित हुए, वर्ष 2005-06 में 3.85 करोड़ किसानों ने ऋण लिया, वर्ष 2006-07 में 3.97 करोड़ किसानों ने ऋण लिया और वर्ष 2007-08 अक्तूबर तक 1.02 करोड़ किसानों ने ऋण लिया। इसका मतलब है कि ऋण की मात्रा तो बढ़ी लेकिन किसानों की परेशानियां कम नहीं हुई और ऋण लेने वाले किसानों की संख्या कम हुई यही वजह है और जिसका जिक्र हमारे मित्रों ने किया है कि आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वर्ष 2006 में नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक एक वर्ष में 17060 किसानों ने आत्महत्या की है। इसी सदन में सुबह बुंदेलखंड का मामला उठा था, वहां तबाही है, वहां कई वर्षों से खेती नहीं हो पाई है, वहां पशु-पक्षी भी दम तोड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से बार-बार मिलने और विनम्र आग्रह करने के बाद भी बुंदेलखंड की जो विशेष मदद होनी चाहिए वह नहीं हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो उस परिस्थिति में सरकार को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? हम करना क्या चाहते हैं? इस देश में किसानों को कर्जा तो मिला है लेकिन किसानों को उससे कोई लाभ नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है कि ऋण लेने से ज्यादा समस्या ऋण भुगतान करने की है। खेती के अलाभकारी होने की वजह से किसान जो ऋण लेता है, उसे अदा करने की क्षमता किसान में नहीं है। अभी कहा गया कि समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, गेहूं, चावल और धान का कम से कम 33 और 50 प्रतिशत कर दिया है जबकि वास्तविकता यह है कि 85 फीसदी सीमांत और लघु किसान हैं। ये वे किसान हैं जो अपना पेट भरने के लिए उत्पादन करते हैं और 15 प्रतिशत किसान ही ऐसे हैं जो बाजार में जाते हैं, 85 प्रतिशत किसानों में अपना उत्पाद बेचने की क्षमता ही नहीं है। सबसे बुनियादी सवाल यह है कि जब तक इस देश में उपज दर नहीं बढ़ेगी तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता है। महोदय, आज लागत बढ़ रही है लेकिन उत्पाद का मूल्य उस दृष्टि से नहीं मिल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जितना औसत कर्जा किसानों पर है उसमें सबसे ज्यादा कर्जा हरियाणा के किसानों पर है। लेकिन ये आत्महत्याओं की घटनाएं हरियाणा में नहीं होती क्योंकि वहां उपज दर ज्यादा है। अगर हमारे देश में उपज दर बढ़ जाए तो किसानों की आज जो दयनीय स्थिति है उससे उनको बचाया जा सकता है। कृषि उत्पादन में मुख्य भूमिका फर्टिलाइजर की होती है। सरकार ने वर्ष 2004-05 में 15779 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी और ये सब्सिडी वर्ष 2008-09 में 60694 करोड़ होने वाली है, इसके बाद भी फर्टिलाइजर की कीमतों में गिरावट नहीं आई, खाद के दाम तो और बढ़े हैं। इसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो खाद निर्माता हैं, जैसे एन.एफ.एल., विजयपुर, यहां यूरिया की प्रति मीट्रिक टन उत्पादन लागत 5974 रुपये है और दूसरी तरफ एन.एफ.एल., चेन्नई में यह लागत 24895 रुपए मीट्रिक टन है। यह सब्सिडी इसी अंतर को पाटने में ही लग जाती है। खाद पर सब्सिडी भी ज्यादा दी जा रही है और किसानों की परेशानियां भी बढ़ रही है। दूसरी तरफ खाद की कीमतें दोगुनी हो गई हैं।

महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कृषि के विकास की बात कही है। कृषि के विकास की बात पहली बार नहीं कही गई है। जब से यह सरकार बनी है, तब से लगातार यह पिछले चार सालों से कृषि के विकास की बात करती रही है। हमारे जो पिछले चार सालों के पुराने अनुभव हैं, उसके चलते यह यकीन नहीं होता कि जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारण किया है, यह सरकार उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी या नहीं। वर्ष 2004-2005 में धान

के उत्पादन का जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया था, वह 93.50 मिलियन टन था और वास्तविक उत्पादन 83.13 मिलियन टन हुआ। वर्ष 2005-2006 में धान का उत्पादन लक्ष्य 87.80 मिलियन टन रखा गया और उत्पादन 81.79 मिलियन टन हुआ। वर्ष 2006-2007 में लक्ष्य 92.8 मिलियन टन रखा गया और वास्तविक लक्ष्य 91.05 मिलियन टन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार गेहूं का लक्ष्य वर्ष 2004-2005 में 79.50 मिलियन टन था और उत्पादन 68.64 मिलियन टन हुआ। वर्ष 2005-2006 में लक्ष्य 75.53 मिलियन टन था और उत्पादन 69.35 मिलियन टन हुआ। 2006-2007 लक्ष्य 75.53 मिलियन टन और वास्तविक उत्पादन 73.70 मिलियन टन हुआ। ये आंकड़े बताते हैं कि इस सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किये, उन लक्ष्यों को इस सरकार ने कभी प्राप्त नहीं किया। जिसके चलते ये शंका पैदा होती है कि आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में सरकार का जो लक्ष्य है, उसे सरकार कैसे प्राप्त करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बढ़-चढ़कर जिक्र किया गया था कि हमारी आर्थिक विकास की दर तेजी से आगे बढ़ रही है और हमने बड़े कीर्तिमान स्थापित कर दिये हैं। लेकिन यह अजीब बात है कि हमारे देश में विकास की दर तो बढ़ रही है, लेकिन देश में परेशानी भी बढ़ रही है और आर्थिक और सामाजिक विषमता भी बढ़ रही है। सरकार दावा करती है कि विकास की दर नौ फीसदी हो गई है, लेकिन मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि जहां विकास की दर बढ़ी है, वहीं हमारे देश में बेरोजगारी भी बढ़ी है। हमारे देश में वर्ष 2004-2005 में 43 प्रतिशत मानव शक्ति का श्रमशक्ति के रूप में इस्तेमाल होता था। वर्ष 2005-2006 में मानव शक्ति का प्रयोग 41 फीसदी रह गया। प्रवासी भारतीय दिवस पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने खुद स्वीकार किया कि नौ प्रतिशत विकास की दर होने के बावजूद इसका लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचा और उन्होंने आगे कहा कि आगे आने वाले वर्षों में चिकित्सा पर जी.डी.पी. का दो परसैन्ट और शिक्षा पर दसवीं योजना की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक हम लोग खर्च करेंगे। वास्तविकता यह है कि सरकार के काम करने का जो तरीका है, उसमें मूल रूप से इसकी नीतियां जिम्मेदार हैं। जिस तरह के उद्योगों को हमने प्रोत्साहित किया, उसका ही प्रतिफल हमारे सामने है। हमने जिन उद्योगों को प्रोत्साहित किया है, वे हैं कंप्यूटर, मोबाइल, फार्मेसी, होटल और वित्तीय सेवाएं। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं, जहां मानव शक्ति का कम इस्तेमाल होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका लाभ समाज के निर्बल और गरीब तबके के लोगों को नहीं मिल पाता। आज सबसे बड़ी आवश्यकता और बुनियादी सवाल यह है कि जब तक हिन्दुस्तान में कृषि, पशुधन, हथकरघा, खांडसारी और तेलपिराई जैसे उद्योगों, जहां मानव शक्ति का इस्तेमाल ज्यादा होता है, को अगर हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो देश की किसी समस्या का हल नहीं निकल सकता। इस सरकार का ध्यान किंचित मात्र भी उस तरफ नहीं है। हमारे देश में 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में काम नहीं है और आज जब हम देखेंगे कि हमारे समाज में नक्सलवादी समस्या है और हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है, उसका प्रमुख कारण यही है कि जब व्यक्ति के पास काम नहीं होता तो वह गलत रास्ता चुनने के लिए मजबूर हो जाता है। सरकार ने महंगाई के सवाल पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महंगाई बढ़ी है, खास तौर से खाद्यान्न और क्रूड आयल के संबंध में जो महंगाई बढ़ी है, उसी की वजह से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है।

मैं सिर्फ एक उदाहरण सीमेंट का देना चाहूंगा। सीमेंट के 50 कि.ग्रा. बैग की कीमत 190 रुपये आती है। सरकार का उत्पादन शुल्क 350 रुपया प्रति टन है जिसकी कीमत 190 रुपये से ज्यादा है, उस पर उत्पादन शुल्क 600 रुपया है। इसके अतिरिक्त 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर, 3 प्रतिशत केंद्रीय बिक्री कर, 12.5 प्रतिशत वैट और इसके अतिरिक्त सीमेंट बनाने हेतु कच्चे माल चूना एवं कोयले पर रायल्टी पर 45 रुपया और 165 रुपया लगता है। राज्य सरकारों के अतिरिक्त-कर हैं। मोटे अनुमान के हिसाब से यह कर 1250 रुपया प्रति टन जाकर पड़ता है। जब इतने कर होंगे तो दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह जो बेशुमार टैक्स हैं, इसकी वजह से सीमेंट के भाव आसमान पर चले गये हैं। क्या इन चीजों पर सरकार ने कभी विचार किया है और इन्हें कम करने की क्या सरकार ने कभी कोशिश की है? लेकिन हमने उस दिशा में कभी सोचा ही नहीं है। महंगाई के सवाल पर सरकार ने कहा कि महंगाई हमारी बढ़ी हुई नहीं है, यह तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ी है। इससे ज्यादा असत्य और क्या हो सकता है? वर्ष 2004 में भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3.6 प्रतिशत था और अमरीका, इंग्लैंड और यूरोपियन देशों में 2 प्रतिशत था। भारत में, वर्ष 2005 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4.3 प्रतिशत था और दुनिया के अन्य देशों में 2.3 प्रतिशत था। वर्ष 2006 में हमारे देश में 6.2 प्रतिशत था और जिन देशों का मैंने जिक्र किया है, उनमें 2.3 प्रतिशत था। जुलाई 2007 में भारत में 6.5 और अन्य देशों में 1.9 प्रतिशत था। अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए यह कहना कि महंगाई दुनिया में बढ़ गई है, इसलिए हमारे यहां महंगाई बढ़ना भी एक बाध्यता है, यह न्यायसंगत नहीं है। सरकार कितनी गंभीर है, मैं अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा कि ग्यारहवीं योजना अप्रैल 2007 से शुरू होनी थी और मार्च 2011 में इसे समाप्त होना था। पिछले चार सालों से यह सरकार सत्ता में है लेकिन अभी दिसम्बर, 2007 में नेशनल डैवलपमेंट काउंसिल ने ग्यारहवीं योजना को मंजूरी दी है।

[श्री रामजीलाल सुमन]

यह पंचवर्षीय योजना है या चार वर्षों की योजना है? सरकार के पास वक्त था। सरकार तैयारी कर सकती थी लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार के सोचने की जो दिशा है, सरकार का जो काम करने का तरीका है, वह किसी भी कीमत पर संतोषजनक नहीं है। यह बिल्कुल दिशाहीन सरकार है, इसके बारे में अगर मैं यह कहूं तो बिल्कुल ठीक होगा:

"अपनी सूरत का खुद एहसास नहीं है मुझको,
मैंने गैरों से सुना है कि परेशान हूं मैं।"

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और मैं इसमें भाग ले रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं सदन का ध्यान बड़ी विनम्रता पूर्वक एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

जब भी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण होते हैं, मुझे ये अभिभाषण सुनने का मौका मिला है। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 2.00 बजे

[अनुवाद]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, यहां कोई भी केबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं है। *...(व्यवधान)*

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, एक मिनट पहले ही वे सभा से बाहर गये थे और अभी वापस आ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक गम्भीर चर्चा इस सभा में चल रही है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार किसी भी मामले पर गम्भीर नहीं है। यहां पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है लेकिन एक राज्य मंत्री बैठे हुये हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: वे अभी आ रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपका पाइंट आ गया है, वह अभी आ रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता से निवेदन कर रहा था कि पिछले कई वर्षों से मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण सुनने का सौभाग्य मिला है। जब भी यहां महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो पहले अंग्रेजी में और उसके बाद हिन्दी में होता है लेकिन इस बार जिस ढंग से हिन्दी को किनारे किया गया है, भारत जैसे देश में जिसकी राष्ट्रभाषा हिन्दी हो और सरकार हर विभाग को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती हो लेकिन जब महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, उसमें हिन्दी को बाहर कर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि देश को एक अच्छा मैसेज नहीं जा सकता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। इसे भाषा का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह लैंग्वेज ईश्यू नहीं है। *...(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, मैं लैंग्वेज विषय पर नहीं बोल रहा हूं। मैं समझता हूं कि सदन हमारी भावना से सहमत होगा। हालांकि भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हिन्दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कृषि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण और शहरी विकास, प्रधानमंत्री जी के नये 15-सूत्री कार्यक्रम के आधार पर सच्चर समिति की रिपोर्ट पर की जा रही कार्यवाही, भारत निर्माण में सड़कों, बिजली टेलीफोन, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण आदि कार्यों के आधार पर सामाजिक समरसता से नये भारत के संकल्प की बात दोहराई गई है।

उपाध्यक्ष जी, वैसे तो महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है, सरकार अपनी बात उनके मुंह से कहलवाती है। इसमें सरकार की नीयत और नियति के बारे में कहा जाता है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सभी माननीय सदस्यों ने कृषि को प्राथमिकता और प्रधानता देने पर जोर दिया है। मैं नहीं चाहता कि

मैं भी इसमें पीछे रहूं। जब भी कृषि की बात होती है तो किसान की बात होना स्वाभाविक है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार कृषि और किसानों के लिये कुछ नहीं कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि किसानों की ऋण माफी हुई है। मैं उसकी चर्चा में नहीं जाना चाहता कि सरकार उसके लिये कहां से पैसा लायेगी, किधर से लायेगी। ऋण माफ करने हैं तो यह सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है जब वह कोई घोषणा करती है तो उसे अमल में लाने के लिये अपनी ओर से व्यवस्था भी करती है। लेकिन मैं इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि अगले वर्ष चुनाव हो रहे हैं, यह सरकार उसके बाद रहने वाली नहीं है। इसलिये, यह सरकार दूसरे के माथे पर बोझ लादने का काम कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान की समस्या का समाधान सिर्फ ऋण माफ करने से होगा, हम यह नहीं मानते हैं। जो ऋण माफ हुआ है, उसमें भी किसानों को बांटा गया है। किसान को एक ही नजर से देखना चाहिए। आत्महत्या की घटनाएं जितनी भी घटी हैं, एक बार सदन को विचार करना चाहिए कि जिन प्रांतों को कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, उन प्रांतों में आत्महत्या की घटना नहीं घटी। जिनको कहा जाता है कि ये आर्थिक रूप से बहुत आगे हैं और कोई नंबर वन और नंबर टू का दर्जा ले रहा है, किसानों की आत्महत्याओं की घटना उन्हीं प्रदेशों में घटी हैं। आत्महत्याएं रोकने के लिए अगर ऋण माफी ही सरकार इसका अंतिम उपाय समझती है तो हम यह नहीं मानते हैं। रामजीलाल सुमन जी चले गए। कई साथियों ने कहा कि किसानों की जो फसल उगती है, उसका मूल्य उचित नहीं मिलता है, इसके चलते भी किसान पर बुरा असर पड़ता है। थोड़ा सा इन सब बातों से बिल्कुल अलग हम आपको अपनी भावनाओं से अवगत कराना चाहते हैं। कारण यह कि एक कृषक परिवार से हम आते हैं और कृषि को हम बहुत करीब से जानते हैं। अगर किसान के घर में खुशहाली लानी है जहां 71 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है, वहां पहले यह देखना होगा कि किसानों की समस्या क्या है। अलग-अलग प्रांतों में किसानों की अलग-अलग समस्याएं हैं। कहीं अगर किसान कपास की खेती करते हैं तो दूसरी जगह ईख की खेती करते हैं। कहीं आलू की खेती करते हैं तो कहीं चावल और गेहूं की खेती करते हैं। हर प्रांत में किसानों को अलग-अलग समस्याओं से जूझना पड़ता है। कहीं-कहीं तो एक ही प्रांत में किसानों को विभिन्न तरह की समस्याओं से लड़ना पड़ता है। कभी बाढ़ से, कभी सुखाड़ से और कभी जल-जमाव से जूझना पड़ता है। बजट में जो प्रावधान किया गया है, उसमें सिंचाई के नाम पर पैसा, कृषि के नाम पर पैसा—हर जगह पैसे का आबंटन किया गया है। लेकिन सिर्फ पैसे के आबंटन से इसका समाधान नहीं होगा। आखिर आप कैसे तय करेंगे कि किस प्रांत में और किस भाग में किसानों की कौन सी समस्या है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तय करने के लिए सबसे पहले हर प्रांत से एक-एक किसान को बुलाकर एक सम्मेलन करना चाहिए। वहां की परिस्थिति से अवगत होना चाहिए। किसान की समस्या की जानकारी सरकार कैसे लेती है। जिनके परिवार ने न कभी गांव देखा, न किसानी देखी, ऐसे लोग एयर कंडीशनंड गाड़ियों में बैठकर आते हैं और किसानों की समस्या पर चर्चा करते हैं। इससे किसान की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। होता क्या है? जो किसान की फसल होती है, उसका मूल्य बढ़ाने से इसका समाधान नहीं हो सकता। होता क्या है? जो किसान की फसल होती है, उसका मूल्य बढ़ाने से इसका समाधान नहीं होगा। अगर किसानों की समस्या का समाधान करना है तो किसानों की उपज की लागत को कम करने की जरूरत है। कारण यह है कि किसान एक स्तर के नहीं हैं। सुमन जी बोल रहे थे कि 15 प्रतिशत लोग होते हैं जिनका सामान बाजार में जाता है। 85 प्रतिशत ऐसे लोग होते हैं, जिनके एक वर्ष का खाना भी उनकी अपनी खेती से नहीं होता है। तो जब 15 प्रतिशत लोगों के अन्न का भाव आप बढ़ाते जाएंगे तो उन 85 प्रतिशत लोगों का क्या होगा? जो कृषि पर आधारित मजदूर हैं, जो उसी मालिक या महाजन की खेती करके अपने परिवार की जीविका चलाते हैं, उनका क्या होगा? इसलिए सबसे आवश्यक यह है कि किसान के खेत में जो उपज होती है, उसकी लागत मूल्य कम कीजिए। इसके लिए पानी सस्ता करना पड़ेगा, सही समय पर और सस्ते दामों पर बीज देना होगा, सस्ते दाम पर खाद देनी होगी। ठीक इसके विपरीत देश में बिजली की स्थिति बहुत ही खराब है। अब तो एमपी लोगों के फ्लैट्स में भी हम देखते हैं कि सोलर लाइट्स वगैरह लगाने की कार्रवाई चल रही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम बिजली के मामले में कितने मजबूत हैं क्योंकि अब सांसद भी सोलर पावर बिजली लेने का काम करेंगे।

ऐसी स्थिति में एक ही साधन बचता है, जिससे किसान पम्पिंग सेट के माध्यम से खेत में पानी ले सकता है। पम्पिंग सेट में डीजल का उपयोग होता है और डीजल का दाम प्रतिवर्ष बढ़ जाता है। कहा जाता है कि दुनिया के बाजार में इसका दाम बढ़ रहा है, जिसके चलते यहां भी दाम बढ़ रहा है। यदि यहां भी दाम बढ़ रहा है तो आप किसानों को किस स्तर पर देखना चाहते हैं? क्या आप कर्जा माफ करके खुशहाली लाएंगे? आप एलपीजी गैस दे रहे हैं तो उसके दो स्तर के दाम रखे हुए हैं। आप जो व्यावसायिक स्तर पर देते हैं, उसका अलग दाम है और गांव के लोगों को एवं आम उपभोक्ता को आप उपलब्ध कराते हैं, उसका अलग दाम है। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती कि जो किसान के लिए डीजल देना है, उसका मूल्य अलग हो और जो

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

परिवहन पर चलने वाले लोग हैं, जो इंकम टैक्स पेई हैं, उन लोगों के लिए डीजल का दाम अलग किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप किसानों को सस्ते दाम पर डीजल उपलब्ध कराएंगे तो उनकी खेती का लागत सस्ता होगा, उन्हें पानी सस्ते दर पर मिलेगा। अभी हमारे साथी सुमन जी खाद की चर्चा कर रहे थे। किसानों को जो खाद समय पर मिलनी चाहिए, वह बाजार में उसे समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है और अगर मिलती है तो वह मिलावटी खाद होती है। जिससे खेत की उर्वरा शक्ति पर उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बाजार में कालाबाजारी पर ज्यादा मूल्य पर मिलता है और बीज का तो कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए जब तक आप किसानों के खेत में लागत मूल्य कम नहीं करेंगे, घटाएंगे नहीं, उनके लागत के आधार पर मूल्य निर्धारण जब तक नहीं करेंगे तब तक आप सिर्फ उपज का दाम बढ़ा कर 15 प्रतिशत किसान को लाभ तो दे सकते हैं, लेकिन 85 प्रतिशत किसान और कृषि पर आधारित उन मजदूरों को आप दूसरी बार भी आत्महत्या कराने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि अगर किसानों को खुशहाली में रखना है तो उनके लागत मूल्य को घटाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, बैंकों में जो ऋण की व्यवस्था है और जिस ढंग से बैंक, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में लिखा हुआ है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बैंक के ग्रामीण इलाकों में जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा होगी, वहां बैंक खोलने का काम किया जाएगा। हम एक बात कहना चाहते हैं, हम लोग समरस समाज बनाने की बात कहते हैं, देश में समता मूलक समाज के निर्माण की बात कहते हैं, लेकिन हमारे जो शब्द और भाषा निकलते हैं, हमें लगता है कि हम लोग यहां बैठ कर समाज को बांटने और तोड़ने का काम करते हैं। हम सिर्फ सच्चर समिति की रिपोर्ट की चर्चा करना नहीं चाहते। जिस समय वित्त मंत्री जी बजट पढ़ रहे थे, उनके बजट का एक-एक अंश पढ़िए, उसमें हर बात में कहीं न कहीं किसी जात का सम्बोधन, किसी जात के लिए ऐसा, किसी जात के लिए ऐसा बोल रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, देश में दो ही जातियां हैं—एक है गरीब और दूसरा है अमीर। इस तरह से टुकड़ों-टुकड़ों में समाज को बांट कर हम वोट की राजनीति तो कर सकते हैं, उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन देश की एकता और अखंडता का जो सैद्धांतिक सिद्धांत है, उस पर हम कुठाराघात कर रहे हैं और इस बार के बजट में इसी तरह जात का नाम ले-लेकर जिस तरह बजट का बखान किया गया, यह कोई अच्छा संदेश इस देश में नहीं जाता है। हम बैंक की चर्चा कर रहे थे, वित्तीय व्यवस्था क्या हो रही है? किसान ऋण के लिए बैंक के दरवाजे पर जाते हैं। आज जहां मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा होंगे, वहां बैंक खोले जाएंगे। पिछली बार सन् 2005-06 में 933 बैंक इस देश में नये खोले गए हैं और 933 बैंकों में से दो बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, बाकी सारे बैंक शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। वित्त मंत्री जी को अगर गांव की इतनी चिन्ता एवं परेशानी है, किसानों के लिए अगर उनके दिल में दर्द है तो जिस तरह 933 बैंकों में दो बैंक ग्रामीण इलाके में खुल रहे थे और बाकी बैंक अगर शहरी इलाकों में खुल रहे थे, मंत्री जी इन बैंकों का प्रतिशत क्यों नहीं बांधते हैं कि यदि 71 और 80 प्रतिशत की आबादी गांव में बसती है तो जितनी भी स्वीकृति होगी उनमें से 80 प्रतिशत ग्रामीण इलाके में और 20 प्रतिशत बैंक शहरी इलाकों में खोले जाएं। अगर ऐसे खोले होते तो हम नहीं समझते हैं कि आज यह कहने की जरूरत पड़ती कि मुसलमान की आबादी जहां ज्यादा होगी वहां हम ज्यादा बैंक खोलेंगे। बल्कि स्वत: बैंक अपने आप ग्रामीण इलाकों में खुल गए होते। इस पर गौर करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ऋण पर सूद का क्या हिसाब होता है? 70 प्रतिशत किसान जो कि अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं, जिनके आधार पर बैंक का कारोबार टिका हुआ है, उन्हें बैंक में जमा पर सूद का रेट मिलता है साढ़े तीन प्रतिशत और 30 प्रतिशत बड़े लोगों के जमा पैसे पर सूद मिलता है 12 से 13 प्रतिशत। आप किसान, गरीब और मजदूर को कहां ले जा रहे हैं? आप गरीब, मजदूर और किसान कह-कह कर तो चिन्ता करते हैं, लेकिन जहां बैंक में उनका पैसा जमा होता है, उस पर उनको जमा पर सूद साढ़े तीन प्रतिशत दे रहे हैं और बड़े लोगों को बढ़ाकर 12 और 13 प्रतिशत दे रहे हैं। इस तरह से कैसे आप गरीब और किसान के साथ इंसाफ करेंगे? हम यह सब जानना चाहते हैं। जब वित्त मंत्री जी जवाब दें तो इन सब चीजों पर चर्चा करें ताकि हम लोग संतुष्ट हो सकें कि वे गांव के गरीब और किसान के लिए चिन्तित भी हैं। इसी तरह शिक्षा पर और आवास पर ऋण दिए जाते हैं। गांव के गरीब के बच्चे जो कि बाहर अच्छे विद्यालयों में पढ़ते हैं, जब ऋण के लिए दौड़ते हैं तो उन्हें एक तो समय पर ऋण नहीं दिया जाता है। ऋण देने के लिए क्या-क्या किया जाता है, उन शब्दों का मैं बखान नहीं करना चाहता हूं। लेकिन उन बेरोजगार लड़कों से ऋण पर 11 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है, लेकिन जब बड़े घरानों को उद्योग खोलने के लिए ऋण दिया जाता है तो उनसे 9 से 10 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। आप ही बताइए कि इस देश में यह कैसा इंसाफ हो रहा है। वित्त मंत्री जी चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं कि हम गांव के लिए चिन्तित हैं और नया भारत बनाना चाहते हैं, भारत का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन कैसा निर्माण कर रहे हैं? इस सरकार की सोच सिर्फ देश के पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हित में है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप 21 मिनट बोल चुके हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो हम सिर्फ भूमिका ही बना रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप ही देख लीजिए, मैं आपको कितना टाइम दे सकता हूं क्योंकि आपकी पार्टी का टाइम सिर्फ 12 मिनट है, लेकिन मैंने आपको 21 मिनट दे दिए हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: यदि आप पार्टी का टाइम देखेंगे तो हमारा टाइम होने वाला है। यदि आप कहें तो हम दूसरी पार्टी से कोई पर्चा-वर्चा मांग लेते हैं, लेकिन हमें बोलने तो दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: इतना समय नहीं दिया जा सकता है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, प्रभुनाथ सिंह को टोका नहीं जाना चाहिए, उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी का टाइम दे देते हैं। थोड़ी देर बाद आपने बोलना है तो आपका टाइम काटकर इन्हें दे देते हैं। प्रभुनाथ जी, हम आपका और आजमी जी का विशेष ख्याल रखते हैं। आप जल्दी कन्कलूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हम दो-तीन मिनट में खत्म कर देंगे। यह चर्चा चल रही है और वित्त मंत्री जी भी बता रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि 9 प्रतिशत की दर से अर्थव्यवस्था में इन चार वर्षों में वृद्धि हुई है। ऐसा हुआ है, पैसा फ्लोट हुआ है, लेकिन सीमित लोगों के पास ही। गांव की स्थिति पर गौर करना होगा। दिल्ली में भी कभी-कभी गांव की स्थिति दिखाई दे जाती है। लेकिन हो सकता है कि मंत्री जी लाल बत्ती की गाड़ी में चलते हैं और सायरन की आवाज के कारण वे लोग उन तक नहीं पहुंच पाते हों। लेकिन जब हम लोग गाड़ी में जाते हैं तो लाल बत्ती पर जब गाड़ी रुकती है तो वहां दिल्ली शहर में भी गांव दिखाई देता है। गांव कब दिखाई देता है? गांव तब दिखाई देता है, जब कोई महिला फटा वस्त्र पहने हुए गोदी में अपने बच्चे को लेकर कोई एक सामान लेकर आती है और रोते हुए कहती है कि बाबू इसको खरीद लीजिए। यह ठीक है कि हम उसे उसके स्वाभिमान के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि वह हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगती है, लेकिन कोई सामान बेचकर, उसके मुनाफे से अपने पेट की परवरिश करना चाहती है। वह गांव तो यहां दिखाई देता है, सिर्फ नजर से देखने की जरूरत है कि दिल्ली जैसे शहर में गांव किस तरह दिखाई दे रहा है। इसी से गांव का अनुमान लगाइये कि जहां दिल्ली जैसे शहर के लोग इस तरह से अपने पेट को पालने के लिए गोद में बच्चे और फटे वस्त्र पहनकर, आधा बदन उघाड़े घूम रहे हैं और गाड़ी वाले के सामने हाथ पसारकर दो रुपये मांग रहे हैं, आज उस गांव की तरफ तो चलकर देखिये।

दूसरे बजट वे लोग बनाते हैं, जिन लोगों ने गांव को कभी देखा नहीं, गांव को नजदीक से पढ़ा नहीं और बजट में कहते हैं कि कैसे गांव में खुशहाली लाना चाहते हैं, कैसे गांव को खुशहाल रखना चाहते हैं, अगर आप गांव में खुशहाली लाना चाहते हैं, गांव के लोगों को लाभ देना चाहते हैं तो जो सीमित लोगों के दायरे में यह पैसा सिमट रहा है, हर काम निजी घरानों के हाथों में आप दे रहे हैं, उससे आप देश को बचाइये और गांवों की तरफ इस पैसे को भेजिये, ताकि गांवों की भी गरीबी दूर हो सके और गांव के लोग भी प्रतियोगी बन सकें और गांव के लोग भी प्रतियोगिता में सहभागिता निभा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं समझता हूं, हमारे चलते आप परेशान क्यों हों।

बड़े जोर-शोर से सरकार कहती है, राष्ट्रीय रोजगार योजना में अब हो रहा है कि 330 जिलों के बाद हम पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं। कहते हैं कि हम 100 दिन के लिए रोजगार की गारण्टी देने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी तो गांव के रहने वाले हैं, इसमें क्या होता है? जो इन्होंने बजट में प्रावधान किया है, जो जिलों में इन्होंने पैसे भेजे हुए हैं, उसमें कितना खर्च हुआ है, कभी इसका हिसाब तो बताइये। ये खर्च करने का तरीका क्या बनाए हुए हैं, इसका तो ये हिसाब बताते कि इस योजना के चलाने से कितने मजदूरों को मजदूरी मिली है, कागजी नहीं, हकीकत में? कागज में जो मजदूरी मिल जाती है, गलत बिल बनाकर इस देश में भुगतान करने की पुरानी परम्परा है। क्या इस योजना से कहीं मजदूरों का पलायन रुका है? 360 दिन के वर्ष में 100 दिन का रोजगार देकर आप वाहवाही लूट रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार मुहैया करवा रहे हैं तो बाकी 260 दिन का क्या होगा? उनके बाल-बच्चे बीमार पड़ेंगे, उनका क्या होगा? उनके घर में शादी और ब्याह होगा, उनका क्या होगा? 100 दिन में आप कितना पैसा दे रहे हैं, बकाया 260 दिन की उनकी परवरिश, उनके पेट का क्या होगा। यह रोजगार भी आप जिला परिषद के माध्यम से दिला रहे हैं। जिला परिषद के माध्यम से, मैं किसी प्रतिनिधि पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह सत्य है, व्यावहारिक है, यही सच्चाई है कि जो जिला परिषद के माध्यम से काम होता है तो सारे ठेकेदार तो जिला परिषद के मैम्बर हैं, जीते हुए मैम्बर हैं, आप पता करवा लीजिए। हम पूरे देश की बात नहीं जानते हैं, लेकिन जिस प्रान्त के हम रहने वाले हैं, उस प्रान्त को हम जानते हैं और कागज में मजदूरों के नाम लिखकर रुपये

की बन्दरबांट होती है। जाली उप्पा मार-मार कर उसका भुगतान किया जाता है, मजदूरों को उसका लाभ नहीं मिलता है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इसमें वाहवाही मत लूटिये।

उपाध्यक्ष महोदयः थैंक्यू।

श्री प्रभुनाथ सिंहः थैंक्यू हो गया? ठीक है।

आपके थैंक्यू को हम स्वीकार करते हुए, अपनी बात समाप्त करते हैं।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): डिप्टी स्पीकर सर, आज हम महामहिम राष्ट्रपति साहिबा ने दोनों हाउसेज को एड्रैस किया, उसके धन्यवाद पर डिस्कशन कर रहे हैं। यह तो हम जानते हैं कि वे पहली महिला राष्ट्रपति हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उसका रैजोल्यूशन भी पास करेंगे, लेकिन उनका जो एड्रैस होता है तो सरकार ने पहले क्या किया और अब आगे क्या करना है, अपना सारा लेखा-जोखा करना होता है। उसमें देखकर मुझे और सभी को कई जगह पर हैरानी हुई कि उस एड्रैस में फार्मर्स का कुछ जिक्र नहीं हुआ था, इसीलिए दो दिन हाउस नहीं चला। उसमें यही लिख देते कि बजट में हम कुछ करने वाले हैं। लेकिन लगातार दो दिन हाउस नहीं चला, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, जिसमें किसानों की बात की गई होती। बजट आ गया। उसके लिए बहुत से मेरे साथियों ने मेजें थप-थपायीं कि किसानों का साठ हजार करोड़ रुपए हमने माफ कर दिया। हमें भी खुशी हुयी कि चलो, कुछ तो हुआ है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी वहां से जीतकर आए हैं, मैं पंजाब की बात यहां पर कहना चाहता हूं। वैसे तो 25 सौ साल से हमारे पंजाब की बदकिस्मती है, पहले तो बाहर से एलेक्जेंडर आए, अहमदशाह अब्दाली आए और जितने भी आक्रमणकारी आए, उनसे हमारी ही लड़ाई होती रही, वे हमें ही लूटते रहे और हमें ही मारते रहे। जब यह आजादी की लड़ाई हुई, उसके बारे में मैं दोबारा सब दोहराऊं अच्छा नहीं लगता, उसमें भी सबसे ज्यादा हमारा रोल था, लेकिन हमें खुशी हुई कि देश आजाद हो गया। इसमें बहुत खुशी होगी कि पंजाब को कुछ न कुछ मिला, कांग्रेस पार्टी ने हमसे वादा किया है। लेकिन उसके बाद भी ऐसे हालात रहे कि देश को अन्न की जरूरत पड़ गयी। ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, सारे देश के भंडार में हमने साठ से सत्तर प्रतिशत दिया। पंजाब में सिर्फ डेढ़ प्रतिशत जमीन है हिंदुस्तान की, लेकिन अब भी हम राइस और व्हीट मिलाकर पचास प्रतिशत के बराबर दे रहे हैं।

महोदय, उस 60 हजार करोड़ रुपए से पंजाब के लिए क्या निकला? हमने हिसाब लगाया तो सिर्फ 12 सौ करोड़ रुपए। यह क्यों निकला, क्योंकि लोन माफ नहीं किए। वह तो जो डिफाल्टर हैं, पंजाब में तो आप जानते हैं कि किसान सबसे ज्यादा पैसा वापस करते हैं, लेकिन वह तो डिफ़ाल्टर्स का माफ किया है, लोन नहीं माफ किया है। पंजाब में डिफाल्टर तो है ही नहीं, बहुत कम हैं। इससे पंजाब को क्या मिला?

आप जानते हैं कि पंजाब में ज्यादा लोन जो लेते हैं, वे मशीनरी के लिए लेते हैं, कोई ट्रैक्टर के लिए लेगा या कोई ट्यूबवेल के लिए लेगा। उसमें बैंक ने क्या लिखा है कि 6 एकड़ से कम कोई जमीन वे गिरवी नहीं रखते। वे कहते हैं कि कम से कम 6 एकड़ जमीन चाहिए जबकि इन्होंने किया है पांच एकड़ से कम, तो उसमें पंजाब को क्या मिलना था? यही नहीं 22 हजार करोड़ रुपए बैंक्स और को-आपरेटिव इंस्टीट्यूशंस का है, 13 हजार करोड़ रुपए जिसे आढ़ती कहें या मनीलेंडर कह दें, उनका है, उनका इसमें कोई जिक्र नहीं है, खेत मजदूर का कोई जिक्र नहीं है। पंजाब में लैंडलेस फार्मर्स हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, वे लीज पर लेते हैं। वे लोन फसल उगाने के लिए लेते हैं, लेकिन उनका इसमें कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि उसके पास जमीन तो है नहीं, किसी की लीज पर लेते हैं। यहां इस बजट में जो कुछ माफ किया, उसमें से पंजाब को कुछ नहीं मिला। हम क्या करें? हमारा क्या कसूर है?

महोदय, आज पंजाब की हालत क्या हो गयी है? उसका पानी इतना नीचे चला कि 140 ब्लाक्स में 122 या 123 तो बिल्कुल रेड में आ गए कि साल-दो साल में यहां से पानी निकलेगा ही नहीं। इसका नुकसान पंजाब को ही नहीं सारे हिंदुस्तान को होगा। जिसको फूड बास्केट कहते हैं, जो पचास प्रतिशत अनाज अभी भी देता है, अगर वहां पर पानी न रहा और वह खत्म हो गया, तो कहां से अनाज आएगा? बाहर से कितना अनाज मंगवाते हैं और यहां पर कीमत देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। बाह से 16 सौ रुपए प्रति टन इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें क्या देते हैं? अभी हजार किया है, चावल के बारे में भी हम कहते हैं कि कम से कम हजार-बारह सौ दीजिए।

मेरा सरकार से एक सुझाव है, क्योंकि इनपुट्स में एग्रीकल्चर के लिए और आउटपुट्स भी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एम.एस. स्वामीनाथन जी ने एक रिपोर्ट दी, सरकार उसी को लागू कर दे। वह तो सरकार ने ही बनायी थी। उस रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू करते? वे कहते हैं कि जितना खर्च किसान का होता है, उसका डबल कर दो।

जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बना, उसमें कुछ कंडीशन्स हैं जिसके लिए वे ज्यादा रिकमैंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम आस्ट्रेलिया या किसी और देश से इम्पोर्ट करते हैं तो 1600 रुपये

क्विंटल देते हैं और वह खाने के काबिल भी नहीं होता। लेकिन हमारे किसानों को नहीं दिया जाता, पंजाब को खासकर नहीं मिलता। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस राज्य को मत मारो। अगर इस राज्य का किसान खत्म हो गया तो समझ लीजिए कि देश भूखा मर जाएगा। सरकार के पास रिपोर्ट है, दो-चार सालों बाद वहां पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां काफी ट्यूबवैल्स लग गए हैं। वहां के इनपुट्स का क्या होगा, हमारे साथी ने भी बताया है। हमने देश के लिए अपना पानी भी खत्म कर दिया। हमारी नहरों का पानी राजस्थान और हरियाणा को दिया जा रहा है। अगर आप हिसाब लगाएं तो वह लाखों, करोड़ों रुपये का पानी है। हमारी खेती पानी मांग रही है। इस देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो राइपेरियन स्टेट्स नहीं हैं, उन्हें पानी दिया गया। आज यह डिस्कशन का ईशू नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब बिल्कुल इग्नोर हो या है। मनी लैंडर्स का कुछ नहीं है। हम इस देश को जितना देते हैं, उसका कुछ हिस्सा हमें दे दीजिए। हम देश को जो अनाज देते हैं, उसका जितना हिस्सा बनता है, उसके हिसाब से हमें कुछ दे दीजिए। लेकिन नहीं दिया जा रहा है। जो अच्छा लोन पे कर दे, उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन डिफाल्टर को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आगे से हम भी डिफाल्टर हो जाएं तभी पंजाब को कुछ मिलेगा। हमारा लोन का सिर्फ दो प्रतिशत बनता है लेकिन हम पचास प्रतिशत देते हैं। इसका कुछ हिसाब तो होना चाहिए।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। एक इंडस्ट्री होती है और दूसरी खेती होती है। हमारा देश कृषि प्रधान है। उसकी हालत यह हो गई है कि हर रोज उसमें कमी होती जा रही है। दूसरा, किसी देश के लिए, किसी राज्य के लिए इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री का क्या हाल हुआ? हमारी पार्टी के सब माननीय सदस्य माननीय मनमोहन सिंह जी से मिले थे। कहते हैं कि आपकी सरकार ने किया था क्योंकि हिल्ली स्टेट्स को इन्सैनटिव्ज दे दिए। पंजाब की सारी इंडस्ट्रीज हिल्ली स्टेट्स में चली गईं। हम यह नहीं कहते कि उनसे वापिस ले लें, हम कहते हैं कि हमने जितना दुख उठाया है, 1984 से 1995 तक पंजाब में हुआ, जो आज भी बार्डर स्टेट है, उसके लिए यदि आप वही इन्सैनटिव दे दें तो हमारी इंडस्ट्रीज बच सकती हैं। इतने साल हो गए, हमारी इंडस्ट्रीज चली गई, हमारी खेती भी उजड़ जाएगी। हम देश को बचाते रहे, चाहे वह आजादी से पहले था या आजादी के बाद था। इसमें किसका नुकसान होता रहा? 15-16 सालों तक पंजाब का जो नुकसान हुआ, वह किसने किया, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि बड़ी-बड़ी किताबें आ गई हैं जिनमें लिखा है कि कैसे वहां का नुकसान हुआ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो सिखों का बहुत टची ईशू है। आप जानते हैं, हिस्ट्री जानती है कि हमारे जो गुरुद्वारे साहिबान थे, अंग्रेजों ने अपने पिट्ठू बिठा दिए थे, लड़ाई लड़ी, पांच सौ से ज्यादा कुर्बानियां देकर हमने गुरुद्वारा एक्ट लिया।

आजादी के बाद मास्टर तारा सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू में एक समझौता हुआ जिसे नेहरू-तारा सिंह पैक्ट कहते हैं। उसमें यह कहा गया था कि जब भी सिखों का कोई रिलिजियस इश्यू होगा, तो उसे हम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बगैर पूछे नहीं करेंगे। अब एसजीपीसी ने कहा कि आल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट बनाओ। हमने यह भी कहा कि उसमें बाहर के सिखों को भी आप नुमाइंदगी दो। अब बाहर के स्टेट्स में भी हमारे नुमाइंदे हैं। बंगाल, दिल्ली, यू.पी. आदि के नुमाइंदे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? हरियाणा सरकार ने अपने कुछ आदमी इकट्ठे किये और कहा कि हम अपना अल्हदा गुरुद्वारा एक्ट बनायेंगी, कमेटी अल्हदा बनायेंगे। अब लड़ते हम रहें, लड़ाई हम करते रहें, इस देश को हम बचाते रहें और जब हमारी बात आये, तो हमारे खिलाफ हर सरकार काम करती रहे। ...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): क्या देश आपका नहीं है? ...*(व्यवधान)*

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: मेरा देश है। ...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह: फिर आप क्यों ऐसी बात कह रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: हमारा देश है इसलिए हम लड़े थे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: लाल सिंह जी, आप इस बात को नहीं समझ सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: जिसने इस देश को इतना खून दिया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुखदेव सिंह ढींडसा के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: आप बैठ जाओ। आप बाद में अपनी बात कहना। ...*(व्यवधान)* जिसने इस देश के लिए इतना खून दिया, क्या वह आज मांग भी नहीं सकते? ...*(व्यवधान)* हम अपनी बात भी इस देश में नहीं कह सकते? इतना खून, इतना अनाज और इतनी लड़ाइयों के बाद ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: आप हिस्ट्री पढ़िये। ...*(व्यवधान)* हमने खून दिया है, अनाज दिया है, सब कुछ दिया है। क्या हम अपना हक भी मांग नहीं सकते। ...*(व्यवधान)* लाखों आदमी 26 तारीख को यही मांगने आये थे। ...*(व्यवधान)* लाखों आदमी यहां पर यह मांगने आये ते कि हमें अपना हक चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुखदेव सिंह ढींडसा के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि जिस स्टेट ने कुछ दिया है, तो हमें उसके एवज में पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। हम बाकी बातें बजट में करेंगे, क्योंकि आज ज्यादा टाइम नहीं है। दूसरा, जो लैंडलैस फार्मर्स हैं या खेत मजदूर हैं, उनके लिए भी कुछ रखा जाए।

अपराह्न 2.38 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

मैं फिर एक दफा कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी राष्ट्रपति एड्रैस का जवाब दें या फाइनेंस मिनिस्टर बजट का जवाब दें, उसमें पंजाब का स्पेशल ध्यान रखा जाना चाहिए। यही मेरी आपसे विनती है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): सभापति महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा संसद की दोनों सभाओं में दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, इस संसद की यह महान परंपरा रही है कि वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती है। परन्तु इसी के साथ-साथ हम सभी यह जानते हैं कि यह भारत सरकार का वक्तव्य होता है तथा इसे भारत सरकार द्वारा अपने कार्यनिष्पादन और नीतियों के संबंध में तैयार किया जाता है। इसलिए, मैं यह महसूस करता हूं कि यह कार्य न करने, कुशासन और गत चार वर्षों के दौरान भारत के लोगों से किए गए वायदों से पीछे हटने का वक्तव्य है। ...*(व्यवधान)*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): क्या आप कर्नाटक सरकार के बारे में बात कर रहे हैं?

श्री अनंत कुमार: नहीं, यह सं.प्र.ग. सरकार के बारे में है।

महोदय, मैं, मूल्य वृद्धि के मुद्दे से शुरू करूंगा। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है:

> "मेरी सरकार का यह सतत प्रयास रहेगा कि वह मूल्य वृद्धि को नियंत्रित रखकर विकास की गति को बनाए रखे। मेरी सरकार ने वैश्विक मूल्यवृद्धि के रुझान से भारतीय उपभोक्ताओं को बचाने का प्रयास किया है।"

आज ही समाचार पत्रों में मूल्य वृद्धि नियंत्रित करने के मुद्दे पर इस सरकार के कार्यनिष्पादन के बारे में समाचार छपा है।

[हिन्दी]

अखबारों ने लिखा है "बजट का देखा रंग, महंगाई ने किया दंग", प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे आम आदमी का बजट बताया था, लेकिन बजट पेश होने के तीसरे दिन ही खाद्यान्न की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी से आम आदमी के सामने उसके मुंह से दाल-रोटी छिनने की नौबत आ गयी है। बजट से पहले और उसके बाद हालत यह है कि गेहूं की कीमत में प्रति क्विंटल 100 रुपए तक की बढ़ोत्तरी हो गयी है जबकि दाल की कीमतों में प्रति क्विंटल 200 रुपए तक की बढ़ोत्तरी हुई है। बजट आने के बाद बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए आम आदमी के साथ-साथ व्यापारियों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। पिछले सोमवार से लेकर

अब तक हर वस्तु की थोक कीमतों में कम से कम एक रुपए से 15 रुपए तक की बढ़ोत्तरी हुई है और खुदरा बाजार में कम से कम दो रुपए और अधिकतम 20 रुपए तक की बढ़ोत्तरी हुई है। हालत यह है कि बजट पेश होने के दिन तक जो चावल 15 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रहा था, आज उसकी कीमत 18 रुपए हो गयी है। इसी तरह अरहर दाल और मसूर दाल की कीमत में भी प्रति किलो दो से तीन रुपए तक की बढ़ोत्तरी हो गयी है। गेहूं की कीमत में थोक बाजार में 100 रुपए प्रति क्विंटल तक और खुदरा बाजार में 2 रुपए प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोत्तरी हो गयी है।

[अनुवाद]

ये सभी बातें छपी हैं। महोदय, मैं एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): आपने यह नहीं बताया कि यह किस अखबार में छपा है और किसने लिखा है?

श्री अनंत कुमार: इस अखबार का नाम राष्ट्रीय सहारा है। यह आज का है।

[अनुवाद]

सभी समाचार-पत्रों ने यह समाचार प्रकाशित किया है। वास्तव में, गत चार वर्षों से मूल्यों में वृद्धि हो रही है। दुर्भाग्यवश यदि मेरे मित्र जो कि मंत्रिमण्डल के एक वरिष्ठ सदस्य भी हैं, मूल्य वृद्धि को बहुत हल्के ढंग से लेना चाहते हैं और अगर आप आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि उन्हें आम आदमी की दुर्दशा के प्रति गंभीर होना चाहिए। आप आम आदमी की उपेक्षा नहीं कर सकते। मैं भी आपके माध्यम से उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वे देश में बढ़ते हुए मूल्यों को हल्के ढंग से न लें।

मैंने एक विश्वसनीय समाचार पत्र 'राष्ट्रीय सहारा' में पढ़ा है। तीन दिन पहले विभिन्न अन्य समाचार-पत्रों ने बजट प्रस्तुत किए जाने से तीन दिन पहले विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और आज तीन दिन बाद उनके मूल्यों की सूची दी है।

राष्ट्रपति के पिछले अभिभाषण में भी इस सरकार ने यह कहा था:

''मेरी सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि समग्र विकास की किसी भी रणनीति का मूल्य वृद्धि पर अंकुश रखना एक आवश्यक तत्व है... विश्व स्तर पर तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है।

...मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी कि गरीबों पर महंगाई का दुष्प्रभाव न पड़े। यह हमारी प्रतिबद्धता है।

....जैसे-जैसे विकास और निवेश में तेजी आएगी और आमदनी बढ़ेगी वैसे-वैसे वस्तुओं विशेषकर दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मांग में वृद्धि अवश्य होगी।''

इस सरकार से मेरा एकमात्र प्रश्न यह है कि वह मूल्य वृद्धि के बारे में क्या करने जा रही है? वह मूल्य वृद्धि को किस प्रकार नियंत्रित करेगी? हम यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई रणनीति बनाई गई है। सरकार में तीन आर्थिक विशेषज्ञ शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं एक अर्थशास्त्री हैं। वित्त मंत्री जी भी एक तथाकथित अर्थशास्त्री हैं। डा. मोन्टेक सिंह आहलुवालिया जी भी एक अन्य अर्थशास्त्री हैं। इस त्रिमूर्ति ने देश को उत्तरोत्तर मूल्य वृद्धि में झोंक दिया है। ...*(व्यवधान)*

दूसरे, मैं हाल ही में घोषित ऋण माफी संबंधी गंभीर प्रश्न उठाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक, जिन्होंने स्वयं राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ा नहीं है, की जानकारी के लिए इसे पढ़कर सुनाता हूं। राष्ट्रपति के अभिभावक के पृष्ठ संख्या 3 पर इसका उल्लेख है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: यह ''ऋणग्रस्तता'' के बारे में है।

श्री अनंत कुमार: 25.2.2008 को संसद की दोनों सभाओं में दिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 3 पर यह कहा गया है कि:

''सरकार ने प्रो. आर. राधाकृष्णन कृषि ऋणग्रस्तता संबंधी विशेषज्ञ समूह नियुक्त किया था और उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इस समूह की सिफारिशें सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं।''

[श्री अनंत कुमार]

आप कह रहे हैं कि आपको राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के बारे में जानकारी है और एक सिफारिश छोटे और सीमांत किसानों की ऋण माफी के बारे में है। ऐसी कई सिफारिशें हैं लेकिन भारत सरकार ने अपने बजट में इन्हें कार्यान्वित नहीं किया है। यह सिफारिश ऐसे किसानों की सहायता करने के लिए की गयी है जो किसी न किसी कारण पीड़ित हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि देश के विभिन्न भागों में लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं और पिछले चार वर्षों में किसानों के आत्महत्या करने के मामलों में वृद्धि हुई है। जब ऐसी बात है तो *...(व्यवधान)*

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): क्या आपके पास आंकड़े हैं? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार: मैं फीगर भी बताऊंगा। *...(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार: दस साल से यह शुरू हुआ है।

[अनुवाद]

आप केवल चार साल कह रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: मैं इनके विवाद में नहीं पड़ रहा हूं। प्रोफेसर राधाकृष्ण ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

महोदय, जब यह मामला इतना गंभीर है तो मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि संप्रग अथवा कांग्रेस पार्टी इसका राजनैतिक लाभ क्यों उठा रही है। जैसे ही ऋण माफी की योजना की शुरुआत की गयी दिल्ली के विभिन्न भागों और देश के विभिन्न हिस्सों में इस संबंध में आभार प्रकट करने वाले पोस्टर न केवल प्रधानमंत्री के, न ही वित्त मंत्री के, बल्कि श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राजीव गांधी के भी लगने लगे। महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में श्री शरद पवार के प्रति धन्यवाद ज्ञापन वाले पोस्टर दिखाई दिए। अत: हमारा निवेदन है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): इसमें क्या आब्जेक्शन है?

श्री अनंत कुमार: हमें आपत्ति है।

श्री संदीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): आपको क्या दिक्कत है थैंक्स करने में और आप क्या थैंक्स करेंगे? *...(व्यवधान)* आप कैसे थैंक्स करेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: यही हमारी आपत्ति है। यदि उनकी सहानुभूति सचमुच में किसानों और उनके द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के साथ है तो उन्हें किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। *...(व्यवधान)* उन्हें किसानों के ऋण की माफी का श्रेय लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

दुर्भाग्य की बात यह है कि उनमें आपस में ही अर्थात् श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री शरद पवार और संप्रग के अन्य विभिन्न घटकों के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है। मैं समझता हूं कि उन्हें संविधान की आरंभिक जानकारी या सरकार की जिम्मेदारी का पता ही नहीं है. *...(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार: महोदय, मैं एक मिनट के लिए उन्हें रुकने के लिए अनुरोध करूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: नहीं, मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: आपकी पार्टी के लोग महाराष्ट्र के कह रहे हैं कि हमारे एजीटेशन की वजह से यह कर्ज माफ हुआ है और वे भी हमें क्रेडिट दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: महोदय, श्री विलास मुत्तेमवार एक माननीय मंत्री हैं और मुझे नहीं पता कि आपने उन्हें कैसे बोलने की अनुमति प्रदान कर दी क्योंकि अभी तो मेरी बात ही पूरी नहीं हुई है।

मेरा अगला सीधा प्रश्न माननीय प्रधान मंत्री से है। यदि उन्होंने किसानों के लिए ऋण माफी योजना लागू की है तो इसके लिए उन्होंने बजट में प्रावधान क्यों नहीं दिया है। इसका प्रावधान कहां है। उन्होंने सारा बोझ राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर डाल दिया है। उनका क्या होगा? बैंकिंग प्रभाग के माननीय मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। अनेक बैंकर जो हमसे दूसरे दिन मिले, इस बारे में पूछ रहे थे। बजट अंतिम मई में पास होने

जा रहा है और 1 जून से उन्हें किसानों के लिए नई फसलों के लिए और कृषि ऋणों की व्यवस्था करनी है। यदि 60,000 करोड़ का प्रावधान नहीं किया गया है तब हमें पूरे आंकड़ों की बाजीगरी के बारे में नहीं पता है। ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: आपको इसका उत्तर सभा में बजट के उत्तर के दौरान मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यह भी कहा गया है कि न वसूले जाने वाले 30,000 करोड़ रुपए के ऋण को लागू किया जा रहा है और 30,000 करोड़ रुपया प्रदान किया जाने वाला है। मुझे इसके बारे में पता नहीं है। बैंकिंग प्रभाग के माननीय मंत्री को संसद में उत्तर देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: इसका जवाब बजट के उत्तर में मिल जाएगा।

श्री पवन कुमार बंसल: वे अब क्या चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: यदि वे इसे बता सकें तो कृपया बता दें। माननीय मंत्री जी से मैं यही पूछ रहा हूं कि इसके लिए वे क्या प्रावधान कर रहे हैं। मुझे यह सुनकर काफी खुशी होगी। मैं श्री बंसल के लिए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप पीठासीन अध्यक्ष को संबोधित करें और आप इस बारे में चिंता न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: हां, यह हमारी चिंता है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: निश्चित तौर पर हम इस ऋण माफी योजना का स्वागत करते हैं। हम ऋण माफी योजना के विरुद्ध नहीं हैं? लेकिन हम महसूस करते हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी को इस बारे में अपनी राजनीतिक चतुराई नहीं दिखानी चाहिए। ...*(व्यवधान)* उन्हें आंकड़ों की बाजीगरी नहीं दिखानी चाहिए। उन्हें सीधे-सीधे यह कहना चाहिए कि हम चार करोड़ किसानों के लिए 60,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ कर रहे हैं और इसके लिए बजट में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। उन्हें यह बात सीधे-सीधे बोलनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो 1 जून को समस्या और बढ़ जाएगी जब पूरे देश के किसान बड़ी समस्या में फस जाएंगे और किसानों को नए ऋण प्राप्त करने में मुश्किलें होंगी।

दूसरी बात मैं माननीय प्रधान मंत्री और इस सरकार से यह भी जानना चाहता हूं। अपने उत्तर में उन्हें बहुत दृढ़ता और स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिए कि इस देश के किसानों को एक जून से कृषि और फसली ऋण दिए जाएंगे।

कर्नाटक में जब मेरे प्रिय मित्र श्री येदुरप्पा उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने फसल ऋण और कृषि ऋण पर ब्याज दर को घटाकर चार प्रतिशत कर दिया था। हम देश में कृषि संकट पर डा. स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। डा. स्वामीनाथन की रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्याज दर को घटाकर चार प्रतिशत किया जाना चाहिए।

मुझे नहीं पता कि भारत सरकार ने कृषि और फसल ऋण के लिए ब्याज सात प्रतिशत से अधिक क्यों रखा हुआ है। हमारा यही अनुरोध और यही हमारी मांग है कि इसे घटाकर चार प्रतिशत किया जाए।

महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा एक प्रश्न यह है कि आत्महत्या करने वाले किसानों के पीड़ित परिवारों का क्या हुआ? हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें मुआवजा दिया गया। हमारी मांग है कि ऋणग्रस्तता के कारण आत्महत्या करने वाले सभी किसानों के परिवारों को भारत सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। परन्तु उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

माननीय वित्त मंत्री और माननीय कृषि मंत्री दोनों ने रात दिन यही कहा है कि मात्र 40 प्रतिशत किसानों को संस्थागत ऋण मिला है और 55 प्रतिशत से 60 प्रतिशत से अधिक किसान साहुकारों और महाजनों के चंगुल में थे। उनकी ऋणग्रस्तता का क्या होगा। उनके ऋण का क्या होगा। उनके दंडात्मक ब्याज का क्या होगा?

मैं इस मामले में सरकार से एक वक्तव्य चाहता हूं। मेरी मांग है कि उन्हें एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए कि कितने लाख किसानों ने आत्महत्या की है, कितने किसानों ने संस्थाओं अर्थात् विभिन्न बैंकों, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लिया है और कितने किसानों ने महाजनों और साहूकारों से ऋण लिया है। यदि यह विवरण सभा पटल पर रखा जाता है तो मुझे लगता है कि हम इस मामले में कुछ आगे बढ़ सकते हैं।

भारत के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा की है। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने कहा कि:

''समग्र आंतरिक सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में है। मेरी सरकार आतंकवाद की चुनौती और वामपंथी उग्रवाद के प्रति पूरी

[श्री अनंत कुमार]

सचेत है। जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और असम में हुई अमानवीय आतंकवादी घटनाओं की निंदा करने में पूरा देश एक जुट रहा है। सरकार वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए अपने प्रयासों के प्रति कृतसंकल्प रही है।''

मैं वक्तव्य में मौजूद अनेक विरोधाभासी बातें सामने लाना चाहता हूं। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गृह मंत्री और प्रधान मंत्री अलग-अलग सुरों में बोल रहे हैं। जहां तक नक्सलवाद का संबंध है, सरकार में उच्च स्तर पर उस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है और यह रहस्यपूर्ण है।

22 दिसम्बर, 2007 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री ने आंतरिक सुरक्षा के बारे में कहा—

''भारत राज्य के लिए एकमात्र सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती वामपंथी उग्रवाद है।''

मैं दोनों श्री मधुसूदन मिस्त्री और माननीय मंत्री महोदय श्री मुरली देवरा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं विरोधाभासी विषय को उठा रहा हूं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): आप बोल नहीं रहे हैं, सभी जगह से उद्धृत कर रहे हैं।

श्री अनंत कुमार: मैं बोल भी रहा हूं, लेकिन जो भी उद्धृत किया गया है वह प्रमाणिक है। आंतरिक सुरक्षा पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 22 दिसम्बर, 2007 को कहा:

''भारत राज्य के लिए एकमात्र सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती वामपंथी उग्रवाद है।''

दो महीने से भी कम समय के पश्चात 16 फरवरी, 2008 को गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील ने कर्ण थापर के साथ साक्षात्कार में सीएनबीसी में कहा:

''नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक मात्र सबसे बड़ा खतरा नहीं है।''

तो यहां विरोधाभास क्यों है? प्रधान मंत्री कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह सबसे बड़ा खतरा है, जबकि आपके गृह मंत्री प्रधान मंत्री से सहमत नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा: डेमोक्रेसी है।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: महोदय, माननीय मंत्री जी आंतरिक सुरक्षा पर सरकार के सामूहिक उत्तरदायित्व का मजाक उड़ा रहे हैं। सीमा-पार से होने वाले आतंकवाद से निपटने के तरीके के बारे में भी पिछले एक वर्ष से बदलाव आया है।

अपराह्न 3.00 बजे

मेरे मित्र ने पूछा है कि मैं विभिन्न दस्तावेजों से क्यों पढ़ रहा हूं। मैं पिछले वर्ष के राष्ट्रपति के अभिभाषण से उद्धृत करता हूं:

''यह संतोष का विषय है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ रही है। संयुक्त वार्ता, संयुक्त आयोग की आतंकवादरोधी सांस्थानिक तंत्र ने एक संरचनात्मक ढांचा उपलब्ध कराया है जिसके भीतर सभी मुख्य मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। हम घुसपैठ और सीमापार आतंकवाद के बारे में चिंतित हैं और बातचीत की प्रक्रिया की सफलता पाकिस्तान की अपनी इस प्रतिबद्धता पर आधारित है कि वह किसी भी तरीके से अपने नियंत्रणाधीन किसी भी क्षेत्र को आतंकवाद को समर्थन देने के लिए इस्तेमाल न होने दे।''

महोदय, मैं माननीय मंत्रीगण जो यहां बैठे हुए हैं और जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा की जरा सी भी चिंता नहीं है, का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं यह आरोप इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने में वे गम्भीर नहीं है। उन्हें इस देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी की जरा सी भी चिंता नहीं हैं। मैं समझता हूं कि अपने इस रवैये के लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार ने देश की समग्र आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख नहीं किया कि पाकिस्तान से वे क्या उम्मीद रखते हैं। वास्तव में उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था कि वे आतंकी ठिकानों और गतिविधियों को बंद कर देंगे। लेकिन वे कहते हैं कि शांति के प्रति वे प्रतिबद्ध हैं तथा पाकिस्तान के साथ दोस्ती और अच्छे पड़ोसी संबंध चाहते हैं। वे स्थिर और खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं। उन्होंने सब अच्छी-अच्छी बातें कही। लेकिन सीमा-पार आतंकवाद का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इस तरह वे स्थिति पर नियंत्रण कर रहे हैं।

सभापति महोदय: इन सब विषयों पर आप बजट चर्चा में बोल सकते हैं। इन सभी बिंदुओं को आप बजट पर चर्चा के दौरान जोड़ सकते हैं।

श्री अनंत कुमार: मैं अंतिम विषय पर बोल रहा हूं।

राष्ट्रपति ने कहा है:

"आज, विश्व इस महान लोकतंत्र को, पहले से भी अधिक आशाओं और आकांक्षाओं से भरी नजरों से देख रहा है।... ऐसे समय में, जब लोकतांत्रिक जीवन असहिष्णुतावादी ताकतों के नए दबाव का सामना कर रहा है....."

लोकतंत्र कहां है?

सभापति महोदय: लेकिन कार्य करने का यह तरीका शायद ही लोकतांत्रिक है।

श्री अनंत कुमार: मैं एक मिनट और चाहता हूं। हम कर्नाटक में चुनाव 28 अप्रैल, 2008 से पहले कराना चाहते हैं। वास्तव में आज मुख्य चुनाव आयुक्त और पूरा चुनाव आयोग वहां गया था। अगर आज कोई कर्नाटक में चुनाव का विरोध कर रहा है तो वह एक ही दल है और वह है कांग्रेस दल, यूपीए सरकार। उन्हें शर्म आनी चाहिए। वहां चुनाव से वे भाग रहे हैं। वे राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह संवैधानिक प्रावधान है। संविधान में संशोधन किए बिना इसे कोई भी बढ़ा नहीं सकता।

श्री अनंत कुमार: मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। आज वहां सर्व-दलीय बैठक है। कर्नाटक में सभी दल कह रहे हैं कि वे लोकतांत्रिक चुनाव चाहते हैं। हम लोगों का जनादेश चाहते हैं। अगर कोई दल चुनाव के लिए मना कर रहा है तो वह है कांग्रेस दल। वास्तव में वे संवैधानिक षडयंत्र करना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने 1975-77 में किया था। उन्होंने आपातकालीन स्थिति लागू कर दी थी और विधान सभाओं तथा लोक सभा की अवधि बढ़ा दी थी। उन्होंने 100 से भी अधिक बार केरल सहित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया। 1959 में पहली बार श्री इ.एम.एस. नम्बूदरीपाद को हटाया था और राष्ट्रपति शासन लागू किया था।

आप इसके गवाह थे। कर्नाटक में परिसीमन आयोग की अधिसूचना नवंबर 2007 में जारी की गई थी, मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी 2008 को स्वीकृति दी गई थी, और राष्ट्रपति द्वारा 19 फरवरी 2008 को अनुमति दी गई थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली इस संप्रग सरकार से मेरा एकमात्र प्रश्न यही है। जब नवंबर 2007 में परिसीमन आयोग की अधिसूचना जारी की गई थी तो इन्होंने मंत्रिमंडल की स्वीकृति देने और इसे राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजने में ढाई महीने का समय क्यों लिया। यह संविधान के अनुरूप नहीं है।

इसलिए हम संसद के माध्यम से निर्वाचन आयोग से और कांग्रेस तथा संप्रग सरकार से भी आग्रह करते हैं कि 28 मई से पूर्व कर्नाटक में चुनाव कराने के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न न करें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। मैं इसका उद्धरण देता हूं:

"एक बार विधान सभा भंग होने के पश्चात् निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए तत्काल कदम उठाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि नई विधान सभा का यथाशीघ्र गठन हो। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार केवल तभी चल पाएगी जब देश का शासन चलाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि हों। निर्वाचन आयोग की ओर से कोई विलंब अति गंभीर विषय है और विधान सभा भंग होने पर तत्काल कदम उठाना निर्वाचन आयोग का संवैधानिक कर्त्तव्य है।"

महोदय, यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है और कांग्रेस चुनाव को रोकने के लिए अनेकानेक कदम उठा रही है। मैं केवल एक घटना का उद्धरण देना चाहूंगा। हमारे पास वर्ष 1973-74 के समय का पूर्वोदाहरण है जब भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन लागू था। तीन महीनों के भीतर और वह भी कंप्यूटरीकरण से पहले के समय में सब कुछ पूरा हो गया था और चुनाव करा लिए गए थे और राष्ट्रपति शासन की अवधि नहीं बढ़ाई गई थी। यह वर्ष 1973-74 में हुआ था। हम कंप्यूटरीकृत युग वर्ष 2008 में हैं। कर्नाटक सूचना प्रौद्योगिकी-केंद्र है। जब यह शर्त है तो मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस और संप्रग सरकार विलंब करने के तौर-तरीके अपना रहे हैं।

सभापति महोदय: कपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप चुनाव की चिंता मत कीजिए।

यह सरकार अपना काम करेगी।

श्री अनंत कुमार: जब वे कहते हैं कि वे लोकतंत्र का पालन करते हैं तो उन्हें इस पर अमल करना चाहिए। वे संसद में कुछ और नहीं कह सकते और कर्नाटक राज्य में जनता से दूर नहीं भाग सकते हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि यह सरकार जनता का कल्याण, किसानों का कल्याण और देश की सुरक्षा करने,

लोकतंत्र की देखभाल करने तथा 28 मई से पूर्व कर्नाटक राज्य में चुनाव कराने के लिए कर्त्तव्यबद्ध है।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): मैं अजीत जोगी द्वारा इनीशिएट किए गए और श्रीमती कृष्णा तीरथ जी द्वारा सपोर्ट किए गए प्रेजीडेंट एड्रेस के थैंक्स पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं। कल और आज भी यह डिसकशन चल रहा है लेकिन यह बड़ी हैरानी की बात है कि प्रेजीडेंट एड्रेस और बजट को मिक्स करके बोला जा रहा है, अब यह चर्चा सिर्फ प्रेजीडेंट एड्रेस पर ही सीमित नहीं रह गई है। इसमें किसानों का कर्जा माफ करने की बात बार-बार सामने आ रही है, मेरे ख्याल से हमारे सामने वाले दोस्त इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनके अंदर से गलत बातें, बेसलेस बातें, जिनका कोई तुक नहीं है, ऐसी बातें निकल रही हैं जिससे लोगों और किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां कल आडवाणी ने इन्क्लूजिव ग्रोथ के बारे में बड़ी शंका व्यक्त की थी और कहा था कि शायद इसका यूज नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि प्रेजीडेंट अड्रेस में कहा है:

[अनुवाद]

> "सरकार द्वारा किए गए उपाय से समावेशी विकास का आवश्यक आधार तैयार हुआ है।"

[हिन्दी]

यूपीए शासन जो कांग्रेस की अगुआई में चल रहा है, चार साल में समाज का कोई तबका विकास के ढांचे से अछूता न रह जाए या इसमें से माइनस न हो जाए, इसका ध्यान रखा है। लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से उन्हें जितने पैसे पहुंचाए जाने चाहिए थे, उन्हें उतने पैसे पहुंचाने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया गया है। पिछले चार सालों के अंदर भारत निर्माण का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू हुआ। इन्हीं चार सालों के अंदर एक के बाद एक मैजर्स में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी योजना जो एक्ट में शामिल हुई, वह नेशनल रूरल एम्पलायमैन्ट गारंटी एक्ट बना और उसे पूरे देश में लागू किया गया। रिवोल्यूशनरी कानून, जिसके लिए सब लोग लड़ते थे और जिसके लिए पूरे देश के एन.जी.ओज. डिमांड करते रहे थे और राइट टू इंफार्मेशन एक्ट बनाया गया। इस देश में आठ करोड़ से अधिक आदिवासी लोग रहते हैं। जंगल में उनके सवाल थे और जंगल के सवालों में, फारेस्ट में और जमीन पर उनके राइट्स को लेकर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ट्रेडीशनल फारेस्ट ड्वैलर्स में फारेस्ट राइट एक्ट बनाया गया। इस तरह से ऐसी कितनी ही चीजें और कितने ही कानून बने, जो पूरे देश की शक्ल, आर्थिक व्यवस्था और देश में जितने भी गरीब तबके और समुदाय के लोग हैं, उनके जीवन के स्तर को बहुत आसानी से ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां फेडरल सिस्टम है और इस फेडरल सिस्टम के अंदर केंद्र सरकार चाहे कितने भी कानून बनाये और कितनी भी योजनाएं लागू करे, उन सबको इम्पलीमैन्ट करने का काम राज्यों की सरकारें करती हैं और उन राज्यों की सरकारों के ऊपर, केन्द्र को

अपराह्न 3.12 बजे

[श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन हुए*]

अपने कानूनों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर होना पड़ता है। इतना ही नहीं कांस्टीट्यूशन के अंदर राज्य सरकारों को कितने अधिकार दिये गये हैं। हमारी राइट साइड को छोड़ दें तो हमारी लैफ्ट में मानने वाले बहुत कम साथी बैठे हैं, उन लोगों को बड़ी आपत्ति होती है कि यदि केन्द्र अपने आप किसी राज्य में कोई सहायता करता है तो उनके द्वारा बड़ी आपत्ति जताई जाती है कि यह राज्य का मामला है, इसमें केन्द्र सरकार सीधे-सीधे कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि वर्ष 2002 में गुजरात में जो हादसा हुआ, तब हमारे साथी सरकार में थे और हम आडवाणी जी और वाजपेयी जी से मिलने गये और हमने उनसे रिक्वैस्ट की कि आप वहां आर्मी को सौंप दीजिए, तब उन्होंने कहा कि हम आर्मी को डिप्लाय करेंगे, लेकिन आर्मी को हैंड ओवर नहीं करेंगे। इस तरह से केन्द्र सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकी। गुजरात में लोग मरते गये और इस चीज को इलैक्शन में एक मुद्दा बनाकर लोग जीतकर आ गये। ...*(व्यवधान)* मैं यह मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि यदि केन्द्र चाहे जैसे आज छत्तीसगढ़ या जो दूसरे इलाके हैं, वहां नक्सलियों के इंसीडैन्ट्स होते रहे हैं। मैं खुद अपनी पार्टी की ओर से देखने के लिए गया था और उसकी रिपोर्ट भी मैंने पेश की है। ज्यादातर नक्सली इंसीडैन्ट्स उस पूरे इलाके में हो रहे हैं। लेकिन केन्द्र सरकार चाहकर भी इन एरियाज में सीधे एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि यह पूरा सब्जैक्ट स्टेट में आता है और स्टेट को खुद को ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं।

सभापति महोदय, यहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो दो दिन चर्चा चल रही है, उसमें एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे सब कुछ केन्द्र सरकार द्वारा ही करना है, इन्हें कुछ नहीं करना है। अगर किसान को छोटा सा लोन देने की बात है तो वह भी केन्द्र सरकार के पास आयेगा, ला एंड आर्डर की बात भी आयेगी, माल-न्यूट्रीशन की बात भी केन्द्र सरकार के समक्ष आयेगी। मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार,

प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन का जो रोल रहा है, उसके अंदर राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा पैसा मुहैया कराया जाए और उन योजनाओं के तहत उन्हें जो चीजें देनी हैं, वे दी जाएं। मैं सिर्फ माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि पिछले चार सालों के अंदर पूरे देश की राज्य सरकारों को वर्ष 2003-2004 के अंदर 65766 करोड़ रुपये स्टेट शेयर के दिये गये थे।

उसका स्टेट शेयर आज चार साल में बढ़कर एक लाख 78 हजार, 765 करोड़ रुपया हो गया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि राज्यों में माल-न्यूट्रीशन को दूर करने के लिये, प्राइमरी एजुकेशन के लिये, ला एंड आर्डर की व्यवस्था करने के लिये, कृषि को बढ़ावा देने के लिये, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये, माडर्नाइजेशन आफ पुलिस फोर्स के लिये, कंज्यूमर्स गुड्स को इनीशिएटिव देने के लिये केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार राज्य सरकारों को मदद मुहैया कराती है लेकिन राज्यों में खुद का गवर्नेंस पूअर होने के कारण और पौलिटिकल विल न होने से उसे इम्पलीमैंट कराने में सफल नहीं हो रही है। माल-न्यूट्रीशन को दूर करने के लिये, प्राइमरी एजुकेशन के लिये, ला एंड आर्डर की व्यवस्था करने के लिये, कृषि को बढ़ावा देने के लिये, इनफ्रास्ट्रक्चर के लिये, माडर्नाजेशन आफ पुलिस फोर्स के लिये, कंज्यूमर्स गुड्स को इनीशिएटिव देने के मामले में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में लैवल नीचे है। गुजरात का कृषि में सातवां स्थान है, न कि पहला, यह मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): यह परम्परा रही है कि मैंने दो गुजरातियों को एक साथ लड़ते नहीं देखा।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सभापति जी, मैं कह रहा था कि वर्ष 2003-04 में कृषि को ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: इसलिये जनता ने आपको सबक दिया है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: आप चिन्ता मत करिये, इसका असर ज्यादा दिन नहीं रहता है। आप अपने ढंग से चल रहे हैं। आप कम्युनल बेस पर इलैक्शन जीतने वाले हैं लेकिन नेशनल लैवल पर कभी नहीं आयेंगे। आप जानते हैं और इसे गुजरात तक रखें, यहां मत लाइये।

सभापति जी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की बात की गई है। पूरे देश के अंदर इनक्लूसिव ग्रोथ है। यहां 30 प्रतिशत से ज्यादा गरीब हैं जिनकी आय एक डालर से कम रहती है। हम जानते हैं कि 55 करोड़ से ज्यादा मिडिल क्लास आदमी हैं जिनकी परचेंजिंग कैपेसिटी अमेरिका जैसे देश से भी कम है। राष्ट्रीय रूरल रोजगार योजना का मकसद यह था कि गरीब आदमी तक ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचे, उन्हें मजदूरी मिले, काम मिले ताकि गांवों में प्रासपैरिटी बढ़े। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की क्या हालत है? आज परिस्थिति क्या है? इस एक्ट के अंदर प्रोवीजन है कि कृषि मजदूर को मिनिमम वेजेज दिया जायेगा लेकिन जो शैड्यूल्ड प्रोफैशन्स हैं, उनमें यह नहीं मिलती है। राज्य में कृषि वेजेज 50 रुपये है और कहीं-कहीं तो यह 20, 25, 40 और 45 रुपये भी काम के मिलते हैं। कई राज्यों में तो 100 रुपये मिनिमम वेजेज है। यह रकम केंद्र सरकार देती है। अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या दूसरे राज्य मिनिमम वेजेज बढ़ायें तो उन्हें नहीं देनी पड़ती है। यह दिल्ली की यू.पी.ए. सरकार देने वाली है। अभी बिहार के भाई आ गये हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे गरीब मजदूरों की जेब में ज्यादा पैसे दिया जाना नहीं देखना चाहते हैं? जब किसानों की बात निकली तो कहा गया कि प्रेजीडैंट अड्रेस में लेबर्स के लिये कुछ नहीं है। यह एम्प्लायमैंट गारंटी एक्ट इस साल से पूरे देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। ये जान-बूझकर ऐसा कहना चाहते हैं, जिससे इन लोगों को पैसा नहीं मिले या कम मिले। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वह नहीं मान रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैंने नाम नहीं लिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमसे पूछा है, इसलिए हम बताना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वह नहीं मान रहे है। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: हां, महोदय। मैं नहीं मान रहा हूं। मैं श्री प्रभुनाथ सिंह के बारे में जानता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

यह आदत से मजबूर हैं। इसलिए वे जरूर खड़े होंगे, मैं ऐसा मानता था। अभी और बातें मैं कहूंगा, फिर खड़े मत हो जाना। यह जो इनक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं क्यों आपके रूल्ड स्टेट्स में इस पर अच्छी तरह से अमल नहीं हो रहा है, क्यों आप मिनिमम वेजेज नहीं बढ़ा रहे, क्यों सौ दिनों की मजदूरी नहीं दे रहे? आपकी मंशा ऐसी है कि जो मजदूरी करने वाले परिवार हैं, उनके पास पैसा नहीं जाए. इनक्लूसिव ग्रोथ के बारे में जो भी कदम केन्द्र सरकार ने उठाए हैं, उन कदमों को अपने राज्यों में लागू न करो, जिससे संख्या में फेर न हो, ऐसी हमेशा इनकी स्ट्रैटजी रही है। दूसरी मिसाल मैं देता हूं कि शैड्यूल्ड ट्राइब्ज एंड अंदर ट्रेडीशनल फारैस्ट ड्वैलर्स के लिए फारैस्ट राइट्स का एक्ट हमारी पार्लियामैंट ने पास किया। इससे इस देश के आठ करोड़ आदिवासी लोगों को और जंगलों में रहने वाले गैर आदिवासी लोगों को फायदा होने वाला था। इस कानून से चार हैक्टेयर से ज्यादा जमीन जो लोग जोतते थे, उनको भी लाभ मिलने वाला था। इस कानून से जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस ब्रिटिशर्स के समय हुआ था, उससे आदिवासियों और गैर आदिवासियों को एस्टैबलिश करने में फायदा होने वाला था। जनवरी में इसके पूरे नियम बने लेकिन कोई स्टेट इसको लागू नहीं करना चाहता, आप छत्तीसगढ़ ले लो, झारखंड ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, राजस्थान ले लो, गुजरात ले लो। मुझे हैरानी है और अफसोस होता है कि मैं ऐसे राज्य से आता हूं जिसके मुख्य मंत्री ने गत छः साल में एक भी आदिवासी को पट्टा नहीं दिया। मैं रिकार्ड पर कहना चाहता हूं कि इलैक्शन के समय पर 2000 लोगों को बुलाकर उनको पट्टा नहीं दिया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदयः श्री गढ़वी, जब आप बोलेंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बेकार में परेशाम मत कीजिए। आपको उत्तर देने का अधिकार है। श्री मिस्त्री कृपया अब अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः आप जहां चाहे वहां नहीं बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

आप जो कहेंगे, वे तो खुद की बात करेंगे। खुद की बात बाद में करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री मिस्त्री, कृपया अब आगे बोलिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः महोदय, मेरी हैरानी यह है कि ये बोलों तो कोई न बोले और दूसरे बोलें तो ये बोलें—यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। इनमें टालरैन्स नहीं है। यह बहुत बड़ी परेशानी है। *...(व्यवधान)* आप भी तो बिहार की सरकार की बात कर रहे थे। आप दूसरी सरकारों की अकेले की बात करते हैं। आपने पूरे राष्ट्र की बात कभी नहीं कही। आपने तो हमेशा आपके राज्य की ही बात की है।

महोदय, पिछली 13 तारीख को जब आदिवासियों को पता चला कि इस कानून से उनको जमीनें मिलने वाली हैं, इस कानून से उनको गोंद, लाख, चिरौंजी, तेंदू के पत्ते, महुए, इसके ऊपर उनका राइट एस्टैबलिश होता है, इस कानून से उनके हिस्टारिकल राइट्स एस्टैबलिश होते हैं, तब उन्होंने मांग की और उस जमीन जंगल पर गए। उसकी लीडरशिप के लिए, उनको अरैस्ट करके, उनको अंधाधुंध मारकर पकड़कर ले गए और रेंज आफिस में रखा गया। रेंज आफिस में रखने के बाद सुबह दस बजे जब लोग उन्हें छुड़ाने गए तो फायरिंग हुई और उसमें से एक आदमी जिसको सुबह छः बजे पकड़कर लेकर गए थे, उसको क्लोज रेंज से कोल्ड ब्लडेड फायरिंग में फेक एनकाउंटर में मारा गया। यह परिस्थिति आज है। आदिवासियों को पूरे देश के अंदर इस कानून से जो लाभ मिलने वाले हैं, इनक्लूसिव ग्रोथ के अंदर उनको लाना चाहिए, इनकी सरकारें उन्हें नहीं लाना चाहती।

इनकी सरकारें, कितने आदमियों और जो सर्टेन क्लासेस हैं, उन्हें प्रिफर करने वाली थीं और अभी भी हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि प्रभुनाथ सिंह जी जैसे जो हमारे माननीय सदस्य हमेशा उनके साथ रहे तथा उन्हें सपोर्ट करते रहे, इनका करेक्टर जानने के बाद कि वे कैसा काम करने वाले हैं, यह जानने के बाद भी हमेशा उनके साथ रहते हैं—यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी होती है। इनके सामने बहुत बड़ा सवाल इन्क्लुसिव ग्रोथ में लाने का था।

मेरा कहना है कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बीपीएल फैमिलीज में आदिवासी इलाके के लोग हैं। देश में सबसे ज्यादा जो गरीब फैमिली हैं, वह लैंडलैस लेबर हैं। इन दोनों वर्गों के लिए जो प्रोग्राम एवं कानून हैं, उन्हें अच्छी तरह देश में लागू किया जाए. ये तीस परसैंट के लिए रोते हैं, जिनके लिए कल यहां पर अपोजिशन के लीडर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। उनको बहुत जल्दी है, तो उनके लिए ये कुछ कर सकते थे, लेकिन ये कुछ करना नहीं चाहते।

महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट्स एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट के बारे में और उसके अंतर्गत अनेक स्कीमों का इसमें समावेश किया गया है। अभी अनन्त गीते जी ने रीजनल इम्बैलेंसेस की बात उठाई थी। हमारी केंद्र सरकार ने रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड शुरू किया है। यह कितने स्टेट्स में लागू है, लेकिन कितने राज्य ऐसे हैं, जिनमें मेरा स्टेट भी है, जहां बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के अंदर पैसा सीधे केंद्र सरकार से जिलों को दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट डैवलपमेंट आफिसर अगर पूरे जिले के विकास के लिए योजना बनाता है और केन्द्र को जो पैसा एवं योजना भेजता है तो उन्हें जो बीस करोड़ रुपए दिए जाते हैं, हमारी सरकार ने नहीं लिए, गुजरात की सरकार ने प्लान तैयार नहीं करवाए। ऐसी कितनी सरकारें हैं, जिन्हें इन्बैलेंसेस रखने में इंटरैस्ट है। वे नहीं चाहते कि इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कितने लोगों को, देश में यह कानून आने के बाद, अपने राज्यों में सौ दिन का रोजगार दिया, कितनों को पट्टे दिए और कितने लोगों को बीस करोड़ की योजना का लाभ मिला, जहां इनकी सरकारें हैं? केन्द्र की सरकार हर चीज के लिए जवाबदार है। मेरे पास पिछले साल की एक रिपोर्ट है, जिसके अंदर आठ या नौ सैक्टर्स लिए गए हैं—उसमें एग्रीकल्चर, इनवेस्टमेंट, एनवायरमेंट, प्राइमरी एजुकेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर मार्केट, ला एंड आर्डर आदि हैं। उसके अंदर हरेक स्टेट की सन् 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007 में क्या पोजिशन थी, किस तरह की रैंकिंग थी, वे सब अलग-अलग वेरिएबल्स से दिए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस वेरिएबल और रैंकिंग में फर्क क्यों नहीं हो रहा है, क्यों स्टेगनेशन हो रहा है। कल हमारे लेफ्ट पार्टी के साथी बोल रहे थे, वैस्ट बंगाल में रैंकिंग के अंदर क्यों फर्क नहीं हुआ, क्यों सन् 2003 में जो पोजिशन थी, वही पोजिशन आज भी बरकरार है? मध्य प्रदेश में क्यों वही पोजिशन चालू रही, क्यों बिहार में प्राइमरी एजुकेशन के अंदर वही पोजिशन चालू रही—यह सवाल पोलिटिकल विल और गवर्नेंस का है, सिर्फ पैसे का नहीं है। केन्द्र से हरेक चीज नहीं हो सकती। हमारी खुद की भी इच्छा होनी चाहिए कि हमें इसे दूर करना है। बजट में प्राइमरी एजुकेशन के लिए ज्यादा एलोकेशन करने से किसने रोका है, राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा पैसा एग्रीकल्चर के अंदर देने के लिए किसने रोका, इनकी सरकार को किसने ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स की माडर्नाइजेशन करने के लिए रोका? ला एंड आर्डर की सिचुएशन में ये राज्य क्यों दूसरे राज्यों से पीछे हैं, हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं? ये सब सवाल गवर्नेंस के हैं, ये सब सवाल जो बजट का एलोकेशन से संबंधित हैं कि इनकी प्रायोरिटी किस तरह फिक्स की जाती है। पूरे देश के राज्यों के बजट के अंदर देखा जाए तो पता चलेगा कि जिनके पास असेट्स हैं, उन आदमियों को ही उससे फायदा हुआ है। असेटलैस एग्रीकल्चरल लेबर, अनस्कील्ड लेबर—उन्हें इन राज्यों के अंदर फायदा नहीं हुआ। राज्यों के अंदर बैठ कर ये कितनी प्लानिंग करते हैं। इनके मुख्य मंत्रियों को किसने रोका था। हम जानना चाहते हैं, आप हमें बताइए कि आपने जो प्रोमिसेस अपनी मैनिफेस्टों में दिए हैं, उनमें कितने पूरे किए?

मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो विकास की बातें कही गई हैं, उनसे ये लोग इलैक्शन की वजह से झुंझला गए हैं। अब कह रहे हैं यह तो लोन वैवर की बात हो गई है, जो हमने मांगा भी नहीं था और हम तो जानते भी नहीं थे कि ऐसा होगा। अब ये लोग सब क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन अब क्रेडिट को छोड़कर, इस योजना को किस प्रकार से डिसक्रेडिट किया जाए, इसके लिए तीन-चार दिन से इनका प्रयास चल रहा है। इनकी यह मंशा पूरी होने वाली नहीं है। यूपीए की सरकार पूरे पांच साल चलेगी और समय पर इलैक्शन होंगे। उसके बाद एनडीए की सरकार जल्द वापस आएगी और आडवाणी जी जैसे जो सपने देखकर बैठे हैं और उन्हें जाहर करके बैठे हैं कि नैक्स्ट पीएम मैं हूं, जल्दी से आप इलैक्शन लाइए, मैं वहां जाकर बैठूंगा, प्रभुनाथ जी, आप आडवाणी जी को समझाइए कि अब आपकी उम्र 81 वर्ष की हो गई है और अब पीएम मत बनिए, किसी बीजेपी के युवा नेता को आगे कीजिए। इनकी यह मंशा पूरी होने वाली नहीं है। यह सरकार पूरे पांच साल चलेगी, अच्छी तरह से चलेगी और इस देश के किसान अच्छी तरह से समझेंगे कि कौन उनके साथ है, कौन उनके विरोध में है, किसने क्या किया है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन (रामनाथपुरम): माननीय सभापति महोदय, मैं अपने श्रद्धेय नेता डा. कलैंगनार एम. करूणानिधि की अध्यक्षता वाले द्रमुक दल की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लेने का अवसर देने पर हार्दिक धन्यवाद देती हूं।

अपने देश के इतिहास में इस अवसर पर हमें करुणामयी, अति विद्वान और अनुभवी, विनम्रता, सादगी और देशभक्ति के गुणों से संपन्न महिला को गणतंत्र के प्रमुख और भारत के राष्ट्रपति के रूप में पाकर सचमुच गर्व और प्रसन्नता है।

[श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन]

विशेषकर, मुझे यह उल्लेख करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे नेता डा. कलीगनर एम. करूणानिधि ने विश्व के इस खूबसूरत और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति को चुनने में मुख्य भूमिका निभाई है। वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति के समर्थन में चेन्नई में महिलाओं की एक बड़ी रैली का आयोजन किया था।

इस समय मैं महान तमिल कवि कविमणि डेसिया विनयगम पिल्लई के शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगी, जिन्होंने कहा था:

"मनगईयाराई पीरप्पधर के नल्ला माथवम सेथीदा वेन्दुमम्मा।"

इस दोहे का अर्थ यह है कि केवल भाग्यशाली ही महिला के रूप में जन्म लेते हैं और हमारी महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

माननीय राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को पूर्ण आशावाद के साथ सम्बोधित करते हुए तीव्र और व्यापक आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु भारत सरकार द्वारा अपनायी गयी रणनीति और बनायी गयी योजनाओं का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। अपने अभिभाषण में, उन्होंने इस तथ्य का बड़े ही सुंदर ढंग से उल्लेख किया कि यूपीए सरकार द्वारा "सम्मिलित विकास का खाका" तैयार किया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले वर्षों के मुकाबले बहुत ऊंची छलांग लगाई है। बढ़ रही वृद्धि दर आने वाले और अच्छे समय की अग्रदूत है। भारत एक आर्थिक पावर हाउस में तब्दील हो रहा है और राष्ट्रों के समक्ष इसकी छवि तथा प्रतिष्ठा बेहतर हो रही है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में, उन्होंने सम्मिलित राष्ट्रीय विकास की नयी अवसंरचना के लिए आधार के रूप में पांच स्तंभों का वर्णन किया है। ये हैं—भारत निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और यूनिवर्सल मध्याह्न भोज कार्यक्रम सहित सर्व शिक्षा अभियान।

पूरी विनम्रता के साथ मैं इन पांच कार्यक्रमों को हमारे देश के सम्मिलित आर्थिक विकास के लिए "नई पंचशील" कहना चाहूंगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए पूर्ववर्ती पंचशील को हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हमें विश्वास है कि नई पंचशील हमारे देश को ख्याति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

हमारे देश का आर्थिक प्रबन्धन अत्यधिक कुशल है। वैश्विक तेल दामों में जारी दबाव के बावजूद मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में 30 मेगा फूड पार्कों के उल्लेख से हमें बहुत प्रसन्नता हुई है।

जब राष्ट्रपति ने यह घोषणा की कि अप्रैल, 2008 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम का विस्तार 330 जिलों से देश के सभी ग्रामीण जिलों में कर दिया जोगा, तब हमने संयुक्त अधिवेशन में तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट चुनी और मैंने भी इस प्रसन्ता में हिस्सा लिया क्योंकि मेरा सबसे पिछड़ा जिला रामनाथापुरम इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है।

जब राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख किया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सच्चर समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यूपीए सरकार ने प्रोफेशनल कोर्सों के लिए योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति के लिए 800 करोड़ रुपए, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम हेतु 3300 करोड़ रुपए और 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के विकास के लिए 3780 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस घोषणा की बहुत प्रशंसा की गई है। हमें भारत की माननीय राष्ट्रपति को हार्दिक धन्यवाद देना चाहिए।

"समाज में महिलाओं का बराबर का योगदान है" यह मेरे शब्द नहीं हैं, बल्कि हमारी माननीय राष्ट्रपति ने यह अपने भाषण में कहा है। यद्यपि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विधिक समता के माध्यम से "महिलाओं के सशक्तिकरण" के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, हमें यह महसूस होता है कि हमारी यूपीए सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 और महिला और बाल संरक्षण अधिनियम में संशोधन किए गए हैं, फिर भी संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने में हम सब झिझक रहे हैं। कोई भी इस तथ्य को नहीं नकारेगा कि हमारी यूपीए अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी ने विधान के इस हिस्से के लिए काफी प्रयत्न किए और मुझे पक्का विश्वास है कि महिला राष्ट्रपति तथा महिला यूपीए अध्यक्ष की अध्यक्षता में, उन सभी दलों की सहमति के साथ, जो इसके बारे में प्रतिदिन मंच पर बोल रहे हैं, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण इस देश में शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा।

यहां, पूरे भारत को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, डा. एम. करूणानिधि को बधाई देनी चाहिए, जिन्होंने स्थानीय प्रशासन की पंचायत के माध्यम से तमिलनाडु में बहुत पहले ही 33% आरक्षण लागू कर दिया था। जब मैं डा. एम. करूणानिधि के बारे में बात

करती हूं तो मेरे मस्तिष्क में दो बातें आती हैं। पहली, तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिल भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता देने संबंधी किए गए अनुरोध और दूसरे तमिल भाषा को उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार की मांग के बारे में है। हम, तमिलनाडु के लोग चाहते हैं कि तमिलनाडु के उच्च न्यायालय में आदेश और निर्णय तमिल भाषा में दिए जाएं। मैं यह प्रार्थना केवल तमिल भाषा की ओर से नहीं कर रही हूं बल्कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए कर रही हूं।

"अतुल्य भारत" बहुत आकर्षक शब्द है और जैसा कि हमारी राष्ट्रपति ने कहा है कि इस "अतुल्य भारत" अभियान से भारत में पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिला है और 2007 में पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की आय 12 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गई है। इस समय यूपीए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उन्हें रामेश्वरम के खूबसूरत तटीय क्षेत्र तथा इसकी धरोहर की ओर ध्यान देना चाहिए और मुझे यकीन है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और केन्द्र को अच्छी आय मिलेगी।

जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के तटीय क्षेत्र का उल्लेख करती हूं तो मैं वहां के मछुआरों की दुर्दशा का उल्लेख किए बिना नहीं रह पाती हूं। यद्यपि मोटे तौर पर "आंतरिक सुरक्षा" की स्थिति नियंत्रण में है तथा हमारी सरकार की विदेश नीति भी शांति और स्थिरता के माहौल को प्रोत्साहित करने वाली ही है, जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख भी किया गया है, लेकिन तथ्य यह है कि हमारे मछुआरे अभी भी दर्द और पीड़ा झेल रहे हैं। रामेश्वरम और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना द्वारा पैदा की जा रही बहुत सी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। अक्सर हमारे मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना गोली मार देती है तथा उनकी नाव छीन लेती है और मछुआरों को श्रीलंकाई जेलों में डाल देती है। जब भी मछुआरे अपनी दुर्दशा को रोते हैं तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री डा. एम. करूणानिधि केन्द्र से संपर्क करके उन्हें छुड़ाते हैं। मैं पुरजोर आग्रह करती हूं कि केन्द्र को इसका स्थाई समाधान करना चाहिए जैसे कि कल हमारे माननीय विदेश मंत्री ने अपने भाषण में वादा किया है।

मछुआरों के जीवन में खुशहाली के लिए संप्रग सरकार को उनके लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण करना होगा।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तटीय क्षेत्र लगभग 270 किमी है जो एक बड़ा तटीय क्षेत्र है। इसलिए, एक समुद्री विज्ञान विश्वविद्यालय आंरभ करना समय की मांग है जैसा कि हमारे माननीय पोत परिवहन और सड़क परिवहन मंत्री श्री टी.आर. बालू तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने भी कहा है। इससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मछुआरों को निश्चित रूप से खुशी होगी।

महोदय, कुल मिलाकर, हमारी माननीय राष्ट्रपति ने राष्ट्र के लिए अत्यंत प्रभावशाली और विचारोत्तेजक अभिभाषण दिया है। हमारी संप्रग सरकार का योजना कार्यान्वयन पहले ही सोने की भांति है और राष्ट्रपति का भाषण तो सोने पर सुहागा है।

महोदय, मैं यहां एक बात पर जोर देना चाहता हूं। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा है कि "हमारी सरकार हमारे किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है।" यह सत्य है और हमारे माननीय वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की है कि किसानों का 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा। श्री अनंत कुमार इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं। वे भाजपा के महत्वपूर्ण नेता हैं और उन्होंने देशभर में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने पर चिंता जताई। लेकिन जब भी कावेरी (नदी) का जल तमिलनाडु के लिए छोड़ा जाना होता है तो वे पीने के लिए भी कावेरी जल छोड़ने पर आपत्ति करते हैं। इसलिए, इस माननीय सभा के माध्यम से श्री अनंत कुमार से अनुरोध करती हूं कि तमिलनाडु के किसानों के प्रति सहाभूतिपूर्ण रवैया रखें और तमिलनाडु के लिए कावेरी जल छोड़ें।

महोदय, मैं अपने भाषण का समापन महान तमिल संत तिरूवेल्लूवर के निम्नलिखित शब्दों से करना चाहूंगी जिनमें उन्होंने एक समृद्ध राष्ट्र के बारे में कहा है:

"पिनिमिनमाई सेल्वम विलावैविनबम थेमम
एनी इन्बा नट्टीरकु इवाइथु"

इन शब्दों का अर्थ है कि एक समृद्ध राष्ट्र के पांच आभूषण हैं—उत्तम स्वास्थ्य, संपत्ति, अच्छी फसलें, लोगों में खुशी और सुरक्षा। इसलिए हमें एक समृद्ध राष्ट्र के लिए कड़े प्रयास करने चाहिएं। हमारी माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस बात पर जोर दिया है कि योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में लोगों की समर्पित भागीदारी से ही भारत एक समृद्ध राष्ट्र बन सकता है।

मैं, हमारे डीएमके दल की ओर से एक बार पुन: राष्ट्रपति का उनके आशावादी अभिभाषण के लिए धन्यवाद करती हूं।

[हिन्दी]

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): सभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। इस धन्यवाद प्रस्ताव पर महामहिम

[श्री सीताराम सिंह]

राष्ट्रपति जी की और इस सरकार की ...*(व्यवधान)* जितनी भी प्रसंसा की जाए, मैं मानता हूं कि जितना भी धन्यवाद दिया जाए, वह कम होगा। महोदय, सभी सैक्टर्स में और इस देश के विभिन्न तबकों और वर्गों में रहने वाले आम-आदमी के लिए, गरीबों के लिए और किसानों के लिए, सभी सैक्टर्स में सरकार बेहतर काम करेगी। इसका प्रतिबिंब इस अभिभाषण में स्पष्ट है। मैं कल से माननीय सदस्यों को सुन रहा हूं और सभी लोगों ने अपने-अपने तरीकों से इसको विश्लेषित किया है, सरकारी पक्ष के लोगों ने अपने तरीके से और विपक्ष के लोगों ने अपने तरीके से इसे विश्लेषित किया है।

महोदय, हमारे यहां लोकतंत्र है।

इस लोकतंत्र में अलग-अलग राजनीतिक दल हैं और अपनी-अपनी राजनीतिक दृष्टि से सरकार के प्रयासों का विश्लेषण करते हैं। मगर इस संसद में जहां हम सब बैठे हैं, देश की जनता हम सबकी बातों को गौर से सुनती है और खुद भी विश्लेशिषत करती है कि हम क्या करना चाहते हैं।

मैं विषय पर आना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक से एक महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश है। भारत निर्माण की योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, सूचना का अधिकार, ये तमाम बातें हैं। आगे देखें तो जिसकी बड़ी लम्बी चर्चा इस सदन में हो रही है, वह किसानों का सवाल है। गरीबों का सवाल है, जिसमें रोजगार के कई माध्यमों से उन्हें विकसित करना है। गांवों और शहरों की दूरी कम करने के लिए भारत निर्माण की योजना चलाई गई है। तमाम योजनाएं जिन्हें अलग-अलग ढंग से रेखांकित करके इस देश के गांवों और शहरों के विकास के लिए बनाया गया है, इसमें कहीं कोई मीनमेख करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसमें एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जितनी राशि इन कार्यों के लिए बजट द्वारा संघीय ढाचें में आवंटित की जाएगी, उसे खर्च करने के लिए भारत सरकार सीधे राज्य सरकारों को भेजती है। किन्हीं योजनाओं के लिए भारत सरकार सीधे जिलों को राशि भेजती है। राज्य सरकारों के माध्यम से जो पैसे खर्च होने हैं, वे गांवों और अन्य विकास में कितने सही ढंग से खर्च हो रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर सदन को थोड़ा गम्भीर होकर विचार करना चाहिए और सरकार को भी इस बारे में गंभीर होना चाहिए। मैं पैसे की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपने कार्यकाल में एक बात कही थी, जिसे मैं उद्धृत करना चाहता हूं कि जो पैसे योजनाओं के अंतर्गत विकास के लिए भेजे जाते हैं, उसमें से कितने प्रतिशत पैसे उस विकास पर खर्च होते हैं और कितने पैसे बीच में बिचौलिये खा जाते हैं, इस पर सरकार का नियंत्रण बेहतर तरीके से होना चाहिए। ये सब बातें अभिभाषण में नहीं हैं।

मैं आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जो पैसे राज्यों में खर्च करने के लिए भेजे जाते हैं, उसे खर्च करने के तौर-तरीके, नियंत्रण, रख-रखाव के बारे में भी विचार करना चाहिए और विचार करके उसके लिए उचित सिस्टम डैवलप करना चाहिए।

मेरा कहना है कि जो पैसे विकास के लिए आवंटित हो रहे हैं, वे उसी काम पर खर्च होने चाहिएं। अभी रोजगार गारंटी योजना चल रही है। अब सरकार ने फैसला किया है कि यह देश के सभी जिलों में लागू होगी। इससे बड़ा क्रांतिकारी कानून और नियम हिन्दुस्तान में आज तक कभी नहीं बना। रोजगार गारंटी योजना राज्य सरकार के माध्यम से जिन राज्यों में लागू करनी है, आपको जानकर हैरत होगी कि हमने कमेटी के माध्यम से कई स्टेट्स में भ्रमण किया है, गांव में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जिस पैसे का उपयोग करना है, वह नहीं हो रहा है। गरीबों को जॉब कार्ड देकर काम देना है, वह बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है। बहुत जगहों पर गरीब की हाजिरी अलग बन रही है और उसका पैसा सरकारी कर्मचारी अलग उठा रहा है। हमारे राज्य बिहार में यह सब कुछ हो रहा है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे पता लगता है कि वहां रोजगार गारंटी योजना ठीक से लागू नहीं हो रही है। गरीबों को जॉब कार्ड नहीं मिल रहा है। वहां ऐसे बहुत से कारण बनाकर पैसे ऊपर ही खाये जा रहे हैं। वहां लोगों को 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा है। गरीबों का शोषण और दोहन हो रहा है, उनके पैसे की लूट हो रही है।

मैं कहना चाहता हूं कि जिस काम के लिए सरकार ने पैसा दिया है, उसे आप उसी में नियंत्रित करके बेहतर तरीके से खर्च करें, यह हमारा सुझाव है। इस पर सरकार को ज्यादा गंभीर होना चाहिए। भारत निर्माण के अंतर्गत काम हो रहा है। प्रधानमंत्री पथ बनाये जा रहे हैं। मैं सरकार को एक बात के लिए आगाह करना चाहता हूं। यहां पर सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं, देश में अलग-अलग राज्य हैं और अलग-अलग सरकारें हैं। अब कोई योजना भारत सरकार की है लेकिन गांव-गांव तक राज्य सरकार का प्रचार हो रहा है। जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है, वह इसके लिए अपनी पीठ थपथपाती है। वह अपना साइन बोर्ड लगाकर, शिलान्यास और उद्घाटन करके कहती है कि यह हमारी योजना है। हमारा कहना है कि जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, उन सबमें एम.पी. शामिल होना चाहिए, लेकिन एमपी का कहीं भी नामो-निशान नहीं है। जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है,

उसमें कांग्रेस को छोड़कर, क्योंकि जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वह वहां न अपना नाम ले पा रही है और न ही भारत सरकार का नाम ले पा रही है। जहां विरोधी दल की सरकार है, तमाम यूपीए को छोड़कर बाकी सभी सरकारें अपना नाम लेकर पीठ थपथपा रही हैं। हमारे राज्य बिहार में भारत सरकार पैसा दे रही है, लेकिन सभी साइन बोर्ड्स पर मुख्यमंत्री का नाम लिखा हुआ है, बिहार सरकार का नाम लिखा हुआ है। ...*(व्यवधान)* सिफारिश आप करो और रुपया हम दें। अब कानून हम बना रहे हैं और उन्होंने सिफारिश करके अपना नाम लिख लिया। कहीं भी भारत सरकार का नाम नहीं है। गाइडलाइन में हमारा नाम लिखना है, तो एमपी से नफरत है। भारत सरकार की कोई योजना है चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, गारंटी रोजगार योजना है, सभी का यही हाल है। आपने 200 रुपये करने का जो क्रांतिकारी कदम उठाया, वृद्धावस्था पैंशन के लिए पैसा दिया, लेकिन क्या आपका रुपया उन गरीबों तक पहुंचा? अब ईद, बकरीद, होली, दीवाली आदि गयी, लेकिन क्या आपका पैसा गरीबों तक पहुंचा? क्या उस पैसे की मौनीटरिंग हो रही है? स्टेट गवर्नमेंट को आपने कहा कि 100 रुपये के बदले 200 रुपये तुम भी कर लो, तो वह काम अभी तक नहीं किया गया। जो पैसे दिल्ली से गरीबों के लिए गये, उसे भी ठीक से नही बांटा। जिन गरीबों के लिए आपने वृद्धावस्था पेंशन देने की योजना बनाई, उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। भारत सरकार का पैसा ठीक से नहीं मिल रहा है। गारंटी रोजगार योजना में भी आज यही हाल है। प्रधानमंत्री सड़क योजना तक में आपका नाम छिन रहा है। भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आपने अभी बहुत क्रांतिकारी कदम उठाये हैं। आपने किसानों का ऋण माफ कर दिया है। इस पर इतनी बहस हो रही है। गीते साहब और अनंत कुमार जी बोल रहे हैं। एक बात साफ है कि इनके पास एक भी शब्द प्रतिवाद करने के लिए नहीं है।

जिस क्षण माननीय वित्तमंत्री जी एलान कर रहे थे कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और इससे तीन करोड़ या चार करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, उस समय आप लोग जिस तरह से उछल-कूद कर रहे थे, उसे जनता देख रही थी और कह रही थी कि ये लोग इस बजट का विरोध क्यों कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देरी मत कीजिए नहीं तो आपकी सरकार जिस राज्य में होगी, यूपीए की सरकार जिस राज्य में होगी, उस राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों की सरकारें इन कामों का श्रेय स्वयं ले लेंगी। मैं हकीकत बोल रहा हूं। ये लोग बोल देंगे कि इन्होंने कर्ज माफ किया है। गांवों में जाकर कहेंगे कि यह काम यूपीए सरकार ने नहीं, बल्कि हमने किया है। दूसरे राज्य बोलें या न बोलें, लेकिन हमारा राज्य अवश्य बोल देगा। वे कह देंगे कि कर्ज उन्होंने माफ किया है, लेकिन हम लोग शांत रहने वाले नहीं हैं। हम लोग किसानों का जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि जितनी योजनाएं आपने पारित करवाई हैं, उनका मीडिया और टीवी पर जितना प्रचार किया है, उससे आपका काम चलने वाला नहीं है। आप बैठकर इस बात पर विचार कीजिए कि आपकी योजनाओं और आपके कामों का गांव और जिला लेवल पर प्रचार कैसे हो। इस मंत्र को आप बेहतर तरीके से लागू कीजिए वरना आपके सभी कामों का क्रेडिट दूसरे लोग ले जाएंगे। ये लोग कह रहे हैं कि यह चुनावी बजट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको वर्ष 2004 में चुनावी बजट देने से किसने रोका था। माननीय नेता विरोधी दल ने यह कबूल किया है कि हमें यह कहना चाहिए था कि इंडिया विकास की ओर बढ़ रहा है, न कि इंडिया शाइनिंग कहना चाहिए था। यूपीए सरकार ने बहुत कुछ किया है। पिछले चार वर्षों में यूपीए ने ईमानदारी से ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन उनका प्रचार-प्रसार नगण्य है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सीताराम सिंह: महोदय, मैं तो बिरले ही बोलता हूं। अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है। एक-दो बातें और बोलकर समाप्त करूंगा। मैं जो कुछ बोलूंगा, बैलेंस्ड होकर बोलूंगा।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप अपनी योजनाओं के प्रचार और प्रसार के लिए एक बार स्थिर मन से विचार करके एक सिस्टम डेवलप कीजिए और जिन राज्यों में आपकी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का नाम भारत सरकार के नाम से सारे गांवों से लेकर शहरों तक में लिखा जाए। इसके लिए आपको कुछ व्यवस्था करनी चाहिए और स्पेशली जो योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं, उनका लाभ गरीबों तक कैसे पहुंचे, इसको मॉनीटर कीजिए। यह काम केवल राज्य सरकार पर मत छोड़िए, इसकी मॉनीटरिंग करिए ताकि जिसके लिए आप धन देते हैं, वह उस जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सके। मैं किसानों के सवाल पर सरकार को कोटिश: धन्यवाद देता हूं। सरकार ने कहा है कि हम किसानों का ऋण माफ कर देंगे। बजट में आपने जो व्यवस्था की है, उसका विद्वत्तापूर्वक विश्लेषण अनन्त कुमार जी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे बैंकों पर बोझ बढ़ेगा। लगता है कि बैंकों ने अलग से कोई खाता खोल रखा है। मेरे जैसा गांव में रहने वाला आदमी यह नहीं समझ पा रहा है कि बैंक में जो पैसा है, क्या वह सरकार का पैसा नहीं है, क्या वह पैसा बैंक के कर्मचारियों का है?

अपराह्न 4.00 बजे

[श्री सीताराम सिंह]

इसलिए सरकार को व्यवस्था करनी है। रिजर्व बैंक भारत सरकार के कंट्रोल में है। इसलिए जब सरकार ने कहा है कि हम किसानों के ऋण माफ करेंगे तो बजट में व्यवस्था करनी ही है और ऋण माफ करने ही हैं।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करें।

श्री सीताराम सिंह: आप जो सिस्टम ऋण माफ के लिए एडाप्ट करेंगे, एक जून से माफ करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, हमारा आपसे अनुरोध है कि गांव के किसानों को बैंकों में ऋण माफ के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े और बैंक वाले उन्हें परेशान न करें, ऐसी व्यवस्था आपको करनी होगी, जिससे आसानी से उनका कर्ज माफ हो जाए।

हमारा देश भी गजब का है। यहां पर कई तरह की फसलें और अनाज पैदा होता है। कुछ देर पहले हमारे एक साथी ने कपास के मामले में कहा। मैं भी अपने क्षेत्र के गन्ना किसानों के बारे में कहना चाहूंगा। गन्ना किसानों को प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, लेकिन बिहार में यह तय नहीं है। वहां मिल वाले ही मनमाने ढंग से मूल्य तय करते हैं। भारत सरकार 87 रुपए, 88 रुपये या 100 रुपये जो भी मूल्य निर्धारित करती है, राज्य सरकार को उसमें जो एड करना है, वह करके गन्ना किसानों को मिल मालिकों से उसकी रसीद मिलती है, लेकिन हमने देखा है कि बिहार में किसानों को दी जाने वाली इस रसीद पर दाम नहीं लिखा जाता। इसलिए बिहार के गन्ना किसानों को भारी परेशानी होती है। एक तरफ तो उन्हें बकाया पैसा नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ जो गन्ना वह चीनी मिल मालिकों को दे रहे हैं, उसकी रसीद पर दाम नहीं लिखा जाता है।

सभापति महोदय: आपने करीब 20 मिनट के लिए हैं। आपकी पार्टी से और भी सदस्य बोलेंगे। इसलिए अब कृपया समाप्त करें। अभी कई माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री सीताराम सिंह: मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि गन्ना किसानों को उनका बकाया पैसा मिले और उचित दाम रसीद पर लिखा जाए, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे मिल मालिकों से गन्ना उत्पादकों को राहत मिल सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जितना पैसा आप पूरे देश में देते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बिहार को बेहतर पैसा मिल रहा है। वहां स्कूल बनाए जा रहे हैं और टीचर्स बहाल किये जा रहे हैं। यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है और राज्य सरकार ऐसे-ऐसे मास्टर्स बहाल कर रही है, जिन्हें अपना नाम भी नहीं लिखना आता, तो वे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। आप स्कूली बच्चों के लिए पोषाहार के लिए भी धनराशि मुहैया कराते हैं। मेरा कहना है कि हमारे बिहार प्रदेश में गरीब बच्चों को पोषाहार नहीं मिल रहा है। वह बाहर ही मार्केट में बिक जाता है और उसकी लूट होती है। इसलिए आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आप यहां से अन्त्योदय के लिए, अन्नपूर्णा के लिए और बीपीएल के लिए राज्य सरकारों को धन मुहैया कराते हैं, लेकिन उसका फायदा बिहार में उन गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है, वह बीच में ही बंट जाता है। राज्य सरकार के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, आप जांच करके इसका पता लगाएं।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करें और अगर आपका भाषण बाकी है, तो उसे सभा पटल पर रख दें।

श्री सीताराम सिंह: ठीक है, मैं समाप्त ही कर रहा हूं। मैं इन शब्दों के साथ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): मुझे भी मौका दिया जाए।

सभापति महोदय: जब पूरा हाउस अपनी बात कह लेता है, तब आपको मौका मिलता है। आप यह बात जानते ही हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। कल से पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से यह बहस हो रही है और सभी माननीय सदस्यों ने विस्तार से अपनी बातों को यहां रखा है।

सबसे प्रमुख बात जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में दिखाई देती है वह यह है कि अभिभाषण में भारत निर्माण पर ज्यादा जोर दिया गया है और यूपीए सरकार के तीन-चार साल के कार्यों के बारे में हर पाइंट को टच करने की कोशिश की गयी है। आज गांवों के लोगों का पलायन शहरों की ओर बढ़ रहा है। गांवों और शहरों के बीच की खाई को पाटने के लिए तमाम तरह की योजनाएं, भारत-निर्माण की योजनाएं लागू की गयी हैं। लेकिन वे कितनी कारगर होंगी, कितनी जमीन तक पहुंचेगी और सरकार उन्हें लागू करने में कितनी कारगर होगी, यह सब सामने आने की बात है। मेरे ख्याल से जितने पाइंट्स को अभिभाषण में टच किया गया है, जब तक उनको जमीन पर लागू नहीं किया जाएगा, तब तक भारत निर्माण का सपना पूरा नहीं होगा।

दूसरी बात, अभी हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य ने मूल्य वृद्धि के बारे में कहा और हर सत्र में मूल्य वृद्धि पर चर्चा हुई है। सत्र शुरू होने से पहले भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से उसका नुकसान हुआ है। आज पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि होने से हमारे जनजीवन में काम में आने वाली वस्तुओं पर प्रतिभार बढ़ता है और मूल्यों में वृद्धि अपने आप बढ़ती है।

तीसरी बात, सच्चर समिति की सिफारिश की बात कही गयी है। इसमें कुछ घोषणाएं भी हुई हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 90 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए 3080 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पेशेवर छात्रों के लिए 800 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। माध्यमिक स्तर के स्कूलों के लिए 3500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

मुस्लिम समुदाय के लोगों के समग्र विकास के लिए इस सदन में हमेशा चर्चा हुई है। आजादी के पहले और आजादी के थोड़े दिन बाद तक देखा गया कि मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर जो तरक्की होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। सच्चर समिति की जो रिपोर्ट है उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए और जमीन तक उसकी सिफारिशें आये तभी जाकर अल्पसंख्यक समुदाय की बढ़ोत्तरी और उनके जनजीवन में सुधार लाया जा सकता है।

सभापति जी, जहां देश में गरीबी और किसानों की बात कही गयी है लेकिन किसानों की आत्महत्या के बारे में अभिभाषण में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए सदन के बाहर भी, जंतर-मंतर पर भी, महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर भी हमेशा हम लोगों ने अपनी बात कही है। करीब 40 हजार से अधिक आत्महत्याएं हुई हैं। मैं चाहूंगा कि जिन किसान परिवारों में आत्महत्याएं हुई हैं उन किसान परिवारों को कम से कम 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए ताकि उनका परिवार गरीबी से ऊपर उठ सके।

अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के दो इंस्टीट्यूशन्स अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा देकर इन्हें मजबूत किया जाए, जिसकी मांग बहुत दिनों से हो रही है लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।

माननीय सीताराम जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा कि बेसिक और माध्यमिक उच्च स्तर की शिक्षा के लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि जैसे सर्व-शिक्षा अभियान की बात कही गयी है और उसमें बेसिक शिक्षा को मजबूत करने की बात कही गयी है, लेकिन जब तक बेसिक शिक्षा हमारी मजबूत नहीं होती तब तक माध्यमिक और उच्च स्तर पर हम छात्रों को सुविधा नहीं दे पाएंगे। एक ही तबके को शिक्षा मिल रही है लेकिन जो गरीब तबका है वह शिक्षा से आज भी वंचित हो रहा है। इस ओर हमें ध्यान देना होगा।

रोजगार की बात भी कही गयी। कुछ सम्माननीय सदस्यों ने कहा और भारत-निर्माण कार्यक्रम में भी कहा गया कि अभी तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में 70 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। करीब 100 करोड़ की आबादी में अगर आपने 70 लाख लोगों को रोजगार दिया और फिर आपने यह कहा कि अब इस कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किया जाएगा लेकिन यह देखा जाए कि कहां आप रोजगार दे रहे हैं। आज प्रतिदिन गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मकसद था कि जिनका जॉब कार्ड बने, उन्हें रोजगार मिले, मजदूरी मिले, लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं हो रहा है। आप खास कर उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद पर देख लीजिए, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां धरना प्रदर्शन इसलिए होता है कि जॉब कार्ड गांव के प्रधान अपने पास रखे हुए हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है, इस कारण उन्हें पैसा भी नहीं मिल रहा है। जब तक हम जमीनी सतह पर इस योजना को लागू नहीं करेंगे, तब तक बेरोजगारी हमारे बीच से नहीं जाएगी। सदन से बाहर और सदन में भी यही चर्चा होती है कि खास कर जो पढ़ा-लिखा नौजवान है, उसे कम से कम रोजगार जरूर दिया जाए और यदि रोजगार नहीं दिया जाता, तो बेरोजगारी भत्ता अवश्य दिया जाए। बजट में ऐसा प्रावधान होना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी बेरोजगारी भत्ता देने की बात नहीं कही गई है। हमारी सरकार जब तक रही, उत्तर प्रदेश में, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया। लेकिन आज देश स्तर पर नौजवान बेरोजगार हैं। उनको अगर रोजगार नहीं दे सकते, तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता अवश्य देना चाहिए।

एक बात कुपोषण के बारे में कही गयी है। यह बात सत्य है कि गरीब और स्लम बस्तियों में जो अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक के गरीब लोग हैं, चाहे वे शहर में रहते हों या गांव में, आज उनके बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। महिलाएं बीमार हैं। उनका अगर हिमोग्लोबिन टेस्ट कर लिया जाए, तो खून में उसकी कमी मिलेगी। ज्यादातर महिलाएं अनीमिया बीमारी की शिकार हैं। यदि माताएं ही स्वस्थ नहीं होंगी, तो बच्चे कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। अगर ऐसे स्थिति बनी रहेगी, तो हम स्वस्थ भारत का निर्माण कैसे कर सकेंगे।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

भारत निर्माण के बारे में कहा गया है कि चाहे शहरी क्षेत्र हो या देहाती क्षेत्र हो, हर जगह शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाएगा। महोदय, देखा गया है कि खासकर उत्तर प्रदेश का एरिया हो या मध्य प्रदेश का एरिया हो, जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। सिंचाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। पशु-पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए सरकार को कम से कम बजट में अलग से प्रावधान करके बुंदेलखंड एरिया में, जहां सूखा है, विशेष पैकेज देना चाहिए, बजट में प्रावधान होना चाहिए, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बात आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह बहुत दुख का विषय है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनके लिए आप विधेयक लाए हैं, उनके लिए जैसे आपने 60 वर्ष आयु निश्चित की है, उनके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लाई जानी चाहिए। तभी वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान बढ़ सकता है और उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है।

खाद्यान्नों के संबंध में मूल्यवृद्धि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। आज किसान को उत्पादन का वाजिब मूल्य दिलाने की बात भी नहीं कही गई है। सरकार की तरफ से बजट में भी प्रावधान होना चाहिए और हम हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि जो हमारा किसान है, उसके लिए वर्ष में तीन फसल उगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसको फसल के लिए बिजली, पानी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। आज वह केवल एक फसल मुश्किल से कर पाता है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ता है, इसकी वजह से तबाही मची हुई है। आज किसानों को कम से कम उत्पाद का सही मूल्य मिलना चाहिए और इसका निर्धारण पहले से हो जाना चाहिए तभी जाकर कालाबाजारी और चोरबाजारी रुक सकती है।

भारत निर्माण में जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रूरल मिशन के बारे में यह बात कही गई है कि शहर की जिस तरह से रूपरेखा है, शहर का जिस तरह का वातावरण है वैसा गांवों में भी लाया जाएगा। इसका यही माध्यम है। खास तौर से इसे स्लम बस्तियों में लिया गया है। बहुत से ऐसे शहर हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में क्राल टाउन है, चाहे लखनऊ, कानपुर, बरेली या वाराणसी हो, तमाम ऐसे क्राल टाऊन हैं, जहां आज भी जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल मिशन में पैसा नहीं दिया गया है। यह सर्वे हो रहा है कि यहां पुल बनेगा, रास्ते बनेंगे, सीवर लाईन बनेगी और स्लम बस्तियों का सुधार होगा, लेकिन अभी तक यह नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि कोशाम्बी और प्रतापगढ़ जो नए जिले हैं, कम से कम इस योजना के तहत उनमें काम किया जाए। मैं दो तीन प्वाइंट्स और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। जहां तक देश में नक्सलवाद की बात है, आज नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है, जो बेरोजगार नवयुवक हैं, जो समाज और देश की मुख्य धारा से अपने को अलग-थलग पा रहे हैं, वही नक्सलवाद की तरफ बढ़ रहे हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि उनके नेताओं के बीच सरकार को पहल करनी चाहिए, बैठ कर बात करनी चाहिए और उनकी समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए तभी हम नक्सलवाद से छुटकारा पा सकते हैं और देश आगे तरक्की कर सकता है।

शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात है। जब तक शिक्षा को रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, तब तक बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं हो सकती है। खास तौर पर कक्षा नाईंथ से ही देखना चाहिए कि उनका इंटरस्ट किस रोजगार की तरफ है। उस बेस पर अगर शिक्षा देंगे तो मेरे ख्याल से हमारे यहां बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें अन्यथा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा और आपका बाकी भाषण कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा। यह आपकी आखिरी बात है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: महिला आरक्षण के बारे में भी मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। महिला आरक्षण हो लेकिन अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों की महिलाओं को भी आरक्षण मिले तभी यह व्यवस्था लागू हो सकती है। ...*(व्यवधान)* मैं अति महत्वपूर्ण प्वाइंट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप 13-15 मिनट से भी अधिक ले चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: समय की मजबूरी है। हम चाहते हैं कि आप दिन भर बात करें, हमें क्या आपत्ति हो सकती है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या मैं अपना भाषण ले कर दूं?

सभापति महोदय: आप अपना भाषण ले कर दें। जिन को इस विषय में भाषण करना है या जिन का भाषण बाकी रह गया है, वे भी ले कर सकते हैं। सब कुछ ले कर सकते हैं।

[अनुवाद]

यदि ऐसा किया जाता है तो हमें खुशी होगी।

[हिन्दी]

***श्री शैलेन्द्र कुमार:** अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव में निम्न बातों को जोड़ने की कृपा करें।

देश में हिन्दी भाषा के अपमान को रोका जाये। संसद के सेंट्रल हॉल में हिन्दी में मुख्य लोगों के भाषण होने चाहिएं।

इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में निजी विमानपत्तन की स्थापना हो। उपरोक्त तीनों स्थानों को देश के पर्यटन मानचित्र में लाना चाहिए।

देश में स्थानीय परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आम, केला, अमरूद, बर्तन, बाघ, बीड़ी उद्योगों में बढ़ावा दिया जाये। सब्सिडी देकर बढ़ावा दें।

देश में बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि नुकसान पर स्वत: बीमा योजना लागू हो।

उत्तर प्रदेश व देश के बीमार औद्योगिक इकाइयों को चालू कराने की व्यवस्था होनी चाहिए।

आई.सी.डी.सी. सहायकों, शिक्षा मित्रों, पंचायत मित्रों, आशा, होमगार्डों, थानों के चौकीदारों व जीवन स्वास्थ्य रक्षकों की पुन: नियुक्ति करके उनकी सेवा नियमित की जाये।

शहरी, ग्रामीण स्लम बस्तियों में बेहतर सेवा जैसे पेयजल, बिजली, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

महिला आरक्षण में अनु. जाति, पिछड़ी, अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

देश में शिक्षा को प्रत्यक्ष रोजगार से जोड़ा जाए। कक्षा 9वीं से शिक्षा को रोजगारपरक बना कर शिक्षा की व्यवस्था हो।*

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

***प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन** (वेल्लौर): संसद के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

हमारे प्यारे देश में, जो विश्व का वृहत्तम लोकतंत्र है इसे प्रथम महिला राष्ट्रपति हासिल करने का गौरव प्राप्त है। राष्ट्रपति ने अपने विचारोत्तेजक अभिभाषण से देश के सभी वर्गों को खुशी और संतुष्टि प्रदान की है।

यह अभिभाषण हमें संप्रग सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों और क्रियान्वित किये गये कार्यक्रमों की एक झलक प्रदान करता है। श्रीमती सोनिया गांधी और प्रतिष्ठित नेताओं यथा डा. कलाईगनर के परामर्श और सहायता से अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चलने वाली साझा सरकार ने राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहलू की समावेशी वृद्धि के लिए सर्वोत्तम पथ दिखाया है।

हमें विश्वास है कि सकल घरेलू उत्पाद में 9 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा और देश में गुणवत्तापरक शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, पर्याप्त रोजगार और कल्याणकारी उद्यमों के लिए समान अवसर होंगे।

सुस्पष्ट वृद्धि और उत्तम उपलब्धियों के मद्देनजर हम सरकार की नीतियों की आलोचनाओं का खंडन कर सकते हैं। वास्तव में आज के भारत का न तो उदय हो रहा है और न ही संकट में है बल्कि भारत उभर रहा है। बहुत कम अवधि में हमारी अर्थव्यवस्था राष्ट्रों के समुदाय में हमें निश्चित रूप से महा आर्थिक शक्ति का दर्जा दिलाएगी।

किसान, औद्योगिक कामगार, असंगठित क्षेत्र का श्रमिक वर्ग, विशेषज्ञ (प्रोफेशनल), व्यवसायी समुदाय और हमारे राजनीतिक समाज का हरेक वर्ग संप्रग सरकार की उपलब्धियों के प्रति बहुत ही जागरूक है।

महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान ने शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला दी है। सरकार द्वारा लागू की गई सभी योजनाओं की हर वर्ग के लोगों द्वारा व्यापक रूप से प्रशंसा की गई है और उन्हें स्वीकार भी किया है।

सरकार ने अल्पसंख्यकों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार हेतु अनेक कार्यक्रम शुरू किये हैं। मुस्लिम समुदाय सच्चर

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन]

समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने हेतु सरकार का आभारी है।

महोदय, यह बहुत ही स्वागत योग्य स्कीम है कि अल्पसंख्यक बहुल वाले 90 जिलों का विकास कार्यक्रमों हेतु चयन किया गया है और यह नोट करना सुखद है कि इस कार्य हेतु 3780 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि तमिलनाडु के किसी भी जिले को जिला सूची में शामिल नहीं किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु और अन्य राज्यों में अल्पसंक्यक बहुल शहरों और नगरों में ये सुविधाएं प्रदान करे।

जब भी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का 15-सूत्री कार्यक्रम या कोई अन्य योजना लागू करने के लिए सामने आती है तो भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों द्वारा यह आलोचना की जाती है कि यह अल्पसंख्यकवाद या अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण है। अल्पसंख्यक विशेषकर भारत के मुसलमान राष्ट्र-निर्माता, स्वतंत्रता सेनानी तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता के सूत्रधार हैं। इन तथ्यों को हम राष्ट्रीय इतिहास के हर पृष्ठ पर देख सकते हैं।

विपक्ष कभी-कभी यह आलोचना करता है कि आतंकवाद इस्लाम और मुसलमानों द्वारा पैदा किया जाता है। यह ऐतिहासिक तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाना है। इस गलत और आधारहीन आरोप की देवबंद घोषणा में भर्त्सना की गई है। विश्व के मशहूर इस्लामिक यूनिवर्सिटी, दारूल इस्लाम देवबंद ने एक सम्मेलन आयोजित किया है जिसमें हमारे देश के छह हजार मदरसों ने भाग लिया। देवबंद घोषणा में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मदरसों का किसी भी तरह के आतंकवाद या आतंकवादियों के साथ कोई संबंध या रिश्ता नहीं है। हम आतंकवाद को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। आतंकवाद इस्लाम के उपदेशों को पूरी तरह नकारता है जो प्यार और शांति का विश्वास है। कोई भी आतंकवादी गतिविधि, जो निर्दोष लोगों को निशाना बनाती है, शांति के प्रति इस्लाम की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है। मदरसे देश के कोने कोने में मानवता, शांति, भाईचारे और प्यार को फैलाते है। देवबंद घोषणा में देश में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में सभी संदेहों को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

इस देश के मुसलमानों ने इसके गौरव और महानता के लिए सदैव कार्य किया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ई. अहमद को हमारी सरकार के मंत्रालय में जगह मिली है। वी. सुदर्शन के एनाटामी ऑफ एन एम्बडक्शन: हाउ द इंडियन हॉस्टेज इन इराक वेयर फ्रीड'' में इराकी अपहर्ताओं से भारतीय बंधकों को उनके द्वारा आश्चर्यजनक तरीके से छुड़ाए जाने के बारे में बेहतर ढंग से रिकार्ड किया गया है।

मुझे सरकार के हाजी शिष्टमंडल में शामिल होने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ था। जब हम मीना क्षेत्र में हाजी मामले के सउदी मंत्री से मिले थे तब माननीय ए.आर. अंतुले, अल्पसंख्यक मामले मंत्री ने शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था और ए.आर. अंतुले ने भारत में सांप्रदायिक सद्भाव और सह-अस्तित्व, भारत अपने अल्पसंख्यकों के प्रति कितने आदर्श ढंग से व्यवहार करता है, भारतीय मुसलमान हमारे देश के राष्ट्र निर्माण के कार्यकलापों में किस तरह साझेदार हैं की सुंदर चर्चा की। जब सउदी मंत्री हमारे देश के गौरव और महानता का वर्णन सुन रहे थे तो वे काफी हतप्रभ हुए। देश और विदेश में रह रहे मुसलमान वास्तव में, राष्ट्रीय सम्मान, गौरव और प्रतिष्ठा की मिसाल हैं। मैं विपक्ष के अपने भाइयों से इमानदारी से अपील करता हूं कि वे देश में इस्लाम और मुसलमान के विरुद्ध झूठा दुष्प्रचार न करें।

सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम देश में आम आदमी के लिए काफी लाभदायक हैं। हमने अभी तक आम आदमी की बात की अब हम बस आदमी के विध्वंसक कार्यों की बात करते हैं। बस आदमी एक नई श्रेणी के लोग हैं। वे विध्वंसकारी, शैतानी और पैशाचिक ताकतें हैं जो समाज में फूट और देश में विध्वंस पैदा करती हैं। ये बस आदमी नक्सलवादी, माओवादी, आतंकवादी और विध्वंसकारी के रूप में मौजूद हैं। इन समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतों को सरकार द्वारा सख्त चेतावनी दी जानी चाहिए और सख्ती से निपटना चाहिए। सरकार को उन्हें हमारे राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में लाने हेतु वार्ता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब वार्ता असफल हो जाए तो देश में इन राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने में कोई उदारता बरतने की आवश्यकता नहीं है।

हमें देश में प्रत्येक पंचायत में न्यायालय स्थापित करने हेतु प्रस्तावित विधान का स्वागत करना है। मुसलमानों में ये मोहल्ला जमात शरीयत पंचायत, शरीयत काउंसिल और मस्जिद मदरसा आधारित शरीयत ट्राईब्यूनल हैं। जब ग्राम न्यायालय स्थापित किया जाता है, मुस्लिम शरीयत पंचायत, शरीयत काउंसिल और शरीयत ट्राइब्यूनल को यथोचित मान्यता दी जाए। इन्हें देश में ग्राम न्यायालयों की विधि प्रणाली के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर ध्यान देने हेतु न्यायमूर्ति मिश्रा आयोग के गठित किये जाने पर प्रसन्न है और इस हेतु प्रधान मंत्री और सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट माननीय प्रधान मंत्री को सौंप दी गई है। यह ज्ञात है कि मिश्रा आयोग ने सरकारी नौकरियों में अलग से 15% विशेष आरक्षण देने की सिफारिश की है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से हार्दिक अपील करता हूं कि वे संसद में मिश्रा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करें और देश के केन्द्र और राज्य सरकारों में उनकी सिफारिशों को लागू करने हेतु आगे आएं।

महोदय, मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय की निम्नलिखित पंक्तियों को उद्धृत करना चाहता हूं:

"अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार देने का विचार आबादी के एक भाग को विशेषाधिकार या विशेष महत्व देने जैसा नहीं है बल्कि अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना और विश्वास का अहसास पैदा करना है। अति प्राचीन समय से भारत के नेताओं ने सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व के सिद्धांत का उपदेश दिया है। उन आदर्श विचारों का उल्लेख संविधान में किया गया है। अपने यहां और सर्वत्र शांति, सद्भावना, सह अस्तित्व और विकास की स्थापना करने हेतु प्रयासरत हमारा प्रिय देश फल-फूलकर नई महाशक्ति बने।"

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): आदरणीय महोदय, मैं पट्टाली मकाली काट्ची और इसके संस्थापक अध्यक्ष की ओर से माननीय सदस्य श्री अजीत जोगी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 4.16 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन* हुए]

सर्वप्रथम, मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सी अच्छी बातें हैं जो हमारी बधाई की हकदार हैं।

प्रथम, माननीया राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्र को गत चार वर्षों में संप्रग सरकार के कार्यनिष्पादन का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दिया है। उन्होंने गत चार वर्षों में सरकार के कार्यनिष्पादन का न केवल गुणगान किया है बल्कि राष्ट्र के समक्ष कुछ चुनौतियों के बारे में उचित रूप से बताया है। इसलिए, यह भारत की समकालीन स्थिति की केवल मिलीजुली प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि यह वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन भी है और ऐसा कोई भी प्रसिद्ध भारतीय कर सकता है। भारत की राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यही किया है।

दूसरे महोदय, माननीया राष्ट्रपति ने आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, विदेशी संबंधों और सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित अनेक नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। इसलिए, उन्होंने बताया है कि सरकार महोदया सोनिया गांधी के विशिष्ट मार्गदर्शन और विश्व के विख्यात अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंह के समर्पित नेतृत्व में विभिन्न नीतियों के साथ आगे बढ़ी है।

तीसरे, माननीया राष्ट्रपति का अभिभाषण आकांक्षाओं, उत्साह और आशावाद से परिपूर्ण है। उनके अभिभाषण के कुछ वाक्यों को उद्धृत करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप पृष्ठ सं. 19 पर ध्यान दें जिसमें वह कहती हैं:

"भारत प्रगति कर रहा है। हमारे युवाओं में कुछ कर गुजरने की ललक है और समाज के कमजोर वर्गों की कुछ आकांक्षाएं हैं। हमारे सामने बाह्य और घरेलू खतरों के बावजूद विकास प्रक्रिया को बनाए रखने की चुनौती है। भारत के लोगों में सार्वभौमिक विकास को ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता है।"

अत:, माननीया राष्ट्रपति का यह अभिभाषण सामयिक और प्रासंगिक है और इक्कीसवीं सदी में समृद्ध और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भारत की जनता को उत्साहित करने हेतु इसकी आवश्यकता है। इसलिए, महोदय, मुझे इन सब कारणों से माननीया राष्ट्रपति का उनके अभिभाषण हेतु धन्यवाद करना चाहिए।

संप्रग सरकार के कार्यनिष्पादन के संबंध में मैं कहूंगा कि इस सभा में प्रतिपक्ष भाजपा और हमारे वामपंथी मित्रों दोनों ने ही सरकार की आलोचना की थी कि सरकार कई मोर्चों पर विफल रही है।

मेरे विचार से जहां तक इस सरकार के कार्यनिष्पादन का संबंध है तो यह अनुचित टिप्पणी है। राजनीतिक पूर्वाग्रहों को छोड़कर सरकार का कोई निष्पक्ष मूल्यांकनकर्त्ता यह बताए कि गत चार वर्षों में इस सरकार ने वही कार्य किया है जिसका इसने भारत की जनता से वादा किया था। आप जानते हैं कि इस संप्रग सरकार ने महोदया सोनिया गांधी के नेतृत्व में तय न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथाकथित सीएमपी के आधार पर प्रगति पथ पर बढ़ना शुरू किया था। इस सीएमपी में जो भी आश्वासन दिया गया अथवा जो भी वादा किया गया उसे काफी हद तक पूरा किया गया।

उदाहरण के लिए, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार यह कार्यक्रम भारत की अर्थव्यवस्था का 7 से 8 प्रतिशत की दर से विकास सुनिश्चित करेगा परंतु सभी विरोधी उम्मीदों को झुठलाते हुए, गत चार वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में औसतन 8.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है जो कि निर्धारित लक्ष्य को पीछे छोड़ रही है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे दुर्लभ अवसर है जहां इसमें निर्धारित लक्ष्य अथवा आशा से अधिक विकास हुआ है। इसलिए, यह अर्थव्यवस्था का विकास ही है जिसने अर्थव्यवस्था पर सभी प्रकार के कड़े दबाव डाले गए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं जैसाकि माननीय राष्ट्रपति ने कहा है। अत:, न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जो भी उल्लेख किया गया है उसे सरकार ने पूरा किया है। मैं कहूंगा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किये गये वादों में से लगभग 80 से 85 प्रतिशत वादों को संप्रग सरकार द्वारा पूरा किया गया है।

[प्रो. एम. रामदास]

तत्पश्चात, इसमें कहा गया है कि हम महिलाओं को राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाएंगे। यह कार्य भी काफी हद तक पूरा किया गया है क्योंकि सरकार ने गत चार वर्षों में महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। पिछले बजट में भी माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि लगभग 14 विभागों में जेंडर बजटिंग का सृजन किया गया है। भारत के इतिहास में महिलाओं के विकास हेतु कभी भी विशेष रूप से धनराशि निर्धारित नहीं की गई है जबकि भारत में इनकी जनसंख्या 50 प्रतिशत है। अत:, यदि वे शैक्षिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और यह सरकार यही कर रही है।

सरकार ने घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम पारित कराया जिसमें महिला संबंधों में अनुचित व्यवहार झेल रही महिलाओं के मामले में महिलाओं के लिए उपायों का प्रावधान किया और इसने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं हेतु धनराशि की व्यवस्था की, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति में हिंदू महिलाओं को समान अधिकार दिए और संप्रग के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किये गये वादे के अनुसार कई अन्य उपाय किये गये हैं।

महिलाओं का सशक्तीकरण कार्यक्रम सही दिशा में चल रहा है और यहां मैं दावा नहीं करता हूं कि भारत की महिलाओं ने गत चार वर्षों में काफी प्रगति की है परंतु एक मील का पत्थर तय किया गया है और सरकार की निर्णायक इच्छा शक्ति से इस देश में महिलाओं की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है।

सामाजिक न्याय के प्रश्न पर आते हुए मैं कहूंगा कि पिछले 60 वर्षों में किसी अन्य सरकार ने सामाजिक संसाधनों में इतनी अधिक रुचि नहीं दिखाई है जितनी इस सरकार ने दिखाई है। कई अन्य सरकारों की आर्थिक विकास में रुचि थी। परंतु सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक विकास निरर्थक हो जाता है। हमने सकल घरेलू उत्पाद में 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया है परन्तु जनता के बड़े वर्गों को विकास का लाभ न मिले तो इस विकास का समाज के लिए कोई अर्थ नहीं है। इसलिए, अंबेडकर जी ने कहा था कि समाज के अलग-अलग वर्ग के व्यक्तियों के साथ अलग-अलग व्यवहार सामाजिक न्याय का आधार है। सरकार इस अवधारणा के आधार पर लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करने की दिशा में बढ़ रही है।

सरकार द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण कदमों में से एक कदम उच्च शिक्षा संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण हेतु प्रावधान करना है। इस सभा ने सर्वसम्मति की भावना से 104वां अधिनियम पारित किया जो इस समय उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। इसे कार्यान्वित किया जाता है तो भारत की 52 प्रतिशत जनता को लाभ होगा। परंतु सराहनीय बात यह है कि इस सरकार ने ओबीसी सहित समाज के कमजोर वर्गों के प्रति उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना दिखाई है। इसलिए, यह सरकार वही कर रही है जिसकी इससे आशा की गई है। यह सरकार देश में आर्थिक विकास और साथ ही सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का भरसक प्रयास कर रही है।

लंबे समय से परेशान करने वाले गरीबी के मुद्दे के संबंध में इस सरकार ने निर्णायक कार्रवाई की है क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि गरीबी का उन्मूलन करना है तो आय का सृजन करना होगा। यदि आय का सृजन करना है तो रोजगार का देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सृजन करना होगा। हम ग्रामीण जिलों में बड़ी संख्या में प्रच्छन्न बेरोजगार, अल्प रोजगार प्राप्त व्यक्ति और बेरोजगार व्यक्ति पाते हैं। देश में मौजूदा बेरोजगारी पर ध्यान देते हुए संप्रग सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के संबंध में क्रांतिकारी कदम उठाया है जो कम से 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करता है और आय रहित समूहों को लगभग 8000 रुपये प्रदान करता है। केवल इसी दृष्टिकोण से रोजगार प्रदान करके और आय में वृद्धि करके गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है। अत:, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में, सरकार उत्कृष्ट कर रही है।

आय उपलब्ध कराना कहानी का केवल एक पहलू है। अन्य पहलू यह है कि जहां पर व्यक्ति रहते हैं वहीं पर अवसंरचना का सृजन करें और इस अवसंरचना को उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने भारत निर्माण का प्रावधान किया है जिसके लिए सरकार लगभग 1,72,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है और यह अभूतपूर्व कदम है। इसके परिणामस्वरूप, जैसाकि हमारे वित्त मंत्री ने कहा है, हर वर्ष प्रतिदिन 290 बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, 17 बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाता है। वर्ष में प्रत्येक दिन 52 गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाती है और 42 गांवों का विद्युतीकरण किया जाता है। वर्ष में प्रतिदिन 4113 ग्रामीण घरों का निर्माण पूरा किया जाता है। संप्रग सरकार के कार्यकाल को छोड़कर, क्या आपने विगत समय में इतना रिकार्ड कार्यनिष्पादन देखा है? यह सरकार, के श्रेयस्कर कार्यनिष्पादन का द्योतक है जो कि देश के प्रति जवाबदेह है। अत: ग्रामीण अवसंरचनात्मक ढांचा प्रदान करके तथा लोगों के लिए आय और रोजगार के अवसरों का सृजन करके सरकार लोगों का जीवनस्तर बढ़ाने का प्रयास कर रही है जोकि सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों से स्पष्ट होता है।

महोदय, यदि आज भारत को तरक्की करनी है तो हमें केन्द्रीकृत योजना की शैली को बदलना होगा। दिल्ली से योजनाएं

बनाने के बजाय, निम्नस्तर पर योजनाएं बनायी जानी चाहिए और इसके लिए पंचायती राज संस्थानों का नवीकरण करने के साथ-साथ उन्हें पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। भारत के इतिहास में पहली बार संप्रग सरकार द्वारा एक पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की गयी है, किसी अन्य सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। परन्तु सरकार के लिए देश के पंचायती राज संस्थान इतने महत्वपूर्ण कभी नहीं थे, जितने कि आज हैं और हमें आशा है कि इन संस्थानों को ऐसी विकासात्मक योजनाओं में शामिल किया जाएगा जो कि देश में गरीबी हटाने और बेरोजगारी उन्मूलन में सहायक होंगी। अत: इसके लिए भी सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की जानी चाहिए।

जहां तक सरकार की बात है, यह कहना चाहूंगा कि यह एक सर्वाधिक उत्तरदायी सरकार है। क्या आपने कोई अन्य ऐसी सरकार देखी है जो कि वर्ष के अंत में यह रिपोर्ट दे कि उसने क्या किया है और क्या नहीं किया है। इस सरकार ने ऐसी तीन रिपोर्टें दी हैं जो कि राजनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व बात है। अपने कार्यकाल के पहले वर्ष के अंत में इस सरकार ने ऐसी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। राजनीतिक इतिहास में यह एक अभूतपूर्व बात थी। इससे पहले चुनाव में घोषित प्रतिबद्धताओं के प्रति किये गये प्रयासों के संबंध में कोई वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी थी। अत: यह एक उत्तरदायी सरकार है। यह एक पारदर्शी सरकार है जो कि अपनी सभी नीतियों को संसद के समक्ष लाती है और सभी दलों को विश्वास में लेती है। अत: यह एक पारदर्शी नीतियों वाली सरकार है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. एम. रामदास: मैं केवल पांच मिनट का समय लूंगा। अपने नवीन प्रयासों के लिए भी इस सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, मैं अपनी पार्टी का एकमात्र वक्ता हूं।

सभापति महोदय: आप काफी समय ले चुके हैं।

प्रो. एम. रामदास: नहीं महोदय, मैंने केवल सात मिनट का समय लिया है। आप मेरे अच्छे मित्र हैं।

सभापति महोदय: आपने आवंटित समय से दोगुना समय ले लिया है। चूंकि मैं यहां पर हूं, मैंने आपको अधिक समय तक बोलने की अनुमति दी है।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, कृपया मेरी बात को सुनिए। मैं सरकार के बढ़िया कार्यनिष्पादन की चर्चा कर रहा हूं। मुझे बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: आपको आवंटित समय से दोगुना समय दिया जा चुका है। कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप एक छोटे राज्य पुदुचेरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको अधिक समय दिया गया है।

प्रो. एम. रामदास: संसद में परिणामी बजट प्रस्तुत करने की व्यवस्था इस सरकार का एक अन्य नवीन प्रयास है। यह परिव्यय बजट नहीं बल्कि परिणामी बजट है। प्रतिवर्ष सार्वजनिक धन के विषय में जवाबदेह होते हुए बताया गया है कि 100 करोड़ रुपये शिक्षा पर खर्च किये गये, ऐसी व्यवस्था की गयी है। इसके परिणामस्वरूप साक्षरता की दर बढ़ी है। इस प्रकार के परिणामी बजट के प्रस्तुतीकरण से देश की स्थिति में सुधार हुआ है। यही नहीं, इस सरकार ने भारत के वित्तीय इतिहास में भी वित्तीय अनुशासन कायम किया है। देश में बहुत सी सरकारें वित्तीय संकट से नहीं उबर पायी हैं और देश को विदेश में सोना बेचना पड़ा। परन्तु यह सरकार राष्ट्रीय वित्तीय उत्तरदायित्व और प्रबंधन अधिनियम के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार ने इसके अनुसार कार्य किया और आज अपने वायदे के अनुसार राजस्व घाटा एक प्रतिशत, वित्तीय घाटा लगभग 2.5 प्रतिशत और अगले वर्ष राजस्व घाटे को 0.5 प्रतिशत कर पाने में सक्षम हो सकेगी।

इतने श्रेयस्कर कार्यनिष्पादन पर भी, मैं यह नहीं कहूंगा कि लोगों की सभी समस्याएं समाप्त हो गयी हैं। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया अपनाने से बहुत अधिक असमानताएं पनप रही हैं। सरकार को यह असमानताएं कम करनी चाहिए। 15 अगस्त 1947 को लालकिले पर झंडा फहराते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था:

> "राष्ट्रपित ने कहा था, हमारी अभिलाषा हर आंख के आंसू पोंछने की है। यह शायद हमारी सीमा से बाहर की बात हो सकती है परन्तु जब तक लोगों की आंख में आंसू होंगे, हमारा काम समाप्त नहीं होगा।"

डा. मनमोहन सिंह श्री जवाहरलाल नेहरू की इस भावना से संप्रग सरकार चला रहे हैं और जब तक हर आंख का आंसू पोंछ नहीं दिया जाता वे अनथक रूप से लगातार अपना काम जारी रखेंगे। हमारे पेरारिग्वनार अन्नाजी ने कहा है कि ईश्वर गरीबों की मुस्कान में रहता है और डा. मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चलायी जा रही सरकार की यह सर्वोत्कृष्ट

[प्रो. एम. रामदास]

बात है। अत: मैं इस सरकार के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन पर बधाई देता हूं। यद्यपि, देश में वितरण के मुद्दे को ठीक करने के लिए सरकार स्वयं कार्यवाही करेगी। देश के विकास के लिए एक विश्वसनीय विकल्प प्रदान करने हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री और संप्रग सरकार के अन्य मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

अपराह्न 4.32 बजे

कार्यमंत्रणा समिति

छियालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, मैं कार्यमंत्रणा समिति का छियालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 4.33 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

[हिन्दी]

***श्री हरिकेवल प्रसाद** (सलेमपुर): महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने संसद के समक्ष जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है उसमें सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं का बिन्दुवार उल्लेख है। अभिभाषण के माध्यम से उन्होंने सरकार को कुछ दिशा-निर्देश भी दिये हैं। परन्तु माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2008-09 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें राष्ट्रपति महोदया के कई दिशा-निर्देशों की अनदेखी की गयी है। दूसरी बात जिसकी ओर मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभिभाषण में केवल एक पक्ष का उल्लेख किया गया है और उसके दूसरे किंतु महत्वपूर्ण पक्ष की कोई चर्चा नहीं है। सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम जनता की भलाई के लिए चलाई जाती हैं। इसलिए सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि वह इस बात की जांच-पड़ताल करे कि योजना का लाभ उन लोगों को मिल रहा है अथवा नहीं जिनके लिए यह लागू की गई हैं। इसलिए अभिभाषण में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए था कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं तथा इसकी खामियों को दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जायेंगे। अभिभाषण में कहा गया है कि शिक्षा पर होने वाला परिव्यय 10वीं योजना में केन्द्रीय सकल बजटीय सहायता के 7.68 प्रतिशत से बढ़कर 11वीं योजना में 19 प्रतिशत से अधिक हो गया है। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि संप्रग सरकार के घटक दलों के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 फीसदी खर्च करने का वादा किया गया था लेकिन मौजूदा बजट में यह 3 फीसदी के आसपास पहुंच पाया है।

महोदय, राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में कहा गया है कि मेरी सरकार हमारे किसानों के कल्याण की ओर ध्यान दे रही है। इसमें आगे कहा गया है कि सरकार ने प्रो. आर. राधाकृष्ण की अध्यक्षता में कृषि ऋणग्रस्तता पर एक विशेषज्ञ समूह की नियुक्ति की थी। इसकी रिपोर्ट अब प्राप्त हो गयी है तथा इसकी सिफारिशों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। मैं चाहता हूं कि अभिभाषण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि इस रिपोर्ट को कब तक सरकार लागू करेगी? इसी तरह कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित एस. स्वामीनाथन समिति की महत्वपूर्ण रिपोर्ट लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है। अभिभाषण के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को इसे शीघ्र लागू करने का दिशा-निर्देश सरकार को दिया जाना चाहिए।

अभिभाषण में कृषि, सिंचाई और जल संसाधनों, जिनमें बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम शामिल है, के सम्मिलित संसाधन को 10वीं पंचवर्षीय योजना के 46131 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11वीं योजना में 1,38,548 करोड़ रुपये किये जाने का उल्लेख है। सरकार का इस तरह का संकल्प हर साल दुहराया जाता है लेकिन आजादी के 60 वर्षों बाद भी हमारे देश की 40 फीसदी कृषि योग्य भूमि अभी तक असिंचित है। इसे सिंचित करने की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इसी तरह बाढ़ की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है जिसके स्थायी और ठोस समाधान की आवश्यकता है। अभी तक केवल राहत कार्यों पर अधिक जोर दिया जाता रहा है और इस समस्या की जड़ को समाप्त करने की कोशिश नहीं की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार लगभग हर साल बाढ़ की विभीषिका का शिकार होता है जिसमें जन-धन की व्यापक क्षति होती है। अभी तक सैकड़ों गांवों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है क्योंकि वे नदी की धारा में विलीन हो गये। इस क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण यह है कि यहां की नदियां हिमालय की तलहटी से निकलती हैं इसलिए पहाड़ों पर होने वाली अतिवृष्टि से इनमें उफान आ जाता है और वे विकराल रूप धारण कर लेती हैं। जब तक इन नदियों को उनके उदगम स्थान पर नियंत्रित नहीं किया जायेगा तब तक इस क्षेत्र की बाढ़ समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मान्यवर, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 1954 में भारत और नेपाल की सरकारों की सहमति से राप्ती, घाघरा और शारदा नदियों की बाढ़ को रोकने के लिए करनाली, पंचेश्वर और भालूबांध परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। इसके अंतर्गत इन नदियों के उदगम स्थान पर बांध बनाकर उनके पानी को एक जलाशय में एकत्रित करना तथा उसे नियंत्रित रूप से नहरों में छोड़ा जाना था। इन परियोजनाओं से न केवल बाढ़ का स्थायी समाधान होता बल्कि इस क्षेत्र की सिंचन क्षमता बढ़ती और पर्याप्त मात्रा में विद्युत उत्पादन भी होता। लेकिन इस जनहित की महत्वाकांक्षी योजना को आज तक ठंडे बस्ते में रखा गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में इसे सम्मिलित कर लिया जाये।

महोदय, अभिभाषण में कहा गया है कि मेरी सरकार ने शिक्षा में पहुंच को बढ़ाकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण पर अत्यधिक जोर दिया है। परन्तु समाज की जो सदियों से दबी-कुचली जातियां हैं उन्हें सामाजिक न्याय दिये बिना इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं लगता। मैं इस सदन का ध्यान विशेष रूप से इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने 23 नवम्बर, 2005 को राज्य की आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जातियां राजभर, गोड़, निषाद, केवट, मल्लाह, धिन्द, धीमन, तुरहा, माझी, कहार, कश्यप, प्रजापति और गोड़िया को अनुसूचित जाति में शामिल करने का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था। भारत सरकार की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा सदन में दिये गये जवाब में यह स्पष्ट किया गया था कि भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी गई थी लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने 6 जून, 2007 को पूर्ववर्ती सरकार के प्रस्ताव को निरस्त करके इसकी लिखित सूचना भारत सरकार को भेज दी। मैं राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करता हूं कि वे इन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित कराने हेतु भारत सरकार को निर्देशित करें।

राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का दायरा अप्रैल, 2008 से 330 जिलों से बढ़ाकर देश के सभी ग्रामीण जिलों तक करने का विशेष रूप से उल्लेख किया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी के निर्देशों की पूरी तरह अवमानना की है। उन्होंने इस कार्यक्रम के बजट का जो आवंटन किया है उससे साफ जाहिर होता है कि वित्त मंत्री की नजर में इस योजना की कोई खास अहमियत नहीं है। जैसे गत वर्ष इस योजना के मद में 12 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था थी जो बढ़ाकर केवल 16 हजार करोड़ रुपये की गई है। इस प्रकार, इस योजना के विस्तार के अनुपात में बजट आवंटन को नहीं बढ़ाया गया है। इसी तरह इस योजना में भारी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें आ रही हैं लेकिन अभिभाषण में इसे समाप्त करने हेतु उठाये जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं है जिसे सम्मिलित किये जाने की मैं मांग करता हूं। इसके साथ ही मैं राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का उक्त संशोधनों के साथ समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा हूं। महोदय, मैं 'वंदे मातरम' कह कर अपनी बात आरम्भ करूंगा। मैंने वंदे मातरम क्यों कहा—क्योंकि देश का संवैधानिक प्रमुख एक मां, एक महिला है। उन्होंने देश को सम्बोधित किया और हम उन्हें बधाई देते हैं।

मैं सत्ता पक्ष और विशेषकर संप्रग सरकार से कहना चाहता हूं कि जब देश का संवैधानिक प्रमुख एक महिला है तो यह बड़े खेद की बात है कि आज तक राज्य विधानमंडलों और संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण संबंधी विधेयक नहीं लाया जा सका है। बहुत समय पहले की बात है कि गरीब राज्य उड़ीसा में श्री बीजू पटनायक जी ने पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया था।

अपराह्न 4.34 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

यह सं.प्र.ग. की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक है क्योंकि यदि सभा में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा तो वे इस देश में व्याप्त महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा नहीं कर पाएंगी। उदाहरण के लिए गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता की समस्या को ही लीजिए। भारत में रक्ताल्पता से ग्रसित गर्भवती महिलाओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। इन महिलाओं में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत लगभग 6 से 7 है जबकि इसका सामान्य प्रतिशत लगभग 11 से 12 होना चाहिए। महिलाओं में निरक्षरता की दर विशेषकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक है जबकि हमने सर्वशिक्षा अभियान जैसी योजनाएं चलाई हुई हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि महिलाओं के विचार भी समुचित रूप से सामने आएं, जिससे कि उन से संबंधित विषयों पर समुचित रूप से चर्चा हो और उन्हें आवश्यक सुविधाएं

[श्री बिक्रम केशरी देव]

उपलब्ध कराई जा सकें। संसद तथा राज्य विधानमंडलों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी विधेयक तत्काल लाया जाना चाहिए। मुझे यह बताते हुए गर्व होता है कि हमारी पार्टी भा.ज.पा. ने अपनी राष्ट्रीय परिषद में पार्टी के भीतर ही महिलाओं को एक तिहाई प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने हेतु एक संकल्प पारित किया तथा पार्टी के संविधान में इसके लिए आवश्यक संशोधन किया है। अगली बार अर्थात 15वीं लोक सभा में जब नई सरकार बनेगी तो आप देखेंगे कि भा.ज.पा. की ओर से कितनी महिला सांसद चुन कर आती हैं। चुनाव आयोग ने भी यह सुझाव दिया था और भा.ज.पा. के अलावा किसी भी अन्य दल ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। न तो कांग्रेस और न ही सं.प्र.ग. के सहयोगी दलों ने ऐसा किया है। यदि सरकार इसके बारे में गंभीर है तो उसे इसी बजट सत्र में यह विधेयक लाना चाहिए। हम सभा को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के चुनावों में महिला उम्मीदवारों को एक तिहाई आरक्षण देने जा रही है।

महोदय, दूसरी बात जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं, वह यह है कि कैसे इस देश में मानव संसाधन का सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिए थल सेना के जवानों का मामला ही लें जिन्हें सेना में 15 से 16 वर्ष की सेवा करने के पश्चात लगभग 35 से 36 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। सरकारी सेवा में सेवानिवृत्ति की औसत आयु 60 वर्ष है। अत: ये लोग अपने जीवन के उत्कर्ष काल में ही बेकार हो जाते हैं और लगभग अपने 25 से 26 उन वर्षों के दौरान बेकार ही रहते हैं जिनमें वे कोई उत्पादक कार्य कर सकते थे। अत: इस मानव संसाधन को उनके सेवाकाल के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी विभागों, निजी कंपनियों में रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने चाहिएं जिससे कि उनकी सेवाओं को उत्पादक कार्यों में लगाया जा सके और ये लोग, हताशा में, नक्सलियों में जा मिलने के लिए जंगलों में न चले जाएं। उनकी हताशा कम की जानी चाहिए।

हमारे दल की लंबे समय से चली आ रही एक मांग को अंतत: पूरा कर दिया गया है। हम इससे प्रसन्न हैं। ऋण माफी के इस मुद्दे पर भा.ज.पा. की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कई बैठकों में चर्चा की जा चुकी है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि सं.प्र.ग. सरकार स्वामीनाथन समिति की 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर कृषि ऋण देने तथा सभी ऋणों को माफ करने की सिफारिशों को कार्यान्वित क्यों नहीं करती। यह ऋण माफी नाटक का केवल एक भाग है, पूरा नाटक नहीं है। उन्हें समुचित मूल्य दीजिए, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति क्विंटल कीजिए। संभवत: यह कदम शीघ्र होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए और उसे आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने हेतु कृषि को वहनीय बनाया जाना चाहिए, इसे लाभकारी बनाना चाहिए और कृषि उत्पाद व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बीच सामंजस्य बनाया जाना चाहिए। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि सं.प्र.ग. सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने में पूर्णतया असफल रही है। लक्षित व्यक्तियों को समय पर इसका लाभ नहीं मिल रहा है। प्रो. स्वामिनाथन जिन्हें हरित क्रांति का श्रेय जाता है ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें यह कहा गया है कि हरित क्रांति को सदाबहार क्रान्ति बनाया जाना चाहिए। गेहूं का उत्पादन घट गया है। अब हमें आस्ट्रेलिया से गेहूं आयात करना पड़ेगा।

निगमित क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें भारतीय बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी सम्मिलित हैं। निगमित करों का 50 प्रतिशत भाग तेल कम्पनियों से मिलता है और 50 प्रतिशत अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्राप्त होता है।

यह सत्य नहीं है कि सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां विदेशी हैं। भारतीय बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी हैं, जो शिक्षित युवा इंजीनियरों, कुशल और अकुशल व्यक्तियों को अपनी विभिन्न खनन परियोजनाओं में रोजगार देती हैं तथा इस प्रकार उन्होंने बेरोजगारी की समस्या को कम किया है। उन्हें उत्पाद कर या अन्य करों में कोई छूट नहीं दी जाती है। यदि आप विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से मुकाबला करने हेतु भारतीय कम्पनियों को भी विश्वव्यापी समान अवसर प्रदान करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें भी समान अवसर प्रदान करने पड़ेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बात परिलक्षित नहीं होती। इससे देश और देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की राह में रुकावटें तथा अस्थिरता का संदेश जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

आपको बोलते हुए दस-बारह मिनट हो गए हैं और आपकी पार्टी के बारह मेम्बर्स हैं।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, आप छोटे दलों को अधिक समय और बड़े दलों को कम समय दे रहे हैं। अध्यक्षपीठ के प्रति पूर्ण सम्मन रखते हुए मैं आपसे थोड़ा और समय प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि शिशु मृत्यु दर से समुचित रूप से नहीं निपटा गया है। मैं उड़ीसा राज्य से हूं, जहां अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर अधिक है। यह एक गरीब राज्य है। लेकिन यह गरीब राज्य एन.आर.ई.जी. के मोर्चे पर अच्छा कार्य कर रहा है। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से उद्धृत करना चाहता हूं। अब, इस एन.आर.ई.जी. योजना को सभी जिलों में लागू कर दिया गया है और अप्रैल 2008 से सभी 330 जिलों को इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। अभी तक 37 लाख ग्रामीण परिवारों ने अपने आपको इसके अंतर्गत पंजीकृत करवाया है और उन्हें 'जॉब कार्ड' दे दिए गए हैं। दिसम्बर, 2008 के अंत तक मेरे राज्य में लगभग 8 लाख परिवारों को ये कार्ड मिल जाएंगे। अत: इससे यह प्रदर्शित होता है कि भा.ज.पा. शासित राज्यों में कैसे कार्य हो रहा है। मैं लगभग दो महीने पहले एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों या सं.प्र.ग. शासित राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल आदि की स्थिति दर्शाई गई है। केरल ने इस क्षेत्र में थोड़ा सा ठीक कार्य किया है। फिर, तमिलनाडु का उदाहरण है। आंध्र प्रदेश की स्थिति बदतर है। एन.आर.ई.जी. योजना के अंतर्गत केवल 30 से 35 प्रतिशत व्यय किया गया है जबकि उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जहां भा.ज.पा. का शासन है, में काफी ज्यादा व्यय हुआ है। यह एन.आर.ई.जी. कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक 60 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर गया है। उड़ीसा में भा.ज.पा. शासित सरकार ऐसा कार्य कर रही है।

महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि इसमें क्षेत्रीय असमानता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यों में और कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे, उड़ीसा में के.बी.के. क्षेत्र, बिहार में पलामू और झारखंड के हजारीबाग में मगारुतराई क्षेत्र, में बहुत अधिक क्षेत्रीय असमानताएं हैं। ये इतने अधिक पिछड़े क्षेत्र हैं कि यदि यहां विकास के लिए विशेष जोर नहीं दिया गया तो वे उभर नहीं पाएंगे।

कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए बीमा कंपनी आई है। बीमा कंपनियां आई हैं और आप लगभग 45 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ निजी बीमा कंपनियों को आने की अनुमति दे रहे हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि आज तक एक भी विदेशी बीमा कम्पनी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं गई है। उन्होंने बीमा के पहलू को छुआ भी नहीं है। यह केवल ऋणों को माफ करने का प्रश्न नहीं है। हम निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न हैं कि उनके ऋण माफ कर दिए गए हैं। इसी के साथ-साथ, मैं यह कहना चाहता हूं कि सत्ता में आने वाली किसी भी सरकार विशेषकर सं.प्र.ग. सरकार को किसानों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। एक सुदृढ़ सुरक्षा होनी चाहिए और किसानों को सभी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीया राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विक्रम केशरी देव: मुझे अपनी अंतिम बात कहनी है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: अगले माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहने से पहले मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे पास इस विषय पर बोलने के इच्छुक माननीय सदस्यों की एक लंबी सूची है। यह भी एक कटु सत्य है कि मैं सायं 7.30 बजे से पूर्व सभी भाषणों को समाप्त करना चाहता हूं। अत: मैं सभी सदस्यों से अत्यंत संक्षेप में बोलने का अनुरोध करता हूं। यदि वे केवल सुझाव दें तो अच्छा होगा। जो माननीय सदस्य अपना भाषण लिखित रूप में देना चाहते हैं, उन्हें अपना भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति है। ये भाषण आज की कार्यवाही का हिस्सा होंगे।

मैं श्री किरिप चालिहा को बोलने का मौका देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे बहुत ही संक्षेप में, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए मेरे साथी श्री अजीत जोगी द्वारा पाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। जैसाकि आप जानते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों की रूपरेखा होती है। इसमें पूर्व के वर्षों में सरकार की उपलब्धियों का आकलन होता है तथा अगले वर्ष सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली नीतियों की जानकारी होती है।

यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके माध्यम से सदस्यों को सभा में सत्तारूढ़ सरकार के समक्ष आ रहे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। हम सभी जानते हैं कि यह इस संसद का अंतिम वर्ष है और अगले वर्ष में एक नई सरकार की उम्मीद है। ऐसे समय में, मुझे नहीं पता कि नेता प्रतिपक्ष ने अपना उद्देश्य क्यों खो दिया है और उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन करके लगभग

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री किरिप चालिहा]

अपनी हार मान ली है। यह बहुत ही अस्वाभाविक बात थी। लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूं। यह केवल यही दर्शाता है कि

[हिन्दी]

बीजेपी और ओपोजिशन वालों में जो दम पहले, दूसरे और तीसरे साल में था, वह अब नहीं रहा है। अब चार साल के बाद उन्हें एहसास हुआ है कि यूपीए की सरकार ने जो किया है और जो करने जा रही है,

[अनुवाद]

वह लोगों के हित में है। यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष ने अपनी हार मान ली है और उन्होंने कहा है कि वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। कई माननीय सदस्यों ने बहुत से बिंदुओं पर पहले ही प्रकाश डाला है। कुछ नया कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। फिर भी मैंने कुछ शब्द बोलने का निर्णय लिया है, विशेष रूप से कुछ ऐसे कटु सत्यों को दुहराना चाहता हूं जिसे सभी स्वीकार करते हैं और जिसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। ये तथ्य गया है? क्या यह सत्य नही है कि राजग के शासनकाल के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में संप्रग सरकार के चार वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर बहुत अच्छी है। कोई भी कहेगा कि राजग के शासन काल के छह वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद बहुत कम था। आज हमने उससे कहीं ज्यादा हासिल किया है।

बहुत से सदस्यों ने, जिसमें नेता, प्रतिपक्ष भी सम्मिलित है, मूल्य वृद्धि पर चिंता जतायी है। यद्यपि मूल्य वृद्धि चिंता का विषय है फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि मूल्य वृद्धि को 4 और 4.5 प्रतिशत के बीच नियंत्रित किया गया है। जब हम इस तथ्य पर विचार करते हैं कि तेल की कीमतें जिस पर हमारी सामान्य मूल्य वृद्धि निर्भर करती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोगुनी हो गयी है, तो यह उल्लेखनीय उपलब्धि है।

अपने शासन के चार वर्षों के दौरान इस सरकार ने अब तक का सबसे उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन दर्शाया है। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि

[हिन्दी]

बहुत सारी सरकारों के बाद यू.पी.ए. ने एक ऐसी सरकार चलाकर दिखाई है।

[अनुवाद]

हम समझ गए हैं कि वास्तव में कल्याणकारी राज्य क्या है।

[हिन्दी]

आम आदमी की सरकार कैसी होती है, इसी को यूपीए की सरकार ने मिसाल के तौर पर दिखाया है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी बधाई के पात्र हैं।

[अनुवाद]

हमें आर्किटैक्ट के रूप में इस व्यक्ति की सराहना करनी चाहिए।

[हिन्दी]

ऐसा एक आर्किटैक्ट है, जिसने भारत को बड़ी कमजोरी से निकालकर आज ऐसी ताकत दिलाई, ऐसे एक माहौल में पहुंचाया कि

[अनुवाद]

आज हम अंतराष्ट्रीय स्तर पर महाशक्ति की दौड़ में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं।

[हिन्दी]

1991 में जब मैं आया था तो उस समय के कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने

[अनुवाद]

मैं भूतकाल की बातें कर रहा हूं क्योंकि भूतकाल के बिना भविष्य के बारे में निर्णय करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक आप भूतकाल की चर्चा न करें भविष्य के बारे में निर्मय नहीं दे सकते। इसके आधार पर मुझे याद आ रहा है कि जब हम पहली बार उदारीकरण का मार्ग अपना रहे थे तो इसकी कल्पना 1986 में सर्वप्रथम श्री राजीव गांधी ने की थी। तब श्री नरसिंहराव ने पहले से चली आ रही प्रणाली में बदलाव के बारे में चर्चा शुरू की थी। उन्होंने अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया। मेरे मित्र, प्रो. रामदास ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि इस देश के स्वर्ण भंडार को बंधक रखा गया था।

[हिन्दी]

उस समय से आज की जो अवस्था है, जब हम लोगों ने किसानों का 56 हजार करोड़ रुपये का लोन माफ कर भी इंडिया की इकोनोमी को सरवाइव किया, यह कोई छोटी बात नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय अर्थव्यवस्था इस स्थिति से उबर गई है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसे हमें अवश्य स्वीकार करना चाहिए।

[हिन्दी]

हम इस पार हों, या उस पार हों, जो सही है उस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। यही सत्य है। जैसे खांडवप्रस्थ सूना-सूना वन था, उस खांडवप्रस्थ को विश्वकर्मा जी ने इन्द्रप्रस्थ बनाया। उसी तरह मनमोहन सिंह जी ने भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जो गिरी हुई थी, उसका नये सिरे से निर्माण करके आज एक ऐसी अवस्था में ले आये हैं।

[अनुवाद]

डा. मनमोहन इस देश के लिए वरदान के रूप में आए हैं। इस देश को चलाने में उनकी क्षमता ने नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेताओं को भी पूरी तरह हिलाकर रख दिया है।

[हिन्दी]

जिस तरह कौरवों के दुर्योधन को इन्द्रप्रस्थ अट्टालिका में पानी कहां था, फ्लोर कहां था, मालूम नहीं हो रहा था, विक्रम सिंह देव जैसे नेता को अभी जो हो रहा है, इसको सपोर्ट किया जाये या अपोज किया जाये, लोन माफ करना अच्छा काम है या खराब काम है, वे सोच में पड़ गये, दुविधा में पड़ गये। इनके संकट को देखकर मुझे हैरानी होती है, मुझे दुख होता है। मुझे मालूम है कि ये क्या करेंगे।

[अनुवाद]

जैसे विश्वकर्मा जनक थे, भारत माता के निर्माता डा. मनमोहन सिंह हैं।

[हिन्दी]

यह प्रेजीडेंट का जो अड्रैस है, इस एड्रैश में जो-जो अचीवमेंट्स हैं, इन एचीवमेंट्स में जब चुनाव हो रहा है तो यूपीए का गठबंधन भारी बहुमत से वापस आ रहा है, यह भी आप लिख लीजिए। ...*(व्यवधान)* मेरा खाली एक पाइंट है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं सिर्फ एक सैकेंड का समय लूंगा। आस्ट्रेलिया में भारत की जीत सुनिश्चित है।

श्री किरिप चालिहा: यह दूसरी अच्छी खबर है। हमने एक दिवसीय अंतराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीत लिया है।

[हिन्दी]

क्योंकि मनमोहन सिंहजी अकेले नहीं, उनके पीछे सोनिया गांधी हैं। जिस तरह दधीचि ने अपनी हड्डियों को तोड़कर अपनी हड्डियों से वज्र का निर्माण किया था, सोनिया जी ने अपने त्याग से कांग्रेस और यू.पी.ए. को ऐसी ताकत दी है कि जिसको रोकने की किसी के पास कोई ताकत नहीं है। बी.जे.पी. आज वीमेंस रिजर्वेशन बिल की बात करके जितनी ही कोशिश कर लें, आज भारी मन से बी.जे.पी. ने महिलाओं के प्रति बात की, क्योंकि महिलाओं का वोट चाहिए, लेकिन महिलाओं का सशक्तीकरण हमने किया। महिलाओं को हम लोग पंचायतों में लाये। महिलाओं पर अत्याचार, जुल्म हमने खत्म किया। अभी इस बजट में कितना सारा हम लोगों ने प्रबंध किया है। इसके लिए सोनिया गांधी जी का नाम हमेशा गोल्डन लैटर्स में भारत के इतिहास में लिखा जायेगा। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, मैं लास्ट में खाली एक ही बात कहकर आपसे निवेदन करके अपना छोटा सा भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि यह महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मुझे एक बात बताने दीजिए।

[हिन्दी]

यह सिर्फ अभिभाषण नहीं है।

[अनुवाद]

संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण संप्रग तथा वामपंथी सहयोगियों, दोनों, का संयुक्त दस्तावेज है। यह विजय दस्तावेज है। निश्चित तौर पर अगले चुनाव में भी यह विजय कायम रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***डा. सेबैस्टियन पॉल** (एर्णाकुलम): राष्ट्रपति के पारंपरिक वार्षिक अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना संसद की परंपरा रही है। सरकार का कार्यनिष्पादन और उसकी आकांक्षाओं की रूपरेखा बनाते समय उसके सुनहरे पक्ष को दिखाना राष्ट्रपति की बाध्यता है। कुल मिलाकर तस्वीर अच्छी है लेकिन यह संदेहास्पद है कि क्या यह सुनहरा रंग उस समय बरकरार रहेगा जब इसका सामना वास्तविक मुश्किलों से होगा। इस अभिभाषण में सरकार का ''समाविष्ट विकास, समाविष्ट शासन'' का एजेंडा अच्छी तरह दिख रहा है। विभागीय प्रक्रिया ने साम्यता और

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. सेबैस्टियन पॉल]

निष्पक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य से बने कार्यक्रम प्रशंसनीय हैं। विकास का लाभ सभी को समान रूप से मिलना चाहिए और अल्पसंख्यकों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का सशक्तीकरण तभी हो सकता है जब शिक्षा तक उनकी पहुंच बढ़े। आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी ऊंची पहुंच वाली वस्तु बनी हुई हैं। राष्ट्रपति की आकांक्षाओं और आशाओं को मूर्त रूप देने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का हमें समर्थन करना चाहिए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ परमाणु करार जिसकी बहुत निंदा की गई है, को आगे बढ़ाने की संभावना संबंधी राष्ट्रपति जी की उम्मीद ने सरकार पर एक अवांछित धब्बा लगा दिया है। यह संदेहास्पद है कि क्या हम इस वर्तमान सरकार की ओर से राष्ट्रपति का दूसरा अभिभाषण सुन पायेंगे। इन सारी अनिश्चितताओं के बावजूद, हमारी संसद लोकतंत्र की एक महान संस्था के रूप में कायम रहनी चाहिए। इस मूलभूत तथ्य को अपने दोस्तो, जो विपक्ष में बैठे हैं, को सादर याद दिलाते हुए मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री एल. गणेशन (तिरुचिरापल्ली): सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्र की प्रिय राष्ट्रपति महोदया द्वारा 25 फरवरी, 2008 को इस सम्माननीय सभा में उनकी चातुर्यपूर्ण अभिभाषण के लिए उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। महोदय, समयाभाव के कारण मैं संक्षेप में तथा सटीक बिंदु पर ही बोलना चाहूंगा। उनके अभिभाषण में वे सभी बिंदु सम्मिलित हैं जिसकी जानकारी इस सम्माननीय सभा द्वारा राष्ट्र को दी जानी चाहिए। संप्रग सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में समाज का हर हिस्सा सम्मिलित हो, क्षेत्रीय रूप से संतुलित हो और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से टिकाऊ हो। राष्ट्रपति महोदया ने बड़ी ही सावधानी से भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आदि जैसी विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लेख किया है जिनका उद्देश्य सबको साथ लेते हुए संतुलित और टिकाऊ आर्थिक समृद्धि तथा विकास है। हमारी सरकार किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है जिनकी संख्या कुल आबादी के 75 प्रतिशत से भी अधिक है। सरकार ने किसानों का 60,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया है। भारतीय शासन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा ऋण माफी का काम पहली बार हुआ है। लेकिन इस संबंध में मैं सभा को बताने में गर्व महसूस करूंगा कि तमिलनाडु सरकार ने डा. कलाईगनार के नेतृत्व में दो साल पूर्व किसानों का पूरा ऋण माफ कर दिया था और इसलिए, हमारे परोपकारी वित्त मंत्री ने डा. कलाईगनार के पदचिन्हों का अनुसरण मात्र किया है।

सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की पहुंच शिक्षा तक बढ़ाकर उनके सशक्तिकरण पर काफी जोर दिया है। दलित, पीड़ितों और पददलित लोगों, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। सरकार विश्व के विभिन्न भागों में भारतीय मूल के लोगों की उपलब्धियों तथा राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को बहुत महत्व देती है। उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 'पिपुल ऑफ इंडियन ओरीजिन यूनिवर्सिटी' की योजना है। भारतीय लोगों के संसाधनों के उपयोग के लिए "भारतीय मूल के लोगों की प्रधानमंत्री वैश्विक परामर्श परिषद" की स्थापना का निर्णय लिया गया है जो संभावित प्रवासी कामगारों की सहायता करेगी तथा संकट में घिरे विदेशों में काम करने वाले श्रमिकों को सहायता करेगी। विदेशों में कार्यरत मजदूर संसाधन केन्द्र तथा विदेशों में रोजगार को प्रोत्साहन के लिए परिषद की स्थापना की जा रही है। इस संबंध में मैं केवल इस सम्माननीय सभा का ही नहीं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री और संप्रग तथा अखिल भारतीय कांग्रेस की शुभचिन्तक अध्यक्षा का भी ध्यान एक मुद्दे की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा। मुद्दा यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया में अधिकांश व्यक्ति निःसंदेह भारतीय हैं परंतु वे तमिल भी हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान श्री सुभाष चंद्र बोस ने इस क्षेत्र में आईएनए की स्थापना की और सैनिक के रूप में भर्ती किये गये बड़ी संख्या में व्यक्ति तमिल मूल के थे। इसलिए, मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वहां रहने वाले हमारे व्यक्तियों की रक्षा करे। वहां रहने वाले हमारे लोग गरीब हैं और छोटे-मोटे दुकानदार हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

इसलिए उनकी शिकायतें हैं और जब उनकी शिकायतें हैं तो इन देशों में राजदूत अथवा उच्चायुक्त उनकी शिकायतों का निवारण कर सकते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश हमारे लोग हिंदी या अंग्रेजी नहीं जानते, वे सिर्फ तमिल जानते हैं। मलेशिया में हमारे उच्चायुक्त तमिल नहीं जानते। अतः, मैं सरकार से पुरजोर अपील और विनती करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसे देशों में तैनात हमारे उच्चायुक्त और राजदूत तमिल हों। मुझे नहीं पता कि ऐसा करने से क्या नुकसान हो जाएगा।

महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में श्रीलंका की जातीय समस्या का उल्लेख करने के लिए संप्रग सरकार का आभारी हूं। यह सही है कि सैनिक कार्रवाई इसका समाधान नहीं हो सकता जैसाकि देखा गया है परन्तु विचार-विमर्श से इसका निपटारा हो सकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और इस जातीय समस्या का शांतिपूर्वक निपटारा सुनिश्चित करें।

महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा और वह सेतु समुद्रम परियोजना है। मैं इस परियोजना को शुरू करने हेतु संप्रग सरकार को धन्यवाद देता हूं जो कि वर्ष 1860 के बाद से तमिलों के लिए लंबे समय से आवश्यकता के रूप में महसूस की जा रही थी। संप्रग सरकार द्वारा इस परियोजना को कार्यान्वित किये जाने तक लगभग 150 वर्षों से नौ विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया और नौ विशेषज्ञ समितियों ने इस संबंध में अपनी रिपोर्टें दीं कि यह परियोजना तकनीकी रूप से व्यवहार्य, आर्थिक रूप से अर्थक्षम और हर प्रकार से संभव है परंतु कुछ नहीं किया गया। हमारी सरकार ने इसे शुरू किया है और सभी महत्वपूर्ण नेताओं ने दो या तीन वर्षों से पूर्व इस परियोजना के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। संप्रग अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, माननीय प्रधान मंत्री ने इस समारोह में भाग लिया और इसका कार्य चल रहा है। अब, लगभग 65 से 70 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है परंतु अचानक कुछ व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त हो गया है जैसे बोधिवृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ था और उन्होंने ऐसी सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करनी आरंभ कर दी हैं ताकि यह परियोजना सफलतापूर्वक न चल सके।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एल. गणेशन: कृपया मुझे दो मिनट और दीजिए।

महोदय, भगवान राम की पूजा अधिकांश हिंदुओं द्वारा की जाती है। इसमें संदेह नहीं है, परंतु भगवान राम को राजनीतिक विवाद में घसीटना बहुत गलत बात है। मैं एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि भगवान राम को इस राजनीतिक विवाद में घसीटने वाले न तो देशभक्त हैं और ना ही भगवान राम के भक्त हैं और वे डा. कलैगनर करूणानिधि के विरुद्ध ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं जैसे कि मानो वह भगवान राम के विरुद्ध हों। वह भगवान राम के विरुद्ध नहीं हैं। वह कुछ व्यक्तियों पर हमला कर रहे हैं। वह किस पर हमला कर रहे हैं? वह उन व्यक्तियों पर हमला कर रहे हैं जो भगवान राम को इस राजनीतिक विवाद में घसीट रहे हैं।

महोदय, एक माननीय सदस्य ने उन डा. कलैगनर करूणानिधि के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की है जो पांचवीं बार तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में उन्होंने पेयजल हेतु होगेनक्कल समेकित जल योजना का शुभारम्भ किया है परंतु माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने गैर-कानूनी तरीके से इस योजना की आधारशिला रखी। डा. कलैगनार करुणानिधि देश में वरिष्ठतम राजनेता हैं, वह राजमर्मज्ञ हैं और सबसे अधिक वह शीर्ष रणनीतिज्ञ हैं। जिस माननीय सदस्य ने यह टिप्पणी की है वह भाजपा के हैं। मैं वाजपेयी जी और आडवाणी जी का बहुत आदर और सम्मान करता हूं और इसीलिए, मैं उनसे अपील करता हूं कि भाजपा सदस्य द्वारा की गई टिप्पणी को वापस लिया जाए अन्यथा, हम सभा से अपील करते हैं कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जाना चाहिए।

मैं इन्हीं टिप्पणियों के साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, कहने को तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण कहा जाता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति जी का अपना एक शब्द नहीं होता। सरकार जो लिखकर देती है, राष्ट्रपति जी उसे पढ़ देते हैं। इस बार पता नहीं किस ब्यूरोक्रेट ने इस अभिभाषण को लिखा है खासतौर से इसकी हिन्दी। यह समझ में ही नहीं आता कि ब्यूरोक्रेट राष्ट्रपति की पवित्र जुबान से क्या कहलवाना चाहता है? जब राष्ट्रपति जी इस अभिभाषण को पढ़ रही थीं, तब मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा था। गालिब ने कहा था कि-

कह रहा हूं जनून में क्या-क्या कुछ,
कुछ न समझें खुदा करे कोई।

समझ में आयेगा कुछ न समझने के लिए। शर्मनाक बात यह है कि इस पूरे अभिभाषण में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा गया। इससे पहले भी यूपीए गवर्नमैंट के जमाने में राष्ट्रपति जी के जो चार अभिभाषण हो चुके हैं, किसी में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लफ्ज नहीं था। इससे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि इस चौदहवीं लोक सभा में एक मिनट के लिए भी भ्रष्टाचार पर बहस करने के लिए हमें मौका नहीं मिला। सरकार ने भी हमें इस पर बोलने का मौका नहीं दिया। अब हम किसी को आरोप दे नहीं सकते। मैंने हर सैशन में इसे उठाया, हालांकि इस वक्त टैरिरिज्म, गरीबी जेहालत, किसानों आदि से सबसे बड़ा मसला भ्रष्टाचार है। बाकी सारी समस्याएं उसके बाद आती हैं। अगर आप गौर करें, पूरा का पूरा बजट भ्रष्टाचार में चला जाता है। आज आप दिल्ली में चले जाइये, वहां हजारों कालोनियां हैं। दिल्ली में जमीन की कीमत एक लाख रुपये मीटर तक पहुंच चुकी है। हर कालोनी में हजारों बंगले हैं। कोई बंगला ऐसा नहीं है, जो कई करोड़ रुपये का न हो। अगर आप सर्वे करवा लें, तो वे बंगले भ्रष्ट रिटायर्ड अधिकारियों के हैं या उन भ्रष्ट नेताओं के हैं जिन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के जरिये उसे कमाया है। लेकिन भ्रष्टाचार के बारे में हमारे पास कोई वक्त नहीं है। लोक सभा के हर सैशन में, मैं नियम 193 के अंतर्गत नोटिस देता हूं कि भ्रष्टाचार पर बहस हो जाये, लेकिन उस पर बहस नहीं होती। इस बार भी मैंने नोटिस दे रखा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। शायद सरकार इसके लिए तैयार नहीं होती होगी या जो कुछ भी हो। भ्रष्टाचार के बारे में एक लफ्ज भी अभिभाषण में नहीं है जिसे मैं सबसे बड़ी समस्या समझता हूं।

[श्री इलियास आजमी]

मैं 25 साल से देख रहा हूं कि अकलियतों के बारे में 15 सूत्री कार्यक्रम का रोना रोया गया है, बखान किया गया है। 15 सूत्री कार्यक्रम एक ऐसी सुनहरी चिड़िया है, जिसे किसी ने आज तक 25 साल में भारत के आसमान में उड़ते हुए नहीं देखा। हांडिक जी इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी शायद मुसलमानों को बेवकूफ समझती है कि 25 साल से लगातार 15 सूत्री कार्यक्रम का रोना रोती है। मैं उनको बता दूं कि अब मुसलमान ही कांग्रेस को बेवकूफ समझने लगे हैं। अब तक आप बेवकूफ बनाते रहें ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, बेवकूफ शब्द निकाल दिया जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी: क्यों? बेवकूफ तो बना रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह असंसदीय नहीं है।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: इसमें भी 15 सूत्री कार्यक्रम है। मैं मुसलमानों की तरफ से कह रहा हूं कि अब हम कांग्रेस को बेवकूफ समझने लगे हैं। 25 साल तक उन्होंने हमको बेवकूफ बनाया है। एक और समस्या है। बहुत सारी योजनाएं एक ही पस्विार के नाम हैं। जैसे मालूम होता है कि वह परिवार अपनी जेब से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चला रहा है। वह परिवार अपनी जेब से सब कुछ बांट रहा है। क्यों नहीं, इस देश का नाम ही उस परिवार के नाम पर रख देते? मैं यूपीए से कह रहा हूं कि कहने को तो यूपीए सरकार है लेकिन हकीकत में कांग्रेस की सरकार है। यूपीए के नाम पर सिर्फ कुछ मंत्री हैं, बाकी कहीं पर यूपीए नजर नहीं आती है। एनडीए तो नजर आती थी, लेकिन यूपीए कहीं नजर नहीं आती है, केवल कुछ मंत्री हैं जो मंत्रिपद के लिए उनके साथ लगे हुए हैं। मैं परिवारवाद की इस प्रवृत्ति का विरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आजमी जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपके बोलने का समय समाप्त हो रहा है।

श्री इलियास आज़मी: महोदय, कांशीराम जी एक महापुरुष थे जिन्होंने इंसानियत के दबे-कुचले तबकों को हुक्मरान बना दिया है, उनके नाम पर अगर दस योजनाएं बनाई जाएं तो कम है। लेकिन बाकी जिन लोगों के नाम से योजनाएं बनाई गई हैं, उन्होंने देश से सिर्फ लिया है, देश को कुछ दिया नहीं है। कांशीराम ने समाज के उस हिस्से को जिसे जानवर से भी बदतर बनाकर हजारों सालों से रखा गया था, वहां से उठाकर देश का हुक्मरान बना दिया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आजमी जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपको बोलते हुए आठ मिनट हो गये हैं।

श्री इलियास आज़मी: मोहतरम, इसका 50वां प्वाइंट टेररिज्म के बारे में है। मैं बहुत संजीदगी के साथ कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अब टेररिज्म की शक्ल बदल गयी है, पहले टेररिज्म के नाम पर अकलियतों का सिर कुचला जाता था, बैकवर्ड एससी लोग जो पढ़े-लिखे नहीं होते थे, उनके जरिये मुसलमानों की बस्तियां जलवाई जाती थीं और फिर पुलिस की मदद से मुसलमानों पर इसके लिए मुकदमात कायम किये जाते थे। कांग्रेस के लंबे दौर में यह होता रहा है। अब जब कि बैकवर्ड एससी जाग गये हैं, तो उनको इस्तेमाल करने वाले, उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब कम्युनल राइट्स बंद हो गए और अब जो सरकारी टेररिज्म है, उसकी शक्ल बदल गयी है कि अब पढ़े-लिखे मुस्लिम नौजवानों को आतंकवाद के नाम पर खास तौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रताड़ित किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: महाराष्ट्र में हम मुसलमानों का पूरा समर्थन करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आठवले जी, आप बैठ जाइए।

आजमी जी, आप कंक्लूड कीजिए।

श्री इलियास आज़मी: महोदय, आज कर्नाटक इस काम में नंबर एक पर है। आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र पिछले पांच सालों से या दस सालों से पढ़े-लिखे मुसलमानों को टेररिज्म के नाम पर शैतानी कानूनों के जरिये कुचला जा रहा है और आज तक एक व्यक्ति पर भी ये बदनीयत सरकारें कोई आरोप सिद्ध नहीं कर सकी हैं। उत्तर प्रदेश की बात मैं बता दूं कि उसकी जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट है। ...*(व्यवधान)* मैंने बहुत सोचा कि यह बात यहां होनी चाहिए। मैं हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ पूरे समाज के फायदे की बात बोलता हूं। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े अधिकारी से मेरी कुछ दिन पहले अकेले में बातचीत हुई। उस दिन कुछ बेगुनाह मुसलमान लोगों को आजमगढ़ से पकड़ा गया था, लेकिन उनको बाराबंकी से पकड़ा हुआ दिखाया गया था। ...*(व्यवधान)* मैंने कहा कि पिछली सरकार के जमाने में 26-27 नौजवानों को पुलिस ने मार दिया था। तो उन्होंने कहा कि भाई-

साहब हम एक व्यवस्था से बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं करते, सब कुछ ऊपर से होता है। उन्होंने कहा कि आप बैठे हैं, लोक सभा के मैम्बर हैं, मैं आपको जानता हूं, लेकिन अभी दिल्ली से हमें संदेश मिले कि आपके सामने जो सांसद जी बैठे हैं इनके घर पर 10 किलो आरडीएक्स रखा हुआ है, तो मेरी मजबूरी होगी कि मैं आपको अपनी तहवील में लेकर आपके घर पर तुरंत छापा मारूं। अगर मैं बेईमान हूंगा तो आपके घर पर 50 ग्राम आरडीएक्स बरामद भी हो जाएगी। अगर मैं ईमानदार हूंगा तो आरडीएक्स बरामद नहीं होगी। उन्होंने बताया कि आज जो जुल्म हो रहा है और चाहे पहले जो जुल्म हुआ ...*(व्यवधान)* उस अधिकारी ने बताया कि जो भी हुआ है सब आईबी ने कहा है और उस पर यहां की इंतजामिया ने अमल किया है और हम मानते हैं कि पहले भी कुछ लोगों पर गलत जुल्म हुआ और अब भी गलत जुल्म हो रहा है ...*(व्यवधान)* यही वजह है और यह बात मैं रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि जिस तरह से हिटलर ने गैस्टापो बनाई थी, जो जर्मनी की वफादार नहीं थी हिटलर की वफादार थी। जिस तरह से इरान के बादशाह ने सेवाक बनाई थी जो इरान की वफादार नहीं थी शाह की वफादार थी। जिस तरह से पड़ोसी मुल्क में भुट्टो ने फैडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी जो भुट्टो की वफादार थी, पाकिस्तान की वफादार नहीं थी। ठीक उसी तरह हमारी एक एजेंसी पहले बनाई गयी जो एक खानदान की वफादार है। जब उस खानदान का राज आता है तो उसके जो रिटायर्ड अधिकारी हैं कहीं उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया जाता है, कोई उत्तर प्रदेश का गवर्नर, कोई झारखंड का गवर्नर, कोई एम्बेसडर। अपनी सर्विस में, अपने पद पर रहते हुए जितना पावरफुल वह रहता है जब उस परिवार की सरकार आती है तो उससे बीस गुना पावरफुल पद पर वह पहुंचा दिया जाता है। इसलिए कि जब वह पद पर रहता है तो उससे ऐसा घृणित कार्य लिया जाता है जो आज महाराष्ट्र में लिया जा रह है, उत्तर प्रदेश में लिया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में लिया जा रहा है, कर्नाटक में लिया जा रहा है। मैं पूरे देश की आत्मा को झकझोरना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* इस तरह से जो एक वर्ग विशेष पर जुल्म हो रहा है उस जुल्म के खिलाफ सीना-सुपुर्द हो जाए। मैं खासतौर पर यूपीए में जो शरीफ लोग हैं, उनसे कहूंगा कि आप अपनी आत्मा को टटोलें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी: मेरी पार्टी यूपीए सरकार का समर्थन कर रही है, इसलिए मैं भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, मैं श्री कीरेन रिजीजू से केवल पांच मिनट तक बोलने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): डिप्टी स्पीकर सर। मैंने बहुत ध्यान से बहुत से माननीय सांसदों का भाषण सुना। ...*(व्यवधान)* मैंने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी और सांसदों को भी सुना है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि मैजोरिटी में वे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अपनी चार साल के कार्यकाल में विफलता ही विफलता प्राप्त की है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत कम सदस्यों को छोड़कर बाकी के लोग इस सरकार से खुश नहीं हैं। यह आखिरी वर्ष सरकार का है और उन्होंने जो काम किया है उसका जिक्र कम करके क्या करने जा रहे हैं इसका जिक्र ज्यादा किया है। माननीय अजीत जोगी जी ने जो मोशन मूव किया है उसका समर्थन करते हुए और महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय अजीत जोगी जी ने जो मोशन मूव किया है उससे मैं सहमत नहीं हूं, जो पाइंट्स हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने शुरुआत में कहा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण ने सारे देश को जोड़ने का काम किया है। सारे देश को जोड़ने का कैसे काम किया है?

महोदय, मैंने संसद में रिक्वेस्ट की है कि पूरे भारत वर्ष की एक इंच जमीन के लिए भी हम समझौता नहीं करेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश तक हमारी एक-एक जमीन को हम बचाएंगे, इसे लेकर हमने रेजुलेशन मूव करने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने रेजुलेशन मूव नहीं किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। हमारी कितनी जमीन सरकार के कब्जे में चली गई है, उसके लिए सरकार को कोई दुख नहीं है। इसलिए इस बात का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन पूरे देश को जोड़ने की बात कही है। अभी भी देश के अंदर एक गांव में जाने के लिए चार-पांच दिन पैदल चलना पड़ता

[श्री किरेन रिजीजू]

है। टेलीफोन की सुविधा नहीं है, चलने के लिए सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, क्या आपने देश को जोड़ा है? यह सिर्फ चार साल के शासन की बात नहीं है, कांग्रेस ने पचास साल देश पर शासन किया है और आपने देश की यह हालत की हुई है और आप कहते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ है। क्या आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं? क्या आप देश के हर हिस्से के अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं? 30 करोड़ से ज्यादा लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे मर रहे हैं। क्या ये लोग आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ में शामिल हैं? अरुणाचल प्रदेश तो इस ग्रोथ में शामिल ही नहीं है और सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। श्री अजीत जोगी ट्राइबल नेता हैं, उन्होंने ट्राइबल्स की बात कही है। एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन हुआ। हिन्दुस्तान में बहुत बड़े-बड़े ट्राइबल नेता हुए हैं और देश के लिए काम किया है। उनके योगदान को क्या आप मान्यता नहीं देंगे। एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई और उसका नाम भी इंदिरा गाधी जी के नाम पर रख दिया। इंदिरा गांधी जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, वे हमारे देश की प्रधानमंत्री थीं। लेकिन इंदिरा जी को भी दुख होगा कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोली है और एक भी ट्राइबल का नाम उसमें नहीं है। यह कितने शर्म की बात है। राजीव गांधी जी के नाम से फेलोशिप एसटी, एससी लोगों के लिए रखी गई। क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं है, जिन्होंने एसटी, एससी लोगों के विकास के लिए योगदान दिया है? हमारे प्रदेश में एक ही यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का नाम....* से बदलकर राजीव गाधी यूनिवर्सिटी कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय: इस आपत्तिजनक शब्द को प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिया जाए।

श्री कीरेन रिजीजू: हर स्टेडियम, हर मोहल्ला, हर घर, हर मकान राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी के नाम कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं मैं राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी का बहुत आदर करता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके लिए यह अच्छी बात होगी और देश के लिए अच्छा होगा कि उनके नाम का इस्तेमाल न करें। राजनीतिक दृष्टि से हर बात को देखना अच्छी बात नहीं है। आप इनक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, हमारे देश में कितने करोड़पतियों ने जन्म लिया है, आपके पॉलिसी से जो अमीर हैं वे बहुत अमीर हो गए हैं। आप पूर्वोत्तर में कोई कॉरपोरेट कंपनी का नाम बता सकते हैं, आपने कोई स्कूल चलाया है अभी तक, क्या किसी अस्पताल के लिए कोई योगदान दिया है? अमेरिका और जापान से लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं। हमारे यहां स्कूल्स हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, वह पैसा अमेरिका से आता है। यह बदनसीबी है कि हिन्दुस्तान में इतने करोड़पति हैं लेकिन वे पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर और देश के और कोनों में स्कूल या मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए पैसा या वक्त नहीं है। यहां इन्क्लूसिव ग्रोथ की बात कही गई, आप कहते हैं कि हम सारे देश को लेकर चल रहे हैं। आपने महामहिम राष्ट्रपति जी से कहलवाने से पहले सोच लिया होता, इसे ड्राफ्ट करने से पहले सरकार ने सोच लिया होता कि ये डॉक्यूमेंट सही बात को दर्शाते हैं। आपने एनआरईजीएस की बहुत जोर से बात कही। एनआरईजीएस का यह आखिरी वर्ष है। चुनाव कब होंगे, यह किसी को नहीं मालूम है। लेकिन चुनाव जल्दी होने वाले हैं, इसलिए यह आपका आखिरी वर्ष है। हमारे यहां 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 16 जिलों में से चार साल में एक जिले को एनआरईजीएस में कवर किया है। अभी 15 जिले बचे हुए हैं और अब कितना समय बचा है उन जिलों को शामिल करने के लिए। जब आपने सत्ता संभाली, उसी समय आप कह देते कि हम यह काम करेंगे। अब चुनाव में जाने का समय है, आप कहते हैं कि हम सारे जिलों को एनआरईजीएस में कवर करेंगे। इस तरह की धूल झोंक कर, लोगों के साथ खिलवाड़ करके आप सरकार चला रहे हैं, मुझे इससे आपत्ति है।

[अनुवाद]

महोदय, मैं समझता हूं कि इस सरकार की एक समस्या है कि वे पूर्व की ओर नहीं देख सकते हैं।

[हिन्दी]

आप पूर्व की ओर से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, अमेरिका से ऑब्सैस्ड रहते हैं इसलिए आपने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की है। यह पॉलिसी कैसे बनेगी, यह बताएं। पूर्वोत्तर को साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के साथ जोड़ने का जो कार्यक्रम है, आप बताएं कि क्या वहां एक किलोमीटर भी सड़क का काम हुआ है? दुख की बात है कि बंगलादेश बॉर्डर या अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन के बॉर्डर या म्यांमार के बॉर्डर में जब मोबाइल लेकर जाएंगे तो हिन्दुस्तान में ही उन देशों के मोबाइल नैटवर्क पकड़ते हैं, हिन्दुस्तान के मोबाइल नैटवर्क नहीं पकड़ते हैं। मैंने इसके बारे में गृह मंत्रालय से पूछा ऐसा क्यों है कि अपने देश में बैठ कर दूसरे देश की टेलीफोन फैसिलिटी यूज करनी पड़ रही है, उन्होंने कहा कि वहां टैरेरिस्ट्स ज्यादा हैं इसलिए टैरेरिस्ट्स मिसयूज न करें, इसलिए फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा टैरेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहीं हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों में है। वहां करीब-करीब सौ संगठन हैं। टैरेरिज्म कैसे पैदा हुआ? मुस्लिम टैरेरिस्ट्स जिसे आप कहते हैं, इसे धर्म के नाम पर नहीं बांटना

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहिए। यह टैरेरिज्म सोशल इशूज के कारण है। आपने उनको सोशली पचास साल तक इतना दबा कर रखा कि उनके हाथ में कोई काम नहीं है, सिवाय हाथ में बंदूक लेकर चलने के, इतने टैरेरिस्ट्स किस ने पैदा किए, इस पर सरकार को सोचना चाहिए।

मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं। आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं। मैं इतना कह कर समाप्त करना चाहता हूं कि आपकी मंशा और दिशा सही होनी चाहिए, आप कागज के पन्नों से गलत दिलासा दिला कर, देशवासियों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देते हुए, अभिभाषण में जो बातें लिखी हैं, उनका खंडन करते हुए विरोध करता हूं लेकिन राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।

मैं संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 25 फरवरी 2008 को माननीया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। जैसाकि हम सब जानते हैं कि यह एक परंपरा है और परंतु इस वर्ष यह विशेष और ऐतिहासिक भी है। स्वतंत्र भारत में पहली बार महिला राष्ट्रपति महमहिम श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया है। एक महिला सांसद होने के नाते मुझे इस ऐतिहासिक अवसर पर चर्चा में भाग लेते हुए दोहरी प्रसन्नता हो रही है।

उनका भाषण सरकार के कार्यक्रम को ही नहीं बल्कि ठोस विकास को भी दिशा देता है। विभिन्न मंत्रालयों ने हमारी स्वीकृति हेतु विशिष्ट उपाय प्रस्तुत किए। परंतु, आज हमने अपनी उपलब्धियों की पृष्ठभूमि में विकास का व्यापक और पूर्णतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। सदस्यों को इस बात से सहमत होना चाहिए कि यह हमें न केवल उन क्षमताओं का मूल्यांकन करने हेतु अपने हालातों और विकास की तुलना करने का समुचित आइडिया देगा जिनके आधार पर हम सुझाव, आलोचना आमंत्रित करते हैं अथवा ऐसा कुछ भी जिसे सदस्य करना चाहते हैं। हम इस सभा में देखते हैं कि या तो भावी कार्यक्रम अथवा असफलताओं की ही आलोचना होती है। हम विकास पर व्यापक और पूर्ण रूप से विचार करने का प्रयास शायद ही करते हैं।

महोदय, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था का 8.5 प्रतिशत की दर से विकास हो रहा है और यह दर गत वर्ष 9 प्रतिशत थी। संप्रग अध्यक्षा के प्रगतिशील नेतृत्व में हमने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किये गये वादों को पूरा करने हेतु उज्जवल भविष्य—यद्यपि यह चुनौतीपूर्ण है—की ओर अग्रसर हैं।

विकास प्रक्रिया को सामाजिक रूप से समावेशी और क्षेत्रीय रूप से संतुलित बनाने हेतु सरकार द्वारा भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जैसे अनेक प्रमुख कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं। मैं देश को ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम देने के लिए संप्रग अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को बधाई देती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: महोदया, यदि आप अपने भाषण को पढ़ना चाहती हैं तो आप इसे सभापटल पर रख सकती हैं।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार परिषद का सदस्य होने के नाते मुझे देश के कतिपय भागों का दौरा करने का मौका मिला; और मैंने एनआरईजीपी के अंतर्गत इस संबंध में कार्य शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमिकों का शहरी क्षेत्रों में जाना रुक गया है।

रोजगार सृजन, गरीबी उपशमन और मानव विकास—तीन मूलभूत विषय—हमारे आर्थिक विकास और कार्यनिष्पादन में आये सुधार को प्रतिबिंबित करते हैं। यह दर्शाता है कि हमने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये थे उनसे अधिक प्राप्त किये हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पूरे देश के लिए 9 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसमें लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर तथा रोजगार प्रदान किया जाएगा और खराब स्वास्थ्य से लोगों को मुक्ति दिलाना एवं भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। मुझे यकीन है कि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी।

हमारी सरकार किसानोन्मुखी है और अपने किसानों के कल्याण के लिए कार्य करती है। हमने इसे इस आम बजट में देखा है।

स्वयंसेवी सहायता समूह, विशेष रूप से महिलाएं पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आश्चर्यजनक काम कर रही हैं। स्वयंसेवी सहायता समूह हमारे मुख्यमंत्री, डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में प्रगति कर रहे हैं और अन्य राज्य हमारी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह देश के विकास के लिए अच्छा है।

जहां तक ग्लोबल वार्मिंग स्थिति का संबंध है, अंटार्कटिका और एंडीज के अत्यंत दक्षिणी भाग—दोनों जगहों में हिमनदों के पिघलने के बारे में लोगों को जागरूक करना हमारा कर्त्तव्य है।

[श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा]

उदाहरणस्वरूप, एक बर्फ की चादर (आईस कैप) जो लार्सेन प्लेटफार्म के नाम से जाना जाता है, इसके 400 वर्ग कि.मी. के विशाल आकार के बावजूद केवल 20 दिनों में ही पिघल गया। यह वास्तव में कड़वी सच्चाई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास संसाधन, प्रौद्योगिकी और वित्तीय साधन हैं। विश्व भर में केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। इसलिए, सरकार को, अन्य देशों की सहायता से इस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती का राजनीतिक उत्तर देना चाहिए। यह आपात स्थिति है, और ऐसी आपात स्थिति में हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

यद्यपि हमारी सरकार ने पिछले चार वर्षों में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 50 प्रतिशत और धान के लिए 33 प्रतिशत की वृद्धि की है; फिर भी मैं महसूस करती हूं कि सरकार को धान के लिए भी गेहूं के बराबर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देना चाहिए। इससे कुछ राजनीतिक दलों के प्रयासों पर रोक लगेगी जो इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं।

अब, ग्राम न्यायालयों की स्थापना के साथ अपने गांवों में कम अधिकार प्राप्त नागरिकों के लिए न्याय की पहुंच आसान हो जाएगी। मैं इसका स्वागत करती हूं और मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। मैं सच्चर समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए भी सरकार को धन्यवाद देती हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: महोदया, कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 7,880 करोड़ रु. आवंटित किये गये हैं। पहले ही देश में अल्पसंख्यक उत्साहित महसूस कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: महोदया, धन्यवाद। अब मैं श्री के. येरननायडू से अपना भाषण शुरू करने का अनुरोध करूंगा।

...(व्यवधान)

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: आदिवासियों और परम्परागत वनवासियों के हितों की रक्षा के लिए वनवासी अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित किये जाने की नितांत आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

एडवोकेट सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, मैं अपने दल का दूसरा वक्ता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी का सारा टाइम खत्म हो गया।

[अनुवाद]

अब मैं क्या कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

एडवोकेट सुरेश कुरूप: सबको अनुमति दी गई है। मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? मेरा नाम सूची में है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं इसे अंत में देखूंगा।

...(व्यवधान)

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, ऐसा नहीं है। मैं दूसरा वक्ता हूं और मुझे बुलाया जाना चाहिए। सब अपना समय ले रहे हैं, और मुझे समय नहीं मिल रहा है। मेरा नाम वहां है और मेरी पार्टी ने बोलने के लिए मेरा नाम दिया है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे पास जो लिस्ट है मैं उसी के मुताबिक बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

एडवोकेट सुरेश कुरूप: मैं दूसरा वक्ता हूं और मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपका एक मिनट भी बाकी नहीं है।

[अनुवाद]

मैं क्या कर सकता हूं।

एडवोकेट सुरेश कुरूप: मैं दूसरा वक्ता हूं। यह क्या है? *...(व्यवधान)* सबको पर्याप्त समय दिया गया। मुझे बुलाया जाना चाहिए क्योंकि मैं दूसरा वक्ता हूं। यह क्या है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं दूसरे वक्ता का नाम पुकार रहा हूं, श्री के. येरननायडू।

...(व्यवधान)

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, मुझे बुलाया जाए। *...(व्यवधान)* मेरा अनुरोध है कि मुझे बुलाया जाना चाहिए। संसदीय कार्यमंत्री यहां बैठे हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप मुझे समय देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मैं इसे बाद में देखूंगा।

...(व्यवधान)

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, यह क्या है? *...(व्यवधान)*

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): महोदय, वह दूसरे वक्ता हैं। *...(व्यवधान)*

एडवोकेट सुरेश कुरूप: सदस्यों को बोलने के लिए दिये जा रहे समय के बारे में कोई कठोर नियम नहीं है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जिन पार्टियों का समय रहता है मैं उनको बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, ऐसा नहीं है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: लेकिन अगर आपकी पार्टी के एक ही लीडर ने इतना समय ले लिया, तो मैं क्या कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

एडवोकेट सुरेश कुरूप: ऐसा नहीं है कि समय समाप्त हो गया है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सी.एस. सुजाता: महोदय, केवल एक और वक्ता है, *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसे मैं अंत में देखूंगा।

...(व्यवधान)

एडवोकेट सुरेश कुरूप: मेरा नाम सूची में है, और मैं बोलने का पात्र हूं। *...(व्यवधान)* प्रत्येक दल को पर्याप्त समय दिया गया। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप चेयर से समय मांग सकते हैं लेकिन कम्पेल नहीं कर सकते कि आपको टाइम जरूर दें। जिन पार्टियों का टाइम खत्म हो गया है मैं ऐसी किसी पार्टी को टाइम नहीं दे रहा हूं, किसी मैम्बर को टाइम नहीं दे रहा हूं। जब मैं किसी ऐसे मेम्बर को टाइम दूंगा जिसकी पार्टी का टाइम खत्म हो गया होगा, आप तब मुझे कहना।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे बोलने के लिए बुलाया जाए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जिनकी पार्टी का टाइम अभी बाकी है उन्हें बोलने का मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे मैं अंत में देखूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जिनकी पार्टी का टाइम अभी बाकी है उन्हें बोलने का मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री के. येरननायडू को बुलाऊंगा। आपको मैं केवल पांच मिनट बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं मात्र उन्हीं सदस्यों को बोलने का समय दे रहा हूं,

[हिन्दी]

जिस पार्टी का टाइम बाकी है, मैं उसी को टाइम दे रहा हूं। जिस पार्टी का टाइम खत्म हो गया है, यदि मैं उन्हें टाइम दूं तो आप मुझे बोलें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): उपाध्यक्ष महोदय, माननीया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद व्यक्त करते हुए मुझे खेद है कि उनके अभिभाषण में महंगाई, किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। यह सरकार गत चार वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में पूरी तरह असफल रही है और इस कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हो रही है। समाज का गरीब तबका, मध्यमवर्गीय, कमजोर वर्ग और हर किसी को इसके फलस्वरूप बहुल मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे आवश्यक वस्तुओं को खरीद पाने में अक्षम हैं। गत चार वर्षों में देश मे 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। हर 30 मिनट पर एक किसान आत्महत्या कर रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक शर्मनाक बात है। इसे किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के बारे में सचमुच चिन्तित होना होगा।

अब कृषि क्षेत्र संकट में है क्योंकि किसान दूसरी खेती अपना रहे हैं जो बिल्कुल लाभकारी नहीं है। सरकार ने भी न तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और नही राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया। स्वामीनाथन आयोग ने कृषि उत्पादन से संबंधित एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों को लागू करने से ही कृषि क्षेत्र का विकास हो सकेगा और हम सकल घरेलू उत्पाद में चार प्रतिशत की वृद्धि पाने में सक्षम होंगे। लेकिन उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की इस रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ऋण नीति के बारे में सिफारिश की है। वर्तमान में हम कृषक समुदाय को सात प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण ले रहे हैं लेकिन उन्होंने सरकार से इसे घटाकर चार प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने का अनुरोध किया है क्योंकि कृषि क्षेत्र इसी दर पर अर्थक्षम बना रहेगा।

सरकार ने सीमांत और छोटे किसानों के बारे में एकमुश्त समझौता की बात की है लेकिन यह मात्र दस प्रतिशत भारतीय किसानों को शामिल करता है। मात्र दस प्रतिशत भारतीय किसानों को ही इस ऋण माफी योजना में शामिल किया गया है लेकिन शेष 90 प्रतिशत किसानों का क्या होगा? उन्होंने यह रियायत या माफी ऐसे छोटे और सीमांत किसानों को दी है जिनकी भूमिधारिता पांच एकड़ की है लेकिन वैसे किसानों का क्या होगा जिनकी भूमिधारिता पांच एकड़ से अधिक है? शुष्क भूमि क्षेत्रों में एक किसान पांच एकड़ से अधिक भूमि पर खेती कर रहा है। आप वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं कि पांच एकड़ से अधिक भूमि पर खेती करने वाले कितने किसानों ने आत्महत्या की है। उन्हें इस ऋण माफी योजना में शामिल नहीं किया गया है। किसान तो किसान होता है। हो सकता है कि दस एकड़ भूमि के स्वामित्व वाले किसानों ने भी बैंकों से भारी ऋण लिया हो लेकिन सूखा या बाढ़ के कारण उनका पूरी फसल बर्बाद हो गयी हो और वे ऋण का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हों।

सांख्यिकीय संगठन का उनसठवां प्रतिवेदन यह कहता है कि पचास प्रतिशत किसान निजी साहूकारों से उच्च ब्याज दर पर ऋण ले रहे हैं। इस ऋण माफी प्रस्ताव में निजी साहूकारों द्वारा दिए गए ऋण को माफ करने का प्रस्ताव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कृषि क्षेत्र कैसे बचा रह पाएगा?

कृषि लागत और मूल्य आयोग ने अपने प्रतिवेदन में 15 वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया है लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है। वे अन्य देशों को 1600 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान कर गेहूं का आयात कर रहे हैं लेकिन वे भारतीय किसानों को 1100 रुपए प्रति क्विंटल का भी भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। दबाव के कारण उन्होंने मूल्य को 850 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। पिछले तीन महीनों से पूरा देश धान के लिए 1000 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य की मांग कर रहा है लेकिन वित्त मंत्री, कृषि मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने भी किसानों के इस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया है।

स्वामीनाथन आयोग ने स्पष्ट रूप से यह सिफारिश की है कि कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि इसमें उत्पादन लागत के अतिरिक्त 50 प्रतिशत का बोनस देय हो। उन्होंने इसके बारे में उल्लेख नहीं किया है। भविष्य में खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है और तब सरकार 120 करोड़ की जनसंख्या को खिलाने के लिए खाद्यान्न कहां से आयात करेगी? अब हम गेहूं का आयात कर रहे हैं और यदि भविष्य में धान के संबंध में कोई संकट पैदा हो जाए तो इसे चावल का भी आयात करना होगा। भविष्य में यदि खाद्यान्न संकट पैदा होता है तो देश के लिए एक कठिन समस्या पैदा हो जाएगी।

इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि सभी किसानों का ऋण माफ किया जाए। अन्यथा यह देश के लिए अपूरणीय क्षति होगी। भू-क्षरण और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को नुकसान हो रहा लेकिन ऋण माफी की योजना में उन सभी किसानों को शामिल नहीं किया गया है।

यदि आप बेरोजगारी की समस्या के संबंध में विशेष आर्थिक जोनों की बात कर रहे हैं कि इनके माध्यम से एक लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर और सृजित किये जाएंगे।

सरकार विशेष आर्थिक जोनों के माध्यम से किसानों की भूमि के अधिग्रहण के बारे में बात कर रही है। जिस भूमि पर दो-तीन फसलें बोई जाती हैं उस भूमि को मामूली सी धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान करके अधिग्रहीत किया जा रहा है। वे भूमि अर्जन अधिनियम को बलपूर्वक लागू कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी राज्य सरकारों से बलपूर्वक भूमि अधग्रहीत करने के लिए कहा है और मुख्य मंत्री अपने लोगों के साथ साठगांठ कर किसानों की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं और इसे उद्योगपतियों को दे रहे हैं और इसे उद्योगपतियों को सौंप रहे हैं। मामूली धनराशि का भुगतान कर ली भूमि का उपयोग विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना के लिए नहीं किया जा रहा है बल्कि इस भूमि का विकास रियल इस्टेट प्रोपर्टीज के रूप में किया जा रहा है और उसे अत्यधिक ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। वे उन लोगों को भी रोजगार नहीं दे रहे हैं जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है।

विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को पारित करते समय मंत्रीजी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार पहले 150 विशेष आर्थिक जोनों के लिए अनुमति प्रदान करेगी और उनके कार्यकरण को देखने के बाद उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तथापि सरकार ने पूरे देश में लगभग 600 विशेष आर्थिक जोनों को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह चौंकाने वाली स्थिति है। लाखों एकड़ उर्वर भूमि का अधिग्रहण रियल इस्टेट के विकास के प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। यह कृषक समुदाय के साथ अमानवीय व्यवहार है।

सरकार ने राज्य विधान सभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने जैसे बड़े-बड़े वायदे राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किये थे। संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं तथा डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संप्रग सरकार के चार वर्ष पहले ही बीत चुके हैं और यह उसका अंतिम वर्ष है। इस वर्ष भी सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस मुद्दे का कोई उल्लेख नहीं किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सभा में इस बात को स्पष्ट करना होगा कि इस संबंध राष्ट्रपति अभिभाषण में कोई उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। जब राजग सत्ता में था तो वह महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे थे। किंतु अब वे इस मुद्दे पर चुप हैं।

सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने की कोई पहल नहीं की है। सरकार ने राष्ट्र से यह वादा किया है कि वह वस्तुओं की खरीद और उन्हें बाजार में जारी करने जैसी बाजार हस्तक्षेप योजना के माध्यम से मूल्यों को नियंत्रित करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने शासन के दौरान पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में सात बार वृद्धि की है। वे पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में मामूली वृद्धि को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर दोषारोपण करते रहें। अब तक उन्होंने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में दो रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। संप्रग के घटक टीआरएस के सदस्यों की अंतरआत्मा कुछ बची हुई है इसलिए उन्होंने इस गठबंधन से नाता तोड़ लिया है। इस सरकार का समर्थन करने वाले अनेक अन्य दल भी अपने-अपने घोषणा पत्र लागू कर रहे हैं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण तत्कालीन सरकार का नीतिगत दस्तावेज होता है। इस दस्तावेज के माध्यम से सरकार ने इस देश को क्या संदेश दिया है। महत्वपूर्ण मामलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। मुद्रास्फीति, महंगाई, कृषि संकट जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों को इस अभिभाषण में शामिल नहीं किया गया है। तीन महीनों से हम किसानों को एकजुट कर रहे हैं, आंदोलन और रैली निकाल रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप किसानों को बजट में इतनी रियायत दी गई है।

हम राष्ट्रपति के अभिभाषण से खुश नहीं है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। सरकार अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किये गये इन वायदों को लागू करने में पूरी तरह विफल रही है। यही कारण है कि हम इस संकल्प का विरोध करते हैं।

[हिन्दी]

***श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी** (रीवा): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात कहना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी का संयुक्त अधिवेशन में दिया गया यह पहला अभिभाषण है। अभिभाषण को बड़ी बारीकी और उत्सुकता से पढ़ा। मैं सोच रहा था कि प्रथम महिला राष्ट्रपति का अभिभाषण है। इसमें देशवासियों के लिए एक नई दिशा होगी। गरीबों और सदियों से कुचले हुए लोगों के लिए ममता और वात्सल्य होगा। लेकिन मुझे निराशा हुई है। अभिभाषण की शब्द-सज्जा और वाक्य-विन्यास जितने ही सुन्दर हैं, वस्तुस्थिति उतनी भयंकर है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी]

राष्ट्रपति जी ने पहले ही पैराग्राफ में अपनी सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए कहा है कि अर्थव्यवस्था प्रगति पर है। आर्थिक विकास की यह प्रक्रिया सामाजिक रूप से समावेशी, क्षेत्रीय रूप से संतुलित और पर्यावरणीय रूप से अक्षुण्ण हो। मेरी सरकार द्वारा किये गये उपायों ने समावेशी विकास का आवश्यक ढांचा तैयार कर लिया है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस समावेशी विकास में कौन-कौन लोग शामिल हैं। एक तरफ बीस धनकुबेरों के पास करोड़ों की धन सम्पदा और दूसरी तरफ कोई बीस करोड़ के आसपास लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने को अभिशप्त हैं। क्या यही समावेशी विकास है। विकास हो रहा है। पर किसकी कीमत पर किसका विकास। राष्ट्रपति जी को अपने अभिभाषण पर इसका भी जिक्र करना चाहिए था। कोई 5 करोड़ के आसपास लोग कूड़े के ढेर से अन्न बीन कर खाते हैं। क्या यही समावेशी विकास है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अभिभाषण में कहा गया है कि पिछले चार वर्षों में लगातार लगभग 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विकास हुआ है। मनमोहन सिंह की सरकार जहां उच्च आर्थिक विकास के दावे कर रही है, वहीं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में भारत विकास के लिहाज से अपने पड़ोसियों श्रीलंका और मालद्वीप से भी पीछे है।

इस अभिभाषण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उल्लेख किया गया है। इसमें 365 दिन में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। इसमें क्या वर्ष भर का भरणपोषण संभव है। क्या सरकार इसकी गंभीरता से समीक्षा करेगी।

कृषि क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि जिन किसानों ने कर्ज के बोझ के नीचे दबकर आत्महत्या की है, उनके प्रति संवेदना का एक भी शब्द नहीं कहा गया।

किसानों के कर्ज माफी की बात की गई है। लेकिन किसानों के ऊपर कितना कर्जा है इसकी ठोस जानकारी के बिना कर्ज माफी की घोषणा की बात कही गई है। किसानों का कर्जा माफ हो। यह घोषणा अच्छी बात है। लेकिन उसका बजट में प्रावधान भी होना चाहिए। इतना ही नहीं निजी साहूकारों, प्राइवेट मनीलैंडरों के कर्जे की माफी की भी कोई कारगर योजना होनी चाहिए।

कर्ज माफी के अलावा भी खेती को लाभकारी धंधा बनाया जाना चाहिए। किसान को उसकी पैदावार का लागत दाम भी नहीं मिल रहा है। जब तक उसे उसकी पैदावार का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा अकेले कर्ज माफी से कुछ नहीं होगा। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यही वजह है कि अन्नदाता किसान कर्जे के बोझ से दबकर आत्महत्या कर रहा है।

राजग सरकार ने खेत आय बीमा योजना इजाद की थी। चाहे सूखा पड़े, बाढ़ आए, अकाल पड़े, खलिहान में आग लगे, चाहे जो भी संकट आये, चाहे किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आए लेकिन किसान अपने खेत की सुनिश्चित आय के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त रहेगा। इसका इस अभिभाषण में उल्लेख तक नहीं है।

आतंकवाद से कुछ भी सुरक्षित नहीं हैं। आतंकवादी घटनाओं में अनेकों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उसके बाद भी सरकार कहती है स्थिति नियंत्रण में है। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए किसी प्रभावी कदम का उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है। इस आतंकवाद से निपटने के लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता है। अगर केन्द्र सरकार ऐसा कानून लाती है तो हम उसका समर्थन करेंगे।

आर्थिक-विषमता को दूर करने की कोई बात अभिभाषण में नहीं है। आर्थिक-विषमता की खाई को मिटाने की कारगर योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

रामसेतु का मुद्दा एक संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए रामसेतु को बचाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

भारतीय संस्कृति पर जितना बड़ा हमला आज हो रहा है उतना बड़ा हमला कभी मुगलों, पठानों और अंग्रेजों के काल में भी नहीं हुआ। राम के अस्तित्व पर कभी प्रश्न-चिन्ह नहीं खड़ा किया गया। आज मनमोहन सरकार महात्मा गांधी को भी नकारने पर आमादा है। यदि राम सच नहीं होते तो महात्मा गांधी रामराज की राजनैतिक अवधारणा की बात नहीं करते और जगह-जगह रघुपतिराघव राजा राम का संकीर्तन नहीं करते। मेरी मान्यता है कि राम ही नहीं, किसी धर्म, मजहब और संस्कृति के आदर्श पुरुष और प्रतीकों पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।

श्री मुंशी राम (बिजनौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव करते हुए सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत का उत्तर प्रदेश आबादी के अनुसार जिसकी 18 करोड़ से ज्यादा आबादी है, उसका वह पश्चिमी भाग जिसमें 5 मंडल हैं और 22 जिले हैं, उसकी तरफ महामहिम ने कोई ध्यान नहीं दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश के राजस्व का 70 प्रतिशत से अधिक राजस्व देकर

उ.प्र. सरकार को चलाता है। उ.प्र. को राजस्व 70 प्रतिशत से ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलती है, ऐसे क्षेत्र पर महामहिम ने ध्यान नहीं दिया है। उसी पश्चिमी उ.प्र. में 80 प्रतिशत से ज्यादा जो किसान गन्ने का उत्पादन करते हैं, सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये भले ही उन किसानों का कर्जा माफ कर दिया है, मैं समझता हूं कि ऐसे किसानों का कर्जा माफ किया होगा जो किसी देन में नहीं आ रहे होंगे और जो कैरीड-ओवर पैसा आता रहता होगा, शायद इस प्रकार का कर्जा माफ कर दिया होगा। वास्तव में यदि सरकार किसानों की उन्नति करना चाहती है तो जो किसान अपनी फसल को पैदा करता है, उस फसल का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार उस किसान की समिति बनाकर ही उन किसानों के माध्यम से ही उनके मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए और उस फसल के पैदावार होने से पूर्व ही उसके मूल्य का निर्धारण होना चाहिए जिससे किसान यह निर्णय ले सके कि मैं इस फसल को पैदा करूंगा तो मुझे इससे लाभ वाला मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी से जुड़ा मजदूर है, यदि किसान की जेब में पैसा नहीं है क्योंकि पैसा पैदा करने का स्रोत किसान है। किसान को मुनाफा होगा, उसको उसकी पैदावार में उसे पैसा मिलेगा तो उसे अपने से जुड़े मजदूर को पैसा देने में अड़चन नहीं होगी। इस समय सरकार के लिए कर्जा माफ करने से ज्यादा जरूरी किसानों को बिजली की आपूर्ति करना था कि किसानों के खेतों पर 24 घंटे में से कम से कम 18 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित रूप से की जाने की योजना सरकार की होनी चाहिए थी और मुफ्त बिजली की आपूर्ति दिये जाने की ओर सरकार का उद्देश्य होना चाहिए था। मैं समझता हूं कि उस ओर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

पश्चिमी उ.प्र. में मात्र 3 विश्वविद्यालय हैं। 5-6 करोड़ की आबादी के क्षेत्र में 3 विश्वविद्यालय हैं, उस तरफ भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है कि उन तीन विश्वविद्यालयों में जो वहां के किसान, मजदूर और अनुसूचित जाति के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक तो कोई विश्वविद्यालय इस स्तर का बना दिया जाना चाहिए कि उन्हें उस क्षेत्र से आगे हटकर दूर न जाना पड़े।

इसी प्रकार सरकार ने प्राइमरी और जूनियर शिक्षा प्रदान करने के लिए कमरे बनाने का तो प्रावधान कर दिया है लेकिन उन प्राइमरी स्कूलों में 400-400, 500-500 बच्चे हैं और पढ़ाने के लिए केवल 1 या 2 अध्यापक हैं। उन बच्चों के अनुपात में सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं बनाई गई है कि उन बच्चों के अनुपात में वहां शिक्षक भी तैनात किये जाएं। इस तरफ भी मैं समझता हूं कि सरकार ने कोई ठोस रणनीति नहीं दर्शाई है। जो 15-17 प्रतिशत बिजली का उत्पादन अगर हमारी आवश्यकता के हिसाब से कम है तो बिजली उत्पादन का जो वितरण होना चाहिए, वह उसी रेशियो में होना चाहिए। ऐसा नही होना चाहिए कि किसान को आप केवल 2 घंटे बिजली देंगे और उद्योगपतियों को आप 24 घंटे बिजली देंगे। बड़े-बड़े शहरों में आप 24 घंटे बिजली देंगे और छोटे-चोटे शहरों में आप 3-3 और 4-4 घंटे बिजली की आपूर्ति देंगे। मैं समझता हूं कि इस पर भी सरकार ने प्रस्ताव में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है कि छोटे-छोटे नगरों को भी बिजली की आपूर्ति 24 घंटे में से कम से कम 18 घंटे बिजली की आपूर्ति की जानी चाहिए, इस पर भी सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। फिर हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि गांव में कैसे हम लोगों को रोकें, कैसे हम उनके पलायन को रोकें क्योंकि जब छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं होंगी, न शिक्षा की सुविधा होगी और न बिजली की सुविधा होगी, तो वहां पर लोग कैसे रुक पाएंगे? इसी प्रकार से लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की योजना तो सरकार ने बनाई है लेकिन वे बेरोजगार लोग जो छोटे-छोटे नगरों में अपना लघु-उद्योग लगाकर कार्य करते हैं, जो उत्पादन करते हैं, उनके सामान का जब तक कोई खरीदार नहीं होगा तो छोटे-छोटे उद्योग लाभकारी नहीं होंगे। लिहाजा वे उद्योग जिन्हें सरकार कर्ज देती है, वे कर्ज को वापस करने की स्थिति में भी नहीं रहते और सरकार की ऐसी भी कोई योजना नहीं है कि जो छोटे-छोटे नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग लगाए जाएंगे, उनका जो उत्पादन होगा, उसको खरीदने के लिए सरकार ने कोई ठोस योजना ही नहीं दी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तो सरकार ने बना दिया जिसके अंतर्गत 1.38 लाख स्वास्थ्य उप-केन्द्र, 22,669 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3947 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 540 जिला अस्पतालों आवश्यकताओं के अनुपात में चिकित्सक एवं कर्मचारियों की नियुक्तियां, पैथोलॉजी लैब में दवाइयों की व्यवस्था अनुपात में किये जाने और उसकी निगरानी किये जाने के बारे में कोई उल्लेख महामहिम द्वारा नहीं किया गया है।

भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समानान्तर सुविधा वाले मैडिकल कालेज प्रत्येक राज्य में खोले जाने की व्यवस्था की है लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। वहां महामहिम राष्ट्रपति जी ने कोई मैडिकल कालेज खोले जाने का उल्लेख नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में ऐसा मैडिकल कालेज खोले जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार करोड़ों शिक्षित बेरोजगार युवक हैं, उनके लिए सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं रखी है। रोजगार न मिलने की दशा में ये बेरोजगार जुर्म की राह पकड़ रहे हैं या अपना जेब खर्च चलाने के लिए गलत रास्ता ले रहे हैं। इन बेरोजगारों के लिए सरकार ने कोई योजना नहीं रखी है। ...*(व्यवधान)*

[श्री मुंशी राम]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

****श्री मुंशी राम:** उत्तराखंड से निकलने वाली नदी गंगा द्वारा हजारों हैक्टेयर किसानों की भूमि काट दी गई एवं किसानों को भूमिहीन बना दिया गया। सैकड़ों गांव उजाड़ दिये गये और बाकी गंगा के कटान से उजड़ जाने की संभावना है। इस ओर विशेष पैकेज के माध्यम से कार्य कराये जाने पर भी लाखों कमजोर वर्ग के किसानों की मदद के लिए भी महामहिम ने अपने भाषण में कोई उल्लेख नहीं किया है।

अंत में महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य नहीं बनाया जाता तब तक विशेष पैकेज के माध्यम से इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

[अनुवाद]

*****श्री प्रहलाद जोशी** (धारवाड़ उत्तर): राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों की रूपरेखा होता है। यह एक परम्परा है कि प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में संसद के संयुक्त सत्र को माननीय राष्ट्रपति संबोधित करेंगे और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में बतायेंगे।

महोदय, मेरे जैसे कनिष्ठ संसद सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने के लिए बहुत कम अवसर प्राप्त होते हैं, और अगर मिलता भी है तो केवल दो-तीन मिनट ही बोलने के लिए दिये जाते हैं। अत:, अनेक विषयों पर विचार प्रकट करने से हम रह जाते हैं। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे थोड़ा और समय दिया जाए क्योंकि मैं कन्नड़ में पहली बार बोल रहा हूं। मैं केवल दो मुख्य विषयों पर बोलना चाहूंगा और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। सबसे पहले, मैं आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण के 49वें और 50वें पैरा में कहा है कि कुल मिलाकर आंतरिक सुरक्षा नियंत्रण में है। अगर ऐसा है तो मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि 'नियंत्रण से आप क्या समझते हैं।' जब से यूपीए सरकार सत्ता में आयी है, देश में अनेक आतंकवादी घटनाएं घटी हैं, विशेषकर पिछले 18 महीनों में और यह दुखद है।

मार्च 2006 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास वाराणसी रेलवे स्टेशन पर दो बम ब्लास्ट हुए, जिसमें 20 लोग मारे गए। जुलाई 2006 में मुम्बई उपनगरीय रेलों में लगातार सात बम ब्लास्ट हुए, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गये और अनेकों घायल हुए। सितम्बर 2006 में महाराष्ट्र के मालेगांव मस्जिद में दो बम ब्लास्ट हुए जिसमें कम से कम तीस लोग मारे गये और 100 लोग घायल हुए, फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस जो अमृतसर से लाहौर जाती है, में बम फटे जिसमें अनेकों लोग मारे गए। यह घटना यूपीए के एक वर्ष पूरे किये जाने के बाद हुई लेकिन माननीय प्रधानमंत्री उस स्थान पर अभी तक नहीं गए। अल्पसंख्यकों के वोटों को ध्यान में रखते हुए न तो वहां कोई गया और न ही प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की।

अगर मैं इन सब घटनाओं को उद्धृत करता रहूंगा तो इसका कोई अंत नहीं होगा। यह सब घटनाएं डेढ़ वर्ष से भी कम समय में हुई हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि यूपीए के समय में आतंकवाद बड़ी तेजी से फैला है और इसका मुख्य कारण है यूपीए सरकार द्वारा अपनायी गयी नरम नीति। महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आतंकवाद के प्रति यूपीए सरकार और माननीय गृह मंत्री की रवैया नरम है, उदाहरण के लिए मैं कुछ रिपोर्ट्स का उल्लेख करना चाहूंगा।

1 अप्रैल 2007 को एक आईएसआई एजेंट मकसूद अहमद को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था जब वह विध्वंसक और जासूसी गतिविधियों के लिए युवकों की भर्ती कर रहा था। न तो उससे गहन पूछताछ की गयी और न ही उसके बाद की कार्यवाही की गयी। झारखंड के जनतारा जिले से पश्चिम बंगाल की पुलिस ने मोहम्मद सैयद को 20 मई, 2007 को बंदी बनाया। उसने हैदराबाद के आतंकवादियों से जुड़े अपने संबंधों की विस्तृत जानकारी दी। उससे आगे कोई जांच नहीं हुई। 25 मई, 2007 को शोएब फकरुद्दीन जागीरदार मुत्तावली स्थानीय दरगाह के संरक्षक को आरडीएक्स भेजने और आतंकवादी गतिविधियों में महाराष्ट्र के जलना से युवकों को हैदराबाद भेजने के लिए पकड़ा गया। बताया जाता है कि राजनीतिक दबाव के कारण उसे छोड़ दिया गया। 15 जून, 2007 को एक आईएसआई एजेंट मोहम्मद अब्दुल सत्तार ने कबूल किया कि उसने शाहिद जो, 18 मई के हैदराबाद बम धमाके के लिए जिम्मेदार हैं, के साथ पाकिस्तान में हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। आगे जांच नहीं की गयी। 12 अगस्त, 2007 को औरंगाबाद पुलिस ने 29 कि.ग्रा. अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक सामग्री जब्त की जिसे सिकंदराबाद (हैदराबाद के पास) का एक व्यक्ति छोड़ गया था।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, इन सब घटनाओं से स्पष्ट है कि यूपीए सरकार ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कार्यवाही नहीं कर रही। यूपीए सरकार के नर्म रवैये के कारण ही आतंकवादी गतिविधियां सब जगह बढ़ रही हैं। पहले काशी में बम विस्फोट हुआ, फिर दिल्ली, हैदराबाद और अब कर्नाटक में भी विस्फोट हो रहे हैं, जो शांति के लिए जाना जाता है। कर्नाटक के शिमोगा जिले के होन्नाली में पुलिस द्वारा बाइक पर सवार दो चोरों को गिरफ्तार कर जब न्यायालय में पेश किया गया तो न्यायाधीश की जांच के पश्चात पता चला कि वे लोग आतंकवादी हैं, और वे आईएसआई से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने आगे जांच की और छह लोगों को गिरफ्तार किया।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, कृपया मुझे दो से तीन मिनट और दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें, आपने 8 मिनट से ज्यादा लिये हैं।

श्री प्रहलाद जोशी: मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं और बाकी बचे भाषण को सभा पटल पर रखूंगा।

उन छह व्यक्तियों में से 4-5 मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र थे जो सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे थे। इन छात्रों के पास बिन-लादेन का फोटोग्राफ था और वे उसका गुणगान करते थे। हालांकि ऐसा हमारे राज्य में हो रहा है लेकिन न तो राज्य पुलिस और न ही केन्द्रीय एजेंसियों ने इन गतिविधियों को नोट किया। यह स्पष्ट है कि कैसे यूपीए सरकार उन आतंकवादियों पर नजर रख रही है जो आईएसआई से संबंध रखते हैं। अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि पोटा अधिनियम देश में पुन: लागू करे।

उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग गठित किया जाए तथा प्रत्येक राज्य में आतंकवादी विरोधी दल स्थापित किया जाना चाहिए, जो आधुनिक हथियारों और गोलाबारूद से लैस हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और बाकी बचे भाषण को मैं सभा पटल पर रखना चाहूंगा।

*महोदय समय की कमी के कारण मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से केवल दो पहलुओं का उल्लेख करूंगा। ये हैं, कृषि, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद की समस्या तथा आतंकवादी गतिविधियों पर सरकार द्वारा रोक लगाने संबंधी निश्चय से संबंधित है क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां देश के अन्य भागों में फैलती जा रही हैं, जो पहले कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थीं।

..... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद

राष्ट्रपति के अभिभाषण का पैरा 49 और 50 आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है और कहा गया है कि स्थिति नियंत्रण में है। इसमें वामपक्ष अतिवाद के फैलने का भी उल्लेख है तथा पुलिस, सुरक्षा बलों तथा आसूचना प्रणाली के आधुनिकीकरण के बारे में काफी कुछ कहा गया है। यह परिस्थिति की तथ्यात्मक स्थिति की सराहना वाला दस्तावेज ज्यादा लगता है लेकिन सरकार द्वारा प्रस्तावित सक्रिय उपायों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वास्तव में राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में कर्नाटक जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में फैलते हुए उग्रवाद पर सरकार की चिंता का उल्लेख अवश्य होना चाहिए था।

सबसे निराशापूर्ण बात यह है कि सरकार समस्या के उस नए आयाम पर ध्यान देने में असफल रही कि मेरे राज्य में कुछेक क्षेत्रों से युवा लोग लालच में आकर आतंकवादी समूहों में शामिल हो रहे हैं। इस स्थिति का सामना करने के लिए एक सुनिश्चित कार्य योजना को तो छोड़िए, सरकार ने इसका उल्लेख तक नहीं किया है। यहां तक कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेज 'ओवरव्यू ऑफ इंटरनल सिक्यूरिटी सिच्युएशन दैट इज ए स्टेट्स पेपर ऑन इंटरनल सिक्यूरिटी' में भी उल्लेख है कि वर्ष 2007 में दो मुख्य आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, पहली पानीपत के निकट समझौता एक्सप्रैस ट्रेन में तथा दूसरी हैदराबाद में मक्का मस्जिद में जो कि कुछ स्थानीय तत्वों की मदद से बाहर से प्रायोजित आतंकवादी गुटों द्वारा की गई। मुझे इस भाग 'कुछ स्थानीय तत्वों की मदद से' को रेखांकित करने दें। इसका क्या अर्थ है? इस स्थानीय मदद का स्रोत क्या है, इस स्थानीय मदद के स्रोत के पीछे कौन से लोग हैं। अब सरकार के लिए यह उचित समय है कि वह इस मुद्दे पर खामोश रहने की बजाए इस स्थानीय मदद के पक्ष को उजागर करे। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस मामले पर दो जगह असफल रही है।

इसमें एक तो यह है कि आतंकवादी गतिविधियां अधिकांशत: बाहरी गुटों द्वारा चलाई जा रही हैं। यह बाहर से आने वाले आतंकवादियों के हमारे देश में प्रवेश और उनकी मुक्त गतिविधियों पर सरकार द्वारा रोक लगाने में उसकी असफलता को परिलक्षित करता है। दूसरे यह स्थानीय तत्वों के आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने संबंधी मामलों का पता लगाने में सरकार की असफलता को दर्शाता है। अब यह बात शीशे की तरह साफ है कि कुछ चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं और बात स्पष्ट हो रही है कि इस स्थानीय मदद का स्रोत कौन है।

कहानी की परतें खुल रही हैं और मैं स्वयं बहुत चिंतित हूं क्योंकि इस खुल रही कहानी का मूल मेरे राज्य कर्नाटक के उत्तरी

[श्री प्रहलाद जोशी]

भाग में है। हाल ही में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में स्थित मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य कॉलेजों से गिरफ्तार छात्रों के प्रतिबंधित संगठन सिमी के साथ संबंध बताए गए हैं। इस संबंधी और भी चौंकाने वाला पहलू यह है कि इन सभी संदिग्ध आतंकवादियों के संबंध विदेशी आतंकवादी समूहों के साथ थे और ये उनके हाथों में खेल रहे थे। परंतु यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार इस सच्चाई को क्यों छिपा रही है कि ये गिरफ्तार हुए छात्र या तो आतंकवादी हैं या फिर आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। स्वयं से यह धोखा क्यों? यह इस बात को साबित करता है कि किसी भी दृष्टिकोण से गिरफ्तार हुए छात्रों को देखने से थोड़ा संदेह बना रहता है कि विनाशक तथा विघटनकारी क्रियाकलापों के लिए वे बड़ी योजना बना रहे थे, सरकार कड़वी सच्चाइयों से मुंह क्यों क्यों मोड़ रही है?

गृह मंत्री के ढुलमुल रवैये से भी सरकार का स्वयं को धोखा देना झलकता है। जब मैं कर्नाटक के संसद सदस्यों क प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में उनसे मिला तथा कर्नाटक में आतंकवाद के फैलते जाल के बारे में अपनी चिंता जाहिर की तो हमारे आग्रह के प्रति उनकी प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को इतना क्यों उछाल रहे हैं, जिसका उनके अनुसार हमारे राज्य के विकास पर प्रभाव पड़ेगा।

जी हां, गृह मंत्री महोदय, मैं दुःख के साथ इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि एक अथवा अन्य क्षेत्र में आतंकवाद का अस्तित्व हमारे विकास को प्रभावित करता है। मैं आपकी चिंता समझता हूं परंतु हम विकास की आड़ में वास्तविकता को नहीं दबा सकते।

लेकिन क्या विनाश तथा जान और माल की हानि की संभावनाओं के रहते इस प्रकार का विकास किया जा सकता है। क्या इन मौत के सौदागरों के लगातार खतरे के समक्ष हम अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। मैं इसके ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा कि किस प्रकार जेहादी नए स्थानों की खोज कर रहे हैं, विशेषकर दक्षिण भारत में जा रहे हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि आतंकी समूहों को स्पष्ट रूप से अपने जघन्य काम के लिए नई भर्तियां मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती है। शिक्षित युवा तथा युवा इंजीनियरों और डॉक्टरों समेत पेशेवरों की भागीदारी चिंता की बात है।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की हालिया घटना पर आता हूं। सिमोगा के निकट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये दुपहिया चोरों को होन्नाली मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। यह कर्नाटक विशेषकर उत्तरी भाग का सौभाग्य था कि मजिस्ट्रेट को कुछ शक हुआ और उन्होने इन दोनों व्यक्तियों श्री असादुल्लाह अबुकर और श्री गौस के पूर्ववृत्त की विस्तृत जांच के आदेश दिए। जो सामने आया वह दहला देने वाला था। वे वाहन चोर की आड़ में आतंकवादी थे। इन दोनों की गिरफ्तारी और जांच ने कर्नाटक में आतंकवादी जाल का खुलासा किया तथा जांच के व्यापक पहलू सामने आए। हुबली के आसपास जंगली क्षेत्र में हथियार छिपे हुए थे। कुछ पूजा के स्थलों में बिन लादेन की दहलाने वाली तस्वीरें लगी थीं। इससे कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई जिन पर बाहरी आतंकवादी गुटों से तार जुड़े होने का संदेह था।

पिछले एक महीने में, कर्नाटक पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये छह लोगों में से तीन उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र के मेडिकल के छात्र हैं तथा चौथा बैंगलोर का इंजीनियर का छात्र है।

जहां मोहम्मद आसिफ और अल्लाबक्श एमबीबीएस के चात्र थे, असादुल्लाह अबुबकर आयुर्वेदिक चिकित्सा का छात्र था तथा याहया खान एक इंजीनियर था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि वे और भी लोगों से जुड़ना चाह रहे थे। आम जनता मदरसों की जांच-पड़ताल पर दबाव डाल रही है। जनता के अनुसार यह मदरसे आतंकवादियों के छिपने के गुप्त अड्डे बन गये हैं और हमारे वित्त मंत्री महोदय इन मदरसों को व्यापक मात्रा में धनराशि प्रदान कर रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि यह धनराशि उच्च शैक्षिक संस्थाओं के लिए प्रदान की जाए ताकि मुसल्मानों की विचारधारा को बदला जा सके और उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में लाया जा सके।

मैं इस बिंदु पर बहुत स्पष्ट रहना चाहूंगा न कि अपने कांग्रेस और वामपंथी मित्रों की तरह आतंकवाद के इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दे पर भी धर्मनिरपेक्षता दिखाऊंगा। हमें आतंकवाद के मुद्दे पर इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन धर्मनिरपेक्ष है और कौन सांप्रदायिक। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है इसको अस्वीकारने का कोई लाभ नहीं है। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी हैं। वे किस धर्म से संबंध रखते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।

मई 2007 में हैदराबाद में ऐतिहासिक जामा मस्जिद में बम विस्फोट में 11 लोग मारे गये तथा हैदराबाद में 25 अगस्त 2007 में भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक क्षेत्र में बम विस्फोट से कम से कम 42 लोग मारे गए।

परंतु यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इन घटनाओं पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं करना चाहती। सरकार अभी भी अल्पसंख्यक के मुद्दे से चिपके रहना चाहती है।

यदि हमें आतंक के खिलाफ युद्ध जीतना है, तो हमें राजनीतिक पक्षपात, साम्प्रदायिक दबाव, प्रशासनिक और पुलिस के ढुलमुल

रवैये और कमजोर कानूनी-न्यायिक व्यवस्था से किनारा करना होगा। हमें यह घोषणा करके अपना पक्ष कमजोर नहीं करना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही आतंकवाद के शिकार हैं और दोनों को ही एक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इससे भारत के शत्रुओं के बीच गलत संदेश जाएगा।

इतने खराब हालात के बावजूद गृह मंत्री विकास की बात करके इस मामले को दबाना चाहते हैं। चूंकि शायद उन्हें अल्पसंख्यक मतों के खोने का डर है और वे भारतीय लोगों की जान की कीमत पर भी धर्मनिरपेक्षता की ढाल को गंवाने का जोखिम नहीं ले सकते।

अब समय आ गया है कि सरकार गहरी निद्रा से जागकर ठोस कार्रवाई करे। विकास की चिंता न करे क्योंकि लोगों की सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा सर्वोपरि है। हमें नरक में खड़े होकर स्वर्ग की चिंता करना छोड़ना होगा। इस पृष्ठभूमि में मैं सरकार से सुरक्षा एजेंसियों और संबंधित राज्य पुलिस को स्पष्ट संकेत देने का अनुरोध करता हूं कि वे आतंकवादी संगठनों से कड़ाई एवं उद्देश्यपरक ढंग से निबटें और ऐसा न हो कि राज्य पुलिस विकास की चिंता में झपकी लेती रहे।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पुलिस का रवैया लापरवाहीपूर्ण है और आयुक्त बार-बार यही राग अलापते रहते हैं कि किसी तरह के आतंकवाद का कोई खतरा नहीं है और इसमें आश्चर्य नहीं कि वे इस संबंध में सरकार की उदासीनता से प्रेरित हैं।

राष्ट्रपति द्वारा पुलिस बल के आधुनिकीकरण की बात बड़े जोर-शोर से कही गई है। लेकिन इस संबंध में किसी किस्म की रूपरेखा का जिक्र तक नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है जिससे मेरा यह मानना है कि सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के समाधान में काफी मदद मिल सकती है।

मैं महसूस करता हूं कि आतंकवाद की इस समस्या का समाधान केवल पोटा को पुन: लागू करने से हो सकता है। कांग्रेस और हमारे वामपंथी मित्रों के लिए यही सही समय है कि वे अल्पसंख्यकवाद को छोड़ दें और इस भय को त्याग दें कि मुसलमानों के वोट खिसक जाएंगे और वे अपनी स्वनिर्मित इस सोच से बाहर निकलें कि पोटा केवल मुसलमानों के लिए है। इसका लक्ष्य तो केवल आतंकवादी हैं। आतंकवादियों की इस तरह पहचान करना छोड़ दें कि वे किस आस्था और धर्म से जुड़े हैं।

इस पृष्ठभूमि में मैं सरकार से पोटा को पुन: लागू करने और इस देश को आतंकवाद के संकट से बचाने का अनुरोध करता हूं। साथ ही कानूनों के उचित कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रवर्तन एजेंसी जैसे 'आतंकवाद-रोधी बल' का भी गठन किया जाए।

2. कृषि:

पैरा 9 और 10 में कृषि का उल्लेख है। पैरा 11 में राष्ट्रपति जी ने कृषि उत्पादन में ठोस वृद्धि का उल्लेख किया है। लेकिन कृषि उत्पादन के बारे में किया गया एक अध्ययन कुछ दूसरी ही कहानी कह रहा है।

कृषि और इसके सहायक क्षेत्रों में विकास 2005-06 में 6 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 2.7 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2003-04 में जो विकास दर 22.5 प्रतिशत थी वह 2004-05 में तेजी से गिरकर 7.06 प्रतिशत रह गयी। यद्यपि वर्ष 2005-06 में विकास दर 5.76 प्रतिशत तक पहुंची, पर यह 2006-07 में पुन: गिर कर 1.57 प्रतिशत रह गयी। गैर-खाद्यान्न उत्पादन में वर्ष 2005-06 के -3.06 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 9.69 प्रतिशत की विकास दर से वृद्धि दर्ज हुई। तथापि, यह वर्ष 2003-04 में प्राप्त 19.15 प्रतिशत विकास दर से अभी भी काफी नीचे है। साथ ही प्रमुख फसलों के उत्पादन में स्थिरता और वैश्विक स्तर पर खाद्य मूल्यों में वृद्धि के बीच स्टाक में कमी आई जिससे वर्ष 2006-07 के दौरान घरेलू खाद्य मूल्यों में भारी वृद्धि दर्ज की गई।

खाद्यान्न भंडार 1 जुलाई, 2006 को 19.35 मिलियन टन की तुलना में 1 जुलाई, 2007 को 23.91 मिलियन टन था, जिसमें एक वर्ष की अवधि के दौरान 23.57 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। खाद्यान्नों की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। खाद्यान्नों की खेती का क्षेत्र जो वर्ष 2004-05 में 120 मिलियन हेक्टेयर था, यह वर्ष 2005-06 में मामूली वृद्धि के साथ 121.60 मिलियन हेक्टेयर हो गया और आगे वर्ष 2006-07 में 124.07 मिलियन हेक्टेयर हो गया।

भारतीय किसानों का उत्थान करने के लिए किसानों का ऋण माफ करना अंतिम समाधान नहीं है। मैं बजट में सरकार की लघु और सीमांत किसानों की 60000 करोड़ रु. की ऋण माफी की घोषणा का स्वागत करता हूं यद्यपि इस घोषणा को लागू किए जाने के बारे में वित्त मंत्री द्वारा कई सवालों का उत्तर अभी दिया जाना है।

लेकिन राष्ट्रपति के भाषण का कृषि क्षेत्र से संबंधित हिस्सा अधिक निराशाजनक है, चूंकि किसानों को आत्मबल प्रदान करने हेतु एकीकृत योजनाओं के बारे में रचनात्मक प्रस्तावों का कोई उल्लेख नहीं है। इस विषय पर भाषण में कुछ ठोस नहीं कहा

[श्री प्रहलाद जोशी]

गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में फसल ऋणों के पुनर्गठन के बारे में बहुत आशा की गई थी जिसे किसानों की रक्षा के लिए प्रभावी उपाय समझा जाता है। लेकिन इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

3. आकाशवाणी और दूरदर्शन

अंत में, मैं अभिभाषण के पैरा 47 का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें कुछ राज्यों में आकाशवाणी और दूरदर्शन को सुदृढ़ करने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। कर्नाटक जैसे राज्य में कार्यक्रम सृजन सुविधा योजनाओं को बढ़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। धारवाड़ में कार्यक्रम सृजन केन्द्र के बारे में बहुत आशा थी चूंकि इसे कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी प्रस्ताव धन्यवाद के लिए उपयुक्त नहीं हैं।*

[हिन्दी]

***श्री रघुराज सिंह शाक्य** (इटावा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मेरे इस बिन्दु को शामिल करने का कष्ट करें।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने अपने अभिभाषण में जो बिन्दु कहे हैं अगर उन बिन्दुओं को भारत सरकार सही ढंग से लागू कर दे तो देश की स्थिति में सुधार हो सकता है, शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात सही है। सरकार को शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा पर बजट में अधिक प्रावधान की जरूरत थी। लेकिन नहीं की गयी है। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहां जनता गांवों में ज्यादा खेती पर निर्भर है। किसानों को सिंचाई बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जानी चाहिए। किसान जो बैंकों से कर्ज लेता है उसको चार प्रतिशत की दर से लिया जाए। खेलों पर विशेष ध्यान देने की बात हो रही है इसमें ग्रामीण स्तर पर जो खेल बन्द होते चले जा रहे हैं–कुश्ती, कबड्डी, बालीबाल इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बहुत खराब है। डाक्टरों की कमी है। इस पर सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया है, भारत निर्माण में सड़कों, बिजली, टेलीफोन की बात हो रही है लेकिन अन्त में मैं कहना चाहता हूं अगर भारतवर्ष को सशक्त राष्ट्र बनाना चाहते हो तो किसानों की फसलों का सही मूल्य बिजली, सिंचाई मुफ्त दिलाने की व्यवस्था की जाये। गांवों पर विशेष ध्यान दिया जाये। बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज देने की मांग करता हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्री नवीन जिन्दल** (कुरुक्षेत्र): मैं अपने आदरणीय सहयोगी श्री अजीत जोगी द्वारा पेश किये गये राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीया राष्ट्रपति जी को संसद में उनके प्रथम अभिभाषण पर बधाई देना चाहता हूं जिससे उन्होंने लगभग हर तबके के लोगों–बच्चों, महिलाओं, छात्रों, कामगारों, सशस्त्र सेनाओं, किसानों और पिछड़े वर्गों का उल्लेख किया है। यह अभिभाषण संप्रग सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा, आंतरिक सुरक्षा, विदेशों में रह रहे भारतीयों, पर्यटन, खेलकूद आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे सभी तबकों के लाभ के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। मैं संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के प्रेरक नेतृत्व में ऐसे अच्छे कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए संप्रग सरकार और अपने प्रधान मंत्री की प्रशंसा करने में अपने मित्रों के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

पहली बार संसद सदस्य होने के नाते मैं इस सभा के सभी सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि राष्ट्रपति जी ने हमारी भूमिका और कार्यवाही के बारे में क्या कहा है। मैं उद्धृत करता हूं कि:

> "आपका नेतृत्व हमारे लोगों की पूर्ण क्षमता को उजागर कर सकता है और हमारी विकास प्रक्रिया में स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित कर सकता है। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि इस वर्ष संसद की कार्यवाही उद्देश्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और फलदायी होगी।"

मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि अभिभाषण के बाद अगले तीन दिनों तक हमने ठीक उलटा किया और प्रश्न काल संपन्न नहीं हो सका और रेल बजट प्रस्तुत करने के अलावा हम कोई कार्य नहीं कर सके। सभा को बार-बार स्थगित करना पड़ा और अंततः माननीय अध्यक्ष को बाध्य होकर यह कहना पड़ा कि देश में लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए हम अथक कार्य कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुखी मैं और किसी चीज से नहीं हो सकता। यदि लोकतंत्र की हत्या लोकतंत्र के इस मंदिर में की जानी है तो इससे ज्यादा भ्रष्ट कार्य और क्या हो सकता है? अतः मैं अपने सभी मित्रों से राष्ट्रपति की आशाओं पर खरा उतरने और माननीय अध्यक्ष तथा टी.वी. पर हमें देखने वाले लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

यह हमारा सौभाग्य है कि हमें माननीय अध्यक्ष के रूप में एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो इतना विनम्र और उदार है कि सभा के नियमों के अंतर्गत किसी भी विषय पर चर्चा कराने की अनुमति

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दे देता है। संप्रग के रूप में हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो किसी भी चर्चा का उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसलिए इसका कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से हम प्रत्येक मुद्दे पर शांतिपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और मर्यादित तरीके से चर्चा न कर सकते हों। इस तरह से हमें हर किसी का सम्मान मिल सकता है और हम अपनी छवि खराब होने से बचा सकते हैं। अंततोगत्वा हम यहां चर्चा करने के लिए आए हैं न कि बाधक बनने के लिए।

यद्यपि राष्ट्रपति जी ने यह कहा है कि आंतरिक सुरक्षा की समग्र स्थिति नियंत्रण में है लेकिन यह अभी भी गंभीर चिंता का विषय है। अभी कुछ दिनों से वामपंथी अतिवादी संगठनों ने हिंसा शुरू कर दी है। नक्सली अपनी गतिविधियों में तेजी ला रहे हैं। जबकि अन्य आतंकवादी गिरोह सामान्यतः साम्प्रदायिक द्वेष, उन्माद और तनाव फैलाने हेतु निर्दोष और निहत्ते लोगों पर हमला करते हैं, नक्सलियों ने सदैव पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर हमला किया है। वे भारी क्षति पहुंचाते हैं और भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद लेकर भाग जाते हैं जिनका उपयोग अन्यत्र हमला करने और कैडर प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। आम धारणा यह है कि पुलिसकर्मियों को नक्सलियों की अपेक्षा ज्यादा नुकसान होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आदि में हुई घटनाएं इस धारणा को बल प्रदान करनी हैं। इसके कारण क्या हैं? क्या इसका कारण यह है कि पुलिस बल पूरी तरह प्रशिक्षित कहीं है या पूरी तरह सुसज्जित अथवा पूरी तरह सतर्क नहीं है? अन्यथा इसका कारण क्या हो सकता है कि नक्सली आते हैं, अपना लक्ष्य चुनते हैं और इच्छानुसार मार कर चले जाते हैं।

प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष दिसम्बर में मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा था कि वामपंथी आतंकवाद देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और हमें इस विषाणु को खत्म करना है। उत्तर बंगाल में नेपाल की सीमा से लेकर आंध्र प्रदेश तक 13 राज्य इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश तो अब "रेड कॉरीडोर" के नाम से जाना जाता है।

प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से ऐसे अतिवाद से मुकाबला करने के लिए अपना-अपना विशेषीकृत बल गठित करने का अनुरोध किया था। आंध्र प्रदेश ने पहल करते हुए "ग्रे हाउंड्स" नामक एक समर्पित बल का गठन किया है। मैं जानता चाहता हूं कि अन्य राज्यों ने क्या किया है?

यह स्पष्ट है कि नक्सलियों—जो पहाड़ी और वन क्षेत्र से अपनी कार्यवाही करते हैं ने पुलिस बल और प्रतिष्ठानों पर सामने से हमला करने की तकनीक विकसित कर ली है। हमें बेहतर आसूचना संग्रहण, प्रशिक्षण तथा अत्याधुनिक हथियार देकर अपने सैन्य बलों का हौसला बढ़ाकर उन्हें उन्हीं के खेल में मात देनी है। यदि अन्य उपायों के साथ-साथ हमारे सैन्य बल उनके साथ गुरिल्ला युद्ध करें तो ज्यादा बेहतर होगा।

इसके साथ ही, प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को स्कूल, स्वास्थ्य परिचर्चा, सड़क संपर्क, बैंक ऋण जैसी बेहतर सुविधाएं प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है ताकि अतिवादियों द्वारा अपने कुत्सित उद्देश्यों के लिए उनका शोषण नहीं किया जा सके।

एक खिलाड़ी के रूप में मैं माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति यह उल्लेख करने के लिए बहुत ही ईमानदारी से अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सरकार खंड और ग्राम स्तर पर खेलकूद तथा नैसर्गिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए पंचायत युवा खेल और क्रीड़ा अभियान नामक एक नई योजना शुरू करने जा रही है। यदि इस योजना को गंभीरता से लागू किया जाता है तो इससे जमीनी स्तर पर खेलकूद को बढ़ावा देने में निश्चित तौर पर जबरदस्त सुधार होगा। तथापि मैं यह इंगित करना चाहता हूं कि वर्ष 1970-71 में ग्रामीण खेलकूद प्रतिस्पर्धा नामक इसी तरह की एक योजना शुरू की गई थी। यह बताया जाता है कि 25 लाख से अधिक ग्रामीण युवा खंड और जिला स्तर पर विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते थे। मुझे नहीं पता कि योजना का क्या न हश्र हुआ। तथापि मैं सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि नई योजनाओं को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के सभी खंडों और गांवों में खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया जाना चाहिए। जैसा तभी संभव होगा जब लगभग 25000 खंडों का चयन प्रत्येक वर्ष किया जाए जहां पंचायत कम से कम 10 एकड़ विकसित भूमि विशेषकर किसी स्कूल के निकट आवंटित करें जिसे बाद में ग्रामीण खेलकूद परिसर के रूप विकसित किया जाए। ग्रामीण खेलकूद परिसर में निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिएं:

(एक) थ्रो और जंप सहित फील्ड प्रदर्शनों हेतु 400 मीटर वाली 8 लेन की सुविधा वाला एथलेटिक ट्रैक।

(दो) 400 मीटर की ट्रैक वाला एक फुटबाल मैदान।

(तीन) न्यूनतम दो बॉलीबाल मैदान क्योंकि यह एक लोकप्रिय ग्रामीण खेल है।

(चार) खो-खो और कबड्डी जैसे स्वदेशी खेलों हेतु मैदान।

(पांच) पंजाब में हॉकी जैसे कोई अन्य स्थानीय लोकप्रिय खेल।

(छह) दूसरे चरण में कुश्ती, जुडो और मुक्केबाजी आदि जैसे खेलों हेतु एक बहुद्देशीय इनडोर हॉल का निर्माण।

[श्री नवीन जिन्दल]

ग्रामीण खेलकूद परिसरों का प्रबंधन किसी अर्जुन पुरस्कार विजेता अथवा सेवानिवृत्त शारीरिक व्यायाम शिक्षक अथवा सेवानिवृत्त युवा सैनिकों जिन्होंने सेवा के दौरान शारीरिक व्यायाम शिक्षा का कोर्स किया हो अथवा कमान स्तर पर खेला हो द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसे सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन मिल रही होगी और इस योजना के अंतर्गत उन्हें थोड़ी-बहुत परिलब्धियां मिलने से वे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की प्रतिभा को तरासने और विकसित करने के लिए और प्रोत्साहित होंगे।

माननीय राष्ट्रपति ने यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 की तैयारी पूरे जोर-शोर से चल रही है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। तथापि 31 अगस्त, 2007 को मैंने इस सभा में कहा था कि बीजिंग ओलंपिक शुरू होने में एक वर्ष से भी कम समय बचा है और भारतीय जनता को उन खेल संकायों के बारे में जानकारी नहीं है जिससे भारत ने क्वालीफाई किया है और कुछ पदक पाने की दृष्टि से क्या तैयारी की जा रही है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ओलंपिक पदक जीतने के लिए दिलचस्पी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। ओलंपिक पदक जीतना देश के लिए गर्व और संघर्ष भावना का प्रतीक है। इसी तरह खराब प्रदर्शन किसी देश के मनोबल पर विपरीत प्रभाव डालता है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय युवा मामले और खेल मंत्री ने दिनांक 19 जनवरी, 2008 के अपने पत्र के जरिए मुझे यह जानकारी दी है कि बीजिंग ओलंपिक में विभिन्न खेलकूद प्रतिस्पर्द्धाओं में भाग लेने के लिए अभी तक 22 खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया है। उन्होंने आगे बताया कि क्वालीफाई कर चुके थे खिलाड़ी विभिन्न संबंधित खेलकूद परिसंघों के अनुरोध पर नियमित कोचिंग शिविर और प्रशिक्षण सह प्रतिस्पर्धा कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तथापि यह चिंता की बात है कि गत कुछ सप्ताहों में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया दोनों में, इस बात को लेकर काफी दुष्प्रचार किया गया कि खिलाड़ी और संबंधित परिसंघ यह शिकायत कर रहे हैं कि निशानेबाजों के कारतूस और बैडमिंटन खिलाड़ियों के शटल कॉक देश में उपलब्ध नहीं हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ये क्वालीफाइड खिलाड़ी आने वाले ओलंपिक में उम्दा प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं जब उनके पास बुनियादी उपस्कर ही उपलब्ध नहीं हैं।

यद्यपि राष्ट्रमंडल खेल 2010 हेतु कड़ी तैयारी और दिल्ली में स्टेडियमों का पुनरुद्धार कार्य जोर-शोर से चल रहा है लेकिन खिलाड़ियों के चयन और प्रशिक्षण के संबंध में कुछ चिंताएं हैं क्योंकि जब इन्हें अपनी जमीन पर आयोजित किया जा रहा है तो भारत को इन खेलों में अवश्य ही अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। अब तक हमें उन सभी प्रतिस्पर्धाओं के लिए अपनी टीम का चयन कर लेना चाहिए था जो राष्ट्रमंडल खेल 2010 में संपन्न होने हैं और उनका प्रशिक्षण पूरी गंभीरता से शुरू कर देना चाहिए। चिंता का दूसरा विषय पर्यावरणविदों द्वारा यमुना के निकट राष्ट्रमंडल खेल गांव के निर्माण को चुनौती देने हेतु न्यायालय में याचिका दायर करना है। इससे परियोजना में विलंब हो रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों को इस जगह का दौरा करना था। मैं इस बारे में नवीनतम स्थिति से अवगत होना चाहता हूं।

माननीय युवा मामले और खेल मंत्री ने गत वर्ष घोषणा की थी कि वे एक नई परिपूर्ण खेल नीति लाने की योजना बना रहे हैं। मैं प्रसन्न था कि नई खेल नीति का अगले पांच से दस वर्षों में उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा। यह सुनकर काफी संतोष हुआ था कि सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में एक नई खेल नीति लागू करने पर विचार कर रही है। जिससे राष्ट्रमंडल खेल 2010 और लंदन ओलंपिक-2012 में भारत के प्रदर्शन में सुधार होगा और उम्मीद है कि वर्ष 2020 तक भारत खेल के क्षेत्र में काफी सक्रिय और सफल रहेगा लेकिन यह अफसोस की बात है कि नई खेल नीति को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। मैं ईमानदारी से उम्मीद करता हूं कि नई खेल नीति को चालू सत्र में इस महान सभा में न केवल प्रस्तुत किया जाए बल्कि इस पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और इसे स्वीकृति दी जानी चाहिए ताकि भारत लंदन ओलंपिक 2012 में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हो। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी खेल नीतियां थी लेकिन जिस बात की कमी थी वह थी उनका समुचित क्रियान्वयन। मुझे आशा है कि नई नीति को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा।

अभिभाषण में राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में उल्लेख किया गया है। मुझे खुशी है कि 6500 कि.मी. लम्बे मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को छः लेनों में बदलने को मंजूरी मिल गई है। सरकार ने पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय और राज्य सरकार के राजमार्गों को भी चौड़ा करने तथा उनमें सुधार करने को अपनी मंजूरी दे दी है जो बहुत ही स्वागत योग्य है।

तथापि, मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह सबसे पुराना राजमार्ग है और इसका बहुत ही ऐतिहासिक तथा सामरिक महत्व है। यह राजमार्ग राष्ट्रीय राजधानी को अनेक राज्यों से जोड़ता है। इस प्रकार इसका अनुरक्षण इस तरह किया जाना चाहिए कि यह अन्य राजमार्गों के लिए एक आदर्श मानक के रूप में कार्य करे। राजमार्ग के अनेक हिस्से जैसे कि राजघाट से पानीपत तक का हिस्सा काफी खराब स्थिति में है। गिराये गये ढांचों और भवन सामग्री का मलबा राजमार्ग के दोनों ओर विभिन्न स्थानों पर बेतरतीबी तरीके से पड़ा है।

बिना ढके हुए नालों से गंदा पानी बहता रहता है जिस की वजह से वहां जमे मच्छरों के कारण यह आंखों को बहुत बुरा लगता है।

अत: मेरा सुझाव है कि राजमार्ग के इस भाग के दोनों ओर हरे पौधे लगाए जाएं, समुचित सिग्नल और प्रकाश व्यवस्था की जाए तथा उसका समुचित अनुरक्षण किया जाए ताकि वहां से आने वाले यात्री और विदेशी पर्यटक राजधानी शहर में प्रवेश करने पर प्रफुल्लित महसूस करें।

राष्ट्रपति जी ने सहर्ष टिप्पणी की है कि पर्यटन क्षेत्र के पास पूरे देश में और अधिक आय तथा रोजगार सृजन करने की भारी क्षमता है। यह एक गर्व की बात है कि विदेशी पर्यटकें का आगमन पहली बार पांच मिलियन मार्क तक पहुंच गया है और वर्ष 2007 में विदेशी मुद्रा अर्जन 12 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच गया है।

जबकि यह बहुत ही उत्साहवर्धक है, यह बहुत ही शर्म की बात है कि देश में विभिन्न भागों जैसे राजस्थान, उड़ीसा, गोवा, केरल आदि से विदेशी पर्यटकों के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। दिनांक 14 जनवरी, 2008 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' के अनुसार इस वर्ष अभी तक लगभग प्रत्येक दिन किसी न किसी विदेशी महिला के साथ बलात्कार अथवा छेड़छाड़ की गई है। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं पर्यटन उद्योग को क्षति पहुंचाती है और देश की छवि को कलंकित करती है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु सख्ती से कार्रवाई करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे।

मैं समझता हूं कि जनवरी, 2008 में इस समस्या पर चर्चा करने के लिए राज्यों के साथ एक बैठक बुलाई गई थी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बैठक के निष्कर्ष और पर्यटकों की सुरक्षा हेतु उठाये जा रहे कदमों के बारे में सभा को सूचित करें।

मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सभी भारतीय हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम से गौरवान्वित होंगे जिसने हमें घरेलू और विदेशी दोनों स्तरों पर टेली-मेडिसिन, दूरसंचार शिक्षा, दूरसंचार और अन्य सेवाएं देने में सक्षम बनाया है। कुछ दिनों बाद हम इस वर्ष मानव रहित लूनर मिशन "चंद्रायण-एक" प्रक्षेपित करने जा रहे हैं। हम चंद्रमा पर पहुंचने की योजना बना रहे हैं और बहुत जल्द ही निकट भविष्य में वहां पहुंच जाएंगे।

हमारे वैज्ञानिक पहले ही अनेक प्रकार की "इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम" दे चुके हैं और अब वे उन्नत किस्म के आसूचना संग्रहण उपस्करों को विकसित करने की प्रक्रिया में हैं। मैं इस अवसर पर अपने होनहार वैज्ञानिकों और उनकी टीम के सदस्यों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बधाई देना चाहता हूं।

सायं 6.00 बजे

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): सर्वप्रथम, मैं माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करने पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी चर्चा में भाग लेने हेतु मुझे अवसर प्रदान करने के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं।

केन्द्र में संप्रग सरकार के आने के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2003-04 के दौरान 6.9 प्रतिशत की औसतन वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अभी 25 सदस्य बोलने हैं, यदि हाउस एग्री करता है तो हम एक घंटे के लिए समय बढ़ा देते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन: विकास दर में काफी उच्च वृद्धि हुई है और औसत वृद्धि 8.6 प्रतिशत रही है तथा चालू वर्ष में यह वृद्धि 9.4% दर्ज की गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्देश्य यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु सभी को समान अवसर प्रदान करके और लोगों को अस्वस्थता के बोझ से मुक्ति दिलाकर तथा भेदभाव का उन्मूलन करके समग्र रूप से लक्ष्य को प्राप्त किया जाए।

महोदय, पिछले 150 वर्षों से हमारे तमिल विद्वान और नेता विभिन्न सरकारों से तमिल को एक प्राचीन भाषा का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। केन्द्र में सत्ता में आने के बाद संप्रग सरकार और माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रभावी कदम उठाए और तमिल भाषा को एक प्राचीन भाषा का दर्जा देते हुए तत्संबंधी घोषणा की। इसके अलावा हमारी सरकार ने चेन्नई में एक तमिल प्राचीन भाषा अनुसंधान संस्थान शुरू करने हेतु लगभग 76 करोड़ रुपये आवंटित किये है। मैं इस हेतु संप्रग सरकार को धन्यवाद दे रहा हूं।

हमारी संप्रग सरकार का एक दूसरा मील का पत्थर सेतु समुद्रम परियोजना को स्वीकृति प्रदान करना है और परियोजना शुरू

[श्री एस.के. खारवेनथन]

करने के विरोध में विभिन्न तबकों से विरोध के बावजूद इसकी आधारशिला वर्ष 2005 में रखी गई। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह परियोजना को समय पर पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठाए और उसे लक्षित तिथि तक राष्ट्र को समर्पित करे।

मैं ''हिन्दू राइट्स एक्शन फोर्स'' (एचआईएनडीआरएएफ) द्वारा 25.11.2007 को क्वालालंपुर में आयोजित शांतिपूर्ण रैली भाग लेने वालों के कथित उत्पीड़न और इसके बाद हुए तत्संबंधी मामलों के बारे में संप्रग सरकार द्वारा 30.11.2007 को स्वत: एक वक्तव्य देने हेतु धन्यवाद करता हूं। इस संबंध में मैंने यह मामला 29.11.2007 को सभा में उठाया था। उससे अगले ही दिन उपर्युक्त वक्तव्य सभा में दिया गया और सरकार ने मलेशिया के अधिकारियों से बातचीत कर भारतीय मूल के जो मलेशिया में रह रहे थे उनकी सहायता की।

माननीय विदेश मंत्री ने कल सभा में इसी बात पर जोर दिया था। मलेशिया हमारा पड़ोसी मित्र देश है। भारत और मलेशिया के बहुत अच्छे संबंध हैं। मलेशिया में रहने वाले दो मिलियन भारतीय उस देश की वर्तमान कुल जनसंख्या के 8 प्रतिशत से ज्यादा हैं। उनमें से लगभग 85 प्रतिशत तमिल मूल के हैं। आज एचआईएनडीआरएएफ नेता जिन्होंने भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया जेल में बंद हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से नम्र निवेदन करता हूं कि इस मुद्दे को मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ उठाया जाए ताकि महीने से जेल में बंद एचआईएनडीआरएफ के नेताओं को रिहा कराया जा सके।

इसके अतिरिक्त करीब 250 युवकों जो नौकरी की तलाश में वहां गए थे को वैध वीसा न होने के नाम पर मलेशिया के ''रिटेंशन'' केन्द्रों में बंद कर दिया गया। इसी तरह अनेक युवक सिंगापुर और खाड़ी देशों की जेलों में बंद हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि विदेशी जेलों में बंद भारतीय युवकों को छुड़ाने के लिए कदम उठाए जाएं ताकि वे अपने गृहनगर वापस आ सकें।

अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर से मैं दो महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चेन्नीमलाई, भगवान कार्तिक का निवास है। यहां एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 1000 वर्ष से भी पहले किया गया था। यहां लाखों लोग, न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी दर्शन हेतु आते हैं। इसे धरोहर का दर्जा दिया जाना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कंगनाभम एक महत्वपूर्ण शहर है, कंगनाभम के निकट ऐतिहासिक हिल स्टेशन उनीपुर है। यह रत्नों और खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहां बहुत ही कीमती पत्थर पाए जाते हैं जिन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि यहां ''जेम एण्ड मिनिरल रिसर्च स्टेशन'' स्थापित किया जाये।

हमारी यूपीए सरकार ने अवसंरचना विकास जैसे विमानपत्तन, बन्दरगाह, बांध, विद्युत स्टेशनों, खनिज आधारित उद्योगों, इस्पात, एल्यूमिनियम उद्योग आदि के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं।

सत्ता में आने के पश्चात यूपीए सरकार ने एनआरईजी अधिनियम, जिसके अंतर्गत पिछड़े जिलों के गरीब लोगों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। अब इस योजना को सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करना इस सरकार की दूसरी उपलब्धि है, जिसकी काफी प्रशंसा जनता ने की है।

महोदय, यूपीए सरकार द्वारा क्रियान्वित की गयी एक दूसरी महत्वपूर्ण योजना है—इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन स्कीम। इस योजना के अंतर्गत 65 वर्ष की आयु पार कर चुके सभी गरीबों को 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है।

इसके अलावा, हमारी सरकार ने शिक्षा के महत्व पर भी ध्यान दिया है। पहले शिक्षा के लिए ऋण लेने पर छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जबसे यूपीए सरकार सत्ता में आयी है, उसने शिक्षा ऋण को प्राथमिकता दी है और छात्रों को शिक्षा ऋण आसानी से मिल सके, इसके लिए बैंकों को निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही बैंकों को निर्देश जारी किये गये हैं कि वे शिक्षा ऋण प्राप्ति में छात्रों के सामने आ रही कठिनाइयों को भी दूर करें।

संचार एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर सरकार ने काफी ध्यान केन्द्रित किया है और इसमें क्रांति आ गयी है। अब देश में हर कोई, और सभी फोन रख सकते हैं। 'वन इंडिया प्लान' और सर्विस प्रदान करने वाले निजी क्षेत्र के सहयोग से मोबाइल क्रांति आ गयी है जिसके फलस्वरूप लोग अब प्रभावी ढंग से एक-दूसरे से जुड़ गए हैं।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मेरे पास 29 सदस्यों की सूची है, जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। अत: जो माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वे कृपया अपना भाषण सभा पटल पर रख दें। मैं उन माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत आभारी रहूंगा जो

सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रखेंगे, उनके भाषण की कार्यवाही का बाग बनेंगे।

[हिन्दी]

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बातें संक्षेप में रखना चाहूंगा।

यू.पी.ए. की सरकार एक विशेष परिस्थिति में गठित की गई और एक साम्प्रदायिक शक्ति को दूर रखने के मतलब से हम वामपंथी दलों ने यू.पी.ए. सरकार का बाहर से समर्थन करने का काम किया। हमारे सहयोग करने के पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत कुछ शर्तें रखीं। हम लोगों ने यू.पी.ए. सरकार को गठित करने का सिग्नल दिया और सहयोग देने का हम लोगों ने आश्वासन दिया। इस तरह से यू.पी.ए. सरकार का गठन हुआ। हमें आशा थी कि यू.पी.ए. सरकार देश के विकास के लिए और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसके तहत ही काम करेगी, लेकिन देखा गया कि इस कार्यक्रम को लागू करते हुए उनके जो कार्य थे, वे संतोषजनक नहीं थे।

अभिभाषण में मैंने देखा कि कुछ मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेना चाहिए था, लेकिन उन मुद्दों का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। मैं संक्षेप में इन मुद्दों का उल्लेख यहां पर करना चाहूंगा। जैसे महंगाई है, आज के समय में, वर्तमान में महंगाई एक ऐसा विषय है, जिसका आम जनता से, गांव के लोगों से लेकर शहर में जो लोग रहते हैं, उन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और दैनन्दिन उपयोग की सभी चीजों के दाम आकाश चूमते जा रहे हैं। यह चिन्ता का विषय है, लेकिन यू.पी.ए. की सरकार के द्वारा जो अभिभाषण महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा यहां प्रस्तुत करवाया गया है, इसमें इसके प्रति कोई चिन्ता नहीं जताई गई है।

दूसरी बात बेरोजगारी की समस्या की है। हमारा देश युवाओं का देश है और शिक्षित युवा वर्ग को अगर बेरोजगारी की समस्या से जूझना पड़ेगा तो देश को हम सही दिशा नहीं दे पाएंगे, युवा वर्ग का हम लोग मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार को लेने की आवश्यकता है।

तीसरी बात है, महिला आरक्षण। जब सरकार गठित हुई थी, तब इस बारे में बात हुई थी। उस समय महिला आरक्षण को प्रमुख रूप से कंसीडर करने की बात कही गयी थी और उसके बारे में आश्वासन दिया गया था। पता नहीं कैसी विडंबना है कि इस बिंदु पर विचार ही नहीं किया गया। अभिभाषण में इसका उल्लेख ही नहीं हुआ। मैं नहीं जानता हूं कि किस कारण सरकार ने इसको छोड़ दिया। कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं जरूर होंगी, जिनका जिक्र करना शायद सरकार नहीं चाहती है, इसलिए इस महिला आरक्षण के मुद्दे को, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे छोड़ दिया गया।

चौथी बात, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह है जनसंख्या। पापुलेशन के दो पहलू हैं। कोई यह सोचता है कि पापुलेशन हमारे लिए स्ट्रेंग्थ है और कोई सोचता है कि पापुलेशन हमारे लिए समस्या है। अगर पापुलेशन हमारे लिए समस्या है, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए था, इसका जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में होना चाहिए था और अगर जनसंख्या को हम लोग शक्ति के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो इस जनसंख्या रूपी शक्ति को हम लोग किस तरह से भविष्य में व्यवहार में लायेंगे, इसकी कल्पना किस तरह से सरकार करती है, उसका उल्लेख भी अभिभाषण में होना चाहिए था।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सरकार असफल हुई है, मैं इसका उल्लेख भी करना चाहता हूं। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसका उल्लेख भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं किया गया। इसका उल्लेख होना चाहिए था। प्राकृतिक आपदा का भी उल्लेख अभिभाषण में नहीं है, इसका उल्लेख भी अवश्य ही अभिभाषण में होना चाहिए था। किसानों के संबंध में माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है। 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने की जो बात कही गयी है, लेकिन कितने किसान गांवों में बैंकों से लोन लेते हैं, उनकी संख्या का जिक्र नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से कुछ ही लोगों को, जिनको बैंकों के माध्यम से या सार्वजनिक ऋण संस्थाओं के माध्यम से लोन मिला है, उनको यह माफी मिलेगी, लेकिन जिन्होंने प्राइवेट साहूकार या महाजन से लोन लिया है, उनके बारे में क्या सरकार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? अगर सचमुच में किसान को रिलीफ देने की चिंता हमारी सरकार को है, तो इस विषय पर मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह गंभीरता से चिंता करे। साथ ही साथ एक सौ दिनों के काम की गारंटी की जो बात कही गयी है, यह बहुत अच्छा कदम है और इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। इसको लागू करवाने के लिए, इसकी घोषणा करवाने के लिए वामपंथी दलों ने सरकार पर काफी दबाव डाला, इसमें दूसरे दलों का भी सहयोग रहा, अंत में इस दबाव के सामने सरकार को झुकना पड़ा और एक सौ दिनों के काम के गारंटी की घोषणा सरकार ने की। क्या सिर्फ एक सौ दिनों के काम की घोषणा करने से और एक सौ दिनों का काम लोगों को देने से ही, समस्या का समाधान हो जाएगा? यह तो टेंपरेरी फिनामिना है। इस समस्या के

[श्री जोवाकिम बखला]

सोल्यूशन के लिए हम लोगों को 265 दिनों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो एक साल बाकी है, इसमें चार साल का लेखा-जोखा हो रहा है, बजट के माध्यम से भी इसका लेखा-जोखा होगा; चार साल के अंदर जो काम आप लोगों ने किया, हमारे दल आरएसपी की तरफ से मैं बोलना चाहता हूं कि वह संतोषजनक नहीं है। इस दिशा में और भी काम करने की आवश्यकता है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

यह आम प्रथा रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की आकांक्षाओं और योजनाओं की झलक मिल जाती है जो समय बीतने के साथ-साथ वास्तविकता में बदलती हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण ने हमारे क्षेत्र अर्थात् असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को अनेक कारणों से हतोत्साहित किया है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी हमारे क्षेत्र के मुख्य मुद्दों का उल्लेख करने में विफल रही हैं। यह महत्वपूर्ण मुद्दा केवल हमारे क्षेत्र के लिए नहीं है अपितु यह पूरे देश से संबंधित है।

पहला कारण तो अवैध प्रवासियों का मुद्दा है। जैसाकि आप जानते हैं, 22 वर्ष पहले, 1985 में, उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने आल असम स्टुडेंट्स यूनियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। उस प्रसिद्ध असम समझौते में सरकार ने असम के लोगों तथा देश के लोगों से वादा किया था कि असम राज्य में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान की जायेगी, उनके नाम मतदाता सूची से काट कर उन्हें असम से बाहर स्वदेश भेज दिया जायेगा। उन्होंने वायदा किया था कि असम के लोगों की पहचान बनायी रखी जायेगी, जो भारत के नागरिक हैं तथा सदियों से असम में रह रहे हैं। उस समझौते में यह भी वायदा किया गया था कि असम के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी, उसमें यह भी कहा गया था कि भारत-बांग्ला देश बार्डर को सील किया जायेगा, नागरिकों का नेशनल रजिस्टर बनाया जायेगा ताकि वास्तविक भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा की जा सके, अशोक पेपर मिल को दोबारा खोला जायेगा, गैस क्रैकर परियोजना स्थापित की जायेगी, तथा असम के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए व्यापक सड़क सम्पर्क संभव बनाया जायेगा। असम समझौते की ये मुख्य प्रतिबद्धताएं थीं। लेकिन मैं यह खेद के साथ कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार ने आज तक असम समझौते की मुख्य बातों का क्रियान्वयन नहीं किया है। इस अभिभाषण में भी यूपीए सरकार ने इस गंभीर मुद्दे का हल किस तरह निकाला जाएगा, इसका उचित उल्लेख नहीं किया। यह मुद्दा केवल असम या पूर्वोत्तर का नहीं है। यह मुद्दा ऐसा है जिससे पूरे देश को खतरा है, यह अपने देश की अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए खतरा है। अत: इस मुद्दे का समाधान किया जाना चाहिए और इस मुद्दे का विशेष तौर से उल्लेख होना चाहिए था।

जैसाकि आप जानते हैं, आज असम पूरी तरह अशांत है। राज्य में कानून और व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी हुई है, असम के लोगों की जान और माल की कोई सुरक्षा नहीं है, और इसीलिए असम और उस क्षेत्र के लोग मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार आतंकवादी गुटों, विशेषकर उल्फा (यूएलएफए) और एनएससीएन के साथ शांति वार्ता की शुरुआत करें। राष्ट्रपति के अभिभाषण से हम अपेक्षा कर रहे थे कि माननीया राष्ट्रपति महोदया वास्तविक लेखा-जोखा प्रस्तुत करेंगी कि शांति कायम करने में एनएससीएन (आईएम) से वार्ता में कहां तक प्रगति हुई तथा शांति वार्ता के लिए उल्फा (यूएलएफए) तथा अन्य समूहों के साथ भावी योजनाएं क्या-क्या हैं। यद्यपि असम के लोग यह चाहते हैं और यह मांग कर रहे हैं कि इस विशेष मुद्दे का समाधान नहीं किया गया। सभी चाहते हैं कि भारत सरकार शांति वार्ता आरम्भ करें ताकि असम राज्य में शांति कायम हो सके।

जैसाकि आप जानते हैं कि तेल की खोज का काम दिगबोई में शुरू हुआ था जोकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र डिब्रुगढ़ में है। लगभग 125 वर्ष पहले दिगबोई रिफाइनरी अंग्रेजों ने स्थापित की थी। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि जबकि माडर्न रिफाइनरियों की क्षमता काफी हद तक बढ़ायी गयी है फिर भी दिगबोई रिफाइनरी की क्षमता मात्र 0.65 मिलियन टन रखी गयी है, अत: मैं मांग करता हूं कि इस विशेष रिफाइनरी की क्षमता कम से कम दो मिलियन टन तक बढ़ायी जाये।

मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि पांच जिले, तीनसुकिया, डिब्रुगढ़, शिवसागर, जुरघाट, गुलघाट कई दशकों से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों को उपकर, उत्पाद शुल्क, बिक्रीकर और

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रॉयल्टी से काफी राजस्व की प्राप्ति होती है। राजस्व के रूप में यहां से करोड़ों रुपये एकत्रित किये जाते हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित हैं, इन क्षेत्रों में उचित संचार सुविधा का नेटवर्क नहीं है। अत: मैं विशेष रूप से ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, आईओसीएल से मांग करता हूं कि अपने मार्जिन का कम से कम 10 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र में निवेश करें ताकि उन क्षेत्रों का संचार नेटवर्क तथा अन्य संस्थागत विकास हो सके।

महोदय, अब मैं एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं। यह असम तथा देश के अन्य भागों में चाय बागानों के मजदूरों की समस्याओं के बारे में है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रत्येक वर्ष हजारों मजदूर चाय बागानों में उचित स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मर जाते हैं। जब हमने यह विशेष मुद्दा सरकार के सामने रखा तो भारत सरकार ने सीधे उत्तर दिया कि यह हमारा कार्य नहीं है क्योंकि यह राज्य का विषय है। दूसरी ओर राज्य सरकारें चाय बागानों में मजदूरों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी नहीं ले रही हैं। अत: महोदय, मेरी आपके माध्यम से यूपीए सरकार से विशेष अपील है कि चाय बागानों के मजदूरों की स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे को उठाया जाए।

अब मैं दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, आपने पहले ही आठ मिनट से ज्यादा का समय ले लिया है, मैं इसकी अनुमति नहीं दे।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: एक और भी विषय है ...*(व्यवधान)* आदिवासियों के बारे में एक गंभीर मुद्दा है, यहां छह समुदाय हैं जिन्हें जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना है। इस मुद्दे का भी विशेषरूप से समाधान किया जाना चाहिए।

अब मैं अंतिम विषय पर आता हूं। एक और क्षेत्र है। असम राज्य में 60,000 छोटे चाय उत्पादक हैं और वे कई दशकों से मांग करते रहे हैं। उन्हें अनेक वायदे किये गये कि उनके उत्थान के लिए विशेष पैकेज दिये जायेंगे। अत: उस विशेष विषय का भी हल निकाला जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश कुरूप।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बारी-बारी से ही सबको बुलाऊंगा क्योंकि एक समय में, मैं सबको नहीं बुला सकता।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि जो अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। उन्हें अपने भाषण सभापटल पर रखने की अनुमति है तथा वह कार्यवाही का भाग होगा।

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसे किसी मैम्बर को नहीं बुलाया है जिसकी पार्टी का टाइम खत्म हो गया है। आपकी पार्टी के पहले मैम्बर ही 56 मिनट ले गये हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको न बुलाऊं। मैंने किसी ऐसे मैम्बर को नहीं बुलाया है, जिसकी पार्टी का टाइम खत्म हो गया है और मैंने उनको टाइम दिया हो।

[अनुवाद]

एडवोकेट सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण होता है तथा साथ ही सरकार की भावी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। वास्तव में यह देश के सामने सरकार के कार्य की रिपोर्ट होती है। इस वर्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण विशिष्ट था, क्योंकि इस संसद के इतिहास में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति ने दोनों सदन को एक साथ संबोधित किया। हम सभी को वास्तव में गर्व करना चाहिए कि हम उस प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं जिसने हमारे देश की एक विख्यात महिला को राष्ट्रपति के रूप में चुना हालांकि महामहिम ने महिला आरक्षण विधेयक का उल्लेख नहीं किया जिसकी हर किसी ने आशा की थी कि वे इसका उल्लेख करेंगी।

सायं 6.22 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* **हुए]**

राष्ट्रपति के अभिभाषण में बार-बार सम्मिलित विकास के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन वास्तव में हम इसके विपरीत ही पाते हैं। जबकि सरकार 9 प्रतिशत विकास दर पर गर्व करती है लेकिन यह तथ्य सभी स्वीकार करते हैं कि यह अल्पमात्रा में है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण घटक जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का अगर समुचित रूप से कार्यान्वयन हो गया होता तो देश से गरीबी का स्तर कम हो गया होता।

[एडवोकेट सुरेश कुरूप]

सीएमपी में दिये गये बहुत से ऐसे आश्वासन हैं जिनका कार्यान्वयन किया जाना है।

एक महत्वपूर्ण क्षेत्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का विघटन बीजेपी सरकार के समय से शुरू हो गया था और मुझे कहते हुए खेद है कि यूपीए सरकार के समय में भी यह जारी है। बीपीएल और एपीएल कार्डधारकों का अलग-अलग किया जाना पूरी तरह से अवैज्ञानिक और अनुचित है। इसने पीडीएस को बर्बाद कर दिया है। अनेक अध्ययन किये गये हैं। जब लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई तो बहुत से पात्र परिवार, पात्र गरीब लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क से बाहर हो गए। इस बारे में डा. स्वामीनाथन की पुत्री ने बहुत ही अच्छा अध्ययन किया। सुश्री मधु स्वामीनाथन ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से साबित कर दिया कि इस लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अवधारणा के कारण इस देश के लाखों पात्र लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर हो गए। पीडीएस को सुचारू बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को गेहूं और चावल के आवंटन की मात्रा अत्यधिक कम कर दी। इस सदन में सुबह उल्लेख किया गया, उसे दोहराते हुए मैं कहना चाहता हूं कि केरल में स्थिति विचारणीय है। पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए केरल को 1,13,420 मीट्रिक टन चावल मिलता था, अब इसे कम करके 92,086 मिट्रिक टन कर दिया गया है। वास्तव में केरल को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए उसे 1,72,900 मीट्रिक टन चावल चाहिए। लेकिन उसकी आपूर्ति में 82 प्रतिशत की कमी की गयी है। केरल ने एपीएल और बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए अपनाए गए मानदंड का बार-बार विरोध किया है। अपनाये गये मानदण्ड बिल्कुल निराधार हैं। इससे केवल गरीब और जरूरतमंद लोगों को ही पीडीएस नेटवर्क से बाहर करने में मदद मिलती है। अपनाए जाने वाले मानदण्डों को पूरी तरह बदलना होगा। सम्मिलित विकास के क्या मायने रहेंगे जब करोड़ों लोगों को पीडीएस प्रणाली का लाभ नहीं मिल रहा? खाद्य संकट का मतलब होता है कि खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। भारत जैसे देश में जहां 70 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, वहां सरकार का यह कर्त्तव्य होता है कि वह लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करे। इस मुख्य क्षेत्र में मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि यूपीए सरकार बुरी तरह विफल रही है। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि की है तथा इसका एक बड़ा भाग सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के रूप में है। इसलिए, विश्व बाजार में तेल के बढ़ते मूल्य के नाम पर सरकार हर बार पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि कर देती है और इसका खाद्य वस्तुओं के मूल्यों पर भी घातक प्रभाव पड़ता है।

अब, सरकार खुदरा नेटवर्क में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर विचार कर रही है। केवल हम वामपंथी ही इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस क्षेत्र में है, खुदरा नेटवर्क में काम कर रहा है, वही इसका विरोध कर रहा है, लेकिन अभी भी सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे कुछ नया नहीं निकल रहा है। सरकार उसी नीति पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हम वामपंथी इस सरकार को केवल एक ही कारण से समर्थन कर रहे हैं कि यह धर्मनिरपेक्ष सरकार है। अपनी उत्कट इच्छा के कारण, इस देश के लोगों की उत्कट इच्छा के कारण कि केन्द्र में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार होनी चाहिए, हम कांग्रेस के साथ अपनी सभी तरह की मतभिन्नता के बावजूद इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हम भारत में उत्पन्न साम्प्रदायिक स्थिति को देखें। उड़ीसा में, पिछले क्रिसमस मौसम के दौरान एक सप्ताह तक ईसाई संस्थानों के विरुद्ध योजनाबद्ध हमले की योजना बनाई गई थी। मेरे जिले में, वे गिरजाघर अथवा विद्यालय में आए और उसे जलाकर चले गए। मुम्बई में क्या हो रहा है? शिव सेना से अलग हुआ एक धड़ा उत्तर भारतीयों को निशाना बना रहा है। वर्ष 1960 में शिव सेना ने दक्षिण भारतीयों को निशाना बनाया था। आज की मुम्बई देश के विभिन्न भागों से आए लोगों के खून-पसीने से बनी है।

केन्द्र सरकार ने क्या किया है? बड़ौदा में, इन कट्टरपंथी तत्वों ने बड़ौदा विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर पर हमला किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में, इतिहास विभाग में उपद्रव किया गया। एमएफ हुसैन जैसा व्यक्ति किसी अन्य देश में एक बहुत ही महान कलाकार के रूप में आदर का पात्र होता और उसे पुरस्कृत किया जाता। हमारे देश में एम एफ हुसैन के साथ क्या हो रहा है। वह दुबई में निर्वासित की तरह रह रहे हैं। उन्हें इस देश में लौटने की अनुमति नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं।

महोदय, पिछले वर्ष राजस्थान के कोटा में एक ईसाई दल पर कट्टरपंथी तत्वों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया था। हममें से भी कुछ लोगों ने और उस स्थान का दौरा किया था। यह समूह 2,000 विद्यार्थियों का अनाथालय चला रहा था। मैंने अपने जीवन में इस तरह का अनाथालय नहीं देखा और इस संस्थान पर हमला राजस्थान सरकार के अप्रत्यक्ष समर्थन से किया

गया। केन्द्र सरकार ने क्या किया? हमने गृहमंत्री से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन दिया, लेकिन हमें अब तक उसका उत्तर भी नहीं प्राप्त हुआ है। इन सभी घटनाओं में, मैं यही कहूंगा कि केन्द्र सरकार मूक दर्शक बनी रही है। उन्होंने इस देश में अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए कुछ नहीं किया है। यही स्थिति है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्र सरकार इस क्षेत्र में बुरी तरह से असफल रही है।

महोदय, माननीया राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आशा जताई है कि सरकार परमाणु समझौते पर बातचीत जारी रख सकती है। इस सभा में परमाणु समझौते पर गहन चर्चा हुई और इस संसद में अथवा इसके बाहर देश में इस समझौते का बहुसंख्य समर्थन नहीं है, फिर भी सरकार ऐसा करने की इच्छुक है। कल विदेश मंत्री ने एक वक्तव्य दिया कि इस पर सर्वसहमति की संभावना है। मैं कहना चाहूंगा कि परमाणु समझौते के संबंध में कोई सर्वसहमति नहीं होगी। हम चाहते हैं कि यह सरकार चले। सरकार के साथ कई तरह की मतभिन्नताओं के बावजूद हमने कभी नहीं कहा कि हम इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि केवल यही सरकार देश को एक रखने, इस देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाए रखने के लिए आशा की किरण है, लेकिन उन्हें परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करके हमें समर्थन वापस लेने को बाध्य नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं।

महोदय, यह सरकार अपनी जनहितैषी छवि बनाने अथवा लोगों को निर्धनता के दलदल से बाहर निकलने में मदद करने में पूरी तरह से असफल रही है। सिर्फ एक ही आशा की किरण है और वो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम और ऋण के बोझ से दबे किसानों की मदद के लिए कृषि ऋण माफ करना लेकिन सरकार को यह समझना चाहिए कि इस सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। इस नीति को सही किया जाना चाहिए और मैं ईमानदारी के साथ यह आशा करता हूं कि यह सरकार उस नीति में सुधार करेगी और एक जनहितैषी सरकार बनेगी।

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): महोदय, यह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का अंतिम राष्ट्रपति अभिभाषण है। जहां तक अल्पसंख्यकों का संबंध है, सं.प्र.ग. के शासनकाल में सफलता की कुछ कहानियां हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण—ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 3,300 करोड रु. की पूर्व मैट्रिक और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा 800 करोड़ रु. की योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति की घोषणा की गई। मैंने अपने राज्य में देखा है कि योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति के 867 आवंटनों में से अब तक 812 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई। मुझे विश्वास है कि छात्रवृत्ति से मुस्लिम अल्पसंख्यकों की साक्षरता दर में वृद्धि सुनिश्चित करने में और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ाने में भी काफी मदद मिलेगी। लेकिन जब आप नामांकन के दूसरे पक्ष पर आएंगे तो 11 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में मुसलमानों की सामान्य नामांकन दर 8.79 प्रतिशत है। नेशनल यूनिवर्सिटी फार एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों में मुसलमानों के बच्चों की संख्या ज्यादा है। सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

सच्चर समिति की सिफारिश के बाद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने माननीय मंत्री श्री फातमी के नेतृत्व में एक उप-समिति गठित की है। श्री फातमी ने पिछले वर्ष जनवरी में एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि सच्चर समिति के शिक्षा अध्याय को कार्यान्वित करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 5,434 करोड़ रु. की आवश्यकता है जिसमें उन्होंने कहा कि सर्वशिक्षा अभियान के लिए 1,425 करोड़ रु., कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए 230 करोड़ रु., केन्द्रीत (फोकस्ड) साक्षरता कार्यक्रम के लिए 750 करोड़ रु. और जन शिक्षा संस्थान के लिए 750 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए, एक उत्कृष्ट प्रस्ताव है कि भारत में चार केन्द्र खोले जाएंगे और इसके लिए 1,053 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी। हैदराबाद में एमएएनयू विश्वविद्यालय के लिए 500 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी।

मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार के अपने कैबिनेट मंत्री ने समिति बनाई है और उनके अपने राज्य मंत्री श्री फातमी ने रिपोर्ट दी है तो सरकार ने इस दिशा में क्या क्या कदम उठाये हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रस्ताव को क्यों नहीं शामिल किया गया? इनका भविष्य क्या है? जब प्रधानमंत्री इसका उत्तर देंगे, तो मैं उनसे विशेष रूप से यह जानना चाहूंगा कि यह सरकार फातमी उप समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने जा रही है अथवा नहीं?

दूसरा अच्छा मुद्दा बहुक्षेत्रीय विकास का है। करीब 90 जिलों का विकास किया जाएगा, अब, इस वर्ष 2007-08 में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और झारखंड के नौ जिलों की पहचान की गई है और 150 करोड़ रु. की राशि दी गई है। मैं इस बारे में भी उनसे जानना चाहूंगा।

[श्री असादूद्दीन ओवेसी]

हमारे यहां अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय कृतक बल अर्थात् मुंगेरकर समिति बनाई गई थी। पिछले वर्ष 7 नवम्बर को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसने अल्पसंख्यक बहुल 338 ऐसे जिलों की पहचान की है जिनमें स्वच्छता नहीं है, आवास और पानी का भी अभाव है। जब सरकार इतनी घोषणाएं कर रही है तो वह मुंगेरकर समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। मुंगेरकर समिति बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे 90 अल्पसंख्यक जिले हैं, करीब 338 कस्बे हैं जहां इन सुविधाओं का अभाव है। इस अंतर-मंत्रालयीय कृतक बल समिति में गृह मंत्रालय, शहरी विकास, महिला और बाल विकास, श्रम आदि मंत्रालयों के सात सचिव शामिल थे। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इन प्रस्तावों को क्यों नहीं स्वीकार कर रही है, जबकि इसके लिए आवंटन तक कर दिया गया है, दूसरा मुद्दा 15 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित है। जब 15 सूत्री कार्यक्रम की बात आती है तो अधिकांश राज्य 15 सूत्री कार्यक्रम के प्रति उदासीन रवैया अपनाते हैं। आप इसे सांविधिक रूप क्यों नहीं प्रदान कर रहे हैं? आप इसे सांविधिक रूप प्रदान करें ताकि सभी राज्य 15 सूत्री कार्यक्रम को लागू करें। जहां धर्मनिरपेक्ष सरकारें हैं वह थोड़ा-बहुत कार्यान्वयन हुआ है अन्य राज्य ऐसा नहीं कर रहे हैं।

अंत में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आतंकवाद है।

[हिन्दी]

जब दहशतगर्दी की बात आती है तो दिल्ली की जामा-मस्जिद, मालेगांव की मस्जिद, हैदराबाद की मक्का मस्जिद, अजमेर की दरगाह-इनमें बम ब्लास्ट का सबूत आज तक नहीं मिला। कौन जिम्मेदार है, कौन मुलजिम है, कौन जिम्मेदार है, वह नहीं मिला। मैं एक बात बता रहा हूं। सीबीआई जो मक्का-मस्जिद बम ब्लास्ट की इंक्वायरी कर रही है, उसने साफ अल्फाज में कह दिया कि आंध्र प्रदेश से किसी का ताल्लुक नहीं है जबकि 26 नौजवानों को साढ़े तीन महीने जेल में रखा गया, मार-मार कर जुल्म किये गये, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। जामा-मस्जिद और अजमेर का ब्लास्ट किसने किया, नहीं मालूम। जहां-जहां मुसलमानों की इबादतगाहों पर बम ब्लास्ट हुए, कोई दहशतगर्द नहीं मिलता। लेकिन मुम्बई में एक लड़का है मौहम्मद अफरोज जो 9.11.2001 के बाद पकड़ा गया। महाराष्ट्र की पुलिस ने कहा कि यह प्लेन से उड़कर बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स को तबाह कर देगा। लेकिन वह कोर्ट से बरी हो गया। इसका हमारे अखबार जिक्र नहीं करते हैं। दिल्ली का मोहम्मद मारूख कंवर और इरशाद अली के बारे में सीबीआई कह रही है कि आईबी और दिल्ली पुलिस ने मिलकर उनके घरों में आरडीएक्स रखे, उनका कोई मालूम नहीं होता। कोलकाता के एक बच्चे अल्ताफ अंसारी को पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि यह मुलजिम नहीं है। उसे मार-मार कर दो दिन जेल में रखा गया। आखिर यह कब तक होगा? आपकी गवर्नमेंट को चाहिए कि जब आपको वोट मिला है तो दहशतगर्दी को आप खत्म कीजिए। अगर मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराना, यह कौन सा इंसाफ है? खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आखिर कब आएगी लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट? इतने साल लिब्राहन कमीशन को क्यों लग रहे हैं? आप श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं करते हैं, जबकि महाराष्ट्र में आपकी सरकार है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आइन्दा असेम्बली के इन्तखाबाद में, महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी को खरीदार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतना जुल्म मुस्लिम नौजवानों पर कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र ... की इस ... को भूल गए। क्यों भूल गए? आप इसको क्यों इम्पलीमेंट नहीं करवाते हैं?

दूसरी बात तैलेंगाना के बारे में है। हम तैलेंगाना के बारे में साफ और वाजिह तौर कहना चाह रहे हैं कि यदि आप आंध्र प्रदेश के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे तो उसके ऊपर सिर्फ आंध्र और तेलंगाना की आवाम ही नहीं बैठेगी, उस पर मुसलमान भी बैठेगा। हमको एतमाद में लेकर कोई फैसला कीजिए।

आखिर में, तस्लीमा नसरीन के बारे में मैं सुन रहा था, असम गण परिषद के एमपी कह रहे थे कि इनके पास अल्लीगल माइग्रेन्ट्स का सबसे बड़ा मसला है। मुझे अफसोस होता है कि उन दानिशवरे हिन्दुस्तान के जो एक भगौड़ी को जिसको उसकी हुकूमत ने वहां से भगा दिया, जिसके पास स्वीडन का पासपोर्ट है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो बांग्ला देश से गुरबत को छोड़कर आते हैं, उनके लिए बात नहीं करते हैं। 14 करोड़ मुसलमानों को यह हुकूमत तकलीफ दे रही है। आप इनको वापस भेजिए। इनका हिन्दुस्तान में क्या कन्ट्रीब्यूशन है, सिवाय इसके कि हिन्दू और मुसलमानों में एफाक पैदा किया जाए।

आखिर में मैं फॉरेन पॉलिसी का कहना चाहता हूं। गाजा में इजाइलियों की तरफ से जुल्म हो रहा है। हमारी हुकूमत को चाहिए था कि वे मिस्र की तरफ से उन लोगों को इमदाद पहुंचाए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउन्ड पर। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बयान दे रहे हैं, इसीलिए हम चाह रहे हैं जब वजीरे आजम जवाब देने के लिए खड़े हों, खास तौर से फातिमी सब कमेटी के ऊपर, मुंगेरकर रिपोर्ट के ऊपर और मुसलमानों के तालीमी पसमान्दगी के ऊपर जवाब देंगे।

जनाब असदुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): जब दहशत गर्दी की बात आती है तो दिल्ली की जामा मस्जिद, मालेगाँव की मक्का मस्जिद, हैदराबाद की मक्का मस्जिद और अजमेर की दरगाह, इन में बम ब्लास्ट का सुबूत आज तक नहीं मिला। कौन ज़िम्मेदार है, कौन मुलज़िम है, वह नहीं मिला। मैं एक बात बता रहा हूं एन.डी.ए. जो मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट की चार्जशीट कर रही है उस ने साफ़ अल्फ़ाज़ में कह दिया कि आंध्रा प्रदेश से किसी का ताल्लुक़ नहीं है, जबकि 26 नौजवानों को साढ़े तीन महीने जेल में रखा गया, मार मार कर ज़ुल्म किये गये, लेकिन कोई सुबूत नहीं मिला। जामा मस्जिद और अजमेर का ब्लास्ट किस ने किया, नहीं मालूम। जहां जहां मुसलमानों की इबादत गाहों पर बम ब्लास्ट हुये, कोई दहशत गर्द नहीं मिला। लेकिन मुंबई में एक लड़का है मुहम्मद आफ़रोज जो 09.11.2001 के बाद पकड़ा गया। महाराष्ट्र की हुकूमत ने कहा कि यह प्लेन से उड़ कर बर्तानिया के हाउस आफ़ कामंस को तबाह कर देगा। लेकिन वह कोर्ट से बरी हो गया। इस का हमारे इख़्तियारात ज़िक्र नहीं करते हैं। दिल्ली के मुहम्मद मारूफ़ कनौरा और अर्शाद अली के बारे में सी.बी.आई. कह रही है सी.बी.आई. और दिल्ली पुलिस ने मिल कर आर.डी.एक्स. रखे, इन का कोई मालूम नहीं होता। कलकत्ता के एक बच्चे अल्ताफ़ अंसारी को पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि यह मुलज़िम नहीं है। उसे मार मार कर दो दिन जेल में रखा गया। आख़िर यह कब तक होगा। आप की हुकूमत कहती है कि जब आप को वोट मिलता है तो दहशत गर्दी को ख़त्म कीजिये। मगर मुसलमानों को ही ज़िम्मेदार ठहराना, यह कौन सा इंसाफ़ है। ख़ाक हो जाइये हम तुम कोई ख़बर होने तक। आख़िर कब आप की लिबरहान कमीशन की रिपोर्ट? सत्रह साल लिबरहान कमीशन को क्यों लग रहे हैं? आप श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं करते हैं, जबकि महाराष्ट्र में आप की सरकार है। मैं आप को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आने वाले असेंबली के इंतिख़ाबात में महाराष्ट्र में कांग्रेस और एन.सी.पी. को कोई पज़ीराई नहीं मिलेगी। यह जो आप मुस्लिम नौजवानों पर [illegible] गिरफ़्तार कर रहे हैं मुस्लिम नौजवानों पर। आप महाराष्ट्र को भूल गये। क्यों भूल गये? आप इस को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करवाते हैं।

दूसरी बात तेलंगाना के बारे में है। हम तेलंगाना के बारे में साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं। अगर आप आंध्रा प्रदेश के मुतअल्लिक़ फ़ैसला करेंगे तो उस के ऊपर सिर्फ़ आंध्रा प्रदेश और तेलंगाना की मुहर ही नहीं बैठेगी, उस पर मुसलमान भी बैठेगा। हम को एतिमाद में ले कर कोई फ़ैसला कीजिये।

आख़िर में, तसलीमा नसरीन के बारे में अभी मैं सुन रहा था, आसाम गण परिषद के एम.पी. कह रहे थे कि उन के पास illegal migration का सब से बड़ा मसला है। मुझे अफ़सोस होता है हिन्दुस्तान के दानिशवरों पर जो एक बंगलादेशी को जिस को उस की हुकूमत ने वहां से भगा दिया, जिस के पास स्वीडन का पासपोर्ट है, उस के लिये मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो बंगलादेश से ग़ुरबत को छोड़ कर आते हैं, उन के लिये बात नहीं करते हैं। 14 करोड़ मुसलमानों को यह हुकूमत तकलीफ़ दे रही है। आप उन को वापस कीजिये। उन का हिन्दुस्तान में क्या कंट्री पेरेशन है, सिवाये इस के कि हिन्दू और मुसलमानों में नफ़ाक़ पैदा किया जाये।

आख़िर में जनाब, फ़ारन पालिसी पर एक पाइंट कहना चाहता हूं। ग़ाज़ा में इसराईल की तरफ़ से ज़ुल्म हो रहा है। हमारी हुकूमत को चाहिये था कि वह मिस्र की तरफ़ से उन लोगों को इमदाद पहुंचाई जाये, Humanitarian ground पर। लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ बयान दे रहे हैं, इस लिये हम चाहते हैं, जब वज़ीरे आज़म जवाब देने के लिये खड़े हों ख़ास तौर से फ़ारेन कमेटी के ऊपर, मोतबर कर रिपोर्ट के ऊपर और मुसलमानों की तालीमी पसमांदगी के ख़ात्मे के लिये वाज़ेह जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। (ख़त्म शुद)

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला): जनाबेवाला, इस एवान में एक मुख़्तसर वक़्त के लिए, कुछ बातें करने के लिए, मेरी मजबूरी यह है कि सद्रे हिन्द के ख़ुत्बे में जो मुसबत पहलू हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जो मुल्की पैमाने पर या किसी पैमाने पर उठाई जा सकती थीं, उनका ज़िक्र नहीं कर सकता क्योंकि मैं जम्मू-कश्मीर से आता हूं और मेरी रियासत के बहुत सारे मसाइल हैं। मुझे इस बात की ख़ुशी है कि किसी भी सरकारी डाक्यूमेंट में, किसी भी फोर्म में कश्मीर का ज़िक्र तो आता ही है और आज के ख़ुत्बे सदारत में भी कश्मीर का ज़िक्र आ चुका है और इसमें यह कहा गया है कि वहां रिकन्सट्रक्शन प्लान चलेगा और वहां अमन के लिए और लॉ एंड आर्डर के लिए कोशिशें आवाम के एतमाद से वगैरह, वगैरह हो जाएंगी। लेकिन मैं इस मुकदस एवान में इस बात का वर्बला इजहार यह करना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ा मसला है, वह मसला यह है कि जो ख़ामोश अमन पसन्द जम्मू कश्मीर आवाम इन 15 बरसों में एक तूफ़ान सहता रहा जो जंझों-तौलियों के जरिये से उन पर पड़ा और दूसरी तरफ से चलने वाली बन्दूकों की जद में वे लोग आ गए। आज की हालत यह है कि वहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन का यह मौहाल है कि आप हैरान हो जाएंगे अगर कुछ वाक्यात का ज़िक्र इस एवान में किया जाए कि नौजवानों के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो शकूक की नजर से गुजरते हैं या पुलिस में बैठे हुए लोग हैं, अगर उनको उन पर शक गुजरे या वे नाराज हो जाएं तो उनके साथ क्या हाल होता है।

एक लोकल अखबार में कल ही मैंने एक तस्वीर देखी, हिन्दवाड़ा में एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तर किया, अगर उस तस्वीर को आप सब लोग देखें तो आप लोगों का दिल दहल जाएगा, उसको जलाया गया है, उसके जिस्म में आहनी सलाखें डाली गई हैं। वह आज अस्पताल में है। इस किस्म के बहुत सारे वाक्यात जो हमने सरकार के नोटिस में बार-बार लाए हैं कि कुछ लोग हलाक हो गए, कुछ का पता नहीं चला, कुछ लोग जिनको बजाए गिरफ्तार किया गया, उनका आज तक पता नहीं चला, उनके सारे खानदान इतने परेशान हैं कि कम से कम हमें इतना बताएं कि वे लोग जिन्दा नहीं हैं। दोनों तरफ से एक मुसीबत चल पड़ी है उस आवाम पर और कोई जिक्र इस खुत्बे में इस बात का नहीं है कि ऐसे हालात में जो जम्मू कश्मीर रियासत गुजर रही है, खास तौर पर वादी ए कश्मीर पर जो मुसीबतें आ चुकी हैं, उसका क्या इलाज है। बदकिस्मती से इस मुल्क के सियासत के शरीयानों में एक तास्सुब और जहन में एक शक का फतूर जारी है जिस फतूर को अगर आज यूपीए सरकार में शामिल सैक्यूलर ताकतें गौर से न समझें और सोचें तो शायद यह किसी मरहले में जाकर इस मुल्क के इतिहास में एक बहुत बड़ा रखना पैदा कर सकता है। मुल्क की सतह पर भी आप अक्लियतों की हालत को देखिए और इस खुतबे में इसका जिक्र तो होना चाहिए था। क्यों उड़ीसा, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर में ऐसे हालत हो रहे हैं? सरकारें खामोश हैं और जो लोग टैरेरिज्म का रास्ता अख्तियार कर

[श्री अब्दुल रशीद शाहीन]

चुके हैं, जो तशद्दद का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं वे इंसानियत पर जालिमाना कार्रवाई तो करते ही हैं लेकिन एक मुहज्जिब सरकार एक मुहज्जिब समाज से क्या तवाकात है, उसकी तरफ मुल्क की सियासी जमातों को सोचना होगा। हमारे यहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी है जिसके लिए दुनिया भर की बहुत सारी कौमें हिन्दुस्तान के साथ रशक करती हैं, उसे बचाने और महफूज रखने के लिए समाजी इंसाफ की तरफ कदम बढ़ाना होगा।

मेरे अजीज दोस्त ने अभी जिक्र किया कि अक्लियतों के लिए यूपीए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। मैं इंकार नहीं कर सकता जो इन्होंने कदम उठाए, जो कमीशन बनाया और पार्लियामेंट में लाए। इससे यह एहसास मिलता है कि यूपीए के एलाइन्स के दिल में अक्लियतों के लिए कुछ हमदर्दी है लेकिन घबराहट है। वह डर रहे हैं कि अगर हम बिल्कुल ईमानदाराना इस प्रोग्राम को सपोर्ट करें जो सच्चर कमेटी सामने लेकर आई है तो शायद वे सियासी तौर पर किसी न किसी मुश्किल के शिकार हो जाएंगे। मैं इनसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर इंसाफ परवर जमात के तौर पर फैसला लें और खुल्लम-खुल्ला ट्रांसपेरेंसी के साथ फैसला ले शायद उसका फायदा होगा क्योंकि इतिहास इस मुल्क के अन्दर बढ़ेगा और पूरी दुनिया यह समझेगी कि एक सियासी जमात, एक एलाइन्स इस मुल्क में आ गई जिसने इस मुश्किल को समझा और उस पर अमल किया। फातमी कमेटी में मैं भी शरीक था। मैंने उसमें बैठ कर डैलिबरेशन किया और कुछ सुझाव दिए। अपनी तकरीरों में हमारे दोस्तों ने यह खदशा जाहिर किया था कि बहुत सारे कमीशन बने, उनकी रिपोर्ट्स आई जिससे बहुत सारी बातें सामने आई हैं लेकिन अफसोस से उन पर अमल नहीं हुआ है। इस हुकूमत का यह आखिरी साल है जिसने कुछ इकदामात अक्लियतों के लिए किये हैं, शायद उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, आने वाले इलैक्शन में इस बात का फैसला होगा कि इस मुल्क में क्या होगा, कौन सी कुव्वत सामने आएगी और क्या होगा? सारी सियासी जमातों को इस सियासी फतूर से परहेज करना होगा। हमें खास तौर पर कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन की तरफ फौरन तवज्जो देनी चाहिए और वहां जो नौजवान बेरोजगार और परेशानी-हाली में पड़े हैं, उसके लिए जरूरी कोई इकदाम करने होंगे वरना वे लोग अमन पसन्द हैं जो मुहब्बे वतन हैं, तालीम याफ्ता हैं और इस मुल्क की तरक्की को चार चांद लगा सकते हैं, वे बेकारी में जाया हो जाएंगे। इनफॉर्चेन्यूटली, रिसैंटली जम्मू-कश्मीर में खास तौर पर कश्मीर में ड्रग्स का चलन शुरू हुआ है, उसकी तरफ से सरकार बिल्कुल खामोश है। वह खामोशी से तमाशा देख रही है। ऐसे हालत का इलाज किया जाएगा तो इस मुल्क की और तरक्की होती जाएगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री पी.सी. थामस** (मुवत्तुपुजा): राष्ट्रपति के अभिभाषण में कीमतों में वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जो कि एक ज्वलंत मुद्दा है। आवश्यक वस्तुओं, जैसे गेहूं, चावल, दाल और खाद्य तेलों आदि की कीमतें आसमान छू रही हैं। सीमेंट, इस्पात, ईंटों और रेत के दाम इतने बढ़ गये हैं कि इंदिरा आवास योजना और पंचायत की अन्य योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले लोग अपने मकान बनाने में असमर्थ हैं? इस संबंध में तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति महोदया ने दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा देश के कुछ अन्य भागों में ईसाईयों (एक छोटा अल्पसंख्यक समुदाय) पर अत्याचार की घटनाओं पर की गयी कार्यवाही, यदि कोई की गई है, के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। उड़ीसा में 50 गिरजाघरों/पूजास्थलों को नष्ट कर दिया गया। माननीय गृह मंत्री ने वहां का दौरा किया था। परन्तु ऐसा लगता है कि दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट के कारण किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रपति महोदया ने इस मामले का कोई उल्लेख नहीं किया है जबकि इस समस्या के समाधान के लिए आयात-निर्यात नीति और कृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क में बढ़ोत्तरी जैसे गम्भीर परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।

देश के विभिन्न भागों में फैले चिकनगुनिया, जापानी बुखार और पीतज्वर जैसी बीमारियों का ईलाज प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं हो पाया। इसके लिए ठोस कदम और निवारक उपाय किये जाने की आवश्यकता है। शहरों, कस्बों और पंचायतों के स्तर पर प्रभावपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन किया जाना चाहिए जिसके लिए एक राष्ट्रीय नीति और इसके कार्यान्वयन की रूपरेखा बनायी जानी चाहिए।

कई पात्र गरीब लोगों को चिकित्सा के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से सहायता प्रदान की जाती थी। तथापि, उपलब्ध धनराशि के अनुपात में बड़ी संख्या में पात्र आवेदकों को सहायता राशि नहीं मिल पाती। यदि ऐसा है तो बहुत से लोगों द्वारा दान की व्यवस्था सहित एक विशेष निधि स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। मदर टेरेसा के नाम पर एक धर्मार्थ निधि स्थापित करना उचित होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए भारत निर्माण योजना महत्वपूर्ण है। परन्तु सड़कों के चयन में संभवत: उच्च तकनीकी मुद्दों के कारण कुछ राज्यों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना निधि का उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। 'कोर नेटवर्क' में उचित संशोधन नहीं किये जाने के कारण यह केरल के लिए एक समस्या बन गयी है।

अत:, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अनुरोध करूंगा कि उपरोक्त मुद्दों के समाधान हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाये जाएं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई है। समय कम है इसलिए बाकी बातें बाद में ले करूंगा। मैं समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही अपनी बात रखूंगा। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। सरकार की बातें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण द्वारा रखी जाती हैं इसलिए केवल राष्ट्रपति जी का नाम है लेकिन बात यूपीए सरकार की है।

इसलिए कहूंगा कि यूपीए सरकार का यह है अंतिम भाषण
देश की रूठी जनता को यह नहीं देगा राशन।
करना है तो कुछ करके दिखाओ, महंगाई से जनता को बचाओ।
आतंकवाद से देश को छुड़ाओ, गुनाहगारों को फांसी दिलाओ।
दलित, वनवासी, पिछड़े को आगे बढ़ाओ। उत्पीड़न से उन्हें मुक्त कराओ।
कश्मीर अपना है अपना ही रहेगा, इसे अलग करने वालों को देश से भगाओ।
हे यूपीए वालों गांव की ओर अपना कदम बढ़ाओ। गरीब, मजदूर, किसानों को गले लगाओ।
पंचायत, बैंक, साहूकार का कर्ज माफ कराओ। युवाओं का उत्साह बढ़ाओ।
रोजी-रोटी देकर उनका सम्मान कराओ। महिलाओं को अत्याचार से बचाओ।
बच्चों का शोषण मिटाओ। नदियों को एक-दूसरे से जोड़ो
बंधों से बांधों, राज्यों को सूखे से बचाओ। खेत-खलिहानों में पानी पहुंचाओ।
फिर देखो देश में होली, नवरात्रे, भांगड़ा, उगाधि, ईद, मुहर्रम, मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं। फिर देखो देश में सभी त्यौहार देशवासी कैसे मनाते हैं।
ये होंगे खुशहाल तभी बनेगा भारत दुनिया में बेमिसाल,
लोग होंगे खुशहाल तो भारत बनेगा दुनिया में बेमिसाल।

आपको मौका दिया है और एनडीए सरकार ने दुनिया में हिन्दुस्तान का नाम रोशन करने का प्रयत्न किया था। तब कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता था जिस दिन किसी देश का प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री हमारे देश का दौरा नहीं करता था। दुनिया के दरवाजे हिन्दुस्तान के लिए खुल गए थे। चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, हर देश में इस देश के युवाओं के लिए दरवाजे खुल गए थे। यही कदम आज चला है, जो एनडीए का स्वप्न था वह धीरे-धीरे साकार होता जा रहा है। एनडीए ने जो

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

स्वप्न देखा था उसे यूपीए सरकार आकार देने जा रही है। हम चाहते हैं कि आप उसे अच्छी तरह से आकार दें। हमारे स्वप्न का जो छोटा सा बालक था, वह धीरे-धीरे जवान हो रहा है और जवान होते देखकर आप खुश हो रहे हैं कि ये हमारा लड़का है। ये एनडीए का बालक था, एनडीए का सपना था कि बंधों से एक-दूसरे को जोड़ना, हवाई अड्डों को बड़ा बनाना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू करना, नदियों को जोड़ना, गांवों में बिजली पहुंचाना, बेरोजगारों को रोजी देना, किसानों का कर्ज माफ करना और सारे देश में एकता और अखंडता स्थापित करना—ये सब कदम माननीय अटल बिहारी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे लेकिन जब यूपीए सरकार आई तब ये कदम ठंडे पड़ गए। आपके सहयोगी दल भी आज अपना वक्तव्य दे रहे हैं और कुछ साथियों ने निराशा व्यक्त की है। वे आपको सपोर्ट करने के बाद भी दुखी हैं लेकिन वे आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। आप दुखी मत हो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो सपोर्ट वापिस ले लेना चाहिए और अगर वे अच्छे हैं तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन आज सहयोगी दलों ने आपकी टीका की है। वे आपसे नाराज हैं, दुखी हैं, सिर्फ आपके सहयोगी दल ही नहीं, देश की आम जनता भी नाराज है। यह आम जनता समय आने पर अपनी बात दिखा देगी। प्रतिपक्ष के नेता माननीय आडवाणी जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि यह सरकार का अंतिम भाषण लगता है और शायद यह चुनावी भाषण हो सकता है। हम सब उम्मीद करते हैं कि जब जनता के सामने जाएं तो जनता से नया निदेश प्राप्त करें। मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं जिन अन्य मुद्दों के बारे में कहना चाहता हूं, उन्हें सभापटल पर रखता हूं और यह आशा करता हूं कि सभी मुद्दों का समावेश किया जाए।

*महोदय, संसद के समक्ष भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है, उसके बारे में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। महामहिम एक महिला हं, उनका दिल मातृत्व का है और मां के दिल में अपने परिवार एवं अन्य लोगों के लिए एक सद्भावना हमेशा रहती है एवं वह हमेशा अच्छा ही करना चाहती है। यहां यूपीए सरकार ने अपने कुछ कार्यक्रम एवं योजनाएं महामहिम के भाषण के माध्यम से हमारे सामने पेश की हैं। महामहिम जी का भाषण सर्वसुखाय और सर्वसहाय रहा है, लेकिन कुछ सालों को छोड़कर अधिक समय तक देश में कांग्रेस का शासन रहा है या उसके सहयोग से चलने वाली सरकारें रही हैं। भारत की आजादी के 60 साल हो गए हैं।

आजादी के समय देश के नौजवानों ने यह आशा रखी थी कि आजादी मिलने के बाद हमारा देश खुशहाल होगा। हमारे दुख-दर्द मिट जायेंगे। देश में कोई भूखा या नंगा नहीं रहेगा। चारों ओर घी और दूध की नदियां बहेंगी। कोई भी परिवार भूखा नहीं सोयेगा। कोई भी बच्चा अनाथ बन कर रास्ते में नहीं भटकेगा। कोई भी महिला पीड़ित नहीं होगी। विधवा और अन्य कारणों से पीड़ित महिलाओं की देखभाल होगी। उसे सम्मानित जीवन मिलेगा। देश का किसान खुशी से अपने खेत बोयेगा, उसे सिंचाई के लिए भगवान के भरोसे नहीं जीना पड़ेगा। पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा। तालाब और कुओं के पानी से उसे मुक्ति मिल जायेगी। अनुसूचित जाति और जनजाति का उत्पीड़न समाप्त हो जायेगा। वह सम्मान से जियेगा और समाज के अन्य वर्गों के साथ समान हक से खड़ा हो सकेगा। चोरी, लूटपाट और डकैती का नामोनिशान मिट जायेगा। कोई भी बच्चा स्कूल गये बिना नहीं रहेगा। कोई भी मां अपने छोटे बच्चों को खेलकूद के खिलौने छुड़वा कर काम के औजार उसके हाथ में नहीं थमायेगी और देश का बचपन भूखा नहीं रहेगा। बहुत सारी उम्मीदों के साथ हमारे देश के बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया। कुछ घर-बार को छोड़कर हंसते-हंसते फांसी की सूली पर चढ़ गये। लेकिन अब आजादी के 60 साल बीत जाने के बाद आगे कहे मुताबिक जब सोचता हूं तो निराशा के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता।

महामहिम जी ने अपने वक्तव्य में कहा भारत निर्माण गरीबी की पीड़ा को कम करने के लिए और मूलभूत आजीविका के साधन प्रदान करने के लिए है लेकिन आज भी आजीविका के लिए गांव के मजदूरों को अपना गांव छोड़ कर दूर-दराज जाना पड़ता है। एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। हाल ही में एक बड़ी समस्या देश के सामने आई है प्रांतवाद की। आज बिहार, यू.पी. और उड़ीसा के हमारे गरीब मजदूर भाई अपना शहर छोड़ कर अन्य शहरों में काम कर रहे हैं। अगर उन्हें अपने शहर में ही काम दिया गया होता तो कोई भी व्यक्ति अपना शहर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मजदूरी के कारण उन्हें अपने परिवारजनों से दूर जाना पड़ता है। यू.पी.ए. सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया, लेकिन देखना यह है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का सही उपयोग हो रहा है या केवल कागजात पर ही लोगों को रोजी-रोटी दी जा रही है।

सर्व शिक्षा अभियान और सार्वभौमिक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम एन.डी.ए. के समय में मान्यवर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। रेडियो और टी.वी. पर गूंज थी कि चलो स्कूल चलें, चलो स्कूल चलें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा था ऐसे परिवार अपने बच्चों को ले कर स्कूल गये, बच्चों का दाखिला करवाया। गुजरात जैसे राज्य में मंत्रीगण, सांसद, विधायक ने अन्य अधिकारियों के साथ गांव का दौरा किया। प्रत्येक घर-घर जा कर बच्चों की शिक्षा के बारे में पूछा गया और जिनके बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे उनका नाम रजिस्टर करवाया गया। लड़कियों का उत्साह बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार ने अपनी ओर से अलग से बांड लड़कियों के माता-पिता को दिये ताकि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें। फिर भी आज बहुत कुछ करना बाकी है। देश के अंदर अनेक ऐसे स्कूल हैं जहां कमरे नहीं हैं, शिक्षक नहीं हैं और शिक्षक हैं तो ब्लैकबोर्ड नहीं है। यह कमी कब पूरी होगी। देश की जनता

... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

खोखले वादों से थक गई हैं। अच्छे-अच्छे नारे सुन कर उनके कान पक गये हैं। अब देश की गरीब जनता को किसी पर भी भरोसा नहीं रहा।

महामहिम जी ने अपने वक्तव्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में राज्य सरकार की ओर से सहयोग मिलेगा। आज भी गांव में अस्पताल नहीं हैं और कभी-कभी तो मलेरिया, टाईफाईड और हैजा के कारण मृत्यु हो जाती है। आज भी टी.बी. और कैंसर जैसे रोग लोगों में देखने को मिलते हैं। हमें प्रत्येक गांव में मैडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। राज्यों के अन्दर शहरों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। छोटे नगर बड़े-बड़े नगर बनते जा रहे हैं। नाम तो बदल गये लेकिन क्या नाम के साथ-साथ शहर का नक्शा भी बदला है। क्या जो आम सुविधायें मिलनी चाहिएं वह मिल रही हैं? जवाब में ना। आज भी शहर में लाखों की तादाद में झुग्गी-झोंपड़ी हैं। ये लोग नदी के किनारे पर, रेल की पटरी पर या तालाब के किनारे बसते हैं। उन्हें पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। या कुदरती हैजद के लिए आज भी शौचालय तक नहीं हैं। बहनों को नहाने के लिए स्नानागार नहीं हैं वे अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी आड़ को ढूंढ़ती रहती हैं। आजादी के 60 साल के बाद भी देश की स्थिति को देख कर हम शर्मिंदा हैं और यह स्थिति बदलने वाली नहीं है। हर साल बजट आता है। हर साल सुनहरा ख्वाब दिखाया जाता है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में बातें रखी जाती हैं।

महामहिम जी के अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार के प्रयासों से कृषि के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है लेकिन फिर भी महंगाई कम नहीं हुई है। आम जनता का तो जीना दुश्वार हो गया है। घर की महिलाओं का घर का बजट बनाते-बनाते दम टूट जाता है। यू.पी.ए. की सरकार को चार साल हो गये वह महंगाई को बांध नहीं सकी। दिन-प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। खाद्यान्न हो, खाद्य तेल हो या पैट्रोल-डीजल के भाव हों और दिन-प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं हों, ईंट हो, लोहा हो या सीमेंट हो आज यू.पी.ए. सरकार कहीं भी यह कहने में समर्थ नहीं है कि हमने अपने समय में महंगाई नहीं बढ़ने दी। महामहिम जी के अभिभाषण में सरकार ने दावा किया है कि विगत 4 वर्षों में सरकार ने गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में क्रमश: 50 रुपए से अधिक और लगभग 33 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। केवल यह बता कर सरकार के द्वारा आम जनता को अंधेरे में रखने का प्रयत्न किया गया है।

महामहिम जी के अभिभाषण में सरकार ने 2015 तक का लक्ष्य रखा है कि प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के आकार में तीन गुना वृद्धि करने और वैश्विक व्यापार में इसका हिस्सा दो गुना होगा। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 20 मेगा फुट पार और इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन स्थापित की जायेगी। लेकिन मेरा मानना है कि इन उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए पहले सिंचाई की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। राज्यों को सूखा से बचाना पड़ेगा। बहती हुई नदियों का पानी रोकना पड़ेगा। तालाबों को गहरा बनाना पड़ेगा। नदियों पर चैक डेम बनाना पड़ेगा और इन सबके लिए राज्यों को आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गुजरात में चल रही नर्मदा योजना को पूरा करने में बरसों निकल गये। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व. पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जो नींव डाली थी उस काम को पूरा करने में कांग्रेस सरकार का यू.पी.ए. सरकार का जो सहयोग मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है। यू.पी.ए. सरकार के द्वारा नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने में कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। पड़ौसी राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री के द्वारा सहयोग न मिलने के कारण गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी को शहर के मद्य में आमरण अनशन पर बैठना पड़ा, तब जाकर गुजरात को सफलता मिली है। बांध की ऊंचाई को गुजरात में सफलता मिली है लेकिन केनालों के द्वारा गुजरात के प्रत्येक गांव में अभी भी पीने का पानी पहुंचाना है।

क्या यू.पी.ए. सरकार इसे राष्ट्रीय योजना घोषित करेगी। क्या वह आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार है। मैं आशा रखता हूं कि गुजरात की जनता की आकांक्षा यू.पी.ए. सरकार पूरा करेगी।

महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण पर जोर देने का प्रयत्न किया है। उन्होंने देशवासियों को आश्वासन दिया है कि छात्रवृत्तियों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लगभग 30 लाख बच्चों को लगभग 900 करोड़ रु. की राशि तथा 10 लाख से अधिक जनजातियों के बच्चों को 225 करोड़ रु. की राशि देने की बात की है। कांग्रेस ने अपने पिछले शासन के दरम्यान ऐसी लुभावनी राशि देने की बात बार-बार की है। फिर भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और आज भी उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहां पूर्ण रूप से शिक्षक नहीं होते या सुविधा नहीं होती, फिर उनका सशक्तीकरण कैसे होगा? आज भी आम जनता के साथ, आम विद्यार्थियों के साथ उन्हें बैठाया नहीं जाता, फिर समानता कहां से आयेगी? अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को कला संस्कृति, परंपरा, भाषाओं, रीति रिवाजों और चिकित्सीय पद्धतियों में अध्ययन और अनुसंधान तथा जनजातियों के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक में इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात कही है। अगर इस विश्वविद्यालय का नाम श्रद्धेय इंदिरा गांधी के अलावा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के किसी महापुरुष के नाम पर रखा जाता तो इस समाज का उत्साह और भी बढ़ जाता जैसे कि डा. बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय।

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

महामहिम के अभिभाषण में अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम की बात की गई है। इस विधान के द्वारा जनजातियों और परंपरागत वनवासियों की विगत वंचनाओं को दूर करना तथा भूमि पर उनके अधिकारों को उन्हें पुन: प्रदान करना है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक बार उन्हें अपने अधिकारों से वंचित किया जाता है, उन्हें जंगल से खदेड़ दिया जाता है और दूसरी बार मत के राजकारण में फंसा कर उन्हें भिन्न-भिन्न अधिनियमों के द्वारा लुभाने का जो प्रयत्न किया जाता है, उसे रोकना चाहिए।

महामहिम के अभिभाषण में सरकार ने आशा जताई है कि कमजोर वर्गों के नागरिकों में सिविल और अपराधी दोनों प्रकार के मामलों में न्याय उनकी चौखट पर ही उपलब्ध कराने के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित करने की बात कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा नम्र निवेदन है कि लाखों केस कोर्ट में पड़े हैं जिसमें कहीं उनकी जमीन ले ली गई है तो कहीं उन पर उत्पीड़न किया गया है या उनका अधिकार छीन लिया गया है। वे आज भी न्याय के लिए कोर्ट की चौखट पर अपने पांव घिसते-घिसते थक गये हैं।

महोदय, महामहिम के अभिभाषण में सच्चर समिति की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। क्या यह जातिवाद को बढ़ावा देने या एक धर्म को दूसरे धर्म से छोटा या बड़ा दिखाने की तरह नहीं है? क्या अल्पसंख्यक लोगों की स्थिति दो-चार सालों में खराब हुई है या उनकी पढ़ाई दो-चार सालों में छूट गयी है। सच्चर समिति की रिपोर्ट को हथकंडा बनाया जा रहा है। इस देश के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हर तरह के अधिकार प्राप्त करना उसका हक है और समान न्याय पाने के लिए वह हकदार है। लेकिन भारत देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ। एक ओर हिंदुस्तान रहा, दूसरी ओर पाकिस्तान बना। दोनों देशों ने देश में रहने वाले हिन्दुओं और मुसलमानों को छूट दी थी कि जो चाहे वहां रह सकता है। पाकिस्तान में रहने वाले अधिकतर हिन्दू सलामत न होने के कारण पाकिस्तान छोड़ कर हिन्दुस्तान में आ गये हैं और हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, वे चले गये हैं और जो लोग हिंदुस्तान को अपना देश मानते थे वे लोग यहां रह गये। आजादी के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों को उस वक्त की सरकार की जिम्मेवारी थी कि समान न्याय देना, समान शिक्षा देना और सभी का उत्कर्ष करना। क्यों अभी एक मुस्लिम समाज का शैक्षणिक उत्कर्ष नहीं हुआ? क्यों मुस्लिम समाज को अभी तक राष्ट्रीय धारा में नहीं लाया गया? क्यों आज आजादी के 60 साल के बाद भी उनकी स्थिति दयनीय है और जो कदम पहले उठाने चाहिए थे वह न उठा कर कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम समाज को वोट बैंक कहकर बहुत बड़ा नुकसान किया है और वोट की राजनीति खेल कर हमेशा आजादी के बाद भी वैचारिक आधार पर देश को दो भागों में बांट कर रखा है। सच्चर समिति की रिपोर्ट के नाम पर फिर से हिंदू और मुसलमान के बीच में एक बड़ी दरार खड़ी करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अगर यू.पी.ए. सरकार की सोच हकीकत में पिछड़े, दलित, गरीब आदिवासियों और मुसलमान समाज का उत्कर्ष करना चाहती है तो डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए जो मांग रखी थी उसे विशेष पैकेज के द्वारा सामने रखना चाहिए। आज भी संवैधानिक अधिकार मिलने पर भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों का देश में बैकलॉग पूरा नहीं हुआ है। आज भी उनका उत्पीड़न चालू है। जिसके कारण एट्रोसिटी एक्ट जैसे कानून बनाना पड़ रहा है। धीरे-धीरे प्राइवेटाईजेशन बढ़ रहा है। उनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के रिजर्वेशन यू.पी.ए. सरकार नहीं कर सकी। प्राईवेट उद्योगपति देश के संविधान को अनामत के लिए स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं। देश के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग जिन्होंने उत्पीड़न बरदाश्त किया है उन्हें अन्य लोगों के समकक्ष कब लाया जायेगा। इसके लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए थी।

महामहिम के अभिभाषण में महिलाओं के सशक्तीकरण की बात कही गयी है। स्त्री साक्षरता में तेजी लाने को अपना प्रमुख लक्ष्य बताया है। गुजरात सरकार ने सारे देश में उसमें पहल की है। सिर्फ स्त्री साक्षरता ही नहीं बल्कि स्त्री भ्रूण हत्या रोकने के लिए भी गुजरात सरकार ने अच्छे कदम उठाये हैं। लाखों की तादाद में महिला सम्मेलन हुए हैं और महिलाओं के पास जाकर उन्हें शपथ दिलाई है कि वे न स्त्री भ्रूण हत्या करेंगी और न स्त्री भ्रूण हत्या करने में सहयोग करेंगी। गुजरात सरकार के ऐसे सराहनीय कार्य की महामहिम के अभिभाषण में सराहना की जानी चाहिए थी और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी का अभिनंदन किया जाना चाहिए था।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय बाल कार्य के संरक्षण आयोग की बात की गई है। यह खुशी की बात है लेकिन फिर भी गरीब घराने में पैदा होने वाले बच्चों की स्थिति बहुत दयनीय है। मां और बच्चे को सही खुराक न मिलने के कारण कुपोषण की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है या मां बच्चे को जन्म देते ही मर जाती है। इसके प्रति गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। देश में कोई भी बालक इस सुनहरी दुनिया को देखने से पहले ही आंख बंद कर दे, इससे बड़ी दुखद घटना कोई नहीं हो सकती और ऐसे भूखे बच्चे अगर जी भी गये तो उनका जीवन दुखमय बन जायेगा। इसलिए हर तरह की खुराक मां और बच्चे को मिले इसके लिए प्रावधान करना चाहिए।

"जिस देश का बचपन भूखा हो
उस देश की जवानी क्या होगी"

हम 21वीं सदी के समृद्ध भारत की आशा रखते हैं तो 21वीं सदी का जवान भी मजबूत, स्वस्थ और दुनिया से टक्कर लेने वाला होना चाहिए।

महामहिम ने अभिभाषण में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की बात की है। दिन-प्रतिदिन हमारे देश के खिलाड़ी भिन्न-भिन्न खेलों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है लेकिन पिछले पांच सालों में क्रिकेट को जिस तरह से महत्व दिया जा रहा है, क्रिकेट का जिस तरह से व्यापारीकरण हो रहा है, यह देख कर थोड़ा दुख भी होता है। यह बहुत जरूरी है कि हर खेल के प्रति आम जनता की रुचि का सवाल है लेकिन भारत सरकार की ओर से हमारे अन्य खेलों को भी क्रिकेट की तरह सम्मान दे कर उनके खिलाड़ियों की भी प्रशंसा करनी चाहिए। उचित धनराशि दे कर उनका भी सम्मान करना चाहिए।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारायें अप्रैल 2008 से 320 जिलों से बढ़ा कर देश के सभी ग्रामीण जिलों तक करने का आश्वासन दिलाया गया है। लेकिन मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2007-08 को रोजगार गारंटी के अंतर्गत क्या लोगों को रोजगार मिला है या सिर्फ कागज पर ही घोड़े दौड़ाये गये हैं। अगर गांवों में लोगों को रोजगार मिला होता तो गांव के लोग गांव छोड़ कर शहर की ओर पलायन नहीं करते। आज भी गांवों से पलायन हो रहा है और लोग शहर में रहने के लिए घर न होते हुए भी ऊपर आकाश और नीचे धरती को अपना घर मान कर शहर की ओर आने की होड़ लगी हुई है।

महोदय, अभिभाषण में यह भी बताया गया है, और प्रशंसा की गई है कि भारत के प्रधानमंत्री 540 एम.डब्ल्यू.ई. नाभिकीय विद्युत संयंत्र तारापुर परमाणु बिजली स्टेशन यूनिट 3 और 4 वर्ष 2007 में राष्ट्र को समर्पित की गई जो कि हमारे स्वदेशी नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धि है लेकिन आज गुजरात सरकार देश में नंबर वन है जो अपने प्रत्येक गांव में सिंगल फेस बिजली देने में सफल हुई है जबकि देश के बड़े-बड़े शहरों में भी बिजली देना असंभव है। इस कदम ने गुजरात के गांववासियों का उत्साह बढ़ाया है। आज गुजरात के गांव के लोग शहर की ओर जाने की जो सोचते थे, वह बंद हो गया है। आज खुद का स्व-रोजगार वह अपने गांव में ही चला रहा है। युवकों के साथ महिलायें भी घर बैठ कर काम में हाथ बंटा कर रोजी रोटी प्राप्त कर रही हैं। गुजरात को आगे बढ़ाने के लिए बकाया बिजली सैंट्रल ग्रिड में से गुजरात के कोटे की बिजली उसे मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। भारत सरकार ने गुजरात को मिलने वाली बिजली में कटौती कर जो हमारी बिजली महाराष्ट्र को दे दी है, उसे वापिस दिया जाये और गुजरात को जो गैस की आज आवश्यकता है वह उपलब्ध कराई जाये। बिहार में जो हमारी विद्युत मथक के लिए जो कोयला मिल रहा है वह नागपुर से दिया जाये, यह मेरी मांग भी है।

महोदय, महामहिम ने अपने अभिभाषण में बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण के अंतर्गत एक हजार कि.मी. लम्बे पूर्णतः आवागमन नियंत्रित एक्सप्रेस वे बनाये जायेंगे और राज्य मार्गों को चौड़ा करने और उनमें सुधार करने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे जो घोषित किया गया है उसका आधा काम तो एन.डी.ए. की सरकार के समय पूरा हुआ, लेकिन जब से यूपीए सरकार आई है तब से यह काम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। एक्सप्रेस हाईवे के लिए किसानों से जो जमीन ली है अभी तक किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला। न एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है और न किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय मार्ग पर यातायात की संख्या इतनी बढ़ गई है कि कोई एक अकस्मात अवरोध होने से 20-20 घंटे रास्ता जाम हो जाता है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो घोषणायें पहले की गई हैं, जो सड़कों का काम एन.डी.ए. की सरकार के समय शुरू हुआ था उसे पहले पूरा करना चाहिए। सरकार ने अपनी चुनावी घोषणाओं में बहुत कुछ देने का वादा किया है लेकिन कब देंगे यह तो समय ही बतायेगा।

महोदय, महामहिम के अभिभाषण में नागर विमानन क्षेत्र एक अभूतपूर्व विकास के दौर से गुजर रहा है। यह हम सभी के लिए खुशी की बात है। एन.डी.ए. की सरकार के समय सभी हवाई अड्डों की अवसंरचना और उन्नयन और आधुनिकीकरण करने के बारे में जो कदम उठाये गये थे उसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है। गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, सूरत, भावनगर और राजकोट के हवाई अड्डे को भी शीघ्र आधुनिक बनाया जाये, ऐसा मैं चाहता हूं। महामहिम के अभिभाषण में सरकार ने आश्वासन दिया है कि वे वस्त्र उद्योग के संवर्धन के लिए वचनबद्ध हैं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि वस्त्र उद्योग के साथ अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग जुड़े हुए थे। अधिकतर मिलें बंद हो गई हैं जिसमें गुजरात प्रमुख है। इन मिलों में काम करने वाले अनुसूचित जातियों के बुनकर भाई आज बेरोजगार हो गये हैं। उनके लिए भारत सरकार की ओर से कोई विशेष पैकेज मिलना चाहिए ताकि वे लोग अपने पौराणिक व्यवसाय को बनाये रखें और अपना जीवनयापन कर सकें। सरकार को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों के संवर्धन के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में अधिक रोजगार की संभावना होते हुए भी ये उद्योग धीरे-धीरे ठप्प होते जाते हैं और आधुनिक प्रतिस्पर्धा में उनके लिए अपने अस्तित्व को बनाये रखना मुश्किल हो गया है। इसलिए विशेष वित्तीय सहायता देकर इन उद्योगों का मनोबल बढ़ाया जाये।

महोदय जी, अभिभाषण में नदी संरक्षण की बात कही गई है लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्षों से यह बातें सुन रहे हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा सके। आज देश की पवित्र नदी गंगा, यमुना, गोमती इत्यादि नदियों की हालत कितनी खराब है। दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ रहा है। उसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। उज्जैन की क्षिप्रा नदी जो ईटा से पौराणिक नदी है, आज उसे ढूंढ़ने से दिखाई नहीं देती। ऐसा मेरा अनुरोध है कि गंगा, जमुना, नर्मदा, गोदावरी,

कृष्णा, गोमती, मही इत्यादि जो हिन्दू धर्म के साथ नाम स्मरण से जुड़ी हुई हैं इन सभी नदियों को साफ एवं सुरक्षित रखने के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है। महोदय, हम सभी के लिए खुशी की बात है कि गत वर्ष पवित्र ''ऋग्वेद'' को ''विश्व स्मृति'' रजिस्टर में दर्ज किया गया है। आज दुनिया हमारी संस्कृति का अनुकरण कर रही है। हमारी पूजा पद्धति को अपना रही है। बाबा रामदेव जैसे योग महर्षि ने योग को विश्व स्तर पर सम्मान दिया है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उनका प्रत्येक भाषाओं में भाषांतर कर के स्कूलों तक पहुंचाना चाहिए और योग को प्रत्येक स्कूल में सिखाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी इस देश की विशेषता को समझा सके।

आज देश के अंदर प्रिंट, दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म आदि मनोरंजन के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। यह खुशी की बात है, लेकिन यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वृद्धि के साथ-साथ हमारे भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है वह विचलित न हो। आज हमारे देश के छोटे-छोटे निर्दोष मस्तिष्क में इन चैनलों के द्वारा हत्यायें, बलात्कार, लूट, उत्पीड़न जैसी घटनाओं को बार-बार दिखा कर बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने का संदेश जाता है तो इस पर कहीं रोक होनी चाहिए, यह मैं चाहता हूं।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताया है कि आंतरिक सुरक्षा की स्थिति कुल मिला कर नियंत्रण में है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सीमावर्ती राज्यों में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, फिर वो जम्मू-कश्मीर हो, उ.प्र. हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो या महाराष्ट्र हो, भिन्न-भिन्न रूप में यह आतंकवाद हमें देखने को मिला है। फिर प्रांतवाद के नाम पर हो या किसी कार्य के नाम पर हो, इसमें निर्दोषों की जान जाती है। लोग अपने आप को असलामत महसूस करने लगे हैं। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि वामपक्षीय उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में आंतरिक सुरक्षा बड़े पैमाने पर दी जाये और ऐसी गतिविधि के उगते ही उसे दबा देना चाहिए। कहीं-कहीं कुछ राज्यों के पक्षों द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसी प्रवृत्ति को इनडायरेक्टली जो सहयोग मिलता है, यह हमारे लिए शर्म की बात है। आज देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना तथा एकता और अखंडता बनाये रखना आवश्यक हो गया है। पड़ोसी राष्ट्र के द्वारा बार-बार छोटी-मोटी गतिविधियों में हमें परेशान किया जाता है। हमारी शांति को भंग किया जाता है। ऐसे समय में आतंकवादी किसी बार्डर से घुसपैठ न कर सकें इसके लिए सीमावर्ती प्रदेश राजस्थान और गुजरात को अधिक आर्थिक सहायता दे कर उसे सबल बनाने की आवश्यकता है। आज गुजरात ने आतंकवाद को दबा दिया है। आतंकवादी दिखते ही गुजरात की जवांमर्द पुलिस उसे ढेर कर देती है। गुजरात में पांव रखने से पहले आतंकवादी दो बार सोचता है क्योंकि यहां उन्हें किसी भी तरह का राज्याश्रय नहीं मिल पाता। मैं चाहता हूं कि इसी तरह देश के अन्य राज्यों में भी गुजरात की तरह कड़े कदम उठाये जायें तभी देश में सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहेगी और हमारी अखंडता कायम रहेगी।

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस फैंथम (नामनिर्दिष्ट): महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे संसद की दोनों सभाओं में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं कुछ देर बोलना चाहता हूं और फिर अपना भाषण सभा पटल पर प्रस्तुत करूंगा।

महोदय, मेरे विचार से राष्ट्रपति के अभिभाषण में तीन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला यह है कि, जैसाकि सभा के बहुत सदस्यों ने कहा है, यह अभिभाषण इस मायने में विशिष्ट था कि इस महान देश का यह पहला अभिभाषण था जिसे एक महिला राष्ट्रपति ने दिया था। दल के सदस्य होने के नाते हमें इस पर बहुत गर्व है कि हम एक विशिष्ट व्यक्ति को सभा में लेकर आए और इस देश को यह विशेषाधिकार दिया, और मैं यूपीए अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी तथा इस देश के प्रधानमंत्री को इस विशिष्ट पद को भरने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

इस अभिभाषण के अंतर्गत उठाए गए दूसरे मुद्दे के अंतर्गत हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के 60वें वर्ष में राष्ट्र के समक्ष विद्यमान मुद्दों और चुनौतियों का संक्षेप में विशिष्ट उल्लेख किया गया है। इसलिए यह अभिभाषण इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

तीसरा मुद्दा जो इस अभिभाषण के माध्यम से हमारे सामने आया है वह यह है कि इस अभिभाषण में पहली बार ऐसे विकास की बात कही गई है जिससे सभी लाभान्वित हों।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दशकों के बाद भी ग्रामीण भारत में अधिकांश लोग देश की वांछित उन्नति और खुशहाली के मामले में काफी पीछे हैं। अभिभाषण में कुछ विशेष योजनाओं की पहचान की गई है जिनके क्रियान्वित होने से हमारे ग्रामीण भारत की तस्वीर ही बदल जाएगी और यह अप्रत्याशित गति से होगी और इसलिए यह अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कि इस देश के ग्रामीण जनता, जो दशकों से अभाव का जीवन व्यतीत कर रही है, को अब अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए आवाज उठाने का अवसर मिलेगा।

अपना भाषण सभा पटल पर रखने से पूर्व मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। पहला यह कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए अब देश में जिस प्रकार के संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है और जिस प्रकार की स्कीमों की पहचान की गई है, उसके लिए विशेष भारतीय ग्रामीण सेवा के रूप में एक नए प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता है जो कि हम सोचते हैं, इस देश के मुद्दों को सुलझाएगा। इस विशेष समर्पित सेवा के माध्यम से भारतीय पुलिस

सेवा, भारतीय प्रशानिक सेवा, भारतीय लेखापरीक्षा सेवा और अन्य सेवाओं में वृद्धि करनी होगी। मेरे विचार से हमारी चुनौतियों के लिए यह अत्यावश्यक है।

दूसरा मुद्दा, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं, वह यह है कि हमने देखा है कि अब किसानों को लगभग सात प्रतिशत की वार्षिक दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह हमारे किसानों की समृद्धि के हिसाब से बहुत अधिक है। मेरा यह सुझाव है कि सरकार यह समझे कि विश्व भर में 3.5 प्रतिशत से चार प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध है। सात प्रतिशत की दर पर ऋण देने का कोई कारण नहीं है, विशेषकर उन श्रेणियों के लिए जिन्हें हम समझते हैं कि इस देश में सबसे अधिक नियंत्रित हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देगी और हम यह चाहते हैं कि हमारे किसानों को लगभग चार प्रतिशत अथवा पांच प्रतिशत की दर पर ऋण मिले।

इसके बाद मैं इस बात की प्रशंसा करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर तथा इस देश के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर बल दिया गया। मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसा होगा तथा हम वो समृद्धि देखेंगे जो हम देखना चाहते हैं।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का समय प्रदान किया।

*यह अभिभाषण विशेष तौर पर महत्वपूर्ण था क्योंकि इस महान देश के इतिहास में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति ने संसद में अभिभाषण दिया और इसलिए भी क्योंकि इस अभिभाषण में देश की स्वतंत्रता के छठे दशक में देश के सामने आ रही चिंताओं और चुनौतियों के बारे में सही ढंग से कहा गया है तथा अभूतपूर्व संसाधनों के सही उपयोग के लिए जिनका उपयोग सभी के विकास के लिए किया जाएगा। महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में शहर-गांव की खाई को पाटने की अभिलाषा अर्थात अवसरों की कमी को दूर करने तथा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में लोगों की अधिक भागीदारी के लिए आधार का निर्माण करने की बात कही गई, जो बहुत महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा वैश्विक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के साथ मिड-डे मील स्कीम विश्व में सबसे अधिक महत्वाकांक्षी सामाजिक उद्धार कार्यक्रमों में से है। इन प्रयासों में सरकार को हमारा समर्थन प्राप्त है क्योंकि इन प्रयासों में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोकतंत्र का फल सबसे निचले स्तर तक पहुंचे जिसका वादा महात्मा गाधी ने किया था, इस अभिलाषा के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों लोगों ने अपनी जान और सम्पत्ति का बलिदान किया।

महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अथाह आर्थिक समृद्धि तथा अप्रत्याशित सामाजिक परिवर्तन करने में सक्षम होने के बावजूद इस देश में बहुत से लोग अभी भी वंचित हैं तथा यह एक चुनौती है जिसका राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया तथा उन्होंने सकल विकास पर बल दिया जैसाकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के यूपीए सरकार के चार्टर में देश के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई गई।

महोदय, देश का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विशेषकर अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़ा वर्ग पीढ़ियों से आर्थिक उद्धार संबंधी प्रयासों में सबसे नीचे रहा है। पवित्र उद्देश्य तथा वाक्पटुता के बावजूद, केवल एक अभिलाषा कि उनके बच्चे तथा पोते-पोतियां एक दिन गरिमापूर्ण जीवन जीएंगे तथा समझ सकेंगे कि यह लोकतंत्र की बुनियाद है। बुनियादी स्वतंत्रता, स्वास्थ्य रक्षा सुविधा, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा, पौषण, राजनीति में शामिल होना, आदिवासी अधिकार तथा न्यूनतम मजदूरी आधारभूत आवश्यकताएं हैं जिनका शीघ्रातिशीघ्र समाधान होना चाहिए।

महोदय, शासन की लागत बढ़ने के साथ-साथ देश के लिए सकल विकास अधिक महंगा होता जा रहा है तथा इसके परिणामस्वरूप लोग स्वयं को हाशिए पर पाते हैं। जबकि अधिकतर विश्व ऋण 3 तथा 4% के बीच में मिलता है, 7% की दर पर कृषि ऋण के प्रावधान से गरीब किसानों का एक बड़ा वर्ग इससे वंचित रह जाता है जो उत्पादकता की चुनौती को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, इस समय 5% की मुद्रास्फीति है तथा बीज और खाद की लागत 10% प्रति वित्त वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है और इसके साथ ही खाद्यान्न, दवाई, वस्त्र और ईंधन की लागत भी बढ़ रही है जिसके कारण किसान पिसते जा रहे हैं। इन कमियों के होते हुए भारत निर्माण तथा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन भ्रम बन कर रह गया है। टेलीफोन की सुविधा, सड़कें, बिजली, मकान, सिंचाई तथा पीने के पानी की सुविधा पर वे लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं जो सबसे अधिक खतरे में हैं।

महोदय, सरकार बिजली की कमी को दूर करने के लिए वैकल्पिक क्षेत्रों जिसमें नाभिकीय ऊर्जा भी शामिल है, का विकास कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना देश के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि की दर लगभग 2% है।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री फ्रांसिस फैंथम]

देश में शासन की लागत अधिक है तथा देश की समृद्धि पर विनियामक प्राधिकरण लगातार हावी हो रहे हैं जो शासन करते हैं लेकिन सुविधा प्रदान नहीं करते, जिससे परिणाम सामने नहीं आते। इस संदर्भ में सरकार ई-शासन, प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष, नैनो प्रौद्योगिकी तथा एकीकृत ज्ञान नेटवर्क आरंभ करने पर विचार कर रही है, ये प्रशंसनीय कदम हैं। महोदय, मैं विशेष रूप से इस उल्लेख के लिए राष्ट्रपति महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद की स्थापना की है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों को सुलझाने तथा उन्हें कम करने के लिए उचित रणनीति बनाएगी तथा उन्हें क्रियान्वित करेगी तथा यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के उपबंधों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करेगी। यह एक अच्छी शुरुआत है और यह देश के दीर्घावधि हितों को सुरक्षित करने में काफी मददगार होगी।

महोदय, इन्हीं विचारों के साथ मैं राष्ट्रपति महोदया को संसद में अभिभाषण देने के लिए धन्यवाद देता हूं।*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया गया था। यदि सदन सहमत हो तो आज की चर्चा का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: हम सहमत हैं।

सभापति महोदय: सदन सहमत है, इसलिए सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

सायं 7.00 बजे

श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज (इडुक्की): धन्यवाद महोदय। राष्ट्रपति के अभिभाषण में मुख्यत: सरकार पर अर्थात हमारे देश के विकास तथा मुख्य कार्यक्रमों यथा भारत निर्माण तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की ओर ध्यान दिलाया गया है, तथा यह देखकर बहुत दिलासा मिलती है कि देश के समग्र विकास में इन कार्यक्रमों में काफी प्रगति हो रही है और ये सभी की वृद्धि के लक्ष्य को भी प्राप्त कर रहे हैं।

भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क मार्गों का सुधार करना है। एक मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र बुनियादी ढांचा अर्थात परिवहन क्षेत्र है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यक्रम (पी.एम.जी.एस.वाई.) के माध्यम से ग्रामीण सम्पर्कता में सुधार किया जा सकता है। मैं इस कार्यक्रम को चलाने में एक या दो कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहला, इसके लिए तय किये गये दर बहुत पुराने हैं, और कोई भी इन सड़क कार्यों को करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल की समस्या है। वर्तमान मानदंड यह है कि ढाल 1:12.5 के अनुपात में हो, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में कर पाना वास्तव में असंभव है। इसे कम करके 1:8 किया जाए।

अभिभाषण में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास तथा एनएचडीपी चरण-6, के 6,500 कि.मी. को छह लेन का किये जाने के बारे में तथा 1,000 कि.मी. को पूर्णत: प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रैसवे बनाने के बारे में कहा गया है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे देश में दो लेन स्तर से कम के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। उदाहरण के लिए, मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, देश का एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका नाम एनएच 49 है जो कि कोचीन और मदुरई के बीच है तथा देश के एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र अर्थात मुन्नार से होकर गुजरता है, जो दो-लेन मानकों से कम है। हमें उन राजमार्गों को बेहतर बनाना चाहिए तथा उसके पश्चात उन्हें छह लेन का बनाने के बारे में सोचना चाहिए। मैं राजमार्गों को छह लेन का करने के विरुद्ध नहीं हूं। वास्तव में, हमें इसकी आवश्यकता है। जैसाकि मैंने पहले कहा था, परिवहन देश के लिए बुनियादी ढांचा है। इसलिए, हमें वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार करने के बारे में भी सोचना चाहिए, जो कि मानक से कम हैं।

अभिभाषण में मुम्बई-दिल्ली-कोलकाता समर्पित फ्रैट कॉरीडोर का उल्लेख किया गया है। हम सब इसका स्वागत करते हैं। वास्तव में फ्रैट बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे मुख्य रूप से बहुत सक्षमता से मालढुलाई के प्रबंधन से ही यह प्रगति कर सका है। लेकिन जब हम विशेषज्ञों से बात करते हैं, तो एक मत यह है कि क्या इस देश को तीव्र गति समर्पित फ्रैट कॉरीडोर अथवा तीव्र गति समर्पित यात्री कॉरीडोर की आवश्यकता है। मालढुलाई के लिए आवश्यक अधिकतम गति 100 कि.मी. है, और यह वर्तमान मार्गों के साथ भी संभव है। वास्तव में, फ्रैट कारीडोर के निर्माण के पश्चात, हमारे लिए तीव्र गति समर्पित यात्री कॉरीडोर बनाना कठिन होगा। लेकिन भारत जैसे देश के लिए तीव्र गति समर्पित यात्री कॉरीडोर बहुत महत्वपूर्ण है जो कि एक उप-महाद्वीप के आकार का है। कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करने में तीन दिन से अधिक का समय लग जाता है जबकि इसी दूरी को लगभग 12 से 15 घंटों में तय किया जा सकता है यदि हम एक तीव्र गति समर्पित यात्री कॉरीडोर बना दें ...*(व्यवधान)*

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड़): यदि आप विमान से जाएं तो यह अधिक आसान होगा।

सायं 7.04 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन* हुए]

श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज: हरेक व्यक्ति विमान से यात्रा नहीं कर सकता है और यही समस्या है। यह कहा गया है कि जहां 10 लोग विमान से यात्रा करते हैं तो वहीं 1000 से अधिक लोग रेल से यात्रा करते हैं और रेल बहुत साधारण और गरीब लोगों के लिए यात्रा का साधन है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों के साथ-साथ तीव्र गति समर्पित यात्री कॉरीडोर के निर्माण के बारे में गंभीरता से सोचें। वास्तव में, इसे पूर्ववर्ती एनडीए सरकार ने आरंभ किया था जिसे इस देश में एक मुख्य विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। हम सबने इसका स्वागत किया था, लेकिन हुआ यह कि सरकार ने यह कहते हुए स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों का निर्माण करवाया कि सरकार देश के पांचों कोणों को जोड़ना चाहती है। वास्तव में कन्याकुमारी से मुम्बई तक वाले पश्चिमी कॉरीडोर की अनदेखी की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज चेन्नई तक बना, फिर बेलगांव से होकर बैंगलौर तक गया और फिर वापस मुम्बई चला गया। इस यूपीए सरकार को इस विसंगति या अन्याय का सुधार करना होगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों तथा निर्माणाधीन उत्तर-दक्षिण, पूर्व पश्चिम एक्सप्रेस राजमार्गों के साथ-साथ तीव्र गति समर्पित यात्री कॉरीडोर निर्माण हेतु एक कार्यक्रम की घोषणा करे।

तीव्र गति समर्पित यात्री कॉरीडोर यूरोप में विद्यमान है तथा जापान में यह काफी पहले 1964 में आरंभ हो गया था। प्रत्येक विकसित देश में यह विद्यमान है। भारत एक तीव्र विकासशील देश है। हमारा पड़ोसी देश चीन तेजी से हाई स्पीड कॉरीडोर का निर्माण कर रहा है।

जब राष्ट्रपति ने समर्पित फ्रैट कॉरीडोर के बारे में बोला तो इसका कोई उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं किया गया। वास्तव में, यदि हमारे यहां तीव्र गति समर्पित यात्री कॉरीडोर होगा तो हम उसमें हाई-स्पीड फ्रैट भी चला सकेंगे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में बात करते हुए पहले मेरे मित्र एड. सुरेश कुरूप ने अल्पसंख्यकों की दशा, विशेषकर देश में ईसाई अल्पसंख्यकों की दशा के बारे में बोला था। इस देश में ईसाई अल्पसंख्यकों की संख्या केवल लगभग 2.1 अथवा 2.2 प्रतिशत है। वास्तव में, इस देश में ईसाइयों की जनसंख्या कम हुई है। अब क्या हो रहा है? उड़ीसा में हमले हो रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हमले हो रहे हैं, और अब दिल्ली में भी हमले हो रहे हैं जो उड़ीसा में हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार दो दिन तक, बल्कि एक सप्ताह तक कंडामल नामक एक जिले में, सभी संस्थाएं गिरजाघर, कॉन्वेंट शिक्षण संस्थाएं, वृद्धावस्था गृह, डिस्पेंसरियां और सब कुछ नष्टकर दी गईं। जब मैं वहां गया और अपने मित्र, श्री पी.सी. थॉमस के साथ यह सब देखा, यह सबसे अधिक हृदय विदारक दृश्य था। एक प्रकार से हमें संघ परिवार के गुंडों की क्षमता अथवा विनाश क्षमता की प्रशंसा करनी पड़ी। वास्तव में, सब कुछ नष्ट हो गया है।

अब, सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में बोलती है। अभी तक कुछ नहीं किया गया; कोई मुआवजा नहीं दिया गया और किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की गई। क्या इस देश में अल्पसंख्यकों के जान और माल की रक्षा करने का यही तरीका है? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

देश के गृह मंत्री यहां आए। वे हेलिकाप्टर से आए, एक कैम्प में गए, बीस मिनट तक बातचीत की और फिर राजधानी भुवनेश्वर चले गए। समस्त बल पुलिस और अर्ध-सैनिक बल गृह मंत्री के अधीन हैं, वे इस देश की किसी भी बल की सेवाएं ले सकते हैं, परन्तु उन्होंने उन किसी भी स्थान या संस्थाओं का दौरा करने से मना कर दिया जिन्हें इन गुंडों ने नष्ट कर दिया था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

मुझे दुख है कि संप्रग सरकार एक तरफ अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की बात कर रही है और 15-सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा कर रही है और दूसरी ओर जब अल्पसंख्यकों के जान-माल की रक्षा हेतु वास्तव में कार्यवाही करने का समय आया है, तो यह बुरी तरह असफल हो गई।

सुरक्षा के अतिरिक्त दो अन्य मुद्दे हैं अर्थात देश के दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को आरक्षण का लाभ देना। इन वर्गों के साथ प्रमुखत: इसलिए भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने एक विशेष धर्म को स्वीकार किया, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिन्होंने सिख धर्म या बौद्ध धर्म अपनाया है, उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है, परन्तु जिन लोगों ने ईसाई या इस्लाम अपनाया है, मात्र उन्हें ही आरक्षण लाभ नहीं दिया जा रहा है। सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। मुझे खेद है राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है।

विद्युत आवंटन के संबंध में राज्यों की यह शिकायत रही है कि केन्द्र के गैर-आवंटित हिस्से में से विशेषकर केरल जैसे विद्युत की कमी वाले राज्यों को एक समान वितरित नहीं किया जा रहा है। समय की कमी के कारण मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के 40 मिलियन छोटे और सीमा व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की क्या क्या आवश्यकता है? यह उच्च प्रौद्योगिकी या उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है। सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए।

जहां तक परमाणु करार का संबंध है, सरकार ने घोषणा की है कि वह परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। इसके विभिन्न पहलू हैं, परन्तु समयाभाव के कारण मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, मेरा निवेदन है कि भारत जैसे बहुदलीय प्रजातंत्र में सरकार को सभी संबंधित पक्षों को साथ ले कर चलना चाहिए। प्रधान मंत्री सर्वसम्मति में विश्वास रखते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सभी संबंधित पक्षों की भावनाओं और दृष्टिकोण का आदर करें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कृषि क्षेत्र का उल्लेख किया गया था। किसानों के ऋण माफ किये जाने की घोषणा की गई है। यह बहुत अच्छा निर्णय दें और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। इसके साथ ही सरकार को कृषि ऋण पर ब्याज की दर में भी कमी की घोषणा करनी चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में किसानों को इससे लाभ नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त, फसलोत्तर कार्यों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा करके ही हम देश के किसानों के कृषि उत्पाद में मूल्यवर्धन कर सकते हैं। मध्याह्न भोजन सर्वशिक्षा अभियान का अतिमहत्वपूर्ण भाग है। इसे आठवीं कक्षा तक बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा करके ही हम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सार्वभौमिकीकरण कर सकते हैं।

सरकार अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रही है। सरकार द्वारा भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कई बार राज्यों को हानि होती है। केन्द्र सरकार ऐसे मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करते समय प्रभावित होने वाले राज्यों, विशेषकर केरल जो नकदी फसल एवं मसालों का उत्पादन करते हैं, के साथ परामर्श नहीं करती है। मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किये जाने की बात की जाती है, परन्तु प्रभावित राज्यों को प्रतिपूर्ति किये जाने की बात नहीं की जाती है।

सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम एन.आर.ई.जी.ए. कार्यक्रम पुन: निर्धारित करना होगा ताकि छोटे और सीमांत किसानों के जोतों में किये जाने वाले कार्यों को शामिल किया जा सके जिससे कि कृषि उत्पाद में वृद्धि की जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। हमारे पास समय नहीं हैं। जो बोलना चाहते हैं वे एक या दो मिनट तक बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति महोदय, आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, श्री अजीत जोगी जी के प्रस्ताव पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी मैं अपने पूर्व वक्ताओं की बात सुन रहा था। इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत ही गम्भीर चिन्ताओं के प्रश्न उठाये गये हैं, जिन पर इस सरकार को गौर करना चाहिए। यह अभिभाषण इस वर्तमान लोक सभा का शायद आखिरी राष्ट्रपति का अभिभाषण है। इसमें इस बात की साफ झलक मिलती है कि जो अभिभाषण है, वह एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट न होकर के सरकार का प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाई पड़ता है। जहां तक हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है पिछले साठ साल हो गए हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी समय पर सत्ता में रही हैं। उन्होंने इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए नीतियों पर कार्य किया है। लेकिन यह सच है कि जो हिन्दुस्तान के विकास का कार्य है, उसकी शुरुआत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के माध्यम से होती। मुझे लगता है कि अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम वर्तमान यूपीए सरकार ने अभिभाषण के माध्यम से सामने रखने का कार्य किया है। उन प्रोग्राम के सहारे यह सरकार अपने आपको जनता में लोकप्रिय करना चाहती है। लेकिन मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि जो प्रोग्राम आपने बनाए हैं, उनके अंदर डाउन रिजल्ट तक पहुंचने की क्षमता बहुत कम है। यह खाली आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकता है। आज भी पूरा का पूरा सिस्टम एक चैरिटी नोट पर काम कर रहा है। हिन्दुस्तान के आदमी के जो मौलिक अधिकार हैं, सूओ मोटो जो राइट्स उसको मिलने चाहिए, हमारा पूरा डिलीवरी सिस्टम उसको उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा है। आपके ये सारे प्रोग्राम्स भी उसी डिलीवरी सिस्टम की कमजोरियों के शिकार हुए हैं। आपने इस बात के लिए कहा है कि नौ परसेंट आर्थिक विकास की दर आपने प्राप्त की है, लेकिन मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि यह आपका भ्रम है। यह ग्रोथ रेट इन्क्लूसिव है, यह भ्रम है, यह डाक्यूमेंट के अन्दर मैंशन किया गया है।

सच्चाई तो यह है कि चाहे मीडिया हो, चाहे समाज में चर्चा होती हो, सब जगह पर आज इस बात का जिक्र हो रहा है कि हिन्दुस्तानियों का एक बहुत छोटा हिस्सा, जो सर्विस सैक्टर है,

सेवा क्षेत्र है, उसका तो विकास हो रहा है, उसकी पूंजी बढ़ रही है, लेकिन जो प्राइमरी सैक्टर है, उसकी पूंजी घटी है। जो भारत का इकोनोमिक सर्वे आया है, उसमें हमने देखा है, उसकी विकास की दर घटी है, उसकी पूंजी घटी है। यह इन्क्लूसिव ग्रोथ नहीं है और यह बहुत बड़ा धोखा है। यह विकास हिन्दुस्तान के थोड़े से, सिर्फ कुछ लोगों का विकास है, हिन्दुस्तान के खाली एक हिस्से का विकास हो रहा है। जो लोग पहले ही एम्पावर्ड हैं, उनकी तरक्की हो रही है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, उनकी हैसियत बढ़ रही है, उनका राजनैतिक प्रभाव बढ़ रहा है। आज इस बात का असर पूरे हिन्दुस्तान में दिखाई पड़ने लगा है कि हिन्दुस्तान के दीगर प्रान्तों में एक नई समस्या जन्म ले रही है। जिन लोगों की चेतना अधूरी है, जो पूरे हिन्दुस्तान की भावनाओं से जुड़े नहीं हैं, उनको लगता है कि दूसरे क्षेत्र के निवासी हमारे क्षेत्र में आकर लाभ उठा रहे हैं और हमारे लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप देख सकते हैं कि अभी कई सदस्य बोलने के लिए रहते हैं। हमें इस वाद-विवाद को आज समाप्त करना है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: मेरे दल का समय अभी बचा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपके दल ने निर्धारित समय से दो गुणा समय लिया है। उसके बाद भी आप आगे बोलना चाहते हैं। बोलने की एक समय-सीमा है। प्रत्येक दल और समय मांगेगा। मैं समय को कैसे समायोजित कर सकता हूं? कृपया अब समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा: इस डाक्यूमेंट में कहीं भी इस बात का इन्द्राज नहीं है कि हिन्दुस्तान के अन्दर आज भी जैसाकि एन.एस.एस.ओ. की रिपोर्ट दो दिन पहले आई थी, बहुत बड़ी तादाद में आज देश की बड़ी आबादी 15 से 20 रुपये रोज की आमदनी पर जी रही है और जो जिंदगी वे जी रहे हैं, वह मौत से बदतर जिंदगी है। आज भी हिन्दुस्तान के अन्दर 6 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, जिनको उनके मौलिक अधिकार मुहैया नहीं हैं। वे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। आज भी करोड़ों हमारी बहनें ऐसी हैं, जो बाजार के हवाले कर दी जाती हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए। ईश्वर की कृपा से मैं यहां बैठा हूं और आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं। आपके दल का समय पहले ही समाप्त हो चुका है। आपका दल निर्धारित समय से अधिक समय ले चुका है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: मेरे दल का समय अभी बचा है।

सभापति महोदय: नहीं, आपका दल दोगुना समय ले चुका है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: परंतु मुझे कुछ और बताया गया है।

सभापति महोदय: ठीक है। आप बोलिए और अब समाप्त कीजिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो स्थिति सामने आई है, वह यह है और मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि जो आपका सपना है, हिन्दुस्तान के अन्दर दो डिजिट डैवलपमेंट लाने का, वह तब तक पूरा नहीं हो पाएगा, जब तक आप हिन्दुस्तान के अन्दर से जाति प्रथा समाप्त नहीं कर देते। जाति प्रथा दासता का दूसरा रूप है और केवल इसी के कारण हिन्दुस्तान के अन्दर आदमी अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में लॉकिंग के शिकार हुए हैं। उसको अनलॉक करना होगा, उसको बराबरी का हक देना होगा। मेरा यह दावा है कि जब तक हिन्दुस्तान के अन्दर समग्र प्रयास करके, नीतियों से प्रयास करके और पोजिटिव एफर्ट करके जो डिस्पैरिटी है, जो सामाजिक विषमताएं हैं, जो जातियों की स्थिति है, अगर इसे आप समाप्त नहीं कर पाएंगे तो कभी भी आप नौ परसेंट की ग्रोथ आगे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप एक ऐसे चक्र में फंस चुके हैं, जहां से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा।

मैं इस बात पर आगाह करना चाहता हूं कि आज समाज बंट रहा है, गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ रही है, लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। आप खुश हो सकते हैं, मुझे कभी-कभी लगता है कि आपका जो डाक्यूमेंट है, उसमें वही झलक मिलती है, जो आपकी पूर्ववर्ती सरकार थी, वह साइनिंग इंडिया और फील गुड के सपने देख रही थी। हम जमीन की, धरातल की सच्चाइयों को नकार कर नहीं चल सकते।

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मणि चारेनामै।

कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री रवि प्रकाश वर्मा, कृपया अब समाप्त कीजिए। समय नहीं बचा है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: कृपया मुझे अपना संरक्षण दीजिए। मैं समाप्त कर रहा हूं, महोदय।

[हिन्दी]

जो खेती की स्थिति है, मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। इसे आपके सामने पहले भी लाया गया है। आपने थोड़ा कंसीडर किया है, आपने कुछ लोगों का ऋण माफ किया है, लेकिन उसमें बड़ी समस्यायें हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस पालिसी को आप एग्जीक्यूट करेंगे, उससे आज किसानों को केवल डिवाइड करने का कार्य करेंगे। किसान जो हिंदुस्तान के रीढ़ की हड्डी है, उसने हिन्दुस्तान को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर किया है। उस किसान के साथ यह बहुत बड़ी नाइंसाफी है। सच्चाई यह है कि आज हिंदुस्तान में डेढ़ लाख से भी ज्यादा काश्तकार आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक हिन्दुस्तान के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर का किसान आंदोलन पैदा नहीं हो सका जिससे यह सरकार, यह हाउस उसकी काग्नीजेंस लेती कि किसानों की जो समस्यायें हैं, वे कहीं ज्यादा गहरी हैं। मैं समझता हूं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब, श्री मणि चारेनामै बोलना शुरू कर सकते हैं।

*...(व्यवधान)**

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर): उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय: अब, यह संभव नहीं है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: मुझे समाप्त करने दीजिए महोदय।

सभापति महोदय: इस समय भी आप अपने आपको नियंत्रित नहीं करना चाहते। इस समय शाम के 7.30 बज चुके हैं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: मेरे दल का समय रहता है।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान आज की तारीख में सबसे ज्यादा जुवेनिल नौजवानों का देश है। मुझे लगता है कि जो चीज हमसे मिस हो गयी है, वह यह है कि आज की तारीख में हमारे हिन्दुस्तान से विश्व स्तर के प्रोफेशनल्स पैदा करके उनको पूरे हिन्दुस्तान और पूरी धरती पर भेजने की पालिसी हो। *...(व्यवधान)*

*अभिभाषण में शिक्षा पर खर्च बढ़ाने की बात की गई है, परन्तु शिक्षा को लाजमी बनाने का प्रश्न कई वर्षों से रुका हुआ है उस पर संबोधन नहीं किया गया है। भारत वर्ष में विषमताएं समाप्त करने के लिए सामान्य विद्यालयी शिक्षा प्रणाली की जरूरत है जिस पर कुछ नहीं कहा गया है।

हिन्दुस्तान को एक बाजार से चलने वाली अर्थव्यवस्था में तब्दील किया जा रहा है, परंतु उपभोक्ता चेतना की उपेक्षा की जा रही है। हिन्दुस्तान के करोड़ों उपभोक्ता आज बाजार की दया पर जी रहे हैं। उन्हें सक्रिय उपभोक्ता बनाने के प्रयास नहीं किये जा रहे और इस पर अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

देश में जो नई राजनीतिक परम्पराएं जन्म ले रही हैं वे चिंताजनक हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर शपथ लेने वाले क्षेत्रवाद तथा आपसी नफरत के सहारे राजनीति कर रहे हैं, अभिभाषण में इस पर कोई जिक्र नहीं किया गया है।

शासन चलाने के स्तर में गिरावट आ रही है। आतंकवाद की समस्या, आंतरिक सुरक्षा की समस्या बढ़ रही है, परन्तु सरकार इसे संभाल पाने में विफल हो रही है। न्याय दिला पाने का तंत्र विफल हो रहा है। अभियोजन दर बहुत नीचे गिर गया है, उसे कम से कम 50% तक पहुंचाने का संकल्प अभिभाषण में दिखाई नहीं पड़ा है।

हिन्दुस्तान के सभी पड़ोसी देश गरीबी एवं अशिक्षा के शिकार हैं। हिन्दुस्तान के आर्थिक विकास के साथ सभी पड़ोसियों को आगे बढ़ाने का उपक्रम किया जाना चाहिए ताकि प्रतिक्रियावादी तत्वों का दमन हो सके। नेपाल में स्थित हिमालय पर्वत से कई लाख मेगावाट बिजली प्राप्त की जा सकती है तथा बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है। इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

भारत वर्ष के सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए लखनऊ, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, रेल लिंक वाईआर ब्राडगेज में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है ताकि विकास की सभी संभावनाओं पर कार्य हो सके।

पश्चिम यूरोप से चल कर मध्य पूर्व होते हुए हिन्दुस्तान से चलकर दक्षिण पूर्व एशिया तक एक रेल गलियारे (अंतर्राष्ट्रीय) की आवश्यकता बढ़ रही है, जो हिन्दुस्तान के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ा सके परंतु इस पर कुछ नहीं कहा गया है।*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप सामान्य बजट पर चर्चा के दौरान इन सभी मामलों के बारे में बोलने के लिए अपने दल से अनुमति ले सकते हैं। एक और चर्चा होने जा रही है। आप अपने दल की अनुमति से उस समय यह चर्चा कर सकते हैं। बजट पर सामान्य चर्चा होनी है। यह इसका अंत नहीं है।

अब श्री मणि चारेनामै बोलना शुरू कर सकते हैं।

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर): आपका धन्यवाद।

मैं माननीया राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सर्वप्रथम, मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है। मैं एक निर्दलीय सदस्य हूं। अत: मुझे थोड़ा अधिक समय मिलना चाहिए। मुझे संसद में बोलने के ऐसे बहुत कम अवसर मिलते हैं जबकि मैं अपने लोगों के लिए यहां जो कुछ कहना चाहता हूं, वह कह पाऊं।

हमने यहां माननीया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अनेक सदस्यों के भाषण सुने हैं। हमें इस बात की खुशी है कि जनजातियों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए बहुत से उपाय किये जा रहे हैं। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री जी हमारे साथ हैं। वे इनका ध्यान रख रहे हैं और उनका मंत्रालय इसका अवसर प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया है कि पूर्वोत्तर के जनजातीय लोगों को दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में महत्व प्रदान नहीं किया जाएगा। कुछेक जनजातीय समूह लगभग 40-50 समूह ऐसे हैं, जो पिछले 20-30 वर्षों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिन्हें दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है।

कुछ जनजातियां मान्यता प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रही हैं और उनमें से सूची में कुछ जनजातियों के गलत नाम शामिल हो गए हैं। वे इस बात से बहुत नाराज हैं और सूची में सही नाम डाले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनका उल्लेख किया गया है और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

एक अन्य बात, अर्थात नागा लोगों का मुद्दा, बहुत महत्वपूर्ण है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मुझे अत्यंत खेद है कि ज्वलंत नागा मुद्दे के संबंध में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी नहीं कहा गया। नागा लोगों की मांग है कि वे एक प्रशासन के अधीन रहना चाहते हैं। परन्तु उनकी इस मांग की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

भारत सरकार और नागा पीपल्स कन्वेंशन के बीच हुए 16-सूत्री समझौते में यह स्पष्ट उल्लेख है कि यदि नागा लोग ऐसा चाहते हैं तो ऐसा किया जाएगा। इसके साथ ही वर्ष 1972 में नागा इन्टेग्रेशन काउंसिल और एआईसीसी के बीच हुए समझौते में यह घोषणा की गयी थी और इस बात पर सहमति हुई थी कि नागा आंदोलन असंवैधानिक नहीं है, यह अवैध नहीं है, बल्कि यह संविधान सम्मत है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मणि चारेनामै: मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया है कि मुझे बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने हैं।

नागा लोगों में परस्पर फूट डाल कर उनके साथ अलग-अलग तरह का व्यवहार किया गया है। नागालैंड में रहने वाले नागाओं को स्थानीय भूमि पर विशेषाधिकार, संस्कृति और पहचान बनाये रखने की अनुमति है। उन्हें अपनी पहचान और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। परन्तु असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में रहने वाले नागा लोगों का क्या होगा? उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया गया है। उनके साथ पृथक-पृथक तरह से भेदभाव किया जाता है। नागा लोगों की मांग बहुत उचित है। नागा लोगों की लोकतांत्रिक और वास्तविक आकांक्षाओं पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि नागा लोगों के इन मुद्दों पर शीघ्रातिशीघ्र किसी तर्कसम्मत निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। हम दस वर्ष से भी अधिक समय से शांति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नागा लोग—सभी महिलाएं, सभी परिवार और सभी गिरजाघर—हमारे क्षेत्र में स्थायी रूप से शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस पर ध्यान दिया जाए।

सभापति महोदय: श्री राठौड़ जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के बहुत से सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है। आपको काफी अधिक समय दिया गया है। कृपया दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

***डा. बाबू राव मीडियम** (भद्राचलम): सर्वप्रथम, मैं 25 फरवरी, 2008 को भारत की माननीया राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। महोदय, अभिभाषण में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख नहीं किया गया। मैं इसके लिए यूपीए सरकार की गलती मानता हूं। ऐसा ही एक मुद्दा है स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी। हमारे देश को आजाद हुए छह दशक बीत चुके हैं, लाखों लोगों ने संग्राम में हिस्सा लिया और गुलामी की जंजीरें तोड़ीं। यह जानकर बहुत दु:ख होता है कि अभी भी कुछ भाग्यहीन लोग सैनिक सम्मान पेंशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे अपने राज्य आंध्र प्रदेश से लगभग 4-5 हजार आवेदन अभी भी लंबित हैं। स्वतंत्रता सेनानी दयनीय जीवन जी रहे हैं क्योंकि शासक वर्ग उन्हें सहारा नहीं दे रहा है, जो स्वतंत्रता का सुख भोग रहा है। एक ओर अपात्र लोगों को गलत रूप से पेंशन दिये जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी बिना भोजन, समुचित स्वास्थ्य चिकित्सा, घर आदि के कष्ट भोग रहे हैं... यह सरकार के लिए शर्मनाक और अमानवीय है जो आज तक उन्हें पेंशन नहीं दे रही है। मेरा सरकार को सुझाव है कि वह सभी प्रतीक्षारत आवेदकों को पेंशन मंजूर करे क्योंकि वे 4-5 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेंगे।

एक और मुद्दा जिसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है वह देश में बेरोजगार युवाओं की स्थिति है। यद्यपि अभिभाषण के तीसरे पैरे में समावेशी विकास की बात की गई है, बेरोजगार युवाओं को आजकल उचित नौकरी नहीं मिल रहा है। आर्थिक विकास 9% से अधिक होने के बावजूद लोगों के पास काम नहीं हैं अथवा अल्प रोजगार में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए, आजकल नौकरियां केवल ठेके के आधार पर, अस्थायी और कम वेतन वाली मिलती हैं। अत: यूपीए सरकार 2004 के दौरान न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किये गये वायदे पर ध्यान दे और अपने वायदे को पूरा कर बेरोजगार युवाओं की सहायता करे।

देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की स्थिति संतोषजनक नहीं है, यद्यपि सरकार भारत निर्माण के बारे में बात करती है, फिर भी अ.जा., अ.ज.जा. के 50% गांवों में पीने का पानी, सड़कें, बिजली और टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जनजातीय महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और उनके उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। दोषियों पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यद्यपि पैरा 34 में भारतीय रेल के कार्यनिष्पादन का उल्लेख है, परन्तु सुविधाओं और रेल सम्पर्क पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। अल्पविकसित क्षेत्रों और रेल जोनों के बीच बहुत भेदभाव बरता जाता है। मंत्रालय सरकारी-निजी सहभागिता में काफी दिलचस्पी दिखा रही है, चाहे वह समर्पित फ्रेट कॉरीडोर हो अथवा नई रेल लाइनों का निर्माण। मेरा सुझाव है कि रेलवे को लाभ के समान वितरण पर कार्य करना चाहिए जिससे कि देश के सभी हिस्सों में रेल सम्पर्क की व्यवस्था हो सके।

यह प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया। मैं संबंधित मंत्रालय को इसके लिए बधाई देता हूं। तथापि, यूपीए सरकार गांधी तथा उन के आदर्शों की अवहेलना कर रही है। यह बात देश में बड़े पैमाने पर हो रही आतंकवादी गतिविधियों में परिलक्षित होती है। सरकार स्वयं भी सरल जीवन पर ध्यान नहीं दे रही है जिसका पाठ गांधीजी पढ़ाते थे। असहिष्णुता की अभूतपूर्व घटनाएं चाहे वह सांप्रदायिक हो अथवा राजनीतिक, अन्ध-देशभक्ति की घटनाएं बढ़ी हैं। सरकार दबे-कुचले वर्ग पर ध्यान नहीं दे रही है और वे आर्थिक शोषण, गरीबी और अज्ञानता का शिकार हो रहे हैं। सरकार को गरीबी और शोषण को दूर करने के लिए योजनाओं में समन्वय स्थापित करना चाहिए।

यह एक विडम्बना है कि यूपीए सरकार ने विधायिका में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने हेतु केन्द्रीय विधान लाने का वायदा किया था और पहली बार भारत की राष्ट्रपति एक महिला हैं परन्तु माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस महत्वपूर्ण विधान का उल्लेख नहीं है कि महिलाओं को कानूनी अधिकार प्रदान किया जाए। राजनैतिक मतभेदों और क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर कई वर्षों से भारतीय महिलाओं की यह मांग रही है।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): सभापति महोदय, मैं भारत के राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में कहना चाहता हूं। अभिभाषण में कहा गया है कि सामाजिक रूप से यह समावेशी सरकार का इरादा है। लेकिन मैं इसी सदन में कई बार बोल चुका हूं कि इस देश में 15 करोड़ डीनोटिफाइड ट्राइब्स और नोमैडिक ट्राइब्स के लोग हैं। उनका नाम कभी इस संसद में नहीं आया। मैं सोच रहा था कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उनका उल्लेख होगा। वे लोग पिछले 50-60 सालों से नेगलैक्टेड हैं। हम शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, माइनॉरिटीज और मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन उन

15 करोड़ लोगों के लिए कोई प्रोवीजन नहीं है। उनका कोई ठिकाना नहीं है, उनका कोई नाम नहीं लेता। फिर इस देश में उनका कल्याण कैसे होगा? सामाजिक रूप से बोला जाता है कि ये समावेशी हैं। यह गलत है। केवल उन्हें सपना दिखाया जा रहा है। लेकिन सपना कभी सच नहीं होता। इस अभिभाषण द्वारा सरकार का जो इरादा है, उसमें केवल सपना दिखाया जा रहा है।

अभी कृषि लोन के बारे में जो निर्णय हुआ है, परसों मैंने श्री शरद पवार जी को बताया कि यह गलत निर्णय हुआ है। केवल 40 प्रतिशत लोगों को इसका फायदा मिला है और 60 प्रतिशत लोगों को फायदा नहीं मिला है। आप बेकार में इस बारे में इतना ढोल बजा रहे हैं। आपको लगता है कि चुनाव हैं। आप कैसे चुनकर आएंगे? 60 प्रतिशत लोग आपके विरोध में जाएंगे। 60 प्रतिशत लोगों को फायदा नहीं हुआ है तो आप चुनाव कैसे जीतेंगे, आप कैसे ढोल बजा रहे हैं। आप यह गलत काम कर रहे हैं। महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। महंगाई बढ़ी है और बढ़ने वाली है। माननीय मंत्री जी आ गए हैं। मंत्री जी, आपका इरादा बहुत अच्छा है। ...*(व्यवधान)* आपका इरादा नेक है, लेकिन आपकी स्कीम टोटली फेल्योर हुई है। ...*(व्यवधान)* जितना पैसा ग्राम पंचायतों को दिया गया है, वह पैसा खर्च नहीं हो रहा है। ...*(व्यवधान)* कोई काम चालू नहीं है। आप उसे देखिए। आपका इरादा जरूर अच्छा है, लेकिन आपकी स्कीम फेल हुई है। ...*(व्यवधान)* मैंने आपको बार-बार कहा था कि स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना आपने क्लब कर दी है। जिला परिषद के लोग हमारे कार्यकाल में पन्द्रह-पन्द्रह लाख का काम करते थे लेकिन अब जिला परिषद के सदस्य द्वारा एक पैसे का भी काम नहीं किया जा रहा। पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, वे कोई काम नहीं करते हैं। आपने केवल इलैक्शन को सामने रखते हुए जो प्रोपोगंडा किया है, वह चार दिन में सारा ओपन हो जायेगा। ...*(व्यवधान)* गांव में आज बिजली नहीं है। वहां गरीबी है, बेरोजगारी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करें। मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़: हम लोगों की आवाज यहां उठाने आये हैं। ...*(व्यवधान)* ऐसा नहीं है। ...*(व्यवधान)* लोगों ने हमें चुनकर भेजा है क्योंकि उनकी आवाज यहां बुलंद हो। केवल क्षेत्र की बात नहीं है। पूरे देश की आवाज यहां उठानी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में श्री आठवले के भाषण के अलावा कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हम सब लोग यहां चर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी और विरोधी दल के लोग बहुत सारे विषयों में एकतम न होते हुए भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एकमत होते हैं। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर विरोधी पक्ष के नेता भी धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। यह भारत के लोकतंत्र की गौरवशाली परम्परा है। हमारे लिए यह वर्ष अभिमान का इसलिए है क्योंकि हम मराठी भाषी हैं और हमारी राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी भी मराठी हैं। मराठी भाषी होने के बावजूद उन्हें यह बहुत बड़ा पद मिला था। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी का यह पहला अभिभाषण था, लेकिन हमारा यह भाषण सुनने का आखिरी वर्ष था क्योंकि चौदहवीं लोक सभा का यह अंतिम अभिभाषण है। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब सर्वोच्च पद पर मराठी भाषी प्रतिभा पाटिल जी आई, तभी मुम्बई शहर में हिन्दी भाषी लोगों का विरोध किया गया। यह बात अच्छी नहीं है। हमारी रिपब्लिकन पार्टी, बाबासाहेब अम्बेडकर जी को मानने वाली पार्टी है, लोकतंत्र के संविधान को मानने वाली पार्टी है। मुम्बई में कुछ लोगों ने हिन्दी भाषी लोगों का विरोध किया होगा, लेकिन हमारी पार्टी ने भूमिका ले ली थी कि भूमि पुत्रों को न्याय मिलना चाहिए। भूमि पुत्रों और वहां रहने वाले मराठी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। उनको उनका हक मिलना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहां रोजी-रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो 50 साल से वहां रहते हैं, उनको मुम्बई में रहने का अधिकार नहीं है। इस भूमिका का रिपब्लिकन पार्टी ने बहुत कड़ा विरोध किया था। मराठी भाषी लोग दिल्ली में भी रहते हैं। अभी लोग छठ पूजा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने उनको बोला कि अगर मुम्बई में बिहार के लोग आकर छठ पूजा करते हैं, तो हमारे मराठी लोग दिल्ली में गणपति उत्सव मनाते हैं। हमारा कहना है कि नैशनल इंटीग्रिटी को इस तरह खतरा पैदा करना कोई अच्छी बात नहीं है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रामदास आठवले]

भी उसका विरोध किया है। यह अच्छी बात है लेकिन खाली विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। उन्हें चंद्रकांत खैरे की पार्टी को छोड़ने की आवश्यकता है। इस भाषावाद को खत्म करना चाहिए। अगर इसी तरह भाषावाद चलता रहेगा, तो केरल में रहने वाले हमारे जो मराठी भाई हैं, उसी तरह केरल के बहुत से लोग जो मुम्बई में रहते हैं, उनको परेशानी हो जायेगी। इसी तरह कन्नड़, तमिल, हिन्दी भाषी और गुजराती लोग भी मुम्बई में रहते हैं। हमारे महाराष्ट्र के 10-15 लाख लोग गुजरात में रहते हैं ...*(व्यवधान)* गुजराती भाषा के लोग भी मुम्बई शहर में रहते हैं। मिस्त्री जी और उनके रिलेटिव्स हमारे यहां रहते हैं और हमारे रिलेटिव्स उनके यहां रहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: लगभग 10 लाख से 15 लाख मलयाली मुम्बई में रहते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: इस भाषावाद को खत्म करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है इसलिए मेरी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। दूसरा अपने देश में सामाजिक और आर्थिक समानता को प्रस्थापित करने का ऐलान भारत के संविधान ने किया है, मगर आज भी सामाजिक और आर्थिक अन्याय जगह-जगह पर हो रहा है। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। देश में बीपीएल लोगों की संख्या 23 प्रतिशत है, उनको ऊपर उठाने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि बीपीएल लोगों को ऊपर उठाने के लिए केरल ने बहुत प्रयत्न किया है। भारत सरकार भी बहुत से प्रयत्न इसके लिए कर रही है। रघुवंश प्रसाद जी रोजगार गारंटी स्कीम को देश के सभी जिलों में लेकर आए हैं। इस तरह गरीबी हटाने का प्रयत्न हो रहा है, लेकिन गरीबी हट नहीं पा रही है। हमने कई बार कहा है कि बहुत से लोग ऊपर जा रहे हैं। जो लोग नीचे रह गए हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए जरूरी है कि जो लोग ऊपर जा रहे हैं, उनको थोड़ा नीचे लाया जाए। इसके लिए नीचे के लोगों को थोड़ा ताकत देने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं आपके विचार की सराहना करता हूं और आपसे पूरी तरह सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: सभापति जी मुझे थोड़ा समय दीजिए। आप मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं उन लोगों के पीछे पड़ा हूं। मेरी पार्टी छोटी है, लेकिन मेरे पीछे बहुत से लोग हैं। मैं यह सोचता हूं कि अकेले होने की वजह से मुझे ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनकर लाने का हम प्रयत्न करने वाले हैं। आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हम उनको विरोधी दल का नेता बनाने का सपना देख रहे हैं, हमारा यह सपना सच होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। इस तरह हम गरीबों को आगे लाना चाहते हैं। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का हार्दिक स्वागत और समर्थन करता हूं, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस तरह भारत को मजबूत बनाने के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: बजट पर चर्चा के दौरान आपको बोलने के लिए अधिक समय मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: महोदय, मैं अपने भाषण का शेष हिस्सा टेबल पर रखता हूं। इसके साथ मैं राष्ट्रपति जी का इस अभिभाषण के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***महोदय, कृपया मेरे भाषण से आगे के बिंदु पटल पर रखने की अनुमति प्रदान करें। कृषि सिंचाई और जल संसाधनों के लिए 10वीं योजना में 46,131 करोड़ से बढ़ाकर 11वीं योजना में 1,38,548 करोड़**

एस सी छात्रवृत्ति (30 लाख छात्र)	-	900 करोड़
एसटी छात्रवृत्ति (10 लाख छात्र)	-	225 करोड़
अमरकंटक (मध्य प्रदेश)	-	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापना की घोषणा

अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम से वनभूमि को पुन: प्रदान किया है।

न्यूनतम मजदूरी 66 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपया की है। मेरी मांग है 150 रुपये किया जाये।

असंगठित क्षेत्र के 37.5 करोड़ गरीबों के लिए असंगठित सेक्टर सुरक्षा विधेयक 2007 प्रस्तुत किया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

---

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

आम आदमी बीमा योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा आश्रम पेंशन स्कीम

ग्राम न्यायालय स्थापित करने का संकल्प

अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री जी का 15-सूत्री कार्यक्रम

सच्चर समिति रिपोर्ट की सिफारिशें मंजूर की गयी हैं।

पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति 11वीं योजना में 800 करोड़

मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति 11वीं योजना में 3300 करोड़

90 अल्पसंख्यक जिले के लिए 3780 करोड़

राष्ट्रीय बचत अधिकार संरक्षण आयोग गठित किया है।

2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियां चल रही हैं।

युवा खेल और अभियान शुरू होगा।

क्रिकेट जिता दिया है।

सभी खेलों में एससी/एसटी के लिए आरक्षण हो।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2008 से 330 से सभी जिले में लागू हो गया है।

2008 तक 2.7 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया।

सर्वशिक्षा अभियान 6000 उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल

30-केन्द्रीय विश्वविद्यालय

370-नये विश्वविद्यालय

07-भारतीय प्रबंधन संस्थान

पूणे में-भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान

नागपुर परमाणु बिजली संस्थान की भूमि उच्च राष्ट्र को समर्पित किया गया।

गरीबी हटाने के लिए हाल में भूमिहीनों को 5 एकड़ जमीन

आरक्षण जनरल सेट्स उच्च वर्गों को 20% आरक्षण

एससी/एसटी दो प्रतिशत आरक्षण बढ़ाओ

गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दीजिए दस प्रतिशत आरक्षण मासिक

भ्रष्टाचार खत्म करो

मुम्बई में हिन्दी का विरोध

पटना में मराठी का विरोध*

[अनुवाद]

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई** (शिवकाशी): यह वार्षिक परम्परा है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित करते हैं जिसमें सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख होता है। इस वर्ष हमने देखा है कि गत चार वर्षों के दौरान सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों द्वारा जो बातें कही गई हैं वे ही बातें कुल मिलाकर इस अभिभाषण में कही गई हैं। इस अभिभाषण में कुछ भी उल्लेखनीय अथवा प्रशंसनीय नहीं है। यद्यपि देश के सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति पद पर एक महिला विराजमान हैं तथा सत्तारूढ़ गठबंधन के कांग्रेस दल की अध्यक्षा भी एक महिला हैं, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से अपेक्षित महिला आरक्षण विधेयक को कानून में परिणत करने तथा उसके कार्यान्वयन के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडलों, दोनों में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 1945 में पूरे विश्व में विधायिका में केवल 3% महिलाएं थीं। 2005 में, महिला प्रतिनिधित्व बढ़कर 16% हो गया। लेकिन चौदहवीं लोक सभा में भारत में केवल 8.5% महिला प्रतिनिधि हैं। इस कमी को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। कृषकों, जो कि इस देश की रीढ़ हैं, के लिए अब सरकार ने घोषणा की है कि लगभग 60,000 करोड़ रु. का ऋण माफ किया जाएगा। आज किसानों को सिंचाई की आवश्यकता है। यह अति आवश्यक है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में नदियों को जोड़ने के संबंध में हमें कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता। तमिलनाडु को दक्षिण की नदियों को जोड़ने के बाद ही सिंचाई के लिए पानी प्राप्त हो सकता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के कारण तमिलनाडु की पहले ही उपेक्षा हो रही है। लेकिन कोई राहत की किरण नजर नहीं आती क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नदियों को जोड़ने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। हमारा संविधान राष्ट्रीय राजनीति का आधार है। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय के चार स्तम्ब हैं जिन पर हमारा संविधान खड़ा है और इसमें छः मौलिक अधिकार प्रतिष्ठापित हैं जिसमें बोलने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे दिवंगत नेता अन्ना ने हमारे अंदर संविधान की इस भावना को भरा है, लेकिन अब तमिलनाडु में इस मौलिक अधिकार को नकारा जा रहा है। उक्त अधिकार के वक्ताओं पर हमला किया जाता है। उनके विरुद्ध झूठे मामले दर्ज किये जाते हैं। डाक्टरों द्वारा उनकी देखभाल किये जाने के स्थान पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। यह लोकतंत्र का मजाक है। मैं केन्द्र सरकार से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। इस वर्ष का राष्ट्रपति का अभिभाषण बिल्कुल सारहीन है क्योंकि इसमें कुछ भी संतोषप्रद एवं प्रशंसनीय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय, संसद के दोनों सदनों में हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं, बोडोलैंड के 30 लाख लोगों की तरफ से अपने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यद्यपि मैं सरकार की कुछ नीतियों का समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की आलोचना भी करता हूं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मुद्दों का उल्लेख नहीं है जिन्हें उनके अभिभाषण में होना चाहिए था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए, विशेष रूप से हमारे और बोडोलैंड एवं सम्पूर्ण असम के लिए सदियों से अब तक कोई व्यवहार्य नई नीतियां नहीं अपनाई गई हैं। मुझे यह जानकारी मिली है कि संप्रग सरकार ने देश में तीस नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। लेकिन यह कहा गया है कि इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को उन राज्यों में स्थापित किया जाएगा जहां कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। मैं सरकार की इस भेदपूर्ण नीति का विरोध करता हूं। इस तरह के मापदंड लागू करने से जनजातीय क्षेत्रों में नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से जनजातीय लोग वंचित रह जाएंगे। आज, इस सभा के माध्यम से, मैं सरकार से अपने बोडोलैंड में बोडोलैंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की अपील करता हूं। इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय के साथ-साथ, बोडोलैंड में शिक्षा के विकास के लिए मैं एक आईआईटी, एक आईआईएम, एक स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईस, एडुकेशन एंड रिसर्च, कुछ अच्छी गुणवत्ता वाले कॉलेज, कुछ माडल विद्यालयों और कुछ जेएनवी स्कूलों की स्थापना की मांग करता हूं। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि बोडोलैंड क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिक धनराशि प्रदान करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष केवल 100 करोड़ रु. प्रदान करती है। लेकिन यह राशि पर्याप्त नहीं है।

बोडोलैंड के लोगों के विरुद्ध यह बहुत बड़ा भेदभाव है। भारत सरकार बोडो माध्यम के प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों, जिनकी संख्या 2000 के करीब है, से संबंधित सभी कार्यों को शुरू करने में मदद करने हेतु असम सरकार को पर्याप्त राशि और अग्रिम के रूप में विशेष केन्द्रीय धनराशि क्यों नहीं आवंटित करती है। इस तरह की उपेक्षा के कारण लाखों बोडो विद्यार्थी पीछे रह गए हैं। इन विद्यालयों के कुछ शिक्षकों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और उनमें से कुछ सेवानिवृत्त होने वाले है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। चूंकि आप असम का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आपको मैंने थोड़ा ज्यादा समय दिया।

... मूलत: असमी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या समग्र विकास के संबंध में भारत सरकार की यही नीति है? बोडोलैंड क्षेत्र में एक भी हवाई अड्डा नहीं है।

[हिन्दी]

हमारे नार्थ-ईस्ट रीजन में और खासकर असम में बांग्लादेशी लोग जिस ढंग से आ रहे हैं उनको रोकने के लिए हिन्दुस्तान की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं।

[अनुवाद]

बेरोकटोक आने वाले प्रवासियों को रोकने हेतु भारत सरकार की क्या नीति है? मैं यहां भारत सरकार से वन भूमि पर रह रहे स्वदेशी आदिवासी लोगों के अहस्तांतरणीय अधिकारों के संरक्षण और रक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) विधेयक, 2006 की धारा (2) (ण) के प्रचालन क्षेत्राधिकार से पूर्वोत्तर राज्यों को हटाने की अपील करता हूं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। अब श्री मेन्या बोल सकते हैं।

***श्री सानुछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:** इसलिए, मैं मांग करता हूं कि बोडोलैंड के विकास के लिए, केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष 500 करोड़ रु. से 1000 करोड़ रु. तक की राशि प्रदान करना चाहिए। मैं भारत सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर करोड़ों बच्चों को शिक्षा देने हेतु कुछ नीतियां अपनायी हैं। लेकिन असम में क्या हो रहा है? सरकार द्वारा पांच सौ से भी अधिक बोडो माध्यम के उच्च विद्यालयों, एक हजार से अधिक बोडो माध्यम के प्राथमिक विद्यालयों और पांच सौ से अधिक बोडो माध्यम के माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालयों का अधिग्रहण किया जाना अभी बाकी है। इन विद्यालयों में काम कर रहे कुछ शिक्षकों का निधन हो चुका है और कुछ शीघ्र सेवानिवृत्ति होने वाले हैं। सरकार द्वारा इन विद्यालयों का कब तक अधिग्रहण किया जाएगा? इसलिए, महोदय मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि धनराशि की कमी के कारण राज्य सरकार पिछले कुछ दशकों से इन विद्यालयों का अधिग्रहण नहीं कर पाई है, केन्द्रीय सरकार को इन बोडो माध्यम के विद्यालयों के प्रांतीयकरण करने में सहायता करने के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम 100 करोड़ रु. की धनराशि प्रदान करनी चाहिए। इस तरह से, बोडो लोगों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी भेदभाव होता रहा है। यद्यपि बोडो भाषा को संविधान

... मूलत: असमी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है, बोडो माध्यम, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है, लुप्त होने के कगार पर है। बोडो भाषा और बोडो माध्यम की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जाने चाहिए।*

भारत सरकार असम सरकार को क्यों नहीं कहती कि वह अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 20,000 पदों को भरने हेतु, जो बकाया रिक्त पड़े हैं, उचित रूप से नीति-निर्णय करे। इस तरह से, भारत सरकार की निष्क्रियता के कारण असम में स्वदेशी जनजातीय लोगों के विरुद्ध बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। श्री मैन्या कृपया अपनी बात शुरू करें।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: हमारे असम में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी मेनटेन करने में सरकार विफल रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारी बोडोलैंड टैरेट्रियल कौंसिल की जो सरकार है उसको लॉ एंड आर्डर का सब्जैक्ट देने की जरूरत है और हमारे बोडोलैंड एरिया में लॉ एंड आर्डर को बनाये रखने के लिए एक सैपरेट पुलिस कमिश्नरी की व्यवस्था करने की जरूरत है। ...*(व्यवधान)* हमारे बोडोलैंड की जो टैरेट्रियल सरकार है, रिजर्व फॉरेस्ट सब्जैक्ट उसे नहीं दिया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट सब्जैक्ट को भी हमारी बीटीसी सरकार को प्रदान करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डा. टोकचोम मैन्या, क्या आप बोल रहे हैं?

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): जी हां, महोदय, मैं बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जोगा।

*...(व्यवधान)***

सभापति महोदय: श्री सानछुमा खुंगुर बैसिमुथियारी कृपया आप बैठ जाएं। डा. टोकचोम मैन्या आप बोल सकते हैं।

डा. टोकचोम मैन्या: माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे सहयोगी श्री अजीत जोगी द्वारा प्रस्तावित तथा श्रीमती कृष्णा तीरथ द्वारा समर्थित राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन करता हूं।

राष्ट्रपति महोदया द्वारा गत माह की 25 तारीख को दिये गये अभिभाषण के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी महिला राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित किया है। उनके द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अत्यन्त आभारी हैं। श्रीमती सोनिया गांधी की सक्षम देखरेख में हमारे माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार की उपलब्धियों को एक-एक कर हमारे समक्ष रखने और हमें सम्बोधित करने के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही माननीय राष्ट्रपति महोदया ने आगे यह भी विस्तार से बताया कि संप्रग सरकार कार्यकाल की शेष अवधि में क्या करने जा रही है। भारत जैसे विकासशील देश, जिसके स्वरूप में इतनी विविधता है, के हर क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है। इतने विशाल देश की भिन्न समस्याएं हैं।

सभापति महोदय: आप सभा पटल पर अपना भाषण रख सकते हैं।

डा. टोकचोम मैन्या: महोदय, मेरे पास कुछ भी लिखित रूप में नहीं है। मैंने केवल मुख्य बातें नोट की हैं। विभिन्न क्षेत्रों की भिन्न समस्यायें हैं। लोगों के विभिन्न समूह, विभिन्न धार्मिक समूहों की अलग-अलग समस्याएं हैं। हमें इन सभी चीजों में संतुलन कायम रखना होगा। इसके साथ ही देश की प्रादेशिक अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब मैं डा. वल्लभभाई कथीरिया का नाम पुकारता हूं। आप बोल सकते हैं और अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

डा. टोकचोम मैन्या: महोदय, मैं एक मिनट और बोलूंगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहूंगा। दूसरे पक्ष के मेरे एक सहयोगी ने मेरे क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यह नागाओं के एकीकरण से संबंधित है। इस मुद्दे को मैंने नियम 377 के अधीन उठाया था। मैं वर्तमान माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि उस समय देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में मात्र तीन राज्य थे। असम एक बड़ा राज्य था। मणिपुर राज्य के अधीन एक राज्य था। और त्रिपुरा में भी राजतंत्र था। मणिपुर का 1949 में स्पष्ट भौगोलिक सीमांकन के साथ भारत में विलय कर दिया गया। यदि इसे पुन: नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो मुझे भय है कि राज्य में रक्तपात होगा। वर्ष 2001 में भी ऐसा ही हुआ था। उस घटना में जब भारत सरकार और एन.एस.सी.एन.

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. टोकचोम मैन्या]

(आई.एम.) ने एक युद्धविराम पर समझौता किया जिसमें किसी प्रांतीय सीमा का उल्लेख नहीं था, तो बहुत से लोग सड़कों पर निकल आए थे। 18 लोग मरे थे जिसमें एक महिला भी थी। सभी सरकारी कार्यालय जला दिये गये थे। इसके कारण मैंने इस मुद्दे को बार-बार उठाया। मेरा कहना यह है कि मणिपुर की उस प्रादेशिक सीमा का सम्मान किया जाए जो 1949 में इसके विलय के समय थी और केन्द्र सरकार द्वारा इसकी रक्षा की जाए।

*महोदय, मैं मेरे सहयोगी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसे माननीय श्री अजित जोगी जी ने इस माह की 3 तारीख को प्रस्तुत किया था और माननीया श्रीमती कृष्णा तीरथ ने समर्थन किया था।

महोदय, हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के लिए अत्यंत आभारी हैं जो उन्होंने विगत माह के 25 तारीख को संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिया गया।

मैं यह बताना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हम यहां देश के किसी महिला राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिये एकत्रित हुए हैं।

महोदय, श्रीमती सोनिया गांधी, अध्यक्षा, संप्रग के निर्देशन में माननीय प्रधानमंत्री, श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार की उपलब्धियों को ब्यौरे-वार बताने के लिए यदि हम उनको धन्यवाद नहीं दे पाये तो हम अपने कर्त्तव्य निर्वहन से चूक जायेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आगे यह भी विस्तार से बताया कि कार्यकाल की शेष अवधि में संप्रग सरकार क्या करने जा रही है।

अभिभाषण परिपूर्ण था और इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। इसमें हमारे विकास के लिए निदेश-एक स्पष्ट खाका पेश किया गया है। भारत जैसे विविध स्वरूप वाले विकासशील देश के लिए, आर्थिक विकास और इसकी वृद्धि हर बात के लिए महत्वपूर्ण है। इतने विशाल देश के लिए विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जन-समूहों और विभिन्न धार्मिक समूहों की अलग-अलग समस्याएं हैं। सर्वत्र एक संतुलन होना चाहिए। हमेशा कहीं न कहीं आपसी समझौता करने की भावना होनी चाहिए। इन सीमाओं के बावजूद भी आर्थिक विकास जारी रहता है और सकल घरेलू उत्पाद दो अंकों तक पहुंचने की उम्मीद है। यह महत्वपूर्ण बात है। इस सच्चाई को कौन नकार सकता है। संभवत: कोई भी नहीं।

हमारे लोकतंत्र जैसे शासन में, मैं निष्ठापूर्वक अपील करता हूं कि किसी को भी मात्र विपक्ष में होने के कारण राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध नहीं करना चाहिए। यह शासन व्यवस्था के लिए बुरा है और राष्ट्र के लिए यह घातक होगा। हम अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा करने की कोशिश करें और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं।

महोदय, इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं एक बार पुन: धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

महोदय, सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देते हुए मैं यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। देश में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां के लोगों ने रेलगाड़ी नहीं देखी है। संप्रग सरकार ने इन राज्यों को रेलमार्ग से जोड़ने के लिए कुछ राष्ट्रीय परियोजनाएं शुरू की हैं। एक ऐसी ही परियोजना इम्फाल रेल लाइन है। मैं सरकार से इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए निवेदन करता हूं। एक अन्य मुद्दा यह है कि इस देश में ऐसे कानून हैं जो स्वरूप में राष्ट्रीय हैं और प्रयोग में क्षेत्रीय हैं। ऐसा ही एक बदनाम कानून सशस्त्र बल (विशेष) शक्तियां अधिनियम है। सभी संबंधितों के सर्वोत्तम हित्दी में हम इसको तुरंत निरस्त किये जाने की मांग करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे दिये गये समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।*

सभापति महोदय: डा. वल्लभभाई कथीरिया। आप एक या दो वाक्य बोलकर अपना भाषण समाप्त कर सकते है।

[हिन्दी]

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट): महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब राष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण पढ़ रही थीं, तब मैं चिंतन कर रहा था कि कैसी औपचारिकता हमारे देश में आजादी के बाद से चली आ रही है। पहले राष्ट्रपति जी बोलते हैं, फिर उपराष्ट्रपति जी बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। मैं कहना चाहता हूं कि फिर भी वे अपने स्वयं के विचार नहीं रखते हैं, अपनी सरकार के विचार उन्हें रखने पड़ते हैं। आजादी के बाद भी अब तक यही सिलसिला चल रहा है। मुझे लगता है कि क्या हम आजाद भारत में अपने विचार स्वतंत्र रूप से नहीं रख सकते हैं। अगर हम सरकार की तरफ हैं, तो हम केवल सरकार की प्रशंसा करेंगे और विरोधी पक्ष में हैं, तो जो बातें अच्छी भी हैं, लेकिन फिर भी हम उनका विरोध ही करते रहेंगे। मैं भारत का संविधान पढ़ रहा था, उसमें शब्द राष्ट्रपति लिखा था। हिन्दी अनुवाद में लिखा है राष्ट्रपति। आज महिला राष्ट्रपति जी हैं। उसका क्या अर्थ लगाया जाए? यह भी हमारे संविधान में स्पष्ट होना चाहिए था। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिन

... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

पर हम चर्चा कर सकते हैं लेकिन जैसा आपने कहा कि समय कम है, मैं अपने विचार सभा पटल पर रखता हूं जिसे बोला हुआ माना जाए।

*हमारी संसदीय परंपरा के अनुसार संसद के नये साल के प्रथम सत्र में प्रथम महामहिम राष्ट्रपति जी और बाद में महामहिम उपराष्ट्रपति जी अंग्रेजी और हिन्दी में क्रमानुसार लिखा भाषण पढ़ते हैं। यह कहना ठीक होगा कि पिछले दो सत्र से हिन्दी में बोलने वाले उपराष्ट्रपति महोदय थोड़ा सा हिन्दी में पढ़कर पूरा पढ़ा गया माना जाये, कहकर टेबल पर पेश कर देते हैं। अन्यथा पूरा एक घंटा चुपचाप हिन्दी अनुवाद किस्तों में रहकर सुनते रहो। सरकार अपने कार्यक्रमों का जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण द्वारा जनता के समक्ष पेश करती है। लोकतंत्र में एक परंपरा चली आ रही है। एक ढांचा बन गया है, एक सिलसिला चल रहा है, सब उसमें बहते जा रहे हैं, बिना सोचे, बिना चिंतन के, एक परंपरा बह चली है। यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जी सरकार की सब बातों से सहमत हैं। लेकिन देश के सर्वोच्च पद और सरकार के मुखिया होने के नाते लोकतंत्र की एक प्रणाली चली आ रही है।

क्या विडम्बना है यह? आजाद भारत में खुद राष्ट्रपति को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं? तो जनता का क्या कहना? क्या हमने इस आजादी की कल्पना की थी? हमारी आजादी के शहीदों ने इसीलिए अपनी जान की कुरबानी दी थी? इस विचार के साथ मैं अपनी बात यहां प्रस्तुत करने जा रहा हूं?

हमने एक बड़ा सपना संजोया था। आजाद और आबाद भारत का। एक महान, भव्य और दिव्य भारत का, एक स्वर्णिम भारत का, एक शक्तिशाली विश्व गुरु भारत का, एक ऐसा भारत जहां संपन्न, समृद्ध, शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित, स्वावलंबी, संस्कारी और समरस समाज अपनी विशेष परंपरा, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास और अध्यात्म की ऊंचाई को बनाये रखे और समग्र विश्व का मार्गदर्शन करे। इक्कीसवीं सदी का एक आदर्श देश।

लेकिन आजादी के 60 साल के बाद आज हम कहां खड़े हैं? यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। चिंतन का विषय है, चर्चा का मुद्दा है। क्या वजह है कि आजादी की यह चिंताजनक स्थिति है? जब सोचते हैं, तो इतिहास के पन्ने उलटने पड़ेंगे।

जब मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सुन रहा था, तब प्रश्न उठा कि आपको हम राष्ट्रपति कहें या राष्ट्र प्रमुख या प्रेसीडेंट? तब मैंने संविधान की ओर नजर डाली। तब मालूम पड़ा कि गलती की शुरुआत कहां से हुई है?

सही में क्या यह संविधान हम भारतीयों की इच्छानुसार बना है? इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि 1895 में लोक मान्य तिलक के "स्वराज्य विधेयक" में सर्वप्रथम संविधान के सिद्धांत प्रस्तुत हुए थे। बाद में महात्मा गांधी जी ने विचार प्रस्तुत किये। 1924 में पंडित मोती लाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। बाद में एन.एन. रॉय, जवाहरलाल जी और अनेक लोगों ने इस विचार की क्रमशः पुष्टि की। बाद में "गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1930" के आधार पर 1946 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी का कांस्टीट्यूशन एसेम्बली का अध्यक्ष और डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी (लेखा समिति) का प्रमुख मनोनीत किया गया। इस संविधान सभा में गुलाम भारत की अंतिम सरकार के समय की ब्रिटिश पार्लियामेंट की देखरेख में इंडिया का संविधान बना था।

इसी प्रकार प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि हमने एक "मौलिक प्रलेख" तैयार करने के बजाय संविधान सभा के निर्देशानुसार परिस्थिति के अनुरूप "व्यवहारिक प्रलेख" तैयार करने की चेष्टा की है। आपका इशारा था कि यह संविधान सभा "कैबिनेट मिशन योजना" में निर्देशित संविधान की मूल रूपरेखा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी। वास्तव में इसमें जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं थी। लेकिन श्री जवाहर लाल नेहरू ने समझाया कि विवाद खड़ा करने से स्वतंत्रता पीछे जा सकती है। अतः जैसा है चलने दिया जाये और अन्ततोगत्वा 26 जनवरी 1950 को भारत का यह "अभारतीय" संविधान लागू हो गया।

मैं क्यूं "अभारतीय संविधान" कह रहा हूं? चलो उसके कुछ पहलुओं को समझें।

सर्वप्रथम संविधान के प्रारूप को पढ़ेंगे तो उसमें विसंगतता दिखायी दे रही है। "इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवद् 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्जित करते हैं।" उपरोक्त घोषणा में विक्रमी संवत का उल्लेख किया गया है, लेकिन बाद में हर सरकारी कामकाज में शक संवत को मान्यता कैसे मिली? इनका मुख्य कारण यह है कि विक्रमी संवत् ईसवी सन् से बड़ा है। विक्रमी संवत् मात्र से भारत की पुरातत्वता, प्राचीनता स्थापित हो जाती है, यह बात अंग्रेज कैसे स्वीकार कर पायेंगे? और हमारी अंग्रेजी गुलामी मानसिकता इतनी थी कि हमने शक संवत् स्वीकार कर लिया। इसलिए कहना पड़ता है कि यह संविधान मूल रूप में भारत विरोधी है।

दूसरी बात, संविधान के अनुच्छेद नं. 1 में कहा गया है कि 'इंडिया अर्थात् भारत' क्या इंडिया का अर्थ भारत होता है? भारत

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[डा. वल्लभभाई कथीरिया]

यानि भारत? आजादी के पहले मान्ये हिन्दोस्तां, हिन्दुस्तान, भारत, आर्यावर्त कहे जाने वाले इस देश को "इंडिया" बना दिया। यानि मातृभूमि की पहचान को ही खत्म कर दिया। "बंदेमातरम्" को गड्ढे में डाल दिया। हम अपना स्वरूप ही भूल गए। शुरुआत यहां से की गई।

संविधान में संपूर्ण संप्रभुता की बात की हंसी तो तभी उड़ गई जब भारत-पाकिस्तान का आजादी के साथ बंटवारा होगया। काश्मीर के प्रश्न से अखंडता पर वार किया गया।

जब हम संविधान पर नजर डालते हैं तो प्रस्ताव में "सम्पूर्ण संप्रभुता" के बाद दूसरा शब्द है "समाजवाद"। क्या स्थिति है आज अपने देश की? गरीब ज्यादा गरीब और अमीर ज्यादा अमीर बन रहा है। महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, विषमता बढ़ती जा रही है। परिणामस्वरूप समाज में विभाजन, हिंसा, बलात्कार, लूट-मार, चोरी-डकैती, व्यभिचार, मुनाफाखोरी, जैसे अनेक सामाजिक प्रदूषण बढ़ रहे हैं। संपत्ति की असमानता बढ़ रही है और इसका हम गौरव ले रहे हैं कि 500 से ज्यादा अरबपति बन गये। देश प्रगति कर रहा है। व्यक्तिगत संपत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने का प्रावधान हमारे संविधान में है क्या? फिर कैसा ये समाजवाद? सारी व्यवस्था शोषण आधारित बन गई है। समाजवाद की आड़ में पूंजीवाद और राष्ट्रीकरण के नाम पर सरकारीकरण बढ़ रहा है।

संविधान में तीसरा उद्देश्य "पंथ निरपेक्षता" का है। अंग्रेजी में "सेक्यूलर" कहा जाता है। सेक्यूलर का गलत अर्थ धर्मनिरपेक्ष करके भारतीय संस्कृति की विभावना पर घाव किया है। भारतीय जीवन में 'धर्म' तत्व के रूप में व्याप्त अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। "यतो अभ्युदय नि:श्रेयस सिद्धि स: धर्म:" अर्थात "जिसमें सबका लौकिक और पारलौकिक, सब प्रकार का हितकर कल्याण सिद्ध होता है, वह धर्म है।" इस धर्माचरण के लिए भारतवर्ष में 'एकम् सद विप्रा: बहुधा वदन्ति" के आधार पर सत्य की खोज में अनेक पंथ, संप्रदाय अस्तित्व में आये। लेकिन राजनेताओं ने धर्म और पंथ को एक रूप देकर अपने संविधान में धर्मनिरपेक्ष प्रचलित कर दिया है।

परिणाम यह हुआ कि देश की जनता धर्म के आधार पर बंट गई। अल्पसंख्यक को अधिकार और ज्यादा सुविधा। धर्म के नाम पर लाभ लेने की होड़ मची हुई है। इतना ही नहीं, जाति और संप्रदाय के आधार पर आरक्षण और ज्यादा सुविधा की मांग बुलंद हो गई है, जो देश को बंटवारे की ओर ले जा रही है। कामन सिक्लि कोड और सबको समान अधिकार का प्रावधान संविधान में देते हुए भी अलग-अलग धर्म के अलग-अलग कानून बनाकर सांप्रदायिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को समानता प्रदान करने हेतु केवल 10 साल विशेष आरक्षण का प्रावधान आज भी चला आ रहा है। आरक्षण के बावजूद समाज के बंधुओं की स्थिति में सुधार हुआ क्या? और जो आरक्षण का लाभ लेकर आगे आये हैं, वो हिम्मत से नई पीढ़ी आरक्षण का लाभ नहीं लेगी, ऐसा क्यूं नहीं कहती? क्रीमी लेयर के पीछे क्या उद्देश्य है? आज हर कोई जाति, पंथ, संप्रदाय आदि के आरक्षण से लाभान्वित होने के लिए स्पर्द्धा में उतरा है। यह स्थिति आज 60 साल की आजादी के बाद भी है। संविधान का इससे ज्यादा उपहास और क्या हो सकता है?

संविधान में चौथा उद्देश्य है "लोकतंत्र", पहले लंदन से संचालन होता था आज दिल्ली से हो रहा है। प्रजा की प्रतिनिधि की आवाज कितनी है? वो भी 'महाराजा' की भूमिका में हीं चले गये? आज का लोकतंत्र क्या सही में जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा रहा है?

आज के लोकप्रतिनिधि भी अपनी गरिमा खो बैठे हैं। लोग राजनेता को वक्र दृष्टि से देखते हैं। पूरा माहौल गुनाहित, भ्रष्ट और अविश्वसनीय हो गया है। स्थापित हित वाले बाहुबली आज राजनीति में हावी हो गए हैं। लोग आज राजनेता को 'सफेदपोश माफिया' के रूप में पहचानने लगे हैं। राजनेता को सिक्यूरिटी के बीच और बुलेटप्रूफ जाकिटों में ही घूमना पड़ता है। लोगों का लोकप्रतिनिधि से विश्वास हिल गया है। श्रद्धा उठ गयी है। संसद और धारागृहों की कार्यवाही क्या अंदेशा दे रही है?

दूसरी ओर प्रशासन याने ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है। रूल्स और एक्ट के बहाने प्रजा के काम नहीं हो रहे, प्रजा परेशान है, पीड़ित है, शोषित है। उनकी आवाज सुनने वाल कोई नहीं है। ब्रिटिश ढांचा से संचालन करने वाला प्रशासन इस देश में कैसे चल पायेगा?

जनता को आजादी के फल अब खट्टे अंगूर की तरह दिखाई दे रहे हैं। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। यह दारुण स्थिति है आज के लोकतंत्र की।

हमारा पांचवां उद्देश्य है 'गणराज्य'। इस शब्द को भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। संविधान में लिखा है कि भारत यानि 'राज्यों का संघ'। सही में होना चाहिए राज्यों का 'राष्ट्रीय गणसंघ' ताकि राष्ट्रीयता की विशेषता बरकरार रहे और राज्य, राष्ट्र, एक दूसरे के पूरक हों और विकास में सहायक हों। आज संघ राज्य के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। प्रादेशिक राजनीति बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय एकता संकट में आ सकती है। प्रादेशिक स्वार्थ पूर्ति के लिए राष्ट्र की विभावना कमजोर होती जा रही है। राज्य-राज्य के आपस में भेदभाव-झगड़े सरदर्द बन गए हैं। राज्य और

केन्द्र एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोपण में लगे हुए हैं। हर कोई स्थिति का नाजायज फायदा उठा रहा है।

यह स्थिति देखते हुए लगता है कि यह पूरा संविधान अंग्रेज गुलामी मानसिकता का द्योतक है, उसे हटाना आवश्यक हो गया है। जिस संविधान में महिलाओं के लिए राष्ट्रपति का पर्याय शब्द नहीं है। अनुच्छेद ए, बी, सी, डी का अर्थ क, ख, ग, घ रूप में किया गया है। अनुच्छेद 370 से कश्मीर का प्रश्न उलझा पड़ा है। इतना ही नहीं, आज आतंकवाद की समस्या का ही मूल स्रोत हो गया है। हिंदी राजभाषा घोषित की गयी है, लेकिन अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अनुच्छेद 120 के अनुसार 15 साल के बाद 'अंग्रेजी' भाषा अपने आप समाप्त होने का दस्तावेज है, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और है।

शायद इसीलिए ही भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा होगा कि मैं तो केवल ड्राफ्टिंग कमेटी का ''चेयरमैन'' मात्र हूं। यह संविधान दुनिया भर के संविधानों से लिया हुआ भीख का थैला है। यही विचार थे स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के जिन्होंने कहा था कि ''भारत का वर्तमान संविधान अनेक देशों के संविधानिक चीथड़ों को एकत्र करके ऐसी गूदड़ी बनाई गई है जिसमें छेद ही छेद हैं। सही में यह गुलामी का दस्तावेज मात्र है।''

पूरे संविधान की भाषा इतनी जटिल है कि उसके आशय को समझना भी मुश्किल है। उससे राष्ट्रीय एकसूत्रता कभी नहीं हो सकती। संविधान में भावनात्मक और सांस्कृतिक भावों को नागरिकता के साथ जोड़ा ही नहीं है। इसी कारण से संविधान आम आदमी का संविधान नहीं बन पाया है। धारा 28 व 30 चरित्र निर्माण और सफलता विरोधी धारा है। यदि धार्मिक याने नैतिक शिक्षा नहीं दी जायेगी तो चरित्र निर्माण और संस्कारी समाज कैसे होगा? वर्तमान संविधान से समस्याओं का समाधान असंभव है, जिसके 104 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। यह संविधान पूरा अभारतीय है। इसलिए इस संविधान का आवश्यक आमूल परिवर्तन ही आवश्यक है। आज वो घड़ी आ गई है, जब इस दिशा में सही काम करने की आवश्यकता है। तभी इस देश को सच्ची आजादी मिली मानी जाएगी। तभी सही में भारत अपने सपनों का स्वर्णिम भारत बनेगा।

इस बारे में गंभीरता के साथ सब सोचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी चर्चा को यहीं समाप्ति नहीं लेकिन विराम की पुष्टि दे रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में हमारी पहली महिला राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अभिभाषण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परन्तु इस महत्वपूर्ण पद को पूरा सम्मान देते हुए मैं अपनी पार्टी और गरीबों की ओर से इस पर आलोचनात्मक टिप्पणी करना चाहता हूं। लोकतंत्र में गरीबों और जरूरतमंदों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। क्या इस दृष्टिकोण से उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, विशेषकर किसानों के लिए? मैं केवल कृषि के विषय में चर्चा करूंगा, जो कि आज भी हमारे देश के 57 करोड़ लोगों की आजीविका का साधन है।

मुझे कतिपय आंकड़ें उद्धृत करने की अनुमति दें: वर्ष 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 55 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2006-07 में घटकर 20 प्रतिशत रह गया और अब सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 55 प्रतिशत है। वर्ष 2004-05 में कुल श्रमशक्ति का 52 प्रतिशत कृषि में संलग्न था और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान मात्र 20.2 प्रतिशत था।

सायं 7.57 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

इसे एन.एस.एस.ओ. के 62वें राउंड की रिपोर्ट के भारत में वर्ष 2005-06 में रोजगार की स्थिति के संबंध में की गयी टिप्पणी के साथ पढ़ा जाना चाहिए। ग्यारहवीं योजना की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है, वर्ष 1980-81 में कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी स्थापना में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 54 प्रतिशत था, 1990 के अंत में यह घटकर लगभग 25 प्रतिशत रह गया। सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में कमी के कारण 1990 के दशक के मध्य से सिंचित क्षेत्र 53-55 मिलियन हेक्टेयर पर स्थिर है। एनएसएसओ के 59वें राउंड में किसानों की ऋणग्रस्तता के बारे में अध्ययन किया गया था, उसमें यह पाया गया कि 42.3 प्रतिशत ऋण साहूकारों, व्यापारियों, संबंधियों और मित्रों से लिया गया है। इसमें से 48,000 करोड़ गैर-संस्थागत चैनलों से लिया गया है। 18,000 करोड़ रुपये 30 प्रतिशत या इससे अधिक की वार्षिक ब्याज दर पर लिया गया था।

*वर्ष 2002-04 के दौरान किये गये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.-3), में जिन कमियों को दर्शाया गया है वह इससे संबंधित एक पहलू है, 3 वर्ष से कम आयु के 46% बच्चे और 6 वर्ष से कम आयु के 49% बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। यहां मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार पी. साईंनाथ को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा, जिन्होंने कुछ अन्य लोगों की भांति हमारी राष्ट्रीय अभावग्रस्तता को चिन्हित किया है। ''इसी के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

भारत में लगभग एक तिहाई या 30 प्रतिशत बच्चे जन्म के समय औसत से कम वजन के होते हैं। सिएरा लिओन में, जो मानव विकास सूचकांक में बहुत निचले 177 स्थान पर है और हम 128वें स्थान पर हैं, यह 23 प्रतिशत है। यहां तक कि इथोपिया, जो 169वें स्थान पर है, में यह आंकड़ा 15 प्रतिशत है। अत: हम उस तरह से नीचे से पांचवें पायदान पर हैं।'' या फिर जैसा डा. आर. राधाकृष्ण, जो कृषि ऋणग्रस्तता से संबंधी विशेषज्ञ समूह के पिछले वर्ष के 126 से थोड़ा सा ऊपर प्रमुख रहे हैं और एक अर्थशास्त्री हैं; और एस. चन्द्रशेखर ने कहा है: ''पोषणता के मामले में भारत का कार्यनिष्पादन हाल के वर्षों (यू.एन.डी.पी. 2003) में कम विकसित अफ्रीकी देशों से भी खराब रहा है।''

कृषि अनुसंधान और विकास पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 0.49 प्रतिशत है, एक औसत विकासशील देश 0.7 प्रतिशत व्यय करता है और विकसित देश 2-3 प्रतिशत करते हैं। स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान विभिन्न कृषि पारिस्थितिकियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषकर, शुष्क भूमि कृषि के क्षेत्र में कोई खोज नहीं की गई है। चीन कृषि विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आई.आर.आर.आई.) के साथ मिलकर 'एरोबिक' चावल पर कार्य कर रहा है। 'एरोबिक' चावल के लिए 50-70 प्रतिशत कम पानी की आवश्यकता होती है, यद्यपि इसकी उपज संकर चावल से लगभग 30 प्रतिशत कम होती है।

हमारी खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने हेतु मैं तीन महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं:

(क) गेहूं का आयात रोकना।

(ख) मात्रात्मक प्रतिबंध वापस लाना: वर्ष 1998 में 470 कृषि उत्पादों के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त किये गये। वर्ष 1999 में अन्य 1400 उत्पादों को ओ.जी.एल. के अंतर्गत लाया गया। इसे संयोजित करने के लिए कृषि आयातों पर वर्ष 1990 में औसत शुल्क शत प्रतिशत घटा दिया गया और 1997 में 30 प्रतिशत घटा दिया गया।

(ग) कृषि में अमरीका-भारत ज्ञान प्रयासों, जो कि वास्तव में भारत के बीज क्षेत्र को विभिन्न राष्ट्रों के निगमों के खुदरा बाजार का नियंत्रण सौंपे जाने की योजना है, को समाप्त करना है।

जब तक ऐसे दीर्घकालिक उपायों को क्रियान्वित करने की राजनीतिक इच्छा और दृष्टिकोण नहीं होगा, अल्पकालिक उपायों से अस्थायी सुखाभास कराने के अलावा हमारे देश के किसानों का जीवन गरिमापूर्ण नहीं हो पाएगा।*

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हो गयी है। कल इसका उत्तर दिया जाएगा। अब सभा विशेष उल्लेख पर चर्चा करेगी।

[हिन्दी]

***श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** (जालौन): महोदय, मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यूपीए ने अपने लगभग चार साल के कार्यकाल में जो कार्य किए तथा भविष्य में यूपीए सरकार क्या करना चाहती है, इसमें उल्लेख किया गया है। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यदि बुन्देलखण्ड के किसानों द्वारा जो आत्महत्याएं की जा रही हैं, के बारे में भी कुछ कहा होता तो ज्यादा अच्छा होता। आज हम कर्ज माफ करके उनकी आत्महत्याओं की समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं। बुन्देलखंड के किसानों को आत्महत्या करने से रोकना है तो निश्चित ही बुन्देलखंड को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए तथा उस पैकेज के अंतर्गत किसानों की जो समस्याएं हैं, उसके ऊपर खर्च करना चाहिए जिससे किसानों को खेती करने के लिए पानी दे सके। जमुना नदी के ऊपर औरइया से लेकर भूसा नगर के बीच में कहीं भी बांध बनाया जाना चाहिए जिससे औरइया, कानपुर देहात, फतेहपुर, इलाहाबाद तक के किसानों को पानी मुहैया करा सकते हैं। इस बांध से बुन्देलखंड का जालौन तथा हमीपुर जिले को भी पानी दिया जा सकता है जिससे किसान आत्मनिर्भर होगा तथा आज जो आत्महत्याएं हो रही हैं उनको रोका जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी शत प्रतिशत विद्युतीकरण योजना के द्वारा ग्रामीणों को विद्युत दी जा रही है लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश में जिन कम्पनियों ने काम किया है, बड़े घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया है। जिन गांवों का विद्युतीकरण अभी हुआ है उसके खम्भे झुक गए हैं तथा थोड़ी सी हवा तेज होने से खम्भे टूट कर गिर रहे हैं। निश्चित ही केंद्र सरकार को इसकी चिन्ता करनी चाहिए ताकि विद्युतीकरण में सही एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य हो जिससे विद्युतीकरण का आम ग्रामीणों को लाभ मिल सके। पूर्व में मैंने मंत्री जी के पास सारे कागजों के साथ शिकायत भेजी है और निश्चित ही केंद्र सरकार इसकी जांच करेगी।

केंद्र सरकार आतंकवादियों को परास्त करने में विफल हुई है क्योंकि जिन आतंकवादियों ने लोक सभा को उड़ाने की कोशिश की थी वह तो मारे गए लेकिन इस आतंकी योजना को बनाने वाले अफजल को आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

फांसी की सजा नहीं दी गई है। मान्यवर, मेरे लोक सभा क्षेत्र के झांसी जनपद के समवर नगर में करीब दो साल पहले एक अल्पसंख्यक के घर में बम विस्फोट हुआ, वह बम विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि परिवार के मुखिया का शरीर मकान से उड़कर बिजली के तारों में टकराकर जमीन पर गिरा था। कुछ लोगों के चीथड़े मकान के पीछे तालाब में जाकर गिरे थे। कई दिनों तक इन चीथड़ों को पानी में तैरते हुए देखा गया था। जब तक यूपीए सरकार वोट की खातिर इस प्रकार से अनदेखी करेगी तो निश्चित ही आतंकवादियों पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत मेरे जिले में रोड बनाए जा रहे हैं, जो मात्र एक साल बाद खराब हो रहे हैं और जो रोड अच्छे हैं उन्हें प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ले लिया गया है और तुड़वाकर बनवाए जा रहे हैं लेकिन उनकी कुटाई पानी डालकर होनी चाहिए, सूखी मिट्टी डालकर की जा रही है। यह विषय निश्चित ही चिंता करने का है।

***श्री शंखलाल माझी** (अकबरपुर): महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण जो सरकार के कार्यों का सम्पूर्ण दस्तावेज है, धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की तरफ ध्यानाकर्षण चाहता हूं।

(1) किसानों की खुशहाली के बगैर देश की खुशहाली संभव नहीं है। स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू किये बिना किसान लाभान्वित नहीं हो सकता। कृषि उत्पाद का लागत मूल्य तय हुए बगैर किसान का कल्याण नहीं हो सकता। कृषि उत्पाद का विक्रय मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। जिसके कारण खेती घाटे का सौदा होने के कारण किसान बेहाल हैं। इसी कारण देश में चालीस हजार से ज्यादा किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए। सरकार ने 2007 तक किसानों की ऋण माफी की पहल की है, लेकिन इससे किसान खुशहाल नहीं होंगे। जब तक कि किसान के किसानी उपयोग हेतु सस्ती खाद, बीज, कीटनाशक, दवाएं व पर्याप्त मात्रा तथा समय तक बिजली नहीं मिलेगी। सरकार द्वारा देश के किसानों के मजबूती के लिए इन ठोस उपायों पर ध्यान दिये बगैर देश खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए सरकार से मांग है कि जिन किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, उन्हें कम से कम दस लाख रुपये का अनुदान दिया जाए।

(2) जल ही जीवन है—ये हम सभी जानते हैं। देश में पीने के पानी का सीमित भंडार और देश में कुल आकलन करने वाली 5723 यूनिटों में से 839 यूनिटों में जलस्तर की तीव्र गति से गिरावट पूरे देश के लिए एक गम्भीर खतरा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर बुंदेलखंड में पीने के पानी तथा कृषि हेतु पानी की अनुपलब्धता किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं का कारण बना है। किन्तु इसके लिए न तो कोई व्यवस्था की गई है और न ही कोई बजटीय प्रावधान किया गया है।

(3) पूर्वांचल में बाढ़ का कहर—हर साल करोड़ों के जन-धन की हानि तथा आर्थिक तंगी और आवास की बर्बादी से पूरा पूर्वांचल तबाह है। किन्तु राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पूर्वांचल, यू.पी. की तबाही, खासकर अम्बेडकर नगर बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ आदि जनपदों को बचाने की न तो कोई फिक्र है और न ही कोई व्यवस्था की गई है।

(4) सच्चर कमेटी का पूरे वर्ष हौवा खड़ा किया गया, परंतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। गरीब बुनकरों का पर्याप्त बिजली की कमी से हाथ का काम छिन गया है और गरीबी के कारण बच्चे फाके करने के लिए मजबूर हैं और कुपोषण के शिकार हैं। भूखे पेट रहकर न तो शिक्षा दिलाई जा सकती है और न ही मुस्लिम समुदाय का विकास हो सकेगा। सही मायने में मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए पहले बुनियादी व्यवस्था, बुनकरों को सस्ती व पर्याप्त बिजली, सस्ती दरों पर सूत तथा तैयार माल की खरीददारी और आवश्यक पूंजी की व्यवस्था बगैर संभव नहीं है।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया की अनुदान मांग के साथ ही अन्य एकीकृत विश्वविद्यालय में सस्ती शिक्षा व खर्च की मुफ्त व्यवस्था नहीं की गई है। माध्यमिक स्तर तक मुफ्त किताबें, फ्री हास्टल तथा रोजगारपरक शिक्षा की व्यवस्था करने से ही सच्चर कमेटी के सुझाव क्रियान्वित हो सकेंगे।

(5) नेशनल रोजगार गारंटी योजना में मात्र 70 लाख परिवारों के लिए रोजगार से देश की बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय न्यून सर्वेक्षण द्वारा देश की कुल आबादी का पांच प्रतिशत यानी 6-7 करोड़ लोग दो जून की रोटी से वंचित हैं। एन.आर.ई.जी.पी. द्वारा मात्र 2.7 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सका है। ऐसी दशा में 3-4 करोड़ लोग भूखे सोने के लिए मजबूर हैं। बेरोजगारी दूर करने का ढिंढोरा पीटने से न तो देश की बेरोजगारी दूर हो सकती है और न ही गांवों से शहरों की ओर पलायन रुक सकता है। शेष दो से तीन परसैन्ट भूखे सोने वालों के लिए कोई ठोस योजना दिये बगैर देश की जी.डी.पी. ग्रोथ नौ परसैन्ट तथा सकल उत्पाद 30 परसैन्ट से अधिक होना कुछ मायने नहीं रखता है।

(6) कुपोषण के शिकार बच्चे और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय शर्म की बात प्रधान मंत्री द्वारा मानने मात्र से नहीं बल्कि

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री शंखलाल माझी]

सभी के लिए भोजन, भूख, सूखा, बीमारी से मुक्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्षीय, भ्रष्टाचार मुक्त वितरण, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना का और अधिक सीमा विस्तार, आई.सी.डी.एस. योजना का और प्रभावी और सरलीकरण करके ठोस योजना दिये बगैर भारत निर्माण का यू.पी.ए. का नारा एनडीए के भारत उदय से अलग नहीं होगा।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में वर्ष 2002 से अब तक तीन बार भीषण वर्षा तथा बाढ़ से पूरे जनपद की सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त व बर्बाद हो चुकी हैं। कई हजार मकान ध्वस्त हो गये हैं। गरीबों ने वर्षों की मेहनत-मशक्कत से घर बनाये, लेकिन घर गिर जाने से वे बेघर हो गये हैं। मैंने ग्रामीण मंत्री जी से मिलकर उन्हें कई बार स्थिति से अवगत कराते हुए जनपद अम्बेडकर नगर हेतु पांच हजार अतिरिक्त आवास पैकेज के लिए मांग की। टूटी और ध्वस्त सड़कों हेतु भी अतिरिक्त पैकेज की मांग की, किंतु अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई।

महोदय, आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र में कम से कम पांच हजार इंदिरा आवास का पैकेज व पूरे जनपद की ध्वस्त सड़कों हेतु सौ करोड़ की व्यवस्था करने की मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र बरेली उत्तर प्रदेश का एक मुख्य महानगर है। इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत इसे काउंटर मैगनेट स्थिति के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। उसके तहत जो नगरीय सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे मिल रही हैं। 25 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बरेली को महानगर घोषित किया गया था। तब से यह महानगर के रूप में विकसित हो रहा है और इसकी प्रक्रिया चल रही है। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि केन्द्र सरकार में बरेली महानगर, महानगर की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। बरेली को छोटे और मझोले नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। इसलिए वास्तव में बरेली को महानगर की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल रही हैं। मैं आपके माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करें और बरेली को एक महानगर के रूप में अंकित करवा कर संबंधित जो सुविधाएं महानगरों की मिलनी चाहिए, वह दें। आशा है कि वह उसे शामिल करके सुविधाएं देने हेतु निर्देश देने का कष्ट करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

रात्रि 8.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय: हाऊस का समय आठ बजे तक बढ़ाया गया था अब आप कहें तो जीरो आवर समाप्त होने तक इसका समय और बढ़ा दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां।

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय उठाना चाहती हूं।

आवश्यक वस्तुओं की विशेषकर खाद्यान्नों की कीमतें पूरे देश में बढ़ रही हैं। चावल और गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं और बाजार में इन चीजों की कमी भी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभार्थियों को बी.पी.एल. और ए.पी.एल. में विभाजित करने से लाभार्थियों का एक बड़ा भाग इस प्रणाली के लाभों से वंचित हो गया है। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद से सरकार का प्रयास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के महत्व को कम करने का रहा है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत संप्रग सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करेगी और इसको सभी जगह लागू करने का प्रयास करेगी। लेकिन चार वर्ष के कार्यकाल के बाद भी वह आश्वासन पूरा नहीं हुआ है।

वर्तमान बजट के अंतर्गत खाद्यान्न राजसहायता के आवंटन में जो कुछ थोड़ी वृद्धि की गई है उससे भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 70 प्रतिशत से अधिक लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। केरल जैसे खाद्यान्नों की कमी वाले राज्यों की जरूरतों को इससे पूरा नहीं किया जा सकता। केन्द्र ने केरल के लिए खाद्यान्न आवंटन को 1,13,420 मीट्रिक टन से घटाकर 21,334 मीट्रिक टन कर दिया है जिससे मासिक वितरण में 82 प्रतिशत की कमी आ गई है। इससे खाद्यान्नों की उपलब्धता बुरी तरह प्रभावित हुई है और खुले बाजार में खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ी हैं। इसलिए सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यापक बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए जिससे कि हमारी आबादी के बहुत बड़े हिस्से की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को उठाने का अवसर प्रदान किया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर 280 और 404 कि.मी. के बीच एक चार लेन वाली सड़क तथा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत कर्नाटक के हवेरी जिले के शिग्गांव टाउन में एक सर्विस रोड के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता है। इस रोड को सितम्बर, 2003 तक अवश्य पूरा किया जाना चाहिए था लेकिन आज तक यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है। भारत सरकार ने अंतिम समय-सीमा बढ़ा दी है और चित्रदुर्ग, दावणगेरे हवेरी और हुबली जैसे शहरों के आस-पास इस सड़क की हालत अत्यंत खराब है। हवेरी जिले के वकोलगांव में उन्होंने एक फ्लाई ओवर का निर्माण किया है वह भी अधूरा है। इसलिए, सड़क का रख-रखाव बहुत ही खराब है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस सड़क के मरम्मत का काम शीघ्र कराए।

शिगांव टाउन में सर्विस रोड के निर्माण के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने बायीं तथा दायीं तरफ केवल 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाई है। बैलगाड़ियों, वाहनों आदि के लिए उन्हें सड़क को दोनों तरफ 7 मीटर तक चौड़ा करना था। अब संकरी सर्विस रोड के कारण शिगांव टाउन में बहुत ही दुर्घटनाएं हो रही हैं। चूंकि शिगांव बस स्टैंड और फ्लाई ओवर के पास सर्विस रोड बहुत ही संकरी है, इसलिए इस स्थान पर वाहन नहीं आ-जा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 7 मीटर चौड़ी सर्विस सड़क बनाने की सिफारिश की थी लेकिन उन्होंने केवल 3 से 3.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई है। इस सर्विस रोड का निर्माण सर्वथा आवश्यक है। उस क्षेत्र के लोग सरकार से बहुत निराश हैं और वे अक्सर 'रास्ता रोको' आंदोलन करते रहते हैं।

इसलिए भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि वह इस काम को शीर्ष वरीयता के आधार पर शीघ्र पूरा कराये।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो रोड झांसी से लेकर बारा तक बनाया जा रहा है, उसमें मिट्टी का कार्य मानक के अनुसार नहीं हो रहा है। वहां मिट्टी की कुटाई एक मीटर तक बिना पानी दिए हो रही है। यह आज सूखे की स्थिति में है यहां रोड आज बन जाएगा लेकिन एक साल बाद यह इतना कमजोर हो जाएगा कि जब इस पर वाहन चलेंगे तो इसमें गड्ढे हो जाएंगे। यह फोर लेन और सिक्स लेन रोड की स्थिति है। वहां जो एजेंसियां काम कर रही हैं, वे स्वयं काम नहीं कर रही हैं। वे एजेंसियां वहां लोकल ठेकेदारों को काम दे रही हैं। इसलिए गुणवत्ता की दृष्टि से जो काम अच्छा होना चाहिए, वह काम अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है।

इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वह उन एजेंसियों से कहे कि वे स्वयं अच्छी तरह से इस काम को करें, ताकि जो रोड्स बनाई जा रही हैं, उनका जनता उपयोग कर सके और लाभ उठा सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): एक शताब्दी पुराना लुई पाश्चर इंस्टीट्यूट कुन्नुर, तमिलनाडु देश में इस क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है जो डिपथिरिया, पोलियो और मिर्गी के साथ चेचक की रोकथाम के लिए एंटी रैबीज ट्रिपल-एन्टीजना टिटनस जैसी जीवन रक्षक वैक्सीन का निर्माण कर रहा है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में चार ऐसे यूनिटों में से यह एक है जिसे आई.एस.ओ. मानक प्रमाण पत्र प्राप्त है। इस संस्थान से हमारे देश की 60% जरूरतों की पूर्ति हो जाती है। यहां निर्मित वैक्सीन निजी क्षेत्र में निर्मित उत्पादों से बहुत ही किफायती होती है। एन्टी-रैबीज वैक्सीन की कीमत इस संस्थान में 150 रुपये है जबकि निजी क्षेत्र में इसी वैक्सीन की कीमत 370 रुपये से 1200 रुपये है। इस संस्थान ने ट्रिपल एन्टीजन का दाम 1.10 रुपये है जबकि निजी क्षेत्रों के संस्थानों में इसका दाम 10 रुपये से 18 रुपये तक है। एन्टी-एपिलेप्सी वैक्सीन का दाम यहां मात्र 60 पैसे है जबकि निजी क्षेत्र में इसका दाम 2 रुपये से 3 रुपये प्रति माइल है। डब्ल्यू.एच.ओ. ने इस संस्थान को गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टीस-जी.एम.पी. प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आने वाली सभी अड़चनों को समाप्त करने का सुझाव दिया है। इस पास्चर संस्थान को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए सही कदम उठाने की बजाए, कार्यकारी निदेशक इस संस्थान को मात्र अस्पताल बनाना चाहते हैं जो जरूरतमंद भारतीयों को निजी बाजार के भरोसे छोड़ रहा है। कुछ जीवनरक्षक अमूल्य वैक्सीनों का निर्माण रोक दिया गया है और कुछ और उत्पादों का उत्पादन बंद होने वाला है। सावधानी से पाले गए 544 गिनी पिग को बिना सोचे-समझे खत्म कर दिया गया है जिनका गुणवत्ता परीक्षा ने उपयोग होता था और इस संस्थान की परंपरा के अनुसरण में इसे पुन: इनका पालन किये जाने की जरूरत है।

इसलिए, मैं माननीय प्रधान मंत्री से इसमें हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं तथा इस संस्थान को बंद करने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को कहने तथा दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इस संस्थान को संरक्षित करने तथा इस महान संस्थान को मात्र एक अस्पताल में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): महोदय, धन्यवाद। मैं देश के दूर-दराज के गांवों, ग्रामीण बसावटों, शहरी और अर्धशहरी केन्द्रों में लावारिस कुत्तों से लगातार उत्पन्न हो रहे खतरों के प्रति सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। दर्दरहित मारफीन दवाओं के उपयोग से कुत्तों को मारने को प्रतिबंधित करके तथा इसे दंडनीय अपराध घोषित करके, जुर्माना लगाकर या सश्रम कारावास जैसे कानून बना कर सरकार ने अधिकारियों को इस समस्या का समाधान करने से रोक दिया है।

प्रजातियों के प्रसार के परिणामस्वरूप अधिकांश लावारिस कुत्ते पागल हो रहे हैं और उनके काटने से रैबीज नामक असाध्य और घातक बीमारी फैल रही है। शरदकाल उनका प्रजनन काल होता है और इसके परिणामस्वरूप उनकी संख्या में काफी वृद्धि हो जाती है। इन दिनों जो घटना लोगों के दिलो-दिमाग को परेशान करने वाली बनती जा रही है, वह यह है कि कुत्ते खून के प्यासे हो रहे हैं क्योंकि वे बूचड़खाना और कसाई के माल्टों द्वारा फेंके गए मवेशियों के अवशेषों पर जी रहे हैं, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आसानी से उन्हें मिल जाते हैं। इसलिए कुत्ते पालतू बकरियों, भेडों और बछड़ों पर हमला करने की ओर लालायित होते हैं। अक्सर वे राहगीरों पर भी हमला कर देते हैं। ऐसे लावारिस कुत्ते प्राय: वाहन चालकों पर हमला कर देते हैं और इस प्रकार गंभीर और जानलेवा दुर्घटना हो जाती है।

यह बहुत ही विचित्र बात है कि इस अधिनियम में काफी धनराशि आवंटित कर कुत्तों, नर और मादा दोनों की नसबंदी और उनका बधियाकरण करने का उपबंध है। यह बहुत ही विचित्र बात है कि एक कुत्ते के बधियाकरण के लिए 445 रुपये की राशि स्वीकृत की जाती है। लेकिन दयनीय स्थिति यह है कि बड़ी मात्रा में धनराशि या तो अप्रयुक्त रखी जाती है या उसका दुरुपयोग होता है।

इसलिए मैं, सरकार से इस अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध करता हूं, जिससे स्थानीय प्रशासन को लावारिस कुत्तों को पागल करार कर या मानवता के लिए दया-मृत्यु के रूप में लेते हुए मारने का अधिकार मिल जाए ताकि इस समस्या से सदा के लिए मुक्ति मिल जाए।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केरल राज्य में विद्युत की भारी कमी होने वाली है। ऐसा केन्द्र सरकार के केरल को विद्युत आपूर्ति के केन्द्रीय आवंटन में कटौती के हाल ही के निर्णय के कारण हुआ है। हम देख रहे हैं कि सरकार या विद्युत बोर्ड को राज्य में विद्युत कटौती (लोड-शेडिंग) करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसका निवल परिणाम यह होगा कि केरल में सामान्य दिनचर्या में कटौती होगी। कारखानों में काम नहीं होगा और अन्य संस्थाओं के कार्यकलाप पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

इसलिए, इन सभी पहलुओं को देखते हुए मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह उतनी ही विद्युत आपूर्ति पुन: बहाल करे जो काफी पहले से वहां दी जाती थी। हाल की कटौती को वापस लिया जाए और राज्य का विद्युत की कमी से बचाव किया जाए।

श्री अबु अयीश मंडल (कटवा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाना चाहता हूं। यह बहुत ही चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार ने एलपीटीवी के उन्नयन/उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने के नाम पर देश में विभिन्न टी.वी. रिले केन्द्रों को बंद करने का निर्णय लिया है। आज इलेक्ट्रानिक मीडिया के सबसे प्रतिस्पर्धात्मक और चुनौतीपूर्ण होने के कारण एल.पी.टी.वी. यूनिटों का देश के विभिन्न हिस्सों में उपयोग स्थानीय क्षेत्रीय लोगों की आवाज को बुलंद करने में किया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में, जैसा कि मुझे जानकारी है, प्रसार भारती ने वह रानाघाट और कालना नामक दो एल.पी.टी.वी. केन्द्रों को बंद करने का निर्णय लिया है। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि इन केन्द्रों के कृषि दर्शन और अन्य कुछ कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम हैं।

इन एल.पी.टी.वी. केंद्रों की स्थापना क्षेत्रीय भाषाओं के स्थलीय पारेषण को व्यापक प्रसार देने तथा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के 99.13 प्रतिशत लोगों की स्थानीय संस्कृति के समृद्ध विरासत के उत्थान के लिए किया गया है।

मौजूदा अवसंरचना के भीतर विषयवस्तु से जुड़े क्षेत्रीय कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए मैं भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से यह अनुरोध करता हूं कि वह मौजूदा केन्द्रों को बंद करने के बजाय एल.पी.टी.वी. केंद्रों को उनके राष्ट्रीय हित के और सबसे निचले स्तर के लोगों से जुड़े कार्यक्रमों के साथ जारी रखे।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने किसानों के लिए जिस कर्ज माफी की घोषणा की है, उसकी वास्तविकता कुछ अलग है। इसकी जानकारी किसानों से बात करने के बाद मिलती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी मांग को मानते हुए किसानों की कर्ज माफी की। हमारी मांग उन्होंने मानी है। यह मांग मांगने के लिए हमने नागपुर, सहगांव, पुणे और धुलिया में हमारे शिव सेना के अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लाखों किसानों

के समुदाय ने जन आंदोलन किया था परंतु पूर्ण कर्ज माफी की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है क्योंकि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पचास प्रतिशत और विदर्भ में तीस प्रतिशत किसानों को ही इस ऋण माफी का फायदा मिल पाएगा। साथ ही साथ जो किसान अपनी ऋण की किश्तें समय पर चुकाते आ रहे हैं, जिनकी पांच एकड़ की खेती हो रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी मांग क्या है?

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: सर, मुझे बोलने दीजिए। जिन किसानों ने अपने ऋण की किश्तें हमेशा बैंकों में या जिन भी संस्थाओं में समय पर चुकायी हैं, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है और जिन्होंने नहीं दिया, उनको लाभ मिला है। इसलिए वे लोग बोल रहे हैं कि क्या हम लोगों ने किश्तों की रेगुलर पेमेंट करके कोई गलती की है? इसलिए उनके बारे में भी इस संबंध में विचार किया जाना चाहिए। ऐसा मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से विनती करता हूं। इसलिए हमने कल माननीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में पांच सांसद मैं, हमारे अडसुल जी, गुढ़े जी, यादव जी और संजय जी जो राज्य सभा के सांसद हैं, उनके साथ मराठवाड़ा, विदर्भ का दौरा करने के बाद प्रत्यक्ष रूप से हम किसानों से भी मिले। हम किसानों की भावना, उनकी प्रतिक्रिया आपके सामने रख रहे हैं कि जो कर्ज माफी किसानों के लिए की है, उसका फायदा उन्हें नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में 5500 किसानों ने आत्महत्यायें की हैं और पूरे देश में डेढ़ लाख किसानों ने आत्महत्यायें की हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसे नहीं बताया गया है। उन लोगों के लिये कुछ मदद होनी चाहिये थी। साहूकारों ने जो कर्ज किसानों को दिया, उसके लिये भी कुछ नहीं कहा गया है। हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा है कि महाराष्ट्र में जिन साहूकारों का बकाया है, वह किसानों ने नहीं देना है लेकिन किसानों का अंगूठा लेकर जो कर्ज दिया गया है, उसका क्या होगा? इसके लिये कोई कठोर एक्शन होना चाहिये। उन किसानों की पूरे कर्ज की माफी होनी चाहिये तभी किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं का सिलसिला रुकेगा। इस बजट से तभी फायदा होगा जब किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। हमारी पार्टी शिव सेना की ओर से यह मांग है।

उपाध्यक्ष महोदय: स्पेशल मैंशन में इतना लम्बा मैटर नहीं होता है।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले तथा कुट्टानाद के किसानों की चिंता से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं। जब सरकार ने देश में 31 जिलों को आपदा प्रवण जिले घोषित किया, तब मेरे राज्य के दो जिलों-पहला अलपुज्जा और दूसरा इदुक्की-को इनमें सम्मिलित नहीं किया है। बाद में भारत सरकार ने एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक, डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कुट्टानाद और अलपुज्जा जिले के आद्र-भूमि वाले क्षेत्रों से संबंधित प्रणाली के कृषि संकट और पारिस्थितिकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार केरल राज्य सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। लेकिन उस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। महोदय, कुट्टानाद के लोगों ने बड़ी उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ इस परियोजना का स्वागत किया था, लेकिन अब लोग इस बात से दु:खी और निराश हैं कि भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। महोदय, यह ज्ञात हुआ है कि योजना आयोग ने प्रस्ताव की अनुमति दे दी है और वह कैबिनेट नोट की प्रतीक्षा कर रहा है।

महोदय, मैं सरकार से इस परियोजना की स्वीकृति और क्रियान्वयन के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं, जिससे कि इस क्षेत्र अर्थात् कुट्टानाद के कृषि संकट को दूर किया जा सके।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली): उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे आज शून्य काल के दौरान भारत हैवी प्लेट वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण करने से संबंधित अविलम्बनीय लोक महत्व के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने की अनुमति दीजिए।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 26 नवम्बर, 2007 के निर्णय पर आधारित बी.एच.पी.वी. ने बी.एच.ई.एल. द्वारा बी.एच.पी.वी. के तत्काल अधिग्रहण हेतु इंडस्ट्रियल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा मूल्यांकित पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट भारी उद्योग मंत्रालय को पुन: प्रस्तुत की है। मैं समझता हूं कि भारी उद्योग मंत्रालय के वित्त विभाग द्वारा रिपोर्ट की उसे वित्त मंत्रालय की टिप्पणी के लिए भेजने हेतु अध्ययन और समीक्षा की जा रही है। बी.एच.पी.वी. के कर्मचारी इस समस्या का सदैव के लिए शीघ्र समाधान हेतु उत्सुकतापूर्वक केन्द्र तथा जनप्रतिनिधियों की ओर देख रहे हैं।

चूंकि बी.एच.पी.वी. और बी.एच.ई.एल. भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन हैं, इसलिए अधिग्रहण प्रक्रिया में कोई अड़चन

नहीं होगी। अत: इस सभा के माध्यम से मैं सरकार से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध करता हूं।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी (बेल्लारी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान कर्नाटक के बेल्लारी जिले में बड़े पैमाने पर एच.आई.वी./एड्स के प्रसार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की समन्वित एच.आई.वी./एड्स अनुक्रिया के माध्यम से क्षमता निर्माण तथा जागरूकता (चरका) परियोजना की मदद से महिलाओं को एच.आई.वी./एड्स की संक्रामकता से बचाव और इसमें कमी लाने के लिए बेल्लारी डिस्ट्रिक एड्स प्रीवेंशन सोसाइटी द्वारा उठाये जा रहे सफल कदमों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, जब परियोजना प्रगति पर थी और 398 गांवों की आबादी को इसमें सम्मिलित किया गया था, तब केंद्र सरकार ने अचानक इस परियोजना को बंद कर दिया। कर्नाटक में बेल्लारी देश के उन 6 जिलों में से एकमात्र जिला है, जिसका चयन यू.एन.डी.पी. द्वारा एच.आई.वी./एड्स-चरका कार्यक्रम-के क्रियान्वयन के लिए किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 13 से 25 वर्ष की महिलाओं के बीच एचआईवी के संक्रमण को कम करना था।

महोदय, बेल्लारी जिला एड्स निवारण सोसाइटी कर्नाटक राज्य में एक मात्र तथा देश में दूसरी ऐसी सोसायटी है, जिसका स्थान मुम्बई महानगर पालिका के बाद आता है। महोदय, पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार ने बेल्लारी को एड्स मुक्त जिला बनाने की घोषणा की थी। अन्य कार्यकलापों के साथ चरका ग्रामीण सूचना केन्द्रों की स्थापना 146 गांवों में की गई थी। एच.आई.वी. का प्रसार जो 2003-04 में 1.7 प्रतिशत था अब घटकर 1.1 प्रतिशत रह जाने से बी.डी.ए.पी.एस. और इसके साझीदारों द्वारा किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। फिर भी राष्ट्रीय औसत को देखते हुए यह प्रतिशतता बहुत अधिक है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी मांग क्या है।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: महोदय, मैं अपनी मांग पर आ रहा हूं। यह आश्चर्य की बात है कि आचानक इस परियोजना को बंद कर दिया गया है और इसे आगे बढ़ाने के कोई संकेत नहीं हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए और चूंकि बेल्लारी में आप्रवासन वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, बेल्लारी जिले में इस कार्यक्रम का विस्तार तत्काल किए जाने की आवश्यकता है।

इसलिए मैं सरकार से चरका योजना के विस्तार तथा बेल्लारी जिले में एच.आई.वी./एड्स के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध करता हूं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा 5 मार्च, 2008 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 5 मार्च, 2008/15 फाल्गुन, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री अजीत जोगी	81
2.	श्री चन्द्र भूषण सिंह श्री हरि सिंह चावड़ा	82
3.	श्री थावर चन्द गेहलोत श्री हेमलाल मुर्मू	83
4.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री रवि प्रकाश वर्मा	84
5.	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	85
6.	श्री इकबाल अहमद सरडगी	86
7.	श्री सुरेश अंगड़ि श्री बृज किशोर त्रिपाठी	87
8.	श्री विजय कृष्ण	88
9.	श्री हितेन बर्मन श्री महावीर भगोरा	89
10.	श्री अबु अयीश मंडल	90
11.	श्री कैलाश मेघवाल	91
12.	श्री नवीन जिन्दल श्री जी. करुणाकर रेड्डी	92
13.	श्री रशीद मसूद	93
14.	श्री मोहन सिंह	94
15.	श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई श्री काशीराम राणा	95
16.	डा. धीरेंद्र अग्रवाल श्री जीवाभाई ए. पटेल	96
17.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री किन्जरपु येरननायडु	97
18.	श्री एस.के. खारवेनथन	98
19.	श्री बसुदेव आचार्य	99
20.	डा. चिन्ता मोहन श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	100

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	886, 927, 943, 949
2.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	893
3.	अहीर, श्री हंसराज गं.	813, 889, 921
4.	अंगड़ि, श्री सुरेश	887
5.	अप्पादुरई, श्री एम.	830
6.	आठवले, श्री रामदास	828, 895
7.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	837, 900, 901, 932, 936
8.	बर्मन, श्री हितेन	959
9.	बर्मन, श्री रनेन	856
10.	बखला, श्री जोवाकिम	906
11.	भक्त, श्री मनोरंजन	822, 868, 920, 940
12.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	874
13.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	808
14.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	814, 879
15.	चौरे, श्री बापू हरी	902, 936
16.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	898
17.	चिन्ता मोहन, डा.	896
18.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	963
19.	चौधरी, श्री पंकज	809, 877
20.	देवरा, श्री मिलिन्द	819, 883, 947, 963
21.	धोत्रे, श्री संजय	815, 902
22.	गढ़वी, श्री पी.एस.	844, 907
23.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	821, 859, 916, 927

1	2	3
24.	गांधी, श्रीमती मेनका	831, 897
25.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	827, 922
26.	जगन्नाथ, डा. एम.	849, 912
27.	जैन, श्री पुष्प	807
28.	जटिया, डा. सत्यनारायण	810
29.	जयाप्रदा, श्रीमती	867, 919
30.	झा, श्री रघुनाथ	855
31.	जोशी, श्री प्रहलाद	871, 923, 941
32.	कनोडीया, श्री महेश	844, 873, 907
33.	खैरे, श्री चंद्रकांत	850, 913, 937
34.	खन्ना, श्री अविनाश राय	852, 906
35.	खारवेनथन, श्री एस.के.	876, 924
36.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	805, 814, 880, 926, 947
37.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	869
38.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	829
39.	महरिया, श्री सुभाष	817, 882
40.	महतो, श्री नरहरि	818, 852, 864
41.	महताब, श्री भर्तृहरि	857, 915
42.	महतो, श्री टेक लाल	854
43.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	863
44.	मंडल, श्री सनत कुमार	835, 962
45.	माने, श्रीमती निवेदिता	821, 859, 916, 927
46.	मसूद, श्री रशीद	890
47.	मेघवाल, श्री कैलाश	889
48.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	825
49.	मंडल, श्री अबु अयीश	888
50.	मुर्मू, श्री हेमलाल	904, 927, 934, 971
51.	नन्दी, श्री अमिताभ	851
52.	नायक, श्री अनन्त	822, 824, 910, 936
53.	निखिल कुमार, श्री	839
54.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	860
55.	ओराम, श्री जुएल	820, 839, 887
56.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	894, 931
57.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	816, 881, 968
58.	पाण्डा, श्री प्रबोध	843, 906, 935
59.	पाण्डेय, श्री लक्ष्मीनारायण	806, 947
60.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	840
61.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	944
62.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	933, 946, 951, 954, 964
63.	पाठक, श्री हरिन	836, 900, 969
64.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	889
65.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	847, 960
66.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	905, 936
67.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	848, 911
68.	राजगोपाल, श्री एल.	833
69.	रामदास, प्रो. एम.	832, 899
70.	राणा, श्री काशीराम	826, 893
71.	राव, श्री के.एस.	853, 914, 938
72.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	952, 965, 971
73.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	834
74.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	822, 878, 928, 944

1	2	3
75.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	845, 888, 908
76.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	934
77.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	865, 918
78.	रिजीजू, श्री कीरेन	806, 947
79.	साई प्रताप, श्री ए.	868
80.	साय, श्री नन्द कुमार	841, 903, 939, 945, 948
81.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	875, 925, 942, 950
82.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	823, 839, 906, 917
83.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	900, 955
84.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	904, 927, 934
85.	शर्मा, श्री मदन लाल	838
86.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	886, 889, 927, 949, 957
87.	शिवन्ना, श्री एम.	842
88.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	832, 852, 899
89.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	811, 905
90.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	909
91.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	826, 905
92.	सिंह, श्री गणेश	868
93.	सिंह, श्री मोहन	891, 929
94.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	872, 958
95.	सिंह, श्री रेवती रमन	862
96.	सिंह, श्री सुग्रीव	841, 903, 933, 946, 951
97.	सिंह, श्री सूरज	866, 896
98.	सिंह, श्री उदय	852, 870, 885
99.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	892, 930
100.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	844, 873, 907
101.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	861, 947
102.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	812
103.	सुब्बारायण, श्री के.	858
104.	सुमन, श्री रामजीलाल	866
105.	थामस, श्री पी.सी.	846, 909, 970
106.	ठुम्मर, श्री वी.के.	944, 953
107.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	806, 947
108.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	884, 939, 947, 948
109.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	898
110.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	967
111.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	886, 889, 927, 961
112.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	821, 859, 916, 927
113.	यादव, श्री पारसनाथ	956
114.	यास्खी, श्री मधु गौड	821, 859, 916, 927
115.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	966

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	81, 84, 95, 98, 99
पृथ्वी विज्ञान	:	92
गृह	:	83, 85, 89, 93, 100
मानव संसाधन विकास	:	82, 86, 87, 90, 94, 96, 97
सूचना और प्रसारण	:	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	88, 91
खान	:	
संसदीय कार्य	:	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	811, 812, 814, 817, 820, 826, 828, 832, 834, 835, 843, 844, 846, 861, 866, 871, 873, 876, 879, 880, 892, 896, 903, 907, 909, 916, 921, 923, 925, 927, 930, 933, 936, 954
पृथ्वी विज्ञान	:	862, 891, 915, 940
गृह	:	806, 809, 815, 821, 822, 824, 829, 836, 839, 852, 855, 856, 863, 864, 867, 870, 874, 875, 877, 881, 885, 890, 895, 897, 898, 906, 910, 917, 919, 926, 929, 931, 939, 945, 947, 948, 951, 955, 958, 959, 961, 963, 964, 967, 968, 969, 970
मानव संसाधन विकास	:	805, 807, 808, 810, 819, 823, 833, 838, 840, 847, 851, 854, 858, 859, 860, 869, 878, 883, 884, 886, 888, 889, 900, 904, 908, 911, 918, 924, 928, 935, 938, 942, 943, 946, 949, 952, 953, 956, 957, 962, 965, 966, 971
सूचना और प्रसारण	:	842, 850, 857, 868, 872, 893, 960
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	816, 827, 837, 849, 853, 865, 899, 902, 905, 912, 922, 932, 934, 941, 944, 950
खान	:	825, 831, 841, 882, 887, 894, 913, 914, 937, 945
संसदीय कार्य	:	830
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	813, 818, 845, 848, 901, 920.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/32/7/2008/1929 (एन०)
215

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।